Tuesday, 26 April, 1983

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(ग्यारहवाँ सत्र)

(खंड 37 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

अंक 38, मंगलवार, 26, अप्रैल, 1983/6 वैसाख, 1905 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2—26
*तारांकित प्रश्न संख्या : 746 से 748, 750 और 752	2—26
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	26—223
तारांकित प्रश्न संख्या : 749, 751, और 753 से 765	26—36
अतारांकित प्रश्न संख्या : 8512 से 8653, और 8655 से 8742	36—223
स्थगन प्रस्ताव	223—228
सभा पटल पर रखे गए पत्र	228—232
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति अन्तिम उत्तरों के विवरण	232—232
लोक लेखा समिति	
142वां प्रतिवेदन	233—233
प्राक्कलन समिति	
51 वां और 52वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश	233—233
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समित	
65वां तथा 69वां प्रतिवेदन तथा कर्यवाही-सारांश	233—233
अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर ध्यान दिलाना	234—248
दिल्ली के निकटवर्ती गांवों की उपजाऊ कृषि भूमि का अत्यधिक सस्ते भाव पर अर्जन किए जाने तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उसे बेहद महंगे भाव पर बेचे जाने का समाचार	234
श्री राजेश पाइलट	234
श्री बूटा सिंह	234
श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी	242—248

* किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय पृष्ठ

भारतीय मूलके विदेशी नागरिकों को दिल्ली में भूमि के आवंटन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 578 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में 11 अप्रैल, 1983 को दी गई जानकारी में शुद्धि करने के लिए एक वक्तव्य 249

श्री बूटा सिंह 249

नियम 377 के अधीन मामले 249—254

(एक) हरियाणा राज्य से अनाज बाहर ले जाने पर हरियाणा सरकार द्वारा लगाई गई पाबन्दी

श्री मनी राम बागड़ी 249

(दो) बिहार में ऊर्जा संकट

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा 250

(तीन) उन किसानों को, जिनकी फसले हाल में हुई वर्षा तथा ओला-वृष्टि से नष्ट हो गई हैं, राहत देने की मांग

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी 251

(चार) मद्रास में हुई उस घटना की, जिसमें सात सीमा-शुल्क अधिकारियों की जानें गई हैं, न्यायिक जांच करवाने की आवश्यकता

डा० ए० कलानिधि 251

(पांच) बैंकों द्वारा दैनिक निक्षेप संग्रह योजनाओं को पुनः आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री के० ए० राजन 251

(छः) उत्तर प्रदेश के आंवला निर्वाचन-क्षेत्र का शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने की आवश्यकता

श्री जयपाल सिंह कश्यप 252

(सात) जयश्री केमिकल्स लि० के अप स्त्रवों से ऋषि कुल्या नदी के पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय करने की आवश्यकता

श्री चिंतामणि पाणिग्रही 253

(आठ) सिंह भूमजिले (बिहार) में रोडी एस्बेस्टस खान, बैबासा के मजदूरों की समस्यायें

श्रीमती कृष्णा साही 253—254

अनुदानों की मांगें, 1983-84 254—278 व 280—333

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग 254

श्री गिरधारी लाल व्यास 254

श्री रतन सिंह राजदा 257

विषय पृष्ठ

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा	261
श्री कृष्ण कुमार गोयल	263
श्री उमाकांत मिश्र	266
डा० ए० कलानिधि	267
श्री गिरधारी लाल डोगरा	271
प्रो० पी० जे० कुरियन	274
श्री सोमनाथ चटर्जी	277
श्री पी०ए० संगमा	280
श्री के०ए० राजन	283
श्रीमती सुखबन्स कौर	286
श्री अशफाक हुसैन	288
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	290
श्री के०टी० कोसलराम	292
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	294
प्रो० एन०जी० रंगा	298
श्री रामसिंह यादव	301
श्री सी० चिन्ना स्वामी	303
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	304
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	305—333
अमृतसर में 25 अप्रैल, 1983 को हुई घटना के बारे में वक्तव्य	278—279
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	278
अनुदानों की मांगें, 1983-84	324—333
रसायन और उर्वरक, संचार, शिक्षा और संस्कृति आदि मंत्रालय	324
विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक	333—340
विधेयक पुर: स्थापित करने का प्रस्ताव	
श्री प्रणव मुखर्जी	333
विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव—	
श्री प्रणव मुखर्जी	333
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	333
श्री जी०एम० बनातवाला	335
खंड 2 से 4 तथा 1	340
विधेयक पास करने का प्रस्ताव—	
श्री प्रणव मुखर्जी	340
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	340

लोक सभा

मंगलवार, 26 अप्रेल, 1983/6 वैसाख, 1905 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : पंजाब की स्थिति अत्यंत गंभीर तथा चिंताजनक है । आप चुप हैं । भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी की हत्या के बाद कार्यवाई करनी चाहिये थी ।

श्री रतन सिंह राजदा : जब डी. आई. जी. जैसे आदमी को मार दिया जाता है । तब आम आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं है । यह एक असाधारण स्थिति है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजदा, आप एक बहुत पुराने संसद विज्ञ हैं । आप किस नियम के अधीन बोल रहे हैं ?

श्री रतन सिंह राजदा : असाधारण स्थिति के लिए असाधारण उपायों की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे नियमों के अधीन ही चलायेंगे ।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : मैं आशा करता हूं कि प्रश्नकाल के अन्त में आप हमें अपनी बात कहने की अनुमति देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि आप अपने पैरों पर दृढ़ रहिये ।

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष जी, गुरु नानक निवास से चौधरी साहब के पास एक लेटर आया है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे बहुतेरे आते हैं । सब के पास आते हैं । बैठ जाओ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष मोहदय : आप गलत काम कर रहे हैं ।

श्री जगपाल सिंह : बात यह है कि डी. आई. जी. को गोली मार दी गई ।...

अध्यक्ष महोदय : कुछ नही सुनीं जायेगी ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे कोई लफ्ज नहीं थे ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं यह गलत है ।

श्री मनीराम बागड़ी : आप के कहने से बैठ गये । आप उनको रिकार्ड करा दीजिये ।

**कार्यवाही—वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सरकारी और निजी संस्थाओं पर कोयला कम्पनियों की बकाया राशियां

*746. श्री बापू साहिब परुलेकर† :
श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सरकारी और निजी संस्थाओं पर विभिन्न कोयला कम्पनियों की भारी राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1982 में इन बकाया राशियों की स्थिति क्या थी;

(ग) इन बकाया राशियों को वसूल करने के लिए क्या प्रयास किये गए हैं और उन के क्या परिणाम निकले हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि इन कम्पनियों के वित्तीय संकट को दूर करने के लिए कोयले के मूल्य में वृद्धि की गई है , और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कोले के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई और प्रत्येक बार कितनी वृद्धि की गई ?

उर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) दिनांक 31-12-82 की स्थिति के अनुसार कोल इण्डिया लि० को विभिन्न उपभोक्ताओं से लगभग रु० 250 करोड़ की राशि लेनी थी। कोयला कम्पनियां सभी उपभोगताओं पर बकाया राशि की शीघ्र अदायगी के लिए लगातार जोर डालती रही हैं। चूंकि बकाया राशि का प्रमुख भाग बिजली बोर्डों से संबद्ध है इसलिए कोल इण्डिया लि० के अध्यक्ष ने बकाया राशि के शीघ्र भुगतान के लिए बिजली बोर्ड और कम्पनियों के अध्यक्षों को लिखा है। यह मामला संबद्ध राज्य सरकारों के साथ भी सरकारी स्तर पर समय समय पर उठाया गया है ।

(घ) और (ङ) : पिछले तीन वर्षो के दौरान कोयले की कीमतें दो बार नीचे दिए अनुसार संशोधित की गई :—

संशोधन की तारीख	कोयले की प्रति टन औसत खान मुहाना कीमत	
	को० ई० लि०	सि० को० कं० लि०
14-2-81	रु० 128.02	रु० 136.85
27-5-82	रु० 145.90	रु० 154.25

कोयला कीमतों में वृद्धि उत्पादन सामग्री की लागत में वृद्धि, कामगरों की मजदूरियों में वृद्धि और उत्पादन की लागत में वृद्धि के कारण आवश्यक हो गई थी, बहुत दिनों से बकाया राशि के कारण नहीं।

श्री बापू साहिब परुलेकर : महोदय, उत्तर से आप को पता चलेगा कि एक वर्ष की अविध का बकाया 250 करोड़ रुपये है। उतर में आगे कहा गया है कि बकाया राशि का अधिकांश भाग बिजली बोर्डों से संबधित है। अवश्य, उन्होंने आंकडे नहीं दिये हैं। अत: मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि 250 रुपये के कुल बकाया राशि में से राज्यों में से बिजली क्षेत्र में केवल लगभग 70 प्रतिशत अर्थात 175 करोड़ रुपयों का बकाया है और रेल विभाग में लगभग 3.199 लाख रुपये अर्थात लगभग 31 करोड़ रुपये है। दूसरे, क्या यह सच है कि ये आंकडे केवल एक वर्ष के अर्थात हैं 1981-82 के वित्त वर्ष के हैं और क्या ऐसे कुछ मामले हैं जहां विवादों के कारण या सप्लाई की गई व चीजों की किस्मों या मूल्यों अथवा वितरण अनुसूची के कारण भुगतान रोक लिये गये है या ये उपक्रम दिवालिया हो गए हैं, और यदि नहीं तो 250 करोड़ रुपये की इतनी बड़ी रकम का बकाया दिखाने के क्या कारण हैं जिससे मूल्यों में भी वृद्धि हो रही है।

श्री दलबीर सिंह : यदि मैं इन बकाया राशि की क्षेत्र बार स्थिति को स्पष्ट करू, तो वह इस प्रकार है। मैं विवादस्पष्ट राशि के बारे में भी अलग से बताउँगा।

लाख रुपये में

क्षेत्र	31.12.1982 को		
	पूरा बिल	कटौती	कुल जोड़
लोको	2,143	1,073	31,216
बिजली	11,381	5,946	17,327
इस्पात	926	1,704	2,630

अवश्य सरकारी और निजी क्षेत्रों को मिलाकर कुल जोड़ 24,903 लाख रुपये होता है। 31.12.1982 तक की कुल बकाया राशि की स्थिति यह है।

श्री बापू सहिब पुरुलेकर : मैंने इन बकायों के कारण पूछे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका मुख्य कारण यह है कि उन्होने भुगतान नहीं किया।

श्री दलबीर सिह : यह राशि एक ही वर्ष का बकाया नहीं है। यह संचित बकाया राशि है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : बस इतना ही ? मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि बढ़ती बकाया राशि के क्या कारण हैं। मैंने उसका विवरण नहीं पूछा। दूसरी और विवरण मैंने दिया है। मैंने उसका कारण जानना चाहा। मैंने कुछ कारणों का उल्लेख किया और जानना चाहा कि क्या यह सच है।

श्री दलबीर सिह : महोदय कोयले की कम्पनियों ने देखा है कि कोयले की सप्लाई का भुगतान किसी एक या दूसरे बहाने रोक दिया जाता है अथवा विलंब किया जाता है। और अक्सर भी झगड़ा खड़ा कर दिया जाता है। इन में किस्म के बारे में झगड़ा भी शामिल है। ये विवादास्पद धन राशि जो किसी एक या दूसरे बहाने रोक ली गई है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : महोदय, वह उत्तर देने की स्थिति में नहीं है।

श्री सत्य नारायण जटिया : आप बिलकुल जानकारी लेकर नहीं आये हैं।

श्री सुनील मैत्रा : कृपया उनसे उत्तर देने को कहें कि क्या वह राशि विवादास्पद है, यदि उसका कोई भाग विवादास्पद है तो वह कौन सा भाग है और कितनी मात्रा विवादग्रस्त है और विवाद किस बात पर है।

श्री दलबीर सिंह : इसका प्रमुख कारण यह है कि हम कोयले की कम्पनियों के साथ करार नहीं कर पाये। इस्पात आदि अन्य क्षेत्रों में करार निस्पादित किया जाता है, परन्तु यहां का तरीका ऐसा है कि करारों को शामिय नहीं किया जाता और इसका कारण यह है कि आखिर में धनराशि वसूल करना मुश्किल हो जाता है और हम अनुनयी तरीकों से धनराशि को वसूल करते हैं। ये इसके प्रमुख कारण हैं। रेल बोर्ड के साथ भी और रेल विभाग के साथ तथा अन्य क्षेत्रों के साथ यही बात होती है और हम ये करार निस्पादित करने की कोशिश करते हैं। अन्ततोगत्वा, जब करारों को अंतिम रूप देने के संबंध में अन्तिम तस्वीर आती है। तब इस धनराशि को वसूल करना आसान हो जायेगा।

श्री बापू साहिब परूलेकर : मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। एक स्तर पर वह कहते हैं कि कुछ विवाद है। दूसरे स्तर पर वह कहते हैं कि करार निष्पादित नहीं हो पाया। मैं नहीं समझता कि कौन सा करार है, क्योंकि मेरा बाद का अनुपूरक प्रश्न इस पर निर्भर करेगा। मूल उत्तर में उल्लेख है...

(व्यवधान)

श्री दलवीर सिंह : इस संबंध में कोई दुविधा नहीं हैं। मैंने विवादास्पद धनराशि का ब्यौरा अलग दिया है।

श्री बापू साहिब परूलेकर : मैंने उनके बारे में नहीं पूछा . . .

श्री दलबीर सिंह : मैंने इस धनराशि की वसूली में हुए विलंब का विवरण दिया है और उसका कारण भी बता दिया है।

श्री बापू साहिब परूलेकर : महोदय यदि आप सन्तुष्ट हैं तो मैं आगे नहीं कहुंगा, परन्तु क्या आप सन्तुष्ट हैं ;

अध्यक्ष महोदय : यह आप के संतुष्ट होने की बात है।

श्री बापू साहिब परूलेकर : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है मंत्री महोदय कहते हैं कि इन विवादों के बावजूद करार निष्पादित नहीं हो पाये। उत्तर के उल्लेख के अनुसार कोल इण्डिया लिमिटेड के अध्यक्ष इन संगठनों को पत्र लिख रहे हैं और उत्तर से पता चलता है कि पत्र लिख कर वे बकाया राशि वसूल कर सकते हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि जब कोल इन्डिया लिमिटेड के अध्यक्ष द्वारा पत्र लिखवाने के बावजूद संबद्ध उपक्रमों से इतनी बड़ी धनराशि वसूल करने में असफलता मिली, तब कोल

इन्डिया लिमिटेड में बकाया राशि वसूल करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप चाहा है ? यदि हां तो हस्तक्षेप करने के लिए कब अनुरोध किया गया था और इस की क्या आवश्यकता थी तथा इतनी बड़ी बकायों को प्राप्त करने हेतु कोल इण्डिया लिमिटेड की मदद करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार सोचती है कि यदि इनमें से कुछ उपक्रमों को कोयले की सप्लाई निलंबित कर दी जाती तो, इन बकायों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है ? यदि नहीं तो अगले वर्ष बकाया 500 करोड़ रूपये हो जायेगा। मैं इसका उत्तर जानना चाहूँगा ।

(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : लोक उपयोगी सेवाएं....

श्री दलवीर सिंह : महोदय, कोल इण्डिया लिमिटेड तथा सरकार की ओर से भरसक प्रयत्न करने के बाद, हम यह धनराशि वसूल कर सके, परन्तु अब तक मामला यही है और ऐसी स्थितियों में सरकार द्वारा धनराशि वसूल करना मुश्किल है । हम इसे समझ सकते हैं । सरकार भी प्रयास कर रही है । ये सभी कंपनियों भी सरकार से अनुरोध करती हैं कि हम बिजली बोर्डों को मना लें । यहां तक कि मंत्री का हस्तक्षेप भी है । उन्होंने सभी राज्य बिजली बोर्डों और सरकारों को इस धनराशि की वसूली के लिये लिखा है । हम धनराशि की वसूली के लिये ये तरीके अपनाते आये हैं ।

ई० बालानन्दन : मंत्री ने कहा है कि सरकार ने भी बिजली बोर्डों को लिखा है । रेलवे के बारे में क्या है । रेलवे स्वयं सरकार के आधीन है और रेलवे कोल इण्डिया लिमिटेड को भुगतान नहीं कर रहे हैं । इसे कैसे स्पष्ट किया जा सकता ? क्या सरकार निश्चित रूप से कह सकती है कि सरकार कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा धनराशि वसूल करवाने के लिये आवश्यक कदम उठायेगी ।

श्री पी० शिव शंकर : बात ऐसी नहीं है कि सरकार अपने प्रयत्नों में असफल हो रही है । मेरे मित्र ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है । पैट्रोलियम और इस्पात जैसी वस्तुएँ अग्रिम भुगतान के आधार पर सप्लाई की जाती है । कोयले के क्षेत्र में शुरू से ही सप्लाई पहले कर दी जाती है और भुगतान बाद में । इन कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी ऐसा हो रहा था । जब एक बार सप्लाई प्रभावित हुई थी, जब तक भुगतान नहीं किया जाता तब तक हम सप्लाई नहीं रोक सकते, क्योंकि ये लोक उपयोगी सेवाएं हैं । एक बार सप्लाई प्रभावित हो जाती, तो विभिन्न आधार उठाये जाते । इन आपत्तियों के कारण बिलों का निपटारा नहीं किया जा सका । जब उन्होने करार का हवाला दिया, तो उसके संबंध में मुझे बताना है कि हम विभिन्न क्षेत्रों के साथ करार करने की कोशिश इसलिये कर रहे हैं कि यदि कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो हम मामले को समुचित प्राधिकारी के पास ऐसी आपत्तियों के निपटारे के लिये भेज सकते हैं । यही कारण है कि उन्होंने बताया है कि विभिन्न प्राधिकारियों के साथ करार करने की कोशिश कर रहे थे । उन्होंने इस आधार पर आपत्तियां उठायी कि उन्होंने ऐसे करार पर कभी हस्ताक्षर नहीं किये । काम ऐसे चल रहा था । हम करार पर हस्ताक्षर करने हेतु सहमत

कराने के लिये कोशिश कर रहे हैं जिससे विवाद की स्थिति में मामला समुचित अधिकारी के पास भेजा जा सके, और उसका समाधान हो सके। मुश्किल यह है कि एक परंपरा चल रही थी और सुझाव दिया गया है कि आप सप्लाई निलंबित क्यों नहीं कर देते। ये लोक उपयोगी सेवाएं हैं। इसलिये सप्लाई निलंबित नहीं की जा सकती। सरकार जोखिम नहीं उठा सकती। केवल वातचीत के द्वारा ही इसे निपटाया जा सकता है और ना ही धमकी द्वारा किया जा सकता हैं जिसका बुरा असर विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ सकता है। उन क्षेत्रों के बारे में पहले ही उल्लेख किया गया है। जहां बिल पेश किये गये हैं। उनमें से कुछ बिल विवादास्पद है और जिसके फलस्वरूप विभिन्न संगठनों रेलवे या अन्य संगठनों के पास 249 करोड़ रूपये का बकाया है। माननीय सदस्य इस बात से ससमत होंगे कि धमकी देकर यह राशि वसूल नहीं की जा सकती। यदि जबरदस्ती का तरीका अपनाया गया तो इससे देश की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जायेगी।

कच्चे तेल का निर्यात और तैयार तेल का आयात

***747. श्री रतन सिंह राजदा :**
डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कच्चे तेल का निर्यात और तैयार तेल का देश में आयात होता है ;

(ख) यदि हां, तो आयात और निर्यात की गत वर्ष की स्थिति क्या है ; और

(ग) इसका निर्यात घटाने हेतु किए गए प्रयासों के परिणाम का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्यमंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) और (ख) : वर्ष 1982 के दौरान भारत में लगभग 4.4 मिलियन मी० टन अशोधित तेव का निर्यात किया था और लगभग 4.9 मिलियन मी० टन परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया था।

(ग) उपर्युक्त उल्लिखित निर्यात बम्बई हाई अशोधित तेल से संबंधित है। कोचीन, मद्रास विशाखापत्तनम तथा बम्बई स्थित रिफाइनरियों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण के कार्य को वर्ष 1984-85 के अन्त तक पूरा करने के लिए प्रयास पहले ही प्रारंभ कर दिए गए हैं जिससे कि वर्ष 1984-85 के अन्त तक पूरा करने के लिए प्रयास पहले ही प्रारम्भ कर दिए गए हैं जिससे कि वर्ष 1984-85 के अन्त तक उस समय उत्पादित किए गये बम्बई हाई अशोधित तेल के संसाधन में वृद्धि की जा सके।

श्री रतन सिंह राजदा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारी कच्चे तेल की निर्यात और परिशोधित तेल के आयात की नीति का संबंध है इसमें काफी शंकायें हैं और यह संदेहपूर्ण है कि क्या सरकार ने कच्चे तेल के निर्यात और परिशोधित तेल के आयात के बारे में कोई योजनाबद्ध नीति बनाई है,

मैं जानना चाहता हूं कि हम कच्चे तेल को अपने ही देश में परिशोधित करने बजाए उसका निर्यात क्यों कर रहे हैं ? यह इसलिए कि हमारे तेलशोधक कारखाने हमारे कच्चे तेल का

परिशोधन नहीं कर सकते हैं ? यदि यही कारण है तो कृपया स्पष्ट कीजिए कि क्या हमारे तेल-शोधक कारखानों को आधुनिक बनाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं जोकि कच्चे तेल का परिशोधन कर सकें ? घरेलु सप्लाई बहुत आवश्यक है किन्तु उसके बावजूद हम उसका निर्यात अधिक कर रहे हैं। आखिर हमारे देश में इतने सभी तेलशोधक कारखाने होने के बावजूद कच्चे तेल का निर्यात करने के क्या कारण हैं ?

श्री गार्गी शंकर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, बाम्बे से निकल रहे क्रूड का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिसके लिए हमारे यहां की रिफाइनरी अभी तक तैयार नहीं है, लेकिन इस मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं और 1985 तक वह तैयार हो जाएगी। कोयाली और मथुरा में जो क्रकर्स हैं, उनमें कोयाली का एक मिलियन टन का चालू है, मथुरा का 70 प्रतिशत भी एक मिलियन टन का है, वह भी चालू हो रहा है, उसमें ट्रायल्स हो रहे हैं। उसके बाद भी कुछ क्रूड ऐसा बच जाता है बाम्बे हाई का, जिसको बाहर भेजकर रिफाइन या स्वाप करना पड़ता है।

रतन सिंह राजदा : महोदय यह उत्तर संतोषजनक नहीं है, मेरा निवेदन है कि देश को अन्धकारी में रखा गया है, हमारी रिफाइनरियों को आधुनिक क्यों नहीं बनाया जाता है जो हमारे अपने कच्चे तेल का परिशोधन करेंगे ? यह पता चलता है कि हमारी रिफाइनरियां देश की सामने विद्यमान चुनौतियों का सामना नहीं कर सकती हैं, यह एक बात है। दूसरी बात यह है......

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि 1985 तक ये तैयार हो जायेगें।

श्री रतन सिंह राजदा : मैं अनुपूरक प्रश्न पूछने का अपना अधिकार रखता हूं।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : वर्ष 1982-83 में हमारे तेल शोधक कारखानों की परिशोधन क्षमता 37.8 मिलियन टन थी। बम्बई क्रूड का निर्यात क्यों किया गया था — उसके दो कारण हैं। एक कारण यह है कि बम्बई हाई क्रूड देश में अपेक्षित लुब्रिकेटिंग आयल और बिटूमन जैसे कतिपय उत्पादन पैदा नहीं कर सकता है। दूसरा कारण यह है कि देश में तेलशोधक कारखानों की वर्तमान मौजूदा तेलशोधन क्षमता से इस समय पैट्रोलियम पदार्थों की वर्तमान मांग को पूरा करने हेतु सम्पूर्ण बाम्बे हाई क्रूड का परिशोधन कर पाना संभव नहीं है। क्योंकि गौण सुविधाओं के बिना बाम्बे हाई क्रूड आयल की भारी मात्रा (कुल मात्रा का लगभग 30%) सल्फर हैवी स्टाक के रूप में छूट जाता है जिसे बिना किसी कठिनाई के प्रयोग करने में कई विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है इसीलिए ये कैटेलाइटिक क्रेकर्स मशीनें लगाई जा रही हैं इन गौण सुविधाओं में वृद्धि की जानी है ताकी हम पेट्रोलियम का उचित उत्पादन कर सकें और मद्रास, कोचीन, विजाग तथा बम्बई तेलशोधक कारखानों में बाम्बे हाई क्रूड आयल के संसाधन में वृद्धि करने हेतु ये कैटेलाइटिक क्रेकर्स मशीनें लगाई जा रही हैं।

जहां तक क्षमता का संबंध है, वहां पूरी क्षमता है। यह क्षमता 37.8 मिलियन टन है जिसे समय-समय पर बढ़ाया भी जाता है। वस्तुत: मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि सातवीं योजना के अन्त तक हम 62.?5 मिलियन टन कच्चे तेल का परिशोधन

करने की स्थिती में होंगे, जहां तक हमारी तेलशोधन क्षमता का संबंध हैं इसीलिए हम इन सहायक संशोधन प्रणाली के लिए इन कैटेलाइटिक संयत्रों का विकाश कर रहे हैं।

रतन सिंह राजदा : क्या मंत्री महोदय का ध्यान 23 अप्रैल के "दि हिन्दू" में प्रकाशित "मोर सोवियत क्रूड टु बी इम्पोर्टेड" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है। कहानी यह है कि तीन दिन पूर्व सोवियत प्रतिनिधि मंडल यहां आया था और सोवियत क्रूड का आयात करने हेतु करार हमारे नवीकरण के बावजूद कुछ बातें हुई हैं, कुछ विभेद सामने आए और रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि प्रतिनिधिमंडल के साथ गंभीर मतभेद हुआ हैं तथा हम सोवियत प्रतिनिधि-मण्डल के साथ किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुच पाये।

राजनितिक इतिहास में यह कभी नहीं हुआ। इसलिए सोवियत विदेश व्यापार उपमंत्री श्रीगरेशे जब सोवियत रवाना होने हेतु हवाई अड्डे पर थे तो श्री अबिद हुसैन हवाई अड्डे भागे उस समय हवाई अड्डे पर ही करार पर हस्ताक्षर किए गए।

अतः उनके साथ क्या मतभेद हैं ? समाचारों में कहा गया है कि भारत 2.5 मिलियन टन के नवीकृत करार के अतिरिक्त 2,52,000 टन क्रूड प्राप्त करेगा। इस बात को बतंगड़ क्यों बनाया गया और श्री अबिद हुसैन को हवाई अड्डा क्यों आना पडा ?

माननीय मंत्री को सम्पूर्ण देश को अपने विश्वास में लेना चाहिए और देश को यह जानने का अधिकार है कि सोवियत संघ और हमारे देश के बीच क्या हो रहा है ? हमने कब नवीन कार्यक्रम बनाए थे और भारत के पक्ष में व्यापार के अनुकूल सनुलन के काम पर कुछ अतिरिक्त सफाई क्यों की गई ?

सोवियत क्रूड की वर्तमान किस्म कैसी है और वर्तमान 'ओपेक' मूल्य, स्पाट मूल्य क्या है तथा 'ओपेक' मूल्य, स्पाट मूल्य और सोवियत संघ के क्रूट के मूल्य में क्या अन्तर है।

अध्यक्ष महोदय : कितने प्रश्न हैं आपके ?

श्री रतन सिंह राजदा : यदि इसका विस्तार पूर्वक उत्तर नहीं दिया जाता है तो देश अंधेरे में रहेगा इसलिए मैं एक महान सेवा कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं......

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे कार्यों में बाधा डाल रहे हैं।

श्री रतन सिंह राजदा : हमें तथ्य के बारे में अवश्य जानना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आवश्यक हो तो आप इसमें सुधार कर दीजिये।

श्री रतन सिंह राजदा : कृप्या आप इस पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। जब कभी राष्ट्रीय महत्ता का कोई प्रश्न आता है तो मुझे पूरी आशा है आप इसकी अनुमति देंगे क्योंकि उसमें राष्ट्रीय हित होता है।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं जानता हूं ।

श्री रतन सिंह राजदा : मैं अनुपूरक प्रश्न पूछने का हक रखता हूं। माननीय मंत्री सोचते हैं कि वे इन सब बातों का जवाब देने के लिए सक्षम हैं

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्नकाल के दौरान इतना लम्बा प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

श्री रतन सिंह राजदा : तो मैं इसे संक्षिप्त कर देता हूं ।

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : यह क्रूड श्री सुहब्रमण्यम स्वामी द्वारा परिशोधित किया जा सकता है ।

श्री रतन सिंह राजदा : पहले प्रश्न में मैंने यह उल्लेख किया है कि श्री आबिद हुसैन ने क्या किया है, माननीय मंत्री को 'दि हिन्दू' में प्रकाशित खबर के बारे में बताना चाहिये ।

दूसरे प्रश्न में मैंने सोवियत संघ से क्रूड की मात्रा के बारे में और 'ओपेक मूल्य, स्पाट मूल्य तथा सोवियत मूल्य में अन्तर के बारे में पूछा है और क्या सोवियत क्रूड मूल्यों में उतार चढ़ाव है । यह एक व्यापक प्रश्न है ।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, राजदा साहब ने बड ज्ञान की बातें कही हैं....

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ रहा था कि वह सवाल कर रहे हैं ।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : ......लेकिन वे इस सवाल से संबंधित नहीं हैं। अगर वह दूसरा क्वेश्चन करें, तो सब सूचना इकट्ठी करके उनको बताई जा सकती हैं ।

श्री रतन सिंह राजदा : यह टालमटोल जवाब हैं । इस सभा को जानकारी प्राप्त करने का हक है । मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है । मैं इस विशिष्ट प्रश्न पर जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं ।

एक माननीय सदस्य : यह स्पष्ट जवाब है ।

श्री रतन सिंह राजदा : यह स्पष्ट उत्तर कैसे हो सकता है ? सरकार यह बताये कि यह ऐसा क्यों हुआ ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष साहब आपकी सहायता कर सकते हैं ।

श्री रतन सिंह राजदा : वे इसका उत्तर देने हेतु पूर्ण सक्षम नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा के हितों की रक्षा करनी है ।

श्री रतन सिंह राजदा : आप तो मंत्री जी के हितों का बचाव कर रहे हैं । जब मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है तो उसका टालमटोल जवाब क्यों दिया गया ? मैं सरकार को विषम स्थिति में नहीं डालना चाहता । यह हाल में घटित हुआ है । यदि वे उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा । वे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि 'ओपेक' मूल्य, स्पॉट मूल्य और सोवियत संघ के क्रूड मूल्य में क्या अन्तर है । इसका उत्तर दिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशिष्ट प्रश्न है ।

श्री पी० शिवशंकर : मुझे खेद है प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में स्थिति यह है कि करार के अनुसार सोवियत संघ को सरकारी बिक्री मूल्य तथा हैंडलिंग चार्ज के रूप में 5 सेन्टस का भुगतान किया जा रहा है । यह बात वहां तक है जहां तक मूल्य का संबंध है ।

प्रश्न का अन्य भाग जो आपने पूछा है । वह केवल व्यापार संतुलन को बिगाड़ने वाली बात है । क्योंकि पहले यह भावना थी कि सोवियत संघ को हमारे निर्यात की तुलना में उन्हें पहले कम निर्यात किया गया था । इसलिए कायम संतुलन को समायोजित करना है । यह इस प्रक्रिया में है कि हम उनसे 0.25 मिलियन टन क्रूड खरीदने के लिए सहमत है । इसमें कुछ भी गलत नहीं है ।

श्री रतन सिंह राजदा : करार पर हस्ताक्षर हवाई अडडे में हुए थे ।

श्री पी० शिव शंकर : आपने कुछ पढ़ा होगा इसलिए कह रहे हैं । मैं यह कह दूं कि मैंने भी कुछ सुना है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस पर हवाई जहाज में हो हस्ताक्षर हुए हों तब भी इसमें गलत क्या है ?

श्री पी० शिव शंकर : इसके भी अतिरिक्त सोवियत संघ और हमारे बीच हुए करार के अनुसार सभी भुगतान रुपए में किये गए न कि दुर्लभ मुद्रा में । हमारे लिए यह फायदा है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : महोदय, हमारे इस अकेले प्रश्न पर आधे घण्टे से अधिक समय खर्च कर दिया है ।

(व्यवधान)

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : महोदय, मैंने एक शब्द भी नहीं कहा है...

अध्यक्ष महोदय : वे चाहते हैं आप कुछ कहें ।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : वे मुझे चाहते हैं ?

श्रीमान उन्हें अब सावधान रहना चाहिए कि उनकी पार्टी चीन की काम्युनिस्ट पार्टी की तरफदारी कर रही है ।

श्री पी० शिव शंकर : इसीलिए आप चिन्तित हैं ।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : मेरे पास सलाह देने की क्षमता है । मैं आदेश जारी करूंगा, जो उन्हे इस रास्ते पहुंचायेंगे ।

महोदय, अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है । उन्होंने कहा है कि सोवियत संघ भारत से अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवादी मूल्य तथा 5 सेन्ट चार्ज करता है । किन्तु कुछ भी हो...(व्यवधान) सऊदी अरब और अधिक देशों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगाया जाता है—जिसमें हैंडलिंग चार्ज के रूप में 5 सेन्ट और होता है । आपको उन्हें हैंडलिंग करने में 5 सेन्ट देने पड़ते हैं ।

जो भी हो, प्रश्न यह है कि पिछले वर्ष 4½ मिलियन टन का निर्यात किया गया था और मंत्री जी ने यह कह कर धोखा दिया है कि बाम्बे में कोई विशिष्टता है। वहां कोई विशिष्टता नहीं है। बाम्बे क्रूड का बड़ा वाक्स कन्टेन्ट है और ये लोग, हमारी रिफाइनरियां उसे हैंडल करने में समर्थ नहीं हैं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उस बकाया कच्चे तेल को हैंडल करने के लिए किसी अन्य तरीके पर विचार किया है, क्या (क) आप की बम्बई में एच. पी. सी., बी. पी. सी. अथवा हमारे अन्य तेलशोधक कारखानों में इस क्रूड के परिशोधन के लिए कोई विस्तार योजनाएं हैं, अथवा व्यापार निर्यात के स्थान पर क्या आपने विदेशों में ठेके पर परिशोधन कार्य के विकल्प पर विचार किया है। क्योंकि क्रूड अति आधुनिक है अथवा मैं यह कहूंगा कि क्रूड एक उत्तम वस्तु है। यदि उच्च तापक्रम हो तो आप मिट्टी का तेल प्राप्त करते हैं और यदि निम्न तापक्रम हो तो बिटूमन प्राप्त करते हैं तथा क्रूड से बहुत सीं चीजें मिलेंगी। क्या आपने विदेशों में ठेके पर परिशोधन पर विचार किया हैं अथवा क्या आपने एच. पी. सी., बी. पी. सी. और बम्बई में अन्य तेलशोधक कारखानों का भविष्य में क्रूड के परिशोधन हेतु विस्तार करने की बात पर विचार किया है?

श्री पी० शिव शंकर : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमने विभिन्न स्थानों जैसे कोचीन, मद्रास, विजाग और बम्बई में फ्लूड कैटेलाइटिक क्रेकर्स मशीनों विकसित करने के प्रयोजन हेतु कदम उठाए हैं। इसमें परिणामस्वरूप 1983 में यह स्थिति होगी कि 1982-83 में बांबे हाई का उत्पादन 12.88 मिलियन टन थी जिसमें से देशी परिशोधन 7.44 मिलियन टन था। मैं सभा को बताना चाहता हूं। 1983-84 में हम 16.1 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान कर रहे हैं और देशी परिशोधन 1'.3 मिलियन टन रहेगा। इस तरह उसमें वृद्धि होगी एक बार विभिन्न यूनिटों में सहायक शंशोधन प्रणाली विकसित होने दीजिए फिर मुझे पूरी आशा है कि हम सम्पूर्ण क्रूड को अपने ही देश में परिशोधन करने में समर्थ हो जायेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : 'कोंट्रैक्ट रिफाइनिंग' के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री पी० शिव शंकर : इसकी क्या आवश्यकता है जब हम स्वयं ही इसका विकास कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : किन्तु आप आगामी दो वर्षों तक निर्यात करते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुभाष यादव यहां नहीं हैं। श्री एम. राम गोपाल रेड्डी।

ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड में अवैध खनन में मारे गये व्यक्ति

***748. एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री सुभाष यादव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 26 मार्च, 1983 के टेलीग्राफ, कलकत्ता में प्रकाशित समाचार को देखा है जिसमें कहा गया है कि 25 मार्च, 1983 को धनबाद से 40 किलोमीटर दूर

निरसा के पास ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड में अवैध खनन कार्य करते हुए हुई दुर्घटना में बीस से भी अधिक व्यक्ति मारे गये हैं;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इसकी कोई जांच इस बीच कराई गई है और यदि हां, तो इस संबंध में किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : ईस्टर्न कोलफील्डस लि० से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार चापापुर-II कोलियरी की परित्यक्त खदान कोयला कंपनियों के डोजर्स और पे-लोडर्स की सहायता से खोदे गए एक स्थान पर जलाधीश, पुलिस और खान सुरक्षा महा निदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में पांच शव मिले थे। यद्यपि खुदाई अन्य स्थानों पर भी की गई किन्तु किसी अन्य शव का पता नहीं लगा। अवैध खनन में हुई इन मौतों की जांच स्थानीय पुलिस कर रही है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह आश्चर्य की बात है कि किसी सरकारी अधिकारी हमारे ध्यान में लाये बिना ही गैर कानूनी रूप से खनन कार्य हुआ है। मंत्री जी कहते हैं कि पांच शव मिले थे जबकि समाचार पत्रों की रिपोर्टों में लिखा है कि बीस से भी अधिक व्यक्ति मरे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही आंकड़े हैं या वे वहां और सब मिलने के बारे में जांच करने जा रहें हैं। मैं यह भी जानना चहाता हूं कि इस दुर्घटना में कितने लोग घायल हुए हैं।

श्री दलबीर सिंह : महोदय इन क्षेत्रों में गैर कानूनी खनन के सम्बध में कम्पनी ने कई बार स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन को बताया है। मामले पर प्रशासन द्वारा विचार किया गया है। लगभग तीस मामलों का हवाला दिया गया हैं। नवम्बर दिसम्बर में भी स्थानीय प्रशासन को कई मामले सौंपे गये हैं, अतः हर चीज स्थानीय प्रशासन के ध्यान में लाई गई है और हम स्थानीय सरकार को सूचित करते हुए कदम उठाते हैं। जैसे कि मैंने उत्तर के मुख्य भाग में बताया है, अधिकारियों और अन्यों की उपस्थिति में केवल पांच शव मिले हैं, माननीय सदस्य कहते हैं कि समाचार पत्र की खबर के अनुसार यह संख्या काफी अधिक है। यह मामला अभी भी स्थानीय पुलिस की जांच के आधीन है। जैसे ही स्थानीय पुलिस द्वारा वह जांच पूरी हो जाएगी, यह हमारी जानकारी में आ जाएगी।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : जब केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं और चूंकि स्थानीय प्रशासन कार्य नहीं करता तो केन्द्रीय सरकार क्या करने जा रही है ? **(व्यवधान)** मैं यह जानना चाहता हूं कि गैर कानूनी खनन से सरकार को कितनी हानि हुई है।

श्री दलबीर सिंह : महोदय, मैं मानता हूं कि उन क्षेत्रों में गैर कानूनी खनन की जानकारी सरकार के ध्यान में आनी चाहिए, हम इसके बारे में राज्य सरकार के अधिकारियों को लिखते रहे हैं। वे इस पर कार्यवाही भी करते रहे हैं। किन्तु इस संबंध में उन्होंने सख्ती से

कदम नहीं उठाया और सतर्क नहीं रहे। इसलिए वहां ये घटनाएं हुई हैं। वहां अधिकारियों पर आक्रमण भी हुए हैं। वहां भद्दी प्रकार की घटनाएं भी हुई हैं। हर तरह की घटना हो रही हैं। सभा को अवश्य जानना चाहिए कि वहां विभिन्न लोगों द्वारा, कई असामाजिक तत्वों द्वारा अनेक गैर कानूनी कार्य किये गए हैं, और यह भी एक गैर-कानूनी घटना है। मैं सदन को अवगत करा दूं कि उस खान में उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ा है। बल्कि उत्पादन में उस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में गैर-कानूनी खनन के बारे में कहा है। ऊर्जा मंत्रालय ने स्थानीय पुलिस और स्थानीय सरकारी अधिकारियों से सम्पर्क किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ईस्टर्न कोलफील्ड, विशेष रूप से बिहार के क्षेत्रों में गैर-कानूनी रूप से चल रहे खनन कार्यों की कुल संख्या के बारे में जांच करने हेतु ऊर्जा मंत्रालय में कोई सतर्कता विंग है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ? इस विशेष प्रश्न के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस क्षेत्र में जो लोग गैर-कानूनी खनन कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और गैर कानूनी खनन रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ? और गैर कानूनी खनन के कारण कुल कितने राजस्व की हानि हुई ?

श्री बलबीर सिंह : महोदय, जैसा कि मैं पहले हो कह चुका हूं कि सरकार के ध्यान में गैर-कानूनी खनन की खबरें आ रही हैं और सरकार इस पर राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। यह कहना कठिन है कि ऐसे कितने मामले हैं। क्योंकि गैर कानूनी खनन उन क्षेत्रों में हो रहा है जो उपेक्षित हैं लेकिन जब कभी हमारी जानकारी में कोई बात आती है तो हम उस पर कार्यवाही करते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, जिस तरीके से माननीय मत्री उत्तर दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि वहां कोई सरकार नहीं हैं। प्रतिदिन हम जनसामान्य के असंतोष पर चिल्लाते हैं। आप सदन को आश्वस्त करिए कि आप इसे रोकेंगे क्योंकि आप सरकार चला रहें है। (व्यवधान)

डा० कृपा सिन्धु भोई : महोदय मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी को इस तथ्य की जानकारी है कि राज्य सरकारें गैर कानूनो खनन को कार्बनयुक्त सेल जैसे नाम पर न्यायोचित ठहरा रही हैं ? राज्य सरकारें कार्बनयुक्त सेल (जो अधिक राखयुक्त कोयला है) के नाम पर विभिन्न लोगों को कार्य करने की अनुमति देती आ रही है। कोयला मिट्टी (फायर क्ले) और चीनी मिट्टी (चाइन-क्ले) का सम्बद्ध खनिज है। राज्य सरकारें मिट्टी और चीनी मिट्टी के नाम पर कोयला को खानों के अन्दर से निकालने की अनुमति दे रही हैं। यदि हां तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी राज्य सरकारों पर कार्बनयुक्त सैल के नाम पर कार्य की अनुमति देने पर रोक लगायेंगे।

श्री बलबीर सिंह : महोदय, मेरे साथी जो कुछ कह रहे हैं वह सब राज्य सरकारों के अनाधिकार में आता है। यह एक प्रथक प्रश्न है मुझे कुछ नहीं कहना है।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति है। इसे बचाना आपका कर्तव्य है।

ओषधियों के मुल्य बढ़ाने का प्रस्ताव

*750. श्री अजित बाग :

श्री रेणुपद दास : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का शीघ्र ही औषधियों के मूल्य बड़ाने का इरादा है जैसा कि देश के संगठित फार्मास्यूटिकल निर्माता चाहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मुल्य वृद्धि जीवन रक्षक औषधियों सहित औषधियों की सभी मदों पर की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ऐसी मूल्य वृद्धि करने से सामान्य व्यक्ति के हित की कैसे रक्षा करेगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्री : (श्री वसंत साठे) : (क) औषधियों के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए कोई सामान्य अथवा विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। औषधों के मूल्यों पर औषाध : (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के प्रावधानों के अधीन नियंत्रण रखा जाता हैं और औषध मूल्यों में संशोधन की अनुमति औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो नामक एक विशेषज्ञ निकाय की सिफारिशों के आधार पर दी जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री अजित बाग : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रों ने टालमटोल उत्तर दिया है। समाचार पत्रों में यह बताया गया है कि फार्मास्यूटिकल निर्माताओं का संगठन जैसे फाइजर मे और बेकर तथा ग्लैक्सो औषधियों के मूल्यों में वृद्धि करते हुए सरकार पर दबाब डाल रहे थे। नई औषध नीति 1978 में घोषित की गई। लेकिन औषधि उत्पादन का तरीका वही चल रहा है। औषधियों के उत्पादन से औषध फर्में हमेशा लाभ कमाती रही है। औषधियों के निर्माण के समय पीड़ित लोगों की आवश्यकता पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बहुउद्देशीय औषध कम्पनियां विटामिन टॉनिक, पौष्टिक तत्व और ऐसे ही अन्य उत्पाद अपनी लाइसेंस क्षमता से काफी अधिक मात्रा में बना रही हैं। और क्या कम लाभ की दलील दिये जाने पर आवश्यक औषधियों जैसे 'पास स्ट्रेप्सोमाइसीन, आई. एन. एच. के उत्पादन में कटौती करने के प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस गड़बड़ी को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री वसंत साठे : तथ्य यह कि कुछ आवश्यक औषधियों के मूल्यों में कमी की गई है। लेकिन मूल्य वृद्धि का प्रश्न माल पर निर्भर करता है। अधिकांश कच्चा माल पेट्रोलियम उत्पादों पर आधारित होता है। यदि पेट्रोलियम कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होती है तो स्वभाविक रूप से उस पर आधारित अन्य उत्पादों के मूल्य भी बढ़ेंगे। मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिला दूं कि अन्य थोक मूल्यों की तुलना में औषधियों के मूल्यों में वृद्धि की प्रतिशतता नियंत्रण के अंतर्गत हैं। उदारण के लिए 1975-76 के प्रारंभ से ही सभी वस्तुओं के एक साथ लेते हुए वर्ष 1970-71 में 100 को आधार मानते हुए, 173 प्वाइंट की वृद्धि थी जो 1982-83 में

288 तक बढ़ गई। सरकार द्वारा लगाए गए नियंत्रण के कारण ओषधियों के क्षेत्र में यह वृद्धि 118 प्वाइंट से बढ़कर 176 प्वाइट तक पहुंच गयी। 1982-83 में इसकी वृद्धि प्वाइंट अन्य वस्तुओं के 288 प्वाइंट की तुलना से 176 था।

इससे आप यह देखेंगे कि जहां तक औषधियों का सम्बन्ध है। सरकार यह देखने के के लिए चिन्तित है कि इनके मूल्य एक उचित सिमा से आगे न जाएं। लेकिन यदि कुछेक की मूल लागत बढ़ती है तो ओषधियों के मूल्यों पर उसका निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा।

श्री अजित बाग : मैं यह जानना चाहुंगा कि क्या यह सच है कि स्ट्रेप्लोमाइसिन, आई एन एच, पी ए एस, डाइसोन. डी ई सी सिटरेट जैसा औषधियों तथा अन्य जीवनरक्षक औषधियों की सप्लाई कम है! यदि हां तो यह देखने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है कि जरूरतमन्द लोगों को यह ओषधियाँ प्रचुरमात्रा में उपलब्ध रहें? जनता को करोड़ों रुपयों का धोखा देने के लिए औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 19 9 से बच निकलने की बहुहाष्ट्रीय कम्पनियों के विभिन्न चालाकी भरे कार्यों के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री वसंत साठे : ऐसी कोई शिकायत सरकार की जानकारी में नहीं आयी है कि किसी विशेष आवश्यक औषधि की सप्लाई में कमी है। यह एक अस्थायी बात है, जैसे हो हमें इस प्रकार की कोई शिकायत मिलती है हम यह देखने के लिए कार्यवाही करते हैं। उस क्षेत्र विशेष में उसकी तुरन्त सप्लाई की जाए। किसी अवसर विशेष पर एसा हो सकता है अथवा कभी-कभी कुछ क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है लेकिन हम उस पर काबु पाने के लिए तत्काल उपाय करते हैं।

श्री सुनिल मैत्रा : श्रीमन, मेरा मूल प्रश्न दो भागों में था। उनमें से एक है कि, जहां तक टानिक, विटामिनों आदी का सम्बन्ध है, बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियां अधिक मात्रा में इसका निर्माण कर रही हैं क्योंकि उससे इन कम्पनियों को बहुत अधिक मुनाफा मिलता है। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि, क्योकि इन जीवन रक्षक औषधियों से बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता, बहुराष्ट्रीय औषध अम्पनियाँ जानबूझ कर कम मात्रा में उनका निर्माण कर रहीं हैं। इस विवरण को ध्यान में रखते हुए; मैं जानना चाहुंगा कि क्या माननीय मंत्री महोदय सदन को यह जानकारी देगें कि भारत में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने 1979-80 और 1981-82 के दौरान वास्तविक रूप से कितनी मात्रा में जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण किया?

श्री वसंत साठे : श्रीमन, माननीय सदस्य जो जीवनरक्षक औषधियां बता रहे हैं; उसके बारे में वस्तुतः कोई परिभाषा, अंतराष्ट्रिय स्तर पर भी नहीं है।

श्री सुनील मैत्रा : ठीक है, आप मुझे इन कम्पनियों द्वारा किए गए स्ट्रेप्लोमाइसिन के निर्माण के बारे में आंकड़े दीजिए।

श्री वसंत साठे : उस हरेक औषधी के जो भी माननीय सदस्य महोदय के दिमाग में हो सकती है, मेरे पास तैयार आंकड़े नहीं हैं। मैं उन्हें जानकारी दे सकता हुं। जिन औषधियों को वे आवश्यक समझते हों, उनके नाम मुझे बता दें, मैं आंकड़े एकत्रित करके उन्हें दे दुगां।

डा० ए० कलानिधि : श्रीमान मैं यह जानना चाहूंगा कि स्ट्रोतोमासीन के मूल्यों जो कि क्षयरोग के उपचार के लिए एक आवश्यक औषधि है, और अन्य उन औषधियों के मूल्यों में जोकि क्षयरोग के उपचार के लिए आवश्यक समझी जाती है, कमी करने का कोई प्रस्ताव है ? महोदय हमने "सन् 2000 तक सभी को स्वस्थ बनाना" नारा स्वीकार किया है, इसलिएमैं अपने दूसरे प्रश्न जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री महोदय ऐसा कोई प्रतिबन्ध लगायेंगे कि इलैट्रोबिहन डाप्रोन आदि की एक विशेष मात्रा में निर्माण करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अन्य औसधियों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे । यह आवश्यक है क्योंकि इलट्रोक्सिन, फिनो-बारविलोन और डाप्रोन बाजार में अनुपलब्ध होते जा रहे हैं : कारण यह है कि उन औषधियों को अत्यंत सस्ती दरों पर बेचा जाना होता है और उन्हें लाभ कम मिलता है । इसलिए बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां, आवश्यकता के अनुसार काफी अधिक मात्रा में इनका निर्माण करने में हिचकिचा रही है । इसलिए, मेरा कहना है कि क्या इस प्रकार की प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाने और स्ट्रेप्तोमाइसीन; जोकि एक अत्यंत आवश्यक औषधि है, के मूल्यों में कमी करने का मंत्रालय में कोई प्रस्ताव है ?

श्री वसंत साठे : महोदय, 22 मार्च के प्रश्न संख्या 347 के उत्तर में मैंने सभी क्षयरोग रोधी औषधियों के बारे में पहले ही उत्तर दे दिया है । लेकिन मैं सदन को यह अवागत करा सकता हूं कि कुछ क्षयरोग-रोधी और कुष्ठरोग-रोधी औषधियां, जैसे कि रिफाम्पीसिन, के मूल्य कम कर दिए गये है । रिफाम्पीसिन के बल्क का मूल्य 25 से 30 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है और उसके फॉर्मूलेशन से भी यह बात जाहिर होती है । एक अन्य क्षयरोग-रोधी औषधि इथाम्बुतोल के बल्क का मूल्य भी 837 रुपए से घटाकर 804 रुपए कर दिया गया है । महोदय इसके अलावा सलफेम्योक्साजोर और ट्रिमीओप्रम का मूल्य भी 55 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है ।

श्री निलसु मेला : यह इस तथ्य के अलावा है कि वे इसका कम मात्रा मैं निर्माण कर रहे हैं ।

श्री वसंत साठे : वास्तव में उनके मूल्यों में कमी करने के बावजूद उनके निर्माण में कोई गिरावट नहीं आयी है । यदि किसी औषधि का निर्माण मंजूर शुदा स्तर से कम होता है तो हम उसके निर्माण को प्रोत्साहित करेंगे । मैं कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर निर्भर नहीं करते ।

औषध निर्माता कम्पनियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि राशि का जमा किया जाना

***752. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**

श्री भीम सिंह : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक औषध निर्माता कम्पनियां कर्मचारी भविष्य निधि में अपना अंश नियमित रुप से जमा नहीं करती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है तथा सरकार द्वारा ऐसी कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस दिशा में की गई कार्यवाही के क्या परिणाम निकले ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, विशिष्ट प्रतिष्ठानों के ऐसे मामले है जिन्होंने भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है ।

(ख) और (ग) : सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें दोषी प्रतिष्ठानों के नाम, बकाया राशि और इस बकाया राशि की वसूली के लिए की गई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही दर्शाई गई है ।

विवरण

क्षेत्र का नाम (1)	चूकदार स्थापना का नाम (2)	चूक की अवधि (3)	बकाया राशि (4)	की गई कार्यवाही (5)
1. दिल्ली	1. मैसर्स गुरुको फार्मा	8/70 से 5/72	36,426.74	1. स्थापना समापनाधी है । 2. राजकीय पारिसमापक के पास दावा दायर किया गया है ।
	2. मैमर्स दिल्ली म्युनिसिपल कारपारेशन	10/80 से अब तक	देय राशि का निर्धारण नहीं किया गया ।	1. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 क के अन्तर्गत देय राशि का निर्धारण करने की कारंवाई की जा रही है ।
2. कर्नाटक	3. मैमर्स भोला फार्मेस्यूटीकल	4/79 अब तक		अधिनियम की धारा 7 क के अन्तर्गत कारंवाई प्रारम्भ कर दी गई है । देय राशि का निर्धारण होने के बाद आवश्यक कानूनी तथा शास्तिक कारंवाई की जायेगी ।
	4. मैमर्स नेल आयुर्वेदाश्रम			अधिनियम के लागू होने के विरोध में स्थापना में न्यायालय में याचिका

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				दायर की है तथा वह अभी बकाया है। याचिका पर निर्णय हो जाने के उपरान्त कारंवाई की जाएगी।
	5. मै० रामपेन (प्रा०) लि०	4/80 से 8/80 से 11/82	34,696.50	1. क० भ० नि० और प्रकीण उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा 8 के अन्तर्गत राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।
				2. अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कारंवाई की जा रही है।
	6. मै०सजीकिल एण्ड फार्मेस्यूटीकल्स कं० लि० दवानेरे।	11/75 से 8/76		1. कम्पनी 9/76 के दौरान बन्द हो गई थी।
				2. दावा राजकीय परिसमापक के समक्ष के प्रस्तुत किया जा रहा है।
3. मध्य प्रदेश	7. मै० सुनीता लेबोरेट्रीज। इंदौर।	3/82 से 6/82	49,255.65	अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत कारंवाई प्रारम्भ कर दी गई है।
	8. मै० सस्मी आरगनिक (प्रा०) लि० रतलाम।	11/82 से 12/82	देय राशि का निर्धारण नहीं किया गया है।	देय राशि का निर्धारण करने के लिए अधिनियम की धारा-7 क के अंतर्गत कारंवाई आरम्भ कर दी गई है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	9. मै० आलफल्ट्स प्रा० लि० जबलपुर।	8/82 से 11/82	—उपरोक्त—	धारा 7-क के अन्तर्गत कार्रवाई पूरी हो जाने के उपरान्त आवश्यक वैधिक और शास्तिक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।
4. महाराष्ट्र	10. मै० मैडिकेस लेब० प्रा० लि० बम्बई।	1/73 से 10/75	52,751.75	1. स्थापना बन्द हो गई है। 2. दावा राजकीय परिसमापक के पास दायर किया गया है। 3. धारा 8 और 14 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।
	11. वेकम फार्मेस्यूटीकल बम्बई	5/80 से 5/82	1,17,342.00	1. धारा 8 और 14 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।
	12. नेशनल फार्मेस्यूटीकलस, बम्बई	3/79 से 6/82	81,692.00	—उपरोक्त—
	13. बम्बई फार्मेस्यूटीकलस, बम्बई	7/80 से 5/81	16,471.45	—उपरोक्त—
5. पंजाब	14. मैमर्स सुधा फार्मेस्यूटीकल प्रा० लि० मोहाली का	4/80 से 10/80 4/81 से 10/81	4,443.25	1. स्थापना 5/81 में बन्द हो गई थी। 2. नए पट्टेदार ने 6.10.82 से स्थापना

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	मैमर्स जयसन्स फार्मेस्यूटीकल्स मोहाली (रोप उ०)			को अपने अधीन कर लिया है।
				3. 4/81 से 10/81 की चूक के लिए अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत राजस्व वसूली कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।
				4. शेष अवधि के लिए अधिनियम की धारा 7 क के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।
15.	फार्मा कैमिको लेबोरेट्रीजस, सोलन (हि० प्र०)	3/80 से 4/82 5/82 से 12/82	7,070.45 देय राशि का निर्धारण नहीं किया गया है।	1. अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। 2. शेष अवधि के लिए अधिनियम की धारा 7 क के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।
16.	गवर्नमेंट सैन्ट्रल फारमैसी एवम् स्टोर्स पटियाला (छूट प्राप्त स्थापना)	5/76 से 11/81 प० पे० नि० एवम् केवल क० नि० स० बी० देय राशि 12/81 से अब तक	41,895.95 देय राशि का निर्धारण नहीं किया गया है।	1. अधिनियम की धारा 7 क के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है। धारा 7 क के अन्तर्गत कारवाई पूरी हो जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	17. गवर्नमेंट आयुर्वेदिक फार्मेसी मजरा (हि॰ प्र॰)		देय राशि का निर्धारण नहीं किया गया है।	धारा-7 क के अन्तर्गत कार्यवाही कारंवाई की जा रही है। धारा-7 क के अन्तर्गत कारंवाई पूरी हो जाने पर आगे की कारंवाई की जाएगी।
6. राजस्थान	18. मै॰आदम्स फारमैस्यूटीकल्स जयपुर।	12/78 से 11/82	1,09,434.05	1. अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत राजस्व वसूली प्रमाणपत्र प्रारम्भ कर दिए गए हैं। 2. अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अभियोजन की मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
7. तमिलनाडू	19. मै॰ सैलाइन इन्डिया फार्मेस्यूटीकलस, मद्रास-82	9/82 से 12/82	914.00	1. अधिनियम की धारा 7 क के अन्तर्गत कारंवाई प्रगति पर है। धारा 7 क के अन्तर्गत कारंवाई पूरी हो जाने पर आगे की कारंवाई की जाएगी।
	20. मै॰ थियोकैल्सीन कं॰, मद्रास	11/71 से 12/72 10/73 से 3/47 7/74 से 12/75	13,299.55	कम्पनी समापनाधीन है और मामला न्यायालय में पेन्डिग पड़ा है।
	21. मै॰ सोलार फार्मेयूटीकल्स लि॰	11/81 से 7/82	12,759.00	अधिनियम की धारा 8 और 14 के अन्तर्गत कारंवाई प्रारम्भ कर दी गई है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	22. मैं० वार्म फार्मेस्यूटीकल्स लि०, रानीपत एन० डिस्ट्रीक्ट ।	2/19 से 12/82	देय राशि का निर्धारण नहीं किया गया है ।	अधिनियम को लागू करने के विरोध में स्थापना ने न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी । मामला न्यायालय में पेन्डिग पड़ा है ।
	23. मैं०एसोहिएट फार्मेस्यूटीकल्स इण्डस्ट्रीज (प्रा०) लि० मद्रास—17.	7/80 से 1/83 (10/80 से 12/80 को छोड़कर)	10,507.00	1. अधिनियम की धारा 8 और 14 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है । 3/82 तक । 2. 4/82 से आगे के लिए धारा 7 क के अन्तर्गत जांच प्रगति पर है ।
8. उत्तर प्रदेश	24. मैं० ऐबगल फार्मा, कानपुर	10/81 से 11/82	4,075.80	धारा 7 क और 14 के अन्तर्गत कार्यवाही कर दी गई है ।
	25. कुवर आयुर्वैदिक फार्मेसी, कानपुर	3/81 से 7/82	1,590.35	—उपरोक्त—
	26. कुवर आयुर्वेदिक फार्मेसी (प्रा०) लि० कानपुर ।	4/81 से 7/82	6,672.60	अधिनियम की धारा 7 "क" के अन्तर्गत जांच पड़ताल की जा रही है । आगे की कार्यवाही धारा 7 "क" के अन्तर्गत कार्यवाही पूरी हो जाने पर की जाएगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27.	इरग कारपोरेशन, कल्याणपुरी कानपुर ।	देय राशि का निर्धारण नहीं किया गया है ।		देय राशि के निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है ।
28.	एजेंसी शुक्ला फार्मेसी-आइरिया इटावा ।	देय राशि का निर्धारण नहीं किया गया है ।		—उपरोक्त—
29.	एलोडियोल केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कं० प्रा० लि० मेरठ ।	12/81 से 5/82	10,149.70	—उपरोक्त—
30.	डस्मफार्मेस्यूटीकल्स (प्रा०) लि० वाराणसी	11/80 से 2/82	57,115.55	अधिनियम की धारा-8 तथा 14 के अन्तर्गत कार्रवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।
31.	मैं० यूनाइटिड पुलवराईजर्स आगरा ।	11/78 से 3/80	6,974.10	प्रथत : देय राशि का निर्धारण करने के लिए अधिनियम की धारा 7 क के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है ।
32.	मैं० पी मेडिक, आगरा	11/82 से 12/82	2,988.40	—उपरोक्त—
33.	मैं० भगवान फाईनेंस कारपोरेशन, बरेली	8/76,9/77 और 10/77.	748.33	—उपरोक्त—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. पश्चिम बंगाल	34. मै० ब्रह्मचारी रिसर्च इन्स्टीच्यूट (प्रा०) लि० कलकत्ता ।	3/68 से 4/73	3.60 लाख रुपये	स्थापना का समापन हो गया है। राजकीय परिसमापक के पास दावा दायर किया गया है ।
	35. मै० भारती केमिकल्ल, कलकत्ता ।	6/70 से 5/78	2.48 लाख रुपये	स्थापना बन्द हो गई है । 3/75 तक प्रमाणपत्र मामले दायर किए गए ।
10. बिहार	36. मै० अशोक केमिकल्स, लैबोरेट्रीज ।	10/77 से आगे		
	37. मै० डी० बी० टी० फार्मेस्यूटीकल्स प्रा० लि० मुजफ्फरपुर ।	10/80 से आगे		धारा 7 क और 8 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रगति पर है ।
	38. नेशनल केमकिल्स कारपोरेशन, गया ।	5/77 से आगे		क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा धारा-8 के अन्तर्गत की गई कार्रवाई के विरुद्ध स्थापना के उच्च न्यायालय, पटना, में याचिका दायर की गई है ।

टिप्पणी—उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के चूककार स्थापनाओं के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : सभा पटल पर रखे गए विवरण से यह जाहिर होता है कि अनेक संस्थानों ने चूक की है और कुछ मामलों में भविष्य निधि की बकाया राशि 3 लाख 4 लाख रुपये, 2 लाख रूपये और एक लाख रुपये तक बढ़ने दी गई है। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि किन कारणों से सरकार ने जब उन्होंने भुगतान करने में चूक की, धारा 7ए और 14 के अन्तर्गत शीघ्र कार्यवाही करने की पहल न की ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : जैसा कि विवरण में मैंने बता दिया है। मैं समझता हूं कि विभिन्न औषध निर्माण की कम्पनियों पर भी यह बकाया राशि बहुत बड़ी धनराशि नहीं है। कुछेक हजारों की हो चूक कर रहें हैं और कुछ लाखों की चूक कर रहे है। लेकिन भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार, बकाया की वसूली करने से पूर्व एक निश्चित कार्यविधि को पूरा किया जाना होता है इसलिए पहली कार्यविधि है बकाया का पता लगने के पश्चात धारा 7ए के अन्तर्गत कार्यविधि शुरू करना। इसलिए धारा 7ए एक न्यायिक कार्यविधि है। इसलिए, ऐसी पार्टियां या तो स्वयं व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने वकीलों के माध्यम से क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त के समक्ष, उपस्थित हो सकती हैं। कभी-कभी, जब वो उपस्थित होते हैं तो स्थगन मांगते हैं। इसमें लम्बा समय लगता है। एक बार जब उन पर की बकाया राशि का निर्धारण हो जाता है तो कार्यविधि के अनुसार उनको मांगपत्र भेजे जाते हैं और यदि मांग पत्र की एक विशेष सीमा के अन्तर्गत धनराशि जमा नहीं की जाती है। तो तब राजस्व अधिकारियों को वसूली प्रमाणपत्र भेजे जाते हैं, और फिर राज्य सरकार और राज्य सरकार के राजस्व अधिकारियों को यह बकाया धनराशि वसूल करनी होती है जहां तक इन बकाया राशियों का सम्बन्ध है। इसी कारण से भविष्य निधि संगठन कार्यवाही करने में अत्यंत चुस्त है। वे धारा 7ए के अन्तर्गत कार्यवाही करते रहे हैं, और वे बकाया राशि का निर्धारण करते रहे हैं, वे वसूली प्रमाण पत्र जारी करते रहे हैं, वे मुकदमे चलाते रहे हैं; वे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी कार्यवाही करते रहे हैं। बकाया धनराशि को वसूल करने की दृष्टि से वे आवश्यक कदम उठाते रहे हैं। सदन की जानकारी के लिए मैं यह बता सकता हूं कि जहां तक बकाया धनराशियों का सम्बन्ध है वे भविष्य निधि से प्राप्त कुल अंशदान का एक प्रतिशत भी नहीं है। इसलिए बकाया धनराशि बहुत ज्यादा नहीं है, उन राशियों में गंभीर रूप में वृद्धि नहीं हुई है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं कि विभाग ने मुस्तैदी से कार्य किया है। उदाहरण के लिए मैं उन्हें दो मामले बता सकता हूं अर्थात मद संख्या 36 पर अशोक केमिकल लेबोरटरीज और मद संख्या उन पर एक अन्य कम्पनी जिनमें ये दोनों प्रतिष्ठान क्रमशः अक्टूबर 1977 और अक्टूबर 1980 से चूक करते हैं ? फिर भी अभी तक तत्संबंधी कार्यवाही पूरी नहीं हुई है।

इसके बाद मद संख्या 34 और 35 के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय यह पाएँगे कि बकाया राशि क्रमशः 3.60 लाख रु० और 2.48 लाख रु० तक बढ़ गई है। यदि विभाग मुस्तैद रहा होता तो जो उसने इन बकाया राशियों का बहुत पहले निपटारा कर दिया होता। और आप यह नहीं कह सकते कि धनराशि इतनी ज्यादा नहीं है कि वह खतरनाक रूप धारण करले।

इसके बाद उन्होंने कहा कि धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही करने से पूर्व धारा 7 के अंतर्गत प्रक्रिया को पूरा करना होता है। क्या मैं क्षेत्र संख्या 8 अर्थात उत्तर प्रदेश, मद संख्या 24 और 25 का उल्लेख मंत्री महोदय को कर सकता हूं ? इसमें फिर धारा 7 ए और धारा 14 के अंतर्गत साथ कार्यवाही की गयी है। इसलिए क्या मैं जान सकता हूं कि कार्यवाही पहले ही क्यों न की जानी चाहिए, जिससे कि बकाया राशी को में वृद्धि होने से बचा जा सके ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है एक निश्चित कार्यवाही को पूरा किया जाना होता है। धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करने से पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जानकारी एकत्रित करनी होती है। उसे नियोक्ताओं से जानकारी इकट्ठी करनी होती है। कभी-कभी नियोक्ता समय पर जानकारी नहीं भेजते। मैं सदन को भी विश्वास में लेता हूं और यह बता सकता हूं कि जहां तक धारा 7 के अंतर्गत जांच का सम्बन्ध है। यह क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की संविधि जिम्मेदारी है, अब क्योंकि उसके पास काम का बहुत अधिक भार होता है, क्योंकि उसके पास ऐसी-ऐसी बहुत सी जांचे धारा 7 के अंतर्गत लम्बित पड़ी हुई है और अकेला अधिकारी इन सबको आसानी से नहीं निपटा सकता। इसलिए, सरकार अधिनियम में संशोधन करने पर गंभीरतापूर्वक सोच रही है और उप क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त और सहायक क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्तका की पदनाम बदल कर ये शक्तियां उनको देने की सरकार सोच रही है। लेकिन जैसाकि मैंने पहले ही उल्लेख किया और बताया है कि जो बकाया धनराशि है वह प्रतिवर्ष वसूल की गयी धनराशि की तुलना में उसके एक प्रतिशत के बराबर भी नहीं हैं। भविष्य निधि संगठन एक बहुत बड़ा संगठन है जो प्रतिवर्ष हजारों करोड़ों रुपए इक्टठे करता है हजारों करोड़ रुपयों में से कुछ लाख रुपये बहुत बड़ी बकाया राशि नहीं है इसी कारण से मैंने स्पष्ट किया कि बकाया राशि प्राप्त कि गई कुल धनराशि के एक प्रतिशत के बराबर भी नहीं है ... ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि

***749. श्री विजय कुमार यादव :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत 1982-83 के दौरान उत्पाद-शुल्क के रूप में कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि बहुतबड़ी संख्या में बीड़ी श्रमिकों तथा उनकी शोचनीय वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्पाद-शुल्क से प्राप्त राशि बीड़ी श्रमिक कल्याण निधी के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अपर्याप्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस कल्याण निधी में पर्याप्त धनराशियां उपलब्ध होने की दृष्टि से सरकार का विचार उत्पाद-शुल्क की दर बढ़ाने तथा उत्पाद-शुल्क से अर्जित राजस्व में वृद्धि के अनुपात में उत्पाद-शुल्क से उक्त निधि में अंशदान करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 200.39 लाख रुपये।

(ख) और (ग) उपकर की वर्तमान दर पहली जनवरी, 1982 से निर्धारित की गई है। श्रमिकों के कल्याण की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए इस व्यवस्था से प्राप्त वार्षिक राशि और निधि में पड़ी शेष-राशि इस समय पर्याप्त प्रतीत होती है। तथापि, इस मामले की लगातार पुनरीक्षा की जाती है और यदि आवश्यक समझा जाएगा तो अधिनियम के अन्तर्गत ग्राह्य सीमाओं के अन्दर उपकर में वृद्धि की जा सकती है। उत्पाद-शुल्क से अर्जित राजस्व में वृद्धि के अनुपात में उत्पाद-शुल्क से निधि में अंशदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डाकतार विभाग का विभाजन

***751. श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का डाक और तार विभाग को दो अलग विभागों में बांटने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में विलम्ब क्यों हुआ है;

(ग) इस मामले को शीघ्र निपटाने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव के कार्यान्वियन का सम्भावित समय क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दूरसंचार संबंधी समिति ने सिफारिश की है कि डाक-तार विभाग की दूरसंचार शाखा का स्वतंत्र दूरसंचार विभाग के रूप में पुनर्गठन किया जाए, जिसका स्वतंत्र दूरसंचार बोर्ड हो। इसके प्रमुख दूरसंचार सचिव हों जो दूरसंचार बोर्ड के अध्यक्ष भी रहें। विभाजन के बाद डाक स्कन्ध को सूचित पुनर्गठन के बाद डाक सचिव के अधीन अलग से एक सरकारी विभाग बनाया जाए और दोनों विभाग डाक और दूरसंचार के सम्मिलित मंत्रालय के अधीन काम करें। मौजूदा संयुक्त डाक तार विभाग के दो स्वतंत्र विभाग बनाने से दोनों विभागों की सेवाओं पर बहुत व्यापक प्रभाव होगा जिसका परिणाम दूरगामी हो सकता है। प्रत्येक पहलू पर ब्यौरेवार और गहराई से विचार किया जाता है। यह मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है और इस पर बिना किसी अनावश्यक देरी के निर्णय ले लिया जाएगा।

बिजली की कटोतियों का उर्वरक उत्पादन पर प्रभाव

***753. श्री गुलाम रसूल कोचक** :

श्री बी० वी० देसाई : क्या रसायन और उरर्वक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को उर्वरक क्षेत्र को बिजली की कटौतियों से बचाए रखने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह भी बताया है कि बिजली की समस्याओं के कारण उत्पादन में भारी हानि हुई थी और इसके लिए सभी स्तरों पर प्रयत्न जारी रखे जाने हैं;

(ग) राज्य सरकारों ने उर्वरक फैक्ट्रियों को बिजली की कटौतियां कहां तक कम की हैं;

(घ) 1982-83 के दौरान उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ङ) 1983-84 में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) । (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) जब भी सम्भव हुआ राज्य सरकारों ने विद्युत कटौती को समाप्त करने अथवा उसमें कमी करने के लिए हमारे अनुरोध पर अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाई है ।

(घ) 1982-83 में उर्वरकों का उत्पादन 34.24 लाख टन नाइट्रोजन और 9.80 लाख टन पी$_2$ ओ$_5$ था ।

(ङ) उपकरणों की खराबियों को दूर करने के लिए अनवरत आधार पर कदम उठाए जा रहे हैं । अस्थिर विद्युत सप्लाई से प्रभावित संयंत्रों में रक्षित विद्युत सुविधाओं की भी स्थापना की जा रही है अथवा उसके लिए योजना बनाई जा रही है । शेष टर्बाइन की शीघ्र स्थापना करने के लिए हाल ही में कुछ संयंत्रों को मंजूरी भी दी गई है ।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि की वर्तमान स्थिति

***754. श्री राम लाल राही** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न कम्पनियों के मालिकों ने भविष्य निधि की राशि को हड़प लिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने मजदूरों को यह राशि दिलाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1982 की स्थिति के अनुसार छूट-प्राप्त और छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की आंकी गई बकाया राशि 60.91 करोड़ रुपये थी ।

कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारी बकाया राशि की वसूली के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अनुसार दांडिक और कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं ।

राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रादेशिक संस्कृति का चित्रण

***755. श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रादेशिक संस्कृति के पर्याप्त चित्रण के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त अपनाया जाता है;

(ख) राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ करने के बाद भारत नाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी और अन्य नृत्यों सहित प्रत्येक शास्त्रीय नृत्त के लिए कितना समय आवंटित किया गया; और

(ग) रास्ट्रीय कार्यक्रम के लिए उड़ीसा के कितने ओडिसी नर्तक सूची बद्ध किए गए हैं और उनका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) दूरदर्शन के संगीत और नृत्य के राष्ट्रीय कार्यक्रमों सहित राष्ट्रीय उपक्रमों तथा आकाशवाणी के शास्त्रीय संगीत, प्रादेशिक/सुगम संगीत, नाटकों और रूपकों के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का लक्ष्य लोगों के लिए भारत की सर्वोतम समृद्ध और विविध संस्कृति को प्रस्तुत करना है। उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को सुदृढ़ करने के विचार से लोगों की, विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति की बहुपक्षीय समृद्धता की जागरूकता को बढ़ाना है।

(ख) नृत्य के किसी भी वैयक्तिक रूप के लिए कोई निश्चित समय आवंटित नहीं है। तथापि, 25 अप्रैल, 1980 से दूरदर्शन के संगीत और नृत्य के राष्ट्रीय उपक्रमों को शुरू होने के समय से, नृत्य के विभिन्न रूप निम्नलिखित अवधि के लिए टेलीकास्ट किए गए हैं :—

1.	भारत नाट्यम	—	113 मिनट 14 सैकंड
2.	ओडिसी	—	62 मिनट
3.	मणिपुरी	—	100 मिनट 23 सैकंड
4.	कथक	—	121 मिनट 20 सैकंड
5.	विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों सहित अन्य नृत्य	—	470 मिनट 16 सैकंड

(ग) ओडिसी के तीन प्रख्यात नर्तकों ने दूरदर्शन कार्यक्रमों में भाग लिया है।

टेलेक्स जमानत जमा धनराशि

*756 **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में टेलेक्स जमानत जमा धनराशि वसूल करने की प्रणाली शुरू करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो इससे प्राप्त होने वाले अतिरिक्त राजस्व की आमदनी का ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं और जमानत जमा राशि के लिए कितनी धन राशि निर्धारित की गई है तथा इस बारे में क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां। यह योजना 1-4-83 से प्रारम्भ की गई है।

(ख) इससे विभाग को लगभग 37 करोड़ रुपए की आय होने की सम्भावना है।

(ग) समूचे देश में 31-3-1983 तक टेलेक्स कनैक्शनों, की प्रतीक्षा-सूची में कुल मिलाकर 16,223 आवेदकों के नाम दर्ज हैं। प्रत्येक उपभोक्ता 1 आवेदक से जमानत राशि के बतौर 10,0001 रुपये लेने का निश्चय किया गया है ताकि विभाग निम्नलिखित बातों से अपना बचाव कर सके :

एक) टेलेक्स कनैक्शन की स्थापना करने के लिए विभाग द्वारा पूंजी लगाने के पश्चात आवेदक द्वारा कनैक्शन लेने से इन्कार करना;

दो) उपभोक्ता के अहातों में लगाए गए कीमती उपस्करों के खोने अथवा उनके टूट-फूट जाने पर वसूली न हो पाना; और

तीन) विभागीय देयताओं का भुगतान न करना।

सरकारी-गैर-सरकारी क्षेत्रों में पेट्रोल की खपत

*757. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गैर सरकारी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र में पेट्रोल की खपत ज्यादा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी हां। तेल कम्पनियों द्वारा मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की यूनिटों को की गयी सीधी थोक (बल्क) सप्लाई के मामले में परन्तु यह थोक (बल्क) सप्लाई मोटर स्पिरिट की कुल बिक्री का केवल लगभग 88 प्रतिषत है; 1981/82 के लिए आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

(आंकड़े "000 मीट्रिक टनों में)

वर्ष	कुल अखिल भारतीय बिक्री	सीधी थोक बिक्री		
		सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
1.	2.	3.	4.	5.
1981-82	1599	127	15	142

थोक बिक्री की कुल बिक्री से प्रतिशतता

सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
6.	7.	8.
7.9	0.9	8.8

इन क्षेत्रों को खुदरा बिकी केन्द्रों (जो कि देश में मोटर स्पिरिट की कुल बिक्री का 91.2 प्रतिशत है) से की गयी बिक्री के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

माइक्रोवेव कनेक्शन वाले दूरदर्शन केन्द्र

*758. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन दूरदर्शन केन्द्रों के नाम क्या हैं जिनमें माइक्रोवेव कनेक्शन दिया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार 1983-84 में और अधिक दूरदर्शन केन्द्रों को माइक्रोवेव कनेक्शन देने का है ;

(ग) यदि हां, तो उन दूरदर्शन केन्द्रों के नाम क्या हैं जिनमें चालू वित्तीय वर्ष में माइक्रो-वेव कनेक्शन देने का विचार है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) निम्नलिखित स्थानों के दूरदर्शन केन्द्रों में माइक्रोवेव कनेक्शन प्रदान किए हैं :—

मद्रास, बेंगलूर, पणजी, बम्बई, इन्दौर (अस्थाई तौर पर) जयपुर, नई दिल्ली, जालंधर

श्रीनगर, कानपुर, लखनऊ, कलकत्ता तथा पिज (नाडियाड)।

(ख) जी हां।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आसनसोल तथा पुणे दूरदर्शन केन्द्रों में माइक्रोवेव कनेक्शन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) आसनसोल के लिए टी० वी० वाही माइक्रोवेव चैनल उपलब्ध है। आसनसोल में छोर की ओर संस्थापन-कार्य उपस्कर प्राप्त होते ही शुरू किया जाएगा। पुणे में जो माइक्रोवेव लिंक स्थापित किया जाएगा, उसके लिए रेडियो उपस्कर चालू वर्ष में विदेश से प्राप्त होने की संभावना है।

पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में दूरसंचार सबडिवीजनों, टेलीग्राफ इंजीनियरिंग डिवीजनों का विभाजन। उनकी स्थापना का मानदण्ड

*759. प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या संचार मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में, विस्तृत और दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र और छितरी जनसंख्या, फलतः कम कार्यभार को ध्यान में रखते हुए वर्तमान (एक) टेलीग्राफ सब डिवीजनों और टेलीग्राम इन्जीनियरिंग डिवीजनों (दो) पोस्टल डिवीजनों के विभाजन और/अथवा नए टेली-ग्राफ/पोस्टल डिवीजन और सब डिवीजनों के निर्माण के लिए मानदण्डों में कोई ढील दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो किस किस्म की ढील दी जाती है और मैदानी क्षेत्रों के लिए वर्तमान मानदण्ड क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्न स्तर के आधार पर किसी निम्न स्तर के टेलीग्राफ इन्जीनियरिंग डिवीजनों । सब डिवीजनों औ पोस्टल डिवीजनों का निर्माण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सर्किलवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या कार्यकरण दक्षता और बेहतर प्रबन्ध तथा पर्याप्त विस्तार के के लिए इस प्रकार की ढील दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) महोदय, भारत सरकार द्वारा दुर्गम क्षेत्रों के रूप में मान्य इलाकों के संबध में तार मंडलों और उप मंडलों के मानदण्डों के लिए कुल क्षमता और चालू लाइनों में 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाती है । पिछड़े क्षेत्रों के लिए ऐसी कोई छूट नहीं दी जाती है तथापि, पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में नए डाक मंडल बनाने के लिए मानदण्डों में छूट देने की कोई व्यवस्था नहीं है । गत तीन वर्षों के दौरान छूट देकर कोई भी तार इन्जीनियरी मंडल, उप मंडल या डाक मंडल नहीं बनाया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) दूरसंचार शाखा के बारे में इसका प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इसके लिए पहले से ही छूट की व्यवस्था है जैसा कि ऊपर (क) और (ख) में बताया गया है । जहां तक डाक शाखा का सम्बन्ध हैं, भारत सरकार ने जुलाई 1979 में ऐसे पद/यूनिटें बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था जो मंजूर किए गए मानकों के अन्तर्गत नहीं आते हैं । नए डाक मंडल बनाने के मानकों में अप्रैल 1980 में दी गई ढील को मद्देनजर रखते हुए नए डाक मंडल बनाने के लिए पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों के मानकों में छूट देने का कोई औचित्य नहीं बनता है ।

राज्यों में बन्धुआ मजदूरों की समस्याओं पर विचार करने के लिए सतर्कता समितियां

*760. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां "बन्धुआ मजदूरों" हेतु सतर्कता समितियां स्थापित की गई हैं;

(ख) क्या इन समितियों में से किसी समिति ने राज्य में बन्धुआ मजदूरों की समस्याओं से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट प्रेस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) जिन राज्यों में ऐसी समितियों का गठन नहीं किया गया है वहां ऐसा करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) राज्य सरकारों से उपलब्ध नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार बन्धुआ श्रमिकों से सम्बन्धित कार्य के लिए तमिलनाडु, हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय में (कुछ जिला) जिलों (उप–मंडल) उप-मंडलों (को छोड़कर) सतर्कता समितियां गठित की गई हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान, असम' गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों तथा पांडिचेरी, दिल्ली और गोवा, दमन तथा द्वीठ संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि वे ऐसी समितियों का गठन करने/निष्क्रय समितियों का पुनर्गठन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

(ख) सतर्कता समितियां अपनी सिफारिशें सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेटों को प्रस्तुत करती है और न कि केन्द्रीय सरकार को।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(ख) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है कि वे सभी जिलों और उप-मंडलों में सतर्कता समितियां गठित करें जैसा बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन अपेक्षित हैं। सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों/संग राज्य क्षेत्र के प्रसासकों को भी लिखा गया (फरवरी, 1983 में) है कि वे अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी जिलों और उप-मंडलों में सतर्कता समितियों के तत्काल गठन को सुनिश्चित करें, यदि अभी तक एसा नहीं किया गया है।

उड़ीसा राज्य में टेलीफोन उद्योगों की स्थापना

***761. श्री के० प्रधानी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य में कुछ टेलीफोन उद्योग स्थापित करने की स्थिति में है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) संचार मंत्रालय के अधीन उपक्रमों की अधिकतम परियोजनाएं मौजूदा कारखानों के विस्तार की परियोजनाओं के रूप में हैं। नए कारखाने के रूप में दूसरे बड़े इलेक्ट्रानिक स्विचिंग कारखाने के स्थान के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है।

समाचार भारती द्वारा पालेकर पंचाट का क्रियान्वयन

***762. श्रीएन० नील लोहिया दसन नाडार** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार भारती में पालेकर पंचाट का क्रियान्वयन कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, यद्यपि, समाचार भारती दिसम्बर, 1981 से पालेकर पंचाट को लागू कर रहा है, तथापि, उसे पहले ही अवधि के लिए कतिपय बकाया राशि का भुगतान अभी करना है। प्रबन्धतंत्र ने यह कहा है कि वे वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाए।

उज्जैन को दिल्ली से सीधी टेलीफोन डायल सेवा द्वारा जोड़ना

*763. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन जगहों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1983-84 के दौरान सीधी टेलीफोन डायल प्रणाली के अन्तर्गत दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ख) दिल्ली को उज्जैन से सीधी टेलीफोन डायल सेवा द्वारा कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) देश के उन स्थानों के नाम निम्न प्रकार हैं जहां वर्ष 1983-84 के दौरान एस०टी०डी० सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि समय पर उपस्कर तथा भण्डार की सप्लाई हो सके :—

(1) कारागार (2) बगालकोटे (3) चित्रदुर्गा (4) सागर (5) करीमनगर (6) संगारेड्डी (7) भिलाई (8) बुरहानपुर (9) सुरी (10) देवास (11) विदिशा (12) इच्छलकरंजी (13) पारादीप (14) सिरसा (15) रिवाड़ी (16) कृष्ण नगर (17) भुसावल (18) बयावर

(ख) दिल्ली उज्जैन के साथ एस०टी०डी० के जरिए पहले से ही जुड़ा है।

आदिवासी संस्कृति पर फिल्म बनाना

*764. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म प्रभाग प्रोडैक्शन यूनिट, कलकत्ता ने 1982-83 में आदिवासियों पर 16 एम०एम० की एक फिल्म तथा वृत्त चित्र बनाया है;

(ख) यदि हां, तो फिल्म की कथावस्तु क्या है इसमें कौन-कौन से आदिवासियों को शामिल किया गया है;

(ग) वर्ष 1983-84 में आदिवासियों पर फिल्में बनाने की क्या योजना हैं; और

(घ) क्या मंत्रालय ने पूर्वी राज्यों के आदिवासियों की संस्कृति और रीतिरिवाजों पर फिल्य बनाने के लिए उपाए किए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) एक विवरण सदन की भेज पर रख दिया गया है।

विवरण

1. वर्ष 1982-83 के दौरान, फिल्म प्रभाग की क्षेत्रीय निर्माण यूनिट, कलकत्ता ने आदिवासियों पर 16 मिलीमीटर में फीचर टाइप की तीन फिल्में बनाई हैं। इन फिल्मों के नाम और उनका विषय इस प्रकार है :—

(1) जीवाकु देवी नहीं (16 मिली मीटर में-रंगीन) : फीचर टाइप की यह फिल्म एक डाक्टर की कहानी पर आधारित है जो उड़ीसा के बारीपाड़ा नामक गांव में, जिसमें संथाल आदिवासी रहते हैं, आता है और उस क्षेत्र के ग्रामवासियों तथा आदिवासियों को उनकी स्वास्थ्य हालतों तथा ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। इस फिल्म में आदिवासियों की जीविका हालतों तथा अदिवासी लोगों के उत्थान के कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला गया है।

(2) दि ओनली आंसर (16 मिली मीटर में-रंगीन)। यह फिल्म मणिपुर के उखरूल पहाड़ी जिले के एक स्कूल अध्यापक की कहानी पर आधारित है जो आदिवासियों को समस्यओं का सामना करने के लिए तथा सरकार द्वारा चलाई गई स्व-रोजगार योजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के द्वारा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्ररित करता है।

(3) डासी ट्राइब्स आफ मेघालय (16 मिली मीटर में-रंगीन) : यह फिल्म खासी बोलियों में है। कहानी आज के मेघालय, इसके वैभव तथा इसकी आशाओं के बारे में है। इस फिल्म में आदिवासी विकास सहित राज्य की विकासीय गति-विधियों पर प्रकाश डाल गया हैं।

2. फिल्म प्रभाग द्वारा हर वर्ष 35 मिली मीटर में या तो अपने निर्देशकों के माध्यम या स्वतंत्र निर्माताओं के माध्यम से आदिवासियों से सम्बन्धित कुछ फिल्में बनाई जाती हैं। तथापि, एक योजनागत स्कीम के अन्तर्गत 16 मिली मीटर में विशेष ग्रामोन्मुखी फिल्मों के निर्माण के लिए दो क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र—एक कलकत्ता में और दूसरा बंगलौर में स्थापित किए गए हैं। वर्ष 1983-84 के दौरान इन दोनों केन्द्रों द्वारा आदिवासियों पर 16 मिली मीटर में 6 फिल्में बनाई जायेंगी। इसके अलावा, वर्ष 1983-84 के अपने सामान्य निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत भी फिल्म प्रभाग आदिवासियों से संबंधित विभिन्न विकासिय गतिविधियों तथा उनके जीवन और संस्कृति पर 35 मिली मीटर में डाकुमैंट्री फिल्में और न्यूजरीलें बनायेगा।

3. कलकत्ता का निर्माण केन्द्र, जिसे योजनागत स्कीम के अन्तर्गत स्थापपित किया गया है, पूर्वी राज्यों के आदिवासियों पर फिल्में बनायेगा। इन समय, पूर्वी राज्यों आदिवासियों पर निम्नलिखित फिल्में निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं :—

(1) दि अवेकनिंग—यह फिल्म उड़ीसा के आदिवासी जीवन पर है।

(2) मोह मुक्ति—यह फिल्म संथाली में है ।

(3) स्टोरी आफ नेरी—यह फिल्म अरुणाचल प्रदेश की एक महिला की सफल कहानी पर आधारित आदि बोलियों में है ।

4. 1958 से फिल्म प्रभाग ने आदिवासियों पर 58 फिल्में बनाई/खरीदी/दान स्वरूप स्वीकार की है । इस समय, आदिवासियों पर 17 फिल्में निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में है ।

चाय बागान के श्रमिकों के लिए नियमित रोजगार की व्यवस्था

*765. श्री अमरराय प्रधान : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि चाय की पत्ती चुनने का मौसम समाप्त होने के बाद श्रमिक बड़ी संख्या में बेरोजगार हो जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इन श्रमिकों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ताकि वे चाय की पत्ती चुनने के अगले मौसम तक बेरोजगार न रहें ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) श्रम मन्त्रालय के रोजगार बाजार सूचना के अन्तर्गत, जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान और और ऐसे गैर-कृषि प्रतिष्ठान, जो 10 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित करते हैं, रोजगार सम्बन्धी आंकड़े त्रैमासिक आधार अर्थात् मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर के अन्त में एकत्र किए जाते हैं । यह देखा गया है कि चाय बागानों में रोजगार कुछ मौसमी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है । राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा राज्य बोर्डों जैसे कार्यक्रमों से, जो ग्रामीण जनसंख्या की बेमौसमी रोजगार आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, आशा है बेमौसमी रोजगार की आवश्यकता में बागान श्रमिकों की ओर भी ध्यान दिया जाएगा ।

नार्थ/साऊथ एवेन्यू नई दिल्ली के उपभोक्ताओं को कोयला सप्लाई न करना

8512. श्री राम प्रसाद अहिरवार : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साऊथ एवेन्यू और नार्थ एवेन्यू कालोनियों के कोयला डिपुओं से सम्बद्ध उपभोक्ताओं को गत तीन महीने से कोयला नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्योरा क्या है तथा तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ग) यदि कोयला व्यापारियों को कोयला सप्लाई किया गया था, तो उनके विरुद्ध तथा यदि जिम्मेदार प्राधिकारी इन व्यापारियों के लिए कोयले की सप्लाई का प्रबन्ध नहीं कर सके, तो ऐसे प्राधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

महाप्रबंधक, दिल्ली टेलीफोन (आप्रेशनस) द्वारा उपभोक्ताओं के पत्रों के उत्तर न दिया जाना

8513. श्री चिन्तामणि जैना : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि अतिरिक्त महाप्रबंधक, दिल्ली टेलीफोन्स (आप्रेशन्स), क्षेत्र प्रबंधक (दक्षिण) और डिवीजनल इंजीनियर टेलीफोन, चाणक्यपुरी एक्सचेंज के बारे में अब यह बात आम हो गई है कि टेलीफोन को खराबी का पता लगाने और उसे दूर की बात तो अलग है वे उपभोक्ताओं द्वारा भेजे गये उनके टेलीफोन की खराबी की शिकायतों संबंधी पत्रों का का जवाब तक नहीं देते;

(ख) दिनांक 1 मार्च, 1983 तक डी० ओ० पत्रों सहित ऐसे कितने पत्र उक्त अधिकारियों के पास विचाराधीन है, जिनका अब तक उत्तर नहीं दिया गया है; और

(ग) जनता से सीधा संबंध रखने वाले इन कार्यालयों के काम-काज को कारगर बनाने हेतु तथा ऐसी लिखित सभी शिकायतों का उत्तर देने के लिए समय-सीमा निश्चित करने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) अतिरिक्त महाप्रबंधक, दिल्ली टेलीफोन (आप्रेशन्श) क्षेत्रीय प्रबंधक (दक्षिण) तथा मंडल इन्जीनियर, टेलीफोन्स चाणक्यपुरी, टेलीफोन की खराबी से संबंधित सभी पत्रों की पावती स्थायी आदेशो के अनुसार भेजते हैं। तदुपरान्त जाँच कार्य पूरा हो जाने पर शिकायत कर्ता को पत्र भेजे जाते हैं। तथापि, इस प्रकार के कुछ मामले हो सकते हैं जिनमें शिकायतों का उत्तर मूल से न दिया गया हो।

1-3-1983 को अर्धसरकारी पत्र सहित इस प्रकार के पत्रों की संख्या शून्य थी।

(ग) इस संबंध में स्थायी हिदायतें पहले से ही दी जा चुकी हैं, फिर भी उन्हें पुनः दुहरा दिया जाएगा।

निर्यात के लिए ओषधियों का उत्पादन

8514. श्री के० मालन्ना : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस समस्या पर विचार किया है अथवा इसका कोई मूल्यांकन किया कि केवल निर्यात के लिए औषधि मदों के उत्पादन के कतिपय प्रस्तावों को अस्वीकार करने विदेशी मुद्रा अर्जन को नुकसान पहुंच सकता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों के स्वरूप के बारे में डी जी टी डी की पंजीकरण संबंधी सरकारी नीति क्या है; और

(ग) क्या निर्यातोन्मुख प्रस्तावों की अस्वीकृति के मामले ऐसी स्थिति में भी घटित हुए हैं जबकि हमारे देश में निज़ी उत्पादन अथवा अन्य स्रोतों से मूलभूत कच्चा माल उपलब्ध है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) केवल निर्यात के लिए प्रस्तावों पर विचार करते समय कम से कम 20 प्रतिशत मूल्य वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए गहन अध्ययन किया जाता है।

(ख) केवल निर्यात हेतु औषध मदों के निर्माण के प्रस्तावों का पंजीकरण तभी किया जाता है जब वह पंजीकरण के, तथा साथ ही नई औषध नीति के सभी मानदण्डों को पूरा करते हों।

(ग) जी नहीं।

अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशिक्षु प्रशिक्षण

8515. श्री शिबु सोरेन : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजनाओं के अंतर्गत मास्टर क्राफ्टसमैन द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को प्रतिमाह 60 रुपये वजीफा दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो 1977 से 1982 तक पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में वर्षवार और राज्यवार, प्रशिक्षित किये गये अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार आदिवासी क्षेत्रों में केवल जनजातियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे केन्द्र कब तक आरम्भ हो जायेंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण अनुदेशकों पर्यटकों और अन्य कार्मिकों द्वारा आवश्यकता के अनुसार उद्योगों में दिया जाता है। शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत शिक्षुओं को दी जाने वाली मासिक छात्र-वृत्ति की दरें सा० का० नि० संख्या 24 (अ), दिनांक 25.1.1982 (संलग्न अनुबन्ध I) के अनुसार दी जाती है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-6480/83]

(ख) वर्ष 1977 से 1982 तक पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में प्रशिक्षित अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित शिक्षुओं की संख्या अनुबन्ध II और III के अनुसार है।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए। संख्या एल टी—6480/83]

(ग) केन्द्रीय सरकार जनजातीय क्षेत्र में शिक्षता और शिल्पकार प्रशिक्षण योजनाओं की पूर्णतः जनजातियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव नहीं रखती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं।

समारोह में आमन्त्रित करने संबंधी अथवा अध्यक्षता करने संबंधी अपनाए जाने वाले मार्गदर्शी निर्देश

8516. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने किन्हीं समारोहों में, जैसे कि किसी स्थान पर स्वचालित टैलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के उद्घाटन के समय आमंत्रित करने संबंधी अथवा अध्यक्षता करने संबंधी अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में स्टाफ को कोई मार्गदर्शी निर्देश दे रखे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुदेशों अथवा निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) : जी हां। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, डाक-तार सेवाओं का विस्तार, नए भवनों का उद्घाटन आदि जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर आयोजित डाक-तार समारोहों में उन क्षेत्रों के संसद सदस्यों, विधायकों और जिला परिषद के अध्यक्ष या सभापति, जहां भी वे होते हैं, को निमंत्रित करने के बारे में सर्किल अध्यक्षों को सुझाव दिया गया है।

सर्किल अध्यक्षों को सलाह दी गई है कि ऐसे अतिथियों के साथ पूर्ण शिष्टाचार बरतें तथा उन्हें उचित महत्वपूर्ण स्थान दें। सर्किल अध्यक्ष ससद सदस्यों और विधायकों को किसी समारोह में अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं बशर्ते कि वे स्वयं इस प्रकार के सार्वजनिक समारोह के उद्देश्यों जैसे कि (क) डाक-तार विभाग द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का प्रचार करने, (ख) संचार मंत्रालय की छवि पेश करने के लिए आयोजित समारोह की पूर्ति के बारे में स्वयं संतुष्ट हों।

आदिवासी क्षेत्रों में रेडियो स्टेशन/रिले स्टेशन

8517. **श्री भीखा भाई :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में आदिवासी बोलियों के लिए आकाशवाणी केन्द्र के अनुभाग के बारे में 31 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5757 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिवासी लोगों को जो कुल जनसंख्या का 1/5 भाग है कि अपनी बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए आकाशवाणी में उनके संगीत/लोकगीत को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है ;

(ख) क्या यह इस तथ्य के कारण है कि आदिवासी क्षत्रों में कोई रेडियो स्टेशन या रिले स्टेशन स्थित नहीं है;

(ग) क्या इसका कारण यह भी है कि आदिवासी लोगों को हालांकि वे अच्छे कलाकार होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों के लिए चयन नहीं किया जाता है; और

(घ) सरकार का विचार आदिवासी लोगों की संस्कृति, संगीत, बोली और परम्पराओं को हुए नुकसान को कैसे पूरा करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी, नहीं, इन क्षेत्रों में स्थिति विभिन्न केन्द्रों से आदिवासी बोलियों में संगीत सहित कार्यक्रमों के प्रसारण को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) जी, नहीं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में 18 रेडियो स्टेशन स्थित हैं। उनकी सूची विवरण में दी गई है।

(ग) जी, नहीं। आदिवासी बोलियों में प्रवीण तथा अपेक्षित प्रतिभा रखने वाले व्यक्तियों को उन बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए चुना जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आदिवासी क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों की सूची

1. अगरतला
2. ऐजवाल
3. डिब्रुगढ़
4. गौहाटी
5. इंफाल
6. जगदलपुर
7. जैपोर
8. कोहिमा
9. कुर्सियांग
10. लेह
11. पासीघाट
12. पोर्ट ब्लेयर
13. रांची
14. सम्बलपुर
15. शिलांग
16. त्वांग
17. तेजू
18. गंगटोक

"एफ सी आई कोरबा प्लान्ट लेंगयुशिंग" शीर्षक से समाचार

8518. श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री माधव राव सिंधिया :
डा० ए० यू० आजमी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 25 मार्च, 1983 के "इन्डियन एक्सप्रेस" में "एफ सी आई कोरबा प्लान्ट लेंगयुशिंग" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अनेक विवादों, नौकरशाही सम्बन्धी विलम्ब और उदासीनता से ग्रस्त उर्वरक निगम को कोरबा परियोजना अपनी शुरूआत के दो दशाब्दि बाद भी एक सपना ही बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) कोरबा उर्वरक संयंत्र पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है; और

(घ) क्या इस परियोजना के पूरा होने की कोई आशा है और यदि हां, तो यह कब तक पूरी हो जायेगी तथा बिलम्ब को कम करने के लिये क्या उपाय किये गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : मध्य प्रदेश में कोरबा नामक स्थान पर कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सिद्धान्त रूप से मन्जूरी जनवरी 1972 में दी गई थी। परियोजना को औपचारिक मन्जूरी जून 1974 में दी गई थी।

संसाधन बाधाओं के कारण 1975-76 के दौरान परियोजना पर कार्य रोक दिया गया था। परियोजना पर अभी तक 19·0 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

तालचर और रामागुण्डम में कोयले पर आधारित संयंत्रों ने 1० 11० 1980 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। इन संयंत्रों को 25% क्षमता से अधिक चलाना सम्भव न हो सका। कोरबा परियोजना को पुन: प्रारम्भ करने के बारे में अन्तिम दृष्टिकोण तभी अपनाया जाएगा जब कोयले पर आधारित ये संयंत्र उत्पादन के उच्च स्तर पर स्थिरता प्राप्त कर लें।

बम्बई कपड़ा मिल मजदूर हड़ताल

8519. प्रो० मधु दण्डवते : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल की क्या स्थिति है ;

(ख) कितने श्रमिक काम पर वापिस आ चुके हैं तथा काम करने हेतु वापिस आने के इच्छुक कितने श्रमिकों को कपड़ा मिलों में काम देने से इंकार कर दिया गया है ; और

(ग) बम्बई की कपड़ा मिलों में कपड़ा मजदूरों तथा उनकी यूनियनों के सहयोग से स्थिति सामान्य बनाने हेतु क्या ठोस उपाय किये जा रहे है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) : महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 22-4-1983 की स्थिति के अनुसार 58 कपड़ा मिलों में 1, 08 245 श्रमिकों ने काम पुनः शुरू कर दिया है। उन श्रमिकों को छोड़कर, जिनकी सेवाएं मिल प्रबन्धकों द्वारा गैर-कानूनी हड़ताल में भाग लेने और हिंसा के कारण समाप्त कर दी गई थी, अभी तक किसी भी स्थायी श्रमिक को, जिसने कार्य के लिए रिपोर्ट किया, काम करने से इन्कार नहीं किया गया। तथापि, मिल के प्रबन्धकों द्वारा उन श्रमिकों को, जो काम पुनः शुरू कराने के इच्छुक हैं, काम न देने के बारे में राज्य सरकार को कुछ शिकायतें मिली है। राज्य सरकार ने एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की है। जिसमें बम्बई मिल ओनर्स एसोसिएशन, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ और राज्य श्रम-विभाग का एक-एक प्रतिनिधि शामिल है, जो इन समस्याओं पर विचार करेगी और उन्हें यथाशीघ्र निपटाएगी। इस समिति ने 18-3-1983 से काम करना शुरू कर दिया है।

(ग) सरकार ने एक त्रिपक्षीय समिति गठित की है जो अन्य बातों के साथ-साथ बम्बई सूती कपड़ा उद्योग के श्रमिकों की मांगों को भी जांच करेगी। इस समिति ने मकान किराया भत्ते के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। बदली श्रमिकों के बारे में समिति की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए गैस-एजेंसियों के आबंटन का कोटा पूरा करना

8520. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित गैस एजेंसियों के आबंटन के कोटे को अभी तक पूरा नहीं किया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को गैस एजेंसियां आबंटित कर, उनके लिये आरक्षित कोटे को शीघ्र ही पूरा करने का है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से आवेदन आमंत्रित करने का है और यदि हां, तो कब तक तथा आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिये क्या उपाय किये जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) और (ख) : आरक्षण नीति के लागू होने की तिथि से, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के लोगों के लिये आरक्षित 25 प्रतिशत कोटे को पूरा किया जा रहा है।

(घ) "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति" वर्ग सहित सभी वर्गों के प्रत्याशित उम्मीदवारों को तेल कम्पनियों की सभी पेट्रोलियम उत्पाद डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को प्रदान करने के लिये, विद्यमान नीति/प्रक्रिया में सम्बन्धित तेल कम्पनियों द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित करने की व्यवस्था है।

रेडियो फोटो सर्विस सेन्टर की स्थापना

8521. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन-किन स्थानों पर (राज्यवार) रेडियो फोटो सर्विस सेन्टर स्थापित हो चुके हैं ; और

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान कितने और किन-किन स्थानों पर (राज्यवार) ऐसे केन्द्रों की स्थापना की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) विदेश संचार सेवा डाकतार विभाग की ओर से बम्बई (महाराष्ट्र), नई दिल्ली (दिल्ली का संघ शासिक क्षेत्र), कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) और मद्रास (तमिलनाडु) के महानगरों के बीच फोटो पारेषण सेवा चला रही है। इनके अलावा, डाक-तार विभाग ने दिल्ली और निम्नलिखित शहरों के बीच फोटो पारेषण सेवा स्थापित की है :—

शहर (राज्य)

1. पटना (बिहार)
2. अहमदाबाद (गुजरात)
3. त्रिवेन्द्रम (केरल)
4. बम्बई (महाराष्ट्र)
5. जालन्धर (पंजाब)
6. जयपुर (राजस्थान)
7. लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

(ख) वर्ष 1983-84 में दिल्ली और निम्नलिखित शहरों के बीच फोटो पारेषण सेवा स्थापित करने का प्रस्ताव है:—

शहर (राज्य)

1. बंगलौर (कर्नाटक)
2. पुणे (महाराष्ट्र)

मध्य प्रदेश द्वारा भेजी गई मिनी और माइक्रो जल-विद्युत योजनाएं ।

8522. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा मन्त्रियों के पिछले सम्मेलन में यह उल्लेख किया गया था कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उन मिनी और माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं को विशेष वित्तीय सहायता दी जायेगी जिनके बारे में 31 दिसम्बर, 1982 से पहले परियोजना रिपोर्टें भेजी जा चुकी है ;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड ने 31 दिसम्बर, 1982 से पहले केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारण को स्वीकृत के लिए मिनी और माइक्रो जल-विद्युत परियोजनाओं सम्बन्धी 10 योजनाएं भेजी थीं ; और

(ग) मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा भेजी गई योजनाओं की स्वीकृति और वित्तपोषण सम्बन्धी स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश के प्राधिकारियों से 10 माइक्रो/लघु जल विद्युत स्कीमों की परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 5 स्कीमें 31 दिसम्बर, 1982 से पहले प्राप्त हुई थीं तथा शेष 5 स्कीमें जनवरी, 1983 में प्राप्त हुई हैं। स्कीमों का ब्यौरा संग्लन विवरण में दिया गया है।

इन स्कीमों के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित किए जाने के पश्चात् ही इन स्कीमों को निवेश अनुमोदन के लिए योजना आयोग से सिफारिश की जा सकती है।

विवरण

मध्य प्रदेश में लघु/मिनी/माइक्रो जल विद्युत स्कीमों की जांच की स्थिति

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	परियोजना रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत करोड़ रुपये में	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
(क) सिदम्बर, 1982 से पहले प्राप्त हुई लघु/मिनी/माइक्रो जल विद्युत स्कीमें					
1.	महानदी जलाशय परियोजना	अगस्त, 81	4 × 2.5	7.34	परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में जांच कर ली गई है। और टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। परियोजना प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की टिप्पणियों/सुझावों के अनुसार अध्ययन किए जा रहे हैं। उत्तर की प्रतीक्षा है।
2.	सिकासार	जुलाई, 82	1 × 5	5.24	परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में जांच कर ली गई है। के०वि०प्रा०/के०ज०आ० की

1	2	3	4	5	6
					टिप्पणियों के अनुसार परियोजना रिपोर्ट में ससोधन करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों को सलाह दी गई है।
3.	बरना	अक्तूबर, 82	1×1+1 ×0.75+ 1×0.25	2.985	परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच कर ली गई है। परियोजना प्राधिकारियों से विद्युत आयोजना पहलू में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।
4.	चम्बल नहर	दिसम्बर, 82	4×0.3	2.11	परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में जांच कर ली गई है। विद्युत आयोजना, इलैक्ट्रिकल लागत तथा इलैक्ट्रिकल डिजायन के बारे में टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। उत्तरों की प्रतीक्षा है।
5.	मोरान्ड	दिसम्बर; 82	2×0.5	1.63	इलैक्ट्रिकल लागत, इलैक्ट्रिकल डिजाइन के बारे में टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। उत्तरों की प्रतीक्षा है।
(ख) दिसम्बर, 1982 के बाद प्राप्त हुई लघु/मिनी/माइक्रो जल विद्युत स्कीमें					
1.	कोलार	जनवरी, 83	2×2	4.14	परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में जांच कर ली गई है। इलैक्ट्रिकल लागत और इलैक्ट्रिकल डिजायनों के बारे में टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं, उत्तरों की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5	6
2.	थानवाड़	जनवरी, 83	2×0.3	1.06	—वही—
3.	भीमगढ़	जनवरी, 83	1×1+2 ×0.5	2.6	—वही—
4.	तवा बायां तट नहर (संशोधित)	जनवरी, 83	4×3	4.55	सिविल डिजाइन की दृष्टि से परियोजना के लिए व्यवहार्यता सुनिश्चित करने हेतु परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अध्ययन किए जाने हैं।
5.	महान जल विद्युत परियोजना	जनवरी, 83	0.5	0.55	चूंकि स्कीम की कुल लागत एक करोड़ रुपए से कम है, अतः परियोजना प्राधिकारियों को सूचित किया गया है कि इस स्कीम के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृती की कोई आवश्यकता नहीं है और इस स्कीम को मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अपने प्राधिकार के अन्तर्गत कार्यान्वियन हाथ में लिया जा सकता है।

खान-मुहोनों पर कोयले के भण्डार

8523. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 मार्च, 1983 तक विभिन्न खान मुहानों पर कोयले का कितना भंडार जमा पड़ा था ;

(ख) खान मुहानों पर कोयले को अन्यत्र भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिनांक 1-3-1983 की स्थिति के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० भारत कोकिंग कोल लि० सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में कोयला स्टाक का एरिया-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) रेल द्वारा कोयले का अधिक प्रेषण सुनिश्चित करने की दृष्टि से रेलवे के साथ लगातार संपर्क रखा जा रहा है। कार्य-स्थलों तक कोयले के परिवहन में वृद्धि के लिए और

नए लदान स्थलों तक कोयला-रख-रखाव संयंत्रों की स्थापना के लिए भी कोयला कम्पनियां उपाय कर रही हैं। निर्दिष्ट खानों पर कोयले का काफी स्टाक बिना किसी प्रतिबन्ध की बिक्री के लिए रखा गया है ताकि खान मुहानों पर जमा स्टाक में से उठान बढ़ाया जा सके।

विवरण

कोयले का स्टाक

(आंकड़े लाख टनों में) (आंकड़े अन्तिम)

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०		भा० को०को०लि० (जारी)	
एरिया	दिनांक 1-3-1983 को	एरिया	दिनांक 1-3-1983 तक
		लोडन	3.46
पाण्डवेश्वर	3.55	भोरा	1.77
बंकोला	1.16	सुदामडीह	1.46
केन्डा	3.18	मुनीडीह	0.14
कजोरा	2.84	कुल भा०को०को० लि०	59.14
कुनुस्टोरिया	1.43		
		सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	
कास्टाफिल्ड	0.75	बरकाकाना	7.05
खोटाडीह	—	अरगदा	7.62
सतग्राम	0.72	हजारीबाग	13.37
श्रीपुर	2.86	राजरप्पा	5.42
सीतारामपुर	0.75	कुजू	8.08
सौदेपुर	0.27	एन०के०	6.31
सालनपुर	9.93	कारगली	2.03
एस०पी०खानें	9.54	धोरी	5.01
लालमटिया	3.59	कठारा	10.30
निरमा	2.20	उड़ीसा	2.40
कपासरा	3.54	सिंगरौली	3.69
कुल	46.29	कुल से०को०लि०	71.28

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड		वेस्टर्न कोलफल्ड्स मिलिटेड	
बरोरा	6.25	बरघा	2.27
महुदा	0.90	नागपुर	1.95
गोविंदपुर	5.14	पाथाखेरा	0.45
कटरास	5.98	पेंच	1.41
सिजुआ	7.77	कनहान	0.95
कुसुन्डा	5.33	कोरबा	7.09
पंच/विक्टोरिया	3.99	सोहागपुर	6.61
भागाबन्द	7.88	चिरिमिरी	4.19
कुस्टोर	4.13	बैकुंठपुर	1.63
बस्ताकोला	4.94	झगरखांड	1.96
ऊपर दूसरे कालम में जारी/-		इब-घाटी	0.34
		कुल वे०को०लि०	29.05
		नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (क्षेत्रवार उपलब्ध नहीं)	0.60

सिन्दरी में एककों का बन्द होना

8524. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंदरी उर्वरक एककों में से कुछ एकक बन्द हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उर्वरक का उत्पादन करने वाले कौन-कौन से एकक बन्द हुए हैं ;

(ग) उनके बन्द होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन एककों को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी हां ।

(ख) जो उर्वरक उत्पादन यूनिटें बंद कर दी गई हैं, वे इस प्रकार हैं :—

1. सेमी-वाटर एण्ड प्रोडयूशर गैस प्लांट ।

2. गैस रिफोरमिंग प्लांट ।

3. अमोनिया प्लांट (कैमिकल्स कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन)

4. अमोनिया प्लांट (मोनटिकाटिनि)

5. नेफथा रिफोरमिंग प्लांट ।
6. एयर सेपरेशन यूनिट (लिन्ड)
7. एयर सेपरेशन यूनिट (फ्रांस लिन्ड)
8. यूरिया प्लांट ।
9. एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट प्लांट ।

(ग) ये यूनिटें बहुत पुरानी, अनुरक्षित और अप्रचलित तकनीकी के कारण अलाभकारी हो गए थे तथा उनकी मियाद पूरी हो चुकी थी ।

(घ) 1-10-1979 से, अमोनियम सल्फेट के उत्पादन के अतिरिक्त, 900 टन प्रतिदिन अमोनिया और 1000 टन प्रतिदिन यूरिया के उत्पादन के लिए एक नए सिंदरी आधुनिकीकरण संयंत्र ने वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ कर दिया है ।

उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले

8525. श्री ए० के० राय : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950, 1960, 1970, 1980; और 1981-82 में तथा 1 जनवरी, 1983 को उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे और कितने मामले लंबित थे ;

(ख) क्या बकाया मामलों में और मामलों तथा न्यायधीशों के अनुपात में वृद्धि हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) । जानकारी संलग्न विवरण एक में दी गई है ।

(ख) और (ग) : वर्षों से लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है । उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम. 1956 में संशोधन करके 31-12-77 से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई है । (इसमें मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित नहीं है , पदासीन न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है और 15-3-83 से यह संख्या 16 हो गई है (इसमें भारत का मुखय न्यायमूर्ति सम्मलित नहीं है) । किए गए अन्य उपायों को संलग्न विवरण दो में उपदर्शित किया गया है ।

विवरण एक

तारीख 26-4 83 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 8525 के भाग (क के उत्तर में विवरण

वर्ष	न्यायाधीशों की संख्या (भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को सम्मिलित करके)		प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर, को लंबित मामले (नियमित और ग्रहण करने के लिए मामले)
	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या	
1950	11	7	*
1960	14	14	2319
1970	14	12	7104
1980	18	14	36293
1981	18	14	48643
1982	18	15	6[illegible]041
1-1-83 को	18	14	——

* इस समय उपलब्ध नहीं है ।

विवरण दो

लंबित मामलों को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयां

उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाइयां की गई हैं :—

(1) उच्चतम न्यायालय के नियमों का संशोधन करके रजिस्ट्रारों और चेंबर में न्यायाधीशों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं जिससे कि न्यायालय का समय छोटे प्रकीर्ण मामलों में नष्ट न हो।

(2) उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित उपाय भी किए हैं :—

(1) कुछ मामलों को पूर्विकता दी जाती है।

(2) प्रकीर्ण मामले प्रतिनिधि सुनवाई के लिए रखे जाते हैं।

(3) ऐसी रिट पिटीशनों को जिसमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, एक ग्रुप में रखा जाता है और 50 से लेकर 100 मामले सुनवाई के लिए एक साथ बेंचों में रखे जाते हैं।

(4) एसे अन्य मामलों का भी जिनमें एक समान प्रश्न अन्तर्वलित होते है, समय समय पर पता लगा कर उन्हें एक साथ रखा जाता है और इस बात का ध्यान रखने का प्रयास किया जाता है कि ऐसे ग्रुपों का निपटारा शीघ्र हो जाए।

(5) उच्चतम न्यायालय नियमों को 1966 में पुनरीक्षित किया गया था और यह उपबन्ध किया गया था कि अभिलेखों का मुद्रण स्वयं उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में ही कराया जाए। इसमें भी काफी समय लग जाता था, अतः कुछ दिनों से इस न्यायालय ने जहां कहीं भी संभव होता है अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता को समाप्त करना और अपील की सुनवाई विशेष इजाजत पेपर बुक पर करना आरम्भ कर दिया है परन्तु वह ऐसा तब करता है जब दोनों पक्षकार अपने शपथ पत्र और प्रति-शपथ पत्र दाखिल कर देते हैं।

(3) सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10 वें विधि आयोग) की भी नियुक्ति की है। विधि आयोग को निर्दिष्ट विषयों में से कुछ निम्नलिखित हैं।

(क) यह सुनिचित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से—

(1) इस आधार भूत सिद्धान्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिएं, मामलों के शीघ्र और कम खर्च

पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलंब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए ;

(2) तकनीकी बारीकियों और विलम्बकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे, प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ;

(3) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए ;

न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना ;

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके ।

नैमित्तिक श्रमिकों/मस्टर-रोल कर्मचारियों की सेवा को नियमित करना

8526. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय अथवा उनके मंत्रालय के अन्तर्गत विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नैमत्तिक श्रमिकों/मस्टर रोल कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय में तथा उनके मंत्रालय के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग और अधीनस्थ कार्यालय में ऐसे कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है ;

(ग) क्या काफी समय गुजर जाने के बाद भी उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया जा रहा है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) वर्षों तक उन्हें नैमित्तिक श्रमिक अथवा केवल मस्टर रोल कर्मचारी बनाये रखने की बजाय उनकी सेवाओं को नियमित करने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रखा दिया जायेगा ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सतर्कता विभाग के लिए स्वीकृत पद

8527. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सतकरता विभाग के लिए स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है और संवर्ग-बार उनकी स्वीकृत किये जाने की तारीख क्या है ;

(ख) अब तक खाली/न भरे गये पदों की संवर्गवार संख्या कितनी है ;

(ग) इन पदों को खाली रखने के क्या कारण है और इन पदों को न भरने के लिये कौन जिम्मेदार है ; और

(घ) इन पदों को किस तारीख तक भरा जायेगा, यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में स्थापित सतर्कता के लिए स्वीकृत पदों की संख्या और उनकी वर्ग-वार मंजूर की तारीखों के बारे में स्थिति नीचे दी गई है :—

पद का नाम	पदों की संख्या	पद मंजूर करने की तारीख
निदेशक (सतर्कता)	1	12-8-1976
उप-निदेशक (सतर्कता	3	12-8-1976
सतर्कता अधिकारी	7	14-10-1981
सतर्कता सहायक	7	14-10-1981
	1	22-10-1977

(ख) : 1-4-198? की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित पद खाली पड़े हैं :—

निदेशक (सतर्कता)	1
उप-निदेशक (सतर्कता)	1
सतर्कता अधिकारी	6
सतर्कता सहायक	8

(ग) और (घ) : इन पदों के रिक्त रहने के लिए विभिन्न कारक जिम्मेवार है । निदेशक और उप-निदेशक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही संघ लोक सेवा आयोग/कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से सरकारी स्तर पर की जा रही है । इसी तरह सतर्कता अधिकारी और सतर्कता सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के लिए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गई है । इन रिक्त पदों को यथा शीघ्र भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

बिहार में ऊर्जा विकास हेतु केन्द्र सरकार की पहल

8528. **श्री एन० ई० होरो** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने बिहार में ऊर्जा विकास हेतु पहल की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) (क) और (ख) छठी योजना के प्रारम्भ में बिहार राज्य को कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 890 मेगावाट थी जो कि अब बढ़कर 1051 मेगावाट हो गयी है । कुल 970 मेगावाट की क्षमता की परियोजनाएं निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं जिसमें से 550 मेगावाट की क्षमता की छठी योजना की शेष अवधि में तथा शेष क्षमता को सातवीं योजना में चालू करने का लक्ष्य है । इसके अतिरिक्त, बिहार को केन्द्रीय सेक्टर की एक परियोजना नामशः फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र के चरण-एक (3 × 200 मेगावाट) से 135 मेगावाट के हिस्से का आबंटन किया गया है । राज्य को भूटान में चुखा जल विद्युत परियोजना से तथा केन्द्रीय सेक्टर की भावी परियोजनाओं नामशः कोयलकारो जल विद्युत परियोजना, फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-दो तथा कहलगांव सुपर ताप विद्युत केन्द्र से भी सहायता मिलने की संभावना है ।

बम्बई हाई में उत्पादन

8529. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई में वर्ष (1980-81, 1981-82 और) 1982-83 के दौरान कितनी मात्रा में तेल का उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1982-83 के दौरान तेल उत्पादन में गिरावट आयी है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) वर्ष 1983-84 के दौरान बम्बई हाई से तेल का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ङ) वर्ष 1983-84 के दौरान कितनी मात्रा में तेल उत्पादन का अनुमान किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) बम्बई हाई से वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरा क्रमशः 4, 98, 8, 00 और 12 88 मिलियन मी० टन तेल की मात्रा का उत्पादन हुआ था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) वर्ष 1983-84 के दौरान उत्पादन बढ़ाने के लिए, बम्बई हाई में और उसके सपीमवर्ती क्षेत्रों में कुछ विद्यमान रुग्ण कूपों में से कुछ के मरम्मत कार्य/सर्वित कार्य के अलावा 94 विकासात्मक कूपों को खोदने की योजना बनाई गई है ।

(ङ) वर्ष 1983-84 के दौरान बम्बई हाई और उसके सभी पवर्ती क्षेत्रों से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को 17·00 विलियन मी० टन तेल का उत्पादन करने की आशा है ।

जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई उन व्यक्तियों को कोल इंडिया लिमिटेड की कम्पनियों द्वारा नौकरी देने का प्रावधान

8530. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की सी सी एल कम्पनी का एक अलिखित नियम है कि उन काश्तकारों को जिनकी तीन एकड़ तक जमीन अधिगृहीत की गयी है, नौकरी नहीं दी जाएगी जिसके कारण हजारीबाग और गिरडीह जिलों में बराबर आन्दोलन होता रहता है;

(ख) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य कंपनियां उन व्यक्तियों को भी नौकरी दे रही हैं जिनकी एक एकड़ अथवा उससे भी कम भूमि अधिगृहीत की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इतनी या इससे कम जमीन वाले अधिकांश व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के है और इस नियम के कारण उनको सबसे अधिक हानि हो रही है; और

(घ) इन गरीब व्यक्तियों को न्याय दिलाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) और (ख) : यह सच हैं कि सेन्ट्रल कोलफील्डस लि० उस परिवार के एक सदस्य को एक नौकरी देता है जिसकी 3 एकड़ अथवा इससे अधिक जमीन का अधिग्रहण किया जाता है। भारत कोकिंग कोल लि० में, प्रत्येक 2 एकड़ धानी भूमि और 3 एकड़ अन्य प्रकार की भूमि के लिए एक व्यक्ति को काम दिया जाता है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में उन भूस्वामियों अथवा उनके आश्रितों को कार्य-दर आधारित काम अथवा तकनीकी व्यवसायों में प्रशिक्षु का काम दिया जाता है जिनकी अधिग्रहीत भूमि एक एकड़ से कम नहीं होती है और तीन एकड़ से अधिक होने पर ऐसे भूवंचित परिवार के दो आश्रितों को काम दिया जाता है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति के आधार पर कार्य-दर-आधारित काम देता है। परन्तु सामान्यतया रोजगार उपलब्ध रिक्तियों पर ही दिया जाता है।

(ग) और (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादकों के आयात हेतु समझौता

8531. **श्री नवीन रावणी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983-84 के दौरान पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादकों के आयात के लिए विदेशों से कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) और (ख) खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पादकों के आयात के लिए प्रबंध सामान्यत: कैलेन्डर वर्ष के आधार पर किये जाते हैं। वर्ष 1983 के दौरान इरान, ईराक, सऊदी अरब, यू० ए० ई० नाइजीरिया और यू० एस० एस० आर० की नेशनल आयल कम्पनियों के साथ करीब 12.1 मि.मी टन खनिज तेल और यू. एस. एस. आर. से करीब 2.25 मि. मी. टन पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए ठेके किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में आगे और ब्योरा देना जनहित में नहीं होगा।

एंटी बायोटिक्स की खपत

8532. **श्री अर्जुन सेठी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एम्पसिलियन एक प्रमुख एंटी बायोटिक्स औषधि है जिसकी व्यावहारिक रूप से देश में सर्वाधिक बिक्री है और उसे अभी भी आवश्यक और आम खपत की औषधि नहीं माना गया है;

(ख) क्या यह यह सच है कि बाजार में इसके मूल्य अत्यन्त अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस औषधि को आवश्यक और आम खपत की औषधि वर्गीकृत करने का है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं। एम्पिसिलिन एक प्रमुख एन्टीबायोटिक्स है। अन्य प्रमुख एन्टी बायोटिक्स टेट्रासाइक्लीन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन हैं। मात्रावार पेनिसिलिन का सबसे अधिक प्रयोग होता है उसके पश्चात स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है।

(ख) एम्पिसिलिन के मुख्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के अनुसरण में निर्धारित किए गए हैं।

(ग) एम्पिसिलिन पहले ही व्यापक प्रयोग वाले एन्टीबायोटिक्स में से एक है। तथापि इस समय इस औषध का मूल स्तर से निर्माण नहीं किया जाता। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के अधीन इसकी श्रेणी में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उत्तरी बंगाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करना

8533. **श्री पीयूस तिरकी : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार उत्तरी बंगाल के पांच जिलों के मामलों की सुनवाई करने के लिए उत्तरी बंगाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह न्यायपीठ कब तक स्थापित कर दी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं तो; उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है। इस विषय पर राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विचार किया जा सकता है।

डाक तथा तार विभाग के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों की पुनरीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश

8534. श्री भोगेन्द्र झा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग की तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों की पुनरीक्षा सुनिश्चित करने हेतु 15 जून, 1974 का कोई निर्देश है, यदि हां, तो उसके बारे में विशिष्ट ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पटना सर्किल के अंतर्गत कार्य कर रहे कर्मचारियों का 31.3.80 से इस प्रकार की पदोन्नति के अवसरों की कोई पुनरीक्षा नहीं की गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या बिहार के मधुबनी जिले के अन्तर्गत परजुआर के और पटना सर्किल के अन्तर्गत अन्य स्थानों पर कुछ विभागतर शाखा पोस्टमास्टरों को 15-5-73 से 15-8-80 तक वेतनों का भुगतान नहीं किया गया है; यदि हां, तो उसका विशिष्ट ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो उसके शीघ्र भुगतान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) (क) जी हां। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में एक पुनरीक्षा करनी पड़ती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के चयन पदक्रमाउच्च पदों की निर्धारित प्रतिशतता को 20 प्रतिशत तक बनाए रखा जा सके।

(ख) जी नहीं। बिहार सर्किल में वर्ष 1980-81 के दौरान तृतीय श्रेणी के पदों के संबंध में पुनरीक्षा की गई है जिसके परिणामस्वरूप समयमान लिपिकों के 30 अतिरिक्त पदों का निम्न चयन पदक्रम के संवर्ग में दर्जा बढ़ाया गया था। 1981-82 के दौरान भी पुनरीक्षा की गई लेकिन समयमान लिपिकों से निम्न चयन पदक्रम में दर्जा बढ़ाने का औचित्य नहीं पाया गया था।

(ग) पोस्टमास्टर जनरल, पटना को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली थी। तथापि, मधुबनी जिले सहित बिहार सर्किल के अन्तर्गत सभी यूनिटों से जानकारी एकत्र की जा रही है।

टेलीकाम और टेलीग्राफ पक्ष में राजपत्रित अधिकारियों का दिल्ली से स्थानान्तरण

8535. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीकाम और टेलीग्राफ पक्ष में गत तीन वर्षों के दौरान कितने राजपत्रित अधिकारियों का दिल्ली से वर्षवार स्थानान्तरण किया गया ;

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने सरकारी अधिकारियों का वर्ष-वार स्थानान्तरण किया गया;

(ग) डाक तथा तार विभाग में कितनी सेवा अवधि में सरकारी अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जाता है;

(घ) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी अधिकारियों के मामले में इसका पालन किया जाता है; और

(ङ) उन सरकारी अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें स्थानान्तरण आदेश दिए और अन्यथा कार्यमुक्त कर दिया गया तथा प्रत्येक मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी अधिकारियों की क्या स्थिति है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विभिन्न तेल कम्पनियों को एल० पी० जी० उत्पादन क्षमता

8536. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न तेल कम्पनियों के एल० पी० जी० संयंत्रों में वास्तव में कितनी एल० पी० जी० उत्पादन क्षमता उपलब्ध है और किसी भी निर्दिष्ट समय पर एल० पी० जी० के लिए देश की विभिन्न तेल कम्पनियों की कुल कितनी भण्डारण क्षमता उपलब्ध है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : प्रचलित सुविधाओं सहित प्रत्येक रिफाइनरी की एल०पी०जी० उत्पादन क्षमता प्रत्येक रिफाइनरी के उत्पादन अनुमानों में प्रदर्शित होती है और किसी विशेष रिफाइनरी में परिशोधित क्रूड की किस्म पर भी निर्भर करेगी । देश में देशी और आयातित क्रूड, जो इस समय परिशोधित किया जा रहा है, के साथ वर्ष 1982-83 के दौरान एल०पी०जी० का उत्पादन 5,66,000 मी. टन थी ।

रिफाइनरियों और बाटलिंग प्लांटों पर एल० पी० जी० भण्डारण क्षमता करीब 28,500 मी. टन है ।

विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण की जांच हेतु उच्च स्तरीय समिति

8537. **डा० ए० यू० आजमी** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के कार्य में लगे राज्य बिजली बोर्डों और केन्द्रीय संगठनों के कार्यकरण के पहलुओं की जांच करने हेतु कोई उच्च-स्तरीय समिति गठित की गई थी; और

यदि हाँ, तो उसकी मुख्य सिफारिशों के बारे में राज्यों के साथ हुए परामर्श के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है और उसके परिणाम स्वरूप क्या सुधार किए गए हैं ।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) (क) और (ख) लोक सभा में 22 मार्च, 1983 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3801 के बारे में पहले ही दिए गए उत्तर के पश्चात् इस संबंध में आगे कोई प्रगति नहीं हुई है ।

मैसर्स बाटा इण्डिया लिमिटेड

8538. **श्री दिगम्बरसिंह :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाटा इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता में वर्तमान विदेशी धारण-ईक्विटी और अन्य प्रकार की पूंजी की स्थिती क्या है ;

(ख) क्या इस कम्पनी को मुख्य कार्यालय की राशि में कोई कटौती की अनुमति है, यदि हां, तो गत 3 वर्षों के दौरान इस मद पर भारत से बाहर कितनी धनराशि भेजी गई है ;

(ग) क्या इस कम्पनी ने कुछ विदेशी तकनीशियनों को नियुक्त किया है, यदि हां, तो उनकी नियुक्ति की अवधि तथा वेतन और परिलब्धियां तथा दिनांक 1-4-83 तक जितना धन विदेश भेजे जाने की अनुमति दी गई है, उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या भारी प्रासंगिक खर्चों के कारण इस कम्पनी ने अपने द्वारा निर्मित जूतों के मूल्य बढ़ा दिए हैं, यदि हां, तो उन्हें कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 31-12-1982 को समाप्त अवधि के लिए मैसर्स बाटा इण्डिया लिमिटेड की वार्षिक विवरणी के अनुसार, कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 3,75,00,000 रु० थी। जिसमें से 1,50,00,000 रु० कुल प्रदत्त पूंजी का 40 प्रतिशत विदेशी कम्पनी अर्थात लीडर ए०जी० सेन्ट मोरिटज आफ स्विटजरलैंड द्वारा धारित था।

(ख) बाटा इण्डिया लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत भारतीय कम्पनी है। मुख्यालय के व्ययों की अनुमति देने और उसके परिणामस्वरूप इस लेखे के अन्तर्गत विदेश में धन भेजने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2क) के अन्तर्गत कम्पनी वार्षिक रिपोर्ट में, 3000 रु० और उससे अधिक मासिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों की सूची के अनुसार, उसको सम्मिलित करना आवश्यक है। 31-12-1982 को मैसर्स बाटा इण्डिया लिमिटेड के नियोजन में 4 विदेशी कार्मिक थे, जिनके ब्योरे नीचे दिये जाते हैं :—

नाम	परिलब्धियों को सम्मिलित करते हुए पारिश्रमिक (प्रति वर्ष)
1. श्री डी० एम० मर्चेन्ट	3,42,810 रु०
2. श्री टी० ए० कैम्पस	2,06,817 रु०
3. श्री पी० टी० कनापन	1,74,366 रु०
4. श्री जैड० कोटासक	2,09,809 रु०

विदेशी कार्यकारियों को मार्ग संदर्शिका और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार अपनी बचत को बाहर भेजने की अनुमति है।

(घ) इस विभाग और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा कम्पनी द्वारा जूते निर्मित किये जाने के मूल्यों की वृद्धि के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

नांगल उर्वरक संयंत्र हेतु अधिगृहीत की गई भूमि का दुरुपयोग

8539. श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1955-57 के आसपास नांगल उर्वरक कारखाने के लिए 3600 एकड़ भूमि अधिगृहण किया गया था और यदि हां, तो आज तक वस्तुतः कितनी भूमि का उपयोग किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि अनप्रयुक्त भूमि को, मूल किसानों को हानि पहुंचा कर जिनसे वह ली गई थी, गलत ढंग से सेवा निवृत कर्मचारी आवास समितियों आदि को दी जा रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री के आदेशों से फालतू भूमि उन किसानों को, जिनसे यह ली गई थी वापस लीज पर दी गई थी और क्या यह सच है कि उस भूमि को किसानों से वापस लिया जा रहा है ; और

(घ) क्या इसे तुरन्त रोकने और किसानों को परेशान किए जाने की जांच करने के आदेश देने का सरकार का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) नंगल उर्वरक संयंत्र के लिए 1957-58 में 3680 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था जिसमें से 1112 एकड़ भूमि मूल स्वामियों को वापिस कर दी गई थी और शेष 2578 एकड़ भूमि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एन०एफ०एल०) के पास है।

(ख) से (घ) 1966 में 544 एकड़ भूमि पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम के के अन्तर्गत जिलाधीश, होशियारपुर द्वारा ले ली गई थी और उसे विभिन्न ग्राम पंचायतों को पट्टे पर दिया गया था जो मूल रूप से इस भूमि के स्वामी थे। तथापि, 1973 में राज्य सरकार के ध्यान में आया कि यह भूमि उक्त अधिनियम की परिधि के अन्दर नहीं आती और इसलिए भूमि एन० एफ० एल० को लौटा दी गई थी। एन० एफ० एल० 40 एकड़ भूमि अपने कर्मचारियों के लिए सहकारी सामूहिक आवास समिति के लिए देने का विचार रखती है ताकि कम्पनी की विद्यमान आवास व्यवस्था पर दबाव में कमी हो सके।

माडर्न बेकरीज, दिल्ली में कार्य कर रहे कर्मचारियों की नियमित सेवा में व्यवधान

8540. श्री निहाल सिंह : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लारेंस रोड, दिल्ली-35 में स्थित माडर्न ब्रैंड फैक्ट्री में बड़ी संख्या में कर्मचारी 1980 से दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे हैं और उनके लगातार तीन महीने पूरे होने से पहले हर बार फैक्ट्री मैनेजर द्वारा वे एक या दो दिन के लिए हटा दिए जाते हैं जबकि ये सभी व्यक्ति रोजगार दफ्तर के माध्यम से रखे गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त फैक्ट्री में 1980 से अथवा इससे पहले से कितने व्यक्ति दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे हैं और उनको स्थायी बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, लारेंस रोड, दिल्ली में स्थित माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड के बेकरी यूनिट में 212 नियमित श्रमिक हैं। चूंकि यह यूनिट निरन्तर प्रक्रिया वाला उद्योग है, इसलिए इसमें सप्ताह के सभी सातों दिन तीन पारियों में दिन-रात कार्य होता है। जब कभी नियमित श्रमिक अपनी डयूटी से अनुपस्थित रहते हैं, तब उनके स्थान पर नैमित्तक श्रमिकों को नियोजित किया जाता है। इस प्रकार से नियोजित नैमित्तिक श्रमिकों को रोजगार कार्यालय से लिया जाता है, जहां उनके नाम दर्ज हैं। नैमित्तिक श्रमिकों के रोजगार की अवधि नियमित श्रमिकों की अनुपस्थिति की अवधि पर निर्भर करती है, जो अलग-अलग पारी, अलग-अलग दिन और अलग-अलग मौसम में भिन्न-भिन्न होती है।

(ख) इस समय नैमित्तिक श्रमिक 27 हैं जो 1980 या उससे पहले से दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे हैं। जैसे-जैसे नियमित रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, इन नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित पदों में खपाया जा रहा है।

भर्ती नियम बनाने के बारे में अनुदेश

8541. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पदों/सेवाओं के लिए भर्ती नियम बनाने अथवा उनमें संशोधन करने के बारे में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 22 मई, 1979 को जारी किए गए समेकित अनुदेश मिले हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनके मंत्रालय से सम्बद्ध "कैरियर मैनेजमेंट आफिसर" ने इन अनुदेशों के कार्यान्वयन के लिए अब तक कोई कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सिविल कंस्ट्रक्शन विंग द्वारा भर्ती नियमों के बारे में कोई "त्रैमासिक विवरणी" अब तक प्रस्तुत की गयी है ;

(घ) जूनियर एडिमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (1100-1600 रुपए से 1500-2000) रुपए तक में पदोन्नति हेतु संस्तुत अर्हकर सेवा अवधि क्या है ;

(ङ) क्या सिविल कंस्ट्रक्शन विंग में ऐसे विभागीय उम्मीदवार (एग्जीक्यूटिव इंजीनियर/आर्कीटेक्ट, उपलब्ध हैं जिन्होंने जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (सुपरिटेंडिंग इजीनियर/सीनियर आर्कीटेक्ट्स) में पदोन्नति हेतु सेवा अवधि पूरी कर ली है ?

(च) यदि हां, तो क्या उपरोक्त पदोन्नतियों हेतु इन उम्मीदवारों पर विचार किया जा रहा है ; और

(छ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) इन आदेशों जिनमें कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त शामिल हैं, को आकाशवाणी महानिदेशालय के सिविल निर्माण स्कन्ध सहित सभी सम्बन्धितों को परिचालित किया गया है।

(ग) तिमाही रिटर्नें आकाशवाणी महानिदेशालय सहित सभी माध्यम एककों से मंत्रालय में प्राप्त होती है। इन रिटर्नों को संकलित करके उसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजा जाता है। आकाशवाणी महानिदेशालय की रिटर्न में सिविल निर्माण स्कन्ध से सम्बधित सूचना भी शामिल होती है। सिविल निर्माण स्कन्ध द्वारा कोई तिमाही रिटर्न कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को सीधे नहीं भेजी जाती।

(घ) 1100-1600 रुपये के वेतनमान से 1500-2000 रुपये के वेतनमान में पदोन्नति के लिए सामान्यतया निर्धारित अर्हक सेवा की अवधि पांच वर्ष है।

(ङ) ऐसे दो अधिकारी है जिन्होंने 1100-1600 रुपये के वेतनमान में 5 वर्ष में की सेवा पूरी कर ली गई है।

(च) और (छ) सिविल निर्माण स्कन्ध के इंजीनियरी संवर्ग के पदों के लिए 1975 में अधिसूचित मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर/आर्चिटेक्ट (1100-1600 रु०) से अधीक इन्जीनियर (1500-2000 रु०) के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित अर्हक सेवा की अवधि 7 वर्ष है। इस प्रकार इन नियमों के अनुसार, पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए सिविल निर्माण स्कन्ध में कोई अधिकारी नहीं है।

एक्रिलिक रेशे की मांग

8542. **श्री फूल चन्द वर्मा :**
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने एक्रिलिक रेशे की 50000 मी० टन की प्रति वर्ष की मांग का अनुमान लगाया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उद्योग मंत्रालय ने प्रति वर्ष की इस मांग को बढ़ा कर 100,000 मी० टन करने का प्रस्ताव किया था ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने यह मामला उद्योग मंत्रालय को भेजा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री मार्गो शंकर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) मांग अनुमानों का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक होता है अन्य विभागों से भी परामर्श लिया जाता है।

शराब कारखानों की उत्पादन क्षमता

8543. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शराब के कितने कारखाने कार्य कर रहे हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) प्रत्येक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या ये कारखाने अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

(ङ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) और (ख) उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार देश में 143 आसवनियों हैं। उनके स्थान और आसवन क्षमता अनुबन्ध में दर्शाए गए हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी – 6481-83]

(ग) जी, हां ।

(घ) आसवान क्षमता के कम उपयोग के निम्नलिखित कारण हैं :—

1. कुछ राज्य सरकारों द्वारा अल्कोहल पर विभिन्न उच्चतर शुल्क और उप-कर लगाना,
2. अधिकता वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों द्वारा आवंटित की गई शीरे की मात्रा की तुलना में अपर्याप्त उठान,
3. विद्युत कोयले आदि की कमी के कारण आसवनियों का अपर्याप्त अनुरक्षण,
4. निधियों के अभाव के कारण, जो कम उत्पादन के कारण सर्जित नहीं की जा सकी आसवनियों में आधुनिकीकरण न किया जाना ।

(ङ) और (च) सरकार औद्योगिक अल्कोहल पर उपकरों में कटौती करने और उन्हें जलान समिति की सिफारिशों के अनुरूप सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकारों पर निरन्तर जोर देती रही है ।

इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने अल्कोहल पर शुल्कों और उपकरों में कुछ कटौती की है । तथापि उद्योग द्वारा इनको पर्याप्त नहीं समझा गया है ।

भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा उपयोगकर्त्ता उद्योगों के बीच सतत पारस्परिक क्रिया के माध्यम से सहयोगात्मक दृष्टिकोण तैयार करने की दृष्टि से सरकार ने हाल ही में तीन कार्यकारी दल गठित किए हैं, (I) उपकरों सम्बन्धी कार्यकारी दल, (II) शीरा के भण्डारण सम्बन्धी कार्यकारी दल, और (III) क्षमता उपयोगिता संबंधी कार्यकारी दल । इन कार्यदलों ने बैठकें की हैं और समस्याओं की जांच कर रहे हैं ।

सरकार ने 100 लाख लिटर अल्कोहल के निर्यात की भी अनुमति दी है जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान अल्कोहल वर्ष 1982-83 (दिसम्बर-नवम्बर) के दौरान आसवान क्षमता का अच्छा उपयोग होने की आशा है ।

कोयला खदान भविष्य निधि के क्षेत्रीय कार्यालयों की कार्य क्षमता बढ़ाना

8544. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खदान भविष्य निधि के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रवार अंशदाताओं की संख्या कितनी है ; और क्षेत्रवार अधिकारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इससे वहां कर्मचारियों की कम संख्या और उनके कार्यालय में कम सामान होना विदित होता हैं ; और

(ग) क्या उपर्युक्त की दृष्टि से सरकार विभाग की कार्य-क्षमता बढ़ाने में उदार दृष्टि-कोण अपनाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) कोयला खान भविष्य निधि संगठन के 22 क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिदाताओं की क्षेत्रवार कुल संख्या तथा अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है :—

क्रम संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	कुल संख्या	
		अभिदाता	अधिकारी
	1	2	3
1.	आसनसोल-1	46,681	3
2.	आसनसोल-2	57,433	3
3.	आसनसोल-3	44,651	3
4.	आसनसोल-4	37,419	3
5.	धनबाद-1	58,862	3
6.	धनबाद-2	61,139	3
7.	धनबाद-3	68,084	3
8.	रांची-1	13,916	3
9.	रांची-2	61,446	3
10.	रांची-3	37,649	3
11.	कलकत्ता	432	1
12.	मारघेरिटा	4,409	2
13.	जबलपुर	53,067	3
14.	छिंदवाड़ा	31,329	3
15.	बिलासपुर	17,901	3
16.	सिंगरौली	5,134	1
17.	हैदराबाद	53,445	3
18.	कोथागुदम	20,170	3
19.	नागपुर	40,446	3
20.	भुवनेश्वर	6,250	2
21.	जम्मू	1,784	1+1 अंशकारी अधिकारी
22.	दोधर	3,716	1

(क) और (ग) कोयला खान भविष्य निधि संगठन पहले 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ काम कर रहा था और वर्ष 1981 में 14 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय मंजूर किए गए थे। नए क्षेत्रीय कार्यालयों में कितने आवश्यक हैं उतने अतिरिक्त पद बनाए गए हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों में अनेक पद रिक्त पड़े हैं और इन पदों की भर्ती के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इन क्षेत्रीय कार्यालयों में स्टाफ की कमी है किंतु इस बीच नए खुले क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यारम्भ के लिए उपलब्ध वर्तमान स्टाफ से ही समायोजन किया गया है। विभिन्न ग्रेडों में रिक्तियां भरी जाते ही यह कमी दूर हो जाएगी। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के संचालन के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं और अतिरिक्त जरूरतें भी समय-समय पर पूरी की जा रही है।

सिक्कम में उत्पादन शुल्क की छूट समाप्त किए जाने के कारण उद्योगों के बंद होने का खतरा

8545. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन-शुल्क से छूट समाप्त किए जाने के कारण प्रसाधन सामग्री तथा भेषज उद्योग सहित अनेक उद्योग सिक्कम से हटने के लिए विवश हो गये हैं तथा इससे बहुत से लोगों के बेरोजगार हो जाने की आशंका है, और

(ख) इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) : सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून हाल ही में 1 फरवरी, 1983 से सिक्किम राज्य पर लागू किया है। पहले निर्मित वस्तुओं पर शुल्क सम्बन्धी किन्हीं दायित्वों के बिना कुछ निर्माताओं को सिक्किम में उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। यह सम्भव है कि अब उस राज्य पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून लागू किए जाने के परिणामस्वरूप कुछ प्रसाधन अथवा भेषज एककों पर प्रभाव पड़ा हो। प्रभावित एककों के नाम और संख्या सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

पन बिजली क्षमता का कम उपयोग और इसे बढ़ाने के प्रयास।

8546. **श्री जगपाल सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में लगभग 89 प्रतिशत पन-बिजली क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है और इसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटों में से दस घंटे भी विद्युत सप्लाई नहीं की जा सकी है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माणाधीन पन बिजली इकाइयों के नाम क्या हैं और जिनके विकास के लिए सरकार का विचार आगामी योजना में पन-बिजली की क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देने का है तथा उनमें से प्रत्येक पर अनुमानतः कितना-कितना व्यय होगा और उसका पुरा विवरण क्या है; और

(ग) सरकार 60 प्रतिशत पन-बिजली क्षमता का उपयोग कब तक करने लगेगी और इसके लिए क्या-क्या कार्यक्रम अपनाये जा रहे हैं और उनका सम्पूर्ण विवरण क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) (क) 60% भार अनुपात पर 75 मिलियन किलोवाट की अनन्तिम रूप से अनुमानित जल विद्युत क्षमता में से लगभग 11.3% क्षमता का अब तक विकास किया गया है तथा 7.8% क्षमता का विकास क्रियान्वित की जा रही स्कीमों के पूरा हो जाने पर किया जाएगा।

(ख) देश में निर्माणाधीन जल विद्युत स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.—6482/83]

(ग) जल विद्युत विकास को बहुत महत्व मिला है। तदनुसार 5567 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाली 43 जल विद्युत स्कीमों से छठी योजना अवधि के दौरान 4768 मेगा-वाट की अतिरिक्त जल-विद्युत क्षमता की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त 7598 मेगा-वाट की कुल उत्पादन क्षमता वाली जल-विद्युत स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं। योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जा रहीं हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में अब 3700 मेगावाट की कुल प्रति-ष्ठापित उत्पादन क्षमता वाली जल-विद्युत स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है। इसके अतिरिक्त कई जल-विद्युत स्कीमें राज्य/केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा अन्वेषण/तैयार किए जाने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

चेम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड

8547. श्री के० लकप्पा : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड, नई दिल्ली के कुछ निदेशकों की ओर क्लब के अन्तर्नियमों के अधीन निर्धारित 300 रुपये की ऋण सीमा के उल्लंघन में क्लब की बहुत बड़ी धनराशि देय है और यह तथ्य कम्पनी कानून प्राधिकारियों के रिकार्ड में हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी बकाया राशियों का पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम्पनी कानून प्राधिकारियों ने ऐसे निदेशकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या ऐसे निदेशक क्लब के निदेशकों के रूप में कार्य करना जारी रखे हुए हैं?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (गुलाम नबी आजाद) : (क) तथा (ख) : विभाग के पास उपलब्ध निरीक्षण रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि 31.12.1980 तक कम्पनी के केवल दो निदेशकों ने 317.60 रू० तथा 390.15 रु० (अर्थात् 300 रु० की ऋण सीमा से अधिक) कम्पनी से ऋण लिया।

(ग) तथा (घ) : उपरोक्त मामले पर, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करणीय नहीं है।

(ङ) हां, श्रीमान् जी।

अमरीकी औषध फर्मों से मुआवजे की मांग

8548. श्री एम० एम० लारेंस : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अमरीका की कुछ औषध निर्माता कम्पनियों से टेट्रासाइक्लीन आदि जैसी कुछ एन्टीबायोटिक्स औषधियों के मूल्य बढ़ाने के लिए मुआवजे की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो वे कम्पनियां कौन-कौन सी हैं और उसका क्या परिणाम निकला ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) ब्रान्ड स्पेकट्रम एन्टी-बायोटिक्स की बिक्री में एन्टी ट्रस्ट कानून के उल्लंघन के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित फर्मों से क्षति का दावा करने के लिए अमरीकी न्यायालय में शिकायत दायर की थी।

1. फाइजर इन्क०
2. अमरीकन मिनामिड कम्पनी
3. ब्रिस्टल मीयर्स कम्पनी
4. इ० आर० स्किब एण्ड संज इन्क०
5. दि अपजान कम्पनी
6. स्किब, इन्क०
7. आलिन कार्पोरेशन

न्यायालय से बाहर एक सामझौता हुआ है और सरकार ने 0.8 मिलियन अमरीकी डालर मुआवजे के रूप में वसूल किया।

दिल्ली में डाक तथा तार विभाग में कर्मचारी

8549. श्री बापू राव परांजपे :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) दिल्ली में डाक तथा तार विभाग में कितने कर्मचारी हैं;

(एक) उनमें से कितने दैनिक मंजूरी पर हैं;

(दो) कितने कर्मचारियों की सेवा अभी स्थायी ही है;

(ख) उनकी स्थायीकरण संबंधी नीति क्या है; और

(ग) डाक तथा तार विभाग के कितने कर्मचारियों को गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में स्थायी बनाया गया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) (क) और (ग) के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) इस सम्बन्ध में डाकतार विभाग में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सामान्य नीति का पालन किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम द्वारा बनाये जा रहे विद्युत केन्द्र

४550. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के नियंत्रण के अधीन इस समय निर्माणाधीन विद्युत केन्द्रों का ब्योरा क्या हैं;

(ख) ऐसे विद्युत से विद्युत के वितरण के लिये किये गए प्रयासों का ब्योरा क्या है, और

(ग) क्या राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के माध्यम से या राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से इसकी व्यवस्था की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन० टी० पी० सी०) द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे सुपर ताप विद्युत केन्द्रों (एस० टी० पी० एस०) के ब्योरे विवरण में दिए गए हैं। सिंगरौली सुपरताप विद्युत केन्द्र की 200-200 मेगावाट की पहली दो यूनिटें चालू की जा चुकी हैं। सिंगरौली सुपरताप विद्युत केन्द्र की 200 मेगावाट की तीसरी यूनिट और कोरबा सुपर ताप विद्युत की 200 मेगावाट की पहली यूनिट को समकालित किया जा चुका है ।

(ख) और (ग) : सिंगरोली, कोरबा, रामागुन्डम और फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्रों से उत्पादित विद्युत को इन विद्युत केन्द्रों पर लागू आबंटन की पद्धति के अनुसार लाभान्वित राज्यों के प्रत्येक क्षेत्र के बीच आबंटित किया गया है। 15% अनाबंटित विद्युत को केन्द्र अपने पास रखता है ताकि समय-समय पर अलग-अलग राज्यों की अप्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा कर सके। संबंधित राज्य अपने क्षेत्रों उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के बीच विद्युत का वितरण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। विन्ध्याचल चरण-1 और रिहन्द चरण-1 की विद्युत के आबंटन के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया हैं।

विवरण

सुपर ताप विद्युत परियोजना

परियोजना का नाम	क्षमता (मेग०)	स्थल	अनुमोदित लागत (सम्बद्ध पारेषण लाइनों समेत) करोड़ रुपये में	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5
सिंगरौली	2000	जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)	1001.17	1987-88
कोरबा	2100	जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश)	1138.44	1989-90

1	2	3	4	5
रामागुंडम	2100	जिला करीमनगर (आन्ध्र प्रदेश)	1125.26	1989-90
फरक्का चरण-1	600	जिला मुर्शीदाबाद (पश्चिम बंगाल)	320.80	1986-87
विन्ध्याचल चरण-1	1260	जिला सिधी (मध्य प्रदेश)	1110.42	1989-90
रिहन्द चरण-1	1000	जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)	1033.00*	1988-89

*सम्बद्ध पारेषण तार-जाल सम्बन्धी कार्य को छोड़कर।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौराढ़ जिलों में खोले गए शाखा डाकघर और उप डाकघर

8551. **श्री हरीश रावत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में वर्ष 1980-81, 1982 और 1983 में अब तक कितने शाखा डाकघर, उप डाकघर और अतिरिक्त डाकघर स्थान-वार और तारीख-वार स्वीकृत किए गए हैं ?

(ख) क्या ये डाकघर उन समस्त स्थानों में खोल दिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जानकारी विवरण में दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) हालांकि अल्मोड़ा जिले में 9 डाकघरों तथा पिथौरागढ़ जिले में 12 डाकघरों की मंजूरी दे दी गई है परन्तु वे अभी खोले नहीं जा सके हैं। ग्रामीण डाकघरों की संख्या सम्बन्धित वार्षिक योजना के लिए आबंटन/लक्ष्य तक ही सीमित होती है। इसके कारण कुछ मंजूर शुदा प्रस्तावों को उससे अगले वर्ष (वर्षों) में पुन: विचार करने के लिए स्थगित कर दिया जाता है।

विवरण

1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान मंजूर किए गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों के नाम

क्रम सं०	मंजूर किए गए शाखा डाकघरों के स्थान	मंजूरी की तारीख तारीख
(क)	अल्मोड़ा जिला	
1.	बदियार	13.8.81
2.	बालेश्वर	20.8.80
3.	भाबू	20.8.80

1	2	3
4.	भयारी	20.8.80
5.	वीरकेला	"
6.	दल	"
7.	ड्यूला	"
8.	मौलारा	"
9.	धुरा	"
10.	गदेरा	"
11.	दासी	"
12.	धुगतीकेलानी	"
13.	गुलेर	"
14.	हरकोट	"
15.	जाख	"
16.	झुनी	"
17.	कफलानी	"
18.	कासेरमन्या	"
19.	किरादा	"
20.	नेला	18.9.81
21.	नाली	20.8.80
22.	सोरन्ग	3.8.81
23.	सन्स्यारी	20.8.80
24.	तोलियूम	"
25.	त्यूकलाना	"
26.	उजरारा	17.8.81
(ख)	पिथौरागढ़ जिला	
1.	बागजीवाला	22.8.80
2.	बाजानी	"
3	बांकू	"
4.	बारेत	"
5.	भंडारीगांव	"
6.	बड़ागांव	"
7.	बूंदी	"
8.	चंकाना	"
9.	दौर	"
10	डुंगीगांव	"
11.	डुंगरा	"

1	2	3
12	गागेर	10.9.80
13,	झालनदियो	25.9.81
14.	जनकांडेय	22.8.80
15.	कंडराचीवा	"
16	कोटेश्वर	"
17.	कोटाजमारी	"
18	लछिमा	"
19.	लाती	"
20	मदालकियाड़	"
21.	मेलडुंगरी	"
22.	मऊ	"
23.	पाम्बियारी	"
24.	पथरौली	"
25.	सिलिगियाटोली	"
26.	सिलोनी	"
27	सिमालखेत	"
28.	थार्प	"
29.	अपरारा	"

इस अवधि के दौरान उक्त दो जिलों में कोई भी उप डाकघर/अतिरिक्त उप डाकघर मंजूर नहीं किया गया हालांकि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में चार-चार शाखा डाकघरों का दर्जा अतिरिक्त विभागीय या विभागीय उपडाकघर स्तर का बनाया गया।

एक लेखा-परीक्षक की मृत्यु

8552. **श्री सुधीर गिरि :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस लेखा-परीक्षक की मृत्यु के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है जिसे हाल ही में कोयला लेखों की लेखा-परीक्षा करने के लिए कलकत्ता से धनबाद भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) धनबाद में कोयला कार्यालयों में लेखों के रख-रखाव के सम्बन्ध में व्याप्त कथित भ्रष्ट प्रक्रियाओं के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) से (ग) : इस मामले की जांच का काम केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

फिल्मों के अध्ययन के लिये एशियाई क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना

8553. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्मों के अध्ययन के लिए एशियाई क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना के लिए पुणे स्थित भारतीय फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान की क्षमता के बारे में किसी आस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता की रिपोर्ट "यूनेस्को" को प्रस्तुत की गई है ;

(ख) क्या "यूनेस्को" ने उक्त परियोजना स्वीकृत कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सरकार यूनेस्को से वित्तीय सहायता की मांग करके भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में अपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस संदर्भ में यूनेस्को द्वारा आस्ट्रेलिया के फिल्म निर्माता भी स्टेवर्ट फिस्ट को सलाहकार के रूप में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधिओं का मूल्यांकन करने के लिए फरवरी, 1982 में उक्त संस्थान का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था।

(ख) और (ग) श्री फिस्ट की रिपोर्ट को ध्यान में हुए विस्तृत परियोजन रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है और वित्तीय सहायता की मांग करने के लिए उसे यूनेस्को को भेजा जाना है।

औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप उड़ीसा में विद्युत की कमी

8554. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा को गत चार वर्षों से विद्युत की कमी का सामना करना पड़ रहा है तथा हाल ही के औद्योगीकरण उसे आने वाले वर्षों में भी विद्युत-संकट का सामना करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण करने से पूर्व उड़ीसा सरकार ने कोई ठोस अल्पावधि या दीर्घविधि योजना प्रस्तुत की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ताकि समूची जनता को विद्युत सम्बन्धी उचित आधारभूत संचरना के बिना अंधाधुन्ध औद्योगीकरण के कारण कष्ट न उठाना पड़े ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) उड़ीसा विभिन्न मात्राओं में विद्युत की कमी का सामना करता रहा है। पर्याप्त मात्रा में मानसून आ जाने के पश्चात् जब जलविद्युत का उत्पादन सामान्य हो जाएगा, स्थिति सुधर सकती है। वर्तमान कमी

का कारण पिछले दो वर्ष के दौरान बलिमेला और हीराकुड परियोजनाओं के जल-ग्रहण क्षेत्र में मानसून कम होने के कारण जल-विद्युत की असन्तोषजनक उपलब्धता, तलचेर ताप विद्युत केन्द्र का असन्तोषजनक कार्य-निष्पादन तथा मचकुंड जल-विद्युत परियोजना सहित आंध्रप्रदेश से प्राप्त होने वाली सहायता में कमी हैं।

उड़ीसा सरकार ने बड़े पैमाने पर एक औद्योगिक योजना आरम्भ करने के बारे में ऊर्जा मंत्रालय को सूचित नहीं किया जा सकता है। तथापि, उपलब्धता के आधार पर औद्योगिक मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। विद्युत उपलब्धता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(1) आधुनिकीकरण करके तलचेर ताप विद्युत केन्द्र से अधिकतम उत्पादन करना।

(2) हाल ही में मार्च, 1983 में तलचेर ताप विद्युत केन्द्र में 110 मेगावाट का एक अतिरिक्त यूनिट चालू किया गया है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की ऋण देने की नीति का पुनर्विलोकन

8555. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से कहा है कि वह अपनी ऋण देने की नीति का पुनर्विलोकन करे और राशियां वसूल करने में सुधार करने के तरीकों का पता लगाये;

(ख) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबन्धक के अनुसार गत बाईस वर्षों में 1.25 करोड़ रुपये तक ऋणों को बट्टे खाते में डाला जा चुका है ;

(ग) इस समय 1.07 करोड़ रुपये तक की राशि बकाया थी ; और

(घ) केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की किस सीमा तक मदद की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 31-3-1982 के दिन की स्थिति के अनुसार, बट्टे खाते में डाली गई ऋण की कुल राशि 125.37 लाख रु० थी और बकाया राशि 108.69 लाख रु० है।

(घ) सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को कोरी फिल्मों के आयात तथा भारतीय फिल्मों के निर्यात तथा विदेशी फिल्मों के आयात का कैनेलाइजेशन/औद्योगिक किस्म की परियोजनाओं (बी० सी० आर० यूनिट, उप शीर्षक यूनिट और 16 मिली मीटर अवस्थापना यूनिट), सिनेमाघरों के निर्माण के लिए एम० पी० ई० ए० ए० के कोषों से ब्याज मुक्त ऋण, इत्यादि जैसे राजस्व प्राप्त करने वाले कार्यों को सौंप कर उसकी फिल्म वित्त-पोषण गतिविधियों में सहायता की है।

बीमा पत्री, पार्सलों आदि के गुम हो जाने के कारण धनराशि की वापसी

8556. **श्री जार्ज फर्नांडीस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग द्वारा बीमा-पत्रों, पार्सलों आदि के गुम हो जाने के कारण लोगों को धनराशि वापस करने में सामान्यतया कितना समय लिया जाता है ;

(ख) क्या ऐसे भी मामले हुए हैं जब एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये ऐसी धनराशि वापस नहीं की गई है;

(ग) क्या बम्बई के कोलाबा डाकघर से सम्बन्धित ऐसा कोई मामला उनके ध्यान में लाया गया है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) बीमापत्रों, पार्सलों आदि के गुम हो जाने के मामलों पर क्षतिपूर्ति की अदायगी यथाशीघ्र करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

(ख) जी हां। क्षतिपूर्ति की अदायगी में कभी-कभी एक वर्ष से भी अधिक लग जाता है क्योंकि जांच और दावे सिद्ध होने में समय लगता है।

(ग) और (घ) जी हां, इस प्रकार का एक मामला जांच पूरी न होने की वजह से लंबित पड़ा है। ऐसी संभावना है कि इस सम्बन्ध में भी शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।

आकाशवाणी के गुलबर्गा केन्द्र की क्षमता बढ़ाना

8557. **श्री नरसिंह सूर्यवन्शी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के गुलबर्गा केन्द्र की किलोवाटों में क्षमता कितनी है और गुलबर्गा रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रमों की किलोमीटरों में रेंज कितनी है ;

(ख) क्या गुलबर्गा रेडियो स्टेशन की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) गुलबर्गा रेडियो स्टेशन में कितने आदमी काम कर रहे हैं और कितने पद रिक्त हैं ; और

(घ) ये रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आकाशवाणी, गुलबर्गा 10 किलोवाट मीडियम वेव के एक ट्रांसमीटर से सुसज्जित हैं तथा इसकी दिवाकालीन प्राथमिक ग्रेड की परिधि चारों ओर लगभग 100 किलोमीटर है।

(ख) जबकि आकाशवाणी, गुलबर्गा के ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, छठी योजना अवधि के दौरान गुलबर्गा में स्थायी स्टूडियों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(ग) भरे हुए पदों की संख्या-48
रिक्त पदों की संख्या-22

(घ) खाली पड़े 22 पदों में से 10 पदों की आवश्यकता केवल तभी होगी जब स्थायी स्टूडियों चालू हो जाएंगे। शेष पदों को भरने की कार्यवाई अर्थात् विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें करना, रोजगार कार्यालय से उम्मीदवारों को प्राप्त करना, पहले ही शुरू हो चुकी है तथा रिक्तियों के शीघ्र भरे जाने की संभावना है।

गांधी फिल्म को भारतीय भाषाओं में डब करना

8558. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिचर्ड एटनबरो द्वारा बनाई गई फिल्म 'गांधी" भारत में बहुत लोकप्रिय हो गई है और सब जगह बड़ी संख्या में लोग इसे देख रहे हैं ;

(ख) क्या इस फिल्म को सभी क्षेत्रीय भाषाओं में "डब" करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस फिल्म को हिन्दी में पहले ही डब किया जा चुका है। इस फिल्म को प्रादेशिक भाषाओं में डब करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

चेम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड

8559. **श्री गुलशेर अहमद :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1973 से 1978 के दौरान क्लब में एयर इण्डिया की प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने के लिए एयर इण्डिया के साथ करार किया था जिसके बदले में एयर इण्डिया ने प्रत्येक वर्ष क्लब को दिल्ली-लन्दन-दिल्ली के लिये एक वापसी टिकट दिया जिसके मूल्य का हिसाब क्लब के खाते में नहीं लगाया गया था और टिकट का दुर्विनियोजन किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा दुर्विनियोजन का प्राधिकृत करने वाले निदेशकों तथा उससे वास्तविक रूप से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का ब्योरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) (क) यह सत्य है कि चेम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड, नई दिल्ली ने एअर इण्डिया की प्रचार सामग्री अपने यहां प्रदर्शित करने के लिये 1973 से 1978 तक के वर्षों में एअर इन्डिया के साथ करार किया था, तथा यह भी सत्य है कि इस प्रकार के प्रदर्शन के रूप में इस अवधि के दौरान एअर इन्डिया द्वारा, दिल्ली-लन्दन-दिल्ली के दो एअर टिकट प्रेषित किये गये थे। वास्तव में ये दोनों टिकट करार के यथा अनुसार इनके प्रयोग के लिये पात्र व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाये गये थे। तथापि, जबकि करार के अन्तर्गत दोनों टिकट बिना किसी लागत के मुफ्त इस्तेमाल किये जा सकते थे, तब भी क्लब ने केवल एक मामले में मुफ्त प्रयोग की अनुमति दी थी, एवं दूसरे मामले में लागत का

50 प्रतिशत वसूल कर लिया। यह वसूली सम्भवतः कम्पनी के खाते में लाई गई थी। क्लब के लिये टिकटों के मुफ्त प्रयोग की अपेक्षा-युक्त, करार की शर्तों के लिये, क्लब के विरुद्ध एअर इन्डिया का यदि कोई प्रतिकार हो तो इससे क्लब अथवा इसके किसी अधिकारी द्वारा इस प्रकार से विधियों के दुर्विनियोजन का अनुमान लगाना, प्रतीत नहीं होता।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर की दृष्टि से उत्पन्न नहीं होता।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठानों का दौरा न किया जाना

8560. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उपक्षेत्रीय कार्यालय में उपायुक्त, सहायक आयुक्त और प्रभारी अधिकारी अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का दौरा नहीं करते है। और अपने कार्यालयों ही में बैठे रहते है तथा दैनिक और प्रक्रियात्मक कार्यों को ही देखते है ;

(ख) क्या इन अधिकारियों का यह दायित्व नहीं है कि वे भविष्य निधि की बकाया राशि वसूल करने, वैयक्तिक रूप से जाकर स्थानीय प्रतिष्ठानों से भविष्य निधि की अदायगी संबन्धी नियमों का पालन करायें, उनसे विवरणियां लें वहाँ का दौरा करें और प्रतिष्ठानों को उनका दायित्व याद दिलायें ताकि गरीब श्रमिकों के हितों को नुकसान न पहुंचे ; और

(ग) क्या उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर सरकार का विचार उपायुक्तों तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्य कर्मचारियों को स्पष्ट निदेश जारी करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) और (ख) : कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 13 के अन्तर्गत, भविष्य निधि निरीक्षकों के अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों को निरीक्षक के रूप से नियुक्त किया गया है और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करें उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों के पास इस प्रकार के अधिकार नहीं है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस उद्देश्य के लिए भविष्य निधि निरीक्षकों की सेवाओं का उपयोग करें,

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोपिली पन बिजली परियोजना

8561. **श्री चित्त बसु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में कोपिली पन बिजली परियोजना के कार्य में निर्धारित समय के अनुसार प्रगति हो रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) विलम्ब के कारण लागत में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है।

(घ) क्या कोपिली बिजली घर के प्रषेण तन्त्र का निर्माण कार्य शुरू हो गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) (क) से (ग) : असम और मेघालय के बार्डर क्षेत्रों पर स्थित कोपिली जल-विद्युत परियोजनाओं को 1974 में 56.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया गया था। बाद में परियोजना को जून, 1976 में गठित किए गए उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम को हस्तांतरित कर दिया गया था तथा खानडोंग विद्युत केन्द्र की पहली यूनिट को तथा कोपिली विद्युत केन्द्र की पहली यूनिट को चालू करने का निर्धारित लक्ष्य क्रमशः मार्च, 1981 और जून, 1981 था। असम में अशान्ति के कारण इस परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ है। तथापि, कार्य की वर्तमान स्थिति के अनुसार खानडोंग बिजलीघर की पहली यूनिट सितम्बर, 1983 तक चालू किए जाने की सम्भावना है बशर्ते कि कार्य की प्रगति में और बाधा न आय।

कोपिली परियोजना के लागत अनुमानों को 1982 में संशोधित करके 149.02 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अनुमानों में वृद्धि के कारण हैं-1974 से लागत में बढ़ोतरी, अभिकल्प में मामूली संशोधन तथा सामग्री की मात्राओं में वृद्धि।

(घ) और (ङ) : कोपिली जल विद्युत परियोजना से विद्युत ले जाने के लिए स्वीकृत की गई दो पारेषण लाइनें, नामशः (1) कोपिली समागुड़ी 220 के० वी० डबल सर्किट लाइन और (2) कोपिली खेहरियाट 132 के०वी० सिंगल सर्किट लाइन पहले ही पूरी की जा चुकी है। इसके पश्चात् कोपिली परियोजना से उत्तर-पूर्वी राज्यों को विद्युत का हिस्सा सप्लाई करने के लिए अरिरिक्त पारेषण लाइन फरवरी, 1980 में स्वीकृत की गयी थी और इस परियोजना पर कार्य चल रहा है।

न्यायालयों में किराएदारी और विवाह-विषयक मामलों को निपटाने में अत्यधिक विलम्ब

8562. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि किराएदारी और विवाह-विषयक मामलों में न्याय प्राप्त करने में होने वाले अत्यधिक बिलम्ब से जनसाधारण में नेराश्य और संतोष व्याप्त है:

(ख) सरकार न्यायालयों में ऐसे लम्बित मामलों को निपटाने के लिए कोन से विशेष उपाय करने का विचार कर रही है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) : सरकार को न्यायालयों में मामलों के निपटारे में विलम्ब होने की जानकारी है।

अधीनस्थ न्यायालयों में न्याय के प्रशासन का सम्बन्ध मुख्य रूप से राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से है।

विचारण न्यायालयों में बिलम्ब और बकाया मामलों के बारे में विधि आयोग की 77 वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ विवाह-विषयक मामलों और बेदखली के मामलों के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता पर जोर दिया गया और सिफारिशें राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को भेज दी गयी हैं। पर्याप्त संख्या में न्यायिक अधिकारी रखे जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।

विवाह-विषयक मामलों के शीघ्र निपटारे का विशेष उपबन्ध करने के लिए, विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन किया गया है।

भारत में गैस एजेंसियों की संख्या

8563. **श्री अजय विश्वास :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में खाना पकाने की गैस की कुल कितनी एजेंसियाँ हैं और गैस एजेंसियों में उपभोक्ताओं ने जमाराशि के रूप में कुल कितनी धनराशि जमा की हुई है ; और

(ख) क्या यह राशि वापस लेते समय उपभोक्ताओं को कोई ब्याज दिया जाता है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) देश में 31. 12. 1982 को खाना पकाने की गैस की एजेंसियों की कुल संख्या 1571 है। जमा राशियां तेल कम्पनियों की ओर से वितरकों द्वारा एकत्र की जाती हैं और उनके द्वारा अपने पास रखी नहीं जाती है। तेल कम्पनियों के पास रखी हुई जमा राशि सम्बन्धी सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ख) जी, नहीं।

उच्च प्रौद्योगिकी से बनने वाले औषध

8564. **श्री तारिक अनवर :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च प्रौद्योगिकी से बनने वाले औषधों के रूप से मान्यता प्राप्त कितनी औषधियों में औषधों के लागत बीमा भाड़ा (सी० आई० एफ०) मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक आयात तत्व अंतर्ग्रस्त हैं ;

(ख) ऐसे औषधों को उच्च प्रौद्योगिक से बनने वाली औषधों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किन प्रमुख बातों पर विचार किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि इन औषधों के उत्पादन के लिए अपेक्षित मध्यवर्तियों का आयात को विदेशी कम्पनियों द्वारा अपनी प्रमुख कम्पनियों से किया जाता है, जिसमें अन्तरण लागत अन्तर्ग्रस्त होती है; और

(घ) उच्च प्रौद्योगिकी वाले उन औषधों के नाम क्या हैं जिनका उत्पादन भारतीय सरकारी तथा लघु क्षेत्र में किया जाता है और पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार विदेशी तथा अन्य क्षेत्रों में पृथक-पृथक उनका कितना उत्पादन हुआ है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) (क) और (ग) :—इसकी जांच की जा रही है ।

(ख) विदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित बल्क औषधों को उच्च प्रौद्योगिकी निहित के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति द्वारा अपनाये गए प्रमुख मानदण्ड अनुबन्ध-1 में दर्शाए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—6483/83] यह देखा जाएगा कि प्रौद्योगिकी की प्रकृति के वर्गीकरण के लिए अपनाये जाने वाले कारणों में सम्बद्ध बल्क औषधों में आयात अंश एक कारण नहीं था ।

(घ) वर्ष 1979-80 से 1981-82 तक के लिए सम्बद्ध सूचना उपलब्ध की सीमा तक अनुबन्ध-11 में दर्शाई गई है ।

ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी—6483/83

दीवालिया होने वाली कम्पनियां

8565. श्री भीखू राम जैन : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि 1982 में 3700 कम्पनियां दीवालिया हो गई जिनमें 965 पश्चिम बंगाल की, 690 महाराष्ट्र की, 500 तमिलनाडु की और 300 दिल्ली की कम्पनियां शामिल हैं, यदि हाँ तो इतनी अधिक कम्पनियों के दिवालिया होने या अपना कारोबार बन्द करने के क्या कारण हैं;

(ख) किसी कम्पनी के दीवालिया हो जाने के बाद क्या होता है;

(ग) परिसमापक नियुक्त करने के बाद कम्पनी को अपना कार्य पूरी तरह समेटने में कितना समय लगता है; और

(घ) लोक हितों (शेयरधारकों और ऋणदाताओं) की सुरक्षा किस प्रकार की जाती है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) (क) दिसम्बर, 1982 के अन्त तक कुल 3691 की संख्या में कम्पनियां परिसमापन में थी, जिनमें 982 पश्चिम बंगाल में, 700 महाराष्ट्र में, 514 तमिलनाडु में, तथा 324 दिल्ली में सम्मिलित हैं ।

एक कम्पनी विभिन्न कारणों से एच्छिक परिसमापन अथवा न्यायालय परिसमापन में जा सकती है । एच्छिक परिसमापन तब होता है जबकि कम्पनी स्वयं अपना व्यापार बन्द करना चाहती है, अथवा वह अपने जमाकर्ताओं की देयतायें अदा करने में असमर्थ हो । अनिवार्य परिसमापन, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 में वर्णित कारणों में से किसी एक के लिए हो सकता है, जिनमें इसके द्वारा उठाई गई हानियों के कारण, अपने ऋणों को अदा करने में असमर्थ होना भी सम्मिलित है ।

(ख) एक कम्पनी के परिसमापन में जाने के पश्चात् एच्छिक समापक अथवा शासकीय समापक, जो भी हो, जमाकर्ताओं को संभव सीमा तक अदायगी करने तथा इसके पश्चात् बची

हुई राशि यदि कोई हो, तो उसे हिस्सेधारियों में वितरण करने की दृष्टि से, कम्पनी की परि-सम्पत्तियों तथा ऋणों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही करता है।

(ग) एक कम्पनी, जो परिसमापित हो गई हो, वह किसी अवधि के अन्दर पूर्णरूप से अपना कार्य समेट लेगी, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर होता हैं, जिसमें ऋणों एवं इसकी परिसम्पत्तियों की बिक्री द्वारा वसूल करने में लिया गया समय भी सम्मिलित है। तथापि, यह एक समय उपभागी प्रक्रिया है, जिसमें सरकार का कोई नियंत्रण कठिनता से ही हो सकता है।

(घ) एच्छिक परिसमापन की कम्पनियों में जनता (हिस्सेधारियों तथा जमाकर्ताओं) के हित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 497, 509 के उपबन्धों द्वारा सुरक्षित होते हैं, एवं अनिवार्य परिसमापन की कम्पनियों में, इस पर न्यायालय, जिसके पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में परि-समापन कार्यवाहियां, शासकीय समापक द्वारा सम्पन्न की जाती हैं, द्वारा देखभाल रखी जाती है।

कहलगांव सुपर थरमल पावर स्टेशन की स्थापना में लापरवाही

8566. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के कहलगांव में सुपर थरमल पावर स्टेशन की स्थापना की योजना को क्रियान्वित करने में ढील दिखाई है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार वहां बिजली घर की स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च करना चाहती है और इस बिजली घर को क्षमता कितने मेगावाट होगी और इसके लिये अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि कहलगांव के लिए कोयले की सप्लाई 12 मील दूर से की जाएगी जबकि फरक्का के लिए यह 150 मील दूर से की जाएगी जिसके परिणामस्वरूप वहाँ उत्पादित बिजली मंहगी पड़ेगी; और

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखकर कहलगांव थरमल पावर स्टेशन को प्राथमिकता दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधि-करण ने कहलगांव सुपर ताप बिद्युत केन्द्र (सु० ता० वि० के०) के 4 × 210 मेगावाट के प्रथम चरण को 494 करोड़ रुपये की लागत पर तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने से पूर्व वित्त सहित अनेकों निवेशों को सम्बद्ध किया जाना है। फरक्का सु० ता० वि० केन्द्र को कोयले की सप्लाई राज महल कोल फील्ड्स के हुरा ब्लाक से की जाएगी जो फरक्का परियोजना स्थल से 62 किमी० की दूरी पर है। कहलगांव सु० ता० वि० केन्द्र के प्रथम चरण को इन कोयला क्षेत्रों से सप्लाई करने का प्रस्ताव है। इस मामले में प्रस्तावित परियोजना स्थल से दूरी 26 किमी होगी।

गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा उत्पादित उर्वरक की किस्म की जाँच

8567. **श्री राम अवध :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा उर्वरक कारखाने चलाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ कारखानों में नाइट्रोजन की अपेक्षित मात्रा के बिना घटिया किस्म के उर्वरक का उत्पादन किया जा रहा है और इसे किसानों के उपयोग के लिए सप्लाई किया जा रहा है और इसका अन्यथा अच्छी फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार समय-समय पर इन उर्वरकों की किस्म की जांच करती है और इसके लिए उचित स्तर निर्धारित करती है; और

(घ) तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) (क) : देश में कुछ उर्वरक कारखाने, गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा चलाए जा रहे हैं ।

(ख) हालांकि गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा उत्पादित शुद्ध उर्वरकों में नाइट्रोजन की वांछित मात्रा की सप्लाई न करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, कुछ शिकायतें की गई थी कि कुछ इकाइयों, जो गैर सरकारी क्षेत्र में थी, द्वारा उत्पादित फिजिकल ग्रेनुलेटेड मिश्रित उर्वरकों में नाइट्रोजन की मात्रा कम थी । ऐसी शिकायतों की जब भी ये प्राप्त हों उचित प्राशिकरण द्वारा जांच की जाती है ।

(ग) और (घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन उर्वरक को आवश्यक वस्तु घोषित नहीं किया गया है । उर्वरक की क्वालिटी, मूल्य और वितरण को नियंत्रित करने के लिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 जारी किया गया है । इसमें उर्वरक के नमूने लेने और उनका विश्लेषण करने का उपबन्ध भी शामिल हैं । लगभग 52,000 नमूनों के प्रतिवर्ष विश्लेषण की क्षमता वाले 36 राज्य उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण प्रयोग शालाएं राज्यों में विद्यमान हैं । इसके अतिरिक्त कृषि मंत्रालय के अधीन, फरीदाबाद में एक सेन्ट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी एण्ड एक ट्रेनिंग इंसटीट्यूट भी स्थापित किया गया है । उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के प्रवर्तन का कार्य राज्य सरकारों को सौंपा गया है जिन्होंने किसानों को मानक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर नमूने लेने और विश्लेषण करने के लिए एक प्रवर्तन तंत्र की नियुक्ति की है ।

सप्लाई की गई उर्वरक की क्वालिटी सुश्चित करने को सामान्य नीति के रूप में सरकार ने निम्न महत्वपूर्ण उपाय किए हैं :

1. केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से प्राप्त आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से उर्वरकों की क्वालिटी नियंत्रण स्थिति पर निगरानी रखती है ।

2. राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रकाशित करने के लिए सेन्ट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कन्ट्रोल एण्ड ट्रेनिंग इन्सटिच्यूट में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ।

3. राज्य सरकार के तंत्र द्वारा किए जा रहे कार्य को अनुपूरित करने के लिए केन्द्र सरकार ने हाल ही में अपने क्वालिटी नियंत्रण निरीक्षण नियुक्त करने की शक्तियां प्राप्त की हैं ।

4. देश में उर्वरकों की क्वालिटी नियंत्रण व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट देने के लिए दो सर्वेक्षण दलों का गठन भी किया गया है।

5. मिलावटी घटिया उर्वरकों की बिक्री की शिकायत मिलने पर केन्द्रीय दस्ते घटना स्थान पर जांच के लिए राज्यों में भेजे जाते हैं।

संपूर्ति योग्य पन बिजली परियोजना

8568. श्री पी॰ राजगोपाल नायडू : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम के अंग के रूप में संपूर्ति योग्य पन बिजली संसाधनों की आवश्यकता पर बल दे रही है;

(ख) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने श्री राम सागर और नागार्जुन सागर परियोजनाओं पर विभिन्न स्थानों पर बिजली उत्पादन के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करके केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की है ;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इन परियोजानाओं के विकास के लिए योजना से बाहर प्रति वर्ष 25 करोड़ रुपये की सहायता मांगी हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) (क) : देश में लघु जल विद्युत परियोजना के विकास के कार्य को नये 20-सूत्रीय कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) 6 से 7 वर्षों की अवधि में राज्य प्राधिकारियों द्वारा पता लगाई गई विभिन्न लघु जल विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने योजना आबंटन से अतिरिक्त प्रतिवर्ष लगभग 25 करोड़ रुपए देने के लिए कहा है।

(घ) छठी योजना अवधि के दौरान लघु जल विद्युत स्कीमों के वित्त पोषण के लिए योजना आयोग से 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करने हेतु अनुरोध किया गया है। योजना आयोग द्वारा अपेक्षित निधियों के लिए सहमत होने के पश्चात् ही आध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा।

जैसलमेर और बाड़मेर के लिए रेडियो सुविधाएं

8569. श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से सहमती है कि आकाशवाणी के माध्यम से लोगों को देश की प्रगति और विकास की जानकारी मिलनी चाहिए ;

(ख) यदि हाँ, तो देश में उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(ग) क्या राजस्थान में पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर और बाड़मेर के अधिकांश भाग में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है,

(घ) क्या उक्त क्षेत्रों में रेडियो सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं में बाड़मेर और जैसलमेर में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना हेतु व्यवस्था की गई थी परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसे रद्द कर दिया गया; और

(ङ) क्या इन सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए केन्द्र सरकार इस वर्ष उन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी, हां । इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले सरकारी माध्यमों में से आकाशवाणी एक है ।

(ख) जबकि यह सही है कि विभिन्न राज्यों में स्थिति देश का लगभग 22 प्रतिशत क्षेत्र मीडियम वेव ट्रांसमीटरों की दिवाकालीन प्राथमिक सेवा परिधि के अन्दर नहीं आता, कवर न होने वाले इन क्षेत्रों को द्वितीय ग्रेड की मीडियम वेव तथा शार्ट वेव सेवा द्वारा कवर किया जाता है ।

(ग) जैसलमेर और बाढ़मेर के पश्चिमी भाग जोधपुर ट्रांसमीटर की सेवा परिधि के बाहर हैं ।

(घ) बाड़मेर और जैसलमेर में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार पांचवीं और छठी योजनाओं में विधिवत किया गया था किन्तु संसाधनों के अभाव और सापेक्ष प्राथमिकताओं के कारण इनको अन्तिम योजनाओं में सामिल नहीं किया जा सका ।

(ङ) प्राथमिकताओं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, इस वर्ष के दौरान बाड़मेर तथा जैसलमेर में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अलीपुर गांव दिल्ली में निष्क्रान्त कृषि भूमि पर अनधिकृत कब्जा

8570. श्री सोमजी भाई डामोर :

डा० वसन्त कुमार पण्डित : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीपुर गांव, दिल्ली राज्य, दिल्ली में कितनी ग्रामीण निष्क्रान्त कृषि भूमि पर अवैध लोगों का कब्जा है;

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) में लिखित भूमि के अवैध कब्जाधारियों से कोई भाड़ा फसल का मुआवजा या क्षति प्रभार लिया जाता है और प्रति एकड़ किस दर से लिया जाता है और क्षति प्रभार के मूल्यांकन का सूत्र क्या है;

(ग) क्षति मुआवजा प्रभार की वसूली किस वर्ष तक की गई है, और

(घ) क्या दिल्ली में कोई ऐसा मामला है जिसमें निष्क्राम्त ग्रामीण कृषि भूमि पर अनधिकृत कब्जे के लिए कब्जाधारियों से कोई क्षतिपूर्ति ली गई है और यदि हां, तो उक्त क्षतिपूर्ति के मूल्यांकन का सूत्र क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) (क) : लगभग 21 एकड़।

(ख) अवैध कब्जाधारियों से भूमि राजस्व का 6 गुना क्षति प्रभार वसूल किया जाता है।

(ग) और (घ) : अधिकांश अवैध कब्जाधारियों ने 1965 तक के क्षति प्रभार दे दिये हैं। कुछ मामलों में 1965 के बाद की अवधि का भुगतान भी प्राप्त हो गया है। प्रश्नगत भूमि पात्र भूमि दावेदारों को आवंटित की जानी है। जैसे ही आवंटन कर दिया जाता है, अवैध कब्जाधारियों से भूमि खाली कराने तथा क्षति प्रभार की वसूली, यदि कोई हो, के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी जाएगी।

इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन का वित्तीय पहलू

8571. **श्री अनादि चरण दास :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग प्रारम्भ करने के वित्तीय पहलुओं और खर्च की गणना कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले निर्वाचन में परीक्षण के आधार पर प्रयोग की गई मतदान मशीनों पर कितनी रकम खर्च हुई; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) निर्वाचन आयोग के पास सभी निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमिक रूप से इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग आरम्भ करने और कालांतर में उक्त प्रयोजनों के लिए पर्याप्त संख्या में मशीनें उपाप्त करने के प्रस्ताव हैं। किंतु पर्याप्त संख्या में मशीनें मिलने और उन्हें खरीदने के लिए अपेक्षित धन उपलब्ध होने पर ही ऐसा किया जा सकेगा। आयोग के प्राक्कलन के अनुसार देश में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग आरम्भ करने में कुल व्यय लगभग 165 करोड़ रुपए होगा।

(ख) और (ग) : भारत निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट दी है कि कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों में परीक्षण के आधार पर प्रयोग के लिए इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों और बैटरियों के क्रय पर उसने अब तक निम्नलिखित रकम खर्च की है :—

1.	मैसर्स इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को अग्रिम संदाय (नवम्बर, 1981)	—	2,75,000,00 रु०
2.	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड को 196 मतदान मशीनों की क्रय कीमत के मद्दे संदाय (1982-83)	—	10,85,985.00 रु०
3.	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड की 74 एम० ए० जी० बैटरियों की क्रय कीमत के मद्दे संदाय (1982-83)	—	1,154,40 रु०
		योग	13,62,139.40 रु०

राजस्थान में दैनिक/साप्ताहिक पत्र

8572. **श्री बिरक्षा राम फुलवारिया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कुल कितने दैनिक और साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होते हैं और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उनके प्रकाशन स्थान कौन से हैं तथा उनमें से प्रत्येक के सम्पादक और प्रकाशक के नाम क्या हैं और

(ग) तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना परिशिष्ट-1 और 2 में दी गई है ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 6484/83]

"गार्डन रीच" में विद्युत संयंत्र के विस्तार की योजना

8573. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में गार्डन रीच के 20 मेगावाट विद्युत संयंत्र का 120 मेगावाट तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ;

(घ) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि परियोजना को मन्जूरी देने में बिलम्ब होने से उसमें अधिक लागत आएगी ; और

(ङ) यदि हां, तो परियोजना की शीघ्र मंजूरी देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में कोयला खानों से कोयले का उत्पादन

8574. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की विभिन्न कोयला खानों से 1981-82 और 1982-83 में कुल कितने टन कोयले का उत्पादन किया गया ;

(ख) उड़ीसा की कोयला खानों से कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्यमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1981-82 र 1982-83 में उड़ीसा के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन निम्नलिखित है :

(लाख टनों में)
(आंकड़े अनंतिम)

1981-82	1982-83
33.24	34.58

(ख) और (ग) उड़ीसा की खानों में 1983-84 में उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कदम ठाए गए हैं जिनमें यह बातें शामिल हैं—नई खानों का विकास, चरणों में यंत्रीकरण शुरू करना, ोपेनकास्ट खानों का विकास और भूमिगत खानों के लिए विद्यमान यूनिटों का नवीकरण ।

दिल्ली के न्यायालयों में रोक आदेशों को निरस्त कराने के लिए की गई कार्यवाही

8575. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री मनोहर लाल सैनी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने ी कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेशों के प्रवर्तन के विरुद्ध रोक ादेश देने से संबंधित कुल कितने मामले दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य निचले न्यायालयों में ाम्बित हैं और प्रत्येक मामला किस-किस तारीख से लम्बित है ;

(ख) क्या काले धन के उत्पादन, उपभोक्ताओं के शोषण आदि को रोकने के लिए सरकारी ादेशों के प्रवर्तन से संबंधित मामलों के तुरन्त निपटारे के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं ; ौर

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

~~विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)~~ : (क) (ग) जानकारी इकठ्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

शाहदरा ईस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शन काटा जाना

8576. श्री हीरालाल आर० परमार : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में, शाहदरा ईस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में मास-वार कितने टेलीफोन ननेक्शन काटे गए ;

(ख) कनेक्शन काटे जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या शाहदरा ईस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में कई टेलीफोन कनेक्शन उनके लिए नियमित दायगी किये जाने के बावजूद काट दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां तो उनका ब्योरा क्या है और उन कनेक्शनों को अविलम्ब लगाये जाने और ाहदरा इस्ट-दो एक्सचेंज की सेवा में सुधार के लिये क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) पिछले छः महीनों के दौरान शाहदरा पूर्व एक्सचेंज में काटे गए टेलीफोन कनेक्शनों की महीना-वार संख्या इस प्रकार है :—

महीना		संख्या
अक्तूबर, 82		253
नवम्बर, 82		261
दिसम्बर,82		97
जनवरी, 83		115
फरवरी, 83		28
मार्च, 83		106
	कुल	860

(ख) और (ग) ये सभी टेलीफोन विशेश अथवा उसी पार्टी द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे अन्य टेलीफोनों पर बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण काटे गए हैं जैसी कि भारतीय तार नियम के नियम 443 में व्यवस्था है। यद्यपि एक मामले में उपभोक्ता को दिया गया टेलीफोन कनेक्शन काट दियो गया था क्योंकि उपभोक्ता ने अपने टेलीफोन से सम्बन्धित देयताओं का भुगतान नहीं किया था।

(घ) टेलीफोन नम्बर 201476 को टेलीफोन नम्बर 200215 से संबंधित देयताओं का भुगतान न करने के कारण काटा गया था। देयताओं का भुगतान करने पर इस टेलीफोन को पुनः चालू कर दिया गया है। शाहदरा पूर्व-11 एक्सचेंज की सेवा में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. जंक्शन, मुख्य और गौण केबिलों का दाबीकरण।
2. अत्यधिक घनत्व वाले केबिल मार्गों पर कंकरीट की बनी केबिल डक्ट बिछाना।
3. जहां केबिल-खाइयों की गहराई कम है वहां "हाफ-डक्ट" द्वारा केबिलों की सुरक्षा की जा रही है।
4. केबिल खाइयों को बन्द करने से पूर्व दबाना।
5. टेलीफोन नम्बर 344921 पर "खुदाई कार्य करने से पहले डायल" सेवा आरम्भ करना ताकि अन्य एजेंसियां खुदाई कार्य करने से पूर्व हमको सूचित कर सकें।
6. किसी भी खुदाई कार्य का पता लगाने के लिए केबिल मार्गों पर व्यापक गश्त करना तथा केबिलों को टूट-फूट से बचाने के लिए एहतियाती उपाय करना।
7. टेलीफोन लाइनों डी० पी० और उपकरणों का व्यापक अनुरक्षण।
8. एक्सचेंज उपस्कर, विशेषकर अन्तर-एक्सचेंज जंक्शनों की विशेष जांच।

9. दोष मरम्मत सेवा, ऑटो मैनुअल और ट्रंक सेवाओं की कार्य प्रणाली को निरन्तर मानीटर करना।

10. टेंडम एक्सचेंजों के माध्यम से कार्य कर रहे अन्तर-एक्सचेंजों में सुधार करने के लिए विभिन्न टेंडम एक्सचेंजों के माध्यम से कार्य कर रहे सभी मार्गों की अलग-अलग विशेष जांच की जाती है।

11. हाल ही में, एशियाई-1982 से पूर्व एक्सचेंज उपस्कर तथा जंक्शनों की स्वीकृति जांच की गई थी।

उल्हास नगर (जिला ठाणे) में नया टेलीफोन केन्द्र

8577. श्री जगन्नाथ पाटिल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) दोम्बीवाली (जिला ठाणे महाराष्ट्र) स्थित 3,500 लाइन के क्रासबार एक्सचेंच और (दो) उल्हासनगर (जिजा ठाणे महाराष्ट्र) में नये टेलीफोन केन्द्र की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक की अनुमानित लागत कितनी है, अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई और कितना कार्य किया गया और इससे कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) एक्सचेंजों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

डोम्बीविली : 10,000 लाईनों की पूर्ण क्षमता वाली एक इमारत के लिए स्वीकृति दे दी गयी है और इसे 1985-86 में तैयार करने की योजना है।

उल्हासनगर : इमारत का निर्माण कार्य काफी हद तक हो चुका है और ऐसी संभावना है कि यह इमारत जून 83 तक तैयार हो जाएगी।

(ख) डोम्बीविली : परियोजना की अनुमानित लागत 2.9 करोड़ रु० है। इस परियोजना को अभी मंजूरी दी जानी है। इस एक्सचेंज को 1986-87 में आरम्भ करने की योजना है।

उल्हासनगर : इस परियोजना की अनुमानित लागत 4.98 करोड़ रु० है और अब तक लगभग 38 लाख रु० व्यय किया जा चुका है। आशा है कि यह एक्सचेंज 1985 में चालू हो जाएगा।

चोटी के दस औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों, बिक्री और लाभ

8578. श्री सनत कुमार मंडल : श्री जैनुल बसर : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री चोटी के दस औद्योगिक घरानों को परिसम्पत्तियां, बिक्री और लाभ के बारे में 12अक्टूबर 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1382 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चोटी के दस औद्योगिक घरानों को परिसम्पत्तियां, बिक्री और लाभ के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है, अब जब कि 1981 के लिये आंकड़े उपलब्ध करा दिये गये होंगे ;

(ख) गत वर्ष की तुलना में 1981 के दौरान उनको भरिताओं (होल्डिंग्स) में किस सीमा तक वृद्धि हुई ; और

(ग) आर्थिक शक्ति के कुछ ही हाथों में संकेन्द्रण को रोकने के लिये सरकार का क्या रचनात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) (क) तथा (ख) : चोटी के दस औद्योगिक घरानों की वर्ष 1981 में परिसम्पत्तियां, व्यापारावर्त और लाभ (करपूर्व) तथा 1980 से उपर परिसम्पत्तियों में वृद्धि को दर्शाता हुआ विवरण संलग्न किया जाता है ।

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक पद्यति का संचालन सामान्य अहितकारों आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण का परिणामी नहीं हो। यह उद्देष्य, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और प्रमुख घरानों के भारी विस्तार नये उपक्रमों की स्थापना, विलयन, समामेलन अधिग्रहण आदि के प्रस्तावों तथा केन्द्रीय सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति को भी ध्यान में रखतु हुए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संचालित उपबन्धों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को उद्देश्य एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों की वृद्धि में सम्पूर्ण रूप से रोकथाम करने का नहीं है किन्तु इस प्रकार से उनके विस्तार में संचालन को सुनिश्चित करने का है कि इस प्रकार का विस्तार आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को दिशा में नहीं हो तथा वह लोकहित विरोधों भी नहीं हो ।

विवरण

वर्ष 1981 में दस चोटी के औद्योगिक घरानों (31-12-81 तक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यावहार अधिनियम, 1669 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकरण के अनुसार) की परिसम्पत्तियों, व्यापारावर्त और कर पुर्व लाभ और वर्ष 1981 में उनकी परिसम्पत्तियों द्वारा श्रेणीबद्ध तथा वर्ष 1981 की अवधि में वर्ष 1980 की तुलना में उनके धारणों में वृद्धि को दर्शाता हुआ विवरण-पत्र ।

(करोड़ रु० में)

क्रमसंख्या	औद्योगि घराने का नाम	1981 में परिसम्पत्तियां	1980 से ऊपर परिसम्पत्तियों में वृद्धि	1981 में व्यापारावर्त	1981 में कर-पूर्व लाभ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	टाटा	1840·16	301·19	2389·77	154·00
2.	बिड़ला	1691·69	259·70	2161·55	110·42
3.	मफतलाल	535·12	107·58	797·67	39·42
4.	जे० के० सिंघानियां	520·14	107·42	551·75	22·86
5.	थापर	529·80	87·90	589·53	33·51
6.	ए० सी० सी०	342·77	68·26	270·06	10·38
7.	आई० सी० आई०	337·84	(—) 5·17	416·66	9·74
8.	साराभाई	331·23	13·29	406·33	2·55
9.	बांगुर	280·73	16·40	445·63	14·29
10.	किर्लोस्कर	278·16	57·79	429·31	44·49

सेवा निवृत्त न्यायाधीशों के पेनल द्वारा खाना पका की गैस की डीलरशिप का आबंटन

8579. श्री बाला साहिब विखेपाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने देश के प्रत्येक जोन के लिये खाना पकाने की गैस की डीलरशिप के आबंटन का कार्य सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को सौंपने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनके मंत्रालय में किस ढंग से कमी पाई गई ; और

(ग) क्या बेरोजगार तथा विकलांग व्यक्तियों को ये गैस एजेंसियां आबंटित करने के लिये कोई नये मार्गदर्शी निदेश तैयार किये गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) और (ख) : चयन में अनियमितताओं की शिकायतें दूर करने के लिए तथा तेल कंपनियों के पेट्रोलियम उत्पाद डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के सही चयन को सुनिश्चित करने के लिए चयन का कार्य अब चयन बोर्डों को सौंप दिया गया है जिना अध्यक्ष उच्च न्यायालय का एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश है ।

(ग) तेल कम्पनियों द्वारा अभी हाल में तैयार किये गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार समस्त पेट्रोलियम उत्पाद डीलर शिपें/डिस्ट्रीब्यूटर शिपें "बेरोजगार स्नातक" तथा "शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति" की श्रेणियों में क्रमश: 25% और 15% आरक्षित की जाती है ।

आयातित तापीय विद्युतसंयंत्रों का उपयोग

8580. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें विदेशों से तापीय विद्युत संयंत्र टरबाईन जनरेटर और बायलर का आयात करने की अनुमति दी गई है, वे किन-किन देशों से आयात किये जायेंगे ;

(ख) स्थापित किये जाने वाले ऐसे संयन्त्रों की क्षमता क्या है। और उन पर विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रूपये दोनों में ही अनुमानतः कितना पूंजीगत परिव्यय होगा और उनको लगाने के लिए किस तारीख का लक्ष्य रखा गया है ;

(ग) इस बारे में बी० एच० ई० एल० की प्रोद्योगिकी का उपयोग न करने के क्या कारण है ; और

(घ) गैर सरकारी तथा सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले भावी संयन्त्रों के लिए बी० एच० ई० एल० के उपकरण का पूरा-पूरा उपयोग करने में कितना समय लगेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) : निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) और (घ) : उपस्करों की प्राप्ति के लिए मुख्य तौर पर स्वदेशी निर्माताओं पर निर्भर किया जाता है । तथापि, समस्त परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए गुण दोषों के आधार पर उपस्करों के आयात के लिए कभी-कभी अनुमति दी जाती है । आयात की अनुमति उन परियोजनाओं के मामले में दी जाती है जिन परियोजनाओं में विश्व बैंक की सहायता द्विपक्षीय स्रोतों से सहायता शामिल होती है या जहां पर उपलब्ध ऋण सहायता को उपयोग में लाना होता है । कुछ विशिष्ट उपस्कर जो कि स्वदेशी निर्माताओं की निर्माण सीमा से बाहर होते हैं ; भी आयत किये जाते हैं ।

विवरण

राज्य/सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/परियोजना का नाम	ताप विद्युत परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	उपस्कर की किस्म	जिस देश से आयात किया गया है उस देश का नाम	शामिल विदेशी मुद्रा (करोड़ रु०)	परियोजना की अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	चालू करने की तारीख	
1	2	3	4	5	6	7	8	
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	रामागुन्डम एस॰टी॰पी॰एस॰ (3×210 मेगा॰)	3×210	बायलर और टी॰जी॰	इटली	107.59	894.57	यूनिट-1	83-84
							यूनिट-2	84-85
							यूनिट-3	84-85
	रिहन्द एस॰ए॰टी॰पी॰एल॰	2×500	बायलर और टी॰जी॰	यू॰ के॰	409.72	1033.00	यूनिट-2	1987-88
							यूनिट-2	1988-89
	विंध्याचल एस॰टी॰पी॰एस॰	6×210	बायलर और टी॰ जी॰	यू॰एस॰एस॰ आर॰	317.00	911.57	यूनिट-1	1987-88
							यूनिट-2	1987-88
							यूनिट-3	1988-89
							यूनिट-4	1988-89
							यूनिट-5	1989-90
							यूनिट-6	1989-90

1	2	3	4	5	6	7	8
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	ट्राम्बे टी०पी०एल०	1×500	टी० जी०	पश्चिम जर्मनी	25.58	220.00	1983-84
कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम	टीटागढ टी०पी०एस०	4×60	टी० जी०	यू०के०	22.64	173.28	यूनिट-1 चालू की गई यूनिट-2 1983-84 यूनिट-3 1983-84 यूनिट-4 1984-85
असम राज्य बिजली बोर्ड	लकवा गैस टर्बाइन	3×15	गैस टर्बाइन	कनाडा	6.81	18.11	1983-84
	चन्द्रपुर टीपीएस विस्तार	1×30	बायलर	जापान	5.26	23.75	1985-86
नवेला लिग्नाइट कारपोरेशन	नवेली सैकिण्ड माइन कट	3×210	टी० जी०	इटली	29.14	479.58	यूनिट-1 1986-87
			बायलर	हंगरी	68.44		यूनिट-2 1986-87 यूनिट-3 1985-86

तमिलनाडु में विद्युत कटौती के कारण जबरदस्ती छुट्टी किये गये मिल कर्मचारी

8581. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में सम्पूर्ण विद्युत कटौती के कारण 83000 मिल कर्मचारियों की जबरदस्ती छुट्टी कर दी गई (इकनामिक टाइम्स 7-1-83) और यदि हां, तो इस बारे में क्या उपरात्मक उपाय किए गए तथा वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) इस समय देश में विद्युत की राज्य-वार कुछ अनुमानित कमी कितनी है और 1990 के लिये अनुमानित कितनी है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) रिपोर्ट को 7-1-83 के इकनामिक टाइम्स में देखा गया है, तथापि यह कहना कठिन है कि कुल विद्युत कटौती के कारण 83,000 मिल कर्मचारी खाली रहे थे। तथापि, यह सही है कि तमिलनाडु ने 13-1-1973 तक उच्च वोल्टता वाले उद्योगो पर 100% कटौती लागू की थी।

तमिलनाडु में विद्युत संकट पर काबू पाने के लिए विद्युत उपलब्धता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए थे :—

(1) हल्दिया पोर्ट से टूटीकोरन ताप विद्युत केन्द्र को कोयले की सप्लाई में आने वाली कठिनाईयों को दूर किया गया।

(2) विद्युत उत्पादन को अधिकतम करने से लिए तमिलनाडु का तेल को अतिरिक्त मात्रा प्रदान करने की पेशकश की गई है।

(3) नेवेली लिगनाइट कार्पोरेशन से विद्युत उत्पादन को अधिकतम करने को कहा गया था।

इन उपायों से तमिलनाडु में विद्युत सप्लाई की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ और विद्युत कटौती में कमी की गई। इस समय तमिलनाडु में 15 से 75% मांग कटौती तथा 15% से 60% ऊर्जा कटौती लागू है। तमिलनाडु में विद्युत स्थिति में जून, 1983 में मानसून के प्रारम्भ होने पर सुधार होगा।

(ख) मार्च, 1983 के महीने के दौरान विभिन्न राज्यों में कमी (अनुमानित) की स्थिति विवरण एक में दी गई है। 11वें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण में मांग के बारे में ध्यान किए गए पूर्वानुमान तथा निर्माणाधीन/स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1989-90 में अखिल भारतीय आधार पर ऊर्जा की कमी लगभग 6.7% रहने की संभावना है। 11वें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण में किए गए पूर्वानुमान का स्वरूप आशावादी है। इसके अतिरिक्त, 1989-90 तक की अवधि मांग की तुलना में ऊर्जा की उपलब्धता का सही-सही मूल्यांकन करने के लिए काफी लम्बी अवधि है। स्थिति अर्थ-व्यवस्था का विभिन्न क्षेत्रों में विकास, विद्युत परियोजनाओं को चालू करने के कार्यक्रमों की उपलब्धियां, निधियों की उपलब्धता, विद्युत क्षेत्र में प्रमुख सामग्रियों की उपलब्धता आदि जैसे विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर निर्भर करेगी।

विवरण

मार्च, 1983 के दौरान विभिन्न राज्यों में विद्युत की अनुमानित प्रतिशत कमी/अधिकता

राज्य का नाम	कमी/अधिशेष*
1. हरियाणा	+6.9
2. हिमाचल प्रदेश	+2.0
3. जम्मू और कश्मीर	2.5
4. पंजाब	6.2
5. राजस्थान	24.0
6. उत्तर प्रदेश	7.2
7. दिल्ली	18.6
8. चण्डीगढ़	23.5
9. गुजरात	+4.2
10. मध्यप्रदेश	+6.8
11. महाराष्ट्र, गोवा सहित	10.1
12. आंध्र प्रदेश	+0.6
13. कर्नाटक	17.1
14. केरल	21.6
15. तमिलनाडु, पांडिचेरी सहित	28.9
16. बिहार	23.6
17. पश्चिम बंगाल	18.5
18. दामोदर घाटी निगम	14.6
19. उड़ीसा	11.2
20. सिक्किम	—
21. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	9.7
22. अखिल भारत	10.3

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

ग्रामीण/क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित प्रसारण

8582. श्री सी० पलानी अप्पन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारीरिक शिक्षा प्रसारण सहित ग्रामीण तथा क्षेत्रीय भाषाओं पर आधारित प्रसारण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): ग्रामीण श्रोताओं के लिए अभिप्रेत सभी कार्यक्रमों को आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों द्वारा संबं-

धित क्षेत्र की प्रमुख और अन्य बोली जाने वाली मुख्य भाषा/बोली में प्रसारित किया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यक्रम ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रसारित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों का अंग होते हैं।

खाना पकाने की गैस एजेंसियों की संख्या

8583 श्री सूरज भान : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31.12.1982 को देश में खाना पकाने की वितरण करने की कितनी एजेंसियां थी; और

(ख) 31.12.1982 को खाना पकाने की गैस की कुल कितनी एजेंसियां अनुसूचित जाति और अनुसुचित जनजाति के व्यक्तियों के पास थीं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गीशंकर मिश्र) : (क) दिनांक 31.12.1982 की यथा स्थिति को देश भर 1571 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें थीं।

(ख) 146 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित समुदायों के लोगों की थी।

कच्छ के क्षेत्रों में छिद्रण कार्य चलाने का प्रस्ताव

8584. श्री आर पी० गायकवाड़ : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का विचार कच्छ के क्षेत्रों में छिद्रण कार्य चलाने और वाणी क्षेत्र में भूकम्प संबंधी सर्वेक्षण करने तथा गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित कुंए खोदने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप क्या सूचना और संभावनाए प्राप्त हुई हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग इस समय कच्छ में बाणी-लखपत-सुधरी क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षण कर रहा है। कच्छ क्षेत्र में दो पैरामीट्रिक कुओं और गुजरात क्षेत्रों के अन्य क्षेत्रों में तीन कुओं की खुदाई करने की योजना है। भण्डारों की संभावना भूकम्पीय सर्वेक्षणों के परिणामों और पैरामेट्रिक कुओं की योजनाबद्ध खुदाई पर निर्भर करेंगी।

सिन्दरी उर्वरक संयंत्र की क्षमता की उपयोगिता

8585 श्री गुलाम मुहम्मद खान : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्दरी की संयुक्तिकरण परियोजना वर्ष 1977 से 15 प्रतिशत कम क्षमता पर चलाई जा रही है;

(ख) इस एकके से ठीक काम न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) कमियों को दूर करने तथा कार्य निष्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या उपाय सरकार के विचाराधीन हैं, और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी हां 11.10.79 से चालू किए गए सिन्दरी रेशनलाइजेशन प्रोजेक्ट से टी. एस.पी. का क्षमता उपयोग 15 प्रतिशत से कम है।

(ख) इसके घटिया निष्पादन के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :—

(1) सल्फयूरिक एसिड प्लॉट में डिजायन की कमियों तथा उपस्कर सम्बन्धी समस्याओं के कारण बारम्बार खराबियां।

(2) फास्फोरिक एसिड प्लांट में रबड लाइनिंग की विफलता तथा उपस्कर सम्बन्धी समस्या।

(3) टी.एस.पी प्लांट में मिक्सिंग एवं कन्वेइंग समस्याएँ।

(ग) और (घ) : एक विदेशी परारर्शदात्री फर्म ने रेशनलाइजेशन प्रोजेक्ट का डाइगनोस्टिक सर्वेक्षण किया ताकि इसे सतत आधार पर चलाया जाए। इस द्वारा सुझाए गए उपाए निम्न प्रकार हैं :—

1. फास्फोरिक एसिड और टी. एस. पी. संयंत्रों में संशोधन एवं परिवर्तन।

2. सल्फयूरिक एसिड प्लाट की लगभग 50 प्रतिशत क्षमता पर 3-4 वर्षों तक चलाने के लिए उसकी मरम्मत पुनः करना।

3. एक नए सल्फयूरिक एसिड संयंत्र को स्थापित करना।

लघु तथा माइक्रो पन बिजली योजनाएं

8586 **श्री वी०पी०विजयराघवन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक लघु/माइक्रो पन-बिजली योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन की लागत का राज्य-वार ब्योरा क्या है ; और

(ग) यह प्रमुख पन बिजली/ताप विद्युत परियोजनाओं की लागत की तुलना में कैसा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) 13 राज्यों/संघ क्षेत्रों में माइक्रो/लघु जल विद्युत स्कीमें प्रतिष्ठापित की गई हैं, जिनका उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया हैं।

(ख) और (ग) : गत 3 वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई माइक्रो/लघु जल विद्युत परियोजनाओं में ऊर्जा उत्पादन की लागत 10 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 49.30 पैसे प्रति यूनिट तक भिन्न-भिन्न है इसकी तुलना में वृहत् जल विद्युत परियोजनाओं में ऊर्जा उत्पादन की लागत 10.25 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 33.12. पैसे प्रति यूनिट है और पिट हैडों पर स्थित 500 मेगावाट तक की ताप विद्युत परियोजनाओं में ऊर्जा उत्पादन की लागत 30 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 35 पैसे प्रति यूनिट है।

विवरण

उन राज्यों की सूची जिन्होंने माइक्रो/लघु जल विद्युत स्कीमों के विकास सम्बन्धी कार्य पूरे कर लिए हैं

1. हिमाचल प्रदेश
2. जम्मु व कश्मीर
3. उत्तर प्रदेश
4. महाराष्ट्र
5. आन्ध्र प्रदेश
6. सिक्किम
7. पश्चिम बंगाल
(दा० घा. नि. द्वारा प्रचालित एक परियोजना इसमें शामिल है)
8. असम
9. मणिपुर
10. मेघालय
11. नागालैण्ड
12. त्रिपुरा
13. अरुणाचल प्रदेश
(उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम द्वार प्रचालित एक परियोजना इसमें शामिल है)

नुकसान देह दवाओं और कीट नाशकों का उत्पादन

8587. श्री केयूर भूषण : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ ऐसे नुकसान देह दवाओं और कीट नक्शकों का उत्पादन किया जा रहा है जिनके उत्पादन पर कानूनन प्रतिबन्ध लगाया गया है और विकसित देशों में जिनका उपयोग निशिद्ध घोषित किया है ;

(ख) यदि हां, उन नुकसान देह दवाओं और कीट नाशकों के नाम क्या हैं जिनका देश में उत्पादन किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनके उत्पावन पर प्रतिबन्ध लगाने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) भारत में उत्पादित की जाने वाली औषधें, जिनके उपयोग पर कुछ देशों में प्रतिबन्ध है, आइडोक्लोर हाइड्रोक्सी क्विनोलीन और लोमोटिल है ।

देश में इस समय उत्पादित की जाने वाली कीटनाशी औषधों में से, बी, एच. सी, और डी. डी. टी. के उपयोग पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में प्रतिबन्ध है। अमेरिका में बी. एच. सी. के प्रयोग पर प्रतिबन्ध है और 2,4 डी. तथा डी. डी. टी. का उपयोग सीमित है।

(ग) आइडोक्लोर हाइड्राक्सी क्विनोलीन दस्त तथा पेचिस के उपचार के लिए अनिवार्य औषध है और इस औषधि के उपयोग से जापान में पाए गए कुप्रभावों की इस देश में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। तदनुसार, यह निर्णय किया गया कि इस औषध के विपणन को जारी रखा जाए बशर्ते कि यह डाक्टरी नुक्से पर ही बेची जाएगी। औषध नियंत्रिक (भारत) ने निर्देशजारी किए हैं कि लोमोटिल की छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सिफारिश न की जाए।

औषध नियंत्रिक (भारत) भारत में किसी औषध के आयात या उत्पादन की तभी सिफारिश करता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि औषध सुरक्षित है तथा लाभ लाभप्रद है और इस समय विपणन की जा रही औषधों की अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद है।

भारत में कीटनाशियों का उत्पादन और उपयोग कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन विनियमित होता है। कीटनशी के उपयोग की स्वीकृत देने से पूर्व, अधिनियम के अधीन स्थापित की गई पंजीकरण सीमित, सुरक्षा, नशीलेपन तथा लाभप्रदता संबंधी सभी सम्बद्ध पहलुओं की भारतीय स्थिति के संदर्भ में जांच करती है। जिन कीटनाशियों की पंजीकरण समिति द्वारा भारत में उपयोग के लिए स्वीकृति नहीं दी जाती उनके उत्पादन की अनुममि नहीं दी जाती।

शिशु आहार को बढ़ावा देने के लिए टी० वी० रेडियो और समाचार पत्रों में विज्ञापन

8588. **डा. बसन्त कुमार पन्डित :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन/संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनीसेफ) के 1981 के कोड जैसा कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, के अनुसार स्तन-पान को बढ़ावा देना तथा अन्य शिशु आहार और दूध पिलाने की बोतलों से संबंधित विज्ञापनों पर रोक लगाना सरकार की नीति है ;

(ख) क्या शरकार का ध्यान अन्य शिशु आहार तथा दूध की बोतल के बारे में टी० वी०, रेडियो, समाचार पत्रों में प्रकाशित, विज्ञापनों के माध्यम से उन्हें अधिक स्वास्थ्यप्रद है और बलकारक बनाये जाने की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संदर्भ में बहुराष्ट्रकों और अमूल, विजय आदि भारतीय कम्पनियों के विज्ञापनों और प्रचार सामग्रियों की जांच की है ; और यदि हां, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या भारतीय उपभोक्ता मार्गदर्शक समाज, यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय शिशु चिकित्सा अकादमी ने सरकार को शिशु आहार और दूध की बोतल से संबंधित विज्ञापनों और प्रचार के बारे में लिखा है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन केयकोड का उल्लघंन कर रहे हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) इस सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन/यू. एन. आई. सी. ई. एफ. की विभिन्न सम्बन्धित सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सरकार के समाज के कल्याण मन्त्रालय ने देश में शिशु आहारों के उत्पादन, विपणन तथा संवर्धन से सम्बन्धित विषयों के समूचे क्षेत्र की जांच करने के लिए और एक उपयुक्त आचार सहिता, जिसे बाद में कानून का आधार बनाया जा सके, तैयार करने के लिए एक कार्य दल गठित किया था। कार्य दल की रिपोर्ट पर अन्तिम दृष्टिकोण अभी नहीं बनाया गया है।

(ख) और (ग) समाचारपत्रों में विज्ञापन देश के कानूनों के अधीन है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के वाणिज्यिक प्रसारण की संहिता में यह व्यवस्था है कि विज्ञापन सच्चे होने चाहिए, इनमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं दिया जाना चाहिए तथा इनको निहितार्थ और चूकों के द्वारा लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, इसे उपभोक्ताओं को, अन्य बातों के साथ-साथ माल की विशेषता अर्थात् इसकी उपयोगिता सामग्री, उपादानों, उतपत्ति, इत्यादि के झूठे व्यक्तव्यों के द्वारा गुमराह नहीं करना चाहिए। सभी विज्ञापन की आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले इस संहिता के उपबन्धों के सन्दर्भ में इनकी सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल की जाती है।

(घ) जी, हां, हमें कन्ज्यूमर्स गाइडेस सोसायटी आफ इन्डिया तथा तथा इन्डियन एकेडमी आफ पेडियाट्रिक्स से इस प्रकार के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ङ) जैसा कि उक्त (क) में कहा गया है, सरकार ने देश में शिशु आहारों के उत्पादन, विपणन तथा संवर्धन से सम्बन्धित विभिन्न उपयुक्त विषयों पर कार्य दल की रिपोर्ट पर अन्तिम दृष्टिकोण अभी नहीं बनाया है।

तेल के आयात में कटोती से विदेशी मुद्रा में बचत

8589. श्रीमती संयोगिता राने : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल के आयात में 1980-81 से 1984-85 तक की गई कटौती से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई ; और

(ख) देश में विभिन्न स्रोतों से तेल का औसत दैनिक उत्पादन कितना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1981-82 से आगे खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में शुद्ध विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन कम हुआ है। ब्यौरे निम्नप्रकार हैं :—

वर्ष	करोड़ रुपयों में शुद्ध विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन	(बचत) करोड़ रुपयों में
1980-81	5258	(280)
1981-82	4978	(481)
1982-83	4497	(481)
1983-84	3462	(1035)

इस समय वर्ष 1984-85 में बचत की मात्रा बताना कठिन है क्योंकि यह आयातित खनिज तेल के मूल्य और उस समय के रुपये और डालर के बीच विनयम दर जैसे पहलुओं पर निर्भर करेगी ।

(ख) देश में वर्ष 1982-83 के दौरान विभिन्न स्रोतों से खनिज तेल का औसत दैनिक उत्पादन निम्न प्रकार है :—

राज्य		उत्पादन की औसत दैनिक दर (000 मी- टनों में)
गुजरात		8.6
असम		13.8
बम्बई हाई अपतटीय		34.0
	योग	56.4

(सभी आंकड़े अस्थायी हैं)

कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली में स्थानीय कालों के विफल होने की दर

8590. श्री अमल दत्त : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलत्ता टेलीफोन प्रणाली की लगभग आधा "केवल लेन्थ" मरम्मत से बाहर है और मशीनरी के दो तिहाई भाग में प्रयोक्ताओं तथा एकसचेंज के बीच आवश्यक केबिनेट और खम्मे (पिलर्स) नहीं हैं :

(ख) क्या यह भी सच है कि कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली में विभाग के अपने मूल्यांकन के अनुसार स्थानीय "काल,, की विकास की दर बम्बई से चार गुना अधिक दिल्ली से पांच गुना अधिक और मद्रास से 16 गुना अधिक हैं ; और

(ग) यदि हां, तो विफल होने की दर में कमी लावे हेतु यदि कोई कदम उठाए हैं तो वे क्या है ; और वे कदम कब उठाए गये थे और उसके क्या परिणाम निकले ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं । तथापि कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली में स्थानीय कालों की दोष दर अन्य महानगरीय शहरों की तुलना में अधिक है ।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता । तथपि, कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली में आगे और रसुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे है ?

(1) बाह्य संयंत्र परिपथ जाल में विस्तार करने के लिए एक कार्यबल स्थपित किया गया है।

(2) जिन टेलीफोन एक्सचेंज उपस्करों की कार्य अवधि समाप्त हो गई है उन्हें उत्तरोत्तर बदला जा रहा है।

(3) जहां कहीं जरूरी समझा गया है, वहां घिसेपिटे उपस्करों/पुर्जों को बदलने के लिए भी कारवाई की जा रही है।

(4) बिजली बंद रहने और अधिक समय तक बिजली फेल होने की समस्या से निपटने के लिए, जहां कहीं भी जरूरी हो, पृथक पावर फीडर और उच्च क्षमता वाले इंजिन आल्टरनेटर प्रदान करने की व्यवस्था की गई गई है।

( ) मेकेनिकल संचालकों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक संचालक उत्तरोत्तर स्थापित किए जा रहें हैं।

बाल श्रम की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नियम

8591. श्री मोहम्मद असरार अहमद :

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल श्रम की रोकथाम के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किन कन्वेंशनों की सिफारिश की गई है ; और

(ख) क्या भारत द्वारा उन कन्वेंशनों को अपनाया तथा प्रभावी रुप में लागू किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) बालकों के रोजगार में भर्त्ती के लिए न्यूनतम आयु को निर्धारित करने वाले अन्तर्राट्रीय श्रम संगठन अभिसमय निम्नलिखित हैं :

(1) संख्या 5 : न्यूनतम आयु (उद्योग) , 1919

(2) संख्या 7 : न्यूनतम आयु (समुद्र) , 1920

(3) संख्या 10 : न्यूनतम आयु (कृषि), 1921

(4) संख्या 15 : न्यूनतक आयु (ट्रिमर और स्टोकर), 1921

(5) संख्या 33 : न्यूनतम आयु (गैर-औद्ययोगिक नियोजन), 1932

(6) संख्या 58 : न्यूनतम आयु (समुद्र) (संशोधित), 1936

(7) संख्या 59 : न्यूनतम आयु उद्ययोग (संशोधित), 1937

(8) संख्या 60 : न्यूनतम आयु (औद्ययोगिक नियोजन), (संशोधित), 1937

(9) संख्या 112 : न्यूनतम आयु (मछुआरे), 1959

(10) संख्या 123 : न्यूनतम आयु (भूपित कार्य), 1965

(11) संख्या 138 : न्यूनतम आयु, 1973

(ख) उपर्युक्त अभिसमयों में से, भारत ने अभिसमय संख्या 5,15 और 123 का अनुसमर्थन कर दिया है। मिलाजुला कर इन अनुसमर्थित अभिसमयों को लागू करने वाले कानूनों का कारगर रूप से पालन किया जा रहा है।

अलकोहल के बारे में राष्ट्रीय नीति का निर्धारण

8592. श्री के० राममूर्ति : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या इस दृष्टि से कि इस लक्ष्य के बावजूद कि 1981-82 में भारत में 85 लाख टन चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ था, अलकोहल पर आधारित उद्योग अलकोहल की भारी कमी का सामना कर रहे है, क्या इस अल्कोहल के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति निर्धारित की जा रही है, और

(ख) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध शीरा का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं, जिसके लिये देश में भण्डारण की भी सुविधा उपलब्ध नहीं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) (1) सरकार ने शीरे और अल्कोहल के उत्पादन और मांग का पुनरीक्षण करने और आवंटन वितरण निर्यात के सम्बन्ध में नीति तैयार करने और इनके मूल्यों और करों पर नजर रखने के लिए सरकार को परामर्श देने हेतु केन्द्रीय शीरा बार्ड (सी०एम०बी०) संगठन किया है।

(2) आपूर्ति की स्थिति, अल्कोहल और शीरे के उठान और अन्य संबंधित मामलों के पुन-रीक्षण करने के लिए केन्द्रीय शीरा बोर्ड की एक कार्यकारी समिति भी गठित गई है।

(3) शीरे के व्यापार पर निगरानी रखने के लिए एक सहवर्ती समिति का भी गठन दिसम्बर 1981 में किया गया है।

(4) अल्कोहल के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने इथाइल अल्कोहल (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1971 जारी किया है। शीरे का मूल्य और विवरण भारतीय शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 के अधीन किया जाता है।

(5) भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा उपयोगकर्ता उद्योगों के बीच सतत पारस्परिक क्रिया के माध्यम से सहयोगात्मक दृष्टिकोण तैयार करने विचार से भारत सरकार ने हाल ही के तीन कार्यकारी दल गठित किए हैं, जो एक-एक निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :

(क) कर और शुल्क

(ख) शीरे का भण्डारण और

(ग) क्षमता उपयोगिता।

ये कार्यकारी दल उन को निर्दिष्ट किए गए मामलों का गहन विश्लेषण करेंगे और उपयुक्तसिफारिशें देंगे।

(ख) राज्य सरकारों से अन्य बातों के साथ यह अनुरोध किया गया है कि

(1) यह निश्चित करें कि सम्पूर्ण उपलब्ध शीरे का लाभकारी ढ़ंग से प्रयोग हो और

(2) शीरे के भण्डारण के लिए पर्याप्त और उचित सुविधाओं का सृजन (चीनी मिलों द्वारा) सुनिश्चित करें। भारतीय शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 के अनुसार, निर्माताओं द्वारा दर्शाए जाने वाले मूल्य का 33%3%भाग अलग से कोष में रखा और पर्याप्त भण्डारण सुविधाओं के सृजन के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। स्थिति को तत्काल आधार पर सामान्य बनाने के लिए, राज्य व्यापार निगम के माध्यम से फिल हाल 4० 75 लाख टन शीरे का निर्यात करने का निर्णय किया गया।

इसके अतिरिक्त 100 लाख मिटर अल्कोहल के निर्यात की भी अनुमति दी गई है। यह आसवनियों को अधिक शीरे को मल्कोहल में परिवतिर्तत करने में सहायक होगा।

राजस्थान में ताप बिजली परियोजनाओं के प्रभावशाली कार्यकरण के लिए कदम

8593. **श्री जयनारायण रौत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राजस्थान में स्थित ताप बिजली परियोजनाओं के प्रभावशाली कार्यकरण के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) : राजस्थान में कोटा ताप विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन किया किया जा जा रहा है। परियोजना में प्रथम चरण के अन्तर्गत 110-110 मेगावाट के दो यूनिटों तथा चरण-दो के अन्तर्गत 210-210 मेगावाट के दो यूनिटों का निर्माण किया जाना है। 110 मेगावाट की पहली यूनिट 17.1.83 को चालू की गई थी। निर्माण अवधि के दौरान ऊर्जा मंत्रालय तथा के० वि० प्रा० द्वारा राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को सतत् और लगातार सहायता और मार्गदर्शन किया गया था। प्रचालन और अनुरक्षण स्टाफ को प्रशिक्षण देने के मामले में भी राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को सहायता दी गई है। ताप विद्युत यूनिट के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुसार चालू करने के तुरन्त बाद निरीक्षण करने और शेष बचे मदों की जांच करने के लिए यह यूनिट बन्द कर दी गई थी। सामान्यत: इसकार्य में लगभग तीन महीने लगते हैं। तथापि, उस समय राजस्थान में व्याप्त विद्युत सप्लाई की कठिन स्थिति के कारण ऊर्जा मंत्रालय ने भेल से इस कार्य को न्यूनतम संभावित समय में पूरा करने कथा यूनिट को पुन: चालू और प्रचालित करने के लिए राजस्थान की सहायता करने के लिए अपने वरिष्ठ विशेषज्ञों को भी भेजने का अनुरोध किया है। परिणामस्वरूप इस यूनिट को 9.3.83 अर्थात सामान्य अवधि से बहुत कम समय में पुन: "बार" पर लाया गया है।

2. फिलहाल यह यूनिट आंशिक उत्पादन पर कार्य कर रहा है क्योंकि कोयला हैण्डलिंग संयंत्र को पूरा करने का कार्य अभी भी चल रहा है तथा अस्थायी काम-चलाऊ व्यवस्था करके बायलर को कोयला दिया जा रहा है। कोयला हैण्डलिंग संयंत्र के सितम्बर, 1983 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है, उस समय इस यूनिट के अपना उत्पादन करने की आशा है।

3. 110 मेगा० के दूसरे यूनिट के मई, 1983 में चालू हो जाने की आशा है।

4. परियोजना के चरण दो (2×210 मेगा०) यूनिट 1 से 1986 तक और यूनिट 2 से मार्च, 1987 तक, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभ प्राप्त होने की आशा है।

औषधियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना

8594. **श्री ओ० नर सिम्हा रेड्डी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने औषधियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की थी, परन्तु उन्हें अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो घोषित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनका क्रियान्वयन न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि औषधि उद्योग की क्षमता के एक बड़े भाग को नियमित किया जाना शेष है;

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और नियमित न करने के कारण क्या हैं; और

(ङ) 1983 के दौरान उत्पादन बढ़ाने के लिए यदि किन्हीं योजनाओं के क्रियान्वयन की सम्भावना है, तो उनके नाम क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) (क) और (ख) : जी, नहीं। औषध नीति 1978 के बाद, जिसमें कुछ शर्तों के साथ अधिक उत्पादन के विनियमन की व्यवस्था है, सरकार ने निम्नलिखित योजनाओं की घोषणा की है :—

1. उत्पादक स्थापित क्षमता के विनियमन/अधिक उत्पादन के विनियमन की अगस्त/सितम्बर 1980 की योजना जिसे 17.10.81 के प्रेस नोट के माध्यम से संशोधित किया गया।
2. 25% क्षमता की स्वत: वृद्धि की नवम्बर 1980 की योजना, और
3. क्षमता उपयोग में वृद्धि के लिए एक उपाय के रूप में क्षमता के पुन: पृष्ठांकन के बारे में अप्रैल 1982 की योजना।

(ग) क्षमता के पुन: पृष्ठांकन से सम्बन्धित योजना के अधीन कुल 63 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और इनमें से लगभग सभी का निपटारा कर दिया गया है और औद्योगिक विकास विभाग (एस० आई० ए०) उन कम्पनियों को, जो अपने मूल औद्योगिक अनुमोदन प्रस्तुत कर रहे हैं, को पात्र मदों के लिए आवश्यक पृष्ठांकन जारी कर रहा है।

अगस्त/सितम्बर 1980 में घोषित नीति के अधीन 62 कम्पनियों ने 71 आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं। भारतीय कम्पनियों के सभी मामलों, भारतीय—एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के तीन मामलों और विदेशी कम्पनियों के सभी मामलों के सम्बन्ध में निर्णय ले लिए गए हैं। शेष 28 आवेदनपत्रों पर विभिन्न स्तरों पर चल रही है।

स्वत: वृद्धि की योजना के अधीन केवल एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था और उसका निपटान किया जा चुका है।

(घ) औषध नीति 1978 के अधीन जब अधिक उत्पादन के विनियमन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा रहा था, क्षमता के विनियमन के बारे में अगस्त/सितम्बर 1980 में सरकार की नीति की घोषणा की गई थी जिसे दिनांक 17.10.81 के प्रेस नोट के अनुसार औषधों और भेषजों पर लागू किया जाना था। अगस्त/सितम्बर 1980 में घोषित क्षमता को मान्यता देने के बारे में योजना के कार्यान्वयन में इसलिए बिलम्ब हुआ कि 1982 में घोषणा की गई क्षमता के पुन: पृष्ठांकन की और अधिक उदार नीति के अधीन प्राप्त हुए मियादी आवेदन पत्रों के निपटान को अग्रता दी गई। तथापि, 1980 की नीति के अधीन प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर कार्यवाही को अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) क्षमता के पुन: पृष्ठांकन के बारे में दिनांक 8/4/1983 के प्रेस नोट के माध्यम से 31.3.1983 को सरकार ने दुबारा दूसरी योजना की घोषणा की है।

इसके अलावा सामान्य औद्योगिक लाइसेंसिंग पद्धतियों के अधीन बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के लिए अतिरिक्त क्षमताएँ प्रदान करना जारी है।

राजस्थान में बिजली की मांग और उत्पादन

8595. श्री चतुर्भुज : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को इस समय कितने यूनिट बिजली की आवश्यकता है तथा इसकी तुलना में वहां कितने यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है;

(ख) राजस्थान में कहां-कहां और कौन-कौन से विद्युत उत्पादन संयंत्र हैं तथा वर्ष 1983 के दौरान किन-किन स्थानों पर नये संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) अन्य राज्यों से राजस्थान कितने मेगावाट और यूनिट बिजली ले रहा है तथा उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) (क) 29.3.83 से 13.4.83 तक के पखवाड़े के दौरान राजस्थान में औसत ऊर्जा उपलब्धता 12.96 मिलियन यूनिट प्रतिदिन थी। इसकी तुलना में आवश्यकता 15.27 मिलियन यूनिट प्रतिदिन थी। इस प्रकार कमी लगभग 15% रही थी। राजस्थान में स्थिति केन्द्रों से ऊर्जा का उत्पादन बहुत मामूली था। राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र, भाखड़ा तथा व्यास परियोजनाओं, केन्द्रीय स्वामित्व वाले बदरपुर तापविद्युत सिंगरौली ताप विद्युत केन्द्र के विद्युत उत्पादन केन्द्रों तथा मध्य प्रदेश (सतपुड़ा से राजस्थान के हिस्से से) विद्युत की सप्लाई करके अधिकांश विद्युत की उपलब्धता की गई थी।

(ख) राजस्थान के विद्युत उत्पादन संयंत्रों के नाम और उनके स्थान नीचे दिये गए हैं:—

1. बूंदी जिले में जवाहर सागर जल विद्युत केन्द्र।

2. चित्तौड़गढ़ जिले में राणाप्रताप सागर जल विद्युत केन्द्र.

3. चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र।

कोटा में नया संयंत्र ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किया जा रहा है जहां 110 मेगावाट के पहले यूनिट को जनवरी, 1983 में चालू किया गया था। इस ताप विद्युत केन्द्र का दूसरा यूनिट 1983 के दौरान चालू किया जाएगा।

(ग) 1 अप्रैल से 20 अप्रैल 1983 तक की अवधि के दौरान राजस्थान द्वारा अन्य राज्यों से ली गई बिजली की मात्रा यूनिट और मेगावाट में नीचे दी जाती है :—

क्र०सं०	राजस्थान से बाहर संयंत्रों का नाम	बिजली की यूनिट की मात्रा (एल. यू.)	5.4.83 को व्यस्ततम समय में राजस्थान द्वारा प्राप्त की गई मात्रा मेगावाट में।
1.	भाखड़ा	499.96	253
2.	देहर	339.28	(भाखड़ा, देहर और
3.	पोंग	256.91	फोंग से)
4.	सिंगरौली (उ०प्र०)	294.27	62
5.	चम्बल और सतपुड़ा (म०प्र०)	112.76	33
6.	बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से स्थानीय सहायता	61.26	137
7.	आर० ए० पी० एस०	822.28	165

सिंगल सुपर फास्फेट पर राजसहायता और धारण मूल्य

8596. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 1980 के बाद स्थापित नये यूनिटों द्वारा निर्मित किए जाने वाले सिंगल सुपर फास्फेट के धारण मूल्य और राज सहायता का पुनरीक्षण/पुनरावलोकन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रसायन और उरवंक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) सिंगल सुपर फास्फेट को मई, 1982 में सांविधानिक मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत लाया गया था। इसके साथ ही अन्तर स्तरीय सहायता की एक योजना चालू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, उचित कारखाना मूल्य तथा सहायता का निर्धारण प्रत्येक उत्पादक के लिए अलग अलग किया जाता है। नई सिंगल सुपर फास्फेट इकाईयों के मामले में उनके उचित कारखाना मूल्य तथा सहायता निर्धारण हेतु उनकी निवेश लागत को भी उचित रूप से ध्यान में रखा जाता है।

विदेशों में भारतीय श्रमिकों को हुई कठिनाइयां

8597. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में कितने भारतीय श्रमिक काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या उनकी देख रेख और सुरक्षा की जिम्मेदार भारत सरकार के किसी अधिकारी अथवा एजेंसी को सौंपी गई है;

(ग) क्या अनेक श्रमिकों ने, जो दूसरे देशों में गये थे, यह शिकायत की है कि विदेशों में उन्हें रोजगार दिलाने के लिए लाइसेंसीकृत एजेंसियों ने उनसे 4 से 10 हजार रुपये तक प्रति श्रमिक के हिसाब से लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार श्रमिक सप्लाई करने वाली एजेंसियों के लाइसेंस रद्द करने तथा विदेशों की श्रमिकों सम्बन्धी मांग की पूर्ति के लिए एक निगम के गठन करने का है, जिससे श्रमिकों को वेतन का पुरा भुगतान तथा उन्हें ग्राध वेतन के भुगतान और उनके पासपोर्ट अवैध कब्जे में रखना आदि जैसे शोषण से मुक्ति सुनिश्चित हो सके तथा विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सके ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों में भारतीय श्रमिकों की अनुमानित संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है जो इन देशों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है।

(ख) भारतीय दूतावास अपने कर्तव्यों के एक भाग के रूप में, ईन देशों में भारतीय श्रमिकों के हितों का भी ध्यान रखते हैं।

(ग) इस समय देश में कोई भी लाइसेंस-धारी भर्ती एजेंसियां नहीं है। एजेंटों द्वारा इच्छुक उत्प्रवासियों ने भारी धनराशि लेने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) चूंकि कोई भी लाइसेंस लाइसेन्सधारी एजेन्सियां नहीं हैं, इसलिए रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, प्रत्येक मामले में शिकायत की जांच करने के लिए कार्यवाही की जाती है और शिकायत का समाधान हो जाने के बाद ही और आगे अनुमति दी जाती है। विदेशी जन-शक्ति निगम की स्थापना करने के प्रस्ताव पर सरकार ने कुछ समय पूर्व विचार किया था किन इसे व्यवहार्य नहीं पाया।

विवरण

विभिन्न देशों में भारतीय श्रमिकों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	देश का नाम	भारतीय श्रमिकों की अनुमानित संख्या
1.	कुवैत	1,15,000
2	कतार	40,000
3.	बहरीन	50,000
4.	यूनाटेड अरब अमीरात (यू०ए०ई०)	2,50,000
5.	सऊदी अरब	1,00,000
6.	पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ यमन (पी०डी०आर०वाई)	2,000
7.	वाई०ए०आर०	6,000
8.	इराक	60,000
9.	लीबिया	40,000
10.	आमोन	1,00,000

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बीड़ी कामगारों के कल्याण के लिए उत्पाद शुल्क के साथ उपकर के रूप में एकत्रित राशि

8598. श्री जैनुल बशर : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-प्रदेश के प्रत्येक जिले में बीड़ी कामगारों के कल्याणार्थ उत्पाद शुल्क के साथ आयकर के रूप में कितनी राशि एकत्रित की गई ;

(ख) प्रत्येक जिले में कल्याण कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ग) कल्याणकारी कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) : उपकर के संग्रहण के जिलावार आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के लिए 1982 के दौरान उत्तर-प्रदेश में उत्पाद शुल्क के साथ-साथ उपकर के रूप में 20.57 लाख रूपये की राशि एकत्रित की गई थी।

(ख) बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई राशि के जिलावार आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1982-83 के दौरान इलाहाबाद क्षेत्र में, जिसमें बिहार तथा उत्तर-प्रदेश के राज्य शामिल हैं, लगभग 28,95 लाख रूपये खर्च किए गए थे।

(ग) कल्याण उपायों में स्थिर तथा चलते-फिरते औषधालयों की स्थापना की, बीड़ी श्रमिकों के लिए क्षयरोग अस्पतालों में पलंगों का आरक्षण, बीड़ी श्रमिकों के पुत्रों व पुत्रियों के लिए छात्रवृत्तियां देना और गृह-निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देना आदि शामिल हैं।

उच्च प्रौद्योगिकी बल्क औषधियों में अतिरिक्त क्षमता नियंत्रित करने का निर्णय

8599. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च प्रौद्योगिकी बल्क औषधियों की अतिरिक्त क्षमता और उनके सूत्रों को नियंत्रित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय के अप्रैल, 1982 के प्रैस नोट के अनुसार फैरा और एम० आर० टी० पी० कंपनियों को फरवरी, 1973 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रैस नोट के अनुबन्ध-1 में शामिल मदों के लिए ही क्षमता के पुन-पृष्ठांकन की सुविधा उपलब्ध है। पुर्नपृष्ठांकन मार्च, 1982 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान उच्चतम उत्पादन के एक तिहाई भाग को जोड़ कर, बशर्ते कि वह लाइसेंस शुदा क्षमता के 125 प्रतिशत से अधिक हो, किया जाता है। अत: विदेशी कंपनियों को पुर्णपृष्ठांकन केवल उच्च प्रौद्योगिकी प्राप्त औषध अन्तर्वतियों और मौलिक अवस्था से उत्पादित प्रपुंज औषधों तथा उन पर आधारित फार्मुलेशन के लिए उपलब्ध है। ऐसे पुर्नपृष्ठांकन भारतीय कंपनियों के मामले

में सभी औषधों तथा भेषजों के लिए उपलब्ध हैं 1 मार्च, 1983 तक के उत्पादन के बारे में ऐसा ही एक प्रेस नोट उद्योग मंत्रालय द्वारा 3·4·1983 को जारी किया जा चुका है।

औषध कम्पनियों की अनुसंधान और विकास यूनिटों पर व्यय

8600. **श्री एन०के० शेजवलकर :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी औषध कम्पनियों के पास अनुसंधान और विकास यूनिटें हैं, और

(ख) उनके द्वारा गत दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई (आंकड़े सरकारी उपक्रमों सहित कम्पनीवार दिए जाएं) ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) । 73 औषध उत्पादक संस्थानों के पास मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास इकाइयां हैं। इन संस्थानों द्वारा उक्त वर्षों के दौरान व्यय की गई कथित राशि उपलब्ध सीमा तक विवरण में दर्शाई गई हैं।

विवरण

क्र० सं०	फर्म का नाम	वार्षिक व्यय वर्ष	राशि (रु० लाखों में)
1	2	3	4
1.	एम्बालाल साराभाई इन्टरप्राइजेज बड़ोदा	82-83	112·9
2.	अमृतांजन लि० मद्रास	79	20·6
3.	दि बंगाल इम्युनिटी कम्पनी लि० कलकत्ता	81-82	4·0
4.	भारत सिरम एण्ड सेशन्स एण्ड भारत लेबोरेटरीज, बम्बई	81-82	0·4
5.	दि बूट्स कंपनी (आई) लि०, बम्बई	78	80·2
6.	केडिला लेबोरेटरीज, अहमदाबाद	79	52·5
7.	दि कैमिकल्स, इन्डस्ट्रीयल एण्ड फार्मास्युटिकल्स लेबोरेटरीज लि०	81-82	1·0
8.	सिबातुल लि०, गुजरात स्टेट	81-82	14·5
9.	डेज मेडिकल स्टोर्स (एमएफजी) लि० कलकत्ता	80	9·3
10.	ई० आई० डी० पारी (इंडिया) प्रा० लि० मद्रास	79	14·6
11.	ई० मर्क (इण्डिया) प्रा० लि० बम्बई	81	12·5
12.	दि फेयरडील कार्पोरेशन प्रा० लि० बम्बई	79-80	13·5

1	2	3	4
13.	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० पुना	81-82	142·38
14.	होचेस्ट फार्मास्युटिकल्स लि० बम्बई	81	165·0
15.	इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० नई दिल्ली	81-82	45·5
16.	केरला स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०, केरला	80-81	5·0
17.	कोठारी सेन्टर आफ गेस्ट्रोसेन्ट्रोलोजी, कलकत्ता	78-79	17·6
18.	निटशन लेबोरेटरीज, थाना	80-81	3·4
19.	आर्गेनन (इन्डिया) लि०, कलकत्ता	81	35·3
20.	रेपटेक ब्रीट एण्ड कंपनी लि० बम्बई	80	26·4
21.	रिचंडसन हिदुस्तान लि० बम्बई	81-82	54·0
22.	रोचे प्रोडक्ट्स लि०, बम्बई	81-82	13·1
23.	रूसन फार्मास्युटिकल्स (आई) लि० बम्बई	79	11·6
24.	सेन्डोज(इन्डिया) लि०, बम्बई	81-82	135·3
25.	सर्ले (इन्डिया) लि० बम्बई	81	20·0
26.	सुधीर गेगी कैमि एण्ड फार्म० लि० अहमदाबाद	79-80	134·5
27.	सुनीता लेबोरेटरीज लि० इन्डोर	78-79	0·9
28.	सिनबायोटिक्स लि० बड़ोदा	81-82	9·4
29.	तमिलनाडु दाधा फार्मास्युटिकल्स लि० मद्रास	79-80	4·7
30.	यूनलल्वाइट लि,० हैदराबाद	79-80	40·0
31.	यूनीक्यू कैमिकल्स, बम्बई	77-78	0·6
32.	वारनर हिन्दुस्तान लि०, हैदराबाद	80	16·9
33.	वेयथ लेबोरेटरीज लि०, बम्बई	78-79	26·6
34.	एलम्बिक कैमिकल्स वर्क्स कंपनी लि० बड़ोदा	79	100·9
35.	दि एलकली एण्ड कैमिकल्स कार्पोरेशन आफ इन्डिया लि० कलकत्ता	80-81	96·9
36.	आन्ध्रा सूगर लि० टानुकू	78-79	0·3
37.	एनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स लि० अहमदाबाद	81	8·6
38.	अतुल प्रोडक्ट्स लि०, गुजरात स्टेट	80	35·9
39.	बायोलोजीकल इवेन्स लि० हैदराबाद	81	13·0
40.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स वर्क्स लि० कलकत्ता	81-82	5·32

1	2	3	4
41.	चेमोक्सिन प्रा० लि० बम्बई	78-79	30·9
42.	सिनमाइड इन्डिया लि० बम्बई	79	45·7
43.	सुपर इन्टरफान लि०, बम्बई	80	56·5
44.	इथनोर लि०, बम्बई	79	6·5
45.	फान्कों-इण्डियन फार्मास्युटिकल्स प्रा० लि० बम्बई	76-77	2.9
46.	घरडा कैमिकल्स प्रा० लि०, बम्बई	82	36·2
47.	गुफिक लेबोरेटरीज, बम्बई	81	1·9
48.	हाफकाइन बायो-फार्मास्युटिकल्स कार्पोरेशन लि० बम्बई	80-81	2·0
49.	आईडीएल कैमिकल्स लि० हैदराबाद	81	41·5
50.	इन्डो-फार्मा फार्मास्युटिकल्स प्रा० लि० बम्बई	81-82	17·0
51.	इन्ग लेबोरेटरीज प्रा० लि० बम्बई	77-78	4·9
52.	जोनसन एण्ड जोनसन लि०, बम्बई	81-82	12·5
53.	लुपिन लेबोरेटरीज प्रा० लि० बम्बई	80-81	14·2
54.	माईज प्रोडक्ट्स अहमदाबाद	81-82	2·8
55.	माइल्स इण्डिया लि० बड़ोदा	80	2·9
56.	नूचेम प्लास्टिक लि० फरीदाबाद	81-82	25·0
57.	फाइजर लि०, बम्बई	77	65·4
58.	रेलिस इण्डिया लि० बम्बई	78-79	3·8
59.	रेनबेक्सी लेबोरेटरीज लि० नई दिल्ली	81	43·2
60.	आरसीए फार्मो लेब, बम्बई	79	4·0
61.	रेकिट एण्ड कोलमेन आफ इण्डिया लि० कलकत्ता	79	3·4
62.	एस०जी फाइज कैमिकल्स प्रा०लि० बम्बई	79	0·7
63.	स्मिथ कोलाइन एण्ड फ्रोंच (इण्डिया) लि० बंगलौर	81-82	96·2
64.	स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि० कलकत्ता	81-82	7·0
65.	स्टेन्डर्ड आर्गेनिक लि० हैदराबाद	79-80	1·7
66.	सुनील सिनचेम लि०, अलवार (राजस्थान)	79-80	0·8
67.	टी०टी० के फार्मा प्रो० लि० मद्रास	80-81	2·2
68.	यूनीचेम लेबोरेटरीज लि० बम्बई	80-81	35·8
69.	यूनी-सेन्क्यो लि० हैदराबाद	81-82	2·9
70.	जम्बू फार्मास्युटिकल्स वर्क्स लि० बम्बई	81-82	3·0
71.	दि भारतीय एग्रो इन्डस्ट्रीज-फाउन्डेशन पूना	81-82	415·0
72.	सीबा गेगी आफ इण्डिया लि० बम्बई	81-82	266·0
73.	लेक्सो लेबोरेटरीज लि०, बम्बई	80-81	221·1

कर्नाटक में छोटे भाषाई समाचारपत्रों को विज्ञापन

8601. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० ए० वी० पी० ने हाल में छोटे समाचार पत्रों; विशेषकर (भाषाई समाचार-पत्रों) को विज्ञापन देने कम कर दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य में वर्ष 1982 में छोटे-भाषाई समाचारपत्रों को, भाषा-वार; अधिकतम कितने विज्ञापन दिए गए , और

(ग) छोटे समाचारपत्रों को दिए जाने वाले विज्ञापनों में कमी करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय भाषा के छोटे समाचारपत्रों को पुरस्कार

8602. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भाषा के छोटे समाचारपत्रों के लिए पुरस्कार स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हल्दिया में उर्वरक संयंत्र

8603. **श्री नारायण चौबे :**
श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया, पश्चिम बंगाल में कोई उर्वरक संयंत्र है,

(ख) इस संयन्त्र को चालू करने की मूल तारीख क्या थी ;

(ग) इसे चालू करने की वास्तविक तारीख क्या है ;

(घ) असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ङ) इस संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ;

(च) इस संयंत्र से अब तक कितना वास्तविक उत्पादन हुआ है ;

(छ) इस कारखाने के निर्माण पर, भूमि की लागत सहित, कुल कितनी लागत आई ; और

(ज) महाप्रबन्धक सहित सभी कर्मचारियों द्वारा अब तक वेतन, भत्ते तथा सभी प्रकार की अन्य परिलब्धियों के रूप में कितना धन प्राप्त किया गया ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) जी, हां।

(ख) इस संयन्त्र को चालू करने की मूल तिथि अक्टूबर 1976 थी।

(ग) मेथानोल और यूनिया संयन्त्रों के जुलाई 1983 तक तथा नाइट्रोफास्फेट और सोडा ऐश के अक्तूबर, 1983 तक आरम्भ होने की सम्भावना है।

(घ) विलम्ब कई कारणों से हुए हैं, अर्थात् निर्माण के दौरान उत्पादकों द्वारा कुछ क्रांतिक उपस्करों की आपूर्ति करने में बिलम्ब तथा प्रतिकूल श्रमिक स्थिति। पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड से विद्युत की अपेक्षित मात्रा का उपलब्ध न होना, और

डिजाइन त्रुटियों तथा संचालन स्थिति के दौरान बार-बार उपस्करों की खराबी ! हाल ही में जनवरी, 1983 के दौरान परीक्षण के लिए संचालन के दौरान भी खराबियां हुई।

(ङ) संयन्त्र की स्थापना क्षमता निम्न प्रकार है :

मद		क्षमता
(1) नाइट्रोफास्फेट	—	3, 79, 000 टी०पी०ए०
या एन०पी०के०	—	5, 00, 000 टी०पी०ए०
(2) यूरिया	—	1, 65, 000 टी०पी०ए०
(3) सोडा ऐश	—	60, 000 टी०पी०ए०
(4) मेथानोल	—	41, 250 टी०पी०ए०

(च) परीक्षण प्रचालन के दौरान संयन्त्र में लगभग 1450 मी० टन नेथानोल का उत्पादन किया गया है।

(छ) मार्च, 1983 तक लगभग 312 करोड़ रूपये की कुल राशि व्यय की गई है।

(ज) दिसम्बर, 1982 तक महा-प्रबन्धक सहित कर्मचारियों ने 15, 15, 88, 366 रुपये की राशि वेतन, भत्तों तथा अन्य प्रकार की उपलब्धियों के रूप में प्राप्त की है।

गुजरात में पाइपलाइनों से तेल की चोरी

8604. **श्री शान्तु भाई पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में; गुजरात में धनेज तेल की पाइप लाइन से तेल की चोरी का एक मामले का पता चला है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि हां, तो अन्य स्थानों से अब तक सूचित किए गए तेल की चोरी के ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या इस मामले में अथवा इससे पहले हुई तेल की चोरी के मामलों में कोई गिरफ-तारियां की गई हैं और क्या इन मामलों में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों का हाथ होने का सन्देह है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पैट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां। 31.12.82 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात राज्य के धनेज गांव के एक भमि के मालिक से सूचना प्राप्त की गई जिसमें यह बताया गया कि उसकी भूमि में से जाने वाली पाइपलाइन से तेल टपक रहा है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की असमदाबाद परियोजना के अधिकारी उस स्थान पर गये और पुलिस द्वारा निरीक्षण किये जाने के पश्चात पाइपलाइन; जिसमें छेद पाया गया था। की मरम्मत की गई और 1.1.83 को इसके द्वारा काम आरंभ किया गया। स्थल से कई औजार मिले। तदनुसार 1.1.83 को कालोल पुलिस स्टेशन के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

(ख) गुजरात में गोटा गांव के समीप ट्रंक पाइपलाइन में छिद्र का एक और ऐसा मामला 6.10.82 को रिपोर्ट किया गया था।

(ग) अभी तक कोई गिरफ्तारियों नहीं की गई हैं, और इन मामलों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के किसी कर्मचारी का हाथ होना नहीं माना गया है।

कोयले के मूल्य में वृद्धि किया जाना

8605. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके परिणामस्वरूप कोयले के मूल्य में वृद्धि करने पर रोक लगाई गई है ;

(ख) क्या, गत मई 1982 में कोयले के मूल्य में किये गये संशोधन में बाद से कोयला उद्योग कोयले के मूल्य में वृद्धि करने पर जोर देता रहा है और क्या सरकार ने ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो से अनुरोध किया गया है कि कोयले के लिए समुचित कीमतों की सिफा-रिश करने की दृष्टि से कोयला उद्योग ब्यूरो की उत्पादन लागत का अध्ययन करे। औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो ने सरकार को अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

पहाड़ी क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं

8606. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहाड़ी क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाओं को कारगर बनाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ;

(ख) क्या लोगों की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मैदानी क्षेत्रों के अनुपात में पहाड़ी क्षेत्रों में तकनीकी कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं ; और

(ग) बर्फ से ढके क्षेत्रों में नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) सरकार पहाड़ी इलाकों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिए पहले से ही उदार नीति अपना रही है तथा इस प्रकार के इलाको में आर्थिक सहायता प्रदान कर लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर/संयुक्त डाक तार घर खोले जा रहे हैं ?

(ख) जी हां । तथापि, पहाड़ी इलाकों में स्टाफ को मंजुरी की उचित महत्व दिया जाता है ।

(ग) बर्फ से अच्छादित क्षेत्रों में तैनात स्टाफ को विशेष भत्ते दिए जाते है ।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याणार्थ विशेष क्रियान्वित कक्ष की स्थापना

8607 **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1969 के दौरान, सभी मंत्रालयों को, अपने अपने मुख्यालयों तथा अपने अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों के मुख्यालयों में, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याणार्थ विशेष क्रियान्वित कक्ष स्थापित करने के अनुदेश जारी किये थे ;

(ख) यदि हां, तो संचार मंत्रालय और नई दिल्ली स्थित डाक व तार महानिदेशालय में उक्त कक्ष किस किस तारीख को स्थापित किये गये और प्रत्येक कक्ष में कितने-कितने कर्मचारी तैनात हैं ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि कक्षों की विलम्ब से स्थापना और उनमें कम आदमी नियुक्त करने का अर्थ सरकारी अनुदेशों का उल्लंघन करने और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध काम करना है ; और

(घ) यदि हां, तो संचार मंत्रालय तथा डाक व तार महानिदेशालय में विभाग/सर्कल स्तरों पर उक्त कक्षों की स्थापना करने तथा वहां कर्मचारी नियुक्त करने हेतू क्या कदम उठाये गये हैं तथा उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (घ) गृह मंत्रालय ने 1969 में सम्पर्क अधिकारी द्वारा उनका कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न करने में सहायता देने और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण से संबधित समय पर जारी अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक मंत्रालय में एक छोटा कछ स्थापित करने के अनुदेश जारी किये थे ।

मंत्रालय (मुख्य) में, अधिकतर कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के हैं और इन सेवाओं में भरती कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से की जाती है। इस मंत्रालय का इस सम्बन्ध में कार्य उपर्युक्त विभाग को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों का विवरण आदि सूचित करने तक ही सीमित है। इससे सम्बन्धित कार्य की मात्रा को देखते हुए स्वतंत्र कक्ष की स्थापना महसूस नहीं की गई। फिर भी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति ने मंत्रालय (मुख्य) में एक स्वतंत्र कक्ष की स्थापना की सिफारिश 1982 में की थी। तदनुसार मंत्रालय (मुख्य) में एक स्वतन्त्र कक्ष की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

डाक-तार निदेशालय में 22.7.1980 को एक कक्ष की स्थापना की गई है और इस कक्ष में तीन पूर्णकालिक और सात अंशकालिक अधिकारी कार्यरत हैं।

गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार प्रत्येक परिमण्डल में ऐसे कक्षों की स्थापना की जरूरत नहीं है। फिर भी, उन आदेशों के अनुसार मंत्रालय (मुख्य), डाक-तार निदेशालय और डाक-तार के परिमडण्ल कार्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हित संरक्षण के लिए सहायक कर्मचारियों के साथ साथ सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्तयां की गई हैं।

नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम के बीच नई दिल्ली और दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के विषय में सीमा विवाद

8608 श्री के० ए० राजन : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों/सीमाओं के संबन्ध में कोई विवाद है ;

(ख) यदि हां, तो विवाद के प्रश्न क्या हैं ;

(ग) क्या नई दिल्ली नगर पलिका के नोटिस बोर्ड पर दिखाए गए मानचित्र में दिखाई गई और तैयार किए गए कुछ अन्य मानचित्रों में नई दिल्ली नगर पालिका की सीमा भिन्न-भिन्न हैं ; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय सर्वेक्षण के मानचित्र के अनुसार सही स्थिति क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) : निर्वाचन आयोग को 1-नई दिल्ली और 2-दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के बारे में, जो संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 में वर्णित हैं, विवाद होने की कोई जानकारी नहीं है। किन्तु, आयोग को 5 फरवरी 1983 को हुए साधारण निर्वाचनों में दिल्ली के सं० 2 लक्ष्मीबाई नगर महानगर परिषद् निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ रहे एक अभ्यर्थी से 13 जनवरी, 1983 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो नई

दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल क्षेत्रों के (सफदरजंग अस्पताल के पश्चिम की ओर का क्षेत्र तथा "बी" एवेन्यू, सरोजिनी नगर से रिंग रोड के दक्षिण की ओर का क्षेत्र) जो उसके अनुसार नई दिल्ली नगर पालिका सीमित की सीमा से बाहर के क्षेत्र के, मतदाताओं के नाम गलत सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में था।

(ग और (घ) : नई दिल्ली नगर पालिका समिति ने सूचित किया है कि उसने सप्रदर्शन आदि के लिए कोई प्राधिकृत नक्शा जारी नहीं किया है और भारतीय सर्वेक्षण संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सर्वेक्षण नहीं करता है और इसलिए ये उनके नक्शों में दर्शित नहीं की जाती। किंतु, भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार' भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित, दिल्ली मार्गदर्शक नक्शा, पहला संस्करण, 1978 उनके द्वारा सर्वेक्षण ओर नई दिल्ली नगर पालिका समिति के अधिकारियों द्वारा अधिप्रमाणित दिल्ली और नई दिल्ली के बीच नगर पालिका सीमाएं दर्शित करता है मुख्य निर्वाचन आफिसर, दिल्ली ने भी सूचित किया है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र द्वारा इस विषय में विनिश्चय किए जाने के पूर्व नई दिल्ली नगर पालिका समिति से भी स्थिति स्पष्ट करा ली गई थी और समिति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर विवादग्रस्त क्षेत्र नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है नई दिल्ली नगर पालिका समिति ने यह भी बताया है कि वह प्रश्नगत क्षेत्र में जल प्रदाय और विद्युत बनाए रखती है, उस क्षेत्र में विद्यमान भवनों की बाबत गृह कर भी नई दिल्ली नगर पालिका समिति द्वारा वसूल किया जा रहा है और नए निर्माण के लिए भवन-रेखांक और क्षेत्र में परिवर्धन और और परिवर्तन भी नई दिल्ली नगर पलिका समिति द्वारा मंजुर किए जाते हैं।

समाचारों का हिन्दी में प्रसारण

8609. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि हिन्दी में समाचार-प्रसारण के समय आवाज स्वर स्थिर नहीं रहता और यह बार-बार घटता-बढ़ता रहता है जिससे समाचार के सुनने में कष्ट होता है; और

(ख) उक्त कार्यक्रमों में सुधार के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सम्भवतया माननीय सदस्य शार्ट वेव पर प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिनों का उल्लेख कर रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि रेडियो सिगनल को वैक्सिग और वैनिंग (जिसे तकनीकी भाषा में मन्दन (फेडिंग) कहा जाता है) कभी कभी शार्ट वेव प्रेषणों की अपरिहार्य विशेषता होती है; यह आयनमंडल में प्राकृतिक व्यवधानों के कारण होता है।

(ख) आकाशवाणी ने इन्सेट 1-बी के माध्यम से सभी केन्द्रों की नेटवर्किंग करने की योजना पहले ही तैयार कर ली है। आकाशवाणी केन्द्रों की नैटवर्किंग करने की योजना कार्यान्वित हो जाने पर समाचार बुलेटिनों सहित इस प्रकार के प्रसारणों का आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों द्वारा उपग्रह के माध्यम से संग्रहण किया जा सकता है जो इस्तक्षेप मुक्त होगा।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र से बिजली का उत्पादन

8610. श्री मूलचन्द डागा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल कितनी बिजली उत्पादन इकाइयां हैं तथा उनके द्वारा 1981-82 और 1983 (अब तक) के दौरान, प्रत्येक वर्ष, कितनी बिजली पैदा की गई;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्र की बिजली उत्पादन क्षमता अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को बिजली का उत्पादन करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) इस समय सार्वजनिक क्षेत्र की 142 और निजी क्षेत्र की 6 विद्युत उत्पादन यूनिटें हैं। वर्ष 1981-82 तथा 1983 (जनवरी-फरवरी) में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के प्रत्येक केन्द्र द्वारा उत्पादित की गई विद्युत की मात्रा क्रमशः उपाबंध 1 तथा 2 में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एक टी— 6485/83]

(ख) जी, नहीं। निजी क्षेत्र को विद्युत उत्पादन क्षमता 1429 मेगावाट है। जिसमें 1153 मेगावाट ताप विद्युत तथा 276 मेगावाट जल विद्युत है। सार्वजनिक यूनिटों की विद्युत उत्पादन क्षमता 32536 मेगावाट है जिसमें 19377 मेगा० ताप विद्युत, 860 मेगा० न्यूक्लीय तथा 12299 मेगा० जल विद्युत शामिल है।

(ग) निजी क्षेत्र की विद्यमान उत्पादन यूनिटें विद्युत का उत्पादन कर रही हैं।

मै० फाइजर एण्ड ग्लेक्सो द्वारा औषध फार्मूलेशन्स तैयार किया जाना

8611. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिसूचना सं० 3(3)/65-सी एच० 111 दिनांक 27 मई, 1969 के अन्तर्गत मै० फीजर एण्ड ग्लेक्सो द्वारा कितने किस्म के फार्मूलेशन्स तैयार किये जा रहे है, प्रत्येक मिश्रण में क्या-क्या सक्रिय संघटक है, और क्या उन्हें आयात किया गया है अथवा वे स्वदेशी है और उनके उत्पाद कब से तैयार किये जा रहे हैं;

(ख) क्या इन कम्पनियों द्वारा कोई फार्मूलेशन क्षमता से अधिक बनाया जाता है और यदि हां, तो दिनांक 27 मई 1969 की अधिसूचना का उल्लंघन, करने के कारण सरकार ने इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या उक्त फार्मूलेशन्स से निर्मित अधिकांश बल्क औषधियां इन दोनों कम्पनियों द्वारा स्वयं उत्पादित की गई है अथवा वे उनकी खरीद किसी अन्य स्रोत से करती है, और यदि हां, तो इन स्त्रोतों का ब्योरा क्या है, और

(घ) उक्त अधिसूचना कब वापिस ली गई थी और इस आदेश को वापिस लेने के आदेश किसने जारी किये थे और आई० (डा० एण्ड० आर) अधिनियम के किन उपबन्धों के अधीन उसे जारी किया गया था ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) उल्लिखित 1969 की छूट देने वाली अधिसूचना को समाप्त करने पर मै० फाइजर ने एक मद के लिए सी० ओ० बी० लाइसेंस के लिए आवेदन किया है :—

मद का नाम	उत्पादन शुरू करने की तिथि	संघटक	स्रोत
एमिबायटिक कैपसूल्स	1570	आक्सीटेट्रासापक्लिन	स्वयं का
		क्लोरोक्विन फास्फेट	सारणीकृत
		डाइओडीहाइडोक्सी किविनोलीन	स्वदेशी

आवेदन रद कर दिया गया है। मद को अनाधिकृत माना गया है। अनधिकृत उत्पादन के ऐसे मामलों पर सामान्य नीति निर्णय लिए जाने पर क्या कार्यवाही की जाएगी।

इसी प्रकार मै० ग्लेक्सो ने 134 औषध फार्मूलेशनों के लिए सी० ओ० बी० लाइसेंस हेतु आवेदन किया। आवेदन पर कार्यवाही अन्तिम चरण में है, अत: इसके विवरण आवेदन पत्र के अन्तिम रूप ने निपटान पर ही दर्शाए जा सकते हैं। सी० ओ० बी० लाइसेंस के लिए पात्र न पाई गई मदें अनाधिकृत मानी जाएगी और उन्हें सामान्य निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

(घ) समापन अधिसूचना औद्योगिक विकास विभाग द्वारा, उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अधीन 30 अगस्त 1978 को जारी की गई थी।

औषध फार्मो के आवेदन पत्रों का ब्यौरा

8612. **श्री समीनुद्दीन** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनियों, विशेषकर मै० फाइजर, मै. एण्ड बेकर साइनेमाइड तथा ग्लेक्सो, द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व प्रस्तुत उनके आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने पहले अनुदेश जारी किये थे कि आवेदकों द्वारा ए तथा बी प्रपत्रों में निर्दिष्ट उत्पाद पंजीकरण प्रमाणपत्रों के अन्तर्गत आ जायेंगे और

(ग) अब तक कच्चा माल किस आधार पर दिये गये है और यह किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है कि ये एकक पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के बहाने नये उत्पादन आरम्भ न करने पायें ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) चूंकि पंजीकरण का मामला औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन 1952 में प्रारम्भ किया गया था;

कम्पनियों द्वारा अपने आवेदन पत्र पत्रों में प्रस्तुत किए गए ब्यौरे सम्बन्धित प्राधिकारियों से एकत्र किए जा रहे हैं ।

(ख) जी, हां । 1952 में अनुदेश जारी किए गए थे कि पंजीकरण प्रमाणपत्रों में केवल उन्हीं पदों का उल्लेख किया जाएगा जिनका उत्पादन किया जा रहा था और औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप जिनके लिए आवेदन किया गया था ।

(ग) सारणीबद्ध कच्चे मालों की सप्लाई, जिसका नियन्त्रण वर्ष की वितरण नीति द्वारा किया जाता है, लाइसेंस/पंजीकरण पत्रों में दी गई फार्मूलेशन क्षमताओं के आधार पर और जहां ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं है वहां विगत में खपत के आधार पर की जाती है ।

फिल्म एडीटरों/साउन्ड रिकार्डिस्ट आदि के रूप में विशेषज्ञता प्राप्त स्टाफ आर्टिस्टों की पदोन्नति

8613. **श्री राजेश कुमार सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन में फिल्म एडीटरों, साउन्ड रिकार्डिस्टों, मेकप आर्टिस्टों, कैमरामैन, अनाउनर्स आदि के रूप विशेषज्ञता श्रेणी के कुछ स्टाफ आर्टिस्टों पर 1973 में प्रोड्यूसर ग्रेड दो के रूप विभागीय पदोन्नति पदोन्नति/चयन के लिए विचार किया गया था; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त श्रेणियों से संबंधित स्टाफ जो प्रोड्यूसर ग्रेड-दो के रूप में पदोन्नति के लिए योग्य/अनुभव प्राप्त थे, पर अनुवर्ती विभागीय पदोन्नति/चयन के लिए विचार नहीं किया गया था और इस प्रकार उन्हें पदोन्नति के लिए तर्क संगत और अधिकार पूर्ण दाब से वंचित कर दिया गया था; यदि हां, तो उसके कारण क्या है और उसके परिणामस्वरूप प्रभावित स्टाफ आर्टिस्टों की (श्रेणीवार) संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क 215/-रुपये और इससे अधिक के शुल्कमान वाले दूरदर्शन के 30 स्टाफ आर्टिस्टों, जो 12 श्रेणियों के थे और जिन्होंने पांच वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूरी कर ली थी, के बारे में, सीधे भर्ती के लिए फरवरी, 1973 में विज्ञापित प्रोड्यूसर ग्रेड-2 के कुछ खाली पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया गया था और उनका इन्टरव्यू लिया गया था । इनमें से, छः स्टाफ आर्टिस्टों का चयन किया गया था ।

(ख) प्रोड्यूसर ग्रेड-2 के पदों को, बाद में 1979 में निर्धारित किए गए भर्ती नियमों के अनुसार, पदोन्नति द्वारा और सीधी भर्ती द्वारा भरा जा रहा हैं । अर्हक सेवा रखने वाले व्यक्तियों के बारे में पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है और निर्धारित अर्हताओं को पूरा करने वाले भी सीधी भर्ती वाली रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

डी० एम० टी० के निर्माण के लिए लाइसेंसशुदा क्षमता

8614. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० एम० टी० के निर्माण के लिए पार्टी-वार लाइसेंसशुदा/स्थापित क्षमताएं क्या हैं;

(ख) देश में मोनो इमालीन ग्लायकोल के उत्पादक कौन है;

(ग) एम० ई० जी० के लिए उनकी स्थापित/लाइसेंसशुदा क्षमताएं क्या हैं; और

(घ) क्या डी० एम० टी० को और लाइसेंस दिए जाने का कोई प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) डी० एम० टी० के निर्माण के लिए इकाई-वार क्षमताएं निम्न प्रकार हैं :—

क्रम सं०	पार्टी का नाम	लाइसेंसीकृत क्षमता	स्थापित क्षमता (मी. टन/प्रतिवर्ष)
1.	बाम्बे डायइंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं. लि.	60,000	—
2.	बोगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	35,000	—
3.	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि.	30,000	30,000
4.	जे. के. सिंथेटिक्स लि.	4,000	—

(ख) और (ग) एम. ई. जी. के निर्माण के लिए इकाईवार क्षमताएं निम्न प्रकार हैं :—

क्रम सं.	पार्टी का नाम	लाइसेंसीकृत क्षमता	स्थापित क्षमता (मी. टन/प्रतिवर्ष)
1.	नेशनल आर्गेनिक केमिकल्स लि.	10,000	10,000
2.	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि.	20,000	20,000

इसके अतिरिक्त, 25,000 मी. टन प्रति वर्ष एम. ई. जी. के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन को आशय-पत्र जारी किया गया है।

(घ) निर्णय यथा-समय लिया जायेगा।

कारीगरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए गांधी शान्ति प्रतिष्ठान को दी गयी धनराशि

8615. **श्री शिव सोरेन : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में अपरेंटिसशिप प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए एक स्वयंसेवी संगठन गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के लिए कुछ धनराशि मंजूर की है ;

(ख) यदि हां तो मंजूर, की गयी धन राशि का ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत 1979 से 1982 तक स्थापित कए गए केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कितने आदिवासियों को शामिल किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भ्रष्टाचार/अनुचित लाभ कमाने के मामले

8616. श्री आर०एन० राकेश : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1983 से मार्च, 1983 तक उनके मंत्रालय में भ्रष्टाचार/अनुचित लाभ कमाने के कितने मामले पकड़े गए ;

(ख) भ्रष्टाचार/अनुचित लाभ कमाने के कुल मामलों में से कितने बाहरी व्यक्तियों द्वारा सूचित किए गए और कितने उनके मंत्रालय के अधिकारियों ने पकड़े ;

(ग) कितने व्यक्तियों को सजा दी गई और उन्हें किस प्रकार की और कितनी सजा दी गई और जांच के आधीन कितने मामले लम्बित पड़े हैं; और

(घ) भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए भविष्य में उठाये जाने वाले निवारक कदम क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे): (क) कोई नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पोलियस्टर फिल्म के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करना

8617. श्री आर० एन० राकेश : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे यूनिटें कौनसी है जिन्हें पोलिस्टर फिल्म के निर्माण के लिए लाइसेंस/आशय-पत्र जारी किये गये हैं और प्रत्येक यूनिट की क्षमता, स्थान और अनुमानित लागत क्या है; और

(ख) क्या सरकार इस मद की भारी मांग की दृष्टि से पोलियस्टर फिल्म के लिए और लाइसेंस देने पर विचार कर रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र): (क) और (ख) पोलियस्टर फिल्म के निर्माण के लिए जिन एककों को औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र जारी किये गये हैं, के विवरण निम्न प्रकार हैं :

क्र०सं०	एकक के नाम	क्षमता मी०टनों/ प्रति वर्ष में	स्थान	सुरक्षित पुरि-सम्पत्तियों पर अनुमानित विवेश जैसा कि उनके आवेदन-पत्रों पर दिखाये गये हैं रुपये/करोड़
1.	गरवारे प्लास्टिक्स एण्ड पौलियस्टर लि०	1500	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	9.95
2.	प्रदेशीय इण्डस्ट्रिइल एण्ड एन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ यू० पी० लि०	2000	गजरौला (उत्तर प्रदेश)	7.37
3.	ओरिण्ट पालिलैसिना प्राइवेट लि०	1000	जिला जमशेद-पुर (बिहार)	27

अनुमोदित क्षमता इस समय पर्याप्त मानी गई है।

बिना वैध लाइसेंस के रेडियो तथा टेलीविजन सेट

8618. श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री के० मालन्ना :
श्री अर्जुन सेठी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी बड़ी संख्या में बिना उचित लाइसेंस के रेडियो तथा टेलीविजन सेट चल रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो देश में विशेषकर दिल्ली में चल रहे बिना लाइसेंस के रेडियो और टेलीविजन सेटों की अनुमानतः कितनी संख्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में बिना लाइसेंस रेडियो और टेलीविजन सेट के स्वामियों से वर्ष-वार कितनी राशि वसूल की गई;

(घ) बिना उचित लाइसेंस के चल रहे सभी रेडियो टेलीविजन सेटों का पता लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या बिना लाइसेंस के रेडियो और टेलीविजन सेटों के स्वामियों के विरुद्ध जुर्माने के अलावा अन्य कोई कार्यवाही भी की जा सकती है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग)

वर्ष	वसूल की गई रकम (लाख रु० में)
1980	4.82
1981	8.07
1982	11.20

(घ) विभाग के पास समूचे देश में एक कारगर अपवंचन रोधी प्रणाली है नियमित निरीक्षणों के अलावा बगैर लाइसेंस वाले सैटों का पता लगाने के लिए चोरी विरोधी अभियान भी चलाए जाते हैं ।

(ङ) बिना लाइसेंस वाले सैटों के स्वामी जब निर्धारित अवधि के भीतर शुल्क तथा जुर्माना जमा नहीं कराते तो उनके विरुद्ध न्यायालय में भारतीय तार अधिनियम 1885 तथा भारतीय वायरलैस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 के अधीन मुकदमा चलाया जा सकता है ।

"बौद्ध धर्म के 2500 वर्ष" के नए संस्करण का प्रकाशन

8619. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशन विभाग द्वार प्रकाशित एक पुस्तक "बौद्ध धर्म के 2500 वर्ष" बहुत कम उपलब्ध है और सरकार को इसके नये संस्करण के प्रकाशन की मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पुस्तक का नया संस्करण कब तक प्रकाशित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं; तो इस समय प्रकाशन विभाग के भण्डार में पुस्तक की कितनी प्रतियां हैं और यदि यह सभी प्रतियाँ बिक गई हों तो एक नया संस्करण कब तक प्रकाशित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) "बुद्ध धर्म के 2500 वर्ष" नामक पुस्तक का प्रकाशन दिसम्बर, 1956 में 10,200 प्रतियों के प्रिंट आर्डर के साथ किया गया था । दो दशकों से अधिक समय में 8,000 प्रतियां (लगभग) बिकी थी बिना बिकी शेष प्रतियों का निपटान उनका पुस्तकालयों शैक्षणिक संस्थाओं, इत्यादि को निःशुल्क वितरण करके किया गया था । इस पुस्तक के लिए पुस्तक व्यापार शैक्षणिक संस्थाओं से कोई मांग नहीं है और इस पुस्तक का पुनर्मुद्रण नया संस्करण प्रकाशित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

निम्न स्तर वाले टेलीग्राफ इंजीनियरिंग डिवीजन और पोस्टल डिवीजन का सृजन

8620. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में देश में किसी दूर संचार डाक/मंडलों में सम्बद्ध क्षेत्र की विशेष स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान डिवीजनों का विभाजन करके किन्हीं

निम्न स्तर वाले टेलीग्राफ इंजीनियरिंग डिवीजनों सब डिवीजनों और पोस्टल डिवीजनों का सृजन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और प्रत्येक मामले में उनके सृजन की तिथि क्या है; और

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार वर्ष 1983 के दौरान देश में दूर-संचार और डाक तंत्र के विस्तार की आवश्यकता को देखते हुए ऐसे और डिवीजनों सब डिवीजनों को बनाने के लिए लम्बित मामलों को शीघ्र स्वीकृत किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) तार

जी नहीं।

डाक

पिछले पांच वर्षों के दौरान मौजूदा डाक डिवीजनों का द्विशाखन करके निम्न स्तर वाले केवल तीन डाक डिवीजनों का सृजन किया गया है।

(ख) **तार**

प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक

इन डिवीजनों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

डिवीजन का नाम	सर्किल का नाम	मंजूरी की तारीख
अंडमान और नीकोबार द्वीपसमूह	पश्चिम बंगाल	19-4-1979
चम्बा	उत्तर पश्चिम	19-6-1979
लद्दाख	जम्मू और कश्मीर	19-4.1979

(ग) तार : ऐसा कोई मामला लम्बित नहीं है।

डाक: वर्ष 1979 में वित्त मन्त्रालय ने ऐसे पदों के सृजन पर पाबन्दी लगा दी जो स्वीकृत मानदन्डों के अन्तर्गत नहीं आते थे। वर्ष 1980 में डाक डिवीजनों के सृजन के लिए मानदण्डों को उस समय और अधिक उदार बनाया गया था जब डाक डिवीजन का औसत कार्यभार 2.9 प्वाइन्ट के स्थान पर 2.6 प्वाइन्ट हो जाने पर डाक डिवीजन के द्विशाखन की अनुमति दी गई थी। किसी विशेष क्षेत्र में डाक डिवीजनों के सृजन के लिए इन मानकों में और अधिक ढील देने की गुंजाइश नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार तथा डाक सुविधाओं का विकास

8621. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र के प्रावधान के आधार पर पांच वर्ष पहले ई० डी० बी० ओ० का दर्जा बढ़ाकर ई० डी० एस० ओ० किया जाता था ताकि जनता को अधिक लम्बे समय तक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधा प्राप्त हो सके;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रणाली के शुरू किए जाने के बाद कितने ई० डी० बी० ओ० का दर्जा बढ़ाकर ई. डी. एस. ओ. किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने यह व्यवस्था बन्द कर दी है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार तथा डाक सुविधाओं के विकास को आघात पहुँचा है ;

(घ) यदि हाँ, तो ई० डी० बी० ओ० का दर्जा बढ़ाकर ई० डी० एस० ओ० न करने का निर्णय किस तारीख को लिया गया था और इसके क्या कारण थे; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस निर्णय को बदलने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बे समय तक डाक-तार सुविधाओं के विकास के लिए पहले की तरह दर्जा बढ़ाने की अनुमति देने का है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल : (क) ऐसे अतिरिक्त विभागीय शाखा डाक-घर जिनमें सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था मौजूद है अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर के बतौर दर्जा बढ़ाने के आदेश 17-7-78 से 3-3-81 की अवधि के दौरान प्रचलन में थे। हलांकि यह कार्य अधिक कार्य घंटों से संबंधित नहीं था क्योंकि सार्वजनिक टेलीफोन घर की सुविधा वाले अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों और अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों को प्रतिदिन पांच घंटे ही कार्य करना होता है।

(ख) इस अवधि के दौरान सार्वजनिक टेलीफोनघर सुविधा वाले 11207 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों को अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर बना दिया गया था।

(ग) इस प्रकार दर्जा बढ़ाने की प्रक्रिया रोक दी गई है। फिर भी, यह कहना ठीक नहीं है कि इस निर्णय के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार एवं डाक सुविधाओं के विकास कार्य में रुकावट आई है। वार्षिक योजनाओं में प्रस्ताविक विकास कार्यक्रमों पर यथोचित कार्यवाई की जा रही है।

(घ) अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों के बतौर दर्जा बढ़ाने को रोकने के आदेश 4-3-81 को जारी किए गए थे। यह आदेश संबंधित नीति की व्यापक पुनरीक्षा करने के बाद ही जारी किए गए थे।

(ङ) पुनरीक्षा करने पर जो बातें सामने आयीं, उनको देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक-तार से संबंधित विकास कार्य जारी रहेगा, अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन घर की व्यवस्था करके उसका दर्जा बढ़ाने की पहली नीति को पुनः चालू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

गैर-कानूनी कोयला खनन की रोकथाम

8622. **श्री के० प्रधानी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ गैर-कानूनी कोयला खानें चल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी गैर-कानूनी खानें कितनी हैं और क्या 1980-81 की संख्या से तुलना करते समय यह संख्या बढ़ी भी है ; और

(ग) सरकार ने इन गैर-कानूनी खानों को रोकने के लिए राज्यों के सहयोग से क्या विशेष कार्यवाही की है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियमों को 1976 में संशोधित किया गया था। इन संशोधनों के जरिए, उक्त अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों से इतर व्यक्तियों को भारत में किसी भी रूप में कोयला खनन करने से रोक दिया गया था और लोहा तथा इस्पात के उत्पादन में संलग्न गैर-सरकारी पार्टियों को छोड़कर अन्य सभी गैर-सरकारी पार्टियों को कोयला निकालने या उसके खनन के सम्बन्ध में दिए गए सभी पट्टे समाप्त कर दिए गए थे। अधिनियमों का संशोधन अवैध कोयला खनन को एक दण्डनीय अपराध बनाने के लिए भी किया गया था। इस अपराध के लिए तीन वर्ष तक की सजा और रु० 20,000/-तक जुर्माने का प्रावधान किया गया।

देश में कोयला पट्टी बहुत विशाल है और जब कभी कोयले के अवैध खनन का पता लगता है तो कोयला कंपनियां कानून और व्यवस्था लागू करने वाले प्राधिकारियों को उसकी रिपोर्ट कर देती हैं। अधिनियमों के संशोधनों के बाद, कुछ मामलों में न्यायालय के आदेशों की आड़ में कोयले का अप्राधिकृत खनन हो रहा था। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 11-4-80 और 7-5-1980 के अपने निर्णयों में अधिनियमों के इन प्रावधानों को वैध ठहराया। इन निर्णयों के बाद, अवैध कोयला खनन एक बड़ी सीमा तक रोक लिया गया है। किन्तु, कभी-कभी कुछ व्यक्ति कानून के इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं और कोयले का अवैध खनन करते हैं। कोयला कम्पनियां और राज्य सरकारें ऐसे अपराधियों के खिलाफ समेकित कारवाई कर रही हैं। राज्य सरकारों ने जिला प्राधिकारियों को पहले ही यह अनुदेश जारी कर दिए हैं कि भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के साथ पठित इन अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक और निवारक कारवाई की जाए। कोयला कम्पनियों को भी निदेश दिए हैं। कि कोयले के अवैध खनन का जब कभी पता चले तो संबद्ध प्राधिकारियों को उसकी रिपोर्ट करें। कोयला कंपनियों के सुरक्षा स्टाफ और राज्य सरकारें दोनों ही इस सम्बन्ध में समय-समय पर छापे मारते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारियों की सेवा स्थितियों के ढांचे पर फकीर चन्द्र समिति

8623. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नियोजित कर्मचारियों की सेवा शर्तों के ढांचे पर फकीर चन्द्र समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की कौन सी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार की हैं और कौन सी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार नहीं की है ; और

(ग) क्या यह सच है कि संगठन के अधिकारी समिति द्वारा की गई वेतनमानों के सरलीकरण की सिफारिश को स्वीकार करने में असाधारण विलम्ब से हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जिन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल टी-6486/83]

(ग) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के वेतनमानों युक्तिसगत बनाने संबंधी प्रस्ताव, इस समय प्रस्ताव, सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली में मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना

8624. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न भागों में मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने का कोई आश्वासन दिया गया था ; यदि हां, तो कब ;

(ख) आश्वासन को किसी सीमा तक कार्यान्वित किया गया है ; और

(ग) क्या अन्य क्षेत्रों के मतदाताओं को भी यह सुविधा देने की कोई योजना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) 26 जुलाई, 1982 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 222 में पूछे जाने वाले अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में यह बताया था कि दिल्ली में फोटो लगे पहचान-पत्रों की स्कीम का कार्यान्वियन वर्ष समाप्त होने से पूर्व आरम्भ कर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने इस स्कीम को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अर्थात 6-दिल्ली सदर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में परीक्षण के रूप में आरम्भ करने का निनिश्चय किया और मुख्य निर्वाचन आफिसर, दिल्ली को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए ताकि वह इस कार्य को प्रारम्भ करके उसे दिल्ली महानगर परिषद के लिए साधारण निर्वाचन कराए जाने से पूर्व पूरा कर सके। किन्तु आयोग ने बाद में सूचित किया कि उसने सोचा कि स्कीम के कार्यकरण का उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां यह कार्यान्वित की गई हैं, वस्तुपूरक मूल्यांकन करना और उस स्कीम का विस्तार अन्य क्षेत्रों में करने के प्रश्न पर विचार करने से पूर्व उपयुक्त मूल्यांकन करना समीचीन होगा। अब निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट दी है कि मुख्य निर्वाचन नामावलियों का चालू गहन पुनरीक्षण पूरा होते ही, 6-दिल्ली सदर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को फोटो लगे पहचान पत्र दिए जाने की स्कीम आरम्भ करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन प्रयोग से बचत

8625. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** :

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रानिक मशीन द्वारा मतदान करने से खर्च में बचत होती

है, यदि हाँ, तो लोक सभा के (उदाहरण के लिए दिल्ली में) निर्वाचन क्षेत्र में, जहां अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक होती है, लगभग कितनी बचत होगी ;

(ख) क्या इस प्रणाली से अवैध मतों या पुनर्गणना की संभावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं ; और

(ग) इस प्रणाली को अपनाने से अन्य क्या-क्या लाभ मिलने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों से निर्वाचन किए जाने की लागत प्राक्कलित नहीं की है । अत, इस प्रक्रम पर, मतदान की परंपरागत रीति की तुलना में तत्संबंधी बचत के बारे में वास्तविक ब्यौरा तैयार करना कठिन है ।

(ख) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि इलैक्ट्रानिक मतदान प्रणाली द्वारा मतदान से अवैध मतों की या पुनर्गणना की संभावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी ।

(ग) निर्वाचन आयोग के अनुसार, यदि इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया जाता है तो मूर्त और अमूर्त दोनों व्ययों की, विशेष रूप से निम्नलिखित के बारे में बहुत अधिक बचत होगी, अर्थात् मतपत्रों के प्रयोग से अभिमुक्ति मिल जाएगी, मतदान कार्मिकों और यानों में कमी होगी, शीघ्र मतदान होगा, मतों की गणना और परिणामों की घोषणा करने के लिए अपेक्षित समय में कमी होगी और मतपेटियों का प्रयोग समाप्त हो जाएगा, आदि ।

जालन्धर आकाशवाणी से स्वर्ण मन्दिर के शब्द कीर्तन का प्रसारण

8626. श्री चिरन्जी लाल शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के जालन्धर स्टेशन से स्वर्ण मन्दिर अमृतसर के शब्द कीर्तन के प्रसारण के लिए सभी आवश्यक टेक्नीकल व्यवस्था पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रसारण कब से शुरू किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी, हां ।

(ख) समय और अवधि के बारे में निर्णय हो जाने के बाद रिले शुरू हो जाएगा ।

पालघाट ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के लिए ठेका

8627. श्री बी० वी० देसाई : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पालघाट ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के लिए फ्रांसिसी कम्पनी को ठेका न देने के बारे में फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पालघाट यूनिटों के बारे में फैसला करने में विलम्ब होने के कारण डाक-तार विभाग के एस० टी० टी० कार्यक्रम को वास्तव में आघात पहुंचा है ;

(ग) डाक-तार विभाग के अनुसार एस० टी० डी० लाइनों का आयात कब तक शुरू हो जाना चाहिये था ;

(घ) यदि हां, तो क्या अभी तक इस बारे में कोई संकेत नहीं मिले है कि ठेके को दिये जाने के बारे में कोई अन्तिम फैसला कब तक किया जायेगा ; और

(ङ) अन्तिम फैसला करने के बारे में विलम्ब होने के मुख्य कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) (क) इस परियोजना का ठेका देने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ और (ङ) इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज द्वारा विश्व स्तर पर आमंत्रित की निविदाओं से पता चलता है कि प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृत की लागत से बहुत अधिक हैं । अतः परियोजना के क्षेत्र को कम किया गया और निविदा भेजने वालों की सूची में से कुछ प्रस्तावकों को पुनः प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है । पुनः मांगने पर प्राप्त प्रस्ताव और फ्रांस के मैसर्स सी० आई० टी० अल्केटल द्वारा भेजे द्विपक्षी प्रस्तावों पर विचार हो रहा है और शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में एल० पी० जी० संयंत्र (चरण-दो) का विस्तार

8628. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पास इसके वर्तमान एल० पी० जी० संयंत्र (चरण-दो) का विस्तार करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त संयंत्र की क्षमता को कब तक बढ़ाये जाने की सम्भावना है ;

(ग) विस्तार कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(घ) इस बारे में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) जी, हां ।

(ख), से (घ) :-एल० पी० जी० संयंत्र के विस्तार कार्य में इस समय प्रगति है और ऐसी सम्भावना है कि इसको वर्ष 1985 तक पूरा कर लिया जाएगा जो एल० पी० जी० निकालने के लिए प्राकृतिक गैस की गैस विखंडन क्षमता को, 3 मिलियन घन मीटर प्रति दिन से बढ़ाकर 8 मिलियन घन मीटर प्रति दिन कर देगी। मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को इन्जीनियरी के लिए परामर्शदाता तथा प्रमुख ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है तथा उपकरण के लिए आर्डर दिये जाने में प्रगति है ।

बम्बई से दूर आर-13 संरचना में कुएं से तेल का बहाव

8629. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई से 95 किलो मीटर दूर दक्षिण-पश्चिम में आर० 13 संरचना में खोदे गये पहले अन्वेषणात्मक कुएं से 60 मीटर की गहराई से कच्चा तेल प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता का ब्यौरा क्या है और सरकार का इसका उपयोग करने के बारे में क्या कार्यक्रम हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) उत्पादन परीक्षण करने पर, 1/2" की चोक के द्वारा 2400 बैरल प्रति दिन के बहाव को देखा गया है। इसके उपयोग के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए, इस संरचना में तेल तथा गैस के भंडारों का एकमूल्यांकन किये जा सकने से पूर्व, और अधिक कूपों को खोदना पड़ेगा तथा आंकड़ों का विश्लेषण करना पड़ेगा।

अन्तराज्जीय विवादों के कारण जल विद्युत परियोजनाओं में विलम्ब

8630. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तराज्यीय विवादों के कारण कुछ जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कारण से जिन परियोजनाओं को निष्पादन में विलम्ब हुआ है उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उन जल विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग) जी हां, अन्तर्राज्यीय मामलों आदि के कारण स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हुई जल-विद्युत परियोजराओं की सूची विवरण रूप में संलग्न है। अन्तर्राज्यीय मामलों का समाधान करने के लिए केन्द्र सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहा है।

विवरण

उन जल विद्युत परियोजनाओं के नाम जिनकी परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हो चुकी हैं तथा अन्तर्राज्यीय पहुलओं के कारण विलम्ब हुआ है।

क्रम संख्या	स्कीम	उस राज्य का नाम जहां पर परियोजना स्थित है।	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
1.	किशाऊ (बहूउद्देशीय परियोजना)	उत्तर प्रदेश	600
2.	खारा	उत्तर प्रदेश	81

1	2	3	4
3.	पश्चिम यमुना चरण-2	हरियाणा	16
4.	ओरछा (बहुउद्देश्यीय परियोजना)	मध्य प्रदेश	90
5.	पंडियार पुन्नापूझा	तमिलनाडु	100
6.	चोलातीपूझा	तमिलनाडु	60
7.	नेल्लियथोराई	तमिलनाडु	500
8.	अपर अमरावती	तमिलनाडु	30
9.	बंगमुख नदी	तमिलनाडु	30
10.	पंडियार पुन्नापूझा टेल रेस	केरल	70
11.	मनन्थवाडी (बउहुद्देश्यीय परियोजना)	केरल	240
12.	कूट्टीयाडी विस्तार	केरल	—
13.	कावेरी विकास	कर्नाटक/तमिलनाडु	—
14.	मुकेरियां	पंजाब	207
15.	आनन्दपुर साहिब	पंजाब	134
16.	शाहपुर कंडी	पंजाब	94

कोयला-धोवनशालाओं में ठेके पर रखे जाने वाले श्रमिकों के विभागीयकरण के औचित्य की जांच करने संबंधी समिति

8631. **श्री ए०के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला धोवनशालों में विभिन्न श्रेणियों के ठेके पर रखे जाने वाले श्रमिकों के विभागीयकरण के औचित्य संबंधी मामले की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की गई थी; यदि हां, तो उक्त समिति संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है तथा समिति के सदस्यों के नाम क्या थे तथा उसमें क्या सिफारिशें की थीं और किन-किन तारीखों को सिफारिशें की थीं ;

(ख) क्या समिति अब भी काम कर रही है ;

(ग) क्या उसकी सभी सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं ;और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा- पटल पर रख दी जाएगी।

बी०सी०सी०एल० के अधिकारियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते

8662. श्री ए०के० राय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में बी०सी०सी०एल० के उच्च सदस्य दस अधिकारियों के यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों पर वर्ष वार कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है ;

(ख) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनन्होंने पिछले तीन वर्षों में सर्वाधिक यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों का आहरण किया गया है और प्रत्येक वर्ष में कुल कितनी धनराशि का आहरण किया गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि अधिकाँश खर्च फालतू किया गया है यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

छूट प्राप्त/गैर छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के सन्दर्भ में कर्मचारियों के भविष्य निधि की आकलित बकाया धनराशि

8633. श्री रामावतार शास्त्री : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिनियम के अंतर्गत आने वाले छूट प्राप्त/गैर छूट प्राप्त प्रतिष्ठान की ओर कुल कितनी बकाया धनराशि आकलित की गई है ;

(ख) क्या बकाया धनराशियों का आकलन करने हेतु केवल क्षेत्रीय आयुक्त ही सक्षम अधिकारी है और क्या वह प्रत्येक माह सभी दोसी प्रतिष्ठानों की ओर पाई जाने वाली बकाया धनराशि का आकलन कर पाते हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उप-क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकारी अधिकारी के अधिकार हस्तांतरित करने का है अथवा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अतिरिक्त पदों अथवा अतिरिक्त अथवा अतिरिक्त भविष्य निधि आयुक्त के पद का निर्माण करने का है ताकि समय पर सांवधिक प्रावधानों के अन्तर्गत बकाया धन-राशि का आकलन किया जा सके ; और

(घ) नियोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली बगैर आकलन की बकाया धनराशि कितनी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-12-1982 की स्थिति के अनुसार आँकी गई बकाया राशि नीचे दी गई है :

	रुपये करोड़ों में
छूट प्राप्त प्रतिष्ठान	18.90
छूट न प्राप्त प्रतिष्ठान	42.01

(ख) और (ग) : अभी तक, केवल क्षेत्रीय आयुक्त ही कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7-क के आधीन बकाया राशि का निर्धारण करने के लिए सक्षम थे। चूंकि सामान्यता क्षेत्रीय आयुक्तों के पास बहुत अधिक काम रहता था और वे बकाया राशि के निर्धारण से संबंधित कार्य को आसानी से नहीं निपटा पाते थे, इसलिए अब आदेश जारी किए गए हैं और विभिन्न क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में उप-क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के रैंक के अधिकारियों को पुनः पदानमित करके उन्हें बकाया राशि के निर्धारण के सांवधिक अधिकार दे दिए गए है।

(घ) : धारा 7-क के आधीन जांच-पड़ताल करने के पश्चात ही बकाया राशि का निर्धाधारण किया जा सकता है इसलिए जिस बकाया राशि का निर्धारण नहीं किया गया, उसका अनुमान देना संभव नहीं है।

ग्लेक्सो द्वारा विटे ओनोन और विटामिन ए का उत्पादन

8634. **श्री एन० ई० होरो** क्या रसायन और उरर्वक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्लक्सो द्वारा विटे ओजीन और विटामिन ए के उत्पादन के लिए बहुत अधिक मात्रा से आयातित सी डोलोन लिया गया है जिसको उच्च श्रेणी वाली प्रोद्योगिकी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इन पैनल्टीमेटस से उत्पादित औषधियों की एक प्रकार उच्च टैक्नोलोजी वाली औषधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार ग्लक्सो द्वारा। इन पेनस्टीट्स की कितनी मात्रा आयात की गई/ स्थानीय रूप से वसूल की गई ?

रसायन और उरर्वक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) कम्पनी ने सूचित किया है कि उन्होंने केवल निर्यात के लिए बेटा-आयोनिन का उत्पादन करने के लिए सीडो आइओनोन की निम्नलिखित आयातित मात्रा का उपयोग किया, जिसे समुद्रपार खरीद के आधार पर एक निर्यात गृह से प्राप्त किया गया था :

1979-80 — 79 टन

1980-81 — 65 टन

1981-82 — 187 टन

यह सूचित किया गया है कि विटामिन ए में परिवर्तन के लिए उनका बेटालोनोन का सम्पूर्ण स्वदेशी उत्पादन स्वदेशी लेमिनग्रास तेल से किया गया है। यद्यपि, बेटा-आयोजन की प्रक्रिया को "उच्च नहीं" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उच्च स्तरीय समिति ने लेमिनग्रास तेल से उत्पादित किए जाने वाले "विटामिन ए" की प्रक्रिया को उच्च प्रौद्योगिकी अन्तर्ग्रस्त" के रूप में घोषित करने के लिए इन की ध्यानापूर्वक जांच की और उसके लिए मापदण्डों तथा कारणों के ब्यौरे रिकार्ड किए।

मूल औषधियों के निर्माण में अनुसंधान के लिए नीति

8635. श्री एन०ई० होरो : क्या रसायन और उरर्वक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल औषधियों और फार्मास्युटिकल के निर्माण के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य चलाने के लिए कोई नीति निर्धारण करने हेतु सरकार ने पहले की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में और ऐसी नीति को लागू करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उरर्वक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, हां । इस सम्बन्ध में नीति 1978 के औषध नीति विषयक विवरण पत्र के पैराग्राफ 41, 72 और 77 से 83 तक में दी गई है (विवरण में पुन: प्रस्तुत) जिसकी प्रतियां 29-3-1978 को सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी । जहां तक पैराग्राफ 41 में निहित निर्णय का सम्बन्ध है, ऐसे निर्णय को, विदेशी औषध कंपनियों के औद्योगिक लाइसेंसों में नई शर्तें लगाने के लिए सरकार को शक्ति प्रदान करने के लिए औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम संशोधन किए बिना कार्यान्वित करना संभव नहीं है । अनुबन्ध में दर्शाए गए शेष निर्णयों के संबंध में संबंधित अनुसंधान संस्थान और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उपलब्ध संसाधनों आदि के नियंत्रण के अन्तर्गत सम्भावित सीमा तक उनको कार्यान्वित कर रहे हैं ।

विवरण

41. जिन विदेशी कम्पनियों का वार्षिक टर्न-ओवर रुपए 5 करोड़ से अधिक है, उन कम्पनियों के लिए यह बाध्य होगा कि वे देश के अन्दर अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए अपने नेट ब्लाक के कम से कम 29 प्रतिशत तक कैपीटल इन्वेस्टमेंट करें और आवंतक खर्च पर अपनी टर्न-ओवर का कम से कम 4 प्रतिशत व्यय करें ।

72. सरकारी क्षैत्र द्वारा अपनी शुद्ध बिक्री का 5 प्रतिशत अलग रखकर अनुसंधान और विकास के सम्बन्ध में एक उदाहरण प्रस्तुत करने की सिफारिश को जहां तक हो सके लागू किया जाएगा बशर्ते कि ऐसे निवेश लिए के निधि उपलब्ध हो ।

77. सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं में एपलाइड माइक्रोनाइलोजी के क्षेत्र में अनुसंधान के वर्तमान स्तर की रिपोर्ट पर विचार किए जाने के बाद ही विज्ञान तथा तकनीकी विभाग/सी.एस.आई.आर. द्वारा एन्जाइमालोजी एवं एन्जाइम में आर एण्ड डी के लिए एक मजबूत केन्द्रों की स्थापना के बारे में विचार किया जाएगा ।

78. सरकारी क्षेत्रीय इकाइयों के बीच आर. एण्ड डी कार्यकलापों के परिहार्य आवृति से बचने के लिए सभी प्रकार से प्रयास किए जाएंगे । जबकि सरकारी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा विदेशी तकनीकी के लिए हाल ही में तकनीकी के अनुभव के हस्तान्तरण की व्यवस्था के बारे में किए गए करारों में सामान्यतः प्रयास किए जाते हैं । इन करारों के पैरामीटर के अन्तर्गत वर्तमान करारों पर प्रत्येक केस (मामले) के अनुसार विचार किया जाएगा ।

79. सरकारी क्षेत्र एकक, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, राज्य संस्थाओं अन्य शैक्षिक संस्थाओं के आर. एण्ड डी एकक के साथ निकटतम सम्पर्क बनाए रखेगा पता लगाए गए संस्थानों में,

जहां अपेक्षित हो, उचित सुविधाएं भी दी जाएगी ताकि पृथक-पृथक परियोजनाओं को निर्धारण समय के अन्तर्गत पूरा किया जाए।

80. इण्डियन का काऊंसल आफ मेडीकल रिसर्च से अनुरोध किया जाएगा कि वे विशेष रुप से ट्रापीकल बीमारियों के लिए नई औषधियों की खोज पर अपना ध्यान केन्द्रित करें।

81. ट्रापिकल बीमारियों, एण्टी-मलेरिया, एण्टी फिलेरियल्स, एन्थलमीनटिकस और एण्टी-लीप्रोटिक्स के इलाज के लिए नई औषधियों की खोज के लिए केन्द्र द्वारा निर्दिष्ट अनुसंधान को उच्चतम प्राथमिकता दी जाएगी। कार्डी एक वैसक्यूलर बीमारियों, मेटावालिक डिसार्ड़ से और कन्ट्रासेप्शन के लिए नई औषधियों के बारे में तेज गति से अनुसंधान किया जाएगा।

82. देश में मूल रसायन कच्चे माल और मध्यवर्ती पदार्थों/उद्योगों तथा आर. एंड डी संस्थानों द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा।

83. आयातित प्रौद्योगिकी के बारे में उपस्करों की स्वीकृति खरीद की केवल उस सीमा तक व्यवस्था की जाएगी जब तब उनकी देश में निर्माण अथवा प्रतियोगी प्रस्तावों के अन्तर्गत व्यवस्था नहीं हो जाती है।

जनकपुरी के "बी" ब्लाक को जनकपुरी टेलीफोन एक्सचेन्ज से जोड़ना

8636. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय जनकपुरी, नई दिल्ली के "बी" ब्लाक को राजौरी गार्डन, नई दिल्ली टेलीफोन से एक्सचेंज से जोड़ा गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि जनकपुरी के अन्य ब्लाकों "ए" "सी" और "डी" को जनकपुरी टेलीफोन एक्सचेंज के साथ जोड़ा गया है ;

(ग) क्या सरकार जनकपुरी के "बी" ब्लाक को जनकपुरी टेलीफोन एक्सचेंज जो जनकपुरी के "बी" ब्लाक से काफी नजदीक है, से जोड़ने पर विचार कर रही है ; ओर

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां। जनकपुरी का "बी" ब्लाक राजौरी गार्डन टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है।

(ख) जी हां। यह सच है कि जनकपुरी के "ए" "सी" और "डी" ब्लाक जनकपुरी टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़े हुए हैं ;

(ग) जी नहीं। फिलहाल जनकपुरी के "बी" ब्लाक को जनकपुरी टेलीफोन एक्सचेंज से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जनकपुरी का "बी" ब्लाक ही एकमात्र ऐसा ब्लाक है जो राजौरी गार्डन से जुड़ा है। इस ब्लाक को जनकपुरी एक्सचेंज के साथ इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि उक्त एक्सचेंज में अपेक्षित क्षमता का अभाव है। इससे पहले यह ब्लाक दिल्ली कैन्ट एक्सचेंज से जुड़ा

हुआ था। तथापि मार्च 1978 में राजौरी गार्डन एक्सचेंज का विस्तार हो जाने पर "बी" ब्लाक को इस एक्सचेंज में स्थानांतरित कर दिया गया।

देश में और अधिक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

8637. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि भारत में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर ;

(ग) उनका कार्यकरण कैसा चल रहा है ;

(घ) क्या देश में वर्ष 1983-84 के दौरान और अधिक इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए किन स्थलों का चयन किया गया है, सरकार का इस बारे में क्या कार्यक्रम है और ऐसे प्रत्येक एक्सचेंज में कितनी लाइन होंगी ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश में कोसीकलां, नैनीताल और उझानी

(ग) ये संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) वर्ष 1983-84 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर एलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित किए जाने की सम्भावना है :

1. बम्बई :—	(एक) कूपरेज iv	10,000 लाइनें
	(दो) बांका i	10,000 लाइनें
	(तीन) वर्ली iii	10,000 लाइनें
2. दिल्ली	(एक) तीस हजारी iv	10,000 लाइनें
	(दो) ईदगाह	10,000 लाइनें
3. अलमोड़ा (उत्तर प्रदेश)		384 लाइनें

सी०सी०एल० द्वारा आदवासियों/हरिजनों की भूमि को हड़पना

8638. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हजारीबाग जिले, की कोयला खानों के तोपा, हासगढ़ सुलिया, आरा, केदला, नापिल आदि कोयला खानों में सी०सी०एल० के बिना औपचारिक रूप से भूमि अधिग्रहण किए बिना मुआवजा दिए, बिना नौकरी दिए, एवं बिना फसल की क्षतिपूर्ति किये आदिवासी हरिजन पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों की जमीनें हड़प ली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं और सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) यह कहना सच नहीं है कि सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० नेहजारीबाग जिला में टोपा, हसगारा, सुगिया, बारा, केडला, तपिन, आदि क्षेत्रों में आदिवासियों, हरिजनों और अल्प संख्यकों की जमीन हथिया ली है। भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियस के प्रावधानों के अधीन हजारीबाग के जिला प्राधिकारियों के माध्यम से और कोयला धारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विलास) अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार के माध्यम से किया गया है। जब कभी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो काश्ततारों को देय मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है और किया जा रहा है। कम्पनी के प्रतिमानों के अनुसार काश्तकारों को रोजगार भी दिया गया है। काश्तकारों की सहमति के साथ भूमि-अधिग्रहण की बात तय होने के लिए बातचीत के दौरान तत्काल आवश्यकता के कारण जहां भूमि ली गई है वहां फसल का मुआवजा दिया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा भूमि का अधिग्रहण

8639. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारीकरण के बाद कोल इंडियन लि० की विभिन्न कम्पनियों द्वारा खानों के विस्तार एवं नई परियोजनाओं हेतु अब तक भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत तथा कोल बियरिंग एक्ट, 1957 के तहत अलग-अलग कुल कितने एकड़ भूमि अर्जित की गई है ; और

(ख) जमीनों के बदले अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया गया एवं कितनों के लिए पुनर्वास एवं मुआवजे की व्यवस्था की गई तथा तत्सम्बन्धी जिलावार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बरौनी ताप बिजली घर के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

8640. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी ताप बिजलीघर में विभिन्न श्रेणी में कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) इन कर्मचारियों में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी हैं ; और

(ग) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा हो गया है और यदि नहीं, तो शेष कोटे का पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख जाएगी।

मामलों को अधिनिर्णय के लिए भेजना

8641. **श्री राम विलास पासवान :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बद्ध मंत्रालयों से स्वीकृति लिए बिना मामलों को अधिनिर्णय के लिए नहीं भेजता है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन है;

(ख) क्या उनका मंत्रालय बिहार के हजारीबाग जिले के कोल फील्ड लेबर यूनियन द्वारा 1976 में उठाए गए मामले को अधिनिर्णय के लिए अब तक नहीं भेज सका है; और

(ग) यदि उक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस संबन्धों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) निर्धारित पद्धति के अनुसार, श्रम विभाग औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत विवाद (विवादों) को न्यायनिर्णयन के लिए भेजने से पहले उन सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों से विचार-विमर्श करता है जिनके नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र के सम्बन्धित उपक्रम आते हैं। किसी मामले को न्याय-निर्णयन के लिए भेजा जाय या न भेजा जाय, इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर श्रम विभाग द्वारा लिया जाता है। इस प्रक्रिया का अनुपालन करने से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता।

(ख) और (ग) 1976 में बिहार के हजारीबाग जिले की कोलफील्ड लेबर यूनियन ने कोई औद्योगिक विवाद नहीं उठाया था। तथापि, कुछ यूनियनों ने सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की कोलियरियों में 1976 में भूतपूर्व ठेकेदारों के फालतू हुए श्रमिकों को खपाने की मांग से सम्बन्धित औद्योगिक विवाद उठाया था। इन औद्योगिक विवाद में अन्तिम निर्णय ले सकने के लिए श्रम विभाग भूतपूर्व ठेकेदार के श्रमिकों के सम्बन्ध में कोयला कम्पनियों की कानूनी स्थिति के निर्वचन की प्रतीक्षा कर रहा है। कोलफील्ड लेबर यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा अभ्यावेदन देने पर अभी हाल में यह निर्णय लिया गया है कि यदि सरकार इस मामले को न्याय-निर्णयन के लिए भेजे, तो इस विवाद में यूनियन को भी पक्षकार के रूप में अभियोजित कर लिया जाय।

जापान से वर्क ओवर रिगों की सप्लाई के लिए करार

8642. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने जापान की हिताची को दो वर्क ओवर रिगों के निर्माण और सप्लाई के लिए आर्डर देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो लागत के सम्बन्ध में ब्योरा क्या है और यदि कोई करार किया गया है तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

टेलीग्राफ इंजीनियरिंग प्रभाग, अलीगढ़ में टेलीफोन आपरेटरों, लिपकों और टेक्नीशियनों के पदों के लिए चयन में अनियमितताएं

8643. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ टेलीग्राफ इन्जीनियरिंग प्रभाग में 1981 के दौरान टेलीफोन आपरेटरों, लिपकों और टेक्नीशियनों के पदों के लिए चयन किया गया था जिसके संबंध में अनियमितताएं होने के बारे में कुछ शिकायतें की गई हैं और यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इन अनियमितताओं के किए कौन उत्तरदायी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां। इन संवर्गों की समूची चयन सूची रद्द कर दी गई है और नई सूची बनाने के आदेश दिए गए हैं।

(ख) जिम्मेदारी नियत करने के लिए इसकी जांच की जा रही है और उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी।

तेल के मूल्य में कमी

8644. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस भविष्यवाणी पर दिलाया गया है कि अब कम हो रहे अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्य लगभग 5 वर्षों बाद पुन: बढ़ेंगे और यदि हां, तो ऐसे किसी संकट से निपटने के लिए सरकार के पास कौन सी अग्रिम योजनाएं हैं; (28 फरवरी, 1983 का इंडिया टुडे); और

(ख) क्या सरकार की हमारी निर्भरता को कम करने और अल्कोहल और कोयले से ईंधन तेल जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर आत्मनिर्भर होने की दिशा में कोई योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हाँ, स्वदेशी अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन को तेज करके और साथ ही उनके कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाकर अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्म निर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) अभी तक किये गये अध्ययन यह दर्शाते हैं कि कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन

करने की लागत लगभग 40 यू० एस० डालर प्रति बैरल होगी। अपेक्षित प्रौद्योगिकी के साथ गति रखने का निर्णय लिया गया है और इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है और यह दल प्रारम्भ में एक प्रक्रिया प्रमाणन यूनिट की स्थापना की संभाव्यता की जांच करेगा।

हालांकि इथाइल अल्कोहल के साथ मोटर स्पिरिट के सम्मिश्रण की प्रौद्योगिक आवश्यकता सिद्ध हो चुकी है, इस कार्यक्रम को घरेलू स्रोतों से इथाइल अल्कोहल की पर्याप्त एवं नियमित उपलब्धता सुनिश्चित होने पर तथा इसकी आर्थिकी प्रमाणित हो जाने पर ही लागू किया जा सकेगा।

वर्तमान में ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत विभाग सौर ऊर्जा, वायु शक्ति, बायो गैस, बायोमास, लघु हाइड्रोपावर, ऊर्जा के रसायनिक स्रोतों इत्यादि के अनुसंधान विकास, प्रमाणन तथा विस्तार के एक विस्तृत कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है।

रंगीन फिल्मों का आयात

8645. **श्री राम लाल राही : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाड के दौरान दिखाई गई कुछ रंगीन फिल्मों का विदेशों से आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि लगभग 25 लाख रुपये लागत की कुछ फिल्में 23, इन्दिरा गोदी से गायब पाई गई; और

(घ) यदि हां, तो इस संबन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और तत्संबंधी पूर्ण ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : विशेषकर एशियाड के दौरान भारत में दिखाए जाने के लिए किसी फीचर फिल्म का आयात नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : यह रिपोर्ट की गई है कि रंगीन फिल्मों सहित फोटोग्राफिक सामग्री से युक्त 135 पैकेज अक्तूबर, 1982 में इन्दिरा, बम्बई, गोदी में बर्थों पर एक डिब्बे से गुम हुए पाए गए थे। चोरी किए गए माल का लागत, बीमा, भाड़ा सहित मूल्य लगभग 5,74, 815 रुपये हैं। स्टीमर के एजेंटों ने येलो गेट पुलिस थाना, बम्बई में एक शिकायत दर्ज करा दी थी जो अपराधियों को पकड़ने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है।

महाराष्ट्र और गुजरात में गैस पर आधारित पेट्रो-रसायन उद्योग

8646. **श्री निहाल सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र और गुजरात में गैस पर आधारित दो पेट्रो-रसायन उद्योग स्थापित करने के लिए कुछ विख्यात प्रोसेस लाइसेंसधारियों से निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(क) यदि हां, तो उन लाइसेंसधारियों का ब्योरा क्या है जिन्होंने सरकार को अपनी निविदाएं भेजी हैं; और

(ग) उन निविदाओं का निपटान कब तक कर दिया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) से (ग) इस समय सूचना बताना जन हित में नहीं होगा।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन को हानि

8647. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन को 1981 से भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जीं, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

बायोमास का सुवाह्य ऊर्जा में परिवर्तन

8648. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने बायोमास को सुवाह्य ऊर्जा में परिवर्तित करने की एक बेहतर प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो उस संस्थान, प्रयोगशाला अथवा अनुसंधान केन्द्र के नाम क्या हैं जिसमें ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की गई है;

(ग) क्या उक्त मामले पर अनुसंधान कार्य करने के लिए कोई केन्द्र प्रायोजित योजना क्रियान्वयनाधीन है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) बायोमास शोधन तथा जैव रूपान्तरण द्वारा ईथनोल के रूप में सुवाह्य ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया पर आधारित द्रव ऊर्जा के उत्पादन की एक विधि का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के जीव रासायनिक विभाग में कर लिया गया है।

(ग) और (घ) अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत आयोग (केस) ने इस विधि का इस्तेमाल कर के 500 लीटर ईथनोल के उत्पादन की एक परियोजना पर एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। यह रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

तेल के रुग्ण कुएं

8649. श्री रतनसिंह राजदा :
प्रो० अजित कुमार मेहता :
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में तेल के कुएं रुग्ण हो गए हैं अथवा होते जा रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कुओं की वर्षवार संख्या कितनी है और इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) इन कुओं में फिर से उत्पादन आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उसके परिणामस्वरूप ऐसे कितने कुओं में उत्पादन आरम्भ हो गया है; और उनमें से अलग-अलग कितनी मात्रा में तेल का उत्पादन हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने इस दिशा में विदेशों से सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयास किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। मार्च, 1983 के अन्त के आस-पास, ऐसे कुओं की संख्या 537 थी। रुग्ण कुओं की स्थिति निम्नलिखित रूप में थी :

1. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

तिथि	रुग्ण कुओं की कुल संख्या		
	तटीय	अपटीय	योग
1.4.81	434	1	435
1.4.82	456	3	459
1.4.83	447	3	450

2. आयल इण्डिया लिमिटेड

1.4.81, 1.4.82 और 1.4.83 की यथास्थिति को रुग्ण कुओं की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ग) रुग्ण तेल के कुओं की मरम्मत करने और सक्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

1. अपतटीय के लिए वर्क ओवर मम जैक-अप रिगों तथा तटवर्ती के लिए भूमि वर्क ओवर रिगों की संख्या बढ़ानी तथा और इन्हें 24 घण्टे चलाना;
2. रुग्ण कुओं की मरम्मत के लिए विदेशी विशेषज्ञता प्राप्त करना;
3. रुग्ण कुओं का उत्तेजन;
4. कुओं को धीरे धीरे क्रत्रिम उठान पर रखना।

पुनः चालू किये गये रुग्ण कुओं की संख्या और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उनसे उत्पादित तेल निम्नलिखित रूप में है :—

1. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

वर्ष	पुनः चालू किये गये कुओं की संख्या		उत्पादित तेल
	तटीय	अपटीय	
80-81	152	शून्य	1831 मी० टन
81-82	149	शून्य	2656 मी० टन
82-83	178	शून्य	2426 मी० टन

इसके अलावा, बम्बई हाई में वर्ष 1981-82 के दौरान 5 कुओं पर तथा वर्ष 1982-83 के दौरान 7 कुओं पर मरम्मत कार्य किया गया था। इन कुओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे तेल के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा पुनः चालू किये गये कुओं की संख्या तथा उससे उत्पादित किये गये तेल के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(घ) और (ङ) जी, हां। अधिकांश रुग्ण कुओं की सर्विस/मरम्मत का कार्य तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा स्वयं किया जाता है। तथापि, रुग्ण कुओं के स्वयं को पूरा करने के लिए तथा जटिल कुओं की मरम्मत कार्य को पूरा करने के लिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 120 रुग्ण कुओं के मरम्मत कार्य के लिए तथा इस क्षेत्र में सक्कर रांड पंपिंग यूमिटों की प्रतिष्ठापन तथा अनुरक्षण के लिए सोवियत संघ के साथ एक करार किया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिमी क्षेत्र में कूप उत्तेजन सेवा के लिए कनाडा की मैसर्स नाडस्को वैल सर्विसिज के साथ भी एक करार दिया है। अपतटीय में मरम्मत कार्यों के लिए (जो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के साथ किये गये समय सी० एफ० पी० करार का एक भाग है) आयोजना तथा तकनीकी परामर्शी सेवा में एक सी० एफ० पी० इन्जीनियर को भी सहयोजित किया गया है।

अपने कुछ तेल के रुग्ण कुओं की मरम्मत कार्य (जिसमें एक सीमित मात्रा में विदेशी विशेषज्ञता सहायता की आवश्यकता है।) के बारे में आयन इन्डिया लिमिटेड कुछ विदेशी एजेंसियों से सम्पर्क स्थापित कर रही है।

बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि से सहायता

8650. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मकानों के निर्माण और छात्रवृत्ति के लिए बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि से सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों की राज्यवार संख्या कितनी है और उनमें से कितने लोगों को इस निधि से सहायता दी जा चुकी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : 1982-83 के दौरान, बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के अधीन छात्रवृत्तियों के लिए प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की संख्या और उनमें से स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। 1982-83 के दौरान मकान बनाने के लिए कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	1982-83 के दौरान छात्रवृत्ति के लिए प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या	1982-83 के दौरान छात्रवृत्ति के लिए मंजूर किए गए आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	गुजरात	2611	1089
2.	राजस्थान	347	253
3.	कर्नाटक	3500	2261
4.	तमिलनाडु	3734	1761
5.	आंध्र-प्रदेश	1291	899
6.	केरल	3000	679
7.	महाराष्ट्र	4210	2596
8.	मध्य-प्रदेश	5519	3512
9.	पश्चिम बंगाल	8628	2017
10.	उड़ीसा	611	347
11.	असम	41	30
12.	त्रिपुरा	133	86
13.	उत्तर-प्रदेश	3631	1252
14.	बिहार	(उ० न०)*	(उ० न०)*

*उपलब्ध नहीं है।

कोयला खानों के मुहानों पर कोयला एकत्र होना

8651. श्री भीष्म सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1982 में अनेकों कोयला खानों के मुहानों पर बड़ी तादाद में कोयले का भंडार एकत्रित हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो खानवार कितनी मात्रा में कोयला एकत्र हो गया था ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिनांक 31.12.1982 की स्थिति के अनुसार कोल इण्डिया लि० की सहायक कंपनियों में एकत्र कोयला स्टाकों का एरिया-वार ब्योरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

कच्चे कोयले का क्षेत्रवार ब्योरा

(आंकड़े लाख टनों में)
(आंकड़े अनन्तिम)

एरिया	31 दिसम्बर, 1982 को		
ईस्टर्न कोलफील्डस लि०		से० को० लि०	
पांडेश्वर	3.46	बरकाकाना	6.85
बंकनेला	0.93	अरगदा	7.16
केन्दा	2.89	हजारीबाग	13.39
काजोरा	2.74	राजरप्पा	4.90
कुनुस्टोरिया	1.28	कुजु	7.27
कस्ताफील्ड	0.71	एन० के०	4.01
खोटाडीह	—	कारगली	1.75
सतग्राम	0.90	घोरी	4.37
श्रीपुर	3.00	कठारा	10.10
सीतारामपुर	0.81	उड़ीसा	2.05
सोदेपुर	0.36	सिंगरौली	3.19
सालनपुर	9.26		
एस० पी० माइन्स	8.49	कुल से० को० लि०	65.11

लालमटिया	3.12	वे० को० लि०	
निरशा	1.43	————	
कापासरा	2.92	वर्धा	2.42
	———	नागपुर	1.53
कुल ई० को० लि०	42.30	पाथरखेरा	0.45
भा० को० को० लि०		पेंच	1.45
————————		कनहान	0.97
बरोरा	4.37	कोरबा	7.99
महुदा	0.76	सुहागपुर	5.78
गोविंदपुर	5.01	चिरमिरी	5.22
कटरास	4.87	बैंकुठपुर	1.48
सिजुआ	7.06	इगराखंड	1.95
कुसुन्दा	4.79	इबघाटी	0.31
चंच/विक्टोरिया	3.97		——
भागबंद	7.38	कुल वे० को० लि०	29.58
कुस्टोरे	3.52		——
बस्ताकोला	4.22	ना० इ० को० (एरियावार विवरण उपलब्ध नहीं)	
लोडना	2.87	0.15	
भंवरा	1.29		
सुदामडीह	1.34		
मूनीडीह	0.09		
	——		
कुल: भा० को० को० लि०	51.54		

पांचवी योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण

8652. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही। क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं योजना में विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धि क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : पांचवीं योजना अवधि (1974-78) के दौरान 58,492 गांवों के विद्युतीकरण और 9,17,478 सिंचाई पम्प सेटों/ट्यूबैलों के ऊर्जन के लक्ष्य की तुलना में अखिल भारतीय आधार पर 60,134 गांवों को विद्युतीकृत और 8,73,768 पम्पसेटों/ट्यूबवैलों को उर्जित किया गया था। विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में गावों के विद्युतकरण और पम्पसेटों के ऊर्जन, दोनों के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धि को दिखाने वाला ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पांचवीं योजना (1974-78) के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के संबंध में भौतिक लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भौतिक लक्ष्य		वास्तविक उपलब्धि	
		गांव	पम्पसेट/ ट्यूबवैल	गांव	पम्पसेट/ ट्यूबवैल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3,790	58,930	4,447	58,580
2.	असम	2,276	3,188	1,030	349
3.	बिहार	6,146	52,656	8,599	(+) 43,060
4.	गुजरात	2,530	61,560	2,445	53,345
5.	हरियाणा	(*)	32,500	(*)	38,684
6.	हिमाचल प्रदेश	2,450	450	3,253	432
7.	जम्मू और कश्मीर	8,974	239	2,679	377
8.	कर्नाटक	2,800	55,000	2,516	72,674
9.	केरल	84	44,230	51	21;261
10.	मध्य प्रदेश	4,475	96,064	5,647	1,00,365
11.	महाराष्ट्र	4,004	99,065	4,709	1,46,441
12.	मणिपुर	73	12	22	—
13.	मेघालय	507	344	228	47
14.	नागालैंड	125	शून्य	100	—
15.	उड़ीसा	4,840	4,100	6,084	3,668
16.	पंजाब	3,200	70,000	5,048	66,910
17.	राजस्थान	4,095	49,250	4,221	54,748
18.	सिक्किम	38	शून्य	43	—
19.	तमिलनाडु	81	1,29,000	67	1,28,401
20.	उत्तर प्रदेश	8,400	1,37,500	5,261	65,110
21.	त्रिपुरा	320	282	307	105
22.	पश्चिमी बंगाल	5,780	18,700	3,154	13,811
	जोड़ (राज्य)	58,288	9,13,070	59,911	8,68,368

1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह			17	1
2.	अरुणाचल प्रदेश			55	शून्य
3.	चण्डीगढ़			(*)	70
4.	दादरा और नगर हवेली			31	90
5.	दिल्ली	204	4,408	(*)	3,023
6.	गोवा, दमन और दीव			112	969
7.	लक्षद्वीप			1	शून्य
8.	मिजोरम			7	शून्य
9.	पाण्डिचेरी			(*)	1,247
जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)		204	4,408	223	5,400
जोड़ (अखिल भारत)		58,492	9,17 478	60,134	8,73,768

—(*) 100% ग्राम विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(+)— पूर्व की अवधि में हिसाब में न लाए गए 3635 विद्युतीकृत गांव इसमें शामिल हैं।

मिटटी के तेल का उत्पादन और खपत

8653. श्री चिन्तामणि जेना : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में वर्ष 1982-83 के दौरान मिटटी के तेल की कुल खपत कितनी थी ;

(ख) देश में वर्ष 1982-83 में मिटटी के तेल का कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितने बैरल मिटटी के तेल का आयात किया गया; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क)

विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में 1982-83 के दौरान मिटटी के तेल की कुल खपत/ बिक्री 5107791 मीट्रक टन (अस्थायी) थी।

(ख) 1982-83 के दौरान मिट्टी के तेल का उत्पादन (अप्रैल, 82,फरवरी 83) 30, 75,000 मीट्रक टन होने का अनुमान है।

(ग) और(घ) वर्ष। 1982-83 के दौरान (अप्रैल, 1982 से फरवरी, 1983 तक) 542.89 करोड़ रुपये मूल्य की मिट्टी के तेल की कुल 17, 10, 000 मीट्रिक टन मात्रा का आयात किया गया था।

प्रेस आयोग की सिफारिश पर भाषा समाचार एजेन्सी का बनाया जाना

8655. **श्री ए०नीला लोहिथा वसन नाडार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि प्रेस आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भाषा समाचार एजेन्सी बनाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी, हां।

(ख) सिफरिशों पर विस्तार से विचार किया गया है; किन्तु अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

गांवों का विद्युतीकरण और मध्य प्रदेश के गांवों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था

8656. **श्री सत्य नारायण जटिया : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य वार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और कितने गांवों का अभी विद्युतीकरण किया जाना है;

(ख) मध्य प्रदेश में कितने गांवों में (स्ट्रीट लाईट) दी गई है और कितने गांवों में 1983 84 में यह सुविधा दिए जाने की संभावना है तथा यदि इस सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने गांवों में "स्ट्रीट लाईट"संबंधी मामले अथवा अनुरोध विचाराधीन हैं; और

(ग) मध्य प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार एक हजार की आबादी के ऐसे कितने गांव है जहां "स्ट्रीट लाईट" नहीं है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) (क) 28-2-1983 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या तथा विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की संख्या के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1983 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में32, 833 विद्युतीकृत गांवों में से 11,316 गांवों में सड़क रोशनी

की व्यवस्था कर दी गई है और 1983-84 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, परन्तु मांग को पूरा किया जाता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने पर निर्भर करता है। बोर्ड ने यह भी सूचित किया है कि पिछले 3 वर्षों से वे प्रतिवर्ष औसतन 1350 गांवों में सड़क रोशनी की सुविधाओं की व्यवस्था कर रहे हैं। दिसम्बर, 1982 तक 1555 गांवों में सड़क रोशनी के लिए किए गए अनुरोधों पर बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) 1881 की जनगणना के आंकड़े मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

कुल गांवों की संख्या, 28-2-1983 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांवों तथा विद्युतीकृत किए जाने के लिए शेष बचे गांवों को दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	गांवों की कुल संख्या (1971 की जनगना के अनुसार)	28-2-1983 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांवों की संख्या	विद्युतीकृत किए जाने वाले शेष गांव
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	27,221	20,283	6,938
2.	असम	21,995	6,892 (क)	15,103
3.	बिहार	57,566	26,757	40,809
4.	गुजरात	18,275	13,842	4,433
5.	हरियाणा	6,731	6,731	—
6.	हिमाचल प्रदेश	16,918	12,319 (ख)	4,597
7.	जम्मू और कश्मीर	5,503	5,186	1,317
8.	कर्णाटक	26,826	18,229	8,597
9.	केरल	1,268	1,268	—
10.	मध्य प्रदेश	70,883	31,738 (ग)	39,145
11.	महाराष्ट्र	35,778	30,121 (ग)	5;651
12.	मणिपुर	1,949	407	1,542
13.	मेघालय	4,583	961 (ग)	3,622
14.	नागालैंड	960	490	470
15.	उड़ीसा	46,992	20,681	26,311

1	2	3	4	5
16.	पंजाब	12,188 (+)	12,126	—
17.	राजस्थान	33,305	16,708	16,597
18.	सिक्किम	405 (×)	108	297
19.	तमिलनाडु	15,735	15,633	102
20.	त्रिपुरा	4,727	1,415	3,312
21	उत्तर प्रदेश	1,12,561	15,113	61,448
22.	पश्चिमी बंगाल	38,074	17,316	20,758
जोड़	(राज्य)	5,71,441	3,10,324 (+)	2,61,056
जोड़	(संघ राज्य क्षेत्र)	4,685	1,821	2,864
जोड़	(अखिल भारत)	5,76,126 (जनगणना के अनुसार) 5,76,064 (आबाद)	3,12,145 (+)	2,63,919

(×) जनगणना प्राधिकारियों ने राजस्व ब्लाक को सबसे छोटी प्रशासनिक यूनिट माना है।

(+) 62 गांव और गैर-आबाद घोषित कर दिए गए हैं।

(क) 30-11-1982 की स्थिति के अनुसार।

(ख) 31-12-1982 की स्थिति के अनुसार।

(ग) 31-1-1983 की स्थिति के अनुसार।

पूरे किए गए, क्रियान्वित किए जा रहे और स्वीकृति की प्रतीक्षा में ताप बिजली घर

8657. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने ताप बिजली घर पहले ही पूरे और चालू हो गए हैं, कितने बिजली घरों का क्रियान्वयन किया जा रहा है और कितनी ताप बिजली परियोजनाओं को छठी योजनाओं के दौरान स्वीकृति करने का प्रस्ताव है, इस सम्बन्ध में राज्यवार सूची क्या है; और

(ख) भारत सरकार और राज्यों के अधीन अलग-अलग ताप बिजली घरों के नाम क्या हैं?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई ताप-विद्युत परियोजनाओं की

सूची तथा इनको चालू करने की वर्तमान स्थिति उपाबंध-1 में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6487/83] 1980-81 से 1983-84 तक छठी योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा अब तक अनुमोदित परियोजनाओं की सूची क्रमशः उपाबंध 2 से 5 में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 6487/83]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा सिविल-ड्राफ्टसमैनों को दिया गया प्रशिक्षण

8658. **श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या को हल करने की दृष्टि से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सिविल-ड्रफ्टसमैन का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कब शुरू किया गया था ;

(ख) क्या सरकार ने कोई ऐसे अनिवार्य आदेश जारी किए हैं कि इन संस्थानों में प्रशिक्षित ड्राफ्टसमैनों को अर्हताप्राप्त मान लिया जाना चाहिए ; और

(ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ड्राफ्टसमैनों और स्टेनोग्राफरों को कितनी अवधि का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा क्या मन्त्रालय ने इन पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता और महत्व देने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मबीर) : (क) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, 1950 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अन्य व्यवसायों के साथ नक्शानवीस (सिविल) के व्यवसाय को शुरू किया गया था ;

(ख) जी, हां।

(ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नक्शानवीस (सिविल) और आशुलिपि व्यवसायों में प्रशिक्षण की अवधि क्रमशः 2 वर्ष और 1 वर्ष है। उपर्युक्त दोनों पाठ्यक्रमों को दी गई है प्राथमिकता तथा महत्व अन्य पाठ्यक्रमों के बराबर हैं।

निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों और आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों का विकास

8659. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने छठी योजनावधि के दौरान निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों और आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम और योजनाएं बनाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछड़े क्षेत्रों और आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए डाक तथा दूरसंचार सर्किल द्वारा अलग योजनायें और कार्यक्रम बनाए गए हैं ;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने छठी पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजनाओं के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में केवल इन क्षेत्रों के लिए धनराशि और सामग्री निर्धारित की है ;

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं, और

(ङ) इन क्षेत्रों के लिए धनराशि निर्धारित न करके और सामग्री की उपलब्धता न होने के कारण कठिनाईयों तथा विलम्ब दूर करने लिए सर्किलों और उनके संचालन मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) पिछड़े क्षेत्रों में निधि के अलग से वितरण का प्रावधान योजना के अंतर्गत नहीं होता। फिर भी, ऐसे क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों की आवश्यकता के आधार पर कुल अनुदान से निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। जहां तक ग्रामीण डाकघरों के खोलने का सम्बन्ध है प्रत्येक वार्षिक योजना के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों के लिए वास्तव में अलग-अलग लक्ष्य रखे गए हैं। देश के जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के लिए निधि का निर्धारण कर दिया गया है। पिछड़े और जनजातीय उप योजना क्षेत्रों में जिस योजना पर कार्रवाई की जानी है उसकी आवश्यकता दो अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

राज्यों में मुक्त किये गये बंधुआ मजदूर और उन्हें दी गई सहायता

8660. **श्री मनोहरलाल सैनी :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये 20 सूत्री कार्यक्रम चलाये जाने के बाद से राज्यवार कितने बंधुआ मजदूरों को मुक्त किया गया है ;

(ख) क्या मुक्त किये गये बंधुआ मजदूरों को भूमि के आबंटन सहित दी गई आश्वसित सहायता उन्हें अधिक समय बर्बाद किये बिना दे दी गई अथवा वह सहायता उन्हें अभी दी जानी है और क्या पहाड़ों की चटियों पर पर भूमि आबन्टित की गई है ;

(ग) क्या बंधुआ मजदूर अपनी जानकारी नहीं देना चाहते हैं वे मुक्त होने के लिये सामने नहीं आते हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो बन्धुआ मजदूरों द्वारा उठायी जा रही कठिनाइयों को दूर करने तथा लाभकारी तथा सार्थक रूप से उन्हें फिर से बसाने के लिए क्या कारगर कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, नए 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से अर्थात् 1.-1.1982 से 28.2.1983 तक विभिन्न राज्यों में पता लगाए गए तथा मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों की संख्या दर्शाई गई है।

(ख) बन्धुआ श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनयम, 1976 के अधीन बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा फिर से बसाने की समस्त जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है, जो अधिनियम के अधीन "समुचित सरकारे" हैं। राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है कि वे पुनर्वास योजनाओं का समय पर दिष्पादन करके बन्धुआ श्रमिकों का शीघ्र पुनर्वास सुनिश्चित कराएं : तथापि, कुछ मामलों में मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास की प्रक्रिया में कुछ देरी हो जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुनर्वास अधिकांशत: स्थलाकृतिक तथा जलवायु संबन्धी दशाओं पर निर्भर करता है और बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु व्यवस्थित किए जाने वाले निवेशों तथा परिसम्पत्तीयों के उपलब्ध न होने के कारण पुनर्वास की अभिसीमाएं हैं। भूमिपर आधारित पुनर्वास योजनाओं के सम्बन्ध में, राज्य सरकारों के लिए अपेक्षित है कि वे सुविधाजनक स्थानों पर भूमि आबन्टित करें। लाभानुभोगियों को आबन्टित करने से पूर्व उसका विकास करे, उसे खेती योग्य बनाएं तथा सिंचाई सुविधाओं, आदि की व्यवस्था करे।

(ग) मंत्रलय को इस सम्बन्ध में किसी राज्य सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि बन्धुआ श्रमिक अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहते और मुक्त होने के लिए सामने नहीं आते।

(घ) समय-समय पर राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि जहां कहीं बन्धुआ श्रमिकों के विद्यमान होने का पता लगे, वे उन्हें शीघ्र मुक्त कराने तथा फिर से बसाने के लिए तुरन्त कारगर उपाय करे, जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों में गहन सर्वेक्षण करना भी शामिल है। राज्य सरकारों के प्रयासों की अनुपूर्ति करने के उद्देश्य से 1978-79 से एक केन्द्र संचालित योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए बराबर-बराबर (50:50) के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में प्रत्येक बन्धुआ श्रमिक के पुनर्वास के लिए 4000/–रुपये की दर से व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, जिसमें से आधी राशि केन्द्र के भाग के रूप में दी जी है। यह सुनिश्चत करने से लिए बन्धुआ श्रमिकों को स्थायी आधार पर पुनर्वासित किया जाए, राज्य सरकारों को (सितम्बर, 1982) में यह सलाह दी गई है कि केन्द्र द्वारा संचालित योजना का वैसी ही अन्य योजनाओं का अर्थात् समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट कम्पोनेंट प्लान और आदिवासियों सम्बन्धी "उप-योजना" तथाराज्य सरकार की अन्य वर्तमान योजनाओं के साथ समाकलन करें / सामजस्य स्थापित करे, ताकि बन्धुआ श्रमिक के प्रभावी पुनर्वास को सुनिश्चित किया जा सकें। बन्धुआ श्रमिकों का पुणात्मक पुनर्वास कराने के लिए समाकलन करने के बारे में मार्ग-दर्शी सिद्धांतों का एक ब्लूप्रिंट भी राज्य सरकार को उनके मार्गदर्शन हेतु भेज दिया गया है।

विवरण

राज्य	पता लगाए गये और मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों की संख्या (1.1.82 से 28.2.83 तक)
1. आन्ध्र प्रदेश	159
2. बिहार	1865
3. गुजरात	21
4. कर्नाटक	—
5. केरल	—
6. मध्य प्रदेश	360
7. महाराष्ट्र	302
8. उड़ीसा	14956
9. राजस्थान	115
10. तमिलनाडु	595
11. उत्तर प्रदेश	—
कुल :	19373

चेम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड

8661. **श्री के० लकप्पा : क्या विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि चेम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड उन कम्पनियों/फर्मों से सामान/स्टाक की खरीद कर रहा है जिनमें क्लब के कुछ निदेशक इच्छुक हैं क्योंकि वे ऐसी फर्मों के निदेशक/सहयोगी बनते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सभी औपचारिकताएं, जैसे सम्बन्धित निदेशक द्वारा हित प्रकट करने, टेण्डर बुलाने आदि पूरी की गयी थी ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या ये चूकें कम्पनी विधि विभाग के रिकार्ड में हैं ;

(ङ) यदि हां, तो कम्पनी के दोषी निदेशकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(च) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसका क्या औचित्य है ; और

(छ) क्या दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये कोई कार्य करने का विचार है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (छ) : कम्पनी अधिनियम को धारा 209क के अन्तर्गत सम्पन्न किये गये निरीक्षण से, यह देखा हैं कि कम्पनी ने दो फर्मों से, जिनमें उसके दो निदेशक भागीदार थे, 1978 से 1980 की अवधि में कुछ खरीद की थी तथापि, कम्पनी अधिनियम की धारा 299 की शर्तों में निदेशक के हित के अपेक्षित प्रकटीकरणों को इन निदेशकों द्वारा विधिवत किया गया था और इसके परिणामस्वरूप कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था, जिसके लिए कि किसी भी अक्षमता को निदेशकों के साथ सम्बन्ध किया जा सके।

खरीद की प्रक्रिया एक ऐसा मामला है कि जो कम्पनी के आन्तरिक प्रबन्ध की सीमा में आता है और अगर कोई निर्धारित औपचारिकताओं को सम्पन्न करने में कोई भूल-चूक हुई है तो कम्पनी चूक करने वाले अधिकारियों/निदेशकों के विरुद्ध अनौचित्य के कार्य के रूप में उचित कार्यवाही कर सकती थी।

चेम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड

8662. **श्री के० लकप्पा :** क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेम्सफोर्ड क्लब, नई दिल्ली ने वर्ष 1979 के दौरान या इससे पहले 'टम्बोला' खेल का आयोजन किया था और 'टम्बोल' टिकटों की बिक्री से प्राप्त धनराशि में से कुछ धनराशि काट ली थी जोकि क्लब के आय के खाते में जमा नहीं की गई और उसका दुर्विनियोग किया गया था और यह तथ्य कम्पनी विधि अधिकारियों के रिकार्ड में है ;

(ख) यदि हां तो इस संबन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों/निदेशकों के नाम क्या हैं ;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की है तो उसके कारण और औचित्य क्या हैं और क्या सरकार का दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के बारे में कानूनी कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जबकि यह सत्य है कि चेम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड नई दिल्ली ने 1979 तथा इससे पहले के वर्षों में 'टम्बोला' खेल का आयोजन किया था, परन्तु यह सत्य प्रतीत नहीं होता कि चेम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड अथवा इसके किसी कार्यकारी या निदेशक ने 'टम्बोला' टिकटों बिक्री से प्राप्त धनराशि में से कुल धनराशि काट कर तथा उसे क्लब के खाते में जमा न करके, किसी राशि का दुर्विनियोग किया था। तथापि, इससे हुई आमदनी, जो साधारणत: राजस्व प्रकृति की समझी जानी चाहिये, भवन आरक्षित निधि में जमा द्वार पूंजीकृत की गई थी।

(ख) से (घ) : उत्पन्न नहीं होता।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उपकरणों और पोतों की खरीद

8663. **श्री के० लकप्पा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गत दो वर्षों के दौरान विदेशों से खरीदे गये बड़े उपकरणों और पोतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) वे किन देशों और किन फर्मों से खरीदे गये और उनका मूल्य कितना है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

कृषि-अपशिष्ट से ठोस ईंधन का निर्माण

8664. **श्री रेणुपद दास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वनस्पति अपशिष्टों अथवा अन्य किसी कृषी अपशिष्ट और चमड़ा अपशिष्ट से, जिनका अनेक देशों में पहले से ही उपयोग किया जा रहा है, से ठोस ईंधन ब्रिकेट बनाने स्थिति में है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शकर) : (क) और (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के रासायनिक इन्जीनियरी विभाग में कृषि अपशिष्टों का उपयोग कर के ब्रिकेट ईंधन बनाने की एक विधि विकसित की गई है। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए प्रतिदिन चार टन ब्रिकेट ईंधन बनाने की क्षमता वाला एक वाणिज्यिक संयंत्र चंडीगढ़ में चलाया गया है। कृषि अपशिष्टों और बुरादे आदि विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों से ब्रिकेट बनाने के संयंत्रों को विभिन्न अभिकरणों द्वारा आजमाया जा रहा है।

गोरखपुर उर्वरक संयंत्र में अव्यवस्था

8665. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर उर्वरक संयंत्र में हड़ताल के बारे में मंत्रालय में 27 फरवरी, 1983 के लगभग कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या इस अभ्यावेदन में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के आरोप लगाये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उस पर कोई उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) इसके बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा आरोपों पर उचित कार्यवाही की जा रही है।

भारत में सुपर ताप बिजलीघर स्थापित करने की इच्छुक विदेशी कम्पनियां

8666. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कम्पनियां भारत में सुपर ताप बिजली घर स्थापित करने की इच्छुक हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी विदेशी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन कम्पनियों को सुपर ताप बिजली घर स्थापित करने की अनुमति देने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या शर्तें निर्धारित की हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) : विवरण में दर्शाई गई अनेक विदेशी फर्मों ने भारत के लिए विद्युत उपस्कर सप्लाई करने की इच्छा व्यक्त की है। ये प्रस्ताव केवल सांकेतिक हैं।

(ग) और (घ) इन प्रस्तावों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

विदेशी कम्पनियों के नाम जिन्होंने विद्युत उत्पादन उपस्कर की सप्लाई/विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए पेशकश की है।

1. देउत्सच बावकाक
   अकतियन गोस्लस्चाफ्ट
2. एम.ए.एन,
3. पश्चिमी जर्मन-इटलियन कन्सोर्टियम
4. पश्चिमी जर्मनी-यू.एस.ए. कन्सोर्टियम
5. ब्राउन-बवेरी एण्ड कम्पनी
6. स्विस- पश्चिमीजर्मनी
7. अलस्थोम-अलानटीक्यू
8. सी०जी०ई०ई०-अलस्थोम
9. सोसाइटे-कामर्सायल ताउतइलेक्ट्रि
10. अनसाल्दो
11. इलैक्ट्रोकन्शल्ट
12. असीआ अटम
13. स्वीडिश-डेनिस कन्सोर्टियम
14. इलेक्ट्रिम

15. इंगरा

16. इंगरो प्रोजेक्ट

17. मिस्तुबिसी

18. एलिन

19. वोइस्त इल्पाइन-एलिन यूनियन-सीमेन्स कन्सोर्टियम

20. कनेडियन इन्टरनेशनल डवलमेन्ट एजेन्सी

21. केन्थर्म

22. अल-असइद-कारपोरेशन

23. उजिमएक्सपोर्टइम्पोर्ट

तैल उत्पादों की कमी

8667. श्री बी० वाई० कृष्णन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी मांग को ध्यान में रखते हुए, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में तेल उत्पादों की कमी का कोई मूल्यांकन किया है ? और

(ख) यदि हां, तो देश में उनकी मांग पूरी करने के लिए की गई व्यवस्था का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) जी हां।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए आवधिक व्यवस्थाएं कैलेंडर वर्ष के आधार पर की जाती हैं। वर्ष 1983 के लिए 2.25 मिलियन मी० टन पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए सोवियत संघ के साथ पहले ही आवधिक व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों में हुई और कमी को आयात द्वारा अथवा बम्बई हाई क्रूड तेल के निर्यात के साथ विनमय द्वारा पूरा किया जाएगा।

विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रारूप विधेयकों के संबंध में मांगी गई सलाह देने में बिलम्ब की शिकायतें

8668. श्री हरीश रावत : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों द्वारा तैयार किए गए और उनके मंत्रालय को आवश्यक सलाह/-अनुमोदन के लिए भेजे गए प्रारूप विधेयकों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या कुछ विधेयक उसके मंत्रालय में पिछले छः महीनों से अवधि अधिक लम्बित है ;

(ग) क्या उन्हें, ऐसे विधेयकों के संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा आवश्यक सलाह देने में विलम्ब किए जाने संबंधी शिकायतें प्रप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) सरकारी विधेकों का प्रारूपण विधायी विभाग के प्रशिक्षित प्रारूपकारों द्वारा किया जाता है और इसलिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा तैयार किए गए प्रारुप विधेयकों के विधि मंत्रालय में लंबित रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। विभिन्न मंत्रालयों को विधायन के लिए प्रस्ताव सांविधानिक और अन्य विधिक दृष्टिकोणों से संवीक्षा के लिए विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) को भेजने होते हैं और अंततः उन प्रस्तावों को विधायी विभाग द्वारा विधेयक का रुप दिया जता है। हाल के वर्षों के दौरान संसद् द्वारा अनियमित विधान की मात्रा की तुलना से यह पता चलता है कि विधि निर्माण में कोई कमी नहीं आई है। इसके विपरीत, उसमें कुछ वृद्धि ही हुई है। यह स्थिति प्रशिक्षित विधायी प्रारुपकारों की सेवाएं प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयों के बावजूद बनाई रखी जा रही है। विधायी प्रस्तावों के किसी सेट को निपटाने और उन प्रस्तावों की प्रभावी बनाने के लिए विधेयक तैयार करने के लिए अपेक्षित समय विभिन्न बातों पर निर्भर करता है जैसे प्रस्तावों का परिमाण और उनकी जटिलता, उन सांविधानिक कठिनाइयों की प्रकृति जिनसे ऐसे विधान तैयार करते समय बचना होता है, समय विशेष पर मंत्रालय में कार्य का बोझ और वह पूर्विकता जो दी जानी है। साधारणतया विधायन के लिए प्रस्ताव तय करने से पूर्व और विधायन के लिए प्रस्तव तय करने के पश्चात् और प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए विधेयक को अंतिम रुप देने से पूर्व विधि मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के अधिकारियों से कई बार विचार विमर्श किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार विधायन के लिए प्रस्ताव तय करने ओर प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए भी पर्याप्त समय की आवश्कता होती है और जटिल मामलों में तो छह माह से भी काफी अधिक समय की आवश्कता हो सकती है। विभिन्न मंत्रलयों को उपर्युक्त परिस्थितियों की जानकारी है और वे कुछ मामलों में किन्हीं विनिर्दिष्ट कारणों से शीघ्रता करने का अनुरोध करते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि केवल केंद्र में ही नही बल्कि राज्यों में भी प्रशिक्षित प्रारुपकारों की कमी की समस्या से निपटने के लिए सम्यक् अनुक्रम में एक विधायी प्रारुपण और अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

बागेश्वर, लोहाघाट और चम्पावत में कुकिंग गैस का वितरण

8669. श्री हरीश रावत : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुमाऊं मण्डल निगम लिमटेड, को उत्तर प्रदेश में बागेश्वर (अलमोड़ा) लोहाघाट और चम्पावत (पिथौरागढ़) में कुकिंग गैस के वितरण के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गैस के वितरण के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने वहां सप्लाई की जाने वाली गैस की कीमत निर्धारित की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें बिलम्ब होने क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र): (क) जी, हां

(ख) बागेश्वर में एल.पी.जी. (खाना पकाने की गेस) का विपणन पहले से ही शुरू हो गया

है। लोहाघाट स्थित एजेंसी को शीघ्र ही शुरू किये जाने की आशा है। जहां तक चम्पावत का संबंध है, इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड से आवश्यक प्रस्तवों की प्रतीक्षा कर रहा है।

(ग) ऐसा बागेश्वर तथा लोहाघाट के लिए किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में उत्पादन क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन

8670. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन की वर्तमान क्षमता कितनी है और उसमें जलविद्युत तथा ताप विद्युत के वास्तविक उत्पादन की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के ताप बिजली घर अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता से बहुत कम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस स्थिति को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में कुछ कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) इस समय उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 3751 मेगावाट है, जिसमें 1220 मेगावाट जलविद्युत तथा 2531 मेगावाट ताप विद्युत है। वर्तमान उत्पादन (1.4.83 से 19.4.83 तक की अवधि के दौरान औसत उत्पादन) जल विद्युत केन्द्रों से 79 एल०यू० प्रतिदिन तथा ताप विद्युत केन्द्र से 289 ऐल०यू० प्रतिदिन के लगभग रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) ईष्टतम कार्य-निष्पादन में कमी का मुख्य कारण ओबरा ताप विद्युत केन्द्र पर 200-200 मेगावाट की 5 मशीनों का स्थिरीकरण न होना तथा अन्य केन्द्रों के सामने आने वाली प्रचालनात्मक कठिनाइयां हैं।

(घ) और (ङ) : विद्युत स्थिति में सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) भ्रमणकारी/कृतिक दलों से प्राप्त हुई फीड बैक के आधार पर ताप विद्युत यूनिटों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए संयंत्र सुधार एवं नवीकरण कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

(2) नई परियोजनाओं को चालू करने में तेजी लाई जा रही है।

(3) हरदुआगंज ताप विद्युत केन्द्रों के संबंध में कठिनाइयां का पता लगाने तथा उपचारी उपाय सुझाने के लिए अमेरिका के विशेषज्ञों की सेवाएं मांगी गयी हैं।

(4) ओबरा ताप बिद्युत केन्द्रों में कोयला हैण्डलिंग प्रणाली में परिशोधन किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार भी सभी संभव सहायता दे रही है।

कोयले का निर्यात

8671. श्री सुधीर गिरि : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 और 1982-83 के दौरान कितना कोयला निर्यात किया गया ;

(ख) कोयला किन देशों को निर्यात किया गया ; और

(ग) 1983-84 के दौरान किस कोठी का तथा कितना कोयला निर्यात करने का लक्ष्य है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1981-82 और 1982-83 में निर्यात किया गया कोयला नीचे दिया गया है :

वर्ष	(मात्रा लाख टनों में)
1981-82	1.57
1982-83	1.52

(ख) : जिन देशों को कोयले का निर्यात किया गया था वे हैं-बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और दक्षिण कोरिया।

(ग) : वर्ष 1983-84 के लिए सरकार ने 3 लाख टन अकोककर कोयले के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है।

स्वीकृति के लिए विचाराधीन बिजली परियोजनाएं

8672. श्री नवीन रावणी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बिजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो योजना आयोग के पास स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं और वे कब से विचाराधीन हैं।

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान निर्माण हेतु स्वीकृति की गई बिजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त प्रत्येक बिजली परियोजना की लागत कितनी है ; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) (क) से (घ) : सूचना ऐकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर त्रिपक्षीय औद्योगिक सम्बन्ध आयोग स्थापित करना

8673. **श्री माधव राव सिंधिया :**

श्री भीकू राम जैन : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने देश में औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार के राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिपक्षीय औद्योगिक संबंध आयोग स्थापित करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त सिफारिश के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय श्रम आयोग ने राज्य स्तरपर और राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक सम्बन्ध आयोग की स्थापना की सिफारिश की है। इस निकाय का स्वरूप संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

(ग) इन सिफारिशों पर 17 और 18 सितम्बर, 1982 को हुए राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में विचार किया गया था। सम्मेलन ने इस मामले की विस्तृत जांच के लिए श्री सनत मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जिसकी सभी सम्बन्धित पक्षकारों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

विवरण

राष्ट्रय श्रम आयोग की सिफारिशें

क. औद्योगिक सम्बन्ध आयोग

175. तदर्थ रूप से औद्योगिक न्यायाधिकरण नियुक्त करने की वर्तमान प्रथा बन्द करनी चाहिए। केन्द्र में और प्रत्येक राज्य में हित सम्बन्धी विवादों को सुलझाने के लिए स्थायी रूप से एक औद्योगिक संबंध आयोग (औ०स०आ०) का गठन होना चाहिए। औ०स०आ०, प्रशासन से स्वतन्त्र, एक प्राधिकरण के रूप में होगा।

176. केन्द्र सरकार, द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक संबंध आयोग की स्थापना उन उद्योगों के लिए की जानी चाहिए जिनके लिए वह उपयुक्त प्राधिकारी हैं। राष्ट्रीय औ०स०आ० ऐसे विवादों को हल करेगा जिनसे राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न जुड़े हों। या जिनके द्वारा एक से अधिक राज्य में स्थिति स्थापनाओं के हितों के प्रभावित होने की सम्भावना हो। इसका कार्य क्षेत्र मोटे तौर पर वही होना चाहिए जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत न्यायाधिकरणों का है।

177. प्रत्येक राज्य में एक औद्योगिक संबंध आयोग उन विवादों को निपटाने के लिए गठित किया जाना चाहिए जिनके राज्य सरकार उपयुक्त प्राधिकारी है।

178. राष्ट्रीय/राज्य औ० स० आयोगों के मुख्य कार्य इस प्रकार होंगे :—

(क) औद्योगिक विवादों में न्याय-निर्णय, (ख) समझौते, और (ग) यूनियनों का प्रतिनिधि यूनियन के रूप में प्रमाणीकरण।

179. आयोग का अध्यक्ष निर्धारित न्यायिक योग्यताएं और अनुभव रखने वाला होना चाहिए और इसमें न्यायिक और न्यायिकेतर सदस्यों की संख्या बराबर होनी चाहिए। न्यायिक पदों पर नियुक्ति के लिए न्यायोकेतर सदस्यों के पास न्याय संबंधी योग्यताओं का होना आवश्य नहीं है। परन्तु वे उद्योग, श्रम या प्रबन्ध के क्षेत्रों में प्रसिद्ध होने चाहिए। अध्यक्ष सहित, राष्ट्रीय औद्योगिक संबंध आयोग के न्यायिक सदस्यगण, उन व्यक्तियों में से नियुक्ति करने चाहिए जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति के योग्य हों।

180. आयोग का समझौता विभाग निर्धारित योग्यताओं वाले और पद वाले समझौता अधिकारियों द्वारा गठित होगा। समझौता अधिकारियों के संवर्ग में न्यायिक अथवा अन्य योग्यताओं वाले व्यक्ति हो सकते हैं। जिन के पास न्यायिक अर्हताएं हैं वे आवश्यक अनुभव और निपुणता प्राप्त करने के बाद आयोग के न्यायिक सदस्य नियुक्ति हो सकेंगे। अन्य गैर-न्यायिक विभाग में सदस्य बनने की आशा कर सकते हैं।

181. यूनियनों के प्रमाणीकरण का कार्य राष्ट्रीय/राज्य औ०स०आ० के एक अलग विभाग को सुपुर्द किया जायेगा।

182. यदि संबंधित पक्ष ऐसी सेवाए लेने पर सम्मत हो तो, आयोग अपने सदस्यों/अधिकारियों में से मध्तस्थ उपलब्ध कर सकेगा। आयोग अपने सदस्यों को केन्द्रीय राज्य मजदूरी बोर्डों/समितियों में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की अनुमति दे सकता है बशर्ते वे ऐसी नियुक्ति के लिए संबंधित सरकार द्वारा चुने गए हों।

183. सन्धि वार्ताएं असफल होने पर हड़ताल/तालाबन्दी का नोटिस देने से पहले, दोनों पक्ष स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिए सहमत हो सकते है। आयोग संबंधित पक्षों को मान्य मध्यस्थ चुनने में सहायता करेगा। दूसरी सूरत में उक्त नोटिस की अवधि के दौरान कोई भी पक्ष समझौता कराने में सहायता के लिए, आयोग से अपने किसी पदाधिकारी को समझौता अधिकारी के रूप में नियुक्ति करने के लिए अनुरोध कर सकता है।

184. महत्वपूर्ण उद्योग/सेवाओं में सामूहिक सौदाकारी जब असफल हो जाए तो और विवाद के पक्ष जब मध्यस्थता पर सहमत न हों, तो कोई भी पक्ष औ० स० आ० को समझौते की इस असफलता की सूचना देगा जिसकी एक प्रतिलिपि संबंधित सरकार को भी भेजी जाएगी। इसके उपरान्त औ० स० आ० विवाद में निर्णय देगा। इसका पंचनिर्णय अन्तिम और सम्बन्धित पक्षों के लिए बन्धनकारी होगा।

*185. महत्वपूर्ण उद्योगों/सेवाओं के अलावा अन्य उद्योगों एवं सेवाओं में यदि वार्ताएं विफल हो जाए और स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिए आयोग का उपयोग दोनों पक्षों को अस्वीकार हो तो, औ० स० आ० अपने अधिकारों का उपयोग दोनों पक्षों के समझौते के लिए कर सकता है। इस अधिकार का प्रयोग प्रत्यक्ष कार्यवाही का नोटिस मिलने पर (नोटिस की अवधि के दौरान) किया जा सकता है। नोटिस की अवधि समाप्त होने पर यदि कोई समझौता नहीं होता

तो पक्ष सीधी कार्यवाही करने में स्वतंत्र होंगे। यदि प्रत्यक्ष कार्यवाही 30 दिन तक जारी रहे तो औ॰ स॰ आ॰ के लिए हस्तक्षेप करना और विवाद को निपटने की व्यवस्था करना अत्यावश्यक होगा।

*186. ऐसी हड़ताल या तालाबन्दी के शुरू होने पर जिसके जारी रहने से राज्य की सुरक्षा, राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था अथवा सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होती है, संबंधित राज्य सरकार उक्त हड़ताल/तालाबन्दी को समाप्त करने के लिए आयोग से अनुरोध कर सकती है। यदि सरकार तथा संबंधितपक्षों के बयान सुनने के बाद आयोग प्रस्तुत तर्कों से संतुष्ट हो जाता है। तो उन कारणों के आधार पर जो लिखे जायेंगे, वह सम्बन्धित पक्षों से हड़ताल व तालाबन्दी समाप्त करने और अपना बयान प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। इसके बाद आयोग विवादों पर अपना निर्णय देगा।

187. किन्हीं परिस्थियों में राष्ट्रीय औ॰ स॰ आ॰ में पड़े मुकदमों को राजकीय औ॰ स॰ आ॰ से समक्ष अथवा विपरीत क्रम से स्थानान्तरित किया जा सकता है।

*चार श्रमिक सदस्यों द्वारा असहमति की टिप्पणियों के अध्यधीन।

188. (क) किन्ही परिस्थियों में आयोग को, हड़ताल/तालाबन्दी के दौरान वेतन का भुगतान होने देने अथवा इस मुगतान को रोकने का निर्णय लेने का अधिकार होगा। (ख) हड़ताल के जारी रहने के दौरान अथवा उसकी समाप्ति के बाद यदि किसी कर्मचारी को इसीलिए बर्खास्त अथवा सेवा मुक्त किया जाता है कि उसने उक्त हड़ताल में भाग लिया है तो इसे अनुचित श्रम व्यवहार माना जागगा। ऐसा व्यवहार सिद्ध होने पर सम्बन्धित कर्मचारी को पिछले वेतन के भुगतान के साथ बहाल होने का अधिकार होगा।

189. सभी सामूहिक करारों का औ॰ स॰ आ॰ के कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए।

190. मान्यता प्राप्त यूनियन द्वारा उठाए गए विवाद में औ॰ स॰ आ॰ द्वारा किया गया पंचाट, स्थापना (ओं) में तमाम श्रमिकों और नियोजकों पर, बन्धनकारी होना चाहिए।

कच्चे तेल के उत्पादन में उपलब्धि

8674. श्री बी॰ वी॰ देसाई :

श्री एम॰ वी॰ चन्द्र शेखर मूर्ति : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया है कि देश कच्चे तेल के उत्पादन के संबंध में 1982-83 के लिए रखे गए 20.5 मिलियन टन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या छठी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय के सारणी के अनुसार उत्पादन हो रहा है ;

(ग) क्या नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 1982-83 के अन्त तक केवल 18.2 मिलियन टन तेल निकाला गया है ;

(घ) यदि हां, तो लक्ष्य प्राप्त न करने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ङ) यदि हां, तो दिसम्बर, 1983 के अन्त तक तेल का उत्पादन का लक्ष्य किस सीमा तक पूरा हुआ था ; और

(च) इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां। मार्च, 1983 के मध्य में यह आशा थी कि क्रूड आयल का उत्पादन करीब 21 मि.मी. टन तक पहुंच जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) वर्ष 1982-83 के दौरान क्रूड आयल का वास्तविक उत्पादन 21.06 मि.मी. टन था और लक्ष्य पूरा हो गया है।

अगर उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में गड़बड़ वाली स्थितियां न होती और बम्बई अपतटीय क्षेत्रों में नवम्बर, 1982 में बवण्डर वाला मौसम न होता तो क्रूड आयल का उत्पादन इससे भी अधिक होता।

(च) वर्ष 1983-84 के दौरान क्रूड आयल के उत्पादन को आगे और बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

1. लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित कच्चे माल को बढ़ाना ;
2. डेवलपमेंट कुओं की खुदाई इष्टतम संख्या में करना और उन्हें प्रचलित प्रणाली से जोड़ना ;
3. रुग्ण कुओं की मरम्मत करना ;
4. उत्पादन बढ़ाने के लिए कम उत्पादकता वाले कुओं को उद्दीपन करना ; और
5. प्रारम्भ की जाने वाली स्कीमों/परियोजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन करना।

अखबारी कागज का आयात

8675. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूजप्रिंट सोसाइटी ने, अखबारी कागज के उत्पादन में आई गिरावट की पूर्ति के लिए, तुरन्त ही अखबारी कागज की अतिरिक्त मात्रा का आयात करने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या वित्त वर्ष के आरम्भ में ऐसा अनुमान था कि नेपा (मध्य प्रदेश) बेलूर (केरल) तथा भद्रावती (कर्नाटक) मिलों से सितम्बर में समाप्त होने वाले 6 महीनों में 1,50,000 टन अखबारी कागज का उत्पादन होगा परन्तु इन तीनों कारखानों के निर्धारित, 75,000 टन के स्थान पर केवल 43,000 टन का उत्पादन दिया है ;

(ग) क्या यह भी सच कि वर्ष 1982-83 के लिए अखबारी कागज की मांग 3,60,000 टन होने का अनुमान लगाया गया था ;

(घ) क्या ऐसी योजना बनाई गई थी कि राज्य व्यापार निगम 2,10,000 टन की शेष आवश्यकता को पूरा करने हेतु आयातित अखबारी कागज उपलब्ध करायेगा ; और

(ङ) क्या अखबारी कागज की कमी ने समाचार पत्र उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है यदि हां, तो किस हद तक प्रभाव डाला है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) समूचे वर्ष 1982-83 के लिए तीन मिलों से अखबारी कागज के स्वदेशी उत्पादन का अनुमान 1.50 लाख मीट्रिक टन लगाया गया था। 30 सितम्बर, 1982 के अन्त तक 6 महीने के लिए तीन मिलों का उत्पादन 45.000 टन से थोड़ा अधिक था।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, नहीं। स्वदेशी अखबारी कागज के उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए राज्य व्यापार निगम को 30,000 टन को अतिरिक्त मात्रा का आयात करने के लिए अधिकृत किया गया था।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का तट-दूर तेल स्थापनाओं के लिए हैलीकाप्टर बेड़े का आयात

8676. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री पी० एम० सईद : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की तट-दूर तेल स्थापनाओं को अनन्य रूप से समार सूत्र सम्बन्धी सहायता देने के लिए अधुनिक हैली काप्टरों का बेड़ा आयात करने का विचार है ;

(ख) क्या इस समय भारतीय वायु सेना के हैलीकाप्टर चालक इंडियन एयर लाइन्स और नागर विमानन मंत्रालय के विशेषज्ञों की सहायता से इस प्रयोजन के लिए चार विभिन्न प्रकार के हैलीकाप्टरों का मूल्यांकन कर रहे हैं ; और

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की मांग ऐसे 12 सीटों और दो इंजनों वाले हैलीकाप्टरों की है जो उन्हें पानी के ऊपर लम्बी उड़ानों में अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकें।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) प्राप्त प्रस्तावों का एक अन्तर विभागीय समिति द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) जी, हां। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को अन्यों के अतिरिक्त 10 से 12 सीटों वाले दो इंजिन वाले हैलीकाप्टरों की आवश्यकता है।

बरौनी शोधनशाला में कोकिंग यूनिट

8677. **श्री निहाल सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी शोधनशाला में एक अतिरिक्त कोकिंग यूनिट बनाया जा रहा ;

(ख) यदि हां, तो इस यूनिट के बन जाने से पेट्रोलियम कोक का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा ; और

(ग) इस यूनिट को स्थापित करने में कितनी धनराशि खर्च होगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) अतिरिक्त कोक यूनिट की स्थापना से बरौनी में कच्चे पेट्रोलियम कोक का उत्पादन लगभग 80,000 मीट्रिक टन तक बढ़ जाने की आशा है।

(ग) प्रायोजना की वर्तमान प्रत्याशित लागत 44 करोड़ रुपये है।

उत्तरी पाकखाड़ी में तेल/गैस

8678. **श्री निहाल सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी पाकखाड़ी में पी० एच० 9 नामक संरचना में, जो तटदूर कावेरी बेसिन में स्थित है, तथा बम्बई हाई के आन्तरिक क्षेत्र के पूर्व में लगभग 35 किलोमीटर दूर बी-57 नामक स्थान में हाइड्रोकार्बन्स/तेल /गैस का पता चला था ; और

(ख) यदि हां, तो वहां अनुमानतः कितनी मात्रा में गैस और तेल मिलने की सम्भावना है इसका पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) और (ख) : पाक की खाड़ी में पी० एच० संरचना में खोदे गये एक कूप में सितम्बर, 1981 में तेल मिला था। इस खोज के बाद, इस संरचना में चार और कूप खोदे गये हैं और सभी सूखे पाये गये। पाक की खाड़ी में अन्य तीन संरचनाओं में खोदे गये कूप भी सूखे पाए गए हैं। जब तक और अधिक भूकम्पीय सर्वेक्षण नहीं किया जाता है तब तक इस क्षेत्र में अन्वेषी व्यधन को अस्थायी रूप से निलम्बित कर दिया गया है।

बी-57 संरचना में खोदे गये पहले कूप में सितम्बर, 1981 में तेल मिला था। इस खोज के बाद, इस संरचना में दो और कूप खोदे गये हैं और जो कि संरचनाएं हाईड्रोकार्बन युक्त सिद्ध हुई हैं। और अधिक मूल्यांकन कूपों के खोदे जा सकने और गैस/तेल के सम्बन्ध में

अनुमान लगाने से पूर्व, कुछ और अधिक भूकम्पीय लगाने से पूर्व, कुछ और अधिक भूकम्पीय कार्य करना पड़ेगा।

मद्रास रिफाइनरीज द्वारा लघु उद्योगों को सहायता

8679. **श्री निहाल सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन लघु उद्योगों का ब्योरा क्या है, जिन्हें मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा रसायनों, अतिरिक्त पुर्जों और महत्व-पूर्ण उपकरणों के रूप में सहायता दी गई है और गत दो वर्षों के दौरान उन्हें कितने मूल्य का सामान सप्लाई किया गया ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड शोधनशाला के अन्दर प्रयोग के लिये फालतू पूर्जों तथा संघटकों जैसे कि टैफलॉन होजिल, एमरी क्लाथ, अलॉय स्टील बोल्टों, गैसकरों इत्यादि के विकास तथा सप्लाई के लिए लघु-क्षेत्र के उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। पिछले दो वर्षों के दौरान शोधनशाला द्वारा खरीदी गयी ऐसी सामग्री का मूल्य 184·65 लाख रुपये था।

दिल्ली में नया टेलीफोन एक्सचेंज

8680. **श्री चिंतामणि जैन :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) दिल्ली में कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं और उनमें से प्रत्येक सक्सचेंज में कितनी टेलीफोन लाइनें हैं ;

(ख) क्या वर्ष 1983-84 के दौरान दिल्ली में कोई नया टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है और उन एक्सचेंजों में कितनी टेलीफोन लाइनें होंगी ;

(ग) क्या वर्ष 1983-84 के दौरान दिल्ली में कुछ टेलीफोन एक्सचेंजों की मौजूदा क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(घ) प्रत्येक एक्सचेंज में 31 दिसम्बर, 1962 तक नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित थे ; और

(ङ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितने नये कनेक्शन जारी किये जाने की सम्भा-वना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल : (क) दिल्ली में 49 टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे है। 31-3-83 को प्रत्येक एक्सचेंज में चालू कनेक्शनों के बारे में जान-कारी अनुबंध-एक में दी गई है।

[ग्रंथालय में एक रखा गया विवरण संख्या एलटी-6488/83]

(ख) 1983-84 के दौरान निम्नलिखित 3 नए एक्सचेंज स्थापित किए जाने की संभावना है :

(एक) चाणक्यपुरी—10,000 लाइनें

(दो) वल्लभगढ़—15,000 लाइनें

(तीन) ईदगाह iv—10,000 लाइनें

(ग) 1983-84 के दौरान दिल्ली में मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता में निम्नलिखित विस्तार किए जाने की सम्भावना है :

(एक) फरीदाबाद—1200 लाइनें
(3900-5100 लाइनें)

(दो) शाहदरा पूर्व—11-1000 लाइनें
(1000-2000 लाइनें)

(तीन) होजखास—1-1600 लाइनें (5000-6600 लाइनें)

(चार) जनपथ—11–1000 लाइनें (4000-5000 लाइनें)

(पांच) गाजियाबाद—11-2000 लाइनें (2000-4000 लाइनें)

(छः) तीस हजारी—111-10000 लाइनें (10000-20000 लाइनें)

(सात) शक्तिनगर—10000 लाइनें (10000-20000 लाइनें)

(घ) जानकारी अनुबंध-दो में दी गई है ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी-6488/83]

(ङ) 1983-84 के दौरान लगभग 35,000 कनेक्शन दिए जाने की संभावना है ।

आकाशवाणी अमृतसर से वेदों, धार्मिक ग्रन्थों, गीता और रामायण पाठ का प्रसारण

8681. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर की जनता ने आकाशवाणी द्वारा अमृतसर के दुर्गयाना मन्दिर से वेदों, धार्मिक ग्रन्थों, गीता और रामायण के पाठ का प्रसारण करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) इस आशय के अभ्यावेदन कतिपय संगठनों से प्राप्त हुए हैं ।

(ख) जलंधर केन्द्र 15 मिनट की अवधि के लिए अपने प्रातः कालीन प्रेषण में सप्ताह में एक बार रामायण से उद्धरणों का संगीतमय पाठ प्रसारित करता है। इससे अधिक, दुर्गयाना मन्दिर से भजन कीर्तन रिले करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आकाशवाणी रोहतक से वेदों, गीता और रामायण का प्रसारण

8682. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा की जनता ने मांग की है कि रोहतक आकाशवाणी स्टेशन से वेदों, गीता और रामायण का प्रसारण होना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) रोहतक केन्द्र से वेदों से पाठ का प्रसारण करने की मांग कुछ समय पहले हरियाणा के एक संगठन द्वारा की गई थी।

(ख) दैनिक चिन्तन कार्यक्रम में अब भी वेद मन्त्रों और अन्य धर्मग्रन्थों से पाठ शामिल हैं। इनमें सार्वभौमिक अपील होती है और इनको हिन्दी में कमेंट्री के साथ प्रसारित किया जाता है।

1982 के अन्त तक राज्य-वार बिजली उत्पादन क्षमता

8683. **श्री मोहन लाल पटेल :**
श्री भोगेन्द्र झा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के अन्त तक प्रत्येक राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी थी ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में वास्तव में बिजली का कितना उत्पादन हुआ :

(ग) वर्ष 1983 के दौरान प्रत्येक राज्य में बिजली उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(घ) निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने तथा बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) 1982 के अन्त में देश में विद्युतउत्पादन क्षमता 33135 मेगावाट थी। राज्यवार उत्पादन क्षमता उपाबन्ध-1 में दी गई है।

[ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एलटी-6489/83]

(ख) वर्ष 1982 के दौरान प्रत्येक राज्य में हुआ वास्तविक उत्पादन उपाबंध-2 में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी-6489/83]

(ग) वर्ष 1983 के लिए राज्यवार विद्युत उत्पादन कार्यक्रम उपबंध-3 में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी-6489/83]

(घ) 1983 के दौरान उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:—

(1) अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को चालु करने के कार्य में तेजी लाई जा रही है।

(2) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में और सुधार किया जा रहा है।

गैस एजेन्सियां

8684. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पूरे देश में शहरवार, कितनी गैस एजेन्सियां हैं और इनमें से कितनी गैस एजेन्सियां अनुसूचित जति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आबंटित की गई हैं; और तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गैस एजेन्सियां देते समय सरकार ने आरक्षण नीति का पालन किया है और यदि हां, तो क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा किया गया है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में नयी एजेन्सियां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर आबंटित करने का है जिससे कि उनके लिए आरक्षित कोटा पूरा किया जा सके ?

उर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) 31-12-1982 की यथा स्थिति को देश में एस० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटर शिपों की कुल संख्या 1571 थी, जिसमें से 146 डिस्ट्रीब्यूटर शिपें अनुसूचित जाति/अनुसूचित से सम्बन्धित समुदायों के लोगों की थीं। स्थत-वार ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) आरक्षण नीति के लागू होने की तिथि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत कोटा प्राप्त किया जा रहा है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

छठी योजना के अंत तक बिजली उत्पादन की संभावना

8685. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के अन्त तक बिजली का उत्पादन कितना हो जाएगा ;

(ख) क्या यह सच है कि यदि अतिरिक्त बिजली के उत्पादन को ओर विशेष ध्यान न दिया गया तो चालू योजना अवधि में बिजली के उत्पादन में कमी होने की पूरी संभावना है ;

(ग) यदि हां, तो चालू योजना अवधि के दौरान (राज्य-वार) बिजली का अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या प्रयत्न करने का विचार है, और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में मांग को पूरा करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 191 बिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, छठी योजना में 19666 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता चालू करने का लक्ष्य रखा गया था।

अभी हाल में की गई समीक्षा से पता चलता है कि छठी योजना के दौरान लगभग 14,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता चालू की सकेगी। 1984-85 के अन्त तक यूटिलिटी में तथा गैर-यूटिलिटी में 170 बिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन होने की आशा है। यद्यपि कुछ राज्यों में विद्युत कमी को पूर्णतः दूर करना संभव नहीं होगा तथापि विद्युत कमी की मात्रा में काफीहद तक कमी हो जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) छठी योजना के शेष दो वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त उत्पादन क्षमता चालू की जा रही है। चालू की जाने वाली परियोजनाओं का राज्यवार ब्योरा संलग्न उपाबंध 1 और 2 में दिया गया है।

[ग्रंथालय रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 6490/83]

बंगलौर टी० वी० पर कन्नड़ भाषा के कार्यक्रम का प्रसारण

8686. श्री के मालन्ना :

श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कर्नाटक में बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र से कन्नड़ भाषा के बहुत से कम कार्यक्रम दिखाए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, उसके बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बंगलौर का मौजूदा दूरदर्शन ढांचा केवल अन्तरिम व्यवस्था है जिसे

पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र के चालू करने के कार्यक्रम से पहले शुरू किया गया है। इस समय यह केन्द्र कार्यक्रम तैयार करने की क्षमता नहीं रखता। पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र छठी योजना की स्कीम है जिसके 1984-85 तक मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है। बंगलौर में पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना होने तक, मौजूदा केन्द्र को मद्रास और बम्बई के दूरदर्शन केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों को रिले करना होगा। इन दोनों केन्द्रों को अपनी भारी वचनबद्धताएं हैं किन्तु फिर भी वे कर्नाटक के दर्शकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। उपरि उल्लिखित स्थिति को स्पष्ट करते हुए उत्तर भेज दिया गया है।

चैम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड

8687. श्री गुलशेर अहमद : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चैम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड, नई दिल्ली प्रति वर्ष 'दिवाली मीना बाजार' आयोजित कर रहा है परन्तु उसके उचित लेखे नहीं रख रहा है और न ही उससे क्लब के आय लेखे में प्राप्त होने वाली आय दर्शा रहा है और इस प्रकार प्राप्त आय का दुर्विनियोजन किया गया था तथा कम्पनी कानून विभाग द्वारा किए गए क्लब के निरीक्षण की रिपोर्ट में इस तथ्य को उजागर किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्योरा क्या है ;

(ख) क्लब की आय के दुर्विनियोजन के लिए अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके कारण और औचित्य क्या हैं ;

(घ) क्या इस मामले की उचित जांच हेतु सी० बी० आई० या किसी अन्य जांच एजेंसी को सौंपने का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो अपराधियों को दंडित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) यह सत्य है कि चैम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड प्रत्येक वर्ष "दिवाली मीना बाजार" का आयोजन कर रहा है, तथा यह भी सत्य प्रतीत होता है कि इससे प्राप्त होने वाली आय को क्लब के आय लेखे में न दिखाने की सीमा तक, क्लब उचित लेखे नहीं रख रहा है, परन्तु यह सत्य प्रतीत नहीं होता कि ऐसा न करके क्लब या इसके किन्ही अधिकारियों अथवा नौकरों ने किसी राशि का दुर्विनियोग किया है, एवं यह तथ्य इस विभाग द्वारा सम्पन्न किए गए क्लब के निरीक्षण से ज्ञात हुआ है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) के उत्तर की दृष्टि से क्लब की आमदनी के आरोपित दुर्विनियोजन के लिए कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डाक सेवाओं की स्थिति खराब होना

8688. **श्री चित्त बसु : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों में डाक सेवाओं की स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) डाक सेवाओं को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) यह कहना सच नहीं है कि गत कुछ महीनों में डाक सेवाओं की स्थिति काफी हद तक खराब थी। तथापि, अभी कुछ समय पहले, द्वितीय श्रेणी की डाक, जिसमें पार्सल. मुद्रित पत्र, पत्रिकाएं, बुक पैकेट, विज्ञापन सामग्री तथा व्यापारिक परिपत्र आदि शामिल हैं, के सम्बन्ध में कुछ बिलम्ब का पता चला था।

(ख) पिछले कुछ समय से विभाग वर्तमान डाक डिब्बों में कमी के कारण द्वितीय श्रेणी की डाक की ढुलाई में कठिनाई अनुभव कर रहा है। पहली श्रेणी की डाक की तुलना में दूसरी श्रेणी की डाक की मात्रा में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है द्वितीय श्रेणी की डाक को पहल श्रेणी की डाक की भांति हवाई मार्ग से नहीं भेजा जा सकता क्योंकि इसमें काफी अधिक खर्चा करना पड़ता है और जनता ऐसी डाक के लिए कम डाक शुल्क अदा करती है।

(ग) स्थिति से निपटने के लिए विभाग ने छंटाई अनुभागों को पारगमन (ट्रांजिट) अनुभागों में बदलने के संबंध में एन नीति निर्णय लिया है। सार्टरों को मेल वैन में चलने-फिरने के लिए तथा स्वयं छंटाई के कार्य के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है। चलती रेल गाड़ियों में कुछ चुनिन्दे मार्गों पर छटाई कार्य बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप, बन्द डाक थैलों की ढुलाई के लिए अधिक स्थान की गुंजाइश हुई। इससे विभाग को मौजूदा उपलब्ध स्थान में ही बहुत अधिक संख्या में बन्द डाक थैले ढोने तथा बन्द करके सामग्री के शीघ्र वितरण करने में सहूलियत हुई है। अभी हाल ही में छंटाई अनुभागों को परिगमन अनुभाग में परिवर्तन के अच्छे परिणाम निकले हैं। तथापि, कुछ कर्मचारियों ने परिवर्तन की आलोचना की तथा दिसम्बर, 1982 तथा जनवरी, 1983 में 'धीरे काम करो' आन्दोलन का सहारा लिया जिसकी वजह से डाक प्रेषण में कुछ विलम्ब हुआ। डाक के शीघ्र प्रेषण और वितरण को सुनिश्चित करने लिए विभिन्न स्तरों पर डाक थैलों की जांच कर डाक को मानीटर करने की एक नई प्रणाली आरम्भ की गई है। सीधे डाक थैले आरम्भ करने के आदेश भी दिए गए हैं।

दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण का बन्द किया जाना

8689. **श्री चित्त बसु : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण को बन्द करने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से उसे यथावत् बनाए रखने का अनुरोध किया है ;और

(ग) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्राय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि दण्डकारण्य परियोजना के चार खण्डों में से तीन खण्डों की परिसम्पत्तियों/संथानों को हस्तान्तरण करने का निर्णय ले लिया गया है क्योंकि इस क्षेत्र में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। जिन परिसम्पत्तियों में कुछ कमियां रह जाएगी उन्हें पुनर्वास विभाग द्वारा दी गई धनराशि से राज्य सरकारों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। चतुर्थ खण्ड अर्थात् मलकानगिरि खण्ड, परियोजना मुख्यालय, सभी क्षेत्रीय मुख्यालय तथा केन्द्रीय संस्थान कुछ समय तक दण्डकारण्य परियोजना के पास रहेंगे। इस प्रकार, पट्टे वितरण करने, नागरिकता प्रदान करने, विस्थापित व्यक्तियों की भूमियों पर से अवैध कब्जों को हटाने सम्बन्धी मामलों के अनुसरण के लिए राज्य अधिकारियों को परियोजना के मुख्यालयों तथा क्षेत्रीय मुख्यालयों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।

पटसन उद्योग में मजूरी में संशोधन

8690. **श्री चित्त बसु** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग में मजूरी में संशोधन करने तथा पूर्व समझोते के संबंध में चिरकाल से चले आ रहे विवादों का निपटारा हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में पटसन मिल श्रमिकों के ग्रेडों एवं वेतन-मानों में संशोधन करने तथा कार्यभार पैटर्न संबंधी करारों के कार्यान्वयन न किए जाने से संबंधित मामलों पर 31 जनवरी, 1983 को नई दिल्ली में आयोजित पुनर्गठित औद्योगिक समिति के प्रथम अधिवेशन में विचार-विमर्श किया गया था। इस समिति ने निर्णय किया कि पश्चिम बंगाल सरकार को पटसन उद्योगों की ट्रेड यूनियनों तथा नियोजक संगठनों की त्रिपक्षीय बैठक तत्काल बुलानी चाहिए ताकि मांग-पत्र, कार्य, भार तथा ग्रडो एवं वेतन-मानों में संशोधन के बारे में करारों, पंचाटों, जो राज्य श्रम मंत्री द्वारा 1979 में लिए गए थे, के कार्यान्वयन न किए जाने के बारे में विचार-विमर्श किया जा सके और इस मामले में छः मास के भीतर निर्णय किया जा सके यदि प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक में कोई निर्णय नहीं हो पाता, तो इस मामले का निर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम के आधीन किया जाए।

कर्नाटक सरकार द्वारा बाहर के कन्नड कार्यक्रमों की खरीद

8691. **श्री एन०ई०होरो** :

श्री जी०वाई० कृष्णन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31.3.1983 को "डेक्कन हेरल्ड" में प्रकाशित समाचार की ओर दिया गया है जिसमें कर्नाटक सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा है कि यदि केन्द्रीय सरकार अपनी स्वीकृति नहीं देगी तो कर्नाटक सरकार बाहर के कन्नड कार्यक्रमों को खरीदने में नहीं हिचकेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) बंगलौर का मौजूदा दूरदर्शन ढांचा किसी कार्यक्रम तैयार करने की क्षमता के बिना केवल अन्तरिम व्यवस्था है । कार्यक्रम निर्माण व्यवस्था पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र छटी योजना की परियोजना है जिसके 1984-85 तक मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है । बंगलोर में पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना होने तक, मौजूदा केन्द्र को दिल्ली से प्रस्तुत किए जाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के अतिरिक्त मद्रास और बम्बई के दूरदर्शन केन्द्रों से प्रस्तुत किये जाने वाले कार्यक्रमों को रिले करते रहना होगा । दूरदर्शन के पास इस समय जो ओ०बी०वाहन हैं, उनकी कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं से युक्त अन्य दूरदर्शन केन्द्रों जहां उनका अधिकतम उपयोग किया जा सकता है, को उपलब्ध करने की पहले ही बचनवद्धता है ।

क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना

8692. श्री एन०ई०होरो : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को दूरदर्शन पर दिखाते समय उनका अंग्रेजी अनुवाद देना आरम्भ किया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि अनेक स्थानीय व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानते हैं और इससे उन्हें लाभ नहीं होता; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके दूरदर्शन पर दिखाते समय उनके अंग्रेजी अनुवाद के साथ-साथ हिन्दी अनुवाद भी देने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (म) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) दूरदर्शन केन्द्रों के सेवा क्षेत्रों से दर्शक फीचर फिल्म को समझते हैं और उनका आनन्द उठाते हैं चाहे वह हिन्दी की हों या अंग्रेजी की या अन्य प्रदेशिक भाषाओं की हों उपशीर्षक देने के लिए तकनीकी सुविधाएं दूरदर्शन के पास उपलब्ध नहीं हैं ।

बिहार में बिजली का उत्पादन

8693. श्री भोगेन्द्र झा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : बिहार में बिजली उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, कुल कितनी बिजली का उत्पादन होता है

और कम उत्पादन होने के क्या विशेष कारण हैं और क्या कम उत्पादन के लिये किसी का उत्तरदायित्व निश्चियत किया गया है और उत्पादन को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) बिहार की प्रतिष्ठापित क्षमता 940 मेगावाट है। इसमें 790 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन तथा 150 मेगावट जल विद्युत क्षमता शामिल है। 1982-83 की अवधि में विद्युत उत्पादन 2726 मेगावट आवर है जिसमें 2586 मेगावट आवर ताप विद्युत और 140 मेगावट जल विद्युत उत्पादन शामिल है। बिहार में उत्पादन के पिछड़ने का कारण पतरातु और बरौनी ताप विद्युत केन्द्रों का घटिया कार्य निष्पादन है। 1982-83 की अवधि के लिए राज्य में ताप विद्युत संयंत्रों का संयंत्र भार अनुपात 49-8% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 38-5% था।

बिहार में विद्युत की उपलब्धता बढाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(1) पतरातु ताप विद्युत केन्द्र में अतिरिक्त क्षमता (2× 110 मेगावाट) का सृजन किया जा रहा है।

(2) तेनुघाट ताप विद्युत परियोजना (2× 210 मेगावाट) को राज्य योजना के अन्तर्गत हाथ में लिया गया है।

(3) कोइलकारों जल विद्युत परियोजना (710 मेगावाट) को केन्द्रीय क्षेत्र में हाथ में लिया जाना है।

(4) केन्द्रीय क्षेत्र के फरक्का ताप विद्युत केन्द्र से तथा भूटान में चुखा विद्युत परियोजना से बिहार को विद्युत अबंबटित की जाएगी।

(5) पतरातु और बरौनी में मोजूदा विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बरौनी और पतरातु ताप विद्युत केन्द्रों के संबंध में आवश्यक फुटकर पुर्जे प्राप्त करने में तथा क्रमश: पोलैण्ड और रुस के विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने में बिहार राज्य बिजली बोर्ड की सहायता की गई है।

(6) बरौनी ताप विद्युत केन्द्र में अतिरक्त क्षमता (2× 110 मेंगावाट) का सृजन किया जा रहा है ;

(7) मुज्जफपरपुर में नए ताप विद्धुत केन्द्र (2× 110 मेगावाट) की स्थपना की जा रही है।

विभिन्न राज्यों को पेट्रोलियम उत्पादों तथा पेट्रोल का आबंटन

8694. **श्री अजय बिश्वास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को वर्ष 1982 के दौरान राज्य वार कितनी मात्रा में डीजल, मिट्टी का तेल और पेट्रोल आबंटित किया गया ; और

(ख) उक्त चीजों के आबंटन का आधार क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र): (क) और (ख) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को मिट्टी के तेल के आबंटन करने की वर्तमान निति के अनुसार, वर्ष को प्रत्येक चार महीनों के तीन भागों में बांटा गया है और इन सभी चार मीहीनों के लिए मिटटी के तेल का आबंटन समान स्तर पर किया जा रहा है। दोनों ग्रीष्म (मार्च-जून) और वर्षा महीनों (जुलाई-अक्तूबर) के लिए मासिक आबंटन पिछले वर्ष के तदुनरुपी चार महीनों में औसतन मासिक बिक्री की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि पर आधारित होता है। शीत महीनों (नवम्बर-फरबरी) आबंटन पिछले वर्ष के तदनुरुपी महीनों के किसी एक महीने के अधिकतम आबंटन / बिक्री की तुलाना में 5 प्रतिशत की वृद्धि पर आधारित होता है। नियमित मासिक आबंटनों के अतिरिक्त बाढ़ सूखा, त्यौहारों आदि जैसे विषेश स्थितियों को पूरा करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो तथा उचीति होता है, तदर्थ आबंटन भी किये जाते हैं।

हाई स्पीड डीजल का मासिक राज्यवार आबंटन पिछले वर्ष के तद्नरुपी महीने में हुई वास्तविक बिक्री की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर पर किया जाता है। ये आबंटन केवल उत्पाद परिवहन के लिए योजना बनाने के प्रयोजन के लिए होते हैं, चूंकि हाई स्पीड डीजल तेल की बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है और तेल कम्पनियों द्वारा मांग पूरी तरह से पूरी की जा रही है।

पेट्रोल मुक्त बिक्री आधार पर उपलब्ध होता है और इसका कोई मासिक आबंटन नहीं किया जाता है।

वर्ष 1982 के दौरान प्रत्येक राज्य / संघ शासित प्रदेश को आबंटिन मिटटी के तेल के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

वर्ष 1982 के दौरान राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को किया गया मिट्टी के तेल का आबंटन

राज्य/संघ शासित प्रदेश	(आंकड़े मी० टनों में) मिट्टी के तेल का आबंटन
1. आन्ध्र प्रदेश	377,500
2. अरूणाचल प्रदेश	5,700
3. अण्डमान और निकोबार	2,400
4. असम	141,450
5. बिहार	265,900
6. चण्डीगढ़	12,600
7. दादरा और नगर हवेली	2,400
8. दिल्ली	152,200
9. गुजरात	486,800

10. गोवा, दमन और दिव	17,900
11. हरियाणा	91,312
12. हिमाचल प्रदेश	20,600
13. जम्मू और कश्मीर	39,100
14. कर्नाटक	283,700
15. केरल	105,700
16. मध्य प्रदेश	216,200
17. महाराष्ट्र	928,397
18. मणिपुर	11,800
19. मेघालय	9,100
20. मिजोरम	4,400
21. नागालैण्ड	5,800
22. उड़ीसा	96,046
23. पंजाब	184,000
24. पांडिचेरी	8,900
25. राजस्थान	151,900
26. सिक्किम	5,700
27. तमिलनाडु	416,500
28. त्रिपुरा	13,000
29. उत्तर प्रदेश	539,591
30. पश्चिम बंगाल	439,900

दिल्ली में श्रमिक न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में लम्बित पड़े मामले

8695. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 28 फरवरी, 1983 तक श्रमिक न्यायलयों/औद्योगिक न्यायधिकरणों में श्रमिक विवादों से संबंधित कितने मामले लम्बित पड़े थे ;

(ख) उनमें से दो सालों से अधिक पुराने कितने मामले है ;

(ग) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिये सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है ; और

(घ) क्या पुराने विवादों पर सुनवाई के लिये सरकार का विचार विषेश श्रमिक न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों की स्थापना करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) : 12,846

(ख) : 4,898

(ग) : दो और श्रम न्यायलयों का 21-10-1982 तथा 4-1-1983 से गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त एक केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में की गई है, जिससे केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, नई दिल्ली को राहत मिलेगी।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1952 में मामलों के समयबद्ध निपटान की व्यवस्था की गई है।

(घ) यदि हाल ही में बढ़ाई गई संख्या से भी न्यायालय विचाराधीन पड़े मामलों का निपटान नहीं कर पाते तो नए श्रम न्यायालयों की स्थापना करने पर विचार किया जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, मेरठ में तथा-कथित भ्रष्टाचार

8696. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गरीब अंशदाताओं के अंतिम दावों के निपटाना और अग्रिमों और ऋणों की स्वीकृति के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मेरठ उपक्षेत्रीय कार्यालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किन कार्यवाहियों पर विचार किया गया है चूंकि यह सभी सम्बद्ध कर्मचारियों में घूस में प्रतिशत में हिस्सा बंटाने का एक रिवाज बन गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) देश के विभिन्न स्थानों में स्थापित किए गए क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा-कार्य को विकेन्द्रित करने के कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा लिए गए नीति निर्णय के अनुसरण में, मेरठ 8,3,1977 से एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया ताकि उस क्षेत्र की औद्यिगिक श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मेरठ में उपर्युक्त कार्यलय खुलने के पश्चात जब कभी भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उनकी विभाग द्वारा या केन्द्रीय जांच ब्यूरो जैसी एजेंसियों द्वारा जाँच कराई जाती है और उन मामलों में, जहां प्रत्यक्षः दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दोष सिद्ध हो जाता है तो सक्षम प्राधिकरणों द्वारा आचार नियमो के संगत उपबन्धों के अनुसार उचित कार्यवाही की जाती है या अभियोजन चलाए जाते हैं। कुछ शिकायतों के मामलों के बारे में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही की गई और एक अधिकारी पर न्यायालय में मुकदमा भी चलाया गया।

बल्क औषधियों के वर्गीकरण का पुनर्विलोकन करने का प्रस्ताव

8697. श्री तारिक अनवर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्क औषधियों के वर्गीकरण का पुनर्विलोकन करने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि सरकारी क्षेत्र भारतीय कम्पनियों और इस आयोग के सभी क्षेत्रों के लिए खुली छूट के रूप में है ;

(ख) क्या सरकार का विचार केवल मात्र बीस प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी पूंजी वाली भारतीय कम्पनियों के लिए कुछ मदों के आरक्षण पर विचार करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) 1978 में घोषित औषध नीति माध्यम से औषध उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए संकेतात्मक सूचियों की प्रौद्योगिकीयों में परिवर्तन और उचित मूल्यों पर औषधों की गुणवत्ता को कायम रखते हुए उचित और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने की आवश्यकता जैसे विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। 20 प्रतिशत तक विदेशी पूंजी रखने वाली विदेशी औषध कम्पनियों की किसी श्रेणी के लिए न तो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 में कोई पृथक व्यवस्था है और न ही औषध नीति में।

औषधों के उत्पादन में अन्तर्ग्रस्त प्रद्योगिकी का पुनरवलोकन

8698. श्री तारिक अनवर : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च प्रौद्योगिकी समिति ने उन औषधों के उत्पादन में लगी प्रद्योगिकी के स्वरूप का लगातार पनुरावलोकन करने के बारे में सिफारिश की थी जो समिति द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी वाले औषधों के रूप में चिह्नित किए गए थे ;

(ख) समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था और क्या समिति के निष्कर्षों की समीक्षा की आवश्यकता महसूस की जाती है ;

(ग) प्रतिवेदन पेश करने के बाद समिति के तत्कालीन सदस्यों का पदमान क्या था ;

(घ) क्या यह सच है कि उनका मन्त्रालय कुछ मामले तत्कालीन समिति के कुछ चुने हुए सदस्यों को ही सौंपता है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उन्होंने ऐसी व्यवस्था को मंजूरी दे रखी है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) । (क) उच्च स्तरीय समिति द्वारा किसी निरन्तर पुनरीक्षा की सिफारिश नहीं की गई थी। तथापि, उन्होने स्वीकार किया है कि कुछ समयावधि के पश्चात् उन परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन हो सकता है जिनके अधीन प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन किया गया था।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 1979 में प्रस्तुत की। समिति के निष्कर्षों की समीक्षा के लिए अपेक्षित परिस्थितियों में हुए परिवर्तन का अभी तक कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) समिति द्वारा विगत में मूल्यांकन की गई विदेशी कम्पनियों की उन प्रक्रिया प्रौद्योगिकीयों के मामले में, जिन पर सम्बन्धित विदेशी कम्पनियों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, भूतपूर्व उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों की टिप्पणियों मांगी गई थी।

(ङ) ऐसा सचिव (रसायन और उर्वरक) के अनुमोदन से किया था।

तपेदिक निरोधक औषधों के मूल्य

8699. **श्री तारिक अनवर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय हाल ही में तपेदिक-निरोधक औषधों के मूल्यों को केवल स्थिर बनाए रखने में ही नहीं बल्कि उन्हें काफी हद तक घटाने में भी समर्थ रहा है ;

(ख) निकट भविष्य में एम्पिसिलिन जैसे एन्टीबायोटिक (प्रति जीवाणु) औषधों के मूल्य घटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि पेनिसिलिन अनिवार्य श्रेणी के अन्तर्गत है, यदि हां, तो एम्पिसीलिन जैसे सेमी—सिन्थोटिक पेनसीलिन को इस श्रेणी के बाहर रखने का क्या औचित्य है जबकि उपभोक्ता उसका बहुत मात्रा में उपयोग करते हैं और ;

(घ) क्या यह सच है कि एक तपेदिक निरोधक औषध रिफाम्पिसिन की कीमत अब भी ऊंची है और उसकी कीमत को और गिराने तथा सभी तपेदिक निरोधक औषधों, प्रतिजीवाणु औषधों और विटामिन युक्त पदार्थों को औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 1979 के अन्तर्गत श्रेणी दो को अनिवार्य सूची में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ये औषध उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर मिल सकें,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) (क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 की घोषणा के पश्चात अनेक टी० बी० निरोधी फार्मूलेशनों के मूल्यों में संशोधन किया गया है। इन संशोधन के परिणामस्वरूप कुछ टी० बी० निरोधी फामूलेशनों के मूल्यों में कमी हुई है जबकि अन्य केछ टी० बी० निरोधी फार्मूलेशनों से मूल्यों में वृद्धि हुई है। हाल ही में फरवरी 1983 में टी० बी० के उपचार में प्रयोग की जाने वाले रिफोसिपसिन फार्मूलेशनों के मूल्यों में भी पर्याप्त कमी की गई थी। इथम्बूटोल पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्य को कम करना/बनाए रखना भी सम्भव होगा क्योंकि इस औषध और इसके फार्मूलेशनों की श्रेणी में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के अन्तर्गत परिवर्तन किया गया है।

एन्टीबायोटिक्स के उत्पादन की लागत मुख्य रूप से उपयोगिताओं और सेवाओं की

लागतों पर निर्भर है। पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि के कारण विद्युत, भट्टी तेल आदि की दरों में तीव्र वृद्धि हुई है और ऐसी वृद्धियो के कारण अधिकांश एन्टीबायोटिक्स की उत्पादन लागत पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। एम्पिसिलिन के मूल्यों में संशोधन करते समय उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) पेनिसिलिन और इसके फार्मूलेशन्स, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 की श्रेणी 1 में सम्मलित है। पेनिसिलिन का उत्पादन चार यूनिटों, दो सरकारी क्षेत्र और दो-गैर सरकारी क्षेत्र की यूनिटों, द्वारा पहले से ही मूल स्तर से किया जा रहा है। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश. 1979 के अधीन एम्पिसिलिन और इसके फार्मूलेशनों का वर्गीकरण अन्य बातों के साथ-साथ स्वदेशी उत्पादन में की गई प्रगति से सम्बद्ध है। एम्पिसिलिन एनहाइड्रस औषध का देश में अभी मूल्य स्तर से उत्पादन नहीं किया जाता।

(घ) बल्क रिफेम्पिसिन के आयात मूल्य में कुछ और कमी की सूचना मिली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से नवीनतम आयात मूल्य के ब्यौरे मांगे गए है। यदि यह पाया गया कि रिफेम्पिसिन के आयात मूल्य में और कमी हुई है तो रिफेम्पिसिन पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्य में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे। टी० बी० विरोधी औषधों और एन्टीबायोटिक्स के स्वदेशी उत्पादन में की गई प्रगति के आधार पर कुछ ऐसी औषधों और उनके फार्मूलेशनों, जिनका देश में पर्याप्त रूप से उत्पादन किया जाता है, को डी० पी० सी० ओ० 1979 की श्रेणी 1 श्रेणी 11 में पहले से ही सूची बद्ध है। डी० पी० सी० ओ० के अधीन विटामिन सम्पाकों और शेष टी० बी० निरोधी औषधों और एन्टीबायोटिक्स की श्रेणी में परिवर्तन करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

मेसर्स फाइजर द्वारा मल्टी विटामिन फार्मूलेशनों की बिक्री

8700. श्री तारिक अनवर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैं० फाइजर अपने मल्टी विटामिन फर्मूलेशनों को बहुत ऊंची कीमतों पर बेच रहे है ;

(ख) उन्होने नयी कीमत कब से लगायी है और क्या उन्हें सरकार ने अपनी मंजूरी दी थी ;

(ग) फाइजर और एब्बट लस द्वारा उत्पादित मल्टी विटामिन की कीमतें घटाने के लिए क्या कदम उठाये गये है और औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 के जारी होने के पहले और उसके बाद उनकी कीमतें क्या थी ;

(घ) क्या यह सच है कि औषध कंपनियों ने विटामिन युक्त पदार्थों के सम्मिश्रण अनुपात को कम कर दिया है और उसकी तुलना में उनके मूल्य बढ़ा दिये हैं जिससे सुबर बेक्स-1, बेकोसुला प्रोटिनेक्स आदि जैसे उत्पादों में उन्हें काफी लाभ मिल रहा है यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है , और

(ङ) अनुमोदित मूल्यों के जारी करने में विलम्ब के कारण है और वे कब तक जारी किये जायेंगे ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) फाइजर और अबोर लैब्स द्वारा उत्पादित बहु-विटामिन फार्मूलेशन के पूर्व मूल्य और वर्तमान मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। दोनों कम्पनियों ने औषध और प्रसाधन अधिनियम 1940 की अनुसूची-1 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में दर्शाए मिश्रण के साथ औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 की घोषणा के पश्चात् बहु-विटामिन के अपने मूल्यों के अनुमोदन के लिए सरकार से आवेदन किया है। अनुसूची 1/के फार्मूलेशनों पर अनुमति दिए जाने वाले मार्क-अप पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इस बीच दोनों कम्पनियों ने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के पैराग्राफ 14 के उप-पैराग्राफ 14 के उप-पैराग्राफ (3) के अधीन विवरणपत्र में उल्लिखित मूल्यों पर अपने फार्मूलेशनों का विपणन शुरू कर दिया। औषध और प्रसाधन अधिनियम की अनुसूची 1/के अनुसार सुत्रीकृत बहु-विटामिन फार्मूलेशनों के मूल्य सरकार द्वारा अनुमोदित बल्क विटामिन के मूल्यों और कारखाने से बाहर लागत पर सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने वाले मार्क-अप पर निर्भर करेंगे।

(घ) और (ङ) : औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से उन सभी कम्पनियों के नाम बताने के लिए कहा गया है जिन्होंने औषध और प्रसाधन अधिनियम 1940 की अनुसूची 1/और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सुत्रीकृत विटामिन फार्मूलेशन्स प्रारम्भ किए हैं।

मूल्यों की उपयुक्तता तभी निर्धारित की जा सकती है जब ऐसे फार्मूलेशनों पर अनुमति दिए जाने वाले मार्क-अप के प्रश्न पर सरकार द्वारा कोई निर्णय ले लिया जाए।

विवरण

क्रम सं०	फार्मूलेशन का नाम	पैक का आकार	पूर्व मूल्य	वर्तमान मूल्य	वर्तमान मूल्य सूचित करने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	**फाइजर लिमिटेड**				
1.	बीकोसूल्स कैप्स	20 की बोतल	11·91	8·81	10·2·1982
2.	—वही—	100 की बोतल	50·09	32·97	,,
3.	—वही—सिरप	50 मिलि बोतल	3·75	4 96	,,
4.	मल्टीविटाप्लैक्स फोर्ड कैप्सूल्स	20 की बोतल	9·45	8·63	,,
5.	—वही—	100 की बोतल	36·82	31·97	,,

1	2	3	4	5	6
6.	मल्टीविटाप्लैक्स ड्रोप्स	15 मिलि बोतल	4·09	4·47	10·2·82
7.	मल्टीविटाप्लैक्स एलिक्सिर	100 मिलि बोतल	7·40	9·56	„
8.	टेरामाइसिन एसएफ कैप्सूल	25×4 की	61·75	63·29	„
9.	डुमासूल्स कैप्स	25 की बोतल	8·76	7·92	„
10.	—वही—	100 की बोतल	34·46	29·38	„
11.	प्रोटीनेक्स ग्रेन्यूल्स	115 ग्राम टिन	7·79	13·32	„
12.	—वही—	225 „ „	14·57	21·62	„
2.	एबोट लैब्स				
1.	सर्बेक्स-टी	25 की बोतल	5·12	9·85	11·6·82
2.	—वही—	100 की बोतल	15·05	32·88	„
3.	विदेलिन-एम-सिरप	90 मिलि	6·43	8·43	„
4.	—वही—	240 मिलि	13·63	17·17	„
5.	—वही—	480 मिलि	25·24	33·92	„
6.	इबरोल 500 टोनिक	90 मिलि	7·56	11·06	4·7·1982
7.	—वही—	240 मिलि	14·94	24·21	„
8.	प्रेमिलेट्स गोलियां	25 का	6·60	8·34	„
9.	विदेलिन सिरप	90 मिलि	5·36	7·01	„
10.	—वही—	240 मिलि	10·87	13·92	„
11.	—वही—	480 मिलि	19·55	26·11	„
12.	विदेलिन एम ड्रोप्स	15 मिलि	4·09	5·20	„
13.	—वही—	30 मिलि	6·52	7·91	„
14.	विदेलिन ड्रोप्स	15 मिलि	4·02	5·13	„
15.	—वही—	30 मिलि	6·33	7·79	„

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत छूट प्राप्त प्रतिष्ठान जिन्होंने राशि जमा नहीं कराई है

8701. श्री रामावतार शास्त्री : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत छूट प्राप्त उन प्रतिष्ठानों के नाम क्या है जिन्होंने 50,000 रुपये या उससे अधिक की भविष्य निधि राशि जमा नहीं कराई है ;

(ख) इन दोषी प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाई के साथ अन्य क्या कार्यवाई की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है, और इस मामले में कौन उत्तरदायी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

गुजरात के बड़ौदा और पंचमहल जिलों में कार्यरत प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत शामिल न करना

8702. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात क्षेत्र में विशेषकर बड़ौदा और पंचमहल जिलों में कार्यरत अधिसंख्य प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत शामिल न किये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त शिकायतें कब मिलीं तथा क्या मुख्य भविष्य निधि आयुक्त द्वारा कुछ केन्द्रीय पदाधिकारियों को वहां भेज कर ऐसे प्रतिष्ठानों को शामिल करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कोई कार्यवाई न करने के क्या कारण है और दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) पता चला है कि अहमदाबाद की कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ यूनियन ने जनवरी, 1983 में अधिनियम के अन्तर्गत न लाए गए अनेक प्रतिष्ठानों की ओर, विशेषकर बड़ौदा और पंचमहल जिलों में स्थित ऐसे प्रतिष्ठानों की ओर संगठन का ध्यान दिलाया है । इसलिए बड़ौदा स्थित सहायक भविष्य निधि आयुक्त के नेतृत्व में निरीक्षकों के एक दल को इन दो जिलों में अधिनियम के अन्तर्गत न लाए गए सभी प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा गया था । इस दल ने 110 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और 3 प्रतिष्ठानों को अधिनियम के अन्तर्गत लाने योग्य पाया । इन तीन प्रतिष्ठानों को अब अधिनियम के सीमा-क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जा चुका हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार सर्कल में रेल डाक सेवा में कार्यरत कुछ डाक और तार कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किया जाना

8703. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में डाक सेवा कार्यरत कुछ डाक-तार कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और बहुत से कर्मचारियों का ब्रेक इन सेवा में अवरोध डाल कर उन्हें दंडित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दोनों प्रकार के कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या कितनी है ;

(ग) उनके खिलाफ की गई कार्यवाई का अधार क्या है ; और

(घ) क्या सरकार उनके दण्डों को समाप्त करने का विचार रखती है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल : (क) जी नहीं । तंग किये जाने का कोई मामला नहीं हुआ है परन्तु रेल डाक सेवा "पी" डिवीजन, पटना के कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के दौरान अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमों और मूलनियम 17-क के अन्तर्गत कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के रूप में प्रशासनिक कार्यवाई करनी पड़ी जिसमें अनुपस्थिति को अनधिकृत माना गया और छुट्टी यात्रा रियायत स्थायीवत्त और विभागीय परीक्षाओं में बैठने की पात्रता जैसे सीमित, उद्देश्यों के लिए सेवा में व्यवधान किया गया ।

(ख)	(एक) सेवा समाप्त करना	—31
	(दो) सेवा में व्यवधान	—जानकारी प्राप्त की जा जा रही है ।

(घ) मूलनियम 17-क के तहत सेवा समाप्त करना और अनुपस्थिति को अनधिकृत मानना सांविधिक दंड नहीं हैं । तथापि; पुनरीक्षा प्राधिकारी सेवा समाप्ति के विरुद्ध याचिकाओं की पहले से ही जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा । जिन कर्मचारियों की अनुपस्थिति को मूल नियम-17-क के तहत अनधिकृत समझा जाने के आदेश दिए गए हैं, उनसे कोई याचिका प्राप्त नहीं हुई है ।

उच्चतम न्यायालय में लंबित श्रमिक मामलों का निपटाया जाना

8704. **श्री ए० के० राय :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1983 तक उच्चतम न्यायालय में कितने श्रमिक मामले लंबित थे और उनका विगत 10 वर्षों का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनमें से कौन सा लंबित श्रमिक मामला सब से पुराना है ;

(ग) पिछले पांच वर्षों में वर्ष-वार कितने श्रमिक मामले निपटाए गए हैं और उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या औद्योगिक विवादों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय में एक विशेश श्रमिक न्यायपीठ का सृजन करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(च) यदि हां, तो उसके लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) से (च) न्यायापीठों का गठन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किया जाता है, न कि सरकार द्वारा । उच्चतम न्यायालय ने सूचित किया है कि जब भी श्रमिकों के मामले तैयार होते हैं, उन्हें शीघ्र सुनवाई के लिए प्रस्ताव किए जाने का भरसक प्रयास किया जाता है ।

विवरण

तारीख 26-4-83 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 8704, भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में विवरण

(क) उच्चतम न्यायालय में लंबित श्रमिक अपीलें (1-1-1983 को)

वर्ष	संख्या
1970	1
1971	31
1972	29
1973	45
1974	39
1975	30
1976	31
1977	60
1978	51
1979	77
1980	64
1981	65
1982	95
योग	618

(ख) सबसे पुराना लंबित श्रमिक मामला—1 मामला 1970 से

(ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले पांच वर्षों में निपटाई गई श्रमिक अपीलें :

वर्ष	संख्या
1978	41
1979	29
1980	31
1981	22
1982	18
योग	141

कर्मचारियों को विशेष भत्ता देकर उनकी प्रतिपूर्ति करने के बारे में फकीर चन्द समिति की रिपोर्ट

8705. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि संगठन के कार्मचारियों को क्षेत्रीय कार्यालय से उप-क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरण किए जाने का कर्मचारियों ने कड़ा विरोध किया है, क्योंकि उन्हें वित्तीय हानि और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए फकीर चन्द समिति ने कर्मचारियों को विशेष भत्ता देकर उनकी प्रतिपूर्ति करने और उनके परिवारों को क्षेत्रीय मुख्यालय में अधिकतम दो वर्ष तक परिवार रखने की अनुमति देने की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उप-क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों की कठिनाइयों दूर करने का निर्णय किया है और किस हद तक इन कठिनाइयों को दूर किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हाँ।

(ख) फकीर चन्द समिति ने सिफारिश की थी कि :—

(1) ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें क्षेत्रीय कार्यालय से उप-क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरित किया जाता है, प्रारम्भिक अवस्थाओं में पर्याप्त विशेष भत्ता दिया जाए, ताकि उन्हें अधिक वित्तीय हानि न हो, और

(2) यदि स्थानांतरित हुए कर्मचारी नए स्थान पर परिवार को ले जाने की स्थिति में नहीं है, तो उन्हें अधिक से अधिक दो वर्ष के लिए उप-क्षेत्रीय कार्यालय में रखा जाना चाहिए ।

(ग) सरकार ने स्थानांतरण की प्रारम्भिक अवस्थाओं पर विशेष भत्ता देने सम्बन्धी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है । क्षेत्रीय कार्यालयों से उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों के स्थानांतरण को नियमित करने के लिए फकीर चन्द समिति की सिफारिशों को मद्दे नजर रखते हुए कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए गए हैं । इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, कर्मचारियों को एक वर्ष की अवधि के लिए बारी-बारी के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालयों से उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानांतरित किया जाता है और इस अवधि के पूर्ण होने के बाद, उन्हें क्षेत्रीय कार्यालयों में वापिस लाया जाता है । स्थानांतरित कर्मचारियों के परिवारों द्वारा मकानों को रखने के अनुरोध पर भी प्रत्येक मामलों के गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है ।

रंगीन टी०वी० प्रसारण के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग

8706. **श्री राम अवध :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन ने, कुछ समय पहले, लगभग दो दर्जन प्रोग्राम और इंजीनियरिंग कर्मचारियों को ' रंगीन टेलीविजन" प्रसारण का विशेषता पूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए पश्चिम जर्मनी भेजा था ।

(ख) यदि हां, तो इन विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी दिल्ली, दूरदर्शन में नियुक्ति किए गए जो कि दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम प्रसारण का मूल केन्द्र है ;

(ग) अन्य केन्द्रों में नियुक्ति प्रशिक्षित कर्मचारियों का पूर्ण ब्योरा क्या है जिनके रंगीन दूरदर्शन में प्राप्त विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण का अब तक उपयोग नहीं किया जा रहा है ; और

(घ) दिल्ली केन्द्र उनकी सेवाओं का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां । दूरदर्शन के चौबीस कार्यक्रम और इन्जीनियरी अधिकारियों के एक दल ने 5-7-1981 से 8-8-1981 तक संघीय गणराज्य जर्मनी में हुए रंगीन टेलीविजन सेमिनार में भाग लिया था ।

(ख) चार ।

(ग) और (घ) संघीय गणराज्य जर्मनी में भेजे गए उन अधिकारियों, जिन्होंने रंगीन टेलीविजन सेमिनार में भाग लिया था और अब दिल्ली से भिन्न अन्य दूरदर्शन केन्द्रों पर तैनात हैं, के नाम विवरण में दिए गए हैं । विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से अधिकारियों का चयन ध्यानापूर्वक किया गया था ताकि उनके प्रशिक्षण का उपयोग एशियाई खेलों को कवर किए जाने के

लिए किया जा सके और बाद में भी जब विभिन्न केन्द्रों से रंगीन प्रसारण चरणबद्ध ढंग से चालू होता है। दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंग के रूप प्रस्तुत किए जाने वाले रंगीन कार्यक्रमों को दूरदर्शन के सभी ट्रांसमीटर प्रेषित कर रहे हैं और सभी केन्द्रों को कुछ रंगीन उपकरण सप्लाई किए जा रहे हैं। अतः यह कहना सही नहीं होगा कि रंगीन टेलीविजन में प्रशिक्षित कार्मिकों की सेवाओं का उपयोग नहीं होता।

विवरण

उन अधिकारियों का ब्यौरा जिनको रंगीन टेलीविजन सेमिनार के लिए पश्चिमी जर्मनी में भेजा गया था और इस समय दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र से भिन्न अन्य केन्द्रों पर तैनात है

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री ए. एस· ततारी	निदेशक	दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई।
2.	श्री विनायक चसकर	प्रोडयूसर	दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई।
3.	श्री राजमणि राय	दिदेशक	उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, कटक।
4.	श्री सिराज कुरेशी	प्रोडयूसर	दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर।
5.	श्री बी. सी. बोस	सहायक केन्द्र निदेशक	दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता।
6.	श्री सी.एल. हाकू	कार्यक्रम एक्जीक्यूटिक	दूरदर्शन केन्द्र, जलंधर।
7.	श्री वेद प्रकाश	प्रोडयूसर	दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई।
8.	श्री एम. एम सहगल	कैमरामैन ग्रेड-1	दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास।
9.	श्री एस. के माथुर	कैमरामैन ग्रेड-1	उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली।
10.	श्री वाई.एन. जोहरी	कैमरामैन ग्रेड-1	दूरदर्शन केन्द्र, श्रीगनर।
11.	श्री एम. डी. गेरा	कैमरमैन ग्रेड-2	उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली।
12.	श्री हर्षवर्धन	अधीक्षक इंजीनियर	दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ।
13·	श्री वी. वी. राव	निदेशक (इंजीनियरी)	दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली।
14.	श्री ध्रुव रे,	केन्द्र इंजीनियर	दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता।
15.	श्री ए.पी. संतरा	सहायक निदेशक (इंजीनियरी)	दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली।

1	2	3	4
16.	श्री योगेश्वर प्रसाद	उप निदेशक (इंजीनियरी)	दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली।
17.	श्री बाई कुलश्रेष्ट्रा	सहायक इंजीनियर	उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली।
18.	श्री जवाहर लाल	सहायक इंजीनियर	दूरदर्शन केन्द्र, जलंधर।
19.	श्री एन. सुब्रमणियन	उप निदेशक (इंजीनियरी)	दूरदर्शन महानिदेशालय, नई दिल्ली।
20.	श्री बी. के. फोतेदार	सहायक केन्द्र इंजीनियर	दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर।

दूरदर्शन पर दिखाये जा रहे कार्यक्रमों में सुधार के लिए बनाई गई "साफ्ट वेअर समिति

8707. **श्री राम अवध** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दूरदर्शन पर दिखाए जा रहे कार्यक्रमों में सुधार के लिए एक "साफ्ट वेअर समिति का गठन किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने उक्त "साफ्ट वेअर" समिति में फिल्म उद्योग या किसी अन्य संगठन के तकनीकी जानकारी रखने वाले कर्मचारी को शामिल नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तकनीकी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को अब शामिल करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम सम्बन्धी योजना तैयार करने के लिए सरकार ने एक कार्य दल नियुक्त किया है।

(ख) और (ग) कार्य दल में तकनीकी व्यक्ति भी शामिल है। इसके अलावा कार्य दल माध्यम विशेषज्ञों और सम्बधिन्त विचारों वाले अन्य वर्गों से परामर्श कर रहा होगा।

गाजियाबाद नगर में से दिल्ली टेलीफोन के अन्तर्गत बुक की गई टेलीफोन कालें

8708. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल, 1982 से 31 मार्च, 1983 तक गाजियाबाद नगर के ग्राहकों द्वारा दिल्ली टेलीफोन के अन्तर्गत कितनी कालें बुक की गई ;

(ख) उनमें से कितनी कालों में लाइनें मिल गई/बात-चीत हुई और कितनी कालों में लाइन नहीं मिली ;

(ग) कालों में लाइनें न मिलने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि गाजियाबाद दिल्ली के बीच की टेलीफोन लाइनों के खराब रखरखाव के कारण बहुत सी ट्रंककालों में लाइनें नहीं मिलती ; और

(ङ) इस प्रणाली को सुधारने के लिए गाजियाबाद के डिविजनल इंजीनियर (फोन्स) के स्तर पर क्या कदम उठाए गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) दिल्ली में ट्रंक कालें बुक करने और मिलने के बारे में एक्सचेंज वार अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। संपूर्ण दिल्ली टेलीफोन प्रणाली के लिए ट्रंक कालें एक ट्रंक एक्सचेंज में बुक की जाती है। अतः यह जानकारी देना संभव नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) दिल्ली टेलीफोन्स ने सेवा में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की है / करने की योजना बनाई है :—

(1) जंक्शन और ट्रंक के कार्यकरण में सुधार लाने से लिए दिल्ली और गाजियाबाद के बीच समाक्ष केबिल की व्यवस्था की गई है।

(2) दोषों का आसानी से शीघ्र पता लगाने के लिये भूमिगत मुख्य गौण एवं जंक्शन केबिल गैस दाबीकरण।

(3) नमी के प्रभाव को रोकने के लिये वितरण परिपथ जाल में जैली भरे केबिल का प्रयोग।

(4) उपभोक्ता कनेक्शनों के लिये इन्सुलेटिड ड्राप वायर का प्रयोग।

(5) उपभोक्ताओं के अहातों की फिटिंग में अल्यूम्यूनियम की तारों के स्थान पर तांबे के तार लगाना।

(6) एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली टेलीफोन प्रणाली के वाहन संयंत्र परिपथ जाल के विस्तार के लिये कार्य बल की स्थापना भी की गई है।

बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली का उत्पादन और खपत

8709 **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली का वास्तविक उत्पादन और खपत देश में सबसे कम

है और पिछले चार वर्षों के दौरान वह और कम हो गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं, इसके क्या कारण हैं और क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या उत्तरी बिहार में बिजली खपत बिहार के शेष भागों की तुलना में छठा हिस्सा है और पिछले चार वर्षों में वह उसका भी आधा हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके वास्तविक आंकडे क्या हैं और तेज गिरावट के कारण क्या हैं तो उत्तरी बिहार को बिहार के शेष भागों के बराबर लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) कोसी, कमला, बागमती, कायलकारो नदियों पर बनाई जाने वाली बहुउद्देशीय पनबिजली परियोजनाओं तथा मुजफ्फरपुर और कहलगांव ताप बिजली परियोजनाओं की नवीनतम स्थिति क्या है, उनकी विशिष्ट बातें क्या हैं तथा निर्धारित समय सूची क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) (1) बाहर क्षेत्र में कोसी नदी पर प्रस्तावित बहूद्देशीय परियोजना का विस्तृत ब्यौरा उपाबंध-1 में दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी-6491/83] बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित नेपाल में सीसापानी में कमला नदी पर बांध का ब्यौरा तथा महामहिम नेपाल सरकार द्वारा तैयार किए गए नन्थेर में बागमती पर बांध के प्रस्ताव का ब्यौरा क्रमशः उपाबंध-2 और 3 में दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी-6491/83] ये परियोजनाएं फरवरी, 1982 में सरकारी स्तर की बैठक के दौरान विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत की गई थी, उस समय नेपाल की ओर से यह बताया गया था कि उन परियोजनाओं पर आगमी सरकारी स्तर की बैठक में विचार-विमर्श किया जा सकता है । कोसी नदी की विभिन्न सहायक नदियों पर, जो कि नेपाल में हैं, अन्य जल विद्युत स्कीमों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(2) जहां तक कोयल-कारो जल विद्युत परियोजना का संबंध है प्रर्यावरण की दृष्टि से विज्ञापन तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसे स्वीकृति दे दी गई है । बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय-जल विद्युत निगम को उपलब्ध कराई गई भूमि पर कुछ आवासीय क्वार्टर और स्टोर शेड आदि बनाए गए हैं । स्थानीय लोगों, विशेषकर आदिवासियों, के विरोध किए जाने के कारण परियोजना की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी हैं तथापि स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने के लिऐ संगठित प्रयास किए जा रहे हैं । और यह उम्मीद है कि विरोध पर शीघ्र ही सफलता मिल जाएगी और शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए मार्ग खुल जायगा।

(3) मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र (2×110मेगावाट) क्रियान्वयनाधीन और दोनों यूनिटों के 1984-85 के दौरान चालू किए जाने की संभावना है ।

(4) कहलगांव सूपर ताप विद्युत केन्द्र के चरण-1 (4×210 मेगावाट) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है । योजना आयोग द्वारा निवेश संबंधी निर्णय दे दिए जाने के पश्चात् परियोजना को पी० आई० बी० को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ।

आन्ध्र प्रदेश की परियोजनाओं को स्वीकृति दिया जाना

8710. **श्री पी॰राजगोपाल नायडू :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने (एक) पोचमपाद पनबिजली योजना (दो) नागार्जुन सागर पनबिजली योजना (तीन) पेन्ना ऐहो बिलान को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) क्या उन्हें तकनीकी तौर पर स्वीकृति दे दी गई है ;

(ग) क्या योजना आयोग ने उन्हें स्वीकृत कर दिया है ;

(घ) क्या ब्रिटेन, जापान, कनाडा आदि जैसे देश इन परियोजनाओं के लिए सहायता देने की पेशकश कर रहे हैं ; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उनसे बात-चीत करने तथा उक्त परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विदेशी सहायता लेने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) निवेश अनुमोदन के लिए स्कीमों की सिफारिश योजना आयोग को कर दी गई है और इनकी प्रतीक्षा है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) उपयुक्त लागत पर देश में निर्मित की गई स्वदेशी निर्माण क्षमता सहित विभिन्न प्रकार के संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन स्कीमों के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने की सभाव्यता की जांच योजना आयोग द्वारा इन स्कीमों का अनुमोदन कर दिए जाने के पश्चात् ही की जा सकेगी ।

छठी पंचवर्षीय योजना में उर्वरक संयंत्रों का आधुनिकीकरण किया जाना

8711. **श्री अनादिचरण दास :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पचवर्षीय योजना अवधि मे किन-किन तथा कितने उर्वरक संयंत्रों का अधुनिकीकरण करने का कार्यक्रम है ;

(ख) उपरोक्त आधुनिकीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वित करने के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव के कार्यान्वियन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) प्रत्येक उर्वरक कम्पनी में प्रतिस्थापन तथा नवीकरण द्वारा अपधुनिकीकरण किया जा रहा है तथापि प्रत्येक कम्पनी द्वारा कुछ विशेष आधुनिकीकरण योजनाएं भी बनाई गई हैं । इस समय वे निम्नलिखित है :—

(1) सल्फा संयंत्र की पुन: स्थापना) सरकार द्वारा अनुमोदित(आर.सी.एफ.

(2) अमोनिया प्लांट की पुन: स्थापना, आर. सी.एफ.

(3) मेथैनौल प्लांट का नवीकरण, आर.सी.एफ.

(4) फैक्ट की केप्रोलैक्टम परियोजना (सरकार द्वारा अनुमोदित)

(5) रामागुण्डम में डिबोटल नैंकिग स्कीम, एफ.सी आई.

(6) तालचर में डिबोटल स्कीम, एफ.सी.आई.

(7) गोरखपुर प्लांट का नवीनीकरण, एफ.सी.आई.

(8) सिन्दरी रेशनेलाइजेशन की पुन: स्थापना, एफ.सी.आई.

(ख) छठी योजना में "अवूनिकीकरण" विशिष्ट शीर्ष के अन्तर्गत अलग से कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है। तथापि योजना आयोग की सलाह से जैसा आवश्यक हो आधुनिकीकरण/ प्रतिस्थापन/नवीकरण स्कीमों के लिए, वार्षिक प्रावधान किया जाता है। वर्ष 1983-84 में उपर्युक्त के लिए 35.08 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ग) निम्नलिखित दो स्कीमों, जो सरकार द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं, के कार्यान्वयन में हुई अब तक की प्रगति का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

(I) सुफला संयंत्र : मैसर्स कैमिरा ओ वाई फिनलैंड के साथ मौलिक डिजाईन, अभियांत्रिकी तथा पर्यवेक्षण के करार अन्तिम रूप दिया जा रहा है। मैसर्स पी.डी.आई.एल. के परियोजना के विस्तृत अभियांत्रिकी प्रस्ताव की कम्पनी द्वारा जांच की जा रही है।

(2) केप्रोलैक्टम संयंत्र : जानकारी की खरीद के लिए टैण्डरदाताओं से तकनीकी विचार-विमर्श पूर्ण हो चुके हैं तथा आर्थिक बोलियों पर कार्यवाही चल रही है।

बिना पी० सी० ओ० सुविधा के पुलिस स्टेशन

8712. **श्री बिरदाराम फुलवारिया** । क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एसे कितने पुलिस स्टेशन मुख्यालय हैं जहां पी०सी०ओ० सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(ख) इन पुलिस स्टेशन मुख्यालयों में पी सी ओ० सुविधा देने में कितना समय लगने की संभावना है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) उप निरीक्षक या इससे उच्च अधिकारी के अधीन पुलिस स्टेशन मुख्यालयों में सहायता के आधार पर सार्वजनिक टेली-

फोनघर प्रदान करने की विभाग की नीति रही है । 30-982 को ऐसे 4330 स्टेशनों में से 4?2 में सार्वजनिक टेलीफोनघर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी ।

(ख) और (ग) उप निरीक्षक या उससे उच्च अधिकारी के अधीन इन पुलिस स्टेशन मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोनघर सुविधा चरणबद्ध में प्रदान की जा रही है जो आवश्यकता की प्राथमिकता और साधन बाधाओं (वित्तीय एवं साज सामान की उपलब्धता दोनों पर निर्भर करती है ।

मध्य प्रदेश में कोरबा हेतु 500 मेगावाट सेट के लिए भेल को आर्डर

8713. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम से मध्य प्रदेश में कोरबा स्थित सुपर विद्युत तापीय स्टेशन को 500 मेगावाट सेट सप्लाई करने का आर्डर "भेल" को प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने सेटों को आयात करने के महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है और स्वदेश में "भेल" को ठेका दिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम मध्य प्रदेश में कोरबा में 2100 मेगावाट (3 × 200 मेगावाट + 3 × 500 मेगावाट) का एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित कर रहा है । 500 मेगावाट के यूनिटों के लिए बायलरों एवं टर्बाइन जेनरेटरों को सप्लाई करने के लिए आर्डर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० को दे दिए गए हैं ।

(ख) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र के 500-500 मेगावाट के पांचवे और छठे यूनिटों के लिए उपस्कर की प्राप्ति के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एकक

8714. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग में पिछले तीन वर्षों में संवर्ग-वार कितने पद अनारक्षित किये गये ;

(ख) अनारक्षित पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये थे ; और

(ग) क्या डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित जाति एकक कार्य कर रहा है और एकक में कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) :

(क)

"ग्रुप" "क"		"ग्रुप" "ख"		"ग्रुप" "ग"	
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनु० जाति	अनु०जन जाति	अनु०जाति	अनु०जन जाति
51	75	6	47	141	421

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित कार्रवाई और प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। ग्रुप (क) और "घ" पदों के लिए पदोन्नति के मामले में विभागीय समिति का उम्मीदवारों के मामलों की पुनरीक्षा करती है जो मानदंडों में ढील देने के बावजुद विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते। ऐसे उम्मीदवारों को, यदि वे किसी अन्य प्रकार से अयोग न पाया गया हो, अर्हकारी स्तर तक अनुग्रहांक दिए जा सकते हैं।

(ग) जी हां। डाक-तार निदेशालय में एक अनु०जाति/अनुसूचित जन जाति कक्ष है। तीन पूर्णकालिक और सात अंशकालिक अधिकारियों द्वारा इस कक्ष का कार्य देखा जा है।

उच्चतम न्यायालय में लंबित सिविल/दांडिक मामले

8715. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में सबसे अधिक समय से लंबित सिविल और दांडिक मामलों का ब्यौरा क्या है उन्हें फाइल किए जाने की तारीख क्या है ; और

(ख) मामलों को निपटाने में विलंब के क्या कारण हैं ?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अपील की प्रकृति	संख्या	फाइल करने की तारीख	विलंब का कारण
1	2	3	4
सिविल अपील	1 1	26 फरवरी, 1968 25 सितंबर, 1968	इन्हें एक दूसरी रिट याचिका के निपटारे के बाद जो अब निपटाई जा चुकी है, प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। ये दो अपीलें अब शीघ्र ही निपटारे के लिए प्रस्तुत की जाएंगी।
सिविल अपील	2	15 जुलाई, 1968	इन्हें सात सदस्यों वाली न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है। ये तभी प्रस्तुत होंगी जब ऐसी न्यायपीठ गठित की जाएगी।

1	2	3	4
सिविल अपील	1	3 मई, 1968	यह संविधान न्यायपीठ के समक्ष तब प्रस्तुत की जाएगी जब ऐसी न्यायपीठ गठित की जाएगी।
सविल अपील	1	25, सितंबर, 1968	इस अपील में अन्तर्गत प्रश्न एक दूसरी अपील में अन्तर्ग्रस्त प्रश्न के समान है जिसमें निर्णय आरक्षित रखा गया है। यह निर्णय दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत की जाएगी।
दांडिक अपील	2	3 अक्तूबर, 1972	प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता की मृत्यु हो गई है और प्रत्यर्थियों से वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा गया है, किन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है, फिर भी इन अपीलों को 9 से 13 मई, 1983 वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने को कहा गया है।

संघ क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना

8716. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) संघ क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता बढ़ाने और वहां और अधिक पम्प सेटों को बिजली देने ताकि उन्हें पड़ोसी राज्यों पर निर्भर न रहना पड़े और बिजली की सप्लाई में बार-बार व्यवधान न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए चौथी योजना के दौरान तैयार की गई योजना में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या स्थिति में और सुधार करने के लिए छठी योजना में इस पर कोई बल दिया गया है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसमें कितनी प्रगति की गई है ; और

(ग) गर्मी के आगामी महीनों में दिल्ली में बिजली की कटौती रोकने के लिए उठाए गए कदम का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) चौथी योजना अवधि के दौरान अंडमान, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम संघ शासित क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन

स्कीमों को कार्यान्वित किया गया है तथा इन संघ शाषित क्षेत्रों में क्रमशः लगभग 1337 किलोवाट 478 किलोवाट 1815 किलोवाट और 1000 किलोवाट की प्रतिष्ठापित क्षमता जोड़ी गई है। गोवा, दमन और द्वीप, दादर और नागर हवेली, पांडिचेरी और चण्डीगढ़ संघ शाषित क्षेत्रों के अपने कोई विद्युत उत्पादन केन्द्र नहीं हैं और ये अपनी विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहते हैं। इन संघ शाषित क्षेत्रों के लिए चौथी योजना में कोई विद्युत उत्पादन स्कीम स्वीकृति नहीं की गई थी। 1974 में इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्र की पांचवीं यूनिट (60 मेगावाट) के चालू हो जाने के परिणामस्वरूप चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले डेसू की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 236.2 मेगावाट से बढ़कर 296.2 मेगावाट हो गई थी। वर्ष 1974-75 के दौरान 100-100 मेगावाट की दो और यूनिटे चालू किए जाने के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना में संघ शाषित दिल्ली के बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में 100 मेगावाट की यूनिट भी चालू की गई थी।

चौथी योजना के प्रारम्भ से अर्थात् 1.4.1969 की देश के सभी संघ शाषित क्षेत्रों में सिंचाई पम्प सेटों/ऊर्जित ट्यूबवैलों की संख्या 7.317 थी। चौथी योजना, 1969-74 के दौरान इन संघ शासित क्षेत्रों में 6244 अतिरिक्त सिंचाई पम्पसेट/ट्यूबवैलों के लिए कनेक्शन दिए गए थे। जो मार्च, 1974 के अन्त तक कुल 13,561 हो गए थे।

(ख) छठी योजना के दौरान संघ शासित क्षेत्र अण्डमान में लगभग 4.875 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता, संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप में 1.034 मेगावाट तथा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के संघ शासित क्षेत्रों में लगभग 10-10 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़ने के लिए जोर दिया गया है तथापि गोवा, दमन तथा द्विव, दादरा तथा नागर, हवेली पांडिचेरी और चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्रों जो कि पड़ोसी राज्यों से विद्युत सप्लाई पर निर्भर करते हैं, में कोई उत्पादन क्षमता नहीं जोड़ी गई और उनकी आवश्यकताओं को केन्द्रीय परियोजनाओं से पूरा करने की व्यवस्था की गई। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अण्डमान तथा लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्रों में दिसम्बर, 1981 तक छठी योजना अवधि के दौरान जोड़ी गई विद्युत उत्पादन क्षमता क्रमशः 3,68 मेगावाट, 0.8 मेगावाट, 2.22 मेगावाट तथा 0.75 मेगावाट है। छठी पंचवर्षीय योजना में की गई परिकल्पना के अनुसार वर्ष 1981-82 के दौरान दिल्ली में, केन्द्रीय सेक्टर में बदरपुर ताप विद्युत परियोजना यूनिट-5 (210 मेगावाट) चालू की गई थी।

(ग) दिल्ली में आने वाली ग्रीष्म ऋतु के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संसथान को कुल विद्युम उपलब्धता 800 मेगावाट के लगभग होगी। जबकि इसकी तुलना में प्रत्याशित मांग 700 मेगावाट है। विभिन्न वोल्टता स्तरों पर अतिरिक्त उपकेन्द्र की क्षमता चालू करके पारेषण तथा वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा कदम भी उठाए गए हैं ताकि वे राजधानी में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए सक्षम हो सके। प्रणाली को सशक्त बनाने सम्बन्धी कार्य चल रहे हैं तथा ग्रीष्म ऋतु आरम्भ होने से पहले ही जोड़ी जाने वाली एक काफी बड़ी अतिरिक्त उपकेन्द्र क्षमना संबंधी कार्य चल रहे हैं। व्यापक रूप से अनुरक्षण करने तथा मध्यम वोल्टता पर प्रणाली को बढ़ाने के कार्य भी चल रहे हैं।

लिग्नाइट खानों तथा ताप बिजली घरों की प्रगति

8717. डा० ए० यू० आजमी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूसरी और तीसरी लिग्नाइट खानों तथा नए ताप विद्युत घरों के विकास की दिशा में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है और उन्हें खोलने के लिए की गई खोज तथा व्यवहार्यता रिपोर्ट के क्या परिणाम निकले ;

(ख) क्या उनकी स्थापना के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है, यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उन में से किसी के पूर्वी उत्तरप्रदेश में स्थापित किए जाने की कोई योजना है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारत सरकार ने फरवरी, 1978 में नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की दो परियोजनाएं स्वीकृत की अर्थात् दूसरी लिग्नाइट खान खोलना और दूसरा ताप बिजली घर स्थापित करना। विशिष्ट खनन उपकरणों का प्रयोग शुरू करने के लिए पारंपरिक खनन उपकरण की सहायता से दूसरी खान के विकास का काम चालू है। तीन प्रणालियों में से एक प्रणाली में 14 अप्रैल, 1983 को काम शुरू हो गया और बाकी दो प्रणालियों के लिए उपकरण प्राप्त किए और लगाए जा रहे हैं। दूसरी खान से लिग्नाइट अक्तूबर, 1984 में उपलब्ध होने की आशा है। दूसरी खान का 4.7 मिलियन टन से 10.5 मिलियन टन क्षमता-विस्तार भी सरकार ने सिद्धान्त रूप से स्वीकृत कर दिया है। तीसरी लिग्नाईट खान खोलने के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

दूसरे ताप बिजली घर मामले में स्टील जे-रेटर्स और टर्बाइस आदि बड़े उपकरणों के लिए चुनिंदा पार्टियों को आदेश दे दिए गए हैं। सिटिल निर्माण कार्य पूरे जोर से चल रहे हैं। दूसरे ताप बिजली घर के तीन यूनिटों से बिजली उत्पादन फरवरी, 1985 अगस्त, 1985 और फरवरी 1986 में शुरू होने की आशा है।

दक्षिणी क्षेत्र की बिजली की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सरकार ने ii ताप बिजली घर के विस्तार (130 मे० वा० से 1470 मे० वा०) की भी सिद्धांत रूप में स्वीकृति दे दी है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, गुजरात और राजस्थान राज्यों में भी लिग्नाइट पर आधारित ताप बिजली घर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इस बारे में प्रस्तावों पर संबंधित राज्य सरकारें विचार कर रही हैं।

(ख) दूसरी खान नवेली में विद्यमान पहली खान से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और नवेली तमिलनाडु राज्य में मद्रास से 200 किलोमीटर दक्षिण में है। तीसरी खान को भी विद्यमान खान के पास ही दक्षिणी सीमा के पार खोलने का प्रस्ताव है। 830 मे० वा० क्षमता का दूसरा ताप बिजली घर वृधाचलम तालुक में अम्मेरी गांव के समीप नेवेली रेलवे स्टेशन के पश्चिम में 4.2 किलो मीटर पर स्थित है। तीसरे ताप बिजली घर के लिए स्थान का अभी चयन किया जाना है।

गुजरात में बिजली घर कच्छ जिले में स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा इस बिजली घर में पनान्धों खानों से प्राप्त लिग्नाइट का प्रयोग किया जाएगा। राजस्थान में बिजली घर पलाना में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

राज्यों को उपभोक्ताओं के लिए दिया गया कोयला

8718. श्री राम लाल राही : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में वर्ष 1981-82 के दौरान उपभोक्ताओं के लिए राज्य-वार कितना-कितना कोयला दिया गया ;

(ख) मध्य प्रदेश और उत्तरप्रदेश को कितना कोयला दिया गया ; और

(ग) मध्य प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में कितने कोयले की खपत हुई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1981-82 में देश के उपभोक्ताओं को कोयले के राज्य-वार प्रेषण नीचे दिए गए हैं जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रेषण शामिल हैं :—

राज्य	मात्रा (मिलियन टनों में)
बिहार	20.83
पश्चिम बिहार	14.74
उड़ीसा	4.49
उत्तर प्रदेश	11.00
मध्य प्रदेश	13.09
महाराष्ट्र	8.96
गुजरात	8.04
राजस्थान	1.28
दिल्ली	3.26
पंजाब	2.54
हरियाणा	1.44
तमिलनाडु	1.48
कर्नाटक	0.42
केरल	0.05
जम्मू एण्ड कश्मीर	0.05
हिमाचल प्रदेश	0.04
असम	0.45

(ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मैथिली समाचार बुलेटिनों का प्रसारण

8719 श्री भोगेन्द्र झा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारण का भाषावार समय के बारे में 12 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6921 उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र के क्षेत्र में मैथिली भाषी केवल 30 लाख लोगों की गणना का आधार क्या है और उस क्षेत्र में शेष जनसंख्या की मातृभाषा क्या है ;

(ख) क्या मैथिली में समाचार बुलेटिनों के लिए मांग के लिए दरभंगा केन्द्र और अन्य स्थानों में अनेक अभ्यावेदन प्रस्ताव, प्रदर्शन किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आकावाणी को मैथिली में समाचार बुलेटिनों के प्रसारण के लिए हिंसा और विनाश को छोड़कर लोगों की तीव्र भावना से आश्वस्त करने के क्या मानदण्ड हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मलिकार्जुन) (क) सूचना 1961 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है ।

(ख) और (ग) दरभंगा केन्द्र से मैथिली कार्यक्रमों की मात्रा बढ़ाने और मैथिली में समाचार बुलेटिनों का प्रसारण करने के लिये कतिपय क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । कतिपय अन्य क्षेत्रों से इस आशय के अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं कि मैथिली कार्यक्रमों की मात्रा हिन्दी के कार्यक्रमों की कीमत पर नहीं बढ़ाई जानी चाहिए ।

दरभंगा केन्द्र से मैथिली में समाचार बुलेटिन शुरु करने की कोई आवश्कता महसूस नहीं की जाती, क्योंकि क्षेत्र की मुख्य भाषा अर्थात हिन्दी को देश के उस भाग की जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग द्वारा समझा जाता है ।

(घ) आकाशवाणी लोगों की सेवा करने का एक माध्यम है । यह इसका मुख्य उद्देश्य बना रहगा । इसका मोटो "बहुजन हिताय बहु जन सुखाय" है । केवल रचनात्मक राष्ट्रीय निर्माण प्रयोजनों के लिये ही प्रत्येक के प्रयासों और शक्तियों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हिंसा, विनाशकारी युक्तयाँ राष्ट्रीय सूत्र को कमजोर करती हैं और प्रगति में बाधा डालती हैं ।

नानकपुरा डाकघर को टेलीफोन सुविधा

8720. श्री भीखाभाई : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी के नानक पुरा जैसे बाहरी क्षेत्रों के डाकघरों, जिनकी ग्राहक संख्या काफी बड़ी है, को कोई टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण डाकपाल सी० टी० डी० भुगतान के लिए भेजे गए चैकों की स्वीकृति में असाधारण विलम्ब और अन्य समस्याओं के कारण जमकर्ताओं को परेशानी होने की स्थिति में अपने मुख्यालय से सम्पर्क स्थापित करने में असमर्थ हैं ;

(ख) क्या सरकारी काम के लिए डाकपाल को अपने मुख्यालय से सम्पर्क स्थापित करने के लिए अपनी जेब से 50 पैसे खर्च करने पड़ते हैं ;

(ग) क्या डाकघरों को शौचालय, पीने के पानी जैसे मुल भूत सुविधाएं तक उपलब्ध नही कराई गई हैं ; और

(घ) टेलीफोन उपलब्ध न कराने में क्या कठिनाइयां हैं जबकि इससे डाक विभाग पर कोई खर्च नहीं पड़ता है और केवल बड़े खातों में समायोजन किया जाता है ?,

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन०पाटिल) (क) नानकपुरा जैसे डाकघरों में, जहां डाक तार उपभोक्ताओं की संख्या काफी अधिक है, या तो विभागीय टेलीफोन अथवा सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था की गई है । नानकपुरा डाकघर में भी सार्वजनिक टेलीफोन दिया गया है ।

(ख) जी हां । पोस्टमास्टर द्वारा जो राशि खर्च की जाती है, वह डाक तार विभाग द्वारा लौटा दी जाती है ।

(ग) विभागीय भवनों में शौचालय, और पीने के पानी जैसे बुनधादी सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तथा ये दोनों ही सुविधाएं नानकपुर डाकघरा के भवन में भी उपलब्ध है । जहां तक किराए के भवनों का संबंध है, भवनो को किराए पर लेते हुए इन सुख सुविधाओं को मद्देनजर रखा जाता है ।

(घ) 302 डाकघरों में या तो टेलीफोन अथवा सार्वनिजनक टेलीफोन हैं । जहां कहीं तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य होता है, टेलीफोन अथवा सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाते हैं ।

प्रोड्यूसरों और कैमरामैनों को चयन ग्रेड

8721. **श्री दया राम शाक्य** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 1972 तक कितने प्रोड्यूसरों, केमरामैनों और प्रोड्क्शन असिस्टेंटों की नियुक्ति की गई थी ;

(ख) उनमें से कितनी को अब तक पदोन्नति अथवा चयन ग्रेड दे दिया गया है ;

(ग) उनमें से कितनों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है ; और

(घ) क्या कैमरामैनों के संवर्ग में कोई चयन ग्रेड (प्रोड्यूसर कम कैमरा मैन) आरम्भ किए जाने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (ग) कुल मिलाकर ऐसे 7 प्रोड्यूसर ग्रेड-2 और 18 कैमरामैन ग्रेड-2 हैं जिनको दिसम्बर-1972 से पहले सीधे भर्ती किया गया था और जिनको अब तक पदोन्नतियां नहीं मिली हैं । ऐसे कोइ प्रोडक्शन असिटेंट नहीं है जिसे 1972 से पहले सीधे भर्ती किया गया हो और वह अब भी उसी हैसियत में कार्यरत हो ।

(घ) प्रोड्यूसर व कैमरामैन के नाम से कोई ग्रेड नहीं हो सकता।

चयन ग्रेड के पदों को, सरकार द्वारा निधारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उन श्रेणियों के लिए मंजूर किया जाता है जिनके लिये पदोन्नति के अवसर अपर्याप्त हैं। कैमरामैन के ग्रेड में चयन ग्रेडमजूर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है; फिलहाल, ग्रेड में-1 के सभी पदों को ग्रेड-2 के व्यक्तियों को पदोन्नत करके भरा जाता है।

टी०वी० कैमरामेनों की पदोन्नति

8722. **श्री दया राम शाक्य :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैमरोमैनों को पदोन्नति के लिए 15% कोटा न देने के क्या कारण हैं;

(ख) टी०वी० कैमरामैन काडर कीं पदोन्नति के लिए क्या चैनल है; और

(ग) कैमरोमैनों को अपने जीवन भर के सेवा काल में कितनी पदोन्नतियां/चयन ग्रेड (10 वर्ष और 14 वर्ष की सेवा के बाद) दिए जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (ग) कैमरामैन ग्रेड-1 के पद कैमरामैन ग्रेड-2 के लिए 100% पदोन्नति के पद हैं। ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा रखने वाले कैमरामेन ग्रेड-2 कैमरामेनग्रेड-1 के पद पर वरीयता-व-योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र हैं। कोई ऐसा उच्च पद नहीं है जिस पर कैमरामैन ग्रेड-1 को पदोम्नत किया जा सके। फिलहाल, कैमरामैन ग्रेड-2 या ग्रेड-1 के के लिए कोई चयन ग्रेड मंजूर नहीं किया गया है।

रजिस्ट्रेशन नम्बर के लम्बित पड़े/रद्द कर दिए गए आवेदन

8723. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों और पत्रिकाओं सहित, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समाचारपत्रों और पत्रिकाओं की भाषावार संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचारपत्रों और पत्रिकाओं की भाषा-वार संख्या कितनी है;

(ग) आज की तारीख में उनके मंत्रालय के पास कितने आवेदन स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं और कितनों को हाल ही में भाषा-वार रजिस्ट्रेशन नम्बर दिया गया है;

(घ) प्रकाशन के लिए रजिस्ट्रेशन नम्बर देने हेतु कितने आवेदन पत्र रद्द किए गए हैं; और

(ङ) उनके मंत्रालय ने आवेदन पत्रों को, विशेषकर भाषाई दैनिक को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए है ?

सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अपेक्षित सूचना परिशिष्ट-1 में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6492/83]

(ख) भारत के समाचारपत्रों का पंजीयक, समाचारपत्रों को स्थानीय प्रदेशिक और राष्ट्र के रूप में वर्गीकृत नहीं करता। तथापि, समाचारपत्रों को लघु समाचारपत्रों (प्रति प्रकाशन दिवस 15.000 प्रतियों तक की औसत प्रसार संख्या वाले), मझोले समाचारपत्रों (प्रति प्रकाशन दिवस 15,000 और 50000 के बीच प्रतियों की औसत प्रसार संख्या वाले (और बड़े समाचार-पत्रों) प्रति प्रकाशन दिवश 50,000 से अधिक प्रतियों की औसत प्रसार संख्या वाले) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लघु मझोले और बड़े समाचारपत्रों का भाषा-वार ब्यौरा परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल टी-6492/83)

(ग) अपेक्षित सूचना परिशिष्ट -3 में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल-टी 6492-83]

(घ) पंजीकरण के लिये किसी भी आवेदन पत्र को अस्वीकार नहीं किया जाता। यदि आवेदन पत्र अधूरे होते है तो उनको प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अधीन औपचारिकताओं को पूरा किए जाने तक पेडिंग रखा जाता है।

(ङ) जैसे ही प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के अधीन औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाता है, पंजीकरण संख्याओं को बिना किसी बिलम्ब के जारी कर दिया जाता है। जिन मामलों में अपेक्षाएं पूरी नहीं होतीं, उनमें प्रकाशकों से अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुरोध किया जाता है। अधिनियम की अपेक्षाओं में से एक यह है कि संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् प्रमाणित घोषणा की एक प्रति भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक को प्राप्त होनी चाहिये। जिन मामलों में संबंधित मजिस्ट्रेट से इस प्रकार की प्रतियां प्राप्त नहीं होतीं, उनमें प्राधिकृत घोषणा की फोटो कापी प्रस्तुत करने पर भी पंजीकरण संख्याओं को प्रदान कर दिया जाता है।

दक्षिण बेसिन में गैस विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण

8724. **श्री अनादि चरण दास :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण बेसिन फील्ड में पहली बड़ी गैस विकास परियोजना के लिए सरकार द्वारा विश्व बैंक ऋण की कितनी धनराशि प्राप्त की गई है ;

(ख) परियोजना की अनुमानित हानि क्या है ; और

(ग) चालू किए जाने वाले परियोजना कार्य का ब्यौरा क्या हैं तथा यह किस वर्ष तक शुरु किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री धार्मी शंकर मिश्र) : (क) विश्व

बैंक ने दक्षिण बसीन गैस विकास परियोजना के लिए 222.3 मिलियन अमरीकी डालर के एक ऋण को अनुमोदत किया है।

(ख) 599 मिलियन अमरीकी डालर के विदेशी मुद्रा घटक सहित परियोजना की अनुमानित लागत 628.40 करोड़ रुपये की है।

(ग) दक्षिण बसीन परियोजना के चरण 1 का वित्तीयपोषण विशेष रुप से विश्व बैंक. द्वारा किया जाएगा और इसमें एक प्रोसेस प्लेटफोर्म एक ड्रिलिंग प्लेटफार्म एक लिविंग क्वाटर प्लेटफार्म फ्लेरिंग स्ट्रकचर, आपस में जुड़े हुए पुल, सबमेरीन पाइपलाइन आदि शामिल है। इस परियोजना को वर्ष 1985 के मध्य तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

जिला मयूरभंज (उड़ीसा) के प्रव्रजक श्रमिकों द्वारा नेपाल और आसाम में अनुभव की जा रही दिक्कतें

8725. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जिला मयूरभंज (उड़ीसा) में क्लुरा और बोराडीह ग्राम पंचायत के प्रव्रजक श्रमिकों की स्थिति की जानकारी है जो उनके द्वारा अनुभव की जा रही असहनीय दिक्कतों के बावजूद आसाम तथा नेपाल से लौटने में असमर्थ है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के उस जिले से कितने श्रमिक नेपाल तथा आसाम गए थे ;

(ग) क्या उनकों ठेकेदारों से बचाने के लिए प्रयास करने का विचार है ; और

(घ) उनको वापस लाने के लिए क्या प्रबन्ध करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि जांच-पड़ताल से पता चला है कि फरवरी, 1982 में 10 कर्मकारों को नेपाल ले जाया गया था और उन्हें 4 महीने और 4 दिन के लिए सड़क निर्माण कार्य में लगाया गया, और वे 13-6-82 को अपने-अपने गांवों को वापस लौट आये। 48 व्यक्तियों को 14-1-1983 को मैसर्स हाइडल कन्सट्क्शन (प्राइवेट) लिमिटेड के पास काम करने के लिए असम ले जाया गया। उनमें से 5 व्यक्ति 14-1-83 को वापस लौट आए, एक व्यक्ति फरार हो गया और बाकी 42 व्यक्ति अभी भी उस प्रतिष्ठान में काम कर रहे है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने वैध देय राशियों की वसूली के लिए नेपाल सरकार के पास एक दावा-आवेदन दायर किया है, जिसके तुरन्त निपटारे के लिए पैरवी की जा रही है। उड़ीसा सरकार ने 45 कर्मकारों की सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करने तथा उनके हक की देय राशियों के अद्यतन भुगतान के लिए असम के श्रमायुक्त से निवेदन किया है। अन्तर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठेकेदारों के खिलाफ अभियोजन मामले दायर किये गए हैं।

थार मरूस्थल में हाइड्रोकार्बन का पता लगाने के लिए कार्यक्रम

8726. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में थार में रेगिस्तानी क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन स्त्रोतों का पता लगाने हेतु सरकार द्वारा खोज कार्य किया गया है ;

(ख) क्या वहां भूकम्प सर्वेक्षण करने के लिए कार्य बनाया गया है ;

(ग) उन विशेष क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए जाने की सम्भावना है ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग इस समय राजस्थान के शाहगढ़ थाले में तेल और गैस की खोज में लगा हुआ है। आयल इण्डिया लि. को पश्चिम राजस्थान में जोधपुर और गंगानगर जिलों के एक छोटे भाग सहित एक मुख्यतः जैसलमेर और बीकानेर में तेल एवं गैस की खोज के लिए 28,600 वर्ग किलो मीटर का क्षेत्र दिया गया है। भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य वर्ष 1983-84 के दौरान शुरू किए जाने की योजना है।

(घ) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सर्वेक्षणों और खुदाई पर 17 करोड़ रुपए का व्यय किए जाने का अनुमान है। आयल इण्डिया लि. द्वारा वर्ष 1983-84 के दौरान भूकम्पीय सर्वेक्षणों और भूगर्भीय अध्ययनों पर 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम का घाटा

8727. **श्री एम०वी० चन्द्र शेखर मूर्ति :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम ने 4 करोड़ रुपये के घाटे को पूरा कर लिया है ;

(ख) 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को कुल कितना घाटा हुआ और घाटे/लाभ के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ; और

(ग) घाटे के मुख्य कारण क्या थे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां। 31-3-72 की स्थिति के अनुसार 3.92 करोड़ रुपए की संचित हानियों को अब पूर्णतः पूरा कर लिया गया है।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान कोई हानि नहीं हुई थी। इस अवधि के दौरान निगम ने 24.04 लाख रुपए का निवल लाभ कमाया। वर्ष 1982-83 के लेखा परीक्षित लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है परन्तु इस वर्ष के दौरान भी निगम को लाभ प्राप्त होने की आशा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयला श्रमिकों के लिए नया मजूरी समझौता करना

8728. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग के लिए पुनर्गठित संयुक्त द्विपक्षीय समिति (टी०बी०सी०सी० आई०) की देश के कोयला श्रमिकों के लिए नया मजूरी समझौता करने लिए हाल ही में कलकत्ता में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किन-किन मजदूर संघों ने इसमें भाग लिया और बैठक का बहिष्कार किन-किन यूनियनों ने किया ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इन बैठकों में जिन मुद्दों पर कुल अस्थायी समझौते किए गए हैं वे हैं—लाइफ कवर योजना, वेतन-वृद्धि की न्यूनतम और अधिकतम दरें, मकान किराया भत्ता, दीर्घ अवकाश यात्रा रियायत और अवकाश यात्रा रियायत, धुलाई भत्ता आदि । किन्तु कुछ अन्य मदों पर बातचीत अभी हो रही है । कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति नये मजदूरी समझौते को जब अन्तिम रूप से तैयार कर लेगी तब मामला सरकार के सामने रखा जायेगा ।

(ग) सभी घटक श्रमिक यूनियनों ने मार्च, 1983 से हुई बैठकों में भाग लिया । यह यूनियनें हैं—इंटक, ऐटक, सीटू, हि०म०स० (कु०), हि०म०स० (व०) और भा०म०सं० ।

सोनीपत में कुकिंग गैस की डीलर शिप हेतु साक्षात्कार

8729. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोनीपत में कुकिंग गैस डीलरशिप हेतु 28 अप्रैल, 1981 को साक्षात्कार हुआ था ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें इतना अधिक समय लेने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त निर्णय कब तक घोषित किये जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुये ही प्रश्न नहीं उठते ।

सेंसर नीति पर फिल्म दर्शकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए अध्ययन

8730. श्री चिरंजीलाल शर्मा :

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार फिल्मों के सेंसर प्रणाली और सेन्सर नीति पर सिनेमा दर्शकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन कार्यक्रम चला रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यदि अब तक किए गये अध्ययन के आधार पर किसी प्रतिक्रिया का पता चला है, को इसके क्या निष्कर्ष हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) और (ख) भारतीय जन संचार संस्थान को "फिल्म सेन्सरशिपः दर्शकों की प्रतिक्रियाएं" के बारे में अध्ययन करने का काम सौंपा गया था। अध्ययन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे :—

(1) भारतीय फिल्मों में सेक्स, हिंसा तथा आतंक के चित्रण के प्रति फिल्म दर्शकों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना (वास्तव में इससे सेन्सरशिप नीति तथा इसके लागू किए जाने के सम्बन्ध में विभिन्न वर्गों के लोगों की राय का पता चलेगा) ; और

(2) दर्शकों पर फिल्मों के प्रभाव का आकलन करना तथा फिल्मों को देखने की उनकी आदतों का अध्ययन करना।

व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, अध्ययन पांच क्षेत्रों-उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी तथा केन्द्रीय क्षेत्रों में किया जाना था। अब तक केवल दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उत्तरी और केन्द्रीय क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट (संयुक्त रिपोर्ट) लिखी जा रही है और पूर्वी क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्य चल रहा है। सरकार अन्तिम निर्णय सभी रिपोर्टों के प्राप्त हो जाने पर ही ले सकती है।

दिल्ली से उज्जैन शहर (मध्य प्रदेश) तक एस० टी० डी० सेवा

8731. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में वर्ष 1982-83 के दौरान कुल कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं, मार्च, 1983 तक की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति है और वहां इस समय कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं ; और

(ख) क्या उज्जैन शहर में टेलीफोन एक्सचेंज के विस्तार का सारा काम 1983-84 तक समाप्त होने की सम्भावना है और इसके विस्तार के पश्चात इसकी अनुमानित क्षमता कितनी होगी ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 1982-83 के दौरान प्रदान किए गए।

नए टेलीफोन कनैक्शन	34
31-3-83 तक प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या	528
इस समय टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या	2232

(ख) उज्जैन टेलीफोन एक्चेंज के 3000 लाइनों में विस्तार कार्य 1983-84 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते कि उपस्कर समय पर उपलब्ध हो जायें।

सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के समान अवसर

8732. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी उद्योगों, संगठनों, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारीयों को कर्मचारी शिक्षा योजना के अधीन शिक्षा पाने तथा प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए समान अवसर उपलब्ध है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को अपने श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए श्रमिक प्रशिक्षण के रूप में नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी है और क्या कर्मचारियों को श्रमिकों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण के रूप में अवसर प्रदान किया जाता है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां। ब्योरा इस प्रकार है :—

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन स्तरो अर्थात राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और यूनिट स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देश-व्यापी विज्ञापन करने के पश्चात बोर्ड के अन्तर्गत शिक्षा अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को प्रशिशण दिया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात इन शिक्षा अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों पर तैनात किया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर, विभिन्न प्रतिष्ठानों से ट्रेडयूनियनों द्वारा नामित और नियोजकों द्वारा रिलीज किए गए श्रमिकों को क्षेत्रीय केन्द्रों पर तैनात बोर्ड के शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तीन मास की अवधि का है। इस तरह से प्रशिक्षित किए गए श्रमिकों को श्रमिक-अध्यापक कहा जाता है। यूनिट स्तर पर, जो सबसे महत्व-पूर्ण अवस्था है, श्रमिक-अध्यापक सभी श्रमिकों के लिए कक्षाएं आयोजित करते हैं। यूनिट स्तर की कक्षाएं (अंशकालिक) तीन मास की अवधि की है, इनमें सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन एक घंटे के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यूनिट स्तर की कक्षाओं को आयोजित करने के लिए वस्तुगत सुविधाओं की व्यवस्था करने के अलावा, नियोजक के लिए यह जरूरी है कि वे कक्षाओं में भाग लेने वाले अपने श्रमिकों को आधे दिन की छुट्टी भीं दें।

(ख) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि इन्दौर, जबलपुर तथा भिलाई में स्थिति तीन क्षेत्रीय केन्द्रों के सम्बन्ध में, मध्य-प्रदेश बिजली बोर्ड, जा कि राज्य सरकार के अधीन है, ने श्रमिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए इन्दौर के दो श्रमिकों के सिवाय न तो उम्मीदवारों को छोड़ा है और न ही उन्होंने यूनिट स्तर की कक्षाओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की है।

विदेशी तेल कम्पनियों को खोज के लिए पेशकश

8733. श्री पी० एम० सईद : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ब्लाकों में हाइड्रोकार्बन्स की खोज के लिए विदेशी तेल कम्पनियों को आकृष्ट करने के सरकार के प्रयत्न पूर्णतया असफल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रारम्भ में तेल उद्योग की कम्पनियों ने सरकार के प्रस्ताव के प्रति रुचि दिखाई थी ;

(ग) उन्हें अस्वीकार करने तथा विदेशी तेल कम्पनियों की ओर से संतोषजनक प्रतिक्रिया न होने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार ने 37 चुनिन्दा तेल कम्पनियों को 50 ब्लाकों का प्रस्ताव भेजकर आमन्त्रित किया था ;और

(ङ) असंतोषजनक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ङ) बोलियों के प्रथम दौर मे मैसर्स शेवरान को सौराष्ट्र अपतटीय ब्लाक-11 का आबंटन करने के लिए सफलतापूर्वक एक संविदा को बातचीत द्वारा तय किये जाने के बाद, यह निर्णय लिया गया था कि बोलियों के दूसरे दौर में 50 ब्लाकों को प्रस्तुत किया जाएगा (42 अपतटीय तथा 8 तटीय)। इन ब्लाकों के लिए बोली देने के लिए 37 चयन की गई कम्पनियों को आमंत्रित किया गया था। अभी अभी बोलियां प्राप्त हुई हैं और इनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

गुजरात तथा अन्य राज्यों में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण संस्थान

8734. श्री रामजी भाई मावणि : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात तथा अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अनेक सरकारी तथा निजी क्षेत्र के उद्यम प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण संस्थान चला रहे है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनको नकद राशि तथा किस्त के रूप में किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता दी जाती है ;

(घ) निजी तथा सरकारी उपक्रमों, संगठनों, निगमों, उद्यमों तथा स्वायत्त निकायों द्वारा खोले तथा चलाये जाने वाले इन प्रशिक्षण संस्थानों को नकद राशि, व किस्त के रूप में तथा अन्य प्रकार की केन्द्रीय सहायता देने संबंधी नियम, बिनियमन, प्रक्रियाओं तथा नीतियां क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन प्रशिक्षण में मूल प्रशिक्षण व्यावहारिक प्रशिक्षण और सम्बन्ध अनुदेश शामिल हैं ; ऐसे शिक्षुओं को, जिन्होंने राष्ट्रीय वृत्तिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय या अन्य संस्थान या शिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किसी अन्य संस्थान में संस्थागत प्रशिक्षण पहले से ही प्राप्त किया हो, मूल प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है । अतः मूल प्रशिक्षण, जोकि शिक्षुता प्रशिक्षण का भाग है, को सामान्यतः संस्थागत प्रशिक्षण की आवश्यकता है ।

ऐसे प्रतिष्ठानों को, जिन्होंने 500 या इससे अधिक श्रमिकों को नियोजित किया हुआ है, अपनी सुविधाएँ स्थापित करनी होती है, ताकि उनके द्वारा नियोजित शिक्षुओं को मूल प्रशिक्षण दिया जा सके ।

समुचित सरकार, जैसाकि शिक्षु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, ऐसे नियोजकों को इस प्रयोजन के लिए भूमि, निर्माण और उपकरण की लागत पूरी करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण दे सकती है । तथापि, इन प्रतिष्ठानों में नियोजित शिक्षुओं की संख्या 12 से कम है, तो शिक्षुओं को सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसी मूल प्रशिक्षण केन्द्र या आई० टी० आई० में भेजा जा सकता है और नियोजक को प्रशिक्षण खर्च वहन करना होता है ।

ऐसे प्रतिष्ठानों में, जो 500 से कम श्रमिकों को नियोजित करते हैं, नियुक्त शिक्षुओं को सरकार द्वारा स्थापित संस्थाओं में मूल प्रशिक्षण दिया जाता है । आवर्ती लागत, जिसमें मूल प्रशिक्षण की अवधि के दौरान शिक्षुओं की छात्रवृत्ति की अदायगी शामिल है, उस सीमा तक प्रतिष्ठान और सम्बन्ध सरकार द्वारा बराबर-बराबर बांटी जाती हैं, जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है (इस समय 270/-रु० प्रति माह प्रति शिक्षु) और उस सीमा के बाद पूर्णतः प्रतिष्ठान द्वारा वहन की जाती है ।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में अनेक प्रतिष्ठानों ने मूल प्रशिक्षण देने के लिए अपनी प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना की हैं । ऐसे प्रतिष्ठानों की संख्या के अखिल भारत आंकड़े एकत्र नहीं किये जाते हैं ।

उड़ीसा में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

8735. श्री अर्जुन सेठी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में कुछ न कुछ नए आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाएं ; और

(ख) यदि हां, तो जिन स्थानों पर ये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाने की संभावना है उनका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) छठी पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य में क्योंझार में एक किलोवाट के एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर और स्टूडियो सुविधाओं से युक्त स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थापित किया जा रहा है।

डाक और तार विभाग में हुई हानि

8736. श्री हरिहर सोरेन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982-83 के दौरान डाक और तार विभाग को हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वित्त वर्ष में डाक और तार विभाग को कितनी धनराशि की हानि हुई;

(ग) उसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1983-84 में उक्त स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

तेल आयात में कटौती करने के लिए विदेशी मुद्रा की बचत

8737. श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के आयात में कटौती करके वर्ष 1984-85 के अन्त तक 18,605 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की रिकार्ड बचत होने की आशा है;

(ख) क्या भारत ने वर्ष 1980-81 के तेल के आयात में कटौती करनी शुरू कर दी थी;

(ग) क्या सरकार को तेल के क्षेत्र में वर्ष 2000 के आरम्भ होने तक आत्म निर्भर बनने का लक्ष्य पूरा करने का विश्वास है; वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में तेल के आयात में कितनी कटौती की गई ; और

(घ) वर्ष 1983-84 के दौरान कितनी कटौती की जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) :—वर्ष 1980-81 में अशोधित तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों का शुद्ध आयात और पिछले वर्ष के सन्दर्भ में आगामी वर्ष में कमी निम्नलिखित रूप में है :—

	(मिलियन मी० टनों में)	
	शुद्ध आयात	पिछले वर्ष से कमी
1980-81	23.50	—
1981-82	19.29	4.21
1982-83 (अस्थायी)	16.36*	2.93
1983-84 (अनुमानित)	13.58	2.78

जबकि स्वदेशी अशोधित तेल का उत्पादन तथा परिशोधन क्षमता दोनों को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं, जो पेट्रोलियम उत्पादों के साथ अशोधित तेल के आयात की कुल आवश्यकता को कम कर देंगे, इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भता पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि दर, पहले से ही खोजे गये क्षेत्रों से वास्तविक रूप में प्राप्त किये गये स्वदेशी अशोधित तेल के उत्पादन स्तरों तथा भविष्य में खोजे जाने वाले क्षेत्रों के उत्पादन स्तर जैसे तथ्यों पर निर्भर करेगी।

जिला और सेशन न्यायाधीश, दिल्ली के कार्यालय में आरक्षित रिक्त पदों का भरा जाना

8738. **श्री भीकू राम जैन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला और सेशन न्यायाधीश, दिल्ली के कार्यालय में आरक्षित प्रवर्ग के पद काफी बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ पद साधारण प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्त करके भरे गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) आरक्षित प्रवर्ग के पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आरक्षित प्रवर्ग के निम्नलिखित पद जिला और सेशन न्यायाधीश, दिल्ली के कार्यालय में रिक्त पड़े हैं :

(1) आशुलिपिक :	अनुसूचित जातियों के लिए 10 पद और अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 पद।
(2) अवर श्रेणी लिपिक :	अनुसूचित जनजातियों के लिए 15 पद और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12 पद।
(3) आदेशिका तामीलकर्ता :	अनुसूचित जातियों के लिए 3 पद।

(ख) और (ग) उपर्युक्त सभी रिक्त पदों के संबंध में रोजगार कार्यालय को अधिसूचित कर

दिया गया है कि वह उपयुक्त अभ्यर्थी भेजें। रोजगार कार्यालय ने इन प्रवर्गों के अभ्यर्थी अभी तक पर्याप्त संख्या में नहीं भेजे हैं और अनुपलभ्यताप्रमाण पत्र भी नहीं दिया है। अतः दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि आशुलिपिकों और अवर श्रेणी लिपिकों के पदों पर कोई नियमित नियुक्तियां नहीं की गई हैं, किन्तु कार्यालय में सुचारु कार्यकरण के लिए तदर्थ इन्तजाम किए गए हैं। आदेशिका तामीलकर्ताओं के पद अभी तक नहीं भरे गए हैं।

दर्शन तथा नैतिक शिक्षा विषयक फिल्में

8739. **श्री बापू साहिब परुलेकर :**

श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुरु नानक की दार्शनिक तथा नैतिक शिक्षाओं पर आधारित फिल्म "नानक नाम जहाज है" गत वर्ष गुरु नानक जयन्ती के अवसर पर दूर दर्शन पर दिखाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है कि सरकार श्री राम, श्री कृष्ण तथा मोहम्मद साहेब की दार्शनिक तथा नैतिक शिक्षाओं पर आधारित फिल्में क्रमशः राम नवमी, जन्माष्टमी तथा मोहम्मद साहेब के जन्म दिवस के अवसर पर दूरदर्शन से प्रसारित नहीं करती हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस दिशा में प्रयास करने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : इस प्रकार के अवसरों के उपर्युक्त विशेष कार्यक्रमों को, जिनमें फीचर फिल्में भी शामिल हो सकती हैं, धार्मिक त्योहारों और अन्य अवसरों पर टेलीकास्ट किया जाता है। तथापि, धार्मिक अवसरों के अनुरूप फीचर फिल्कों को टेलीकास्ट करना उनकी उपलब्धता पर निर्भर करता है।

झरिया कोयला खानों में आग की घटनाएं

8740. **श्री पी०एम० सईद :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झरिया कोयला खानों में 18.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पट्टे की भूमि में अन्य गलत घटनाओं के अलावा भूमि तल और कभी-कभी सतह में 110 से भी अधिक बार आग की घटनाएं होती हैं जिसके कारण भयंकर पर्यावरणीय ह्रास होता है और जिसके परिणामस्वरूप कोयला खानों में और उनके आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीयकरण के बाद आग की इन घटनाओं का सामना करने के

लिए उच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था किन्तु इस संबंध में अब तक कुछ भी नहीं किया गया है; और

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं और आग की इन घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) : झरिया कोयला क्षेत्र के 18.32 वर्ग किलोमीटर में फैले लगभग 70 धरातली और भूमिगत अग्निस्थल—जिनमें से 33 क्रियाशील हैं—उस क्षेत्र के पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। यह आग राष्ट्रीयकरण से पूर्व के दिनों में गैर-सरकारी मालिकों द्वारा अवैज्ञानिक और अन्धाधुन्ध खनन का परिणाम है राष्ट्रीयकरण के बाद, कोल इण्डिया लि० ने जो विशेष और सराहनीय कदम उठाए हैं उनके कारण उस आग पर नियंत्रण संभव हो गया है, जिस पर राष्ट्रीयकरण से पूर्व के दिनों में नियंत्रण नहीं हो सका था। पुरानी आग को रोकने और कोयले को निकालने के लिए रु० 62 करोड़ की लागत पर 12 परियोजनाएं चल रही हैं।

उड़ीसा सर्कल के आदिवासी/पिछड़े क्षेत्रों में उप-डाकघरों और मुख्य डाकघरों की इमारतों का निर्माण

8741. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उप-डाकघरों और मुख्य डाकघरों के कार्यालयों की इमारतों, कर्मचारी आवासों, टेलीफोन एक्सचेंज की इमारतों के निर्माण से सम्बन्धित उड़ीसा के आदिवासी और पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की विकास कार्य योजना की रूपरेखा उड़ीसा सर्कल द्वारा अभी तक नहीं बनायी गई है;

(ख) यदि हां, तो सर्कल द्वारा इमारतों के निर्माण के लिए सुनियोजित विकास कार्यक्रमों के विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान उड़ीसा के महाडाकपाल और दूरसंचार के महा निदेशक द्वारा ऐसे विकास कार्यक्रमों के लिए कौन से स्थानों को चुना गया था; और

(घ) वर्ष 1983-84 में उक्त कार्यक्रम में शामिल किये जाने के लिए कौन सा प्रस्ताव विचाराधीन है।

डाक शाखा

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) उड़ीसा के जनजातीय और पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में उप डाकघरों और प्रधान डाकघरों की इमारतों के निर्माण की योजना तैयार कर ली गई है। जहां तक स्टाफ क्वार्टरों का सम्बन्ध है, जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दूरसंचार

(क) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक

(ग) उन स्थानों के जिलेवार नाम, जिन्हें वर्ष 1980-81, 1991-82 और 1982-83 के दौरान उप-डाकघरों (एसओ) और प्रधान डाकघरों (एचपी ओ) के निर्माण के लिए चुना गया था, इस प्रकार हैं :—

1980-81

जिले	स्थान
सुन्दरगढ	सुन्दरगढ़ प्रधान डाकघर
क्योंझर	छम्पुबा उप-डाकघर
कालाडीडी	जूनागढ़ उप डाकघर

1981-82

जिले	स्थान
कोरापुट	कोरापुट प्रधान डाकघर
क्योंझर	बारबिल उपडाकघर

1982-83

जिले	स्थान
क्योंझर	क्योंझर प्रधान डाकघर और जोडा उप- डाकघर
मयूरभंज	रायरंगपुर प्रधान डाकघर
कालाहांडी	गांधीवक उपडाकघर

दूरसंचार

वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान ऐसे विकास कार्यक्रम के लिए चुने गए जिलेवार स्थानों के नाम इस प्रकार हैं :

(1) 1980-81

(एक) सुन्दरगढ़ जिला (जनजातीय	राउरकेला में 75 स्टाफ क्वार्टर

(2) 1981-82

(एक) धेनकनाल जिला पिछड़ा	धेनकनाल में टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत
(दो) बालासोर जिला पिछड़ा	भद्रक में टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत
(तीन) बोलंगीर जिला पिछड़ा	बोलंगीर में टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत

(चार) मयूरभंज जिला पिछड़ा	बारी पाड़े में टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत
(पांच) क्योंझर जिला जनजातीय	क्योंझर में 32 स्टाफ क्वार्टर

(3) 1982-83

(एक) कोरापुट जिला जनजातीय	कोरापुट में टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत
(दो) कोरापुट जिला-जनजातीय	जैपुर में टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत
(तीन) बोलंगीर जिला-पिछड़ा	बोलंगीर में 72 स्टाफ क्वार्टर
(चार) केरीघर जिला-जनजातीय	जोडा में 9 स्टाफ क्वार्टर
(पांच) सुन्दरगढ़ जिला-जनजातीय	राउरकेला में 22 क्वार्टर
(छ) फूलबनी जिला-जनजातीय	फूलबनी में 22 क्वार्टर

(घ) डाक

वर्ष 1983-84 के दौरान उपडाकघरों और प्रधान डाकघरों को शामिल करने के लिए विचाराधीन प्रस्ताव इस प्रकार हैं :

जिले	स्थान
गंजम	आर. उदयगिरि उपडाकघर
कोरापुट	पोट्टंगी उपडाकघर
सुन्दरगढ़	लाथीकाटा और राजगंगपुर उप डाकघर
मयूरभंज	करंजिया उपडाकघर

दूरसंचार

1983-84 के नियोजित कार्य :

फूलबनी (जनजातीय) सुन्दरगढ़ (जनजातीय) बारबिल (जनजातीय), सूनबेड़ा (जनजातीय) और बालासोर (पिछड़ा) में टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत ।

बारबिल, कोरापुट, जैपुर और रेअगाडा, सुनबेड़ा (सभी जनजातीय) में स्टाफ क्वार्टर

यूरिया, सुपर फास्फेट और किसान फर्टिलाइजर का उत्पादन/खपत

8742. श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1982 के दौरान यूरिया, सुपर फास्फेट और किसान फर्टिलाइजर का कुल कितना उत्पादन हुआ और राज्यों को राज्यवार कुल कितना वितरित किया गया और

(ख) इस उद्योग की उत्पादन क्षमता और इसमें किए गए पूंजी निवेश के उपयोग का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित यूरिया का ब्रैंड नाम किसान फर्टिलाइजर है। 1982-83 (अप्रैल, 1982-मार्च, 1983) के दौरान यूरिया और सुपर फास्फेट का उत्पादन तथा नाइट्रोजन तथा पी 2 ओ 5 का कुल उत्पादन नीचे दर्शाया गया है।

1982-83 के दौरान हजार टनों में न्यूट्रीएन्ट्स का उत्पादन

नाइट्रोजन के रूप में यूरिया	कुल नाइट्रोजन	पी 2 ओ 5 के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट	योग पी 2 ओ 5
2758	3424	208	980

पोटाश (क) का कोई स्वदेशी उत्पादन नहीं होता है।

1982-83 के दौरान न्यूट्रीएन्ट्स एन० पी० और के रूप से उर्वरकों के राज्य-वार अनुमानित उपभोग को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) 1982-83 के दौरान उर्वरकों की उत्पादन क्षमता का उपयोग नाइट्रोजन के लिए 67·2% तथा पी 2 ओ 5 के लिए 69.1% था। तथापि, यदि समस्या वाले संयन्त्रों के कार्यनिष्पादन, जो स्थापित नाइट्रोजन युक्त क्षमता का 20% है, को ध्यान में नहीं रखा जाता तो शेष संयंत्रों की क्षमता उपयोगिता, जो स्थापित नाइट्रोजनयुक्त क्षमता का 80% है, 76% से अधिक थी।

चालू तथा कार्यान्वयनाधीन उर्वरक संयंत्रों पर अनुमानित कुल पूंजी परिव्यय लगभग 7,000 करोड़ रुपये हैं।

विवरण

1982-83 के दौरान उर्वरकों का राज्य-वार अनुमानित उपयोग (न्यूट्रीएन्ट्स के रूप में) अर्थात् एन. पी और के०)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आदि दक्षिणी क्षेत्र	नाइट्रोजन (एन)	पी 2 ओ 5 (पी)	पोटाश (क)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	472915	154715	67650
केरल	44015	25403	36877
कर्नाटक	236958	101712	87897
तमिलनाडू	264338	89043	96897
पांडीचेरी	8226	2369	3565

1	2	3	4
कोफीबोर्ड	24241	20000	24000
रबड़ बोर्ड	4452	4591	3570
कार्डामोम बोर्ड	1200	2400	1200
चाय बोर्ड (एस)	14800	3400	15000
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात	248509	119505	34614
मध्य प्रदेश	146052	75036	18401
महाराष्ट्र	310454	123801	88916
राजस्थान	121629	34101	5317
गोवा, दमन और दियू	2120	1187	1061
दादरा और नगर हवेली	188	117	20
उत्तरी क्षेत्र			
हरियाणा	219249	33152	9524
पंजाब	592580	218796	35759
उत्तर प्रदेश	1074238	244994	115204
हिमाचल प्रदेश	14212	2288	1738
जम्मू और काश्मीर	24170	6095	1683
दिल्ली	4754	1181	284
चण्डीगढ़	645	78	20
पूर्वी क्षेत्र			
आसाम	9143	1229	2453
बिहार	159672	33617	17302
उड़ीसा	58910	19453	10881
पश्चिमी बंगाल	164102	56211	40233
मनीपुर	3488	620	107
मेघालय	1376	1134	190
त्रिपुरा	1685	692	557
अरुणाचल प्रदेश	65	27	27

1	2	3	4
मिजोरम	46	19	9
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	51	29	—
नागालैंड	154	152	—
सिक्कम	444	384	207
चायबोर्ड (एन ई)	33600	2000	13800
आल इण्डिया	4262681	1420231	734963

स्थगन प्रस्ताव

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आप हमारा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है।

(व्यवधान)

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : हम चाहते हैं कि आप डी० आई० जी० को यातना देने संबंधी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दें।

श्री सतीश अग्रवाल : स्थिति बिगड़ती जा रही है। कृपया स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह सरकार की पूर्ण असफलता है।

एक माननीय सदस्य : श्री दरबारा सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए।......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सुनाने जा रहा हूं, आप शांत रहिये।

श्री हरीश कुमार गंगावार (पीलीभीत) : अध्यक्ष जी, इससे ज्यादा शोचनीय बात और क्या हो सकती है.........

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने तो कमाल कर दिया। वह कानून तोड़ रहे हैं, आप तो व्यवस्था न तोड़िए। आप बैठिये, मैं जब खड़ा हूँ तो आपको सुनना चाहिए। व्यवस्था पहले अपने पर लागू होती है, तब दूसरे पर लागू होती है।

श्री धनिक लाल मंडल (झंझारपुर) : अध्यक्ष जी, हम लोगों को भी सुन लिया कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो रोज़ ही आप लोगों को सुनता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सर्वश्री

1. रामसिंह शाक्य
2. बी०डी०सिंह

3. हरिकेश बहादुर
4. हरीश कुमार गंगवार
5. रघुनाथ वर्मा
6. बापू साहिब परुलेकर
7. जयपालसिंह कश्यप
8. राजनाथ सोनार शास्त्री
9. कमला मिश्र मधुकर
10. के० ए० राजन
11. मनीराम बागड़ी
12. त्रिलोक चन्द
13. जगपाल सिंह
14. श्री० अजित कुमार मेहता
15. छोटेसिंह यादव

"की ओर से स्वर्ण मंदिर, अमृतसर आदि जैसे धार्मिक स्थानों का ऐसे ढंग के प्रयोग न किये जाने जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़े, जैसा कि 25-4-1983 को स्वर्ण मंदिर अमृतसर के निकट भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या किए जाने से स्पष्ट हैं, अनिश्चित करने में सरकार की असफलता के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।"

मैंने इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। मैं महसूस करता हूं कि सरकार द्वारा उद्घोषित इन विचारों के बावजूद कि धार्मिक स्थानों को इस ढंग से प्रयोग न किया जाए जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़े, 25-4-1983 को स्वर्ण मन्दिर के निकट भारतीय पुलिस सेवा के एक वारिष्ठ अधिकारी की हत्या कर दी गई।

इसलिए मैं स्थगन प्रस्ताव को अपनी सहमति देता हूं......

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : हमने अपना स्थगन प्रस्ताव पहले ही दे दिया हैं।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : हमने अपना स्थगन प्रस्ताव दे दिया है...

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास जितने आए हैं वह मैंने बताया। अगर और आये हैं तो देख लूंगा। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको दुरुस्त कर देंगे।

श्री सुनील मैत्रा : इसे हमने 10 बजे से पहले ही दे दिया था।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई गलती हो गयी है, तो हम उसे ठीक कर देंगे। इसलिए मैं स्थगन प्रस्ताव के अपनी सहमति देता हूं। जहां तक इस बात का संबंध है कि इस पर कब

विचार किया जाएगा, माननीय सदस्यों को पता है कि विभिन्न मंत्रालयों की अनुदानों की माँगों पर चर्चा का यह अन्तिम दिन है और उन्हें सांय 6·00 बजे मतदान के लिए रखा जाएगा। इस बात और तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दूसरी सभा में उन्होंने गृह मंत्रालय पर आज चर्चा कर ली है, गृह मंत्री की उपस्थिति दूसरे सदन में आवश्यक है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय और तारीख के बारे में मैं दलों और समूहों के नेताओं से बात चीत करूंगा।....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : और मैं बाद में सभा को सूचित करूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, इसको कलराखि।

अध्यक्ष महोदय : मैं आज ही बुला लेता हूँ और बात करे लेता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह अच्छा है कि आपने प्रस्ताव को इस रूप में स्वीकार कर लिया है। परन्तु इसमें यह और शामिल किया जाना चाहिए कि श्रीमती गांधी अकाली नेताओं के साथ बातचीत जारी रखने में असफल हुई हैं। (व्यवधान) इसकी इसे भी शामिल किया जाना चाहिए। मैं इसकी निन्दा करते समय निन्दा करता हूं। श्रीमती गांधी अकाली नेताओं के साथ बातचीत जारी क्यों नहीं रख रही हैं। इसे भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं और कुछ नहीं। कृपया बैठ जाइये।

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : मैंने रलवे स्टेशन मास्टरों की अनिश्चित भूख हड़ताल जो पिछले पांच दिनों से रेल मंत्री के आवास के सामने चल रही है, के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, अनुमति नहीं दी गई है। अब कौन अनुमति के लिए कहेगा। श्री रामसिंह शाक्य। वह यहां नहीं हैं। अतः श्री बी० डी० सिंह। (व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, यह केवल राजनीतिक हत्या का मामला नहीं है.... श्री बलबीरसिंह संघ...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ क्यों नहीं जाते ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : यह बहुत गम्भीर बात है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात समझ में नहीं आती। आप बैठते क्यों नहीं ? सारी बात हो गई।

(व्यवधान)

श्री ईरा अनबारासु (चिंगल पट्टु) : मुझे एक महत्वपूर्ण और बहुत-बहुत तत्काल मामला......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप कोई नियम क्यों नहीं सीखते ? मुझे इसे समाप्त करने

दीजिए। आप संसदीय प्रणाली के कतिपय मूल सिद्धान्तों को क्यों नहीं समझते ? मुझे नहीं सिखाना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री बी० डी० सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट । जरा प्रतीक्षा कीजिये। श्री बूटा सिंह।

संसदीय कार्य खेल और निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं आपको केवल यह बताने जा रहा हूं। कि नियम समाप्त हो जाएगा। अन्यथा इस पर आज 4-00 बजे विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर उससे पहले बात करेंगे। मैं समझता हूं कि यदि आवश्यक हुआ तो हम इस नियम को समाप्त कर देंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : आज की बजाय हाला कि कल बहस में लाया जाए। रुल 61 को संस्पेंड किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : पहले श्री बी० डी० सिंह को सभा की अनुमति के लिए पूछना होगा।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मुझे निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाए :

"स्वर्ण मन्दिर, अमृतसर आदि जैसे धार्मिक स्थानों का ऐसे ढंग से प्रयोग न किया जाए जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़े जैसा कि 25-4-83 को स्वर्ण मंदिर अमृतसर के निकट भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या किए जाने से स्पष्ट है को सुनिश्चित करने में सरकार की असफलता।"

अध्यक्ष महोदय : कोई विरोध नहीं, मैं समझता हूं इसका कोई विरोध नहीं हुआ है। अतः, स्वीकृति दी जाती है।

श्री सतीश अग्रवाल : चर्चा के विषय में क्या राय है ? आप इस पर चर्चा कल निर्धारित क्यों नहीं कर सकते हैं ? आपके द्वारा बताई गई परिस्थिति में यह कल संभव नहीं होगा। फिर बैठने की आवश्यकता क्या हैं ?

(व्यवधान)

आप इसे कल के लिए निर्धारित कर सकते हैं। इसे टोकें क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत है। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : इसे कल के लिए निर्धारित कीजिए और यदि पूरी सभा सहमत हो तो इसे सुबह लीजिए।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मेरा एक और निवेदन है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मामला है कि बजाय गृह मंत्री के प्रधान मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री यह अनुरोध उन तक पहुंचा देंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई शर्त नहीं है। अब नियम 61 को निलम्बित करने का प्रस्ताव।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य 61 संचालन नियमों के नियम को, जहां तक वह 25-4-1983 को स्वर्ण मंदिर, अमृतसर के निकट भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या किए जाने के बारे, में श्री बी० डी० सिंह द्वारा पेश किए जाने वाले स्थान प्रस्ताव पर लागू होता है, निलम्बित करती है"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम61 को, जहां तक वह 25-4-1983 को स्वर्ण मंदिर. अमृतसर के निकट भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या किए जाने के बारे में; श्री बी० डी० सिंह द्वारा पेश किए जाने वाले स्थगन प्रस्ताव पर लागू होती है, निलम्बित करती है।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री ईरा अनबरासु (चिंगल पट्टू) : एक उत्सव मनाने की तमिलनाडु के लोगों में एक आम प्रथा है। जिसे कन्नंगी मंदिर में चित्र पौरानमी के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर केरल की सीमा पर स्थित है। यह उत्सव अज्ञात समय से चला आ रहा है। यह उत्सव आज हो रहा है। केरल सरकार ने उन सभी लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए हैं जो उत्सव में भाग लेने के लिए मंदिर में प्रवेश करेंगे। केरल सरकार इस मंदिर के स्वामित्व का का दावा कर रही है। मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री इसमें हस्तक्षेप करें·······

अध्यक्ष महोदय : यह एक राज्य का विषय है। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा।

श्री ईरा अनबारासु : यह बहुत गम्भीर समस्या है। तमिलनाडु की सरकार लोगों के हितों की रक्षा करने में असफल हो गयी है। कम से कम केन्द्र सरकार को लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : कृपया इसे केवल राज्य का विषय कह कर न टालिए। आपकी तरफ से कि छोटी सी त्रुटि वहां पर गड़बड़ी पैदा कर सकती है। ये भावनात्मक विषय हैं। मैं इस विशिष्ट मामले के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। परन्तु मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि यह एक गम्भीर मामला है और सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थति हाथ से निकलने न पाए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : जब दो राज्यों का मामला हो तो केन्द्र को हस्तक्षेप करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वे उस पर विचार करेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : भगवान विवाद में हैं। कौन निर्णय करेगा ?

———

सभापटल पर रखे गए पत्र

कोयला खान श्रम कल्याण संगठन, धनबाद, के 1981-82 के कार्यकलापों सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कोयला खान श्रम संगठन, धनबाद. के वर्ष 1981-82 के कार्यकलापों सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6453/83]

चितचोर गोलाबाड़ी कम्पनी लिमिटेड, क्लाइव को इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड और एन्ड्र्यू मूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड (एकीकरण) आदेश 1983

विधि, न्याय, और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री जगन्नाथ कोशल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अन्तर्गत चितपोर गोलाबाड़ी कम्पनी लिमिटेड, क्लाइव रो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड और एन्डयू सूल कम्पनी लिमिटेड (एकीकरण) आदेश, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 31 मार्च, 1983 के भारत के राजस्व में अधिसूचना संख्या का आ० 270 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या-एल० टी-6454/83]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1983-84 की अनुदानों की ब्योरे वार मांगें

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं श्री बी० शंकरानन्द की ओर से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1983-84

की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों के एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-6455/83]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय की वर्ष 1983-84 की अनुदानों की ब्योरेवार मांगें

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं नौवहन और परिवहन मंत्रालय की वर्ष 1983-84 की अनुदानों की ब्योरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-6456/83]

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 1983-84 की अनुदानों की ब्योरेवार मांगें

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां)। मैं पर्यटन और नागर निमानन मंत्रालय की वर्ष 1983-84 की अनुदानों की ब्योरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-6457-83]

सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट आफ प्लास्टिक्स इन्जीनियरिंग एंड टूल्स, मद्रास का वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभपटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सेन्ट्रल इंस्ट्रीच्यूट आफ प्लास्टिक्स इन्जीनियरिंग एण्ड टूल्स, मद्रास के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टच्यूट आफ प्लास्टिक्स इन्जीनियरिंग एण्ड टूल्स, मद्रास, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-6458/83]

दामोदर घाटी निगम का 1981-82 वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-6459/83]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की वर्ष 1983-84 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

विधि, न्याय और कपम्नी कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की वर्ष 1983-84 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-6460-83]

वर्ष 1983-84 के लिए भारतीय डाक और तार विभाग पर केन्द्रीय सरकार के व्यय सम्बन्धी अनुदानों की मांग

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : मैं वर्ष 1983-84 के लिए भारतीय डाक और तार विभाग पर केन्द्रीय सरकार के व्यय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखये संख्या एल० टी०-6461/83]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 334 (अ), जो 15 अप्रैल, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 9 जुलाई, 1978 की अधिसूचना संख्या 117-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि निर्यात उत्पादन के लिये अग्रिम लाइसेंस पर भारत में बिना शुल्क आयात की जा सकने वाली सामग्री की सूची का विस्तार किया जा सके।

(दो) सा०का०नि० 335 (अ), जो 15 अप्रैल 1983 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कतिपय कच्चे माल को, जब आयात प्रतिपूर्ति लाइसेन्सों के अधीन भारत में उसका आयात किया जाता समूचे सीमा-शुल्क से छूट दी जाने के बारे में है।

(तीन) सा०का०नि० 336 (अ), जो 15 अप्रैल, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या 64/83-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि 15 अप्रैल, 1983 की अधिसूचना संख्या 104/83-सी०शु० के अन्तर्गत आने वाले कच्चे माल को, जब आयात प्रतिपूर्ति लाइसेन्स के अधीन भारत में उसका आयात किया जाता है, समूचे सहायक सीमा-शुल्क से छूट दी जा सके।

(चार) सा०का०नि० 339 (अ), जो 16 अप्रैल, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो पेट्रोलियम स्रोतों से प्राप्त गंधक को अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट दिये जाने के बारे में है।

(पांच) सा०का०नि० 340 (अ), जो 16 अप्रैल, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 30 जुलाई, 1982 की अधिसूचना संख्या 187-सी०शु० का निरसन किया गया है जिसके परिणाम-स्वरूप भारत में आयात किये जाने पर कतिपय विशिष्ट किस्म के सूखे मेवों पर प्रशुल्क समाप्त किया गया है।

(छः) सा०का०नि० 341 (अ), जो 16 अप्रैल, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या 31-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि बादामों पर बेसिक सीमा-शुल्क निर्धारित किया जा सके।

(सात) सा०का०नि० 343 (अ), जो 20 अप्रैल, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 1 अप्रैल, 1983 क अधिसूचना संख्या 92-सी०शु० के अतिलंघन में पौंड स्टर्लिंग को भारतीय मुद्रा को तथा भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिंग में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-6462/83]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी प्रतिवेदन-संघ सरकार (डाक और तार) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6463/83]

(3) वर्ष 1981-82 के संघ सरकार के विनियोग लेखे (डाक और तार) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6464/83]

समाज कल्याण मन्त्रालय की वर्ष 1983-84 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं श्री पी०के० थुंगन की ओर से समाज कल्याण मंत्रालय की 1983-84 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-6465/83]

———

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

अंतिम उत्तरों के विवरण

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मैं अनिसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय 5 में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार के अंतिम उत्तरों, तथा अन्य अध्यायों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दी गई अग्रेतर जानकारी के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन स्कंध), हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके नियोजन के बारे में की गई कार्यवाही सम्बन्धी 16 वां प्रतिवेदन।

(दो) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) दक्षिण मध्य रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके नियोजन और दक्षिण मध्य रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को छोटे ठेके, पार्सल बुकिंग एजेंसियां और आउट एजेंसियां देने के बारे में की गई कार्यवाही सम्बन्धी 17 वां प्रतिवेदन।

(तीन) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)—मध्य रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके नियोजन और मध्य रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को छोटे ठेके, पार्सल बुकिंग एजेंसियां तथा आउट एजेंसियां देने के बारे की गई कार्यवाही सम्बन्धी 18 वां प्रतिवेदन।

———

लोक लेखा समिति

142 वां प्रतिवेदन

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं दिल्ली संत्र राज्य क्षेत्र की प्राप्तियां-बिक्री कर एक व्यापारी द्वारा जाली कागजात तैयार करना—के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का 142 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति

51 वां और 52 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

श्री बन्शी लाल : (भिवानी) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(एक) ऊर्जा मंत्रालय—पेट्रोलियम विभाग के बारे में 51वां प्रतिवेदन तथा तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(दो) उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)—औद्योगिक नीति—उद्योग में उत्पादकता के बारे में 52वां प्रतिवेदन तथा समित की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

65वां और 69वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रति-वेदन तथा कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बारे में 65 वां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्स-म्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में समिति के 44 वें प्रतिवेदन में अन्त-र्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में 59 वां प्रति-वेदन।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली के निकट वर्ती गांवों की उपजाऊ कृषि भूमि का अत्यधिक सस्ते भाव पर अर्जन किये जाने तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उसे बेहद मँहगे भाव पर बेचे जाने का समाचार

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर): मैं निर्माण और आवास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर ध्यान दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह उस पर वक्तव्य दें :—

"दिल्ली के निकटवर्ती गांवों की उपजाऊ कृषि भूमि का अत्यधिक सस्ते भाव पर अर्जन किये जाने तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उसे बेहद मंहगे भाव पर बेचे जाने, जिसके कारण भूमि के मूल्यों में असंतुलन हो रहा है तथा किसानों को उनके जीविकोपार्जन के एकमात्र साधन से वंचित किये जाने से अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, का समाचार।

आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) अध्यक्ष महोदय,

दिल्ली के गांवों की कृषि भूमि का अर्जन दिल्ली के नियोजित विकास के लिए किया जा रहा है ताकि राजधानी शहर में बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग की पूर्ति की जा सके। बृहत योजना जो कि 1950 के उत्तरार्ध में बनाई गई थी और जो 1 सितम्बर, 1962 से लागू हुई के अन्तर्गत 1981 तक नगरीकरण योग्य भूमि लगभग 1,10,000 एकड़ है। इस क्षेत्र में लगभग 45 लाख की जनसंख्या के समायोजन की सम्भावना थी, जिनके आंकड़ों को बाद में उच्चतम घनत्व मापदण्ड अपना कर संशोधित किया गया था। भारत की 1981 की जनगणना क अनुसार, दिल्ली की वर्तमान जनसंख्या 62 लाख आंकी गई है जिसमें लगभग 58 लाख की नगरीय जनसंख्या शामिल है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया जनसंख्या प्रपेक्षण के अनुसार दिल्ली की नगरी जनसंख्या वर्ष 2001 तक 122 लाख हो जाने की सम्भावना है।

2. दिल्ली की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण सरकार के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उचित आश्रम तथा सेवाओं के लिए साधन जुटाने आवश्क हो गये हैं।

3. दिल्ली में बड़े है पैमाने पर भू अर्जन विकास तथा निपटाने योजना के अन्तर्गत दिल्ली प्रसाशन भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित भूमि को अर्जित करता है और विकास के लिए इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपता है। भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत इसे अधिनियम की धारा 23 और 24 के उपबन्धों के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि अर्जित भूमि के लिये देय मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए, अधिनियम को धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि को भूमि की बाजार लागत को ध्यान में रखा जाना होता है। इसके अतिरिक्त अर्जन की अनिवार्य प्रकृति को देखते हुए निर्धारित मुआवजे का 15 प्र० श० सांत्वना उपहार के रुप में दिया जाता है। इसके अलावा पुराने मामलों में धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना के तीन वर्ष समाप्त होने की तारीख से समाहर्ता द्वारा एवार्ट किये गये मुआवजे की भुगतान की तारीख तक 6 प्र० श० प्रति वर्ष की दर पर ब्याज भी दिया जाता है। तथापि, जिन

किसनों की भूमि पहले ही अर्जित की गई है उनकी कठिनायों को कम करने के लिए ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने 30 अप्रैल, 1982 इस सभा में भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1982 पहले ही पेश कर दिया है। विधेयक में पहले ही यह प्रावधान किया गया है कि सान्त्वना पुरस्कार की दर को 15 प्र०श० से 30 प्र०श० तक बढ़ाया जाय ओर न्यायलय द्वारा एवार्ड किये गये बढ़े हुए मुआवजे पर तथा जहाँ मुआवजे के भुगतान से पहले भूमि का कब्जा किया गया वहां बढ़े हुए मुआवजे पर देयमुआवजे को 6 प्र०श० से 9 प्र०श० तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। मुझे विश्वास है कि अगस्त के आगामी सत्र में जब विधेयक पर विचार किया जायेगा तो विभिन्न मामलों पर ब्याज की दरों विचार विपर्श करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।

4. मुआवजे के अलावा जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई है उनके लिए निम्नलिखित फाइदे भी मौजूद हैं :—

(क) पूर्व निर्धारित दर पर अर्जित भूमि के 40-प्र०श० तक की सीमा तक अनुमोदित कालोनी में रिहायशी प्लाट या 250 वर्ग गज, जो भी कम हो।

(ख) बेदखल किए गए भूमि धारकों को अपने जीवन निर्वाह के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई दुकानों में से 10 प्र०श० दुकाने पुर्व निर्धारित दरों पर लाटरी द्वारा उन्हें आबंटित की जाती हैं।

5. निस्सन्देह यह है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुछ मामलों में प्लाटों की नीलामी में ऊची दरें प्राप्त की जबकि अर्जन की लागत कम थी। दिल्ली में बड़े पैमाने पर भु अर्जन, विकास तथा निपटान योजना के अनुसार भुमि के विक्रय की सामान्य प्रक्रिया नीलीमी है। तथापि, योजना का सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए 200 वर्ग गज के रिहायशी प्लाट निम्न आय आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग को न लाभ-न हानि दरों पर आबंटित किये जाते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि नीलामी द्वारा बेचे गए प्लाटों की प्रशितता उसके द्वारा बेचे गए कुल प्लाटों से 4 प्र०श० कम है, इस प्रकार की नीलामी से प्राप्त की गई आय का उपयोग सामान्य उद्यान कार्यक्रमों तथा अन्य अलाभार्थ प्रयोगों के अलावा आवास के लिए फसल सहायता पोषित करने तथा सांस्थानिक प्रयोगों और अवसंचना उपयोगों के लिए किया जाता है। इस लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के नीलामी के लक्ष्यों को एक्तरफा ही नहीं देखा जाना चाहिये अपितु आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो के लिए कम दरों पर मकान देने के, दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यक्रम को सम्पुर्णता की दृष्टि से देखा जाना चाहिये।

6. इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि भारतीय कृषक संघ, नई दिल्ली ने इस अर्जन के विरुद्ध 16 नवम्बर, 1980 को एक जापन याचिका समिति को भेजी। 6 अप्रैल, 1983 को इस सभा में प्रस्तुत अपने 12वें प्रतिवेदन में इस मंत्रालय द्वारा दिये गए उत्तरों की जांच करने के पश्चात् उक्त समिति इस निष्करर्ष पर पहुंची कि मेरे मन्त्रालय द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित भु अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1982 के संबंध में प्रस्तुत टिप्पणियों के तथा तथयों को देखते हुए उनकी ओर से इस मामले में और कोई हस्तक्षेप के आवश्कता नहीं हैं।

7. मैं यहां पर यह भी उल्लेख करना चाहुंगा कि सरकार का रवैया हमेशा किसनों की

जरूरतों और कल्याण के प्रति सहानुभुतिपूर्वक रहा है और सरकार कानून के उपबन्धों के अनुसार किसानों की हर सम्भव सहायता करेगी। मैं आशा करता हुं कि भुमि अर्जन अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन से उन व्यक्तियों की कठिनाइयों को कम करने में सहायता मिलेगी जिनकी भुमि अर्जित की जाती है।

श्री राजेश पाइलट : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को बहुत बड़ी आशा है कि भूमि अर्जन विधेयक में संशोधन करने से किसानों को लाभ होगा और हमें तो केवल यह आशा है कि यह विधेयक शायद ही कभी लाया जायेगा।

हम संसद सदस्य जब कोई क्या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाते हैं तो उसके पीछे माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने और वक्तव्य देने की ओर नहीं होता बल्कि सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना होता है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सरकार भी इसके संबंध में कुछ न कुछ करना चाहिये। उसके प्रति यह आशय होता है। इस विषय पर गत एक वर्ष के भीतर मैंने स्वयं दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे थे—पहला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव गत सत्र में रखा गया था और उस समय माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 'जब कभी भविष्य में हम इस प्रकार की भूमि अर्जित करेंगे। तो हम इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि किसानों को परेशान न किया जाये। यह कहते हुए हमें यहां तक ब्यौरा दिया गया था कि 'जिस भाव से भूमि अर्जित की जायेगी और बिक्री अथवा नीलामी द्वारा जिस भाव पर बेची जायेगी उस पर हम किसानों से विकास प्रभार काट देंगे और शेष धनराशि किसानों को दी जायेगी। उस समय यह आश्वासन माननीय मंत्री श्री भीष्म नारायण सिंह ने दिया था किन्तु कुछ भी नहीं किया गया। इसलिए इस विषय पर हमें सरकार का ध्यान आकर्षित करना पड़ा है और इस बार हमें आशा है कि छः महीने बाद हमें पुनः ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा बल्कि सरकार स्वयं इस विषय पर ध्यान देगी।

माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये वक्तव्य को पढ़कर मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं।

पहला प्रश्न यह है कि आप आज किस भाव पर किसानों से भूमि अर्जित कर रहे है और किस भाव पर आप दिल्ली के नागरिकों को बेच रहे हैं? यह इसलिए हैं कि यदि भाव देखे जायें, तो आपको विश्वास नहीं होगा और मैंने भी विश्वास नहीं किया था जब किसानों ने यह शिकायत की थी कि 60 पैसे प्रति वर्ग गज के भाव से खरीदी गई भूमि 600 रु० प्रति वर्ग गज के भाव से बेची जा रही है। अन्तर देखिये। यदि आप भूमि के मालिक होते और यदि भूमि आपकी उपस्थिति में इस प्रकार अर्जित की जा रही होते और 600/- रुपये प्रति वर्ग गज के भाव से बेची जाती, तो मेरे विचार से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि उसे इस बात का अहसास तक होता कि वह भी इस देश का नागरिक है और वह देखता रहता कि भूमि उससे जबरदस्ती छीनी जा रही है। दिल्ली में भूमि का अर्जन एक प्रदर्शनी के समान है जिसमें जनता की धक्कम धक्का होती है। और सरकार उस भूमि को अर्जित करने को स्वतन्त्र है जो अर्जित की जा चुकी है और उपयोग में न आ रही हो।

अध्यक्ष महोदय : आपको आश्चर्य है कि वे लोग अब भी रह रहे हैं।

श्री राजेश पाइलट : मेरा प्रथम मुद्दा यह है कि हम लोग उन किसानों की भावना को

व्यक्त कर रहे हैं जो हमसे मिले थे और जिन्होंने हमसे शिकायत की थी हम लोग उनकी भावना को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आज भी किस भाव पर भूमि अर्जित की जा रही है क्योंकि मुझे यह बताया गया है कि नांगलोई में भाव अब भी एक रुपया प्रति वर्ग गज है और आप जरा नांगलोई जाकर तो देख सकते हैं और आप कालोनी बसाने वालों से मुलाकात कर सकते हैं और उनसे भाव के बारे में पता कर सकते हैं। भाव 600 रुपये से 700/- रुपये के आस पास हैं। किसानों को इस अन्तर का पता है कि यह भूमि 60 पैसे या एक रुपये प्रति वर्ग गज की दर से अर्जित की जायेगी उसी को 600 रुपये की दर से बेचा जाएगा, ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति की भावना क्या हो सकती है ?

दूसरा मुद्दा यह है कि जब भी भूमि अर्जित की जाती है तब अनेकानेक आश्वासन दिये जाते है कि 'आप लोगों को फिर से बसाया जाएगा, आप के परिवारों की देख भाल कीं जायेगी; आप लोगों को रोजगार दिया जायेगा, आप को एक मकान का प्लाट दिया जायेगा।' मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूँ कि लगभग 150 गाँवों के बारे में पता दें—और भी अधिक हो सकते है— जो इस प्रकार से किये भूमि अर्जन से प्रभावित हुए हैं। क्या आपने आज तक इस बात का पता लगाया है कि इससे कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं, कितने व्यक्तियों को फिर से बसाया गया और कितने व्यक्तियों को फिर से बसाया जाना शेष है ? यदि सदन को यह बता दिया जाता कि इतने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं और वे इतने व्यक्ति को फिर से बसा सके हैं, इतने व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है.......

अध्यक्ष महोदय : देखभाल ही नहीं करनी चाहिए बल्कि गारन्टी दी जानी चाहिये।

श्री राजेश पाइलट : गारन्टी के बारे में मैं अन्त में पूछूंगा।

क्या गरीब किसानों से इन भू खण्डों का अर्जित करने से सम्बन्धित नीति के कार्यान्वयन की उन्होंने जांच कर ली हैं। वे लोग उनकी कितनी सहायता कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली की आबादी बढ़ रही है और उन्होंने उन्हें मकान दिये हैं। मैं उनके कथन से सहमत हूं। उन्हें आवास देना सरकार का कर्त्तव्य है। किन्तु जब आवास के प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित की जाती है तब वह कुछ और बात होती हैं जब वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित है। जब आप वाणिज्यिक प्लोट अथवा बाजार बनाते हैं तब क्या आपके भाव में अन्तर होता है। यह वाणिज्यिक प्रयोजनों अथवा आवास प्रयोजनों के लिए हो सकते हैं आप एक रुपया प्रति वर्ग गज की दर से अर्जित कर रहे हैं किन्तु आप वाणिज्यिक प्लाट बहुत ही ऊँचे भावों पर बेच रहे है। किसानों के हित की उपेक्षा की गई है। आवास प्रयोजनों और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन करने के सम्बन्ध में क्या कोई अन्तर हैं ? आप इन दो भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न दामों पर और भिन्न/तरीकों से उसे बेच रहे हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : किसानों को दिल्ली में लूटा जा रहा है।

श्री राजेश पाइलट : ये आदेश जारी कर दिये गये हैं। कि अमुक अमुक गाँवों में भूमि अर्जित की जायेगी। नांगलोई उनमें से एक है। उनके प्रति विधि हम लोगों से मिले थे। उनका कहना है कि उन्हें एक रुपया प्रति गज दिया जा रहा है। सरकार को 1000/ रुपया प्रति वर्ग

गज प्राप्त हो रहा हैं। यह सच है कि नांगलोई में एक रुपया प्रति वर्ग गज की दर से भूमि अर्जित की जा रही है।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : नांगलोई ही नहीं सारे इलाके में इसी तरह से किसानों को लूट कर खा गये ?

श्री राजेश पाइलट : कितने गांवों में किस किस प्रयोजन के लिये भूमि अर्जित की जा रही है? वक्तव्य में यह कहा गया है कि मास्टर प्लान के कारण हम भूमि अर्जित करने के लिए बाध्य हैं। भूमि अर्जित कर ली गई है। गाजियाबाद की तरफ ध्यान दीजिये वहां पांच वर्ष पूर्व भूमि अर्जित की गई थी। उसके निर्माण की कोई योजना नहीं है। यदि उस भूमि का अर्जित न किया गया होता तो उससे फसल प्राप्त होती। क्या यह भी कोई नीति है ? क्या मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ? यह राष्ट्रीय क्षति है। हमारे पास खाद्यान्न की कमी है।

वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन करने के सम्बन्ध में सरकार की यह नीति है कि विकास प्रभार आयकर बिक्री से हुए लाभ को भूमि के मालिकों में बांट दिया जाए ! आपसे यह आशा की जाती है कि आप उसे 500 वर्ग गज का वणिज्यिक प्लाट देंगे। आपने ऐसा कितने मामलों में किया है ? यह शिकायत प्राप्त हुई है कि जीवाकोपार्जन के लिए प्लाट नहीं दिया गया है कितने मामलों में आपने प्लाट आबंटित किए हैं और कितने मामलों में प्लाट आबंटित नहीं किए गए हैं ?

30 अप्रैल 1982 को संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था और अनेकों आश्वासन दिये गये थे—जब तक विधेयक स्वीकृत नहीं हो जाता है तब तक सरकार भूमि अर्जन नहीं करेगी और किसानों के अधिकार और हित की रक्षा करेगी। यदि यह विधेयक दस वर्ष तक स्वीकृत नहीं किया जाता है तो क्या आप भूमि का अर्जन सस्ते भावों पर करते रहेंगे और 600 रु. प्रति वर्ग गज की दर से बेची जाती रहेगी। आप कृपा करके यह आश्वासन दें कि जब तक विधेयक स्वीकृत नहीं हो जाता है तब तक आप ऐसी प्रक्रिया अपनायेंगे कि किसानों का हित सुरक्षित रहे अथवा आपसे यह वायदा करना होगा कि अमुक तारीख तक और अमुक वर्ष तक आप विधेयक स्वीकृत करा लेंगे।

ये कुछ एक प्रश्न हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बारे में पक्का वायदा करें। यह किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उनके पास केवल वही सम्पत्ति है। एक बार जब भूमि अर्जित कर ली जाती है तब उनके पास कुछ नहीं रहता। कब भूमि अर्जित की जाती है तथा धनराशि भी किश्तों में दी जाती है एक मुश्त नहीं। लोगों के पास जीवन यापन का साधन नहीं रह जाता है और वे बुरे चरित्र वाले बन जाते हैं। अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय चरित्र भी प्रभावित होता है। मैं यह चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी एकदम पक्का वायदा करें और हमें यह आश्वासन दें कि हमें इस बात की आवश्यकता महसूस न हो कि इस विषय पर कोई और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय : आपका आशय स्पष्ट आश्वासन से है।

श्री मनीराम बागड़ी : आपने बहुत अच्छी बात रखी है। ये जो बिरला, टाटा और मोदी के फार्म हैं, इनको आप लेते नहीं हैं और किसानों को मार रहे हैं।

श्री बूटा सिंह : महोदय किसानों के लिए अति महत्व के मामलों को उठाने के लिए मैं अपने माननीय मित्र श्री राजेश पाइलट के प्रति अत्यधिक अनुगृहीत हूं।

किन्तु जैसाकि मैं अपने मुख्य वक्तव्य में बता चुका हूं, मौजूदा कानून के अधीन कुछ विनियम हैं और वे विनियमप्रभावी हैं। उससे परे कोई वायदा करना सरकार के लिए संभव नहीं है जैसा कि उन्होंने मुझसे वायदा कराने की चेष्टा की है। अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से उन्होंने जो प्रश्न उठाये है उनका उत्तर देने का मैं प्रयत्न करुंगा।

श्री मनीराम बागड़ी : इस पर अमेंडमेंट आना था।

श्री बूटा सिंह : अमेंडमेंट है।

श्री मनीराम बागड़ी : सारे हाउस ने विश्वास किया था।

अध्यक्ष महोदय : वह जब भी बिल लाने की बात थी, लेकिन बिल आया नहीं अभी तक। उस बिल में से निकल कर आयेगा। **(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : मुझे खेद है कि मेरा सहयोगी मंत्रालय यहां नहीं है। वह है ग्रामीण विकास मन्त्रालय। आपकी सलाह के अनुसार मैंने उनसे अनुरोध किया है....

अध्यक्ष महोदय : जिस प्रकार श्री राजेश पाइलट आपके पीछे पड़े हुए हैं उसी प्रकार आपको भी ग्रामीण विकास मन्त्रालय के पीछे पड़ना चाहिए।

श्री बूटा सिंह : अपने समक्ष मैंने अपने साथी से कहा था और उन्हें इस बात के लिए समझाने की चेष्टा की थी कि इसके बारे में यथा सम्भव शीघ्रता की जाए। यदि यह मेरे पास होता तो मैं मेघ लीट की गति से कार्य करता। महोदय, आप मेरे कार्य करने की गति से परिचित हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां आप ऐथलीट हैं।

श्री बूटा सिंह : मेरे माननीय मित्र श्री राजेश पाइलट ने कई मामले उठाये हैं। पहला प्रश्न यह था कि जब भूमि अर्जित की गई थी उस समय क्या भाव थे और जब भूमि बेची गई उस समय क्या भाव थे। वर्ष 1978, 1979, 1980, और 1981 में दिल्ली में जिस भाव से भूमि अर्जित की गई थी उससे सम्बन्धित सूचना के बारे में यह है कि भावों में 270 रुपये से लेकर 8400 रुपए प्रति बीघा तक का अन्तर था। मैं पुनः स्पष्ट कर रहा हूं कि एक बीघा में 1008वर्ग गज होते हैं। इसी भाव से भूमि अर्जित की गई थी।

अब मैं यह स्पष्ट करुंगा कि 1978 से 1982 के दौरान किस भाव से भूमि बेची गई। आवासीय प्लाट का न्यूनतम भाव 176 रुपये 81 पैसे प्रति वर्ग मीटर था और अधिकतम भाव 3768 रुपये 68 पैसे था। अब यह वर्ग मीटर में है।

श्री राजेश पाइलट : महोदय, माननीय मन्त्री जी बता रहे रहे हैं कि उन्होंने भूमि प्रति बीघा की दर से अर्जित की है। और जब वह उसे बेच रहे हैं तब भाव प्रति मीटर के हिसाब से है। इसलिए महोदय, इरादा बहुत ही स्पष्ट है।

श्री बूटा सिंह : महोदय, पाइलटों के पास सदा ही रेडी रैमनर उपलब्ध होता है। एक दूरी से दूसरी दूरी तक बात करने के लिए पाइलटों का सहारा लेना पड़ता है।

हम वाणिज्यिक प्लोट भी बेच सके थे और उनके निम्न तल स्थान का न्यूनतम भाव 401 रुपये 83 पैसे तथा अधिकतम भाव 3396 रुपये 96 पैसे था। औद्योगिक प्लाट भी बेचे गये थे और उनका न्यूनतम भाव 200 रुपये तथा अधिकतम भाव 2609 रुपये 54 पैसे था।

महोदय, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि विकास लागत में हर वर्ष अन्तर रहा है क्योंकि वह विशेष क्षेत्र में विकास के लिए अपेक्षित विभिन्न सामानों की लागत पर आधारित होता है। चूंकि विकास कार्य के लिए अपेक्षित सामानों की लागत बढ़ती रही है इसलिए विकास लागत में भी अन्तर रहा है।

मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध उसके अनुसार अगस्त 1981 में जिस सकल क्षेत्र पर विकास लागत 120 रुपया प्रति वर्ग मीटर आती थी उस पर आज विकास लागत लगभग 480 रुपये प्रतिवर्ग मीटर लगती है।

अब अर्जित की गई भूमि के सम्बन्ध में दूसरा मुद्दा यह है। दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 28.2.83 तक लगभग 50.059 एकड़ भूमि अर्जित की गई है।

दिल्ली प्रशासन ने लगभग 45,469 एकड़ भूमि विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को स्थनान्तरित कर दी है।

दिल्ली प्रशासन शेष भूमि पर कब्जा नहीं कर सका क्योंकि उन पर समान बने हुए हैं और स्थगन आदेश के अधीन है तथा इसलिए कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

उनके अधीन दी गई 45, 469 एकड़ भूमि को विभिन्न योजनाओं के लिए विकसित किया गया है जिसका विवरण निम्नांकित है:—

किस प्रयोजन के लिए आबंटित की गई	कितने एकड़ भूमि विकसित की गई
आवासीय	13,900
आवासीय (पुनर्वास)	7,180
औद्योगिक	2,700
वाणिज्यिक संस्थागत तथा सरकारी	6,050
वाणिज्यिक संस्थागत, और संस्थागत जो विभिन्न संस्थानों को भी दिल्ली प्रशासन द्वारा सीधी आबंटित की गई	2,420
मनोरंजन के लिए	7,110
अनधिकृत उपयोग में	2,290
विकास के लिए उपलब्ध खाली भूमि	3,819
कुल	45,469

दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रशासन द्वारा नियामित रूप से निगरानी करने की व्यवस्था है। अर्जित की गई भूमि वाली बस्तियों से वे बेबाकी प्राप्त करते रहते हैं और इस बात की सूचना प्राप्त करते रहते है कि विकास कार्य किस स्थिति में है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि देहातों में बसे ऐसे लोगों, जिनकी भूमि अर्जित की जाए, उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो और उन्हें अपनी फसल उगाने की अनुमति हो। वास्तविक रूप से विकास होने तक विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने की अनुमति दी जाती है। उसके लिये किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं है। आपने मित्र के समान हमें भी इतनी ही चिन्ता है कि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : एक सामान्य अधिसूचना जारी की जाती है। अर्जित करने की प्रक्रिया आरम्भ करते समय एक आय अधिसूचना जारी की जाती है जिसमें प्रभावित होने वाले विभिन्न क्षेत्रों का ब्यौरा दिया जाता है आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों, मनोरंजन हेतू क्षेत्रों तथा संस्थानों हेतू क्षेत्रों के सम्बन्ध में विभिन्न मूल्यों का ब्यौरा मैं दे चुका हूं।

उन्होंने जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, वह सदन में संशोधन विधेयक का स्वीकृति किया जाना है। जैसा की मैं कह चुका हूं और आपको भी भली-भाँति पता है कि मैं आपने साथी ग्रामीण विकास मंत्री के साथ बैठूंगा और इस बात का ध्यान रखेंगे कि दिल्ली के किसानों के हित के इतने अधिक महत्वपूर्ण मामले से सम्बधित इन संशोधनों को विशेष रूप से इसी सप्ताह में विचारार्थ रखा जाय।

श्री राजेश पाइलट : माननीय मंत्रीजी नांगलोई गांव के शिष्ट मंडल के बारे में जानकारी देना भूल गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप क्षेत्र-बार जानकारी दे सकते हैं।

श्री बूटा सिंह : इस विशेष गांव से संबन्धित जानकारी मैं एकत्र करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास शायद कोई डेपूटेशन आया था। उसका क्या हुआ ?

श्री राजेश पाइलट : वह नांगलोई गांव को भूल गए हैं।

श्री बूटासिंह : इस गांव विशेष के बारे में मैं जाय करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : उनको पता ही नहीं कि 12 आने या कितना दिया है।

श्री राजेश पाइलट : एक रुपया

श्री बूटासिंह : यह सूचना मुझे माननीय संसद सदस्य से प्राप्त हुई है।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह का बंदोबस्त करें ताकि डबल-पमेंट भी हो सके। यह समस्या है।

श्री बूटा सिंह : ठीक है, महोदय। मैं माननीय संसद सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह ज्ञापन मुझे भेज दें। मैं इसकी जांच करुंगा।

श्री राजेश पाइलट : मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय एक खिलाड़ी दें और वे खेल मंत्री भी हैं और उन्हें चाहिए। कि इस प्रश्न को खिलाडी के रूप में न लेकर इस पर गंभीरता विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : आजकल खिलाडी भी गंभीर होते हैं। अन्यथा वे जीत नहीं सकते।

श्री बूटासिंह : महोदय, हम गंभीर मामलों का हल हंसते-हसते निकालते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो रोते हुए जाते है, वे मुर्दों की खबर लाते हैं। इसलिए हंसते रहना चाहिए।

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं निर्माण और आवास मंत्री जी से दो-तीन प्रश्न इस कालिंग अटेंशन पर पूछना चाहता हूँ। इन्होंने वक्तव्य दिया है कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत धारा 23 और 24 के अनुसार मुआवजा निर्धारित किया जाता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि 1894 के इस एक्ट को अभी तक इस आजाद भारत में क्यों लागू किया हुआ है। धारा 23 और 24 क्या हैं ? उनके अनुसार आज देश की बदली हुई परिस्थिति में किसानों की या किसी की भी जमीन ली जाती है तो उसका मुआवजा क्यों निर्धारित होता है ? यह भी कहा गया है कि जिस दिन सैक्शन चार के अन्तर्गत नोटिपिकेशन होगा, उसी तारीख को मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली में 34 हजार एकड़ जमीन के लिए सैक्शन चार के अन्तर्गत 1959-60 में नोटिपिकेशन हुआ है। लेकिन 1977 और 80 में उनको मुआवजा मिल रहा है। मार्किट वैल्यु उनको मिल रही है। 1959-60 में जब नोटि-पिकेशन हुआ है, वह किसानों के साथ और जिनकी जमीन ली गयी है. उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। नोटिपिकेशन के 20 वर्ष बाद आप जानते हैं कि जमीन के मूल्य किस गति से बढ़ते जा रहे हैं। उनको 6 या 9 परसेंट ब्याज देकर संतुष्ट नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं, यह उनके साथ न्याय भी नहीं है। जिस दिन किसानों को मुआवजा मिले उस दिन जो मार्किट वैल्यु हो, उस मार्किट वैल्यु से मिलना चाहिए तभी यह न्याय-संगत होगा। जो समाजवादी समाज की स्थापना करने का इरादा हम लोगों का है, वह तभी उसके अनुकूल होगा।

दिल्ली डवलपमेंट अथारिटी का 1982-83 का तीन अरब एक करोड़ और 76 लाख का बजट है। उसमें से केवल चार करोड़ 75 लाख रुपए शहरी गांवों के पर्यावरण के सुधार के लिए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। जबकि, शहरी गांवों में पूरी दिल्ली की 62 लाख की आबादी है जिसमें 58 लाख नगरीय आबादी और चार लाख ग्रामीण आबादी है। इस अनु-पात को आप देखेंगे तो यह पायेंगे कि जो चार करोड़ 75 लाख रूपए शहरी गांवों में खर्च करने का प्रावधान किया गया है, वह बहुत कम है। आबादी के अनुपात से तो बहुत ही कम है।

12·44.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

डबलपमेंट चार्ज 480 रुपए पर स्क्वेयर यार्ड है और दो वर्ष पहले 80 रुपए और 120 रुपए पर स्क्वेयर यार्ड था। मैं यह जानना चाहता हूं कि दो वर्ष में डवलपमेंट चार्ज इतना कैसे

बढ़ गया ? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर वे अधिकारियों के साथ बैठकर जोड़ें तो पायेंगे कि यह जो 480 रुपए डवलपमेंट चार्ज दिखाया जा रहा है, वह बहुत ज्यादा है । इतना डवलपमेंट चार्ज होता ही नहीं है ।

इस सम्बन्ध में मैं अपना अनुभव इलाहाबाद का बताना चाहता हूं कि वहां इलाहाबाद डेवलपमेंट अथोरिटी ने ऐसे ही डेवलपमेंट चार्ज बहुत ज्यादा दिखाया था और उस समय के मुख्य मंत्री जो सौभाग्य से सदन में बैठे हुए हैं कामर्स मंत्री की हैसियत से जब उनकी चेम्बर में जोड़ा गया था तो केवल 7 रु० प्रति स्क्वायर यार्ड आया था लेकिन उन्होंने 52 रु० लगाया था । अगर यहां भी पूरा खर्चा काट कर के जोड़ा जाय तो 480 रु० प्रति वर्ग गज बहुत ज्यादा है और इसको निश्चित रूप से कम किया जा सकता है जिससे जिन लोगों को पलेट या जमीन मिली हैं उनको राहत मिल सकती है ।

मुख्य रूप से डी०डी०ए० भूमि में मुनाफाखोरी रोकने के लिये बनाया गया था, लेकिन आज डी०डी०ए० या राज्यों में इसी के समक्ष जो भी अथोरिटीज हैं वह सबसे ज्यादा मुनाफाखोर साबित हो रही हैं जब कि व्यक्तिगत लोग इतना मुनाफा नहीं ले रहे हैं जितना कि डी०डी०ए० ले रहा है अपने डेवलपमेंट का खर्चा बढ़ा कर के । इसलिये मेरा मत है कि 480 रु० प्रति वर्ग गज डेवलपमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा है, इसको जोड़ कर के सही डेवलपमेंट चार्ज रखा जाना चाहिये ।

अन्त में मेरा निवेदन है कि संसदीय लोक लेखा समिति ने अपनी पिछली रिपोर्ट में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकलाप की आलोचना की थी । लोक लेखा समिति ने सवाल उठाया था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने व्यावसायिक प्लाटों की नीलामी कर के न केवल जमीन की कीमत बेतहाशा बढ़ाता है, बल्कि मास्टर प्लान में जो जगह खाली छोड़ी गई थी, रिहायशी क्षेत्र माना गया था वहां पर 5 वर्ष में 14 हजार उद्योगों को चालू कर दिया है जो प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से ही सम्भव हो सकता है । रिहायशी मकान जहां दिखाये गये थे, जो जगह अवंटित की थी वहां इन्डस्ट्रीज बन गई और इससे भी ज्यादा मुनाफा डी०डी०ए० ने कमाया हैं ।

जैसा मैंने पहले कहा था विकास का खर्चा 120 रु०, 180रु० से 480 रु० हो गया, लेकिन किसानों को जो मुआवजा दिया जा रहा है वह जब नोटिफिकेशन हुआ 1959, 1960 में उसी दर से आज भी दिया जा रहा है । इस कानून में परिवर्तन किया जाय और किसानों को मुआवजा उस समय की दर से दिया जाय जब उनको वास्तव में मुआवजा दिया जा रहा हो । नोटिफिकेशन की तारीख से मुआवजा देना उनके हित पर कुठाराघात है ।

श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कहा कि इस 1894 के पुराने कानून को अभी तक क्यों नहीं बदला गया मैंने इससे पहले कहा कि इस सदन के सामने एक अमेंडमेंट बिल आ रहा है जिसमें कि बहुत सीधे तौर पर इसमें संशोधन आ रहे है जिस पर माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलेगा । अपने सहयोगी से बात कर के अति शीघ्र इस सदन में अमैंडमेंट बिल को लाने की कोशिश करेंगे ।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट दिल्ली का जो है उसकी धारा 23, 24 और 4 में क्या है ? मैं बताना चाहता हूं कि धारा 4 के अन्तर्गत है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टीगेशन्स भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4(1) में लिखा है :—

"जब कभी समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी परिक्षेत्र में की भूमि की किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या होनी संभाव्य है तब उस भाव वाली एक अधिसूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और कलकटर ऐसी अधिसूचना के सारांश की लोक सूचना उत्तम परिक्षेत्र में के सुविधा पूर्ण स्थानों पर दिलवाएगा ।"

तदुपरि 4(2) में लिखा है कि ऐसी सरकार द्वारा साधारण रूप से या विशेष रूप से तन्निमित्त प्राधिकृत किसी आफिसर के लिए और उसके सेवकों और कर्मचारियों लिए विधिपूर्ण होगा —

ऐसे परिक्षेत्र में किसी भूमि में प्रवेश करना उसका सर्वेक्षण करना और उसका तल मापन करना, अवमृदा के भीतर खोदना या भेदन करना, यह अभिनिश्चत करने के लिए कि क्या वह भूमि ऐसे प्रयोजन के लिए अनुकूल है, आवश्यक अन्य समस्त कार्यों का करना,

उस भूमि की, जिसे लेने की प्रस्थापना की गई है सीमाएं और यदि यहां कोई संकर्म बनाए जाने की प्रस्थापना है यो उस प्रस्थापित संकर्म की आशचित रेखा लगाना ;

ऐसे भूतल, ऐसी सीमाएं और रेखा चिन्ह लगाकर और खाइयां खोदकर चिन्हित करना, और जहां कि अन्यथा सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता और सीमाएं और रेखा चिन्हित नहीं की जा सकती वहां किली खडी फसल, बाड या जंगल के किसी भाग को काटना और साफ करना, परन्तु कोई भी व्यक्ति ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम सात दिन की लिखित सूचना अधियोगी को पहले ही दिए बिना किसी निर्माण के भीतर या बिवासग्रह से संलग्न किसी फिरे आंगन तब के सिवाय नही बाग में प्रवेश करेगा जबकि उसे अधियोगी की ऐसा करने के लिए अनुज्ञा हो ।

महोदय धारा 4 के उद्धरण में हैं अब मैं धारा 23 उद्धत करता हूँ ।

"23. (1) उस प्रतिकर की, जो इन अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि के लिए अधिनिर्णित किया जाना है, रकम अवधारित करने में न्यायालय—

प्रथमः धारा 4 की उप धारा (1) के अधीन की अधिसूचना के प्रकाशन तारीख पर उस भूमि का बाजार मूल्य,

द्वितीयः वह नुकसान, जो हितबद्ध व्यक्ति ने किन्हीं ऐसी खड़ी फसलों या वृक्षों के ले लिए जाने के कारण उठाया जो जब कलक्टर ने उस भूमि पर कब्जा किया, उस समय उस भूमि पर हों,

तृतीयः वह नुकसान (यदि कोई हो), जो हितबद्ध व्यक्ति ऐसी भूमि अपनी दूसरी भूमि से अलग किए जाने के कारण उस समय उठाया हो जब कलक्टर ने उस भूमि पर कब्जा किया,

चतुर्थ: वह नुकसान (यदि कोई हो), जो हितबद्ध व्यक्ति ने उस समय जब कलक्टर ने उस भूमि पर कब्जा किया, इस कारण उठाया हो कि उस अर्जन से उसकी अन्य स्थावर या जगम सम्पत्ति पर किसी अन्य रीति में या उसके उपार्जनों पर क्षतिकर प्रभाव पड़ा है,

पंचम: उस दशा में, जिसमें कि हितबद्ध व्यक्ति कलक्टर द्वारा उस भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप अपना निवास कारबार का स्थान बदलने के लिए विवश हो जाता है, ऐसी तब्दीली से आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हों), तथा

षष्ठम: वह नुकसान (यदि कोई हो), जो धारा 6 के अधीन घोषणा के प्रकाशन के समय और कलक्टर द्वारा उस भूमि पर कब्जा किए जाने के समय के बीच भूमि से लाभों में घटती होने के परिणामस्वरूप सदभाव रहते हुए भी हुआ हो, विचार में लेगा।

(2) भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर उपबन्धित किया गया है, हर मामले में न्यायालय ऐसे बाजार मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि अर्जन के वैवश्यिक प्रवृति का होने के प्रतिफलस्वरूप अधिनिर्णय करेगा।"

अब मैं धारा 24 पढ़कर सुनाता हूं :—

"24. किन्तु न्यायालय निम्नलिखित को विचार में न लेगा—

प्रथम: आत्ययिकता की वह मात्रा जिसके कारण अर्जन किया गया है,

द्वितीय: अर्जित भूमि करने के बारे में हितबद्ध व्यक्ति की कोई अनिच्छा।

तृतीय: उस द्वारा उठाया गया ऐसा कोई नुकसान जो यदि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा कारित होता तो उसके लिए ऐसे व्यक्ति पर वाद न चल सकता,

चतुर्थ: वह कोई नुकसान, जो अर्जित भूमि को उस उपयोग के द्वारा या परिणामस्वरूप धारा 6 के अधीन की घोषणा के प्रकाशन की तारीख के पश्चात होना सम्भाव्य है, जिसमें वह लाई जाएगी,

पंचम: अर्जित भूमि के मूल्य में ऐसी कोई वृद्धि, जो उस उपयोग के परिणामस्वरूप होनी सम्भाव्य है, जिसमें वह भूमि अर्जित हो जाने पर लाई जाएगी,

षष्ठम: हितबद्ध व्यक्ति की किसी दूसरी भूमि के मूल्य में वह कोई वृद्धि, जो उस उपयोगी के परिणामस्वरूप प्रोदभूत होनी सम्भाव्य है, जिसमें अर्जित भूमि लाई जायेगी, अथवा

सप्तम: अर्जित भूमि पर वह कोई लागत या अभिवृद्धि या उसका कोई व्ययन जो कलक्टर की मंजूरी के बिना उस तारीख के पश्चात जो धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन की अधिसूचना के प्रकाशन की है, प्रारम्भ किया गया, किया गया या क्रियान्वित किया गया है।"

महोदय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तीन अनुच्छेदों में दिए गए विभिन्न उपलब्ध ये हैं, जिनके बारे में माननीय संसद सदस्य ने पूछा था। उन्होंने कहा कि किसान को दिया जाने वाला मूल्य अदायगी के दिन का मूल्य होना चाहिए जो कि बाजार भाव होता है भूमि अधिग्रहण अधिनियम के परन्तुकों का विस्तृत करने के बाद मुझे पता लगा कि किसी क्षेत्र का बाजार भाव निर्धारित करने के लिए अधिसूचना जारी करने की तारीख के दिन का बाजार भाव निर्धारित किया जाता है। जब हम किसी प्लाट का बाजार भाव निर्धारित करते हैं तो यह देखना होता है कि क्या उसी किस्म के प्लाट की तुलना में यह भाव ठीक है। आप यह नहीं कह सकते कि अमुक प्लाट किसी कारखाने के निकट या किसी बाजार के निकट है और यदि किसी विशेष क्षेत्र में अधिसूचना की तारीख के दिन बाजार मूल्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित मूल्य भिन्न है तो यह देखा जाता है कि जिस प्लाट का मूल्य निर्धारित किया जाता है वह उस कोटि का है या नहीं। यदि यह खेती की जमीन है तो खेती की जमीन के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार मूल्य निर्धारण किया जाता है और यदि जमीन खेती की नहीं है तो मूल्य निर्धारण भिन्न तरीके से किया जाता है। किसी दी गई तारीख को किसी विशेष भू-खण्ड के निर्धारण के लिए क्षेत्र की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। परन्तु यह तारीख अधिसूचना जारी करने की तारीख होती है न कि उस प्लाट के कब्जा लेने की तारीख जिनका मूल्य निर्धारण किया गया है।

माननीय सदस्य ने कहा है कि दिल्ली डेवेलपमेंट एथारिटी में डेवेलपमेंट के लिए केवल 4 करोड़ रुपया रखा गया है। मैंने अभी डीटेल में यह अध्ययन नहीं किया है कि दिल्ली डेवेलपमेंट एथारिटी में किस किस एक्टिविटी के लिये कितना कितना पैसा रखा गया है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को कह सकता हूं कि दिल्ली डेवेलपमेंट एथारिटी को डेवेलपमेंट के लिए जितना पैसा चाहिए, उतना उसके पास उपलब्ध है। लेकिन वह डेवेलपमेंट का काम फ़ेजिज में करता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आज 500 या 5000 एकड़ जमीन एक्वायर की जाए, तो उस पूरी जमीन पर डेवेलपमेंट शुरू हो जाए। देखना पड़ता है कि कौन सी जमीन इसके लिये उपलब्ध है। मैंने माननीय सदस्य, श्री पायलट, के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि बहुत सी भूमि है, जो स्टे आर्डर के अधीन आ चुकी है, जिस पर हम लैंड एक्वीजीशन के तहत कार्यवाही कर चुके हैं, लेकिन उस पर डेवेलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बारे में अदालत का हुक्म हमारे सामने है। जब तक स्टे आर्डर खत्म नहीं हो जाता, तब तक उसका डेवेलपमेंट नहीं हो सकता।

इसके अलावा और भी बातें है। जैसे, रोड डेवेलपमेंट है, स्युअर है। अगर कनेक्टिंग स्युअर न मिले, तो हम आइसोलेशन में स्युअर कायम नहीं कर सकते, उसके लिए फुलस्केल स्ट्रक्चर और लिंकिंग सार्वेसिज होनी चाहिये। यह कोशिश की जा रही है कि जो एरिया एक्वायर किया जाता है, उसको फेजिज में जल्दी से जल्दी डेवेलप किया जाये। सदन को यह जान कर खुशी होगी कि जिस स्केल पर और जिस गति से दिल्ली डेवेलपमेंट एथारिटी ने दिल्ली में हाउसिंग के लिए अरबन लेंड कनेलेबल की है, खासकर पिछड़े लोगों के लिए, कमजोर वर्गों, इकानोमिकली वीकर सेक्शन्ज, के लिए, उस स्केल पर और उस गति से देश के किसी भी

मेट्रोपालिटन सिटी में नहीं हुई है। इस बारे में माननीय सदस्यों को किसी प्रकार की शंका और चिन्ता नहीं होनी चाहिये ।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि डेवेलपमेंट चार्जिज में बढ़ोतरी क्यों हुई है, जो आज से तीन चार साल पहले 120 रुपए थी और अब 480 रुपये है। मैंने 480 रुपए नहीं कहा है। माननीय सदस्य शायद कहीं से गलत खबर लाए हैं। मैंने शायद 418 रुपये कहा है। मैंने कहा है कि सीमेंट और लोहे की कीमतें बढ़ी हैं, लेइग आफ रोइज, पुटिंग दि स्युअर्ज और हास्पिटल्ज बनाने में ज्यादा खर्चा होता है। सामान का मूल्य बढ़ रहा है और हमें इस सभी सामान के बाजार मूल्यों को ध्यान में रखना है। इसलिये आवास के लिये भूमि के विकास की लागत बढ़ रही है यह असमान्य नहीं है। यदि आप दिल्ली मूल्य स्थिति का अध्ययन करें तो अंतर का पता लग जायेगा। आप दिल्ली की इलाहबाद से तुलना नहीं कर सकते। ऐसा कहने का मेरा मतलब यह नहीं है कि मुझे वह स्थान पसंद नहीं है। उस स्थान के लिए मेरे दिल्ली में इज्जत है। मैं इलाहबाद को बहुत पसंद करता हूँ। यहां हमारी संस्कृति की फांकी मिलती है और यह ऐतिहासिक स्नान है। परंतु इलाहबाद के जीवन स्तर की तुलना दिल्ली से नहीं की जा सकती। यह दिल्ली से बहुत कम है; इलाहबाद में एक रुपये कि कितने ही किलो अमरुद आ जाते हैं, जबकि दिल्ली में 6, 7 रुपये किलो भी नहीं मिलते। आप इलाहबाद को दिल्ली से कैसे कम्पेयर कर सकते हैं? इलाहाबाद का अमरुद दुनियाभर में मशहूर है। वह बड़ा सुर्ख और मीठा होता है। (व्यवधान) तिवारी जी लाते तो नहीं है लेकिन सुना है बडा जूस निकालता है उसमें इलाहबाद में भूमिका मूल्य दिल्ली से कम है क्योंकि दिल्ली में मूल्य बहुत से कारणों से बढ़ रहे हैं। यह राजधानी है, जनसंख्या मे वृद्धि हो रही है और लोग दिल्ली में भूमि के वैकल्पिक प्रयोग कर रहे हैं। अतः इसकी तुलना इलाहबाद से नही की जा सकती।

जैसा मैंने अर्ज किया, यह बढ़ोतरी जो हो रही है वह प्राइस इंडेक्स के साथ साथ हो रही है। फिर भी जैसा आपने आदेश दिया है, मैं अफसरों के साथ बैठ कर देखूंगा कि अगर इसमें किसी किस्म की कोई असंगति हुई है तो उसको दूर करने की कोशिश की जाए।

आपने कहा है कि डी डी ए मुनाफा खोरी बहुत करती है लेकिन में इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। सिर्फ इतना ही नहीं है कि डी डी ए हाउसिंग के लिए प्लाट डेवलप करके दे दे बल्कि जब डेवेलपमेंट हो जाता है तब पावर्स स्कूल्स, हास्पिटल्स और जन सुविधा की दूसरी चीजें भी बनानी होती हैं लेकिन इन चीजों को कभी किसी ने जोड़ा नहीं। डी डी ए जो राहत के काम करती है उनको भी अगर एकाउन्ट में लिया जाए तो मैं नहीं समझता डी डी ए कोई मुनाफाखोरी कर रही है। बल्कि वह बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली की जनता की सेवा का काम कर रही है।

आपने यह भी जिक्र किया कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने डी डी ए की कुछ आलोचना की हैं। पी ए सी ने अपनी 104 वहीं रिपोर्ट में लैंड एक्वीजीशन के सम्बन्ध में जो कहा है (चूंकि यह कालिंग अटेंशन इसी विषय पर है) उसी के ऊपर अपना जवाब सीमित रख रहा हूं।

पब्लिक एकाउन्टस कमेटी ने अपनी आलोचना में तीन मुद्दे पेश किए हैं :

(क) अधिग्रहण कार्यवाही प्रथम नोटिस की तारीख से किसी विशेष अवधि, दो वर्ष से अधिक नहीं, के अन्दर पूरी होनी चाहिए।

(ख) मालिक को भूमि का मूल्य उस बाजार के मूल्य पर दिया जाना चाहिए जो कि अधिग्रहण आदेश के दिन निकटवर्ती क्षेत्र में है।

(ग) जिस मालिक की भूमि अधिग्रहण किया गया है जो उसी क्षेत्र में कम से कम एक प्लाट दिया जाना चाहिए।

(घ) जिस परिवार की भूमि का अधिग्रहण किया है उसके कम से कम एक सदस्य को उपयुक्त रोजगार दिया जाना चाहिए।

जैसा कि मैंने कहा है, इस सदन के सामने लैंड एक्वीजिशन कक्ट में अमेंडमेंट पेंडिंग है। मैं रूरल डेवेलपमेंट मिनिस्टर साहब से चर्चा करके कोशिश करूंगा कि 30-4-82 को जो संशोधन विधेयक यहां पर पेश किया गया था, उस पर जल्दी से जल्दी विचार किया जाए ताकि किसानों को राहत देने का काम हो सके।

पब्लिक एकाउन्टस कमेटी का जो पहला प्वाइन्ट है उसके सम्बन्ध में मेरा इतना ही अनुरोध हैं कि लैंड एक्वीजिशन इसलिए भी हम करते हैं क्योंकि बहुत से जो दर्म्यानी लोग हैं, प्रापर्टी डीलर्स हैं वे प्राइस स्पेकुलेशन करते हैं उनको रोकने के लिए भी एडवांस नोटिफकेशन फार एक्वीचिशन करना पड़ता है ताकि लैंड के लेनदेन का जो काम है उसको फ्रीज कर दिया जाए, रोक दिया जाए वरना जो समाज विरोधी मिडलमेन हैं वह उस एरिया में चले जाते हैं और किसानों को लूटते हैं। उनको इसके लिए मौका देना जनहित में नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने जो आदेश दिए हैं उन पर हम जल्दी अमल करने की कोशिश करेंगे लेकिन जैसा मैंने कहा लैंड एक्वीजिशन प्रोसीडिंग्ज में हम जल्दी इसलिए करते हैं ताकि उस एरिया में दर्म्यानी लोग जाकर किसानों को लूट न सकें।

दूसरी बात आपने मार्केट प्राइस के बारे में कही है। जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया है कि इस भूमि अधिग्रहण अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कार्य करते हैं। धारा 4 के अन्तर्गत किसान या मालिक का मूल्य की अदायगी करनी होती है। धारा 4 में स्पष्ट लिखा है कि मूल्य की अदायगी डाक सूचना की तारीख के हिसाब से की जाएगी न कि वास्तविक अधिग्रहण की तारीख से।

तीसरी बात आपने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की कही है। एक आदमी को प्लाट मिलना चाहिए। मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा है और अब भी जाहिर करना चाहता हूं कि यह पहले ही प्रावधान है कि जिसका लैंड एक्वायर करते हैं, उसी एरिए के अपासपास उसको एक प्लाट देते हैं। प्लाट पर वह अपना घर बना सकता है और काम कर सकता है। उसका साइज 200-250 याड्र्स या 40 परसेंट लैंड का होता है, जो भी इसमें कम हो।

इसी प्रकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई दुकानों में 10 प्रतिशत दुकानें पूर्ण निर्धारित दरों पर लाई। निकाल कर भूमि के मालिकों को दी जाती हैं ताकि वे अपनी रोजी-रोटी कमा सकें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी सदन में एक संशोधन रखा है जो लंबित पड़ा है। मुझे आशा है आप इसे आप समझेंगे।

परिवार के सदस्य को रोजगार देने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था। परन्तु कुछ कानूनी अडचनों के कारण इसे छोड़ दिया गया क्योंकि कुछ संवैधानिक कठिनाइयां हैं जो संविधान के उपबन्धों के विपरीत हैं। परन्तु हर तरह से किसानों, के विशेषकर, और जिन की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है उनके हितों का ध्यान रखा जाता है। और हम उस बात का प्रयास करते हैं कि कम से कम गडबड हो और इस बात का भी प्रयास करते हैं कि उन्हें वैकल्पिक प्लाट मिलें और ऐसे अवसर देते हैं कि वे अपना निवास स्थान बना सकें।

श्री तिवारी द्वारा उठाए गए मुख्य प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने काफी विस्तारपूर्वक उत्तर दिया है ब्रिजेन्द्रपाल सिंह अनुपस्थित हैं।

———

भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दिल्ली में कृषि के आबन्टन के बारे में तारांकित प्रश्न सं० 578 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में 11 अप्रैल 1983 को दी गयी जानकारी में शुद्धि करने के लिए एक वक्तव्य

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : तारांकित प्रश्न संख्या 578 की अनुपूरक टिप्पणियों के उत्तर में 11·4·83 को लोक सभा में हुई बहस के संदर्भ में रिकार्ड पढ़ने के पश्चात मुझे अनुभव हुआ कि माननीय सदस्यों पर यह प्रतिक्रिया होने की सम्भावना है कि योजना को समाप्त करने का सरकार के निर्णय का एकमात्र कारण इस योजना के प्रति अल्प उत्साह है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जबकि बाजार दर काफी अधिक ऊंची है, अप्रवासी भारतीयों, जो कि धनाढ्य वर्गों में से हैं, को 200/- रुपए प्रति वर्ग गज पर रिहायशी प्लाटों का आबंटन करने का विचार लोकहित में नहीं होगा। इस निर्णय पर पहुंचने पर इस विचार ने भी सरकार के ऊपर प्रभाव डाला है।

अत: कार्यवाही को पृष्ठ संख्या 14936 पर "दिल्ली विकास प्राधिकरण" के स्थान पर "सरकार" प्रतिस्थापित कर तथा पृष्ठ सं० 14937 पर जून 1981 के स्थान पर "अगस्त. 1981" प्रतिस्थापित कर संशोधन किया जाए।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हरियाणा राज्य से अनाज बाहर ले जाने पर हरियाणा सरकार द्वारा लगाई गई पाबन्दी

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान

और पंजाब का वह क्षेत्र जिसमें गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी होती है और इस दफा बिजली पानी वक्त पर न मिलने के कारण फसल बहुत अच्छी पहले भी नहीं थी परन्तु उसके उपरान्त ओलावृष्टि, भारी वर्षा और तेज हवा ने फसलों को बहुत नुकसान पहुँचाया। फिर भी मामूली फसल जो किसान के पास बची वही उनकी जीविका का आधार है। अभी अधिकारियों ने गैर कानूनी तौर पर किसानों के अनाज को दिल्ली के बाजार में लाने पर रोक लगा दी है जिससे कि वह अपनी फसल की कीमत पुरा नहीं उठा सकता।

इससे मुनाफाखोरों को फायदा हो सकता है, जो किसानों को पूरी कीमत न देकर दिल्ली में ज्यादा कीमत वसूल लें। ये अफसर नेता और व्यापारी मिलकर ऐसा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यह गैर-कानूनी पाबन्दी तुरन्त हटे। किसानों को शोषण बहुत दिनों तक किसान बरदाश्त नहीं कर सकते। यही हालत आगरा, मेरठ, उत्तर प्रदेश डिवीजन के किसानों की और भरतपुर, गंगानगर, राजस्थान के किसान और पंजाब के किसानों की है। मैं चाहूंगा कि सरकार तुरन्त संबंधित अधिकारियों को आदेश दे कि किसानों को जो कीमत जहां वह अच्छी वसूल कर सके वहां अपना अनाज ले जाने का उन्हें अधिकार होना चाहिए। स्पोटं प्राइस का मतलब लूट-खसोट प्राइस नहीं है, जैसा कि सरकार कर रही है। जब कि जोन हटा दिए हैं और फ्री ट्रेड है, फिर ऐसा क्यों हैं ? (इति)

(दो) बिहार में ऊर्जा संकट

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में विद्युत संकट के कारण स्थिति बड़ी दयनीय है। कई वर्षों से इस राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता ताप विद्युत-शक्ति से 795 मेगावाट तथा पन-बिजली प्रतिष्ठानों से 150 मेगावाट है यानी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 945 मेगावाट है।

विगत दस वर्षों से सिर्फ लगभग 200 मेगावाट की वृद्धि हुई है। बिहार में अभी 2500 मेगावाट विद्युत-उत्पादन का संयंत्र चाहिए। जो कुल उत्पादन-क्षमता 945 मेगावाट की है, इसमें एक-चौथाई संयंत्र भी सही ढंग से आज काम नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर लगभग 200 मेगावाट से अधिक शक्ति अभी भी काम नहीं कर रही है।

विद्युत संकट के कारण पेयजल की पूरे राज्य में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। 72 घंटों तक बिजली बन्द रहने के कारण पेयजल की समस्या ने लोगों को व्याकुल कर दिया है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 72 घंटों तक काम बंद रहा।

विगत खरीफ की फसल विद्युत की कमी के कारण ही नष्ट हो गई। गांव में एक-एक सप्ताह तक बिजली गायब रहती है, जिसके कारण लोग बिजली के तार तथा ट्रान्सफार्मस चुरा कर ले जाते हैं।

अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि जो भी बिहार में आज विद्युत की उत्पादन क्षमता है उसे ज्यादा से ज्यादा संयंत्रों को ठीक करके आपूर्ति कराई जाए तथा नई विद्युत परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र चालू किया जाए।

(तीन) उन किसानों को, जिनकी फसलें हाल में वर्षा तथा ओला वृष्टि से नष्ट हो गई हैं, राहत देने की मांग

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में हाल की असमायिक वर्षा एवं ओला दृष्टि से खेतों में खड़ी रबी की फसल एवं खलिहानों में आई फसल की अत्यधिक क्षति हुई है, जिसके बारे में समाचार-पत्रों में भी समाचार छपे हैं।

यह दुर्भाग्य ही है कि पिछले वर्ष भी इन्हीं क्षेत्रों में असामयिक वृष्टि एवं उपल वृष्टि हुई थी जिससे किसानों का बड़ा नुकसान हुआ था तथा अनाज का उत्पादन आशा से कम हुआ था तथा कहीं-कहीं पारसाल की देवी मार से किसान संभल नहीं पाया था कि इस वर्ष पुनः वही देवी विपत्ति आई।

मेरा कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि असामयिक वृष्टि तथा उपल वृष्टि से प्रभावित किसानों, गांवों तथा नजपदों को राहत देने की व्यवस्था करें।

(चार) मद्रास में हुई उस घटना की जिसमें सात सीमा शुल्क अधिकारियों की जाने गई हैं, न्यायिक जांच करवाने की आवश्यकता

डा कलानिधि (मद्रास सेंट्रल) : 15 अप्रैल, 1983 की सुबह सीमा शुल्क अधिकारियों को ले जा रही एक लॉन्च के डूब जाने से सात सीमा शुल्क अधिकारियों की बड़ी दुखान्त परिस्थितियों में मृत्यु हुई।

मद्रास सीमा शुल्क विभाग के पास तस्करी विरोधी कार्यवाहियों के लिए सुसज्जित तथा सदुप में चलने योग्य अच्छे किस्म के लांच नहीं है। यह प्राईवेट मालिकों के लांच लेता है। यह विभाग तट रक्षक या नौ सेना या पोर्ट ट्रस्ट के लांच नहीं लेता सीमा शुल्क विभाग ने इन अधिकारियों खराब मौसम में छानबीन ने लिए ऐसा प्राइवेट नौका में जाने के लिए कहा जिसमें जीवन रक्षक नौका, जीवन रक्षक जैकेट आदि जैसे जीवन रक्षक उपकरण नहीं थे। सीमा शुल्क विभाग के रिकार्ड में 'एम० वी० जल यमुना' पोत वाली सूची में है तथा इसमें तस्करी की जाती थी। कोलम्बो से आते हुए यह पोत जब मद्रास आने से पहले बम्बई और कोचीन बन्दरगाहों पर पहुंच चुका था तो सीमा शुल्क विभाग ने खराब मौसम में छानबीन के लिए कैसे आदेश जारी किए सीमा शुल्क निरोधक सेवा में नए भर्ती किए कर्मचारियों को तैरने, अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों की तकनीक आदि के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया गया। सीमा शुल्क विभाग, मद्रास के पास हथियार हैं परन्तु उनका उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि इनका उपयोग करना कोई नहीं जानता। सीमा शुल्क मद्रास काफी अर्जन किया है परन्तु आधुनिक हथियारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है इन परिस्थितियों में 15 अप्रैल, 1983 की घटना की मैं न्यायिक जांच की मांग करता हूं।

(पांच) बैंकों द्वारा दैनिक निक्षेप संग्रह योजनाओं को पुनः आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : वित्त मंत्री द्वारा दिए गए इस आश्वासन के बावजूद कि सरकार ने इण्डियन बैंक एसोसिएशन से 'डेली डिपाजिट कलेकशन स्कीम' को जारी रखने

के लिए अनुरोध किया है, बहुत से बैंकों में डिपाजिट कलेकटरों को नौकरी से हटाया जा रहा है कुछ बैंकों ने इस योजना को धीरे-धीरे चलाने तथा नए खातों के लिए इन्कार करके इसे बन्द करने का कदम उठाया था ताकि समय बिताकर वर्तमान खातों की अवधि समाप्त हो जाए और जमा की गई धनराशि और उस पर अर्जित कमीशन शून्य हो जाए। सिंडीकेट बैंक ने योजना को जारी रखने का निर्णय किया था परन्तु इसे इतना अनाकर्षित तथा जमकर्ता के लिए अलाभकारी बना दिया कि यह अव्यवहार्य बन गई।

जब तक योजना को सभी बैंकों में पुनः शुरू नहीं किया जाता धनराशि एकत्रित करने वाले हजारों व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे और देश में सामाजिक तनाव बढ़ेगा।

बैंकों ने इस योजना का बंद करने का कारण बताया है कि यह लाभप्रद नहीं है। परन्तु यदि योजना अलाभप्रद है तो इसका समाधान यह तो नहीं कि इसे बंद कर दिया जाए परन्तु इसे बेहतर तरीके से लाभप्रद बनाया जाए। इस कार्य में लगे हजारों व्यक्तियों की दिहाड़ी कम करने या इसे बंद करने से इसका समाधान नहीं होगा। जिन लोगों ने अनुभवज्ञता के आधार पर इसे बन्द किया है उन्होंने 'डेली डिपाजिट कलेकशन स्कीम' की विकासात्मक संभाव्यता और मुद्रा स्फीति विरोधी संभाव्यता की ओर ध्यान नहीं दिया।

अतः, मेरा अनुरोध है कि जहां इस योजना को बंद किया गया है वहां इसे शीघ्र पुनः चालू किया जाए और जब तक एक निष्पक्ष समिति इसके प्रश्न पर विचार नहीं करती है और सभी बैंकों में समान क्रियान्वित के लिए योजना का मानकीकरण नहीं करती है तब तक इस योजना को व्यवहार्य बनाने के लिए पहले की भाँति उदार बनाई जाये।

(छः) उत्तर प्रदेश के आंवला निर्वाचन क्षेत्र का शैक्षिक. सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने की आवश्यकता

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने लोक सभा संसदीय क्षेत्र आंवला की ओर केन्द्र एवं राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बरेली-बदायूं जिले मे स्थिति 5 विधान सभा क्षेत्र जिनमें आंवला सना, फरीदपुर, दातागंज और विनावर शामिल हैं, बहुत ही पिछड़े हुए हैं। पूरे क्षेत्र में एक भी उद्योग एवं कारखाना नहीं है और एक भी डिग्री कालेज एवं केन्द्रीय स्कूल नहीं है। इस क्षेत्र के लोग साधन न होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार है और विकास के साधन न होने के कारण यहां के किसानों एवं दस्तकारों को भी अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इस क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए केन्द्रीय विद्यालय, डिग्री कालेज स्थापित होने चाहिए। इस क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए शाहजहांपुर कटरा हो कर दातागंज, बिनावर, बदायू व बजीरगंज और चंदौसी को जोड़ने वाली बड़ी रेलवे लाइन की आवश्यकता है। फरीदपुर और दातागंज को जोड़ने के लिए रामगंगा पर पुल बनाना भी जरूरी है।

इस क्षेत्र के कृषि उत्पादन का सही उपयोग नहीं हो पाता। फरीदपुर दातागंज एवं आंवला में चीनी कारखाना स्थापित होना चाहिए और सूती कताई मिल, कागज फैक्टरी, तिलहन का कारखाना बनाना जरूरी है। इंजीनियरिंग तथा मैडिकल कालेज भी बनाना जरूरी है।

आंवला संसदीय क्षेत्र के विकास खंड में सड़कें बनाने की व्यवस्था की जाए। जिन गांवों में लोग सरकारी नलकूपों द्वारा सिंचाई करना चाहते हैं उन गांवों में अविलम्ब सरकारी नलकूप लगवाए जाएं। प्रत्येक वर्ष रामगंगा नदी में बाढ़ आ जाती है जिससे बहुत अधिक बरबादी होती है। गंगा और रामगंगा के तट पर ऊंचा बांध बनवा कर उनके किनारे वृक्षारोपण कर बांध के ऊपर पक्की सड़क बना दी जाए।

सरकार का ध्यान उपरोक्त समस्या की ओर विशेष रूप से दिला रहा हूं और आशा करता हूं कि आंवला क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र व राज्य सरकार अविलम्ब कदम उठावेंगी।

(सात) जयश्री केमिकल्स लि० के अपसृकों से ऋषि कुल्या नदी के पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय करने की आवश्यकता

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैसर्स जयश्री केमीकल्स लिमिटेड क्लोरीन गैस निकलने के कारण वायु प्रदूषण के खराब प्रभाव के कारण गंजम जिले की परिस्थितिकीय स्थिति बहुत ही खतरनाक हो गई है।

जय श्री कैमीकल्स लिमिटेड, जो एक भारी रसायन उद्योग है, वो उच्छिष्ट पदार्थ बहकर ऋशीकुल्या नदी में जाते हैं तथा इससे निकलने वाली क्लोरीन गैस हवा में चली जाती है जिससे इस क्षेत्र में प्रदूषण हो रहा है और लोगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस संयंत्र के कारण मछली उत्पादन कम हो गया है जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है।

जनता ने पिछले 15 वर्षों में राज्य तथा केन्द्र सरकारों को कई अभ्यावेदन भेजे हैं। परन्तु प्रदूषण के रोकने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किया गया है। संयंत्र से निकलने वाला आर्गेनिक पारा, जिससे कास्टिक सोडा बनता है. समुद्र में जाकर मिथाइल पारा बन गया। जो व्यक्ति समुद्री पदार्थों का सेवन करते हैं उनके पेट में यह चला गया और भंयकर रोग का कारण बना। ऋशी कुल्या नदी में पारा प्रदूषण का भी पता चला है।

उक्त परिस्थितियों में गंजम जिले के लिए मानसिक तथा शारीरिक रूप से घुटन महसूस कर रहे हैं। यदि प्रदूषण को रोकने के लिए तुरन्त उपाय नहीं किए जाते सारा गंजम जिला प्रदूषित हो जाएगा।

पूरे जिले के लिए यह जीवन और मौत का प्रश्न है। इसके अतिरिक्त यदि समय पर कदम नहीं उठाए गए तो निकटवर्ती जिलों में फैल रही खतरनाक बीमारियों को नहीं रोका जा सकता।

मेरी मांग है कि भारत सरकार सम्बन्धित प्राधिकारियों को प्रदूषण रोकने के लिए निदेश जारी करे तथा जयश्री कैमीकल्स लिमिटेड को परामर्श दिया जाए कि वह और समय बर्बाद किये बिना संभव उपचारात्मक उपाय करें।

(आठ) सिंह भूम जिले (बिहार) में रोड़ी एस्बेस्टस खान चैबासा के मजदूरों की समस्याएं

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : हैदराबाद एस्बेस्टास सिमेंट प्रोडक्ट्स द्वारा बिहार

के सिंह भूमि जिले के चाइबासा में रोरी एस्बेस्टॉस खान का संचालन किया जा रहा है। 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस खान से प्रतिवर्ष 4 से 5 लाख मी० टन एस्बेस्टास निकाला जाता है जो देश का सर्वोत्तम एस्बेस्टास है।

परन्तु इस खान में काम करने वाले 1500 आदिवासी श्रमिकों के लिए यह खान घातक साबित हो रही है। जब मजदूरों के संगठन यूनाइटेड माइन्स वर्कर्स यूनियन ने इस बात की जांच कराने की मांग की तो आठ मजदूरों को बर्खास्त कर दिया गया। मजदूरों को सिर्फ 7 से 10 रुपया दैनिक मजदूरी दी जाती है। उन्हें न आवास की सुविधा उपलब्ध है और न ही पहाड़ी के ऊपर स्थित खान में पहुँचने के लिए किसी भी प्रकार के परिवहन की सुविधा। उनको बिजली भी नहीं दी गई है। उनके लिए कोई कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं चलाया गया है। खान के अस्पताल में न तो एक्स-रे मशीन है और न वैज्ञानिक जांच की कोई अन्य सुविधा।

केवल इस खान में काम करने वाले मजदूरों की ही बात नहीं, इस खान की वजह से आसपास के आदिवासी गांवों के निवासियों के स्वास्थ्य को भी खतरा उत्पन्न है। खान के पास ही क्रशर प्लांट लगा हुआ है जिसमें कच्चा एस्बेस्टास तोड़ा जाता है। एस्बेस्टास को इस संयंत्र के पास खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। खान और क्रशर संयंत्र से निकलने वाली धूल खान क्षेत्र और आसपास के आदिवासी गावों में पहुंचती है जिससे अधिकांश आदिवासी लोग टी०बी० एवं कैंसर के शिकार होते हैं। देश के अन्य भागों में स्थित सभी सीमेंट और एस्बेस्टास कारखानों में धूल से होने वाली स्वास्थ्य संबन्धी हानि को रोकने के लिए थर्मल प्रिसिपिटेटर लगाए गए हैं जबकि रोरी खान में ऐसी एहतियाती व्यवस्था नहीं की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ०) के राबर्ट जान हैमिल्टन तथा सहायक महा निदेशक (खान), डा० बी० के० सेनगुप्त द्वारा यहां पर एक सर्वेक्षण किया गया। इससे भी स्पष्ट पता चला है कि खान से न सिर्फ खान में काम करने वाले मजदूरों को ही बल्कि आसपास के गांवों के आदिवासी लोगों के जीवन को भयंकर खतरा हैं। लेकिन इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है।

अनुदानों की मांगें, 1983-84

वाणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम वाणिज्य मंत्रालय और पूर्ति विभाग से सम्बद्ध अनुदान मांगों पर विचार शुरू करते हैं। श्री व्यास खड़े हुए थे।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिटको के बारे में जिक्र कर रहा था। मिटको के अधिकारी बड़े-बड़े पूंजीपतियों से मिले रहते हैं और उनका सामान खरीदते हैं। जो गरीब लोग खान चलाते हैं, उनका सामान खरीदने वाला कोई नहीं है। इसी-

लिए, मैंने कहा था कि दस हजार मजदूर भीलवाड़ा जिले में मिटको की वजह से बेकार हो गए हैं। हमारी सरकार और हमारी नेता श्रीमती गांधी की जो मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्पलायमेंट दिया जाए; वह पूरी नहीं होगी। लेकिन यह संस्था इस प्रकार से गड़बड़ी करके लोगों की रोजी-रोटी छीन रही है। इस प्रकार की अव्यवस्था की ओर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। मैंने शुक्रवार को भी जिक्र किया था और अब फिर कर कर रहा हूं कि मिटको पांच नम्बर के से नीचे का माईका नहीं खरीदती है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि भीलवाड़ा जिले में इससे नीचे के नम्बर का माइका खरीदा जाए। हमें कहा गया था कि पांच नम्बर से नीचे का माईका मिटकों खरीदेगी। लेकिन, मिटको उसको नहीं खरीद रहीं है जिसकी वजह से सारी की सारी इंडस्ट्री बेकार पड़ी हुई है। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे मिटको के द्वारा इस प्रकार के माईका को खरीदा जाए तो इससे हजारों मजदूरों को रोजी-रोटी मिल सकेगी। माईका के पेपर के बारे में मैं पिछले तीन साल से बराबर डिमान्ड्स पर बोल रहा हू। माईका, बिहार, आन्ध्रा और राजस्थान में होता है। बिहार में आपने माईका पेपर इण्डस्ट्रीज कों स्वीकृति दे दी है। राजस्थान के लिए पहले तो हमारा केस रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन जब हमने सरकार से रिप्रजेन्ट किया तो दुबारा केस को ओपन किया है। वहां पर जो माईका वेस्ट है, उससे कागज बन सकत है। इससे हजारों लोगों की रोजी-रोटी मिल सकती है और फॉरेन-एक्सचेंज भी हम लोग कमा सकते हैं। इस प्रकार की एक इण्डस्ट्री भीलबाड़ा में अगर लग जाए तो माइका वेस्ट का उपयोग हो जाएगा और हजारों लोगों को रोजी-रोटी भी मिल जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था नितान्त आवश्यक है।

अब मैं काटन कारपोरेशन आफ इन्डिया के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कहीं पर तो ज्याद पैसा देकर काटन खरीद लेती है और कहीं पर कांटन की खरीददारी समय पर नहीं की जाती। इसकी वजह से बिचोलियों को मुनाफा कमाने का मौका मिल जाता है। यह संस्था इसलिए लनाई गई थी कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले हैं। पिछले साल टोटल प्रोडक्सन 80 लाख का हुआ था लेकिन सरकार केवल 10 लाख गाठें ही खरीदी। बाकी गाठें बिचोलियों के द्वारा खरीदी जायेंगी। बिचौलिए किस प्रकार की स्थिति पैदा करते हैं, यह सरकार से छिपा हुआ नहीं है? महाराष्ट्र में तो आपने। सरकारी खरीद कंपलसरी बनादी है। दूसरे स्टेट्स में सी०सी०आई० के अलावा कोई और संस्था नहीं है जो काटन को खरीदे और उसकी वाजिब कीमत लोगों को प्राप्त हो सके। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सारी की सारी कॉटन इस कारपोरेशन के द्वारा खरीदी जानी चाहिए ताकि किसानों को उनका पूरा पैसा मिल सके। आपका जो स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन है, वह विदेशों से सामन मंगाता है। एडीबल ऑयल मंगाया जाता है क्योंकि यहां पर बहुत कमी है। करोंडों रूपया इस पर खर्च करते है। यह चीज लोगों को ठीक प्रकार से मिल रही है या नहीं यह भी देखना चहिए। इतना करोड़ ओर अरबों रूपया इस पर खर्च होता है। तो उस हालत में ऐडिबिल आयल की क्या व्यवस्था है। सं एस०टी०सी० के बारे में कह रहा हूं, वितरण व्यवस्था के बारे में नहीं, एस०टी०सी० इस सामान की मंगाती है, अरबों रू० का व्यापार करती है, क्या आपने उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार कोई जानकारी की है कि किस किस तरीके की गड़बड़ियां है? जब तक यह आप नहीं देखेंगे तब तक

काम ठीक नहीं चलेगा। सारा इम्पोर्ट इसके जरिये होता है; और अगर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ हो तो देश की जनता को बहुत बडा नुकसान होता है। अतः आप इस ओर जरूर ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही पिछले ही पहले दिन यह बात कह चुके हैं, आपकी पुनरावृत्ति क्यों कर रहें है ? यह बात पहले से ही कार्यवाही वृतान्त में है ? आप पहले ही वस्त्र आयुक्त के बारें में बोल चुके हैं। अब मैं आपको बोलने से रोक दूंगा। आप उसी बात को दोहरा रहे है जिसे आप पहले ही कह चुके हैं। कृपया अब अपनी बात समाप्त करिए

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं रिपीटीशन नहीं कर रहा हूं। टैक्सटाइल्स कमिश्नर आफिस को कपड़े के बारें में कोई जानकारी नहीं है कि एक आदमी को कितना कपड़ा मिलना चाहिये, क्या पौलिसी होनी चाहिये कपड़ा उत्पादन की इस सम्बन्ध में इस संस्था को कोई ज्ञान नहीं है। अपने यहां वूलन कपड़ा कितना बनना चाहिये इस देश में इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार का सफेद हाथी जिस पर करोड़ों रू० देश खर्च कर रहा है उसकी व्यवस्था को आपको देखना चाहिये। यह संस्था केवल पूंजीपतियां को लाभ देने के लिये नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों लोगों को कपड़ा देने के लिये, मजदूरों को ठीक से मजदूरी उपलब्ध हो, देश का उत्पादन बढ़े, इसी लिये यह संस्था बनायी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा। जो कुछ भी वह बोले उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए। श्री राजदा।

(व्यवधान)

आप पहले ही 18 मिन्ट ले चुके हैं। कृपया अपनी बात समाप्त करिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आखिरी बात एन०टी०सी० के बारे में कहना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि इसकी मिलों में घाटा चल रहा है। तो 112 मिलों को घाटे में चलाते हुए भी जो कंट्रोल का कपड़ा लोगों को उपलब्ध हो सके इसकी व्यवस्था आपको बड़े पैमाने पर करनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण इस मंत्रालय के लिए पांच घंटे का समय आबंटित किया गया था और एक घंटा एवं 35 मिन्ट हम पहले ही समाप्त कर चुके हैं। अब इस लिए तीन घंटे तथा 25 मिन्ट और बाकी हैं। 4-30 बजे शाम को सभी महोदय को चर्चा का उत्तर देना है। इस लीये, राज्यमंत्री और उपमंत्री भी इसमें भाग लेंगे। विपक्ष को एक घंटे का समय दिया गया है, सत्तारुढ दल को दो घंटे 15 मिन्ट का समय दिया गया है। और शाम 4-30 बजे मंत्री को उत्तर देना है। इसके पश्चात 6बजे हमे गिलोटिन भी करनी है यह बात आपको मालूम है क्योंकि नियमों से आप अवगत हैं। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा जो भी समय प्रत्येक दल को आवंटित किया गया है, उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। यदि कोई उस समय सीमा का उल्लंघन करता है तो उसके अपने दल के अन्यसदस्यों को बोलने की अवसर नहीं

मिलेगा। उस स्थिति में अध्यक्ष पीठ पर दोष नहीं लगाना चाहिए। इसलिए मैं वही समय दूंगा जैसाकि समय अवंटित किया गया है और सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे समय का ध्यान रखे ताकि कुछ अन्य सदस्य बोल सकें। अब श्री राजदर बोलेंगे, आपके दल को 12 मिन्ट का समय दिया गया हैं।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) मैं समझता हूं मैं इस समय का पालन करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : निश्चय ही। मैं जानता हूं आप कड़े अनुसाशन प्रिय संसद विद है।

श्री रतन सिंह राजदा : इस समादर के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका भाषण समाप्त होने के पश्चात, थोड़े समय के लिए राज्यमंत्री महोदय बोलेने और चर्चा का अंतिम रुप से उत्तर दिया जाना मंत्री महोदय पर ही छोड़ देंगे।

श्री रतन सिंह राजदा : हमारे देश के आर्थिक मामलों में वाणिज्य मंत्रालय की अत्यन्त महत्वपूर्ण पूर्ती की है। वित्त मंत्री महोदय आमनागरिको की जेसे पैसा तो निकलवा सकते हैं लेकिन इस देश को भी विकास करने वाली अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण निगरानी। वाणिज्य मंत्रालय के कंधो पर है। मैं नए वाणिज्य मंत्री का स्वागत करता हूं। मुझे बताया गया है कि वे प्रशासनिक क्रशामु बुद्धि के व्यक्त हैं और भारी संकट के समय की उन्होने यह प्रदार्शत कर दिया है कि वे ऐसे व्यक्ति हैं जो सार्वजनिक जीवन में कुछ सिद्दान्तों की खातीर दृढ़ रहते है कांग्रेस मुख्यमंत्रीयों से हमने संसद के बादलों से मैंने देखा है लेकिन यहां उत्तर प्रदेश में जब वे मुख्यमंत्री थे तो जब वे स्थिति पर काब पा सके उन्होने सोचा कि उनको कुछ नैतिक जिम्मेदारी है और उन्होने त्यागपत्र दे दिया और यहांपर ऐसा कार्य हैं जो देश के आम आदमी को प्रभावित कर गया। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैं उनसे कुछ बात कहने जा रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्याक्ष महोदय : क्या आप उनसे यहां भी त्यागपत्र देने के लिए कहने वाले है ?

श्री रतन सिंह राजदा : मैं उनसे यह देखने की अपेक्षा करता हूं कि वाणज्यि मंत्रालय परिणामोंन्मुखी वही और मैं समझता हूं कि जहां तक वाणिज्य मंत्रालय का सम्बन्ध है, देश की व्यापारनीति नोर वस्त्र उद्योग तथा अन्य निर्यातोन्मुखी उद्योग के विकास और नियमन ही सम्बन्ध में नीति बना कर और मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाकर वह अपने कार्य को अच्छी तरह समझते हैं। यद्यिप आज आप एक अत्यन्त निर्वात्रक भूमिका निभा रहे हैं, यद्यिप आप वाणिज्य मंत्रालय के विशाल साम्रारराज्य का संचालन कर रहे हैं, मैं यह कहूंगा कि आज आपका यह साम्राज्य संकट में है। वाणिज्य मंत्रालय को जिस तरीके से चलना चाहिए, उस तरीके से यह नहीं चल रहा है यह मेरी विनम्र राय है। यदि वह अत्यधिक तेजी और सर्वाधिक क्षमता के साथ वाणिज्य मंत्रालय का संचालन करते हैं तो मैं समझता हूं, हम एक बहुत बड़ी सीमा तक देश की अर्थव्यिवस्था को बढ़ा सकते हैं। अब कुछ ही वर्षों में वाणिज्य मंत्रालय की परिधि के अंकातिक संस्थागत आधारभूत ठांचा लगभग पूरी तरह बिगड़ गया है। इसको फिर से नया स्वरूप दिए जाने की आवश्कता है। नए निर्यात अभियान के लिए एक संरचनात्मक कार्य योजना बनाने के साथ साथ

कार्यकरण की एक निष्पक्ष दल में प्रनरीक्षा आवश्क है । हम निर्यात संवर्द्धन की बात करते हैं लेकिन हमारे आभीयान में बहुत बडी त्रुटि है ।

इसमें कोई संन्देह नहीं है कि राज्य व्यापार निगम ने गत तीन दशाब्दियों के दौरान गैर सरकीकृत निर्यातों को बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाए बनाई हैं लेकिन इन योजनाओं की बिरले ही किसी कारगर ढंग से कार्यावयन किया जाता है । राज्य व्यापार निगम अपने अधिनस्थ विशाल संसाधनों ओर शक्ति से बाजार विकाश में गैरसरकारी क्षेत्र के लिए एक उद्दारण प्रस्तुत कर सकता था दुर्भागय से राज्य व्यापार निगम ऐसा करने में असफल रहा है और यही निर्यात संवर्द्धन परिषद ने भी कोई बेहतर कार्यानिष्पादन नहीं किया है । यहां शक्ति शाली परिणामीन्मुखी विदेश विपणन अभियान की कमी है । यह वाणिज्य मंत्रालय की परिधि के अंर्तात कार्य कर रही हमारी सभी एजेंसियों की मुख्य कठिनाई और मुख्य त्रुटि है। विभिन्न वस्तुओं के कोई भी कोई बेहतर कार्य नही कर रहे हैं । इसी प्रकार व्यापार मेल प्राधिकरण जैसी विशिष्ट क्रयाशील एजेंसियों की इनको गतिशील एजेंसियों में परिवर्तित करने के लिए नये सिरे से गठन किया जाना चाहिए । इससे ये एक सकारात्मक और सोद्देश्यपूर्ण ढंग से निर्यात कार्य कर सकती हैं यह सब कहने के बाद मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उनके इस विशाल साम्रज्य के अर्थात उन कुछ एजेंसियों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो अत्यत अक्षमता से कार्य कर रही हैं । यदि यह सिर्फ अकुशलता का ही मामला होता तो हम कह सकते थे कि मैं किसी अधिकारी को वो यहां से बदलना चाहिए, हम विशीष्ट परामर्श विशेषज्ञों आदि को ले सकते हैं । लेकिन बात ऐसी नहीं हैं। हमारे देश की आर्थिक गतिविधियों में आपके मंत्रालय का कार्य क्यों प्रमुखता नहीं पा रहा है, इसके कुछ ठोस कारण हैं । उसके मैं कुछ ठोस उदाहरण दूंगा विभिन्न कारणों से हमारे प्रयास पिछड़ रहे हैं और किन करणों से हमारी भी सम्पूर्ण छबि विकृत होरही है । राष्ट्रीय वस्त्र निगम का मामला लीजिए । खनिज एंव धातु व्यापार निगम का मामला लीजिए । हरक्षेत्र में हम लक्ष्य से नीचे हैं । हम लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचे । इनमें कमियां हैं हर रोज हम किसी न किसी घोटाले के बारे में प्रेस में सुनते हैं । इस देश के लोग लगातार इस तरह को बातें सुनरहे हैं । अब प्रश्न यह उठता है कि अब हम लोगों के बारे में क्या कर रहे हैं जो इसके लिए जिम्मेदार अथवा जो जो इनमें नया जीवन डालने हेतु अन्य पदों पर थासीम हैं ? वे अपने प्रयासों में क्यों असफल हो रहे हैं ;

मैं एक उदारण दूंगा । एक गुजराती दैनिक समाचार पत्र है । 'व्योपार' ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत पैदा करिए ।

श्री रतन सिंह राजदा : वे मेरे अच्छे मित्र है । प्रेम के कारण वे ऐसा कर रहे हैं

मैं इसे माननीय वाणिज्य मंत्री महोदय को प्रस्तुस करने आ रहा हूं । व्योपार में यह बताया गया है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम में घोटाला किया गया है । यह इस आखबार 5 जनवरी 1983 का अंक है ।

"राष्ट्रीय वस्त्र निगम गुजरात में करोड़ों रुपयों का घोटाला किया गया है । " जिस अधि-

कारी को इसकी जांच करने का कार्य सौंपा गया था उसकी मृत्यु हो गई और कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त किया गया है । मुझे उस दिन की प्रतिक्षा है जब इस प्रकार के सभी घोटाले और धोखे समाप्त हो जाएं और हमारी एजेंसियां पूरी तरह कार्यकरें।

अब मैं खनिज एवंधातु व्यापार निगम की बात करता हूं। जहां तक खनिजएवं धातु व्यापार निगम के कार्यकरण का सम्बन्ध है, यह कहते हुए मुझे दुख है कि जिस तरीके से यह निगम कार्य कर रहा है वह कुछ ऐसा है जो केवल दुर्भाग्यपूर्ण है अपितु अत्यंत दर्दनीय भी है । केवल अधिकारोयों की अकुशलता से अपितु कर्तव्य मुल होकर देश को करोड़ो रुपयों का घोखा दिया गया है । मैं कहूंगा कि खनिज एवं धातु व्यापार निगम में करोड़ों रुपयों का घोटाला मौजूद है । हाल में जो घटना घटी है, वह आँखें खोल देने वाली है । खनिज एवं धातु व्यापार निगम लौह अयस्क के निर्यात हेतु एक राष्ट्रीयकरण एजेंसी है । यह एक सर्वविदित तथ्य है कि यह निगम भारत से लौह अयस्क के निर्यात हेतु इसको दिये गयें लक्ष्य को प्राप्त करने में बुरी तरह असफल रहा है गत बारह महीनों के दौरान दो बार इस लक्ष्य में संशोधन किया गया है। फिर भी निगम इसे पूरा करने में असफल रहा है ।

मैं पूरी जम्मेदारी के साथ यह बक्तव्य दे रहा हुं कि बताया जाता है । कि खनिज एवं धातु व्यापार नियम के अधिकारी अवैध रुप से विदेशी खरीदारों को अच्छी किस्म का लौह अयस्क कम मूल्यों पर बेच देते है जिसमें बिक्री के मूल्य अंतर के लिए उनकी खरीददारों के साथ सांठ-गांठ होती है और धनराशी का कुछ भाव देश के बाहर ही रोक दिया जाता है ।

कुछ तो हुआ है । यदि माननीय मंत्री चाहें, तो मैं उन्हें सभी कागजात देने को तैयार हूं । यहां एक सज्जन थे जो विदेशों को मेंगनीज अयस्क बेचने का सौदा कर रहे थे । निःसन्देह वे इसे बेच सकते थे और एम०एम०टी०सी० के माध्यम से सौदा कर सकते थे । उन्होंने विदेश अर्थात् चेकोस्लोवाकिया से 60,000 टन मेगनीज अयस्क का एक आर्डर प्राप्त किया है । एम०एम०टी० सी० ने उन्हें लिखा कि क्रेता को मूल्य के विषय में एम०एम०टी०सी० से बात करने को कहा जाए । यहां पर विक्रेता अथवा सज्जन अथवा कम्पनी अथवा चाहे कोई भी बेचना चाहता हो, मैं उसे 'क' कहूँगा क्योंकि मैं इस समय किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं परन्तु यदि मंत्री जो मैं साहस हैं और जांच कराने को तैयार हैं, तो एम०एम०टी०सी० की आल्मारियों से बहुत कुछ निकलेगा । जब मूल्य बताया गया, तो क्रेता उस मूल्य पर खरीदने को तैयार हो गया, था और जैसा कि विक्रेता द्वारा यहां पर सुझाव दिया गया था, उन्होंने एम०एम०टी०सी० से बात की । एम०एम०टी०सी० ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । विदेशी क्रेता बार-बार स्मरण पत्र भेजते रहे : कृपया हमें बताइए और हमे मूल्य बताइए ।' हमारे अधिकारियों ने कोई मूल्य नहीं बताया । क्या यह कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही नहीं है ? मैं कहूंगा यह उससे भी अधिक गलत बात है । यहां तक कि जब स्मरण-पत्र आए, तो मूल्य नहीं बताया गया और इस पूरे समय में, अधिकारी विदेशों का दौरा कर रहे थे । वे दौरा कर रहे थे । यदि मंत्री इस तथ्य की जाँच करें कि उनके दौरों के परिणामस्वरूप वे कितने आर्डर प्राप्त होगा कर सके, तो उन्हें 'शून्य' प्राप्त होगा । अतः, बार-बार विदेशी क्रेताओं ने एम० एम० टी० सी० को स्मरण कराया । हुआ क्या था कि इसे उस सज्जन को नहीं दिया गया जिसने 60 हजार टन का आर्डर प्राप्त

किया था। इसे किसी अन्य सरकारी क्षेत्र को उपक्रम को भी नहीं दिया गया था। परन्तु तब इसे एक गैर सरकारी क्षेत्र की एक प्राइवेट पार्टी को दे दिया गया था। अब, यह क्या हैं ? इससे पता लगता है कि डेनमार्क के साम्राज्य में कुल गड़बड़ है और मेरा विचार है जब तक हम कहीं कार्य नहीं करेंगे, तब तक सभी एजेंसियों वाणिज्य मंत्रालय और उसके कार्यांचालन पर बदनामी लाएंगी।

इसको समाप्त करने की दृष्टि से, मैं वे सभी कागजात देना चाहता हूं। मेरे पास कागजात हैं। मेरे पास एक पत्र है। मैं उन्हें मंत्री जी को पेश करूंगा ताकि वे मामले की जांच कर सकें।

इसके अतिरिक्त, मैं सोवियत संघ के साथ रुपयों में व्यापार के प्रश्न पर आता हूं। अब महोदय, सोवियत संघ और पूर्व यूरोपीय देशों के साथ, हम रुपयों में व्यापार कर रहे हैं। हाल ही में बम्बई में एक विचार-गोष्ठी का आयोजन हुआ था और इसमें अनेक बुद्धि जीवियों, विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने भाग लिया था और उन्होंने कतिपय निष्कर्ष निकाले थे।वे कहते हैं कि अब वह समय है जब हमारे देश को रुपयों में व्यापार के पूरे प्रश्न पर नये सिरे से पुनर्विचार करना चाहिए और प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या रुपयों में व्यापार करने से हमारे देश को वास्तव में लाभ हुआ है और क्या ऐसे कुछ लेन-देन है जिनके माध्यम से चोरी-छिपे कुछ सौदा चल रहा है ? इन बातों के कारण वे सोवियत संघ और अन्य देशों के साथ रुपयों में व्यापार के सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। अब, सोवियत संघ हमारा बड़ा व्यापार साझेदार है। सोवियत संघ हमारा अमित मित्र है और हम सोवियत संघ की मैत्री का मूल्य समझते हैं। परन्तु फिर भी यदि वह इस निष्कर्ष पर आते हैं कि रुपयों के भुगतान का तरीका हमारे देश के हितों के लिए नुकसान दायक है, तो, मेरा विचार है, अब समय आ गया है कि हम सारे बातों पर नए सिरे से पुनर्विचार करें। मेरे पास सभी ब्यौरे हैं।

भारत-सोवियत व्यापार की ढांचे पर समस्या को स्थायी तौर पर सुलझाने की तत्काल आवश्यकता है। यह केवल सोवियत संघ के सहयोग से किया जा सकता है, जिसे उन चीजों का निर्यात करने के लिए सहमत होना चाहिए, जो भारत के विकास के लिए आवश्यक हैं। यदि यह संभव नही है तो इसे परिवर्तनीय मुद्रा के आधार पर व्यापार करने की सहमत होना चाहिए। मेरा तर्क यह है। मुझे नहीं पता कि क्या सरकार ऐसी स्थिति की अनुमति देगी। यदि वे ऐसी स्थिति की अनुमति नहीं देते हैं, तो भविष्य में, हमारी अर्थव्यवस्था में अनेक जटिलताएं पैदा होनी अवश्य भांवी हैं।

एक दिन हमने 23 तारीख के 'हिन्दु' में एक लेख पढ़ा था। वे कहते हैं, जिस तरह हमने अमरीका अथवा सोवियत संघ से 2,50,000 टन कच्चा तेल आयात करने का निर्णय लिया है वह अच्छा नहीं है। आप देखिये कि हमने उनके साथ अपने वार्षिक कराट के बावजूद ऐसा किस तरह किया है इससे क्या पता लगता है ? क्यों कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष-हमारे पक्ष-में हैं-हम पर यह दवाब है कि हम उनसे अधिक कच्चा तेल खरीदें। ये सब बातें थोड़े से समय में हुई हैं। मेरा विचार है मैंने समस्या के किनारे को ही हुआ है। ऐसी और भी बातें हैं जिनका हम वाणिज्य मंत्री को सुझाव दे सकते हैं। मेरा विचार है वाणिज्य मंत्री एक ऐसे साम्राज्य की

अध्यक्षता कर रहे हैं जिनमें पूरी तरह से बदलाव की आवश्यकता है ऊपर से नीचे तक क्षमता पूर्वक कार्य करना चाहिए और यदि ऐसा किया जाता है तो मेरा विचार है कि यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था की एक ऐतिहासिक घटना होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे । यह हस्तक्षेप बहुत थोड़ा होगा।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : अब तक की चर्चा बहुत रुचिकर रही है और इस मंत्रालय के कार्यकरण के कतिपय पक्षों के विषय में अनेक मुद्देह उठाये गए हैं इस स्थिति में हस्तक्षेप करना और अब तक माननीय सदस्यों द्वारा उनके भाषणों में उठाए गए कुछ पक्षों पर अपने विचार बताने का मेरा विशेषाधिकार है ।

इलायची के निर्यात और रबड़ के आयात के बारे में कतिपय मुद्दे उठाए गए हैं । निःसन्देह पिछले वर्ष की तुलना 1982-83 में इलायची का निर्यात कम हुआ है । परन्तु ऐसा 1982-83 में उत्पादन में कमी, मुख्यत: सूखे के कारण हुआ है और इसलिए वर्ष के दौरान भी इलायची का निर्यात बहुत कम होने की सभावना है। इलायची के निर्यात को तेज करने के लिए सरकार ने 2 किलो ग्राम तक के उपभोक्ता पेकों में इलायची के सारे निर्यात के लिए 7% की दर से नकद प्रति-पूर्ति सहायता स्वीकृत की हैं । बोर्ड खाड़ी प्रदेश में भी त्वरित निर्यात संवर्धन उपाय कर रहा है छठी योजना अवधि 1980-81 से 1984-85 के दौरान देश में इलायची बागान उद्योग के विकास के लिए योजना आयोग-द्वारा 7 करोड़ रुपयों का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है ।

आपको यह जानकर प्रसन्ता होगी कि देश का रबड़ उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ रहा है । हमारी अर्थव्यवस्था के विविधकरथ और सुधार से उपयोग भी साथ-साथ बढ़ रहा है। रबड़ बोर्ड द्वारा विभिन्न विकास योजनाएं चलाए जाने के कारण वर्षों बाद उत्पादन में वृद्धि कोई मामूली बात नहीं हैं । इसके परिणाम स्वरूप न केवल बड़े क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है, बल्कि प्राकृतिक रबड़ की उत्पादकता भी बढ़ी है । इस दिशा में प्रमुख कदम रबड़ बागान विकास योजना का क्रियान्वयन है । यह योजना 1993-94 तक चलेगी और इस योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 50 करोड़ के लगभग ही रबड़ बागान उद्योग के लिए योजना आयोग ने छठी योजना अवधि के लिए 36 करोड़ रुपए के परिव्यय की स्वीकृति दी है जिसके लिए योजना आयोग ने 2 लाख टन का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे 1984-85 तक प्राप्त करना है ।

रबड़ के आयात के संबंध में निर्णय लेने से पूर्व सरकार द्वारा देश में उसके अनुमानित उत्पादन और मांग का मूल्यांकन किया जाता है। यदि पूर्ति और माँग के बीच अन्तर को पूरा नहीं किया जाता हैं तो, रबड़ उपभोक्ता उद्योग बुरी तरह प्रभावित होगा । यह बताना आवश्यक होगा कि जहां तक संभव होता है, आयातित रबड़ कम उत्पादन वाले समय में जारी किया जाता है । जब भी स्थिति की मांग होती है, सरकार आयातित रबड़ जारी करने की अस्थायी रूप से रोकने, मुख्यतया उत्पादकों के हितों की रक्षा करने, के लिए राज्य व्यापार निगम को कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई है ।

यद्यपि चमड़े के निर्यात का कोई विशेष सीधा उल्लेख नहीं किया गया है तथापि मैं उल्लेख करना चाहती हूं कि बढ़ाए गए मूल्य वाले उत्पादों को प्रोत्साहन देने की सरकारी नीति

ने काफी लाभांश देना शुरू कर दिया है। चमड़ा क्षत्र ऐसा क्षेत्र है जो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार देता है तथापि, हाल के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय मांग में मंदी आ गई थी। हम इस क्षेत्र में निर्यात को समर्थन देने के सभी संभव कदम उठा रहे हैं और संभावना है कि चमड़े और इसके उत्पादों का निर्यात पुन: बढ़ेगा और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 430 करोड़ रुपये से बढ़ जाएगा।

तम्बाकू के निर्यात और तम्बाकू बोर्ड के कार्यचालन के बारे में उल्लेख किया गया है। मैं यह अवश्य कहूंगी कि तम्बाकू बोर्ड में अध्यक्ष सहित 22 सदस्य होते हैं। बोर्ड में उत्पादकों के चार और डीलरों तथा तम्बाकू उत्पादों के नियर्कर्ताओं के चार प्रतिनिधि होते हैं। अत:, यह आलोचना कि उत्पादकों को तम्बाकू बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है, क्या कोई औचित्य नहीं है।

तम्बाकू की खरीद में राज्य व्यापार निगम के हस्तक्षेप के बारे में भी उल्लेख किया गया है। चालू वर्ष के 1,40,000 टन उत्पादन में से 20 अप्रैल, 1983 तक लगभग 1,11,000 टन खरीद की गई है। आप से अनेक को पता है कि हाल ही में हमने राज्य व्यापार निगम को घटिया दर्जे की तम्बाकू भी खरीदने को कहा है। राज्य व्यापार निगम को अपने प्रबन्ध को तेज करना है और वह वास्तव में 11 अप्रैल, 1983 से निर्यात योग्य दर्जे के बाजार में प्रवेश पा चुका है। खरीद अभी भी चल रही है। मैंने सोचा कि इस मामले में मुझे रिकार्ड कायम करना चाहिए और सदस्यों को आश्वासन देना चाहिए कि इस सम्बन्ध में अत्यधिक त्वारित ढंग से हर सम्भव कार्यवाही की जा रही है।

मुझे यह बताने में भी प्रसन्नता है कि सरकार ने अफ्रीका महाद्वीप के साथ व्यापार, संयुक्त उद्यम और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए बनाए गए अनेक उपाय अपनाए हैं। अफ्रीका में ई० पी० सी०, टी० डी० ए०, पी० ई० सी० के कुछ नए व्यापार कार्यालय खोले गये हैं और अनेक व्यापार करार किए गये हैं। पूरे अफ्रीका महाद्वीप के साथ हमारे वाणिज्यिक आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध में मामलों पर चर्चा करने के लिए अफ्रीका में हमारे सभी मिशनों की हाल ही में, सर्वप्रथम बैठक हुई थी। इस सम्मेलन में अफ्रीका के साथ अधिक आर्थिक गतिविधियों के लिए 'एक अफ्रीका योजना' तैयार की गई थी।

निष्कर्षत: मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगी कि हमारे निर्यातों, और हमारे अपने बाजारों के किए उत्पादों विविधकरण के लिए हमारी राष्ट्रीय आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप, हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री रतनसिंह राजदा : बहुत अच्छे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं राज्य मंत्री को धन्यवाद देता हूँ और सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे राज्य मंत्री के उदाहरण का पालन करें।

अब, श्री कृष्ण कुमार गोयल। आपके दल को 8 मिनट का समय आबंटित किए गया है। आपको 10 मिनट से अधिक नहीं लेने चाहिए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष जी, मैं वाणिज्य मंत्री जी को अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा कि मंत्रालय में मंत्री पद को उन्नत कर के आज कम से कम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उन्होंने भारत सरकार के स्टेटस को बढ़ाया है।

गत वर्ष जब मैं इस डिमान्ड पर बोल रहा था, तो मैंने कहा था कि यह बड़े खेद की बात है कि कोमर्स मिनिस्ट्री को हैन्डिल करने के लिए केवल मिनिस्टर आफ स्टेट दिया हुआ है जबकि इस के मिनिस्टर का स्टेटस फुल केबिनट मिनिस्टर का होना चाहिए लेकिन मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज उनके सामने इस इस प्रकार की चुनौतियां हैं, विश्व बाजार का जिस प्रकार का हाल है और जिस प्रकार की बैलेंस आफ ट्रेड आर फारेन एक्सचेंज की स्थिति हमारे विपरीत होती चली जा रही है, उस के लिए गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं इस तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 1980-81 में हमारा ट्रेड डेफीसिट 5,849,58 करोड़ रुपये का था, जो 1981-82 में जा कर 5,836,54 करोड़ रुपये हुआ और आप ने अपने विभाग की रिपोर्ट के अन्दर बताया है कि अप्रेल-दिसम्बर, 1982 में यानी 9 महीने के अन्दर यह ट्रेड डेफीसिट हमारा 4,059,96 करोड़ रुपये है और कम्पेयर करना चाहा है इतने ही समय को 1981 के अन्दर जो 4,109 करोड़ रुपये था और कहा है कि उस से हमारी परफार्मेन्सी अच्छी है। मैं समझता हूं कि वह खराब है और आप इसपर गंभीरता से विचार करिये कि जो ट्रेड डेफीसिट 1978-79 के अन्दर केवल 1088.04 करोड़ रुपये था, 1973-80 में जो बढ़कर 2,636.82 करोड़ रुपये हुआ आज 9 महीने के अन्दर इस साल में यह 4060 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच चुका है।

उपाध्यायक्ष महोदय, अगर आप विदेशी मुद्रा की स्थिति देखेंगे तो उसको स्थिति और भी चिंताजनक पायेंगे। 1978-79 में हमारी विदेशी मुद्रा 5,219,9 करोड़ थी जनवरी 1983 में 3,682,4 करोड़ रह गई। मैं समझता हूं कि यह अपने आप में गंभीर स्थिति है। यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है अगर आप 1980-81, 1981-82 1982-83 और जनवरी 83 तक के बारे में देख और इस पीरियड में आपने जो ड्राइंग्स की हैं उनको देखें तो आप पाएंगे कि ये जनवरी, 1983 तक 2,152,6 करोड़ के हैं। अगर हम इन ड्राइंग्स को भी मद्देनजर रखें तो हमने वास्तव में जो विदेशी मुद्रा अर्जित की है, आयात-निर्यात कर के जो हमारे पास बेलेंस रहता है वह 1,529, करोड़ रुपये का रह जाता है। मैं समझता हू कि यह एक गंभीर प्रश्न है। हमने आई०-एम०एफ० से लोन भी लिया है। इन सब के कम्प्लकेशस क्या हुए ? इस पर हम सब को विचार करना है।

हमारे यहां जो फारेन एक्सचज वाई वे आफ इम्पोर्ट और बाई वे आफ एक्सपोर्ट बचा, अगर हम ड्राइंग्स को निकाल दें तो वह 1529,8 करोड़ रुपये का रह जाता है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार से हम अपने बेलेंस आफ ट्रेड को केलकुलेट कर रहे हैं, उस में मैं सोचता हू कि हम रूसी ट्रेड को भी शामिल कर रहे हैं, उन ईस्टर्न योरोपियन कन्ट्रीज केसाथ और मास्को के साथ होने वाले रूपी ट्रेड को भी शामिल कर रहे हैं जिसने हार्ड करेन्सी में हमारे ट्रेड को छिपाया हुआ है। हमने रूपी ट्रेड किया, उसका जो रुपया हमारे पास आया, मैं समझता हूं किवह हमारे बेलेंस आफ ट्रेड की स्थिति को छिपाताहै। हमारा रूपी ट्रेड मास्को या अन्य कन्ट्रीज

से कुल विश्व व्यापार का एक चोथाई है। अगर हम यह एक चौथाई रुपया जो हमारे पास रुपी ट्रेड के माध्यम से आया, माइनस कर दें तो हमारे बेलेंस आफ ट्रेड की जो कि बाई वे आफ इम्पार्ट और एक्सपोर्ट स्थित हैं वह हमारे सामने एक निराशाजनक और भयानक रूप में आयेगी। इसलिए में आशा करता हूं कि वाणिज्य मंत्री जी गंभीरता से विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष जी, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि रूस से हमारी मित्रता है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि मास्को ने जिन कठिनाईयों में हमारा साथ दिया वह हमारी और उसकी मित्रता का घोतक है। वह ग्राज भी विश्व की कठिन परिस्थिति में हमारे साथ मित्रता निभा रहा है। लेकिन मित्रता और व्यापार एक अलग चीज होती है। मित्रता ग्रौर व्यापार को अलग-ग्रलग तोलन पड़ेगा। इस नाते में कहना चाहता हूं कि, मास्को या विश्व के साथ जो हमारा ट्रेड हो वह उसी ग्राधार पर हो।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आज हमें बेलेंस आफ ट्रेड के बारे में विचार करें- यह ठीक है कि हमारा बेलेंस आफ ट्रेड फेवरेबल है लेकिन ट्रेड फेवरेबल कहां माना जाता है। यह फेवरेबल माना जाता है इन टर्म्स आफ हार्ड करेंसी। अगर हार्ड करेंसी के माध्यम से यह फेवरेबल हो तो यह बेलेंस आफ ट्रेड फेवरेबल माना जाएगा अगर हम रूपी ट्रेड को साथ ले कर चलें और कहें कि बेलेंस आफ ट्रेड हिन्दुस्तान के पक्ष में है तो यह ठीक नहीं है रूपी ट्रेड कभी सरपलस नहीं होना चाहिए, चाहे यह किसी भी कन्ट्री से चल रहा हो।

प्रो० एन०जी० रंगा (गूंटूर) रूस ग्रौर पूर्वी यूरोप के साथ अतिरिक्त व्यापार संतुलन होना किस तरह और किस हद तक अलाभकारी है? हमें यह जानना चाहिए। केवल कहने का कोई लाभ नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं उस पर आ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो रशिया से ट्रेड है उसमें 1145 मिलियन रूबल्स अभी तक हमारे सरप्लस एक्यूमुलेट हो गये हैं जो लगभग 12 मिलियन रूपीज के बराबर होते हैं। इसके बारे में आप यह देखें कि यह जो ट्रेड हो रहा है उसके बारे में कोई भी यह नहीं जान पाता कि यह किन टर्म्स के आधार पर और किस प्राइस के आधार पर हो रहा है।

मास्को और इन्डिया का ट्रेड चल रहा है। 2.5 मिलियन टन का क्रूड आयल का एग्रीमेंट किया गया है। मैं वाणिज्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं ...।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई गुप्त करार नहीं है। यह अन्य देशों के साथ किसी भी अन्य करार की तरह का करार है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कोई माने का न माने, परन्तु मेरे विचार यही हैं। दो भाइयों में भी व्यापार नियमों के ग्राधार पर ही होता है। आयल की कीमत ओपेक प्राइस और इन्टरनेशनल प्राइस के आधार पर फिक्स होती है। 2.5 मिलियन टन का रशा से एडीशनल एग्रीमेंट किया गया है। सुना है कि इस एग्रीमेंट साइन एयरपोर्ट पर हुए हैं। मिनिस्ट्री में इस पर झगड़ा चलता रहा। मैं उस 2.5 मिलियन टन आयल की प्राइस जानना चाहता हूं। आज जो इन्टरनेशनल प्राइस में 15% की कमी आई है उसका एडवांटेज लिया गया है या नहीं।

एक उदाहरण और देना चाहता हूं। आज हम अन्य देशों को ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कट स्टोन, पालिशु स्टोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे बड़ी अच्छी अर्निग है। इसके लिए ममटीरियल हम अफ्रीकन कंट्रीज से परचेज कर रहे हैं।

14.04

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

रशा यह ममटीरियल अफ्रीका को एक्सपोर्ट करता है। क्या हम अपने मित्र देश को यह नहीं कह सकते कि वह इस रा मटीरियल को हमें दे ताकि हम फारेन एक्सचेंज बचा सके? हम रा डायमण्ड परचेज करने के लिए तैयार हैं। इससे हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी।

इसी प्रकार गोल्ड की स्थिति है। गोल्ड के मामले में रशा दुनियां का सबसे बड़ा दूसरा देश है। क्या हिन्दुस्तान रशा से गोल्ड नहीं ले सकता?

यह जो ट्रेड आफ बेलेंस रूपी के आधार पर फेवरेबल है और हम सब्र करके बैठे हैं, वास्तव में यह फेवरेबल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अपने मित्र देश से ऐसी चीजों के लिए कहा जाए जिनसे हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें। ये चीज हमको दी जाएं।

हमारा अधिकतर ट्रेड एग्रीकल्चरल कमर्शियल क्राप्स पर आधारित है। यह भी अधिकतर हमारा रशा के साथ है। आज हमारे यहां टोबेको, माइका, चमड़ा, काजू के व्यापार में कमी आई है, इसको आपने स्वयं स्वीकार किया है। यह व्यापार भी अधिकतर रशा के साथ था इसी आधार पर हमने उन उद्योगों को डेवलप किया था।

वहां से रशिया ने अपने आपको विद ड्रा कर लिया है। क्या यह सत्य नहीं है कि आज रशिया की डिमान्ड कम हो जाने के कारण कच्चा काजू और तैयार काजू गांवों के अन्दर सड़ रहा है। केरल में कई कारखाने बन्द हो गये हैं और मजदूर सड़कों पर आ गए हैं। एकमात्र कारण यही रहा कि जो रशिया को हमारा एक्सपोर्ट था, वह बहुत ही कम हो गया। मैं यह कहना चाहूंगा कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में किसी एक मार्किट पर हमें डिपेडेंन्ट नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : जल्दी खत्म कीजिए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : हमारी जो बाहर फारेन एम्बेसीज हैं, वहां ट्रेड के लिए कमर्शियल विंग तो अवश्य है। लेकिन जिस प्रकार का अनुभव हमें हुआ है, और आप भी देखते होंगे कि जो कामर्श को डील करने वाले लोग हैं उनमें इफीरियोरिटी कांपलेक्स है। आज इस तनावपूर्ण वातावरण में जहां प्रोटेक्सनीजम चल रहा है और जहां टेरीफ और नान-टैरीफ की बात की जाती है तो ऐसे समय में हमें कामर्श को जानने वाले एक्सपर्टस को लगाना चाहिए ताकि जो आज का सेट अप है, वह ठीक हो सके।

सभापति महोदय : आपका टाईम हो गया है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : हमें अपनी इम्पोर्ट की कैपेसिटी को और बढ़ाना चाहिए।

कई कमेटीज की रिपोर्ट आई है कि अगर हम अपनी उत्पादन क्षमता को पूरा कर लें तो लगभग एक हजार करोड़ से अधिक का फारेन एक्सचेंज हम बचा सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम एनर्जी में आल्टरनेटिव ढूंढ लें तो जिस प्रकार हम फारेन-एक्सचेंज या इम्पोर्ट के लिए मजबूर हैं, उससे हम बच सकते हैं। जिस प्रकार से अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कांपलिकेशन्स हो रही हैं उनका मुकाबला करके मित्रता के बावजूद भी व्यापारी के नाते प्रेशराज्ड करके अधिक से अधिक एडवांटेज लेने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारा बैलेंस आफ ट्रेड सरप्लस है, उस पर कम से कम इन्टरेस्ट तो डिमान्ड कर सकते हैं। जो कुछ उधार देते हैं उस पर इन्टरेस्ट ले सकते हैं। रशिया से क्यों नहीं इन्टरेस्ट लेते ?

श्री उमाकांत मिश्र (मिर्जापुर) : हमारे वाणिज्य मंत्री जी स्वयं जानते है कि हम एक ही विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। जैसाकि मंत्री जी स्वयं भी जानते हैं कि किसानों और दस्तकारों द्वारा बनायी जाने वाली चीजों का ज्यादा से ज्यादा निर्यात किया जाना चाहिए। इससे उन लोगों को काम मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी तथा जीवन-स्तर भी ऊंचा हो जाएगा।

मेरे क्षेत्र मिर्जा-भदोही में वाणिज्य मंत्री जी कालीन उद्योग को बढ़ावा दिया है। वहां काई लाख लोग कालीन का काम करते हैं। मेरा ख्याल है पूरे भारत वर्ष से जितना कालीन का निर्यात होता है, उसका 70-75 प्रतिशत भाग केवल मेरे क्षेत्र से होता है। जो आंकड़े मुझे मिले हैं उसके अनुसार 1977-78 में कालीन का 83.7 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था। फिर, 1981-82 में बढ़कर 137.7 करोड़ हो गया। लेकिन 1982-83 में फिर घट गया और 87.19 करोड़ ही रह गया। 1977 की तुलना में 26 पाइन्ट की बढ़ोत्तरी तो हुई लेकिन जितना निर्यात होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है उनमें कुछ बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं। कालीन के उत्पादन को ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। असल में कंपटीशन ज्यादा हो गया है। कालीन के निर्माण के सम्बन्ध में इस समय मुख्य प्रतियोगिता पाकिस्तान और चीन से है। कुछ देष जैसे ईरान, कोरिया, ताईवान और थाईलेंड भी इसमें आ गये हैं। जब कई मुल्क इस प्रतिद्वन्द्विता में आ गये हैं तो कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मंत्री जी को ध्यान देना पड़ेगा।

वाणिज्य मंत्री को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, हालांक हमारे वर्तमान मंत्री जी ने पहले ही खुद बिशेष ध्यान देकर इस उद्योग को बढ़ावा दिया। पुनः इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता इस समय आ गई है। यह उद्योग ऐम्प्लायमेंन्ट ओरियेन्टेड, हैं, कई लाख लोग गांवों में इस उद्योग में लगे हुए हैं जिससे पूरे परिवार की रोज-रोटी चलती है, दूसरे यह उद्योग ऐक्सपोर्ट ओरियेन्टेड भी है। तो इस को कई तरह से बढ़ावा देना अति आवश्यक है। इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहले हमारा देश कालीन के निर्यात के मामले में दूसरे नम्बर पर था लेकिन अब पाकिस्तान दूसरे नम्बर पर आ गया है और वहां इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सी फैसलिटीज दी जा रही हैं। 7 परसेंट छूट पर ऋण दिया जाता है, वितरण की मारकेटिंग की सुविधा ज्यादा दी जाती है। इंसेंयटिव जो 3 परसेंट घटा दिया गया है वहां भी वह दिया जाता है, इसी तरह से और देशों में भी होता है। अतः जब इस उद्योग में कम्पटीशन है, लोगों को रोजगार

मिलता है तो इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ हमारे सुझाव हैं जो मैं गिना देना चाहता हूं। एक तो कैश इंसेंटिव पहले 20 परसेन्ट दिया जाता था, अब 3 परसेन्ट घटा दिया गया है इससे इस उद्योग को बहुत धक्का लगा है। हमने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्रीजी और तत्कालीन वाणिज्य मंत्री को कहा, वर्तमान मंत्री जी ने तो जाकर देखा है, इनकी कृपा से यह उद्योग बढ़ा भी है, तो इंसेंटिव कुछ और बढ़ा सकें तो बढ़ाया जाए। दूसरे यह है कि कालीन उद्योग के लिए कारपेट फाइनेंस कारपोरेशन अलग से बना दिया जाए जो कालीन वालों को लोन दे और उद्योग को बढ़ावा दे। तीसरा सुझाव यह है कि जैसे पाकिस्तान आदि देशों में कम इंटरेस्ट पर लोन दिया जाता है वैसे ही यहां भी दिया जाए। भुगतान में कभी देर हो जाती है, जैसे जर्मनी या जापान में भुगतान फंस जाता है तो इसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए कि भुगतान न रुके। कुछ ऐसे कालीन के व्यापारी इस व्यवसाय में आ गये है जो कालीन नहीं बनाते हैं केवल कालीन खरीद लेते हैं रद्दी माल खरीद लेते हैं और फिर उसको विदेशों में बेचते हैं जिससे विदेशों में हमारे कालीन की क्वालिटी लोगों की निगाह में गिरती है और समारा कालीन खराब माना जाता है। इसलिए इस तरह के जो व्यापारी आ गये हैं जो केवल कारपेट ही खरीद लेते हैं उनको रोक लगानी चाहिए। जो मैनुफैक्चर्स एक्सपोर्ट्स हैं उन्ही को बढ़ावा दिया जाए।

भदोही और मिर्जापुर के एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया मान करके पूरे समय बिजली दी जाए और मशीन बेड कालीन पर जो इंसेन्टिव दिया जाता है उसको न देकर हाथ से बनाने वालों को इंसेटिव दिया जाय। जो कालीन एरियाज हैं उनको लिंक रोड से जोड़ा जाय। इन्स्टीट्यूट आफ कारपेट टेक्नालाजी की आपने मंजूरी दी थी, उसके लिए जमीन भी एक्वायर कर ली गई है, मगर आगे नहीं बढ़ा हैं, उस पर आप ध्यान दें इससे लोगों को काम मिल जाएगा और नये नये डिजायन जानने का लोगों कों मौका मिलेगा। कोयला कालीन उद्योग वालों को ब्लैक में खरीदना पड़ता है। इसलिए इस इलाके के लोगों ने जो कोआपरेटिव सोसायटी बनायी है उसको कोल इंडिया से सीधे कोयला दिलवाने की व्यवस्था की जाय जिससे उचित दाम पर कालीन उद्योग वालों को कोयला मिल सके। भदोही वूलन मिल का विस्तार किया जाय और एक और वूलन मिल मेरे इलाके में खोली जाय। बुनकरों के कल्याण के लिए कुछ इन्तजाम किया जाय और इस विशेष क्षेत्र में कई लाख कालीन मजदूर कल्याण परिषद के नाम से एक संस्था चलायी जाय।

हमारे मिर्जापुर का बर्तन उद्योग बहुत पुराना उद्योग है, हजारों लोग इसमें काम करते हैं मंत्री जी वहां के लोगों की कठिनाइयों को जानते हैं। वहां कुछ टेक्नोलोजी देकर, इन्सेंटिव देकर अगर वहां बर्तन उद्योग को बढ़ाया जायगा तो मिर्जापुर शहर उजड़ने से बच जाएगा।

अन्त में इस मंत्रालय की मांगों का हम समर्थन करते हैं और आशा करते हैं क्योंकि मंत्री जी वहां की कठिनाइयों को जानते हैं, वे इस बारे में अवश्य ध्यान देंगे।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य): महोदय, मैं आपके दल की ओर से वाणिज्य मंत्रालय और पूर्ति विभाग की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। इस समय दिए जा रहे नियंत्रित कपड़े की किस्म में काफी सुधार की आवश्यकता है ताकि लोगों को अधिक मात्रा में कपड़ा खरीदने के लिए आकर्षित किया जा सके। मैं राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शोध में पूरे

भारत में काम कर रहे कर्मचारियों के भविष्य, उनकी सेवा शर्तों, वेतन, आदि पर इस महान सभा का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। वे पिछले वर्ष कुछ महीनों से अपनी सेवा शर्तों में सुधार के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। कतिपय आश्वासनों पर कुछ महीने पूर्व इसे वापस ले लिया गया था। मैं माननीय मंत्री से उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने और उनकी मांगों को सम्पूर्णतः स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि वे सही मांगें हैं और सरकार की एक आदर्श नियोकता की तरह अपने श्रम नियमों और विनियोगों पर कायम रहना है। मुझे आशा है कि ऐसा शीघ्र ही किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के शो-रूप कर्मचारी अपने काम को सन्तोषजनक रूप से कर सकें और अधिक अच्छी तरह राष्ट्र की सेवा कर सकें।

जहां तक हथकरघा क्षेत्र का सम्बन्ध है, मुझे यह कहना है कि इसको न दी गई राज सहायता की राशी इस उद्योग को अपेक्षित सीमा तक सहायता करेगी। इसे केवल सूत की अपेक्षित मांग को, कम मूल्य पर और हथकरघा क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखकर, निरंतर पूर्ति द्वारा किया जा सकता है। केवल यही व्यवस्था इस क्षेत्र के विकास की सुनिश्चित कर सकेगी। और यह अपने पैरों पर एक व्यवहार्य उद्योग बन सकेगा। कतिपय श्रेणी के कपड़े का हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षण मेरे दल के व्यस्थापक अरिनागर, अन्ना, ने वर्षों पर पूर्व करवाना चाहा था। अभी तक भारत सरकार ने इस सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं माननीय मंत्री से इस पर विचार करने और हथकरघा का उद्योग में कामगारों की कठिनाइयों को भली भांति दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने और उन्हें न केवल उनके संतोष के लिए, बल्कि भारत के लोगों के संतोष के लिए भी, शांती पूर्वक जीवन व्यतीत करने की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं। इस वर्ष प्रस्तावित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम हथकरघा और विकास निगम को हथकरघा उद्योग को निर्धारित मूल्य पर पूरे भारत में पूरे वर्ष निरंतर, सूत की आपूर्ति करनी चाहिए।

इस मंत्रालय की मांगी गए टिप्पणी से यह पता चलता है कि भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने नवम्बर, 1982 में नई दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया था। मैं देखता हूं कि ऐसे सारे मेले सदैव दिल्ली में आयोजित किए जाते हैं। मुझे यह कहना है कि ऐसे व्यापार मेले भारत के किसी अन्य भाग में आयोजित नहीं किए जाते हैं। मैं माननीय मंत्री से कम से कम राज्यों की राजधानियों में ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले आयोजित करने का अनुरोध करताहूँ। विदेशों द्वारा केवल दिल्ली को ही भारत के रूप में नहीं देखना चाहिए। उन्हें यह भी जानना चाहिए कि भारत, जो तेजी से विकास कर रहा है विश्व के अन्य राष्ट्रों से स्पर्धा कर रहा है, में उनके स्थान हैं।

कांडला गोदी मुफ्त व्यापार क्षेत्र 1965 में स्थापित किया गया था। इस क्षेत्र में भारी धनराशि खर्च की गई थी। अभी तक, इस क्षेत्र से 1982-83 के दौरान कुल निर्यात केवल 120 करोड़ होगा। इस मुफ्त व्यापार क्षेत्र की प्रगति और उपलब्धियां निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुँची हैं और इसका कम से कम पहली खर्च की गई धनराशि की सीमा तक विकास किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री से मद्रास नगर के निकट मीनाम्ब कम हवाई

अड्डे अथवा मनाली औद्योगिक कम्प्लेक्स में एक मुफ्त व्यापार क्षेत्र खोले जाने के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध करता हूँ। तमिलनाडु में भी एक मुफ्त व्यापार क्षेत्र हो और मैं अपेक्षित विकास से अधिक, भली भांति कार्य करेगा। तमिलनाडु में इसे न केवल मेरे राज्य आशा करता हूं कि यह मंत्रालय द्वारा के लाभ के लिए होना चाहिए, बल्कि हमारे राष्ट्र के लाभ के लिए होना चाहिए।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जो समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास और विनियमन कर निर्यात के विशेष संदर्भ में देखभाल कर रहा है, ने तमिलनाडु के लिए पर्याप्त कार्य नहीं किया है जो भारत का सबसे लम्बा तट है। मैं माननीय मंत्री से इस सबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं ताकि यह निगम तमिलनाडु पर काफी ध्यान दे और मछुआरों को लाभ पहुंचे।

भारत चमड़ा निगम अच्छी तरह कार्य नहीं कर रहा है, जैसा कि मुझे जनता से प्राप्त रिपोर्टों से पता लगा है। इस निगम के अधिकारी सभी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त हैं और सरकार को भारी हानि पहुंचाने वाले काम कर रहे हैं। जिस उद्देश्य के लिए निगम की स्थापना की गई थी, उसे निगम के अधिकारियों ने नहीं समझा है और सरकार की नीतियों को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इनकी जांच करेंगे और इस निगम को इसके उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुसार कार्य कराने के लिए उपयुक्त और प्रभावी कार्य करेंगे।

भारत चमड़ा निगम इस समय गैर-सरकारी व्यापारियों से सर्पचर्म वसूल कर रहा है और इन्हें कतिपय एजेंसियों को देता है जो उनसे निर्यात के लिए चीजें बनाती है। गैर सरकारी व्यापारियों से लेने के साथ-साथ सीमा-शुल्क द्वारा जब्त की गई सर्पचर्म भी निगम द्वारा ले ली जाती है।

यह निगम गैर सरकारी व्यापारियों को बहुत कम मूल्य पर सर्पचर्म देने के लिए कहता है यह निगम का कतिपय निहित स्वार्थी लोगों को सस्ते मूल्यों पर देता है और बदले में उनके द्वारा बनाई गई घटिया किस्म की चीजें लेता है। इस निगम के पास भारी मात्रा में सर्पचर्म वास्तव में असुरक्षित है और उसका दुरुपयोग किया जाता है। यह सुझाव दिया जाता है कि गैर-सरकारी व्यापरियों द्वारा वैध रूप से बादल की गई सर्पचर्म से चीजें बनाने की उन्हें ही अनुमति दी जाए, जिसको भारत चमड़ा निगम द्वारा निर्यात किया जाए। इसके लघु उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और अनेक गरीब मोचियों, व्यापारियों आदि को रोजगार मिल सकेगा। इससे भारत चमड़ा निगम के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कदाचार और सीमा-शुल्क तथा तथा वन्य जीवन अधिकारियों द्वारा गैर-सरकारी व्यापारियों को परेशान किये जाने का भी अन्त हो जाएगा मुझे आशा है माननीय मंत्री इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

आपने कोबारा और अजगर की खालों पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। मैं इसे समझ सकता हूं, यह युक्ति संगत है। परंतु फिर भी आपने विप्र जिसे हम तमिल में 'साराई पम्बू' और पानी के सांप जिसे हम तमिल में 'तन्नीर पम्बू' कहती है, पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। परंतु ये हानि कारक सांप नहीं हैं। अतः, सरकार को इन सांपों को पकड़ने पर प्रतिबंध हटाने

के लिए कदम उठाने चाहिए। जो लोग इन सांपों को पकड़ते हैं वे गरीब और पद-दलित होते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं।

सोडा एश और विस्कोस रेशे का स्वदेशी उद्योग को हानि पहुंचा कर मुक्त रूप से आयात किया जा रहा है। हाल ही में, इन श्रेणियों की आयातित वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क बढ़ा दिया गया है, परंतु आयातित मूल्य को स्वदेशी उत्पाद की तुलना में काफी काम कर दिया है। इस तरह की नीति का पालन क्यों किया जा रहा है? हमारा अपना उद्योग इस प्रकार के अप्रतिबंधित आयातों से हानि उठा रहा है। जब मांग होती है, और जब हम वे परंतु स्वयं बना सकते है, तो आयात की क्या आवश्यकता है? मूल्य कम दर पर क्यों नहीं निर्धारित किये जा सकते हैं? हम आयात को कैसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं निम्नलिखित प्रश्न उठाना चाहता हूं: (1) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम ने 1981 में, बुल्गारिया से 10,000 टन सोडा एश का आयात किया था? (2) क्या राज्य व्यापार निगम ने मूल्य 2, 250/रुपये प्रति टन से 1,800/- रुपये प्रतिटन तक कम कर दिए हैं जबकि वे इसे बेच नहीं सके? (3) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के पास अभी भी भण्डार है, और (4) किराये, ब्याज, बीमा और प्रशासनिक व्यय सहित मूल्य घटाने के कारण राजकोष को कुल कितनी हानि हुई?

हाल में घोषित आयात नीति में, सोडा एश को ओपन जनटल लाइसेन्स से बाहर कर दिया गया है। यह कार्यवाही बहुत पहले की जानी चाहिए थी। बहाहाल, अब ऐसा कर दिया गया है। मैं इस कार्यवाही के लिए माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

पूर्ति विभाग के संबंध में, मुझे यह कहना है कि पूर्ति और निपटान महानिदेशालय को फैक्टरियों द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों को की गई पूर्ति का निरीक्षण करना होता है और यह सुनिश्चित करना होता हैं कि वेदर ठेके की शर्तो पर कायम रहे। फैक्टरियों से जारी की गई सीमेंट की बोरियां न केवल भारतीय मानक संस्थान के स्तर की नहीं है, बल्कि निश्चित मात्रा से भी कम होती हैं, वे 2% को सहब सीमा के रूप में अनुमति देते हैं। इसकी अनुमति क्यों दी जानी चाहिए यह एक राज है। फैक्ट- रियां पूर्ति के समय सही वजन सुनिश्चित क्यों नहीं करती हैं? पूर्ति और निपटान महानिदेशालय सही वजन सुनिश्चित क्यों नहीं करता है? कतिपय फैक्टरियां, इस सहमसीमं का लाभ उठा रही है, वास्तव में 50 किलोग्राम प्रति बोरी की निर्धारित मात्रा से कम वजन करती हैं। भारतमें निर्मित सीमेंट की किस्म का स्तर आयातित सीमेंट की किस्म से बहुत घटिया है यह आई० एस० एस० और बी० एस० एस० द्वारा निर्धारित मानक में अंतर के कारण हो सकता हैं। आई० एस० एस० के मानक बी० एस० एस० के बराबर निर्धारित क्यों नहीं किया जा सकते हैं।

यह देखा गया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय नौवहन निगम का कहना है कि इस प्रकार की नौवहन निकासी सेवा लाभ दायक नहीं हैं, भारतीय नौवहन निगम सहित अन्य संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, इस विभाग के एक स्कंध द्वारा मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, आदि गोदियों में उपलब्ध की जा रही नौवहन और निकासी सेवा का विस्तार किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, इस स्वर्ग द्वारा मद्रास बंदरगाह पर 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान 2 ठेकों का एक किया गया इस में 1983-84 का प्रस्तावित काम भी हैं, जबकि आयात टन भार में 55000 से 75,000 तक वृद्धि हुई है। इस विग के काम में निर्यात और आयात के संबंध में टन भार के उतारने-चढ़ाने की दिशा में सुधार लाने के लिये प्रयास दिये जाने चाहिये।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : जनाबे आली, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने मुझे पहले बोलने के लिए टाइम दे दिया।

जहां तक ट्रेड ऐंड कामर्स मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, मैं इस मिनिस्ट्री और खास तौर से मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि हमारे मुल्क पर जो एक बहुत बड़ा बोझ है ओर था, जो बाहर से हम तेल मंगवा रहे थे जिसकी कीमतें बहुत बढ़ गई थीं और उसको लाने से हमारे देश का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा था, उसको कम करने की कोशिश इन्होंने की है और बहुत कामयाबी से की है। 1980-81 में जो 5850 करोड़ का डेफिसिट था उसको 1981-82 में 5837 करोड़ पर स्टैबलाइज कर दिया। 1982 के पहले 9 महीनों में उसको 4060 करोड़ तक ले आए जोकि पिछले इसी पीरियड के मुकाबले में लोयए था। इस तरह से उन्होंने डेफिसिट को कम किया।

इसके साथ-साथ जहां तक हमारी एक्सपोर्ट्स का ताल्लुक है, 1980-81 में 3, 9 परसेंट हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, 1981-82 में 16,3 परसेन्ट बढ़ा। और 1982-83 में 15,1 परसेन्ट बढ़ा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मिनिस्टर साहब ने काफी मेहनत की है इसलिए वे दाद के मुस्तहक हैं। मेरा ऐसा खयाल हैं। कि 1982-83 में 9000 करोड़ का एक्सपोर्ट होगा जबकि 1981-82 में वह सिर्फ 7802 करोड़ का ही था। प्रोसेस्ड फूड, काटन टेक्सटाइल और दूसरी मुख्तलिफ चीजों को बाहर भेजकर हमारे मुल्क का एक्सपोर्ट बनाया गया है। थर्ड वर्ल्ड के डेवलपिंग कन्ट्रीज और नानएलाइन्ड कन्ट्रीज को हमारे मुल्क की तरफ से मदद भी की जा रही है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और दुनिया में इकोनामिक स्टैबिलिटी आ सके। आज दुनिया में जो एकोनामिक क्राइसिस चल रही है उसके बावजूद इस मिनिस्ट्री ने हमारे देश की फारेन और इन्टर्नल ट्रेड को आगे बढ़ाया है।

थर्ड वल्ड कन्ट्रीज में एकोनामिक क्राइसिस है उस पर भी काबू पाना है। यह भी जरूरी है कि उन मुल्कों को मजबूत बनाया जाए और इसके लिए हमारी तरफ से कोशिश भी हो रही है। इस मिनिस्ट्री के जरिए से और बाहर जो मुख्तलिफ इदारे हैं वहां पर हमारे मिनिस्टर साहब खुद जाकर हिस्सा ले रहे हैं या मिनिस्ट्री के आफिसर्स जा रहे हैं। ज्वाइन्ट वैन्चर्स के जरिए से भी काम किया जा रहा है। हवाई जहाज के अड्डे बिल्डिंग्ज, हास्पिटल और यूनिवर्सिटीज की बिल्डिंग्ज को बनाने में मदद दी जा रही है। टेक्निकल नो-हाऊ और माली मदद भी दी जा रही है। ज्वाइन्ट वेन्चर्स के जरिए से भी काम कर रहे हैं।

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। 1981-82 में उसने 555 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, 1982-83 में 647 करोड़ का किया और 1983-84 में 762 करोड़ का एक्सपोर्ट पोजेक्टेड है। फुटवीयर, टेक्सटाइल गार्मेन्ट्स; फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को

बढ़ाते जा रहे हैं। एक बात के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। जहां तक लेदर टेक्नोलाजी का सवाल है, मैंने मद्रास में सेन्टर देखा है, लेदर टेक्नालाजी में हम दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से आगे हैं। किसी जमाने में हमारी लेदर फुटवीयर की ट्रेड बहुत अच्छी थी।

प्राइवेट सैक्टर में क्वालिटी कन्ट्रोल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है मैं मास्को गया था, तो वहां एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट निगम के चेयरमैन ने मुझे से कहा हमने काले जूतों का आयात किया था परन्तु जब वे हमें मिले तो उसमें हरे जूते थे' इन बातों को हमें रोकना चाहिए। क्वालिटी कन्ट्रोल निहायत जरूरी है। टैक्सटाइल के अन्दर ही नहीं, बल्कि दूसरी चीजों में भी । एस० टी० सी० की एफिशियेंसी क्वालिटी कन्ट्रोल में नीचे आ रही है। फ्री-ट्रेड जोन कांडला में कायम किया है वहां अच्छा काम हो रहा है। मैं पालिसी के तौर पर मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि जब तक ट्रेड का डामैस्टिक बेस मजबूत नहीं होगा, तब तक फारन ट्रेड जिन्दा नहीं रह सकती है। किसी वक्त 50 कंसीड्रेशन्स सामने आ जाती हैं। हमें किन शर्तों पर सामान को लेना है, वे आपको कबूल है या नहीं है, इन सब को देखते हुए सबसे पहले आपको अपने घर का डामैस्टिक फ्राण्ट मजबूत करना होगा। आप एक्सपोर्ट के लिए प्रोजैक्ट्स बना रहे है, उसके लिए आपको पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग एरियाज को डवेलप करना होगा। हमें महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देकर अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। हम इस किस्म का काम करें जिससे हमारे मुल्क का प्रोडक्शन बढ़े, एम्पलायमेंट बढ़ें। खास कर के जो हमारे ट्रेडिशनल्स ट्रेड्स है, जैसे हैण्डीक्राफट और निटवीयर, जिससे हमारे लोगों को काम काज मिल सकता है इस ओर भी काम करना चाहिए।

एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं। आपका ट्रेड कोई मायने नहीं रखता है, जब तक कि आप तीनों सैक्टरों पर ध्यान नहीं देते हैं। प्राइवेट सैक्टर में मैंने देखा है कि वह सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, बहुत सोचालाकियां कर रहा है। टैक्नालाजी इम्पोर्ट करने के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर प्राईवेट सैक्टर में टैक्नालाजी या कोई और चीज के नाम पर विदेश में कर्जा लेते हैं। मैंने देखा है कि 33 हाउसेस ऐसे हैं, जो विदेशों कॉमर्शियल बारोईंग्र कर रहे हैं और 90 के करीब ऐसे हैं सप्लायर क्रेडित गवर्नमेंट आफ इण्डिया की गारन्टी नहीं है, रिजर्व बैंक की गारण्टी नहीं सिर्फ इजाजित ही लेते हैं। जब तक कर्जा देने वाले को फायदा न हो और रिसू न हो, कौन विदेश में कर्जा देगा। अच्छी तरह से इन बातों को देख लेना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्राइवेट सैक्टर ही नहीं को-ओपरेटिव सैक्टर को भी बढ़ाना चाहिए। खास कर इन्डस्ट्रीयल को-ओपरेटिव सैक्टर और दूसरे को ओपरेटिव सैक्टर की ओर आपको ध्यान देना चाहिए और स्पेशियल एफर्ट करने चाहिए।

आपने कुछ कन्सेशन्स दिए हैं, इन्सैन्टिव दिए हैं। स्माल स्केल सैक्टर और को-आपरेटिव सैक्टर को तरजीह देनी चाहिए। को-ओपरेटिव सैक्टर को नइसैंटिव ज्यादा देने चाहिए। स्माल स्केल सैक्टर में लार्ज और मिडिल सैक्टर को सिर्फ इनकम टैक्स में रियायत देनी चाहिए। इसकी तरफ भी आप को ध्यान देना चाहिए। जो इन्सैंटिव दिए, वे भी विद-ड्रा कर लिए हैं, इस पर आपको दोबारा सोचना चाहिए। इस की वजह से स्माल स्केल सैक्टर और को-आपरेटिव सैक्टर हार्ड-हिट हुए हैं।

काआपरेटिव सैक्टर के खास तौर पर कहा जाता है कि स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज के लेविल पर आ जाओ, तो एक्सपोर्ट कन्सेशन मिलेगी आप अच्छी तरह से जानते हैं और मिनिस्टर साहब भी इस बात को जानते हैं कि काआपरेटिव सैक्टर में जो गरीब आर्टीशन्स हैं, उन को ही काआपरेटिव सोसाइटी रेप्रेजेन्ट करती है। इसलिए डेवलपमेंट कमिश्नर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को उन को कोआपरेटिव सैक्टर वाले इदारों कोआपरेटिव एक्सपोर्ट हाऊस और स्माल-स्केल इन्डस्ट्रियल एक्सपोर्ट हाउसेज हैं उन केरट बार बरताओ नहीं करना चाहिए बल्कि उन कोपरेटिव एक्सपोर्ट हाउसेज को स्माल स्केल इन्डस्ट्रीयल एक्सपोर्ट हाउसेज से ज्यादा फैसीलीटीज देनी चाहिए क्योंकि वे वीकर सैक्टर को रेप्रेजेन्ट करते हैं और उनका अपना कोई पर्सनल इन्ट्रेस्ट नहीं होता है। इसलिए उन को ज्यादा बैनीफिट्स देने चाहिए और काआपरेटिव एक्पोर्ट हाउसेज की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सेन्ट्रल रजिस्ट्रार आफ काआपरेटिव्ज की रजिस्ट्रेशन के मामले में बनिस्बत डेवलपमेंट कमिश्नर आफ स्माल स्केल इडस्ट्रीज की रजिस्ट्रेशन ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए।

अब जहां तक चाय का ताल्लुक है और काफी का ताल्लुक है, इन का कम्पीटीशन मल्टी नेशनल कम्पनियों के साथ है खास कर ब्रुकबोंड और लिप्टन कम्पनियों से हैं। मैं ने बाहर जा कर देखा है कि इन के साथ ज्यादा कप्पीटीशन है। इस में आप का जो टी बोर्ड है और टी कारपोरेशन है, वे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। एन०एफ०आई० सी० जैसे जो अदारे है, जो बाहर टी फोल्ड कर रहे हैं, उन को इन्सेन्टिव देना चाहिए ताकि चाय जो है वह बाहर जा सके और लोगों के मुंह में यह जा सके। अगर लोग इसको पीने लगते हैं, तो एक चस्का उनको लग जाएगा और फिर मार्केट को एक्सप्लायट किया जा सकता है। स्केन्डीनेवियन कन्ट्रीज में हमारी चाय काफी को डिस्प्लेस कर रही है। एक दफा टी वहाँ चली जाएगी और उसको वहां पर बेचेंगे, तो मार्केट को केप्चर किया जा सकता है और एक दफा आर मार्केट केप्चर हो जाती है, तो फिर जैसा चाहें, वैसा कर सकते हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इसमें कोआपरेटिव सैक्टर को बढ़ावा देना इसको ग्रो करने के लिए, इसको सेल के लिए और चाहिए। इसके प्रडोक्शन को बढ़ाने के लिए स्माल और मार्जीनल कारमर्स को प्रोत्साहन देना चाहिए।

हैन्डीक्राफ्ट्स का जहां तक ताल्लुक है, इस में सरकार को हैन्डीक्राफ्ट्स के टूल्स को माडर्नाइज करना चाहिए। हैन्डीक्राफ्ट्स सिवाय कोआपरेटिव्ज के और दूसरे सैक्टर में नहीं चलेगा। इसी तरह से कारपेट्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए मगर इस में प्राईवेट सैक्टर की बजाय आर्टीशन्स को फायदा पहुँचाना चाहिए। मैं ने अपनी स्टेट में इन की काआपरेटिव सोसइटीज को बढ़ावा देने के लिए काम किया है लेकिन में यह बताना चाहता हूं कि इनको एक्सपोर्ट करने का हमारेपास कोई जरिया नहीं है। इसलिए काआपरेटिव सैक्टर में जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, उन के द्वारा इन के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

वुल और वूलन्स के मुत्ताल्लिक मुझे वह कहना है कि हमारे यहाँ जो वूल पैदा होती है, हिमाचल प्रदेश में और हमारे यहां जो वूल पैदा होती है, वह आस्ट्रेलिया की वूल से क्वालिटी में कम नहीं है, उस के बराबर ही है लेकिन हो यह रहा है कि उस को मिक्स कर के प्राइवेट सैक्टर वाले गारमेंट्स की क्वालिटी को खराब करते हैं। इस चीज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

एक आखरी बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। एस०टी०सी० को एडीबिल आयल का डिपो हर स्टेट के अन्दर खोलना चाहिए। चन्द स्टेट्स में यह है और चन्द में नहीं है। 4 पर सेन्ट इस में टेक्स पड़ जाता है और 4 पर सेन्ट का मतलब यह है कि 10-12 पर सेन्ट ज्यादा में जा कर वह फोल्ड होता है, जिस का असर गरीब आदमियों पर पड़ता है। मेरी स्टेट 29 में कोई डिपो नहीं है और एस०टी०सी० को यह डिपो खुलवाना चाहिए। बाकी जो दूसरी बातें मैंने कही है, उन रप मंत्री महोदय ध्यान दें।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेली कारा) : मैं वाणिज्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। यह मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है क्योंकि इसका संबंध विदेश व्यापार से है, जो कि हमारे देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है।

विदेश व्यापार के दो महत्वपूर्ण भाग है निर्यात एवं आयात 1 इस मंत्रालय की विदेशी व्यापार में वृद्धि करने और देश के आयात बिल में कटौती करने के बारे में सफलता और असफलत का मूल्यांकन मंत्रालय के प्रयासों की जांच से किया जा सकता है।

"इस दृष्टिकोण से देखने पर मेरा विचार है कि यद्यपि हमरी स्थिति में पूरी तरह से सुधार नही हुआ है तथापि माननीय मंत्री तथा मंत्रालय अपने कार्यों पर गर्व कर सकते हैं। मंत्रालय के कार्यनिष्पादन पर विचार करते समय हमें व्यापार के संबंध में विश्व की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए वाणिज्य मंत्रालय ने अपने प्रतिवेदन में कहा है विश्व की व्यापार तथा आर्थिक स्थिति पिछले कुछ वर्षों से निरन्तर गिर रही है जिसके परिणाम स्वरूप विकासशील देश सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विश्व में 1981 में उत्पन्न में केवल 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि 1980 से भी कम है... 1981 के विश्व व्यापार का मूल्य लगभग 2000 बिलियन डालर था जो 1980 में 1 प्रतिशत कम था और भत्ता के दृष्टि से विश्व व्यापार में मन्दी रही"।

विश्व व्यापार की इस मन्दी की पृष्ठभूमि में हमें इस मंत्रालय के कार्यनिष्पादन पर विचार करना हैं। मुझे प्रसन्नता है कि विश्व व्यापार की इस निरूप्सदी प्रवृति के बावजुद मंत्रालय ने प्रगति प्राप्त की है और इसके प्रयासों के अच्छे परिणाम निकले है।

प्रतिवेदन के अनुसार 1981-82 के दौरान हमारे निर्यातों में 16.3 प्रतिशत वृद्धि हुई जो कि पिछले वर्ष अर्थात 1980-81 में केवल 3.9 प्रतिशत थी, इसी प्रकार 1982-83 के पहले 9 महीने के दौरान हमारे निर्यातों में पिछले वर्ष की तुलनात्मक अवधी की अपेक्षा 15.1 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह प्रशासनीय उपलब्धि है और मुझे विश्वास है कि मंत्रालय निर्यातों में इस प्रवृति से जारी रखेगा।

आयात बिल में कटौती के संबंध में भी स्वागत योग्य प्रवृति दिखाई देती है पिछले वर्षों में हमारे आयात बिल में निरन्तर वृद्धि हो रही थी परन्तु यह अच्छी बात है कि मंत्रालय इस भार को भी कम कर सका है और हमारे आयात बिल के कमी की प्रवृति नजर का रही है। 1979-80 में हमारा आयात बिल 34-2 प्रतिशत तक बढ़ गया था और 1980-81 में यह

बढ़ कर 37.4 प्रतिशत हो गया था। इस वृद्धि के कारण एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है हमें बाध्य होकर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश से ऋण लेना पड़ा। तथापि 1982 में इस आयात बिल को 37.4 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक पाया गया है इस प्रकार हमें पता चलता है कि निर्यात की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है और आयात बिल में भी कटौती हुई है। यह बहुत स्वागत योग्य प्रवृति है। इसके लिए मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : आपका धन्यवाद।

प्रो० पी० जे० कुरियान : परन्तु मैं कुछ अन्य बातों की ओर आ रहा हूं।

सभापति महोदय (श्री चिंतामणी पाणिग्रही) : पांच मिनट व्यतीत हो चुके हैं अब केवल 2 मिनट का समय शेष है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आयात प्रतिष्ठान के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं और मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता। हम तेल के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें सफलता से आयात बिल पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और आयात बिल में और भी कमी होगी।

प्रतिवेदन के माध्यम से मैंने देखा है कि 1982-83 के दौरान समुद्री उत्पादों, तम्बाकू, संबंधित खाद्यान्न, इंजीनियरिंग वस्तुओं रसायनों आदि का निर्यात निष्पादन अधिक अच्छा हो परन्तु उसके साथ ही काजु चमड़े ऊनी सामान, आदि के निर्यात निष्पादन में गिरावट आई है।

प्रो० एन० जी० रंगा : पटसन में भी

प्रो० पी० जे० कुरियन : पटसन में भी। इस गिरावट का प्रभाव हमारे उद्योगों पर पड़ा है विशेष रूप से काजु के संबंध में करेल और तमिलनाडु पर प्रभाव पड़ा है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय (चिंतामणि पाणिग्रही) : यदि आप समाप्त नहीं करेंगे तो अगले सदस्य का नाम पुकारूंगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन (चिंतामणि पाणिग्रही) : मैंने कितना समय लिया है?

सभापति महोदय (चिंतामणि पाणिग्रही) : लगभग 5 मिनट

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप मुझे बतायें कि आप मुझे कितना समय दे रहे हैं मैं उसमें समाप्त कर दूं।

सभापति महोदय (चिंतामणि पाणिग्रही) : आप पांच मिनट ले चुके हैं। केवल 2 मिनट का समय शेष है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : केवल 5 मिनट मेरा विचार था कि आप मुझे 10 मिनट का समय दे रहे हैं।

सभापति महोदय (चिंतामणि पाणिग्रही) मैं 10 मिनट नहीं दे रहा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप ने अब जो समय लिया है वह मुझे दें।

सभापति महोदय (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : आप व्यर्थ समय खराब कर रहे हैं। 14 अन्य वक्ता हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं केरल से चुना गया हूं। मैं केरल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद सदस्य हूं।

सभापति महोदय (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : परन्तु आप केरल की बात नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं इस बात को मानता हूँ। आप मुझे नियन्त्रित कर सकते हैं परन्तु मुझे यह मत बतायें कि मैं किस प्रकार बोलूं।

सभापति महोदय (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : केरल पर बोलें। आप केरल की बात क्यों नहीं करते ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : आपका धन्यवाद। मैं केरल के विषय में बोलूंगा। मेरा विचार था कि पहले सामान्य बात करके केरल की बात करूंगा, क्योंकि अच्छा पक्ष दिखाने के बाद ही मैं दूसरा पक्ष दिखा सकता हूं।

मुझे केरल के बारे में पिछले वर्ष घोषित की गई आयात नीति का उल्लेख करना है। आयात नीति में मैंने देखा है कि केरल में पैदा की जाने वाली अधिकतर नकदी फसलों को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की छूट है। यह केरल में उद्योग तथा उत्पादकों के हितों प्रतिकूल है। जहां तक रबड़ का संबंध है माननीय मंत्री महोदय ने कुछ कहा है परन्तु मेरा विचार है कि इसकी जांच की जानी चाहिए। मेरे विचार से हमारा उत्पादन उद्योगों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। स्थिति यह है कि थोड़ी सी कमी को पूरा करने के लिए जब आयात किया जाता है तो उसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जहां तक नारियल तेल तथा अन्य वस्तुओं का सम्बन्ध है उनके उत्पादन का उद्योग तथा केरल के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मेरा मंत्री महोदय से एक अनुरोध है कि रबड़, नारियल तेल आदि के आयात पर पुनर्विचार किया जाये और यदि आप इनकी कुछ मात्रा के आयात की भी अनुमति देते हैं तो आप को यह अनुमति सावधानीपूर्वक जांच तथा मूल्यांकन के बाद देनी चाहिए।

पिछले वर्ष सोवियत रूस ने हमसे 21000 टन काजू खरीदा और इस वर्ष उन्होंने अभी तक कोई मात्रा नहीं खरीदी है। आपके द्वारा किये जा रहे प्रयासों का मुझे पता है। परन्तु वर्तमान स्थिति क्या है। केरल और तमिलनाडु के 2 लाख कर्मचारी भूखें मर रहे हैं और उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है। पिछले वर्ष एकाधिकार खरीद की गई परन्तु इस वर्ष ऐसा नहीं किया गया है। उत्पादकों को हानि हो रही है, मजदूर भूखें मर रहे हैं और लगभग 25000 टन काजू बेकार पड़ा है। हमारा मुख्य खरीदार सोवियत रूस है। मुझे नहीं

पता कि इस वर्ष उन्होंने क्यों खरीदारी नहीं की। सोवियत रूस मित्र देश है अतः मन्त्री महोदय को उसे काजू खरीदने के लिए सहमत कराना चाहिए।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : केवल भारत से।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हां भारत से। मैं उनकी समस्या को जानता हूं। वे किसी अन्य देश से खरीद रहे हैं। मुझे इसकी चिन्ता नहीं कि यह रुपयों की समस्या है अथवा कोई अन्य। परन्तु यदि इस ओर गम्भीरता से नहीं सोचा गया तो 2 लाख मजदूर भूखों मरेंगे मुझे इतना ही कहना है और मेरा मन्त्रालय से अनुरोध है कि इसे गम्भीरता से सोचा जाये।

जैसा मैं पहले कह चुका हूं समुद्री उत्पादों के निर्यात का जहां तक संबंध है हमने लक्ष्य पार कर लिया है और मुझे इससे बहुत प्रसन्नता है। परन्तू मेरा यह कहना है कि इस दिशा में हम अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। यह विपुल संसाधन है और हम उसके कुछ प्रतिशत को भी नहीं छू रहे हैं। हमारा 200 मील की आर्थिक सीमा है और बहुत बड़ा समुद्री तट है। हाईवान को देखें। उनके पास 700 डालर हैं। जापान के पास 14000 डालर हैं। परन्तु हमारे पास केवल 15000 डालर हैं। मेरा अनुरोध है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की ओर विशेष ध्यान दिया जाये क्योंकि उससे हमारी निर्यात आय बढ़ेगी। वाणिज्य मंत्रालय को तकनीकी रूप से उन्नत किस्म के डालर आयात करने चाहिए और युवाओं को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मैं संयुक्त उपक्रमों अथवा चार्टर पर नौकाएं लेने का समर्थन नहीं करता।

वर्ष 1982 में संयुक्त उपक्रमों तथा चार्टर पर नौकाओं के संबन्ध में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह देश के हित में नहीं है। मैं उद्धृत करता हूं;

"संयुक्त उपक्रमों के अधीन अथवा चार्टर पर डालर लेने से न तो तेजी से आयात में अथवा न उनके स्वदेशी निर्यात में कोई सहायता मिली जैसाकि सोचा गया था। इसके अतिरिक्त चार्टर किये गये नौकाओं से निर्यात का प्रति किलोग्राम वसूली मूल्य 2.28 रु० से 5.38 रु० के बीच में था जब कि अन्य देशों को उसी प्रकार की ताजा मछली की उन्हीं किस्मों के निर्यात से प्रति किलो ग्राम 7.74 रु० से 15:40 रु० का मूल्य प्राप्त हुआ। इसके कारण लगभग 6.85 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की हानि हुई।"

मैंने यह कहा कि हमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ने तथा अपने युवाओं को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके साथ साथ हमें सयुक्त उपक्रमों तथा चार्टर पर नौकाएं लेते को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है।

मैं संक्षेप में काजू के संबन्ध में अनुरोध करता हूं। यदि आपने कुछ नहीं किया तो 2 लाख लोग केरल में भूख से मर जायेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं राष्ट्रीय पटसन निर्माण निगम का उल्लेख कर रहा हूं। यह राष्ट्रीयकृत उपक्रम है और इसके अधीन 6 राष्ट्रीयकृत पटसन मिलें हैं। मैं नहीं

जानता कि इनका पेटरन कौन है। इन मिलों के बारे में कोई भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का इच्छुक नहीं है। मैंने अनेक पत्र लिखे हैं। मै इस बात को स्वीकार करता हूं कि केन्द्रीय मंत्री पत्र की पावती को कम से कम स्वीकार करते हैं और संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर देते हैं। परन्तु जहां तक राष्ट्रीय पटसन निर्माण निगम का संबन्ध है यह इस बात से परे है। किसी के द्वारा पत्र का उत्तर नहीं दिया जाता।

राष्ट्रीयकरण के बावजूद सेवा शर्तें तय नहीं की गई हैं। ऐसी अफवाह है कि सेवा शर्तें तय की जा रही हैं और कर्मचारियों पर थोपी जायेंगी। किसी एक यूनियन के साथ भी परामर्श नहीं किया गया है। एन० जे० एम० सी० स्टाक एसोसियेशनों का एक फेडरेशन है। मैं उसका प्रेसीडेंट हूं। इन 6 मिलों में से 5 मिलों के कर्मचारियों की एसोसियेशनें इस फेडरेशन की सदस्य हैं। इस बात को ध्यान में नहीं रखा जा रहा। मैंने मंत्री महोदय को तार भेजा है। शायद वह विदेश दौरे पर थे। उसका कोई जवाब नहीं आया है। कोई कारंवाई नहीं की गई है। मेरा अनुरोध है कि कर्मचारी एसोसियेशन के साथ सेवा शर्तों के बारे में बातचीत की जाये अथवा यदि आपने स्वयं अपने आप तय कर दी और कर्मचारियों को उनको मानने को बाध्य किया गया तो उसका विरोध होगा।

मैं औद्योगिक सम्बन्धों पर भी कुछ कहना चाहता हूं। यह फेडरेशन 90 प्रतिशत कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करती है। हमारी बात को कोई महत्व नही दिया जा रहा। प्रबन्धकों द्वारा हमारे पत्रों का उत्तर नहीं दिये जाते। उनका कहना है कि सोमनाथ चटर्जी हम तुम्हारे साथ संसद सदस्य के नाते बात कर सकते हैं परन्तु फेडरेशन के प्रेसीडेंट के नाते नहीं। यह उनका रवैया है। क्या सरकारी उपक्रम केन्द्रीय सरकार के उपक्रम अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यही रवैया अपनायेंगे ? क्या कर्मचारियों को बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाली एसोसियेशन को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा ? (व्यवधान) मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं। दुर्भाग्य से यह निगम भ्रष्टाचार से भरा है। मुझे विश्वास है कि श्री संगमा इस बात को स्वीकार करेंगे। ऐसे उदाहरण मैंने मन्त्रालय को अनेक बार बताए हैं और मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है।

सभापति महोदय (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : अब गृह मन्त्री को एक वक्तव्य देना है।

अमृतसर में 25 अप्रैल, 1983 को हुई घटना के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय,

मुझे बड़े दुख और खेद के साथ इस सदन को सूचित करना है कि कल प्रातः 11·10 बजे पुलिस उप महानिरीक्षक, जलन्धर श्री ए० एस० अटवाल की हत्या कर दी गई, जब वे प्रार्थना के लिए दरबार साहब, अमृतसर में जा रहे थे। पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार

अमृतसर में चौक घंटाघर की ओर दरबार साहब के मुख्य प्रवेश द्वार के बिल्कुल बाहर उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि जब वे श्री गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेकने के बाद दरबार साहब से बाहर आ रहे थे तो एक अज्ञात सिख युवक द्वारा उन पर गोली चलाई गई। बताया जाता है कि आक्रमणकारी राइफल लेकर दरबार साहब परिसर के अन्दर से आया था और अपराध करने के बाद दौड़कर वापस दरबार साहब में चला गया। लगभग ग्यारह वर्षीय लड़का वरिन्द्रजीत सिंह और कलविन्दर सिंह, जो अमृतसर के रहने वाले हैं, को भी चोट आई और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वरिन्द्रजीत सिंह की चोट के कारण मृत्यु हो गई है और कलविन्द्र सिंह चिन्ताजनक स्थिति में है। दल खालसा के क्रियावादियों सहित जिन अपराधियों की जरूरत है, उनके सम्बन्ध में पूजा के स्थानों में शरण लेने के बारे में जो सूचना सरकार को समय समय पर मिलती रही है, उसकी पुष्टि दरबार साहब के प्रवेश द्वार के पास कायराना अपराध से हो जाती है। पंजाब में सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को सतर्क कर दिया है और पुलिस महानिदेशक तुरन्त घटनास्थल पर पहुँच गए हैं। अभियुक्त को सुपुर्द करने के लिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा किए गए अनुरोध पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

सरकार ने इस मामले की जांच पड़ताल का कार्य केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को सौंपने का निर्णय किया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक पंजाब जा रहे हैं।

जैसा कि सदन को मालूम है मैंने सभी सम्बन्धों कों हिंसा का त्याग करने और हिंसा भड़काने के लिए पूजा के स्थानों का प्रयोग न करने की अपील की थी। माननीय सदस्यों ने भी ऐसी ही भावनाएं व्यक्त की हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

सरकार विभिन्न मामलों का समाधान करने के लिए पूर्ण प्रयास करती रही है। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि ऐसी घटनाएं और हिंसक गतिविधियां समाधान ढूंढने में मदद नहीं करती हैं।

मुझे विश्वास है कि सदन सभी सम्बद्धों विशेष कर शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के नेताओं से यह अपील करने में मेरा साथ देगा कि ऐसी हिंसक घटनाएं जिनमें निर्दोष व्यक्तियों की जान जाती है की पुनरावृत्ति न हों।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : मेरा अनुरोध है कि हम इस बहादुर अधिकारी की मौत पर शोक व्यक्त करें और उस तरीके की निंदा करें जिससे उसकी हत्या की गई है।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) हम इससे सहमत हैं। मैं समर्थन करता हूं रंगा जी की बात का।

सभापति महोदय (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : सदन में इस पर चर्चा की जा रही है।

अब श्री पी० ए० संगमा, वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री बोलेंगे।

अनुदानों की मांगें, 1983-84

वणिज्य मंत्रालय तथा पूर्ति विभाग

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : हमारे पास समय की बहुत कमी है अतः मैं संक्षेप में ही बोलूंगा। में हथकरघा क्षेत्र, हस्तशिल्प क्षेत्र तथा रेशम कीट पालन उद्योग का संक्षेप से उल्लेख करूंगा। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा।

हथकरघा उद्योग हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्व क्षेत्र है। इसकी उत्तम कारीगरी की लम्बी परम्परा है और रोजगार की दृष्टि से इसका स्थान कृषि के बाद आता है। यह उद्योग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार देता है।

15·04

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

श्री पी० ए० संगमा : केन्द्र सरकार ने 1981 की कपड़ा नीति में इसे बहुत महत्व का स्थान दिया और इसे देश का मुख्य कपड़ा कहा। मुझे प्रसन्नता है कि एक अथवा दो सदस्यों को छोड़ कर चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों ने अनुरोध की समस्याओं का उल्लेख किया है और इस उद्योग के प्रति इतनी अधिक खर्च दिखाई है। समय की कमी के कारण मैं माननीय सदस्यों की कुछ बातों का उत्तर दूंगा।

श्रीमती गोपालन ने अनेक बातों का उल्लेख श्रेय है और दाने की बढ़ती कीमत पर चिन्ता व्यक्त की हैं। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा स्थिति इस वर्ष बेहतर लगती है और मूल्यों में स्थिरता आई है। 1982 के दिसम्बर से मूल्यों में गिरावट आनी आरम्भ हो गई है। (व्यवधान) जहाँ तक गलीचों का संबंध है यह हस्तशिल्प के अन्तर्गत हैं अतः बाद में उसका उल्लेख करूंगा।

माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि केरल से हथकरघा उत्पादों का निर्यात घट रहा है। दुर्भाग्य से सरकार के पास राज्य-वार आंकड़े नहीं है। हमारे पास देश भर के आंकड़े हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि सारे देश को ध्यान में रखते हुए हथकरघा वस्तुओं का निर्यात घटा नहीं है और इस क्षेत्र में हमने निर्यात कार्य निष्पादन की बढ़ती प्रवृत्ति को बनाए रखा है।

श्री कुचन ने कहा कि देश में लगे हुए कार्य 37 लाख करघों में से केवल 20 लाख कार्य कर रहे हैं और शेष कार्य नहीं कर रहे। मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता कि सभी 37 लाख करघे काम कर रहे हैं परन्तु यह सम्भव है कि कुछ करघे काम न कर रहे हों। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि जहाँ तक उत्पादन का सम्बन्ध है इसमें वृद्धि हो रही है। अतः हम आसानी से इस बात को मान सकते हैं कि हमारे करघे काम कर रहे है। अन्यथा उत्पादन में वृद्धि न हो पाती।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलप्पी) : यह ठीक नहीं है। कम से कम केरल और तमिल नाडु में लगभग सभी हथकरघा बुनकर प्रभावित हैं और उनके पास कोई काम नहीं है।

श्री पी० ए० संगमा : यदि आपकी जानकारी में कोई विशेष क्षेत्र है जहां पर करघे काम नहीं कर रहे तो आप कम से कम हमें सूचित कर सकते हैं और हम उसकी जांच करेंगे। देश में हथकरघा क्षेत्र की स्थिति जहां तक प्रश्न है उत्पादन के उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। मैं इतना कह सकता हूं कि अनुमान यही है कि करघे काम कर रहे हैं और मेरा यह तात्पर्य नहीं कि ऐसे कोई करघे नहीं जो काम नहीं कर रहे।

श्री के०टी० कोसलराम (तिरुचेन्दूर) : तमिल नाडु में हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। मैं माननीय महिला सदस्या से पूरी तरह सहमत हूं।

श्री पी० ए० संगमा : श्री कुचन ने कहा कि योजनाएं इस आधार पर तैयार की जा रही हैं कि 37 लाख करघे काम कर रहे हैं। उनके अनुसार केवल 20 लाख करघे काम कर रहे हैं और शेष काम नहीं कर रहे। उनका कहना है कि हमारी आयोजना ठीक नहीं है। माननीय सभा की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि योजनाएं केवल सहकारिता क्षेत्र के लिए है और केवल 53 प्रतिशत के लगभग करघे सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। अतः काम न कर रहे करघों की राशियों के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह पैसा केवल सहकारिता क्षेत्र के लिए है।

श्री घोष द्वारा भी कुछ महत्वपूर्ण बाते उठाई गई। उन्होंने अनुसूचित जातीय बुनकरों की ससस्याओं की ओर सभा का ध्यान विशेषरूप से आकर्षित किया। मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि हमारे मंत्रालय ने अनुसूचित जातीय बुनकरों की बस्तियों का चयन करने और इस बात का पता लगाने का काम हाथ में लिए हैं कि विशेष रूप से उन लोगों को कितना पैसा मिल सका है।

हमने राज्य सरकारों को भी सलाह दी है कि वे अनुसूचित जाति के बुनकरों की ओर विशेष स्थान दें। श्री थोरट ने ऐसे बुनकरों के बारे में उल्लेख किया है जिनके पास करघे नहीं हैं और मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार औद्योगिक सहकारी समितियों जैसी समितियों की स्थापना करने की योजना को क्रियान्वित कर रही है जो केवल बिना करघा वाले बुनकरों के लिए ही है। उन्होंने महाराष्ट्र के बुनकरों की कुछ विशिष्ट समस्याओं का जिक्र किया है। मेरे पास अनेक इस विशेष निर्वाचन क्षेत्र के बारे बारे कोई विशेष जानकारी नहीं है। परन्तु एक योजना बनी हुई है...

श्री ए०सु० देसाई सेबस्तियने (करुर) परन्तु सरकार हमारे हथकरघा उत्पादों के लिए निर्यात बाजार की संभावना का पता नहीं लगा सके हैं। बंगलादेश और पाकिस्तान को अपने हथकरघा उत्पादों के लिए विदेशों में बहुत अच्छी मंडियां मिल गई हैं। सरकार को इस पहलू पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।

श्री पी० ए० संगमा : मैंने बताया है कि हमारा निर्यात कार्य निष्पादन अच्छा है। हमारा निर्यात बढ़ रहा है। माननीय सदस्य की जानकारी हेतु मैं यह बता रहा हूं कि वर्ष 1981-82 में हमारे हथकरघा उत्पादों के निर्यात लगभग 320.42 करोड़ रुपये के थे। और 1982-83 में जनवरी तक लगभग 274·92 करोड़ रु० के थे। अतः पिछले वर्षों की तुलना में आंकड़े अधिक हैं अतः मैं अभी भी इस बात पर दृढ़ हूं कि हमारा निर्यात कम नहीं हो रहा है।

श्री थोरट ने हथकरघा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाये जाने का उल्लेख किया है। वस्तुतः प्रौद्योगिकी का दर्जा बढ़ाने की हमारी योजना भी है गतवर्ष हमने लगभग 95 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी दिलवाई थी और चालू वित्त वर्ष के दौरान हमने करघों के आधुनिकीकरण के लिए एक करोड़ रुपये नियत किए हैं और हमें आशा है कि इस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत इस एक करोड़ रुपये की राशि में से 20,000 बुनकरों को लाभ मिलेगा।

मुझे यह याद नहीं है कि सदस्यों ने कौन से अन्य मुद्दे उठाये हैं। मैं समझता हूं कि ये मुद्दे हथकरघा क्षेत्र के बारे में उठाये गये हैं...

श्रीमती सुशीला गोपालन (अल्लेप्पी) : जब रुई का मूल्य कम हो रहा है तो धागे का मूल्य क्यों बढ़ रहा है ? रुई का मूल्य एक तिहाई कम हो गया है परन्तु धागे का मूल्य 50 प्रतिशत तक बढ़ गया है। आप इस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर सकते ?

श्री पी० ए० संगमा : मैंने कहा है कि जहां तक धागे के मूल्य का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि गत वर्ष दिसम्बर तक इसके मूल्य बढ़ रहे हैं परन्तु गत वर्ष दिसम्बर के बाद हमने निर्यात पर नियन्त्रण कर लिया है और मूल्य कम हो गये हैं। यही हमारी जानकारी है।

श्री के० राममूर्ति (कृष्ण गिरि) : यदि माननीय सदस्य चाहें तो हम धागा सप्लाई कर सकते हैं। महोदय, धागे का बाजार बहुत मंदा है।

श्री पी० ए० संगमा : मुझे प्रसन्नता है कि आप धागे की कमी के बारे में शिकायत नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसका उत्पादन खूब हो रहा है।

जहां तक हस्तशिल्प का सम्बन्ध है, मैं केवल दो तीन बातों का उल्लेख करूंगा हमने गत वर्ष क्या किया और इस वर्ष हमारा क्या करने का विचार है।

उत्पादन का आधार व्यापक बनाने तथा ग्रामीण और कोई अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों में लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए गलीचों, आर्ट मेटलवेयर, हाथ के छपे कपड़ों बेंत और बांस और लकड़ी की वस्तुओं सहित विभिन्न शिल्पों में संस्थागत प्रशिक्षण आरम्भ किया गया था—श्री मिश्र ने गलीचों की समस्या उठाई थी। सभा को याद होगा कि 1982-83 के दौरान हमने उन्नत प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए गत वर्ष के बजट में घोषणा की थी। जम्मू और कश्मीर में गलीचों की बुनाई के क्षेत्र में 65 उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र स्थगित करने का विचार है। इससे देश में हाथ बुने गलीचों की स्थिति में सुधार करने की काफी समय से महसूस की जा रही मांग पूरी हो सकेगी।

पीतल की वस्तुओं की किस्म में सुधार करने के लिए मुरादाबाद में लेकर तथा इलैक्ट्रो प्लेटिंग करने के लिए एक तकनीकी यूनिट स्थापित करने का विचार है। उत्पादों को विश्व के बाजार में और अधिक प्रतियोगी बनाने में मदद मिलेगी। भदोही में गलीचा प्रौद्योगिकी संस्थान तथा जयपुर में हाथ से छपे कपड़ों के लिए संस्थान की शीघ्रतापूर्वक स्थापना करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री मिश्र ने गलीचों से सम्बन्धित समस्या का विशेष उल्लेख किया है। मैं सभा को

सूचित करता हूँ कि गलीचों के क्षेत्र में अपने निर्यात बढ़ाने के लिए हमने गलीचों के लिए एक पृथक निर्यात संबर्धन परिषद गठित की है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : ठीक है।

श्री पी०ए० संगमा : वर्ष 1982-83 में दो विक्रय एवं अध्ययन हम अमरीका, कनाडा और खाड़ी के देशों में गये थे। जेद्दा में एक गलीचा प्रदर्शनी आयोजित की गई थी और भारत महोत्सव के एक भाग के रूप में हस्तशिल्प की एक और प्रदर्शनी लंदन में आयोजित की गई थी। चालू वर्ष में ऐसे ही निर्यात संवर्धन प्रयास जारी रहेंगे।

ये कुछ बातें जो हस्तशिल्प के संबंध में उठाई गई हैं। श्री डोगरा ने कारीगरों की समस्याओं के बारे में मुद्दा उठाया है। मैं सभा को सूचित करता हूँ कि हमने कारीगरों के परिवारों के शिक्षित सदस्यों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये हैं।

जहां तक निर्यात प्रक्रियाओं और नियमों तथा विनियमों के लिए प्रशिक्षण का संबंध है, हमने गत वर्ष ऐसे लगभग 4 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये। इस वर्ष हमारा विचार कारीगरों के लिए ऐसे लगभग 9 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने का विचार है। महोदय रेशम उत्पादन के बारे में बहुत सी बातें नहीं उठायी गई हैं। परन्तु मैं श्री संतोष मोहन देव से एक बात कहना चाहूंगा जिन्होंने बार-बार यह मुद्दा उठाया है। सभा को कर्नाटक में 80 करोड़ रुपये की लागत वाली विश्व बैंक की परियोजना के बारे में पता है। सभा को 10 करोड़ रुपये की लागत वाली भारत स्विसटसर परियोजना की भी जानकारी है। हमने मुगा के लिए नई परियोजना आरम्भ की है। आपको पता है कि विश्व में मुगा रेशम का उत्पादन करने वाला केवल हमारा ही देश है। गत अनेक वर्षों में मुगा का उत्पादन गिरा है। अतः हमने 3.5 करोड़ रुपए की लागत पर मुगा का उत्पादन सुधारने की विशेष परियोजना आरम्भ की है तथा यह राशि चार वर्षों में खर्च की जाएगी। यह इस वर्ष से आरम्भ की जा रही है। चालू वर्ष से आरम्भ करने के लिए 50 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। मैं आशा करता हूं कि समय को ध्यान में रखते हुए मैंने इन कुछ बातों का उत्तर दे दिया है।

सभापति महोदय (श्री सोमनाथ चटर्जी) : श्री राजन।

श्री ओस्कर फर्नान्डीस (उडीपी) : महोदय, मेरा स्पष्टीकरण का प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने दक्षिण कनाडा के लोगों की जिले को विश्व बैंक की सहायता के अन्तर्गत शामिल करने की मांग स्वीकार कर ली है। उनको कर्नाटक में दक्षिण कनाडा जिले में रेशम उत्पादन के लिए विश्व बैंक की सहायता प्रदान करती है।

श्री पी० ए० संगमा : कर्नाटक राज्य में 80 करोड़ रुपये की परियोजना चल रही हैं जो कहीं अन्यत्र नहीं है।

सभापति महोदय (श्री सोमनाथ चटर्जी) आपकी बात पर ध्यान दे दिया गया है। श्री के० ए० राजन।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : सभापति महोदय, इस देश की आर्थिक स्थिरता के लिए मंत्रालय का कार्यकरण और इसकी नीति बहुत ही जटिल है।

मंत्री महोदय आयात-निर्यात नीति को न तो उदार और न ही प्रतिबंधात्मक बताते हैं। इससे उन दबावों का पता चलाता है जो उन पर डाले गए हैं। इस सम्बन्ध में, मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा घोष तथा भारत द्वारा दिये गये आश्वासन का उल्लेख करूंगा। मैं यह उदाहरण देता हूं :

"1982.83 और 1983-84 की आयात नीति में निर्यातों को उदार बनाने के उद्देश्य से रखे गये उपाय शामिल होंगे।"

मैं यही कहूंगा कि उनका मंत्रालय अन्तरष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों पर चल रहा है। आश्चर्य की बात है कि इस बार आप यह पाएंगे कि आयात-नीति 15 अप्रैल को घोषित की गई थी—आयात-नीति 15 अप्रैल को घोषित की जाया करती थी और शायद मंत्रालय बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों और राष्ट्रीय एकाधिकार के बीच संतुलन बनाये रखने की कोशिश कर रहा है। वह कारण सकता है। पर सामान्य स्थिति क्या है? आयात बाजार साम्राज्यवादी पूंजीवादी बाजारों के साथ सहबद्ध कर दिए गए हैं। आप विश्व बाजार का प्रतिक्रियाओं अथवा आरोपों से बच नहीं सकते है। मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय का ध्यान निर्गुट सम्मेलन में स्वीकृति नयी आर्थिक घोषणा के अंश की ओर दिलाना चाहूंगा जिसके कि वह भी पक्षकार थे। मैं यह उद्धरण पेश करता हूँ :—

"विश्व आर्थिक संकट, जो मूलतः के कुछ प्रमुख उद्योगिक देशों में उत्पन्न हुआ था, अब सही माने में स्वरूप तथा क्षेत्र के सम्बन्ध में विश्व-व्यापी हो गया है। विकसित देशों में इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक गतिरोध आ गया है और बेरोजगारी बढ़ गई है जिस पर उन्होंने बचाव करने वाले तथा आत्म-विश्लेषण करने वाली नीतियां अपना करके प्रतिक्रिया दिखाई है। विकासशील देशों में, जिनकी अर्थ-व्यवस्था विशेष रूप से कमजोर है, इनके परिणामस्वरूप उनकी वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि तथा औद्योगिक-उत्पादों का उनके आयात करना पड़ता है उनके मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण भुगतान संतुलत में अति कमी, ऋणों में वृद्धि और व्यापार की शर्तों में बिगाड़ आया है।"

यह निर्गुट सम्मेलन में स्वीकृति घोषणा का अंश है। मुझे संदेह है कि यह सरकार जो इस घोषणा की पक्षकार है, वाकई इन घोषणाओं के अनुसार चल रही थी या ये घोषणाएं केवल लोगों के लिए ही थीं। मुझे आश्चर्य है कि उनको अभी भी शान्ति है कि वह वर्तमान विश्व संदर्भ में सब कुछ ठीक कर पायेंगे।

इस बात की पूरी-पूरी सम्भावनाएं है कि वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत भारत का विदेश व्यापार और संसाधनों की स्थिति ऐसी जटिल समस्या उत्पन्न करेंगे जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। भारत निर्यात-विकास सदैव धीमा रहा है तथा वह आयातों के मूल्यों, जो तेजी से बढ़ रहे हैं, से भी अत्यन्त पीछे रहा है। यहां तक कि 1932-83 के पहले दस महीनों में अंकित 15 प्रतिशत की विकास दर भी काफी हद तक लगभग 1200 करोड़ रुपये के बम्बई हाई के अशोधित तेल के पर्याप्त निर्यात से हो पाई है। यदि इसे अलग कर दिया जाता है तो हमारे निर्यात-विकास में जो गतिरोध है वह स्पष्ट हो जायेगा। दूसरी ओर हाल ही की ह्रास

की प्रवृत्ति के बावजूद आयात बढ़ रहे हैं। प्रतिवेदन में उद्धत आंकड़ों से इस बात का पता चलता हैं कि गत छह-सात वर्षों से हम आयात और निर्यात निष्पादन कैसा रहा है तथा भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति, जिससे हम प्रभावित हैं, कैसी रही है।

महोदय, यह ताज्जुब की बात है कि समृद्ध संशोधन आधार, औद्योगिक क्षमता तथा मूल संरचना के बावजूद विश्व-व्यापार में भारत के अंश में निरन्तर गिरावट आ रही है। दूसरी ओर, कोरिया गणतन्त्र, ताईवान, हांग-कांग और सिंगापुर जैसे छोटे-छोटे देश, जिनके पास ऐसे प्राकृतिक संसोधन नहीं हैं जिन पर निर्भर रहा जा सके। विश्वव्यापी मन्दी संरक्षणवाद तथा प्रतिबन्धात्मक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र के बावजूद तेजी से आगे रहे हैं। महोदय, यहां दिए गए आंकड़े इन देशों के बीच इस तुलना को साबित करते हैं।

महोदय, चिंताजनक बात यह है कि चाय, रुई, कपड़ा, पटसन की वस्तुओं, चीनी, इंजीनियरिंग के समान, चमड़ा, कृषि उत्पादों जैसी वस्तुओं के मामले में भी स्थिति ठीक नहीं है और हम कई देशों से बहुत पीछे हैं। यह स्थिति हाल ही में और बिगड़ी हैं। भारत एक बार फिर खाद्यान्न का आयातकर्ता हो गया है जबकि गत हाल ही में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली गई थी।

लगभग 800 करोड़ रुपए के 40 लाख टन गेहूँ का आयात करने के लिए ठेके हो चुके हैं। इसके अलावा, हम ऐसी वस्तुओं का आयात करते जा रहे हैं जिनमें या तो हमने विद्यमान क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया है या जिनकी भारी उत्पाद संभावना है। अन्य वस्तुओं के साथ-साथ वे खाद्य तेल, सीमेंट, उर्वरक, कृत्रिम तथा रिजनरेटेड रेशे, कुछ रसायन, सोडा एश, कागज तथा गत्ते, अल्मुनियम और इस्पात कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर भारत विदेशी मुद्रा में 300 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। इनमें से बहुत सी वस्तुओं के आयात पर विवेकपूर्ण उत्पादन आयोजन और नीति से काफी बचत की जा सकती है। क्या यह विचित्र बात नहीं है कि एक ओर जहां भारत सीमेंट, उर्वरक कागज, कपड़ा के लिए संयंत्र, मशीनरी और जानकारी का निर्यात कर रहा है वहां दूसरी ओर बहुत से अन्य उद्योगों को हमारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अंतिम उत्पादों का आयात करना पड़ रहा है।

महोदय, इस अपने आयात और निर्यात की पद्धति को देखें। निर्यात व्यापार वृद्धि के सम्बन्ध में मैं ऐसे आंकड़े देता हूं जिनसे स्वतः इसका पता चलता है। समाजवादी देशों में निर्यात में वृद्धि लगभग 22.8 प्रतिशत है, एशिया 12.2 प्रतिशत है, अफ्रीका में 18.4 प्रतिशत है और लैटिन अमरीका में 42.50 प्रतिशत है। अब मैं विकसित पूंजीं वादी देशों के सम्बन्ध में आंकड़े देता हूं। जहां तक उत्तरी अमरीका का सम्बन्ध है, इसमें 12.2 प्रतिशत तक की कमी हुई है। पश्चिमी यूरोप में 10.3 प्रतिशत तक की कमी हुई है। आयातों में 17.1 प्रतिशत यह हालत है। यहां तक कि की वृद्धि हुई है। निर्गुट सम्मेलन में समूचे प्रभाव के बारे में सही घोषणा की है। महोदय, मंत्री की वर्तमान अवधि में यदि हम वर्तमाननीति का ही पालन करते रहे तो स्वयं को कैसे बचा पायेंगे ? मुझे खेद है कि यह नीति जो अपनाई गई है वह ढकोसला है। इस बारे में जब तक आप अपनी कमजोरी नहीं पहचानेंगे, तो भविष्य ही बताएगा कि कैसे चलेगी।

महोदय, ओ.जी.एल. नीति के अंतर्गत 142 या 143 मदें लाई गई हैं। दुर्भाग्यवश, कुछ ऐसी मदें कुछ वस्तुएं हैं जो मुख्यतया मेरे राज्य में भी हैं। इन मदों के सम्बन्ध में आयात नीति केरल की समूची कृषि अर्थव्यवस्था के हितों के विपरीत है। ऐसा कहा जाता है कि हम ओ.जी.एल. के अन्तर्गत नारियल जटा उत्पाद को भी शामिल किया गया है। यह ऐसा उत्पाद है जो जिसके बारे में मेरे राज्य का एकाधिकार है। नारियल जटा उत्पाद केरल से निर्यात किया जाता है तथा इलायची, लौंग आदि जैसी कुछ अन्य वस्तुएं भी केरल में पैदा होती हैं परन्तु ओ.जी.एल. के अन्तर्गत इन वस्तुओं का आयात किया जाएगा। यह राष्ट्र के हित तथा मेरे राज्य केरल के हितों के विपरीत है।

महोदय, मैं रबड़ की आयात नीति के बारे में कहना चाहूंगा। जहाँ रबड़ का आयात किया जा रहा है वहां मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने इस वस्तु की उत्पाद क्षमता या वास्तविक उत्पादन का हिसाब लगाया है। आप ये चीजें आयात कर रहे है जबकि उनका उत्पादन सर्वाधिक हो रहा है। आप रबड़ का उत्पादन करते हैं जबकि इसका उत्पादन अधिकतम है। जब आप इस नीति का पालन करते हैं तो यह स्वाभाविक ही है कि इसका केरला राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता हैं।

इसके बाद काजू के बारे में बोलते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तविक संकट यह हैं कि दो लाख श्रमिक बेरोजगार हैं। काजू का अन्तर्देशीय वसूली मूल्य उत्पादकों के हितों के विरुद्ध है। उनको लाभकर मूल्य नहीं मिल रहा है। इस उत्पाद के लिए हमारी कोई मंडियां नहीं हैं जो कि पहले थीं तथा सरकार के कदाचारों के कारण हमें इस उत्पाद के लिए पर्याप्त विदेशी बाजार नहीं मिल सके। काजू से सम्बन्धित संपूर्ण समस्या का केरल की अर्थ व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और सरकार वर्तमान नीति के कारण लगभग दो लाख श्रमिक भूखे मर रहे हैं।

श्रीमती सुखबन्सकौर (गुरदासपुर) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान मेरे निर्वाचन-क्षेत्र की एक मिल की गतिविधियों की ओर दिलाना चाहूंगी। न्यू एगरटन वूलन मिल्स, धारीवाल की हालत बहुत नाजुक है। श्रमिक भूख हड़ताल पर हैं और प्रबन्धक जो कुछ हो रहा है उसके प्रति पूर्णतया उदासीन हैं। समस्त कठिनाई बोनस के मामले को लेकर शुरु हुई तथा यूनियन उच्चतम न्यायालय में पहुँचाई गई। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि श्रमिकों को 1977 से 1981 तक बोनस अदा किया जाये। 1981-82 के लिए तो बोनस दे दिया गया है परन्तु अन्य तीन वर्षो के लिए अभी कुछ भी अदा नहीं किया गया है तथा यूनियन वाले प्रबन्धकों को बोनस की अदायगी के लिए बार-बार लिख रहे हैं परन्तु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार ने यह मिल जून, 1981 में अपने हाथ में ली थी और तब से, मुझे यह पता नहीं है कि, क्या स्टाक के सम्बन्ध में कोई नीति या नियम बनाए गए हैं। वे ठीक वही करते है जो वे करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति है जो धारीवाल में 'ट्रेनी सेल्स आफिसर' के रूप में उसे कानपुर में रहता है। उसे कानपुर में ही उसका वेतन मिल जाता है और वह कभी भी धारीवाल नहीं गया है। उसकी अभी हाल ही में 8-3-1983 से पदोन्नति भी हो गई है। उसकी पदोन्नति के आदेश 23-12-1982 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू हुए हैं

परन्तु वह व्यक्ति कभी भी धारीवाल नहीं गया। ऐसा इसलिए हो रहा कि यह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से सम्बद्ध हैं जो मंत्रालय उच्च कार्यकारी पद पर आसीन है।

महोदय, एक और व्यक्ति था जिसे आन्दोलन में भाग लेने पर निलम्बित कर दिया गया था। ज्यों ही आन्दोलन समाप्त हुआ, उसे वापस ले लिया गया। प्रबन्धकों का यह रवैया है कि जिसे वे चाहते हैं उसे नियुक्त कर देते हैं और जिसे चाहे निकाल देते हैं। मैंने प्रबन्धकों से एक बार एक ऐसे व्यक्ति का स्थानांन्तरण करने का अनुरोध किया था जो वहां गत 25 वर्षों से कार्य कर रहा है। मुझे जो उत्तर मिला वह यह था कि प्रचिलित नियमों और विनियमों के कारण मेरे अनुरोध को नहीं माना जा सकता। परन्तु दस व्यक्तियों के बारे में ये नियम और विनियम लागू नहीं किए गए। इन व्यक्तियों, जो वरिष्ठ नहीं हैं, का स्थानांतरण कर कर दिया गया। वे हैं :

प्रोडक्शन मैनेजर

डाई हाउस मास्टर

वीविंग मास्टर

जनरल मैनेजर

मैटिरियल्स मैनेजर

लो एन्ड परसोनेल आफिसर

चीफ इंजीनियर

सेल्स मैनेजर, आदि।

मैंने प्रबन्धकों से एक विशेष व्यक्ति का स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया था परन्तु उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसके मामले में उन्होंने नियमों और विनियमों का हवाला दिया जो उसके स्थानान्तरण में बाधक थे।

यह एक पुरानी मिल है कुछ मशीनें सैकड़ों वर्ष पुरानी हैं परन्तु मिल ठीक चल रही है। तथापि, प्रबन्धक राजाओं की तरह रह रहे हैं। मुझे यह मालूम नहीं है कि क्या आपने उनके द्वारा विभिन्न मदों पर खर्च की राशि पर कोई अधिकतम सीमा लगाई है। उदाहरण के लिए, बिजली को लीजिए। मुझे यह पता नहीं है कि क्या अधिकारियों के बिजली का खर्च कुछ हद तक अदा करना पड़ता है या नहीं या उसके लिए मिल अदा कर रही है या खपत पर कोई सीमा है। यदि आप वर्ष 1981, 1982 और 1983 के इन आंकड़ों को देखें तो आपको पता चलेगा कि सोलर अधिकारियों द्वारा औसतन प्रति मास 50,000 यूनिट बिजली की खपत की जाती है। मैंने इस पर उप-मंत्री का का ध्यान दिलाया था तथा उनके हस्तक्षेप से इस पर थोड़ा नियंत्रण है। प्रत्येक अधिकारी प्रति मास लगभग 3000 लिटर पेट्रोल की खपत किया करता था। उप-मंत्री के हस्तक्षेप से एक और बात जो हुई है वह यह है कि एक अधिकारी, जिसका स्थानान्तरण कर दिया गया था

और जिसे कोई काम नहीं मिल रहा था—वह अधिकारियों का हितैषी था—को काम मिलना शुरू हो गया है ।

यह बहुत ही गम्भीर मामला है और मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप इसकी व्यक्तिगत रूप से जांच करें ।

सभापति महोदय (श्री सोमनाथ चटर्जी) : अब अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्रीमती सुखबन्स कौर : एक मिनट और । श्रमिक भूख हड़ताल पर हैं तथा मुझे भी उनके साथ शामिल होना है ।

इसके अलावा कानपुर तथा धारीवाल स्थिति दोनों ही कारखानों को तुलन-पत्र एक साथ रखा जाता है परन्तु इन दोनों मिलों के अधिकारियों के वेतन तथा अन्य सुविधाओं के के बीच कोई समानता नहीं है । धारीवाल के श्रमिकों को बेहतर वेतनमान मिले हुए हैं ।

फिर भी वे कहते हैं कि वे श्रमिकों को बोनस का भुगतान करने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि ऐसा करने के लिए धन नहीं है । यदि आप तुलन-पत्र पर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि मिल को लाभ हो रहा है । आप स्वयं सत्यापित कर सकते हैं कि क्या यह सच है या नहीं ।

अन्त में, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों, प्रबन्धकों और श्रमिकों की बैठक बुलाई जाए । आप सभी बकाया मुद्दों और मांगों पर चर्चा करें और यह कर्मचारियों के वेतन सुनिश्चित करें मामला शीघ्रातिशीघ्र निपटाया जाए क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि इस समय वहां लोग भूख-हड़ताल पर हैं ।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : सभापति महोदय इस से पहले की मैं अपनी बात कहूं, कुछ गलतफहमियां हैं जो कि डिप्टी मिनिस्टर साहब ने पैदा कर दी हैं जिनको कि मैं दूर करना चाहता हूं ।

सब से पहली गलतफहमी तो यह है कि सूत के दामों के मुतल्लिक उन्होंने यह कहा कि उसके दाम स्टेबिलाइज हो गये हैं । इस से पता चलता है कि उनको इसके बारे में मालूम नहीं है । मौके पर जाने के बाद मेरी जानकारी है कि उसके दाम स्टेबिलाइज नहीं हुए हैं ।

मार्च के शुरू में तो सूत के दाम नहीं बढ़े थे । लेकिन यह अप्रैल का महीना है । और इस महीने की आज 26 तारीख है । आप अपने आप सूत के दामों के फिगर उठा कर देख लें कि दाम बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं । मेरी जानकारी है कि दो रुपये से सात रुपये फी बण्डल सूत का दाम बढ़ गया है ।

प्लान स्कीम के बारे में उन्होंने कहा कि को आप्रेटिव सेक्टर में प्लान स्कीम है । मंत्री महोदय मेरे गवाह होंगे कि इन्टेन्सिव हैन्डलूम डवलपमेंट स्कीम जो इससे पहले शुरू की गयी थी और इस तरह की बहुत-सी स्कीमें हैं जो कि प्लान स्कीमों के तहत चल रही हैं और उन प्लान स्कीमों के तहत चल रही हैं जो कि कोआप्रेटिव सेक्टर में नहीं हैं, गैर-कोआप्रेटिव सेक्टर में है ।

तीसरी बात कही जाती है कि एक्टिव हैण्डलूम का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इस एक्टिव हैण्डलूम के प्रोडक्शन के बारे में भी मेरे पास तफसीलात हैं। इस हैण्डलूम के प्रोडक्शन के बारे में जो धारणा बनी हुई है वह सरासर गल्त है और गलत इसलिए है कि हैण्डलूम का प्रोडक्शन कागज पर बढ़ता जा रहा है और कंट्रोल्ड क्लाथ के नाम पर बढ़ता जा रहा है। कंट्रोल्ड क्लाथ का जब में जिक्र करूंगा तो बताऊंगा।

जब से कामर्स मिनिस्टर साहब ने इस ओहदे को संभाला है तब से कुछ उम्मीद बंधी है कि कामर्स मिनिस्ट्री में कुछ बुनियादी तबदीलियां होंगी। इसलिए मैं कुछ बुनियादी बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

सबसे पहली बात तो यह है कि हैण्डलूम और हैंडीक्रेफ्ट के लिए अलग महकमा होना चाहिए। टैक्सटाइल डिपार्टमेंट से इसको अलग किया जाना चाहिए। हैण्डलूम तो किसी हद तक टैक्सटाइल डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है लेकिन हैण्डीक्रेफ्ट का इससे ताल्लुक समझ में नहीं आता। हैण्डीक्रेफ्ट में मुरादाबाद के बर्तन, ताले भी आते हैं। छोटा-छोटा बांस का काम आता है, ज्वैलरी का काम आता है। इसका टैक्सटाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह है कि हैण्डलूम घरेलू कारोबार है। इसका सीधा टकराव बड़ी टैक्सटाइल लाबी से होता है। सूत और प्रोडक्शन के मामले में टकराव होता है। जो एरिया बंधा हुआ है उसमें भी मिल वाले और पावरलूम वाले दखलंदाजी करते हैं। यह बात भी श्री सतीश अग्रवाल द्वारा दी गई रिपोर्ट में भी कही गई है। इस टकराव को खत्म करने के लिए मैं इस बात की मांग करता हूं कि मंत्रालय में हैण्डलूम और हैण्डीक्रेफ्ट के लिए अलग विभाग होना चाहिए ताकि इसकी ओर खुसूसी तवज्जह दी जा सके।

दूसरी बात मैं टेक्सटाइल कमिशनर के बारे में कहना चाहता हूं। टेक्सटाइल कमिश्नर को टेक्सटाइल के बारे में सारे अख्तियारात दें रखे हैं। टेक्सटाइल कमिश्नर के अधिकार में बड़ी-बड़ी मिलें भी आती हैं और हैण्डलूम और पावरलूम भी आते हैं। आमतौर से देखा गया है कि टेक्सटाइल कमिशनर बड़ी टेक्सटाइल लाबी के दबाव में आ जाता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि टेक्सटाइल कमिशनर की जगह पर टेक्सटाइल बोर्ड बनाइए। इस बोर्ड में हैण्डलूम, पावरलूम और टेक्सटाइल तथा एन टी सी के नुमाइदे होने चाहिएं ताकि इन सब की बात कहने के लिए इनके नुमाइदे वहां पर मौजूद हों।

(व्यवधान)

हैण्डलूम को फख्र का मुकाम देने के लिए हैण्डलूम पालिसी में एक बात कही गई है और हर जगह इस बात को दोहराया जाता है। "क्लोदियर आफ दी नेशन" इस नाम पर सादा कपड़ा बनाने के लिए कहा जाता है। सादे कपड़े से मतलब सादी धोती, साड़ी और लट्ठा है। यह बनाने के लिए हैण्डलूम को दिया जा रहा है। मंत्री महोदय इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि हैण्डलूम अपनी कारीगरी के लिए मशहूर है। उसको इस कारीगरी से हटाकर अगर सादे काम पर लगा देंगे तो वह अपनी कारीगरी भूल जाएगा। इसलिए उसका डेवलपमेंट कारीगरी के रास्ते पर कीजिए न कि सादे कपड़े के आधार पर।

इसी प्रकार जो प्रोडक्शन बढ़ने की बात कही गई है उसके बारे में भी आप पता कर लीजिए। सब सिडी की फर्जीएंट्रीज हो रही हैं। प्रोडक्शन और बिक्री दिखाकर सबसिडी ले ली जाती है। इस तरह का भ्रष्टाचार हर जगह हो रहा है। इसलिए इन सब चीजों का पता लगाने की आवश्यकता है। इस सिलसिले में मैं एक बात को और दोहराऊंगा। हैन्डलूम पर एक रुपया 50 पैसा सबसिडी देते हैं जब कि एन टी सी की मिलों को 2 रुपए देते हैं। इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। मंत्री महोदय की चेयरमैनशिप में आल इंडिया हैण्डलूम बोर्ड में इस बारे में रेजोल्यूशन भी पास किया गया था। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस सबसिडी को एन टी सी की मिलों के बराबर किया जाए।

हैन्डलूम की बुनियादी जरुरत सूत, रंग, कैमिकल और सरमाया है। आप नेशनल हैन्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन की बात पिछले तीन साल से कर रहे हैं। लेकिन, यह अभी तक अमल में नहीं आ सकता है। मैं चाहूंगा कि यह कारपोरेशन केवल सरकारी इदारा बनकर ही न रह जाए बल्कि इसमें हर तरह के नुमाइन्दे और हैन्डलूम बुनकरों के नुमाइन्दे भी रखे जाएं। सूत के साथ-साथ रंग की बिक्री का भी जरिया बनाए। जिस प्रकार शक्कर की दोहरी पालिसी है, उसी प्रकार सूत में भी होनी चाहिए विकेन्द्रित सैक्टर के लिए कम कीमत पर और मिल सैक्टर के लिए ज्यादा कीमत पर सूत दें ताकि हैन्डलूम ज्यादा बढ़ सके।

फाइनेंस के लिए आपने का "नैवाड़" बनाया हुआ है लेकिन हैन्डलूम के फाइनेंस के लिए कोई भी ऐसा बैंक नहीं है। इसलिए, आप एक अलग से हैन्डलूम और हैन्डीक्राफ्ट के लिए बैंक बनाइए ताकि इनका फाइनेंस का काम आसानी से चल सके। हैन्डलूम और हैन्डीक्राफ्ट काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं और इस देश की रीढ़ की हड्डी भी हैं। हैन्डलूम और हैन्डीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कारपोरेशन की शाखाएं गोरखपुर, मुरादाबाद और भदोही जैसी जगहों पर खोली जाएं। बड़े पैमाने पर हैन्डलूम की ट्रेनिंग देने के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स कायम कीजिए। जो गरीब बुनकर या दर्जे आठ तक कम पढ़े-लिखे हैं. वे यह सर्टिफिकेट कोर्स कर सकें। एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल भी चंद लोगों की जागीर बनकर रह गई है। खासतौर से ए० इ० पी० सी० की जो जूर्माने की रकम इन्होंने जमा कर रखी है, वह सरकारी खजाने में आ जानी चाहिए। एक करोड़ से अधिक की रकम ए० इ० पी० सी० की जुर्माने के तौर पर जमा है। ओ० जी० एल० के तहत इ० पी० सी० को कोम लाईसेंसेसिस बांटने का अधिकार है। लेकिन, इसमें बड़े पैमाने पर धांधली की सिकायत है। इसकी जाँच के लिए एक सरकारी कमेटी बनाई जाए। हैन्डलूम डवलपमेंट स्कीम और एक्सपोर्ट डवलपमेंट प्रोजेक्ट की हालत अच्छी नहीं है। जो काम होना चाहिए था, वह नहीं हो पा रहा है।

आखिरी पाइन्ट, ट्रेड फेयर अथारिटी के बारे में कहना चाहूंगा। आपके टेक्सटाइल के महकमें में तरह-तरह के आरगेनाइजेशंस खोल दिए गए हैं। इनमें रैशनलाइजेशन की जरूरत है। आपकी जो ट्रेड फेयर अथारिटी है वह स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की सबसिडियरी है। टी० डी० ए० को ट्रेड फेअर अथारिटी के साथ जोड़िए और उनके कार्य पर निगाह रखिए ताकि ट्रेड फेअर का जो वास्तविक काम है, वह पूरा हो सके।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : समय कम होने के कारण मैं मन्त्री महोदय का

ध्यान उड़ीसा क्षेत्र के कुछ गिने-चुने प्रश्नों की ओर दिलाना चाहूंगा। परन्तु शुरू में यदि मैं हमारे वाणिज्य मंत्री के प्रयासों की सराहना नहीं करुंगा तो शायद मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा।

आर्थिक संकट तथा पूंजीवादी जगत में मंदी के वर्तमान संदर्भ में, मैं समझता हूँ कि यह सुनिश्चित करने के लिये वाणिज्य मंत्रालय के प्रयास, कि हम अपने आयात में कमी करें और अपना निर्यात बढ़ायें तथा विदेश व्यापार में कमी की स्थिति में सुधार करें, बहुत ही सराहनीय है।

जहां तक भारत के ऋण चुकाने के दायित्व का सम्बन्ध है, हम इस पर अभी तक काबू नहीं कर पाये हैं। शायद यह संकट 1983-84 में कुछ और गम्भीर हो सकता है। यदि आप हमारे ऋण चुकाने सम्बन्धी भुगतान पर दृष्टि डालें तो आप पायेंगे कि चालू वर्ष 1982-83 में भारत का ऋण चुकाने का दायित्व जो 1400 करोड़ रुपये हैं वह बढ़कर 1983-84 में 1800 करोड़ रुपये हो जायेगा, 1984-85 में 21 करोड़ रुपये, 1985-86 में 2500 करोड़ रुपये और 1986-87 में 3100 करोड़ रुपये हो जायेगा। ऋण चुकाने के इस भार को ध्यान में रखते हुए हमें और अधिक परिश्रम करना है, यह सुनिश्चित करने के लिये हमारे व्यापार में जो कमी आ गई है वह दूर हो तथा हमें आयात पर अधिक निर्भर न करना पड़े, हमें कठिन परिश्रम करना है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान उड़ीसा क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र में लौह आयस्क की स्थिति की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ।जहां तक लौह अयस्क के निर्यात का सम्बन्ध है, खनिज तथा धातु व्यापार निगम एक मात्र एजेंसी है अथवा उसका एकाधिकार है। मैं इस निगम की कठिनाई को समझता हूं क्योंकि जापान ने इस्पात के उत्पादन में 40-50 लाख टन तक की कटौती कर दी है, तथा अन्य मंडियों में भी मन्दी है। मैं समझता हूं कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने जापान को अधिक लौह अयस्क और वह भी ऊंचे मूल्यों पर खरीदने हेतु प्रेरित करने के लिये प्रयास किये थे परन्तु जापान के इस्पात उद्योग में मन्दी के कारण निगम के अपने लौह अयस्क के लिये अधिक मूल्य प्राप्त करने के ये प्रयास फलीभूत नहीं हो पाये।

जहां तक खनिज और धातु व्यपार निगम का सम्बन्ध है पूर्वी क्षेत्र में इसके माल-उठान में कमी हुई है। पूर्वी-क्षेत्र ने खनिज और धातु का भार निगम को वर्ष 1975-76 में 2·58 मिलियन टन लौह-अयस्क सप्लाई किया था; और खनिज और धातु व्यापार निगम के पूर्वी-क्षेत्र में लौह अयस्क का अधिकांश उठान हमारे उड़ीसा की खानों से किया था, 1975-76 में इसकी मात्रा 2·58 मिलियन टन थी जो 1978-79 में घटकर 1·58 मिलियन टन हो गयी जिसमें 1979.80 में और कमी हुई और वह घटकर 1·28 मिलियन टन रह गयी थी 1980-81 में यह घटकर 0·97 मिलियन टन रह गयी थी, 1980-81 में इसकी मात्रा 0-87 मिलियन टन थी और 1981-82 में 0-75 मिलियन टन इसके परिणाम स्वरूप वहां पर क्या हो रहा होगा आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं; उड़ीसा क्षेत्र में प्रायः सभी लोहे अयस्क की खानें बन्द बड़ी हैं 50,000 कामगार जिनमें 75 प्रतिशत आदिवासी है और शायद उनमें भी 65 प्रतिशत कामगार आदिवासी महिलाएं हैं, बेकार हो गए है क्योंकि खान मालिकों ने खानों को बिलकुल बन्द कर दिया है और उड़ीसा क्षेत्र में खानों के मालिकों द्वारा खानों को बन्द कर दिए जाने के कारण गम्भीर स्थिति पैदा हो गई हैं।

जहां तक पारादीप पत्तन का सम्बन्ध है। यहां से 3 मिलियन टन लौह अयस्क का निर्यात किया जाना था लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पारादीप पत्तन को कल तक कुल 57 करोड़ रु० घाटा हुआ है, वहां पर लौह अयस्क पड़ा हुआ है उसे उठाने के लिए कोई नहीं आता है। यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो समूचे उड़ीसा क्षेत्र का क्या होगा। मैं केवल माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं और मुझे आशा है कि वह कठिनाईयों को समझेंगे। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि खनिज और धातु व्यापार निगम भी इस गम्भीर स्थिति पर विचार करेगा और उड़ीसा से लौह अयस्क का निर्यात करने के सम्बन्ध में परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयास करेगा और उड़ीसा में सूखा पड़ा हुआ है, इसलिए मेरे विचार से इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

दूसरे मुझे खुशी है कि खनिज और धातु व्यापार निगम को कुछ मुनाफा हो रहा है, धातु और खनिज व्यापार निगम की कुल बिक्री 17.366 करोड़ रुपये की थी लेकिन इसमें से 14,339 करोड़ रुपये का आयात भी शामिल था। मुझे आशा है कि सरकार को धातु और खनिज व्यापार निगम को आयात पर निर्भर रहने की परिस्थितियों का निर्माण नहीं करना चाहिए अथवा दूसरा आशय यह है कि इसका 75 प्रतिशत व्यापार निर्यात और शेष 25 प्रतिशत आयात यही मेरे कहने का तात्पर्य है।

मुझे यह कहते हुए बहुत प्रशन्नता हो रही है कि उर्वरक का आयात 600 करोड़ रुपये से घट कर 400 करोड़ रुपये का रह गया है यह बहुत अच्छी बात है।

मैं लोहे और इस्पात का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, 1,100 करोड़ रुपये का आयात हुआ है, इसमें कमी करने की भी गुंजइश है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे उड़ीसा अंक के लोहे अयस्क खान मजदूरों की कठिनाइयों पर विचार करेंगे।

सभापति महोदय (श्री सोमनाथ चटर्जी) : श्री के० टी० कौसलराम!

श्री के० टी० कौसलराम (तिरुचेन्दूर) : सभापति महोदय, मैं माननीय वाणिज्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की नयी आयात और निर्यात नीति का स्वागत करता हूं, उन्होंने आवश्यक आयात में कटौती करके 500 करोड़ रुपए बचाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार विभिन्न मदों का आयात बन्द कर दिया है, वास्तव में सोड़ा ऐश के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। क्योंकि ? मैं एक नमक उत्पादक क्षेत्र से आया हूं और सोड़ा ऐश के लिए नमक कच्चा माल है, इसलिए ऐसा करने के लिए कम से कम मैं आपका आभारी हूं, इससे पूर्व अधिकारी गण हमारे विचारों को सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। उनका रुख बहुत कड़ा था मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को इसके लिए बधाई देता हूँ।

मैं माननीय मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का ध्यान भारत से विभिन्न देशों को किए जाने वाले सामान के निर्यात की ओर दिलाना चाहता हूं। पहले हम जापान को ओ० जी० एल० के अन्तर्गत नमक का निर्यात करते थे, और लगभग 5 लाख टन नमक का वार्षिक निर्यात किया जा रहा था अचानक इस क्षेत्र में कुछ बिचौलिए घुस गए और उन्होंने कुछ घटिया किस्म के

नमक का निर्यात कर दिया परिणाम स्वरूप जापान ने हमारा नमक खरीदना बन्द कर दिया। इतना ही नहीं, एक स्टीमर उसने वापस ट्यूटीकोरिन भेज दिया। वह मेरा क्षेत्र है मुझे मालूम है। जापानियों ने नमक की घटिया किस्म सप्लाई किए जाने के कारण नमक लेना बन्द कर दिया। उसके बाद सरकार ने राज्य व्यापार निगम के साधन से नमक के निर्यात का स्पष्टीकरण कर रिया था। राज्य व्यापार निगम दो अधिकृत मेन्युफैक्चर्स ऐसोशिएसन पूर्वी तट पर और दो अधिकृत मेन्युफैक्चर्स एशोसिएशन पश्चिमी तट पर के माध्यम से सफलता पूर्वक नमक का निर्यात कर रहा था। या राज्य व्यापार निगम ने चार मेन्युफेक्चर्स ऐसोसिएशन को मान्यता प्रदान की है।

केन्द्रीय नमक सलाहकार बोर्ड (सेन्ट्रल साल्ट एडवाइजरी बोर्ड) जिसका मैं एक सदस्य हूं, मे सर्व समिति से यह फैसला किया है कि नमक के निर्यात के क्षेत्र में किसी भी बिचौलिए को शामिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे भिन्न होकर कुछ बिचौलिए व्यापारियों ने बेनामी उत्पादकों के नाम पर कुछ अन्य स्वार्थी तत्वों के साथ मिलकर "कोरामण्डल मिनी साल्ट प्रोड्यूसर्स ऐसोसिएशन" का गठन किया और निर्यात के अनुमति मांगनी शुरू कर दी। इसकी सूचना एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जो पोर्ट ट्रास्ट्र के अध्यक्ष हैं, ने ही, एसोसिएशन ने कुछ जाली डाक्यूमेंन्ट तैयार किए ये 1.3 लाख टन नमक का वार्शिक उत्पादन कर रहे हैं।

राज्य व्यापार निगम ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें नमक बोर्ड (साल्ट बोर्ड) के एक सदस्य के रूप में मुझे भी आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में सर्व समिति से यह फैसला किया गया था कि जो भी एकबर्ष में 4 लाख टन नमक का वार्षिक उत्पादन करता है उसको निर्यात करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस बैठक में कोरोमण्डल एसोसिएसन के प्रति निधियों सहित जितने भी सदस्य उपस्थित थे उन्होंने बैठक की कार्यवाही पर हस्ताक्षर किए हैं। 19 जून 1982 को भुवनेश्वर में आयोजित बैठक में "सेन्ट्रल साल्ट एडबाइजरी बोर्ड" ने राज्य व्यापार निगम के इस फैसले में संशोधन किया था।

इस फैसले के परिणाम स्वरूप राज्य व्यापार निगम ने कोरोमण्डल मिनी एसोसिएशन के उत्पादन के दावों का पता लगाने के लिए अपने प्रतिनिधि को ट्यूटीकोरिन भेजा था। ट्यूटीकोरिन में ऐसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राज्य व्यापार निगम प्रतिनिधि के साथ हाथापाई की और उत्पादन के आंकड़ों का सत्यापन किए बगैर उसे दिल्ली लौट जाने का बाध्य किया इस मौके पर ट्यूटीकोरिन में सेन्ट्रल साल्ट कमिश्नर का प्रतिनिधि भी उपस्थित था यह सब बाते राज्य व्यापार निगम के रिकार्ड में हैं। आप उनसे इन सब बातों का पता चला सकते हैं।

उसके बाद मैंने इस मामले को उद्योग मंत्री श्री नारायणदत्त तिवारी के साथ उठाया। उन्होंने किसी निष्पक्ष अधिकारी द्वारा रिकार्ड के सत्यापन करने के आदेश जारी किए। एक आई. ए. एस. अधिकारी जो इस समय ट्यूटीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, के अध्यक्ष हैं को इसके सत्यापन की जांच करने के लिए आदेश हुए, उन्होंने स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय में उपबन्ध जमीन सम्बन्धी रिकार्डों से तथों का पता लगाया और इस निधि पर पहुंचे कि कोरोमण्डल ऐसोसिएशन प्रतिवर्ष

1.3 लाख टन नमक का उत्पादन कर सकता है। राज्य व्यापार निगम के पास यह रिपोर्ट उपलब्ध है।

निर्यात अनुमति प्राप्त करने के लिए किसी न किसी तरह यह एसोसिएशन राजनैतिक तनाव डलवाने में यह ऐसोसिएशन सफल हो गई। तमिलनाडु ए० डी० एम० के सरकार के भूतपूर्व प्रतिनिधि से राज्य व्यापार निगम के वर्तमान कार्यकारी निदेशक प्रभावित हो गए जिन्होंने उनके पास ऐसोसिएन के इस मामले की सिफारिश की थी। मिनी ऐसोसिएशन को कुछ अफवाहें उड़ाने वालों ने भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगाए हैं। राज्य व्यापार निगम को इनसे नहीं डरना चाहिए। जैसा कि आज आपने वादा किया है। आप राज्य व्यापार निगम को भविष्य में भी नमक का निर्यात करने की सलाह दें।

सभापति महोदय (श्री सोमनाथ चटर्जी) : अपना भाषण समाप्त करें।

श्री के० टी० कोसलराम : मैं एक मिनट और लूंगा।

1980-81 में काज का निर्यात निर्बन्ध था और हम बड़े पैमाने पर काज का 1981-82 को निर्यात को एकाधिकरण निर्यातक को सौंप दिया गया और उसका खरीददार भी एक एकाधिकार प्राप्त विदेशी था। इस प्रकार हम केवल 37,000 टन काज का निर्यात कर पाए। कुछ समय बाद विदेशी सरकारों ने एकाधिकार प्राप्त खरीददार के विरुद्ध आन्दोलन करना शुरू कर दिया। उसके बाद काज का निर्यात फिर से निर्बंध कर दिया गया। 1982-83 में 70,000 टन से अधिक काज का निर्यात किया गया है। एकाधिकार प्राप्त खरीददार ने फिर से दबाव डालना शुरू कर दिया है और उसने लाली बनानी शुरू कर दी हैं इसका कारण मैं अच्छी तरह समझता हूं। मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से यह अपेक्षा करता हूँ कि वे हम लाली के सामने न झुकें क्योंकि वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत काज उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिल रहा है।

यहां पर 12 निर्यात संवर्द्धन परिषदें हैं। वे निर्यात को बढ़ावा नहीं दे रही है परिषद के सदस्य और अध्यक्ष केवल अपना भला कर रहे हैं उदाहरण के लिए एक परिषद लेदर (चमड़े) के निर्यात संवर्द्धन के लिए है और दूसरी परिषद कच्चे चमड़े में निर्यात के लिए है। इन दो परिषदों की क्या जरूरत है ? चमड़े का मतलब चमड़ा होता है वह चाहे 'फिनिस्ड' हो अथवा अनफिनिस्ड बात एक ही है। इसलिए ऐसी बातें समाप्त की जानी चाहिए। मेरे मित्र श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह एक अच्छे प्रशसक हैं, वे कभी नहीं डरते हैं। जनता पार्टी के मेरे मित्र उनकी प्रशंसा की है इसलिए मैं उनकी प्रशंसा नहीं करता मुझे उम्मीद है वे इन सभी मामलों पर ध्यान पूर्वक विचार करेंगे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : सभापति जी, वाणिज्य मंत्रालय भारत की व्यापार नीति बनाने और उसका मार्गदर्शन करने के लिए जवाबदेह है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1981-82 में भारत के समग्र निर्यात में 16,3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1980-81 में 3,9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यदि आप आयात की ओर नजर डालें तो देखेंगें 37,4 परसेंट से लेकर 8 परसेंट तक की वृद्धि हुई है। कच्चा तेल और उर्वरक का इसपर काफी दबाव पड़ा है। लेकिन आपको हैरत होगी कि इन दावों के बावजूद भारत के विशेष व्यापार का घाटा जो

1978-79 में 1085 करोड था वह 1980-81 में 5850 कोरोड़ तक बढ़ गया और 1982-83 में 5837करोड़ हुआ और 1982-83 के प्रथम 3 महीनों में 4060 करोड़ का घाटा हुआ है।

मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें एक नयी विशेषता आई है कि जनवरी, 1982 से बाम्बे हाई से कूड पेट्रोलियम का निर्यात शुरू हो गया है। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि पेट्रोलिया पदार्थों का आयात करना पड़ता है और उसका दबाव आयात पर पड़ रहा है। लेकिन दूसरी ओर आप कूड पेट्रोलियम को इस देश के बाहर भेज रहे है। यह बात हमारी समझ में नहीं आती है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है इसलिए कृषि उत्पादनों का अधिक निर्यात इस देश में किया जाना चाहिए। आप क्लेम भी करते हैं कि इन चीजों के निर्यात में बढ़ोत्तरी हुई है परन्तु साथ साथ अपनी रिपोर्ट में आपने कहा है कि चाय, चावल, काजू, चमड़ा आदि के निर्यात में धक्का भी पहूंचा है। एक तरफ आपका यह कहना है कि निर्यात बढ़ रहा है और दूसरी यह कहना कि धक्का पहुंचा है-यह बात समझ में नहीं आती।

आपने 1983-84 के लिए आयात-निर्यात नीति की घोशणा की है जिसमें आपने एक खास छूट दी है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय इस देश में उद्योग-धंधे लगा सकते हैं। मुझे भी विदेश जाने का मौका मिला और खास तौर से यूरोपियन कन्ट्रीज में उन लोगों ने शिकायत की थी कि भारत में इतने अधिक रेस्ट्रिक्शन्स हैं कि चाह कर भी वे अपना धन यहां पर उद्योगों में नहीं लगा सकते हैं। एसी स्थिति में आपका यह आफर एक वैलकम फीचर हैं लेकिन दूसरी तरफ कहीं एसा न हो कि हमारे देश की टैक्नालजी डेवलप न कर पाए और आपकी इस नीति के नाम पर कूड़ा-कचड़ा इस देश में पहुंच जाए।

सभापति महोदय, इस देश के सरकारी उपक्रमों में हजारों-हजारों करोड़ रुपया लगा हुआ है जोकि जनता का पैसा है लेकिन वह घाटे पर चलते हैं जिससे देश पर बोझ पड़ता है। भारतीय पाट निगम को भी आप लेलें। बिहार में तो पाट ऐक कैश क्राप है लेकिन आज उसकी लागत भी किसान को नहीं मिलती है और इसलिए उसका उत्पादन गिरता जा रहा है। एक समय में पाट इस देश की अर्थ-व्यवस्था को कन्ट्रोल करता था। 14 परसेन्ट मजदूर केवल पाट उपयोग में ही लगे हुऐ थे और देश के कुल निर्यात में पाट का हिस्सा 40 प्रतिशत था। लेकिन धीरे धीरे यह घटता चला गया और आज स्थिति यह है कि 5 परसेन्ट मजदूर ही पाट उद्योग में रह गए हैं।

निर्यात घटकर 12 प्रतिशत पर चला गया है और आज पांच प्रतिशत पर आ गया है। गत दस वर्षों में इस उद्योग की समस्यायें बढ़ी हैं। बहुत से जूट मिल सिक हो गए हैं और कुछ को सरकार ने ले लिया है और कुछ को गोदाम बना दिए गए हैं। रिम्यूनरेटिव प्राइस किसानों को नहीं मिलती है। सिनथैटिक डवेलप हो जाने की वजह से यह भी कम्पीटीशन में आ गया है बंगला देश का जूट काफी अच्छा माना जाता है, जिसके कम्पीटीशन में हम नहीं आ सके हैं। इसलिऐ यह आवश्यक है कि जूट उत्पादकों को क्या सब्सिडी दी जानी चाहिए।

सभापति जी, भारतीय योजनाकारों ने सोचा था कि पंचम पंचवर्षीय योजना काल में देशी और विदेशी बाजारों चार से पांच प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी होगी, लेकिन वास्तव में उसके विपरीत बात हो रही है। सिथैटिक्स के चलते सरकार को इस पर सोचना चाहिए। रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आधार को सिक यूनिट के लिए तय है तथा जो सुविधायें सिक यूनिट के लिए दी जाती हैं, वे सारी की सारी जूट उद्योग को दी जानी चाहिए। इस उद्योग का पुनर्जीवित होना इस बात पर निर्भर करता है कि कच्चे पटसन अपूर्ति की जाए तथा देशी खपत की बाजार में बढ़ोतरी की जाय जो इस प्रकार से हो सकती है-पहला, कृषकों लागत दाम देकर, दूसरा उपभोक्ताओं को उचित दामों पर मुहैया कराकर और उद्योग को यथेष्ट मुनाफा देकर। इन सब के लिए आवश्यक है कि या तो उत्पादन शुल्क को खत्म किया जाए या फिर एकदम घटाया जाए। आप देखेगें कि 1981-82 में केवल इस उद्योग को करीब-करीब 2 करोड़ो का घाटा हुआ था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जूट कारपोरेशन की स्थापना हुई थी, वह पूर्ति नहीं हो पाई है।

एक बात में काटन कारपोरेशन आफ इन्डिया के बारे में कहना चाहता हु। मनुष्य द्वारा सिन्थैटिक की इजाद के बाद भी रुई का आज दुनिया में विशेष स्थान है। सबसे अच्छी रुई पहले पंजाब और सिंध में उपजाई जाती थीं, जो कि देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद सरकार ने काफी प्रयास किया हैं। 1951 से लेकर 1981-82 तक काफी प्रगति की है। 1951 में 32-77 लाख गांठ होती थी, लेकिन 1981-82 में 79-80 लाख गांठे हुई। कोएम्बैटूर में अभी टैक्सटाइल कार्फेंस में तह आशा व्यक्त की गई थी कि 2000 ई० तक हमें 105 लाख गांठों की जरूरत होगी, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए। इस लिए सरकार को इस पर सोचना चाहिए। मुख्यतया बताया गया है कि सीसीआई में इनको घाटा हुआ है, क्योंकि काफी समय तक इनको रुई खरीदकर रखनी पड़ी है कपास का उत्पादन कम होने की वजह से 12 लाख गांठें बाहर से मंगानी पड़ी हैं। इन दोनों घाटों के पीछे जो तथ्य हैं।, उनको आपको देखने की जरूरत है। 1977 से पहले जब चेयरमैन कम डायरैक्टर एक होते थे, तब घाटा नहीं होता था. लेकिन 1977 के बाद से चेयरमैन और डायरैक्टर अगल-अगल हो गए हैं तब से घाटा बढ़ता रहा है। करोड़ों नहीं अरबों रुपयों का घाटा हो रहा है। इर पर सरकार को विशेष रुप से ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं कुछ बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

जैसा मैंने पहले कहा है कि इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो स्टाक केरी ओवर करना पड़ा है और दूसरे 1976-77 के बाद बाहर से ज्यादा इम्पोर्ट करना पड़ा है, जिसके चलते 97.30 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। जैसा मैंने कहा है कि प्रजेन्ट सी. एम. डी. इसको अपनी पर्सनल प्रोपर्टी की तरफ समझ रहे हैं। अरबों रुपयों का इसमें घाटा है और वे डोनेशन्स देते हैं प्राइम मिनिस्टर फंड में और चीफ मिनिस्टर फंड में जबकि और कोई दूसरा उद्योग नहीं देता है।

इसके अलाबा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सी.एम.डी. के फेवरिट आफिसर्स हैं, जिनको नियमों के विरुद्ध प्रोमोशन दी जाती है, जिसके सम्बन्ध में हसने मंत्री जी को लिखा भी है कि वे

यह बताएं कि 1973 से आगे की सीनियर लिस्ट क्या है लेकिन उसका कोई जवाब आज तक मंत्री महोदय की तरह से नहीं आया है।

चौथी बात यह है कि जिन एजेंटों की मार्फत कपास-की गांठों का इम्पोर्ट किया उन्हीं की मार्फत मिलों के कपास को लेने से इन्कार किये जाने पर एक्सपोर्ट किया और इसमें 97.30 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है ; मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके चार-पांच फेवरिट एजेन्ट्स हैं, जिनके माध्यम से यह इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम किया जाता है।...(व्यवधान)...इनके 5 फेवारिट हैं, जो इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर और इजेन्ट्स हैं और उन्होंने लाखों रुपयों बकाया है।

1. कोडक एण्ड कम्पनी, बम्बई
2. सत्यनारायण सोठिया एण्ड कम्पनी, बम्बई
3. गिल एण्ड कम्पनी, बम्बई
4. खेम जी विश्राम एण्ड कम्पनी बम्बई
5. नारायणदास राजा राम एण्ड कम्पनी, बम्बई

इनके माध्यम से ये माल लेते हैं और इनके माध्यम से वापस करते हैं। इसलिए मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज तक सी.सी.आई. ने अपनी परचैज पालिसी क्यों नहीं बनाई। उस सबमें समय नहीं जाना चाहता लेकिन यह कहना चाहता हूं कि वे खरीद के लिए उस समय नहीं जाते जबकि फरस्ट और सैकेन्ड पीकिंग होती और जिस समय वैस्ट काटन होती है। उस समय और उद्योगपति उस काल लेते हैं और उसके बाद सी.सी.आई. वहां जाती है। इसका एक कारण यह भी है कि जो दूसरे उद्योगपति होते हैं वे इन के अफसरों को अपनी तरफ मिलाकर उस समय खरीद के लिए आगे नहीं जाने देते।.

तीसरी बात यह है कि इन्होंने काटन इस्टीमैट्स को रखा है, तो पुणे के प्रोफेसर नान्देकर को रखा है, जो कि इन्डियन पालीटीकल इंस्ट्रीट्यूट में प्रोफेसर हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन की इस क्षेत्र में क्या जानकारी है। (व्यवधान) मैं सिर्फ प्वाइन्ट्स ही कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)...लिखकर भेज दूंगा तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में मोनोपली परचेज है लेकिन क्या कारण है कि सी.सी.आई. का हैड-आफिस महाराष्ट्र में है। वहां पर हजारों-हजार रुपया किराये का दिया जाता है। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती कि जो स्टेट सबसे ज्यादा कोटन प्रो करती है और जहां सबसे ज्यादा काटन खरीदा जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश है और ऐसी दूसरी स्टेट्स हैं, वही पर हैड आफिस बनाए जाएं ? क्या कारण है कि वहां पर हैड आफिस नहीं बनाया जाता ? ये बहुत सी इरेगूलेरिटीज हैं लेकिन आप समय नहीं देना चाहते, इसलिए में मंत्री जी को अलग से लिखूंगा और चाहूंगा कि वे मेरे हर प्वाइंट का जवाब दें ताकि यह जानकारी हो सके कि काटन खरीदने में घाटा क्यों है और किस तरह सी.एम.डी. इसको अपनी पर्सनल प्रोपर्टी समझ रहे हैं।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : मैंने दस मिनट का समय लेना है और मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे समय के बारे में बीच में रोका जाय मैं अपनी समय सीमा से परिचित हूं। आपके संक्षिप्त वक्तव्य के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं इस मामले में आपका मुकाबला नहीं कर सकता हूं।

वाणिज्य मंत्री ने बहुत उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से उत्तर देने में इस सदन में एक रिकार्ड स्थापित किया है।

नियम 377 के अधीन विशेष उल्लेख किये जाने तीन दिन पश्चात् आंध्र प्रदेश में तीन तम्बाकू उत्पादक किसानों को किस प्रकार गोली से उड़ा दिया गया—उन्होंने रास्ता रोका अभियान में भाग लिया था क्योंकि स्थानीय व्यापारी और डीलर उनका तम्बाकू नहीं खरीद रहे थे यह पहिला मौका है। जब इस सदन में मंत्री ने मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की है और मेरे भारतीय-मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का बहुत सूझ-बूझ पूर्ण ढंग से 'हां' कहते हुए यह उत्तर दिया है। और जैसा मैंने और अन्य संसद सदस्यों ने सूझाव दिया है कि राज्य व्यापार निगम बाजार में आयेगा तम्बाकू खरीदना शुरू करेगा। महोदय इसका सारा श्रेय उन्हें दिया जाता है। इस प्रकार का कोई भी काम आज तक एक भी मंत्री नहीं कर पाया है। इसके बाद राज्य व्यापार निगम मंत्री और उनके सहयोगियों के साथ सभी प्रकार की चालबाजी कर रहा है।

अभी-अभी मेरे माननीय सदस्य मित्र श्री यादव शिकायत कर रहे थे कि वे मन्त्री को पत्र लिखते हैं लेकिन उन्हें उत्तर नहीं मिलता है। मैं भी लिखा करता था। मेरे पत्र उन्हें नहीं दिए जाते थे। उन्हें इनकी कोई जानकारी नहीं थी। उनके निजी सहायक या निजी सचिव को पत्र दिए जाते थे। मुझे यह मालूम नहीं है कि वहां पर कितने अधिकारी हैं। वे इन पत्रों को उन तक पहुंचाने का कष्ट नहीं उठाते हैं। उसके बाद यहां पर उत्पादकों के प्रतिनिधि आए। वे सम्बन्धित अधिकारियों से मिलना चाहते थे। वे उनसे एक या दो बार मिले उसके बाद वे यह जानना चाहते थे कि आखिर-हो क्या रहा है। अधिकारियों की मिलने की कोई सम्भावना नहीं थी। इस मंत्रालय में राज्य व्यापार निगम और विभिन्न अन्य निगम इतने बड़े हैं कि एक मंत्री से उनकी संभाल नहीं हो सकती है। उनके अधिकार बहुत अधिक है। वे नवाब हैं। उन तक पहुंचा नहीं जा सकती है। उन तक केवल उनकी पहुंच हो सकती है जो फाइव स्टार होटलों और में उनका मनोरंजन कर सकते हैं। साधारण किसानों अथवा उनके प्रतिनिधियों की उन तक पहुंच नहीं हो सकती है। पिछले तीन सप्ताहों से यही हो रहा है।

मैंरे माननीय मित्र, मन्त्री महोदय चाहते थे कि राज्य व्यापार निगम बाजार में जाए और तम्बाकू खरीदने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे तथा वहां पर खरीद केन्द्र खोले।

वह चाहते थे कि 12 या 15 बिक्री-केन्द्र खोले जाए। केवल तीन ही केन्द्र खोले गए तथा मद्रास से केवल एक ही अधिकारी भेजा गया। उस अधिकारी को तथा उसके अनुगामियों को, राज्य व्यापार निगम अधिकारियों को जैसी सुविधा आम तौर पर हो जाती है अत्यधिक मंहगे होटलो में ठहराया गया और वे ओनुगोयल में एक बडे होटल में ठहरे हुए थे तथा खरीदारी के लिए बाहर नहीं गये। वे निर्धारित मूल्य नहीं दे सके और तम्बाकू नहीं खरीद सके। उसी

प्रक्रिया में पिछले तीन महत्वपूर्ण सप्ताह बीत गए। तम्बाकू का रंग फीका पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप, उसकी कीमत भी कम हो जाती है। इस प्रकार किसान की आय में भी कमी हो जाती है। उसका नुकसान अत्यधिक बढ़ रहा है। यही सब कुछ हो रहा है।

इसलिए मैं अपने माननीय मित्र को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि वे पहले के अनुभव को दोहरायें नहीं। मंत्री जी यह चेतावनी उसी प्रकार लेकर देखें, जेसे कि उन्होंने मुख्य मंत्री का पद त्याग दिया था वे यह मंत्री पद भी त्याग सकते हैं। इसलिए वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री तथा इन सभी लोगों को, जो इनका अपने मंत्रालय, में समर्थन कर रहे हैं, वर्तमान मंत्री जी की असाधारण क्षमता का ध्यान रखना होगा तथा इसके साथ सहयोग करना होगा। तथा विभिन्न नियमों के इन बड़े नवाबों और क्षत्रपतियों को भी, जो उनके अन्तर्गत काम करते हैं, उस बात का ध्यान रखना होगा।

मैं समझ सकता हूं और यह बात सही है कि तम्बाकू खरीदने का उन्हें अधिक अनुभव नहीं है। इसलिए उनके पास पर्याप्त संख्या में लोग नहीं हैं। उन्हें उनको सक्रिय करना होता है। तिभिन्न स्थानों से आए हुए कार्मिक है। लेकिन क्या इसका यह अर्थ हुआ कि उन्हें अधिकारियों को प्राप्त करने में एक सप्ताह से अधिक समय लगना चाहिए? यदि विदेश जाने का मामला हो, तो वे किसी भी प्रकार एक दूसरे से बढ़कर आगे आएंगे। क्योंकि उन्हें यहां वहां, ओवूगोल और गन्टूर तथा इन सभी स्थानों पर आना जाना पड़ता है तथा वहां हो सकता हैं, 5 सितारा या 7-सितारा होटलों की सुविधा प्राप्त न हो सके, ये अधिकारी और नवाब उपलब्ध नहीं होते है। इस प्रकार किसानों को नुकसान हो रहा हो राज्य का भार नियम के अधिकारी किसानों की सहायता के लिए कब वहा जाएंगे? तम्बकू दो प्रकार होता है। एक बढ़िया किस्म का और दूसरा घटिया किस्म का। इन दोनों के बीच में एक बीच की किस्म भी होती है। घटिया किस्म के तम्बाकू को किस्म और मूल्य में इतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ा है, जितना बढ़िया किस्म के तम्बाकू की किस्म और में पड़ता है जहाँ तक किसानों का संबंध है, बढ़िया किस्म का तम्बाकू बेचा जा रहा है, घटिया किस्म को तम्बाकु कुल उत्पादन का एक-तिहायी हिस्सा है। इस राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदा जा रह है, क्योंकि व्यापारी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वह अच्छी किस्म की तम्बाकू खरीदने के लिए उत्सुक रहता है। वह नहीं चाहता कि राज्य व्यापार निगम बढ़िया किस्म की तम्बाकू खरीदे ताकि मूल्य कम रखे जा सके।

अब क्या हुआ है। गन्टूर क्षेत्र में सारी मात्रा इन व्यापारियों द्वारा खरीद ली गई। लेकिन ओनगोल क्षेत्र में, जहां उस सत्याग्रह हुआ था किसान अथवा माल बेचने को तैयार नहीं थे। वे राज्य व्यापार निगम का इन्तजार कर रहे थे। अतः व्यापारी उन्हें देख देना चाहते थे तथा राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के साथ मिलाकर वे ऐसा करने में समर्थ थे। अधिकारी चाहे जो हमें। मैं नही जानता, वे कोन है वे राज्य व्यापार निगम को बहुत सक्रिया नहीं देखना चाहते ताकि वे सभा सम्भव कम कीमत पर खरीदारी कर सकें। यदि यही उस बात का एक उदाहरण है, तो पटसन, रूई आदि को विभिन्न फसलों और सूत आदि के बारे में क्या स्थिति होगी। यह केवल परमात्मा ही जानता होगा कि इस वाणिज्य मंत्रालय में क्या हो रहा है। इसलिए मैं अपने माननीय मित्र श्री सिंह को यह चेतावनी देता हूं कि जब उन्होंने इस मन्त्रालय का कार्यभार सम्भाल ही लिया है, तो वे इन चेयरमेनों और उनके मातहत अधिकारियों से अनुसानात्मक और

सन्तोषजनक तथा लोकतन्त्रिक परिणाम प्राप्त करने हेतु उचित काम लें। दुर्भाग्यवश वे प्रतिनिधि बिना काफी खरीद किए, अन्न भी यहां मौजूद हैं गत तीन सप्ताहों से मेरे सिर पर यह भारी दबाव पड़ा हुआ है और मेरे मित्र बाहर चले गए तथा उनके अधिकारी उपलब्ध नहीं थे। मैं क्या कर सकता हूं ? मैं उनकी कैसे मदद कर सकता हूं ? जैसा कि यहां हुआ है, उन्होंने सोचा कि मैं इतना बीमार सदस्य हूं कि मैं अन्त तक इन्तजार कर सकता हुं। इसी प्रकार राज्य व्यापार निगम के लोक तथा माननी मंत्रीगण, सभी मेरे से यह आशा करते होंगे कि इन्तजार करता रहूं।

सभापति महोदय : मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि इसके अनादर करने का को उद्देश्य नहीं था।

प्रो० एन० जी० रंगा : वे मेरे से ऐसी ही आशा कर रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र आ० गोयल याजदानी ने कहा, "ओह ! वे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं।" वे केवल अपने निर्यात और आयात संबंधी लक्ष्यों के इच्छुक हैं अतः आप सरकार को दोष नहीं दे सकते।

आप रुपया-मुदा पर क्यों अश्रित रहते हैं ? आज कारूस ने अमेरिका का स्थान ले लिया है। कल तक हम अमेरिका और इंगलैण्ड की दशा पर निर्भर थे। अब हमें राहत मिली है। रुपया मुद्रा कोई कमजोर नहीं है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है। मैं साम्यवादी नहीं हूं और इस बात को सभी जानते हैं। मैं नहीं चहता कि सरकार इस बात में शर्म महसूस करे कि वह इन दक्षिण-पूर्व यूरोपीय देशों, रूस और चीन के साथ अधिक से अधिक व्यापार बढ़ाती जाए। जहां तक चीन का सम्बन्ध है, हम ऐसे रास्ते खोजने होंगे, इस समय साम्यवादी देशों के साथ हमारे अच्छा मुनाफे का व्यापार चल रहा। मैं इसका स्वागत करता हुं। यदि रूस के साथ हमारे इतने प्रमाण संबंध नहीं होते, तो क्या भिलाई और बोकारो अस्तित्व में आ सकते थे ? क्या यह रूस ही नहीं था, किसने इन अन्य उद्यमों का निर्माण किया, रिग्स बनाए, तट दूर तेल की खोज में मदद दो तथा विशाखापटनम में लोहा और इस्पात कारखाना लगवाया ? मेरे माननीय मित्र इन बातों को दिमाग में क्यों नहीं रखते हैं तथा अपने पूर्वाग्रहों से चिपटे हुए हैं। मैं स्वयं लोक तन्त्र में विश्वास रखता हुं। मैं लोककतान्त्रिक देशों के साथ अधिक से अधिक व्यापार बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन यदि लोकतान्त्रिक देश चीज नहीं खरीदना चाहते तथा इसके साथ-साथ मेरे साथ इज्जत से पेश नहीं आते है, तो निश्चित रूप से मुझे उनके चेगुल से निकलना होगा और अपना व्यापार रुपया-मुद्रा में करना होगा।

अन्त में, मैं वाणिज्य मंत्रालय में काम करने वाले अपने दोस्तों से अनुरोध करता हूं कि वे तम्बाकू की ओर विशेष ध्यान दे। वे यहां "एक्सपोर्ट प्रोमोशन मैजर्स शीर्षक से यहा अध्याय देखे। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। सरकार अपना दिल खुद टटोले और देखे कि क्या वह तम्बाकू के मामले में, अन्य निर्यातयोग्य वस्तुओं की तुलना में मात्र 1% प्रयास भी कर रही है। उनकी मदद करने का सरकार ने क्यों नहीं प्रयास किया। शुरू में, जब समिति के समक्ष प्रस्ताव आया था। वास्तव में मैंने यह मांग की थी कि साम्यवादी देशों तथा अन्य एक दलीय देशों के था व्यापार करने के लिए एक राज्य व्यापार निगम होना चाहिए ताकि सरकार से सरकार के बीच व्यापार किया जा सके और फिर इसी प्रयोजन से विशेश समिति के समक्ष

मैंने साक्ष्य दी। फिर राज्य व्यापार निगम अस्तित्व में आया तथा हमारे व्यापारियों के साथ इन साम्यवादी देशों को व्यापार करने की अनुमति मिल गई और हमारे गरीब किसान युंही रह गए। उन व्यापारियों को इसका लाभ मिला और आज भी मिल रहा है, जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लाये हुए हैं और इसके लिए अपनी इन सभी गैर मानवीय अथवा झूठे ढंगों को अपनाने की सामान्य आदत को अपनाए हुए हैं। मुझे खुशी है कि अन्ततः इन मंत्री जी ने राज्य व्यापार निगम को व्यापार करने की अनुमति दी। मैं चाहता हूं कि राज्य व्यापार निगम को उत्पदकों से न केवल तम्बाकू, बल्कि इन विभिन्न वस्तुओं को खरीदने की अनुमति मिले और संबंध में वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए तथा फिर वह इन वस्तुओं को समाजवदी देशों तथा उनके संगठनों को बेचे और इस प्रक्रिया उन बुराइयों को ना आने दे जो हमारे देश में अब सभी इन गेस्ट-हाउसों में चल रही है। उन देशों में इस प्रकार का इतना भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन जब उनके एजेन्ट यहां आते हैं तो उनकी अच्छी खातिर की जाती है। अतः वे इस उपकार का बदला चुकाते हैं और यह बदला सभी प्रकार की वस्तुओं में चुकाया जाता है। यह भी एक कारण था, जिस वजह से हमारा तम्बाकू, जो चीन को उनके अपने चीनी एजेन्ट की स्वीकृति से बेचा गया था चीनी सरकार द्वारा बाद में अस्वीकार कर दिया गया। व हमारे व्यापारियों की गलती नहीं है, यह हमारी सरकार की गलती नहीं है, यह चीनी एजेन्ट की गलती है, उन एजेन्टों पर हमारे अपने लोग हावी हो गए थे। इसलिए यह व्यापार सरकार से सरकार, राज्य के बीच होना चाहिए।

धन्यवाद।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति जी, मैं अधिक विस्तार में न जाकर केवल जो सम्बन्धित बातें हैं, उन्हीं के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा। यह बात सही है कि माननीय मन्त्री जी ने जो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट पालिसी की 14 अप्रैल को सदन में घोषणा की है उसके द्वारा विदेशी व्यापार में 500 करोड़ रुपए का जो आयात पर खर्चा आया है, उसको कम कर सकेंगे। माननीय मंत्री जी की राजनैतिक व्यक्तिगत और प्रशासक की हैसियत से तस्वीर बहुत अच्छी है। लेकिन जो महकमा मंत्री जी को मिला है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या वाला महकमा है। 1981-82 में 5,836 करोड़ का आयात-निर्यात में घाटा था और मौजूदा वर्ष में अन्दाजा यह है कि पांच हजार रुपए का घाटा रहेगा। इस पांच हजार के घाटे में पांच सौ रुपए आपकी जो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट पालिसी है, उसको घाटा दीजिए। पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स से 800 रुपया मिलेगा। लेकिन, फिर भी 4200 करोड़ का घाटा रहता है। अब प्रश्न यह है कि इस घाटे को कैसे कम कर सकते हैं। आपको मालूम है कि आज हिन्दुस्तान के ऊपर विदेशी कर्जा 15 बिलीयन डालर्स का है। यदि आप इस पर इन्टरेस्ट लगाते हैं तो और कितना इन्टरेस्ट देना होगा; उन दोनों को मिलाने के बाद आपके ऊपर प्रति वर्ष कितनी जिम्मेदारी है। जब तक आप आयात कम नहीं करेंगे तब तक आप देश की आर्थिक अवस्था को व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। मैंने आपकी रिपोर्ट को पढ़ा है। एक्सपोर्ट के जो आप इंसेन्टिव देना चाहते हैं और 467 करोड़ रुपए खर्च करते हैं वह किसके लिए हैं? आप यह कहते हैं कि जो लोग निर्यात करते हैं उनको हम नकद राशि, सहायता के रूप में देते हैं। आज आप उनको नकद मुआवजा राशि दे रहे हैं। इसको देने की क्या आवश्यकता है? कोई भी ऐसा

व्यापारी नहीं होगा जो अपने घर से खर्च करता हो। लेकिन, आप 500 करोड़ रुपया इसी बात के लिए खर्च कर रहे हैं। दूसरा मखौल इसी मुद्दे में यह है कि जो लोग निर्यात नहीं करते हैं उनको आप नकद मुआवजा राशि देते हैं। इसलिए, यह कौन सी नयी नीति है ? आप किसी भी व्यापारी से बात कीजिए वह कभी भी ऐसे धोखे में नहीं आयेगा। यह जो सारा आडम्बर है उसमें उन लोगों की कम्युनिटी एक्सपोर्ट की नहीं होती है। लेकिन चूंकि आप उसको एक्सपोर्ट की मद में मान रहे हैं इसलिए आप उसको 75 परसेन्ट कैश कम्पोनेंट की असिस्टेंस दे रहे हैं। क्या पब्लिक का पैसा लुटाने के लिए है ? तो आपको सोचना होगा ऐसा व्यापार न करें जिससे आपको नुकसान होने जा रहा है।

आपने कुछ वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और कस्टम्स शुल्क माफ कर दिया है। क्यों कर दिया ? क्या आवश्यकता है ? जो ऐट पार हैं उनके साथ आने दीजिए। जितने ऐसे लूपहोल्स आप ट्रेड में रखेंगे उनका ही लोग ब्लैक मारकेटिंग और स्मुगलिंग करेंगे और पब्लिक ऐक्सचेंकर को नुकसान होगा। आपको सोचना चाहिए आज आपने उन इंडस्ट्रीज को जो 100 परसेंट एक्सपोर्ट ओरियेन्टेशन के नाम से छूट दी हैं बाहर से माल खुद के नाम से एक्सपोर्ट करें और दूसरे किसी उद्योग को दे दें तो वह नीति आगे चल कर कारकर नहीं होगी कि इस प्रकार इस नाम से कुछ इण्डस्ट्रीज को इतनी बड़ी छूट दे दी जाय। जब तक आप आयात पर अकुंश नहीं लगायेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। ताज्जुब होता हैं 1981-82 में 230 करोड़ रु० का गेहूं आयात किया, जबकि आपने खुद क्लेम किया कि 1981-82 और 1982-83 में हायेस्ट व्हीट प्रोडक्शन हुआ है। जब ऐसा है तो बाहर से गेंहूं मंगाने पर 230 करोड़ रु० क्यों खर्च किया 1981-82 में ? और इस वर्ष भी उतना ही खर्च होगा। ऐसा क्यों करते हैं ? बफर स्टाक तब बनाते हैं जब अंदेशा हो कि ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन नीचे जाने वाला है। ऐसी तो कोई बात है नहीं। आप किसान को इन्सेंटिव दीजिए। उल्टे होता यह है कि जब किसान के घर में माल आता है तो उसकी लूट की जाती है। आपने काटन परचेज बोर्ड या कोरपोरेशन बनाया, या शुगर की बात है, आपको धन्यवाद देता हूं कि 1981-82 में शुगर निर्यात करने की छूट दी, लेकिन काटन में जैसी धोखेबाजी हुई है किसान से सस्ते में कपास ले ली और बोर्ड ने बाद में उस में मुनाफा कमाया। यह ठीक नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में प्याज पैदा होता है, अभी जनवरी में प्याज हुआ आपने किसान से तो सस्ते में प्याज ले ली और फरवरी के महीने में उसका एक्सपोर्ट खोल दिया जिससे प्याज मंहगी हो गई, लेकिन उसका लाभ किसान को नहीं मिला, एक्सपोर्टर्स को हुआ। ऐसा लगता है कि कृषि के सम्बन्ध में आपकी कोई नीति नहीं है। जो कृषि उत्पाद हैं उनको निर्यात करने के लिए गत वर्ष मैंने सुझाव दिया था; आप उत्तर प्रदेश से जाते हैं जहां कृषि उत्पाद का महत्व है, उसको निर्यात करने के लिए एक अलग से कोरपोरेशन बनायें। जब आप ऐसा करेंगे तभी किसान को सही कीमत मिल सकती है अपने माल की। आपने मुख्य मंत्रियों या मंत्रियों को कह दिया कि बोर्ड तय करेगा और जब वह बाहर भेजने को कहेगा तभी भेजेंगे। तो यह नीति ठीक नहीं है। इसलिए कृषि उत्पाद को ऐक्सपोर्ट करने के लिए आप अलग से कोपरेशन बनाइए। आप देखें कि नागपुर के किसानों को अपने संतरे का कितना कम पैसा मिला है। आप उसको बाहर भेजिए, इससे किसानों को लाभ होगा। अतः मेरा निवेदन है कि आप गम्भीरतापूर्वक कृषि उत्पाद को बाहर भेजने के लिए और निर्यात करने के लिए एक

निगम बनायें नेशनल लेबिल पर और उसकी इकाइयां सारे प्रांतों में कायम कीजिये जिससे किसानों को सही पैसा अपने माल का मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपकी मांगो का समर्थन करता हूं।

*श्री सी० चिन्नास्वामी (गोबिचेट्टिपलयम) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने दल 'आल इंडिया अन्ना द्रविड मुनेत्रे कषगम' की ओर से वर्ष 1983-84 के लिए वाणिज्य मंत्रालय की अनुदान मांगों के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

महोदय, हमारे वाणिज्य मंत्री का नाम निष्ठा और व्यापक प्रयास का पर्याप्त है। मुझे पक्का विश्वास है कि उनके कार्यकाल में हमारे निर्यात में आवश्यक वृद्धि होगी। हाल में घोषित की गई निर्यात-आयात नीति, इस दिशा में उनके लिए गये प्रयासों का संकेत है। वर्ष 1983-84 में आयात में 500 करोड़ रुपये मूल्य तक की कमी होने का अनुमान है और स्वाभाविक रूप से हमारी विदेशी-मुद्रा की उतनी बचत होगी।

लेकिन वर्ष 1982-83 में 4060 करोड़ रुपए का व्यापार-घाटा हुआ है। हमें अपना निर्यात बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, हालांकि 4060 करोड़ रुपए के इस अन्तर को दूर करना कठिन है। इसलिए हमें अपने आयात में भारी कटौती करनी होगी। जिन वस्तुओं का देश में उत्पादन हो रहा है, उनके आयात की किसी भी हालत में अनुमति नहीं की जानी चाहिए। जिन उत्पादों की, देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यकता है, उन्हें आयात करने की अनुमति दी जा सकती है उदाहरणार्थ हम 600 करोड़ रुपए मूल्य तक के लोहे और इस्पात के आयात को अनुसूचित नहीं कह सकते। इसी प्रकार हम पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को भी नहीं रोक सकते। लेकिन हम सोड़ा एश, स्ट्रीन बुटाडेन रबर, दूध और क्रीम, कृत्रिम प्लास्टिक सामग्री आदि का आयात करना रोक सकते हैं, जिनका उत्पादन देश में किया जा रहा है। मैं इन उत्पादों का आयात करने का तर्क और आवश्यकता नहीं समझ सकता। इन आयातित मदों की अनुपस्थिति में हमारे देश की औद्योगिक विकास दर बिल्कुल रुक नहीं रही है। हमें इन मदों का अपने देश में उत्पादन बढ़ाना चाहिए। इन वस्तुओं के आयात पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए। यदि इनका आयात न किया जाये तो हम प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये बचाने में समर्थ होगे। मैं मांग करता हूं कि इन वस्तुओं के आवश्यक आयात को करने के प्रश्न की जांच हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाये और उसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये हमारे पास 12 निर्यात संवर्द्धन परिषदें हैं जिन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने में सफलता प्राप्त नहीं की हैं। आप, यदि आवश्यक हो, तो उन्हु बन्द कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि एक इम्पोर्ट प्रिवेन्टिव काउंसिल का गठन किया जाए जो निरन्तर इस बात पर निगरानी रखे कि आयात नीति का किस तरह के क्रियान्वयन हो रहा है।

महोदय, यदि आप मंत्रालय की-वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ट 62 को देखें तो आप पाएंगे कि 1982 में भारत ने लेटिन अमरीकी राष्ट्रों को 33 27 करोड़ रुपए मूल्य को वस्तुओं का निर्यात किया गया था। इसी तरह हमने पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों को 1038.31 करोड़ रुपए के मूल्य की

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

वस्तुओं का निर्यात किया । अपने निर्यात में परिवर्तन करने के लिए हमें अपना निर्यात लेटिन अमरीकी राष्ट्रों के साथ बढ़ाने पर विचार करना चाहिए । इस तरह हम और अधिक विदेश मुद्रा कमाने में समर्द होंगे ।

रूस ने 1983 में हमसे 28 करोड़ रुपए के मूल्य का फ्रूट जूस, पल्प आदि प्राप्त करने का ठेका किया है, लेकिन रूस ने अचानक इन उत्पादों के पोत परिवहन को अनिश्चित काल के स्थगित करने हेतु कहा है । मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि ये खराब होने वाली वस्तुएं हैं, जिन्हें अनिश्चित काल तक भण्डार में नहीं रोका जा सकता है । यदि सरकार फ्रूट जूस, पल्प के उत्पादकों का बचाव नहीं करती है तो क्या इसके निर्यात इस मामले को रूस के साथ उठाकर और रूस के खरीदारों को यथाशीघ्र उत्पादों का ठेका देने हेतु कह सकते हैं । इससे यह उद्योग समाप्त हो जाएगा । मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से इस मामले पर विचार करने और उचित कार्यवाही करने हेतु अनुरोध करता हूं ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय, अभी-अभी यह उल्लेख किया गया कि हमारे अधिकारी 'नवाब' हैं । क्योंकि इनमें से अधिकांश अधिकारी आन्ध्र प्रदेश और तमिल नाडु के हैं इसलिए मैं उन्हें अन्तरंग रूप से जानता हूं । वे ग्रामीण स्कूलों में पढ़े हैं । सौभाग्य से वे स्तर तक पहुँच गये हैं । इसलिए आपको उन्हें 'नवाब' नहीं कहना चाहिए । आप उन्हें सिविल सर्वेन्ट कह सकते हैं । इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता था ।

महोदय, राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम को 60 से 70 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है । उन्होंने केन्द्रीय राजकोष को 3 से 7 करोड़ रुपए लाभांश दिया है । उन्होंने अच्छा कार्य किया है । बाहरी देशों में अधिकारी अच्छा कार्य कर रहे हैं इस सभा में उनकी प्रशंसा की अपेक्षा की जाती है । यदि हम उनकी हमेशा बिना किसी कारण उपेक्षा करेंगे तो. . . .

प्रो० एन० जी० रंगा : वे ईमानदार हैं और स्वाभाव में साधारण हैं ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : महोदय, कई बार मुझे प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व करने का मौका मिला था । मैं अधिकारियों के पास जाता था और उनसे बात करता था । यहां तक कि मैं मंत्री जी के पास गया, उन्होंने कहा कि आप मेरे कमरे में आयें और बात करें ।

प्रो० एन० जी० रंगा : इस तरह से हम अधिकारियों की प्रशंसा करके उन्हें सिर पर चढ़ाते हैं ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : महोदय, मैं तम्बाकू की खरीद के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं । राज्य व्यापार निगम ने उस व्यापार में प्रवेश किया है । लेकिन वह अकेले यह काम नहीं कर सकता है क्योंकि उनके पास गोदाम और बैंकिंग व्यवस्थाएं आदि नहीं हैं । मैं मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि राज्य व्यापार निगम को तम्बाकू की खरीद के लिए कुछ

व्यक्ति नियुक्त करने दीजिए ताकि तम्बाकू खराब न हो सके। यह खराब होंने वाली वस्तु है और यह पहले ही खराब हो रही है।

16,40

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

वाणिज्य तथा पूर्ति विभाग के मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मैंने वाणिज्य के बारे में सदस्यों की आलोचनाएं, प्रशंसाएं और टिप्पणियां सुनी हैं जिसके लिए यह माननीय सभा प्रतीक रूप है और इस अदला बदली प्रणाली में मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे सबसे अधिक लाभ हुआ है क्योंकि माननीय सदस्यों के प्रत्येक मूल्यवान सुझाव से हमारी सोचने की प्रक्रिया को बल मिला है जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

महोदय, नीतियों, अलग-अलग मदों और प्रशासनिक मामलो के बारे में टिप्पणियां और सुझाव दिए गए हैं, सर्व प्रथम मैं नीतियों की समस्याओं पर आऊंगा क्योंकि वृक्षों की गिनती करने में जंगल की सुन्दरता खतम नहीं होती। कई बार समस्याओं के हल लिए इस प्रकार से कार्य किए गए जैसे किसी कुम्हलाए हुए वृक्ष की पीली पत्तियों को तोड़ने के लिए होते हैं, ताकि वह वृक्ष हरा बना रहे। वस्तुत: जरूरत इस बात की है कि जब हम उन समस्याओं की जड़ों को देखते हैं जो हमारे समाने खड़ी हैं, तो हम उन जड़ों को पानी देना चाहिए। माननीय महिला सदस्य श्रीमती गोपालन ने इस चर्चा में भाग लेते समय विषय को विस्तारपूर्वक पकड़ा है। उन्होंने इस विषय पर जिस प्रकार विस्तृत रूप से चर्चा की है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमारी नीति के निष्कर्ष पर दु:ख प्रकट किया और इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि आखिर व्यापार घाटा कम नहीं हो रहा है और उन्होंने वास्तव में अन्त में यह कहा कि नीति के मामले में हम अंधेरे में जा रहे हैं। यदि हम अंधेरे में जा रहे हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि हमें अंधेरे में इस चीज को ढूंढना चाहिए जिसे हम अनिवार्य रूप से प्रकाश में पाते हैं लेकिन हमें अपने इस अंधेरे को अच्छी तरह समझें और यदि हम इसके चारों और देखें तो हमें पता चलेगा कि अंधेरे के घेरे में केवल हम ही नहीं हैं बल्कि सम्पूर्ण विकासशील विश्व है और आज विकसित राष्ट्र भी अंधेरे के घेरे में है। मैं वास्तविकता को किस प्रकार उजागर करूं। वास्तविकता के सम्मुख आने के लिए साहस चाहिए, जो इसके साथ लड़ने का साहस देता है। कल्पनाएं कायरों के खिलौनों के समान होती हैं और हमारे पास इन कल्पना रूपी खिलौनों के साथ खेलने का समय नहीं है।

वास्तविकता यह है कि सारी दुनिया वास्तविकता से व्याप्त है और इस वास्तविकता से दुनिया ढकी हुई है, तथा अब तत्कालीन कार्यवाही करने की जरूरत है, माननीय सदस्यों, श्री के० ए० राजन, श्री चिन्तामणि पाणिग्रही और श्री के०के० गोयल ने भी इस समस्या के बारे मे कहा है, जो इस समय विश्व व्यापार में विद्यमान है। विश्व व्यापार की विकास दर 1979 में 5.5 प्रतिशत थी, यह 1980 में 1.5%, 1981 में शून्य प्रतिशत और 1982 में 2 प्रतिशत नकारात्मक थी। इस प्रकार यह कम होती जा रही है, विश्व का उत्पादन कम होता जा रहा है और 1979 में विश्व उत्पादन की विकास दर 3.5% थी, 1980 में यह 1.5% रह गई तथा

1981 में घटकर 0.9% हो गई। विकासशील देशों में वस्तुओं के मूल्य कम हो रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों ने किया है, आज हम उससे कम प्राप्त करने के लिए अधिक बेचते हैं। देश में चौथे दशक की मंदी को छोड़कर यह सबसे कम है, 1960 में एक टन चीनी के बदले 6.3 टन तेल खरीदा जा सकता था, 1982 में एक टन चीनी के बदले में 0.7 टन तेल खरीदा जा सकता था। 1960 में एक टन काफी के बदले 15.8 टन उर्वरक खरीदे जा सकते हैं। 1982 में 7-8 टन के ट्रक से 6 टन जूट खरीदा जा सकता था। 7-8 टन के ट्रक को खरीदने हेतु 26 टन जूट की जरूरत होती थी। इस स्थिति में विकासशील देशों का व्यापार घाटा जो 1973 में 17 अरब डालर था, बढ़कर 1981 में 180 अरब डालर हो गया है, विकासशील देशों का व्यापार घाटा दस वर्ष की अवधि में 10 गुना बढ़ गया है।

आखिर हम पाते क्या हैं? यदि हमें इसका कोई हल ढूंढना है और हम इस ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान दें तो हमें इस समस्या की गहराई में जाना पड़ेगा और यह देखना होगा कि ये समस्यायें कैसे उत्पन्न हुई है, यह विपत्ति कैसे आई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अर्थव्यवस्था में सुधार किया गया तो विकसित देशों द्वारा कुछ संस्थायें बनाई गई। ब्रिटनवूड में आधुनिक अर्थव्यवस्था की शुरूआत की गई और उसका ढांचा तैयार किया गया था। उस समय हम में से कई देश स्वतन्त्र नहीं थे तथा हम उन संस्थाओं में कोई अंशदान नहीं कर सके। उसमें दो अच्छी बातें अवश्य हुई, जिनमें हम पर्याप्त रूप से अंशदान न कर सकें। वे बातें थी—विनिमय दर स्थिर थी और विकसित देश सस्ते कच्चे माल पर निर्भर करते थे।

तेल के मूल्यों में वृद्धि क्या हुई? ये मूल्यों कुछ समय के लिए कम रखे गए थे और उसके बाद विकासशील देशों या किसी विकासशील देश ने पहली बार सफलतापूर्वक अपनी वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिए। इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका प्रभाव मूल्यों में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति पर पड़ा। विकसित देशों में मुद्रास्फीति बढ़ी। उन्होंने तेल की क्या कीमत दी और उन्होंने अपने द्वारा निर्मित माल को किस मूल्य पर बेचने की कोशिश की। यह सब रहा किन्तु अंत में मुद्रास्फीति उनका दानव बन गई। उन्होंने उपचार के लिए जो कुछ किया वह उनकी बीमारी बन गई और आज वे अपनी बीमारियों के कारण मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं। उन्होंने मुद्रास्फीति समाप्त करने के लिए क्या तरीका अपनाया है? धन को कम करने के लिए आर्थिक नीतियां अपनाई गई हैं। धन को मंहगा किया गया है और इससे ऋण पर ब्याज की दरें बढ़ी हैं। ब्याज की दर बढाने से विकासशील देशों को अपने देश में अधिक धनराशि निवेश करनी पड़ती है जिससे विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था में मंदी आई है और बेरोजगारी बढ़ी है। हर तरफ से हम प्रभावित हुए हैं। जब ब्याज की दरें बढ़ाई गई थीं तो हमारी वस्तओं की लागत बढ़ी और उसकी मांग कम हुई। उसे रोकना कठिन हो गया। जब उद्योग की विकास दर पर प्रभाव पड़ा तो हमारी वस्तुओं की मांग की दर कम हुई। जब खरीद की क्षमता कम हुई, तब क्या हुआ? हमारे उत्पादों अथवा उपभोक्ता वस्तुओं, जिनका हम निर्यात करते हैं, की मांग अचानक घट गई। उन देशों ने हमारे निर्यात के विरोध में मूल्य सम्बन्धी और अन्य बाधाएं डाल दी हैं। इसलिए मैं इससे सहमत हूं कि कुल स्थिति यह है कि खाड़ी के देश अंधेरे में हैं। जहां एक ओर विश्व व्यापार में वृद्धि हुई है, विश्व उत्पादन में गिरावट आई है, वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं, वहां दूसरी ओर व्यापार घाटे से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को हानि पहुँची है और वे विदेशी

ऋण के बोझ से ग्रसित हो रहे हैं। हमें इस ओर बहुत सावधान रहना है अब विकासशील देशों का ऋण का बोझ बढ़कर निर्यात से होने वाली आय के 20 प्रतिशत हो गया है। और यदि हम कुछ देशों के मामले में विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि उनकी निर्यात की आय का 100% या 100% से अधिक पूंजी ऋण से कट जायेगी। उनके सामने क्या कठिनाई हैं ? राजनीति स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ विकास के वायदे करने होंगे अन्यथा उनकी राजनीतिक स्थिरता खतरे में है। अत: उन्होंने अपने भविष्य के लिए वर्तमान में परिवर्तन किया है। ऋण न लेने हेतु उन्हें आज अपना जीवन कल के लिए बेचना पड़ेगा। इस संदर्भ में यदि हम इस पर विचार करें तो देखेंगे कि दूसरी तरफ यह क्या हो रहा है।

विकसित देशों में भी यह तस्वीर अंधकारमय है। वहां लड़खड़ाती मुद्रास्फीति दूर न होने वाली बेरोजगारी और मंदी की स्थिति है। सभी विश्लेषणों के बावजूद उसकी खोज लगभग पूरी होने को है, फिर भी लोग विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते कि यह ऐसी बात है और इसमें कितना समय लगेगा।

अत: विश्लेषण करने पर पता चलता है कि रूग्णता केवल लाक्षाणिक नहीं है, यह मूलतः संरचनात्मक है। यह विश्व की आर्थिक व्यवस्था की संचरनात्मक रूग्णता है और दिल्ली में हुए निर्गुट सम्मेलन में इस पर प्रकाश डाला गया है। यह हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की पहल पर ही धन और वित्त सम्मेलन बुलाया गया जिसमें सारे विश्व को बुलाया गया और उन्होंने कहा कि तब तक कुछ नहीं किया जा सकता जब तक कि विश्व स्तर पर कोई तुरन्त उपाय नहीं किए जाते। परन्तु जब तक विश्व स्तर पर बातचीत हो इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता और इसके लिए तुरन्त उपाय करने पड़ेंगे। उन्होंने कुछ तुरन्त किए जाने वाले उपाय बताए जिन्हें निर्गुट सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि और बिल के बारे में भारत ने निर्गुट सम्मेलन में जो उपाय सुझाए थे और जो कुछ भारत ने बगदाद में कहा था, अर्थात् अर्थ-व्यवस्था की पुनरीक्षण के लिए विश्व अर्थ-व्यस्था का पुनरीक्षण के लिए विश्व अर्थव्यवस्था का पुनरीक्ष तंत्र बनाया जाए, उनका ब्यूनसएयर में विकास शील विश्व अर्थात् 77 देशों की बैठक में समर्थन किया गया। और ई०एस०ए०पी० में भी विकास शील देशों ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग के विचार का पूर्ण समर्थन किया है।

16.54

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

व्यक्तिगत प्रश्नों का उत्तर देने से पहले, मैं कहना चाहूंगा कि व्यापार का सारे विश्व से सम्बन्ध है इसका केवल अनुदान मांगों के लिए पेश किए जाने वाले बजट से ही संबंध नहीं है। यदि कोई वाणिज्य को समझता है तो मैं कहता हूं कि सबसे बाद में बजट की ओर ध्यान दिया जाता है। यह बजट के बाहर ही नहीं जाता है यह देश के बाहर भी लागू होता है।

मेरे मित्र श्री गोपल ने कहा है कि व्यापार प्यार को भी पीछे छोड़ देता है। अपने नजदीकी के साथ भी हम व्यापार की शर्तों के अनुसार व्यवहार करते हैं। वे यहां नहीं हैं परन्तु मेरा कहना है कि व्यापार तथा प्यार में एक समानता अवश्य है यद्यपि वे पूर्णतया विपरीत हैं, दोनों में

एक भागीदार की आवश्यकता होती है, एक दूसरे पर निर्भरता अनिवार्य है । कुसंमजन दोनों में विनाश कर देता है । इस कुसंमजन का हमने व्यापार में समायोजन करना है—हो सकता है यह प्यार से किया जाए ।

हमने आंधी-तूफान का सामना किया है, अपने पांव को उखड़ने नहीं दिया है । निर्यात दर में वृद्धि हुई है । और आयात दर कम हुई है । निर्यात पर 1977-78 में 5.1%, 1978-79 में 1979-80 6% में 12.80%, 1980-81 में 3.9% 1981-82 में 16.3% और 1982-83 में 15.1 प्रतिशत थी । मुसीबत के समय में भी दर बढ़ी है । आयात की विकास दर 1979-80 में 34.2 प्रतिशत 1980-81 में 37.4 प्रतिशत, 1981 में 8.6 प्रतिशत और 1982-83 में 6 दिसम्बर तक 8 प्रतिशत थी । साथ ही भारत अपने ऋणों को ठीक प्रकार से चुकता कर रहा है । इसका मतलब यह है कि हमने ऋण का सही उपयोग किया है और इसे खपाने की क्षमता नहीं है बल्कि बिना किसी चूक के इसे वापस करने की भी क्षमता है । औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा है । अतः मेरा कहने का यह मतलब है कि यह रास्ता इतना सुगम नहीं है । हमारे सामने रुकावटें हैं परन्तु हम इन पर काबू पा लेंगे क्योंकि ऐसा करने का हमारे में साहस है ।

श्री राजन ने कहा है कि निर्यात में वृद्धि तेल के निर्यात के कारण हुई है । श्री आर० पी० यादव का आश्चर्य हुआ । आखिरकार हम कच्चे तेल का निर्यात क्यों कर रहे हैं जबकि हम तेल का आयात करते हैं? आयात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कच्चे तेल में सल्फर की मात्रा हमारी रिफाइनड़ियों के उपयुक्त नहीं है । अतः इस प्रकार के कच्चे तेल का देय निर्यात करना पड़ता है । परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यदि हमने इस कच्चे तेल का निर्यात न किया होता और इसे अपनी रिफाइनड्रियों में भेजा होता तो व्यापार-अन्तर और भी कम हो जाता तो फिर हम कौनसी चीज निर्यात करते —क्योंकि ऊंचे दामों की वस्तुओं का आयात करना पड़ता । इन प्रकार कच्चे तेल का निर्यात करके हमने कोई लाभ नहीं कमाया है परन्तु इसे हमने रिफाइन किया होता तो व्यापार— अन्तर और कम हो जाता । और यह किसी देश का दावा नहीं है और न ही हम दावा कर सकते कि उत्पादन में वृद्धि किए बिना हम निर्यात कर सकते हैं । ऐसा कहां होता है ? वास्तव में निर्यात उत्पादन से होता है । इस विषय पर बाद में बात करूंगा । और देश पर निर्यात करता है—यह उत्पादन में वृद्धि से किया जाता है ।

उदारणतया, जब मुद्रास्फीति बढ़ती हैं तो मूल्य बढ़ते हैं, आयात में वृद्धि नहीं होती । यदि मूल्यों में वृद्धि होती है, तो व्यापार—अन्तर बढ़ता है अतः, जब उत्पादन होगा तो देश को अवश्य ही इसका लाभ मिलेगा ।

श्री राजन को यह बात बहुत ही दिलचस्प है कि हमारे साम्राज्य वादियों से संबंध हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कभी ऐसा था ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : परन्तु तुरन्त ही उन्होंने थाइलैंड और हांगकांग की अर्थव्यवस्था के नमूने के रूप में पेश किया । मुझे आश्चर्य हुआ है कि श्री राजन ने किस प्रकार अपनी वामपंथी दृष्टि से थाईलैंड और हांग कांग को विश्व के लिए विकास के मामले में आदर्श प्रस्तुत किया है । क्या वह यह जानते हैं कि ये देश भी से बाहर की अर्थ व्यवस्था के परिशिष्ट बन गए हैं ? यदि

इस देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विश्लेषण किया जाए तो इनसे कितने संसाधन प्राप्त होते हैं? क्या हमारा विश्लेषण गलत नहीं है? खून यहां हो सकता है परन्तु हृदय कहीं और है। इस अर्थ व्यवस्था में उन देशों का हृदय निकल चुका है। हृदय इन देशों में नहीं है। हम इस आदर्श को स्वीकार नहीं कर सकते।

आयात और निर्यात नीतियों में क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता, मैं समझता हूं कि इस पर कुछ समय दिया जाना चाहिए। कई बार मैं महसूस करता हूं कि यदि ऐसी कोई पुस्तक हो जिसमें यह दिया गया हो कि हम क्या नकद प्रोत्साहन देंगे, क्या प्रतिबन्ध लगाएंगे, तो यह एक रोगी के लिए डाक्टर के नुस्खे की तरह होगी। हमें ऐसा नहीं कर सकते या रियायत देकर हम निर्यात नहीं बढ़ा सकते।

एक संतुलित तथा स्वस्थ अर्थ व्यवस्था में हमें यह देखना होगा कि निर्यात के लिए ही हम सभी रियायत न दें हमें काफी मजबूत बनाना पड़ेगा।

यदि हम अपने निर्यात ढांचे और विकास क्षमता का विश्लेषण करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आयात-निर्यात नीति व्यापार-अन्तर के बीच एक पुल है क्योंकि आयात और निर्यात एक सिक्के, उत्पादन' के दो चेहरे हैं। आयात उत्पादन न होने पर किया जाता है और निर्यात उत्पादन बढ़ने पर किया जाता है। यदि, व्यापार अन्तर को समाप्त करना है तो यह केवल आयात और निर्यात से ही नहीं होगा परन्तु यह उत्पादन बढ़ाने से होगा; जहां आयात की आवश्यकता होती है इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में उत्पादन नहीं हो रहा है। अतः यदि इस अन्तर को पूरा करना है तो यह उत्पादन बढ़ाने से होगा और हमें देखना होगा कि हमारे इंजन ठीक तरह से काम करें। निर्यात उत्पादन के हिमशैल की तरह है और उत्पादकता हिमशैल की उत्पलाकता है अतः इस विचार धारा से यदि हम इस क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों को दूर करें तो हमारे व्यापार संबंध में हम और भी नजदीक होंगे बजाय इसके कि हम नकद सहायता दें या आयात पर प्रतिबंध लगाएं। क्योंकि सबसे बेहतर आयाता-निर्यात नीति यह है कि हम उत्पादन बढ़ाएं? मैं श्रीमती सुशीला गोपालन को अच्छी आयात निर्यात नीति बनाने का नियंत्रण देता हूं।

श्री ए० नीला लोहीथा दसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : वह कार्य कर सकती है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : जब हमें बहुमत प्राप्त होगा तब हम बनाएंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि आप कुछ आंकड़े लें, जिनकी जानकारी मैं आपको दूंगा, तब आप भी बना सकती हैं।

पिछले पांच वर्षों के निर्यात को देखने से पता चलता है कि विकास दर इन वर्षों में सबसे अधिक रही है। और यह 16.5 प्रतिशत है। निम्नतम विकास दर 8 प्रतिशत है। आयात की उच्चतम तथा न्यूनतम विकास दर लेकर देखना होगा कि हमारा निर्यात इस अन्तर को कितने दिन में पूरा कर लेगा। इसमें सात वर्ष से कम समय नहीं लगेगा। और यदि सूखा पड़ जाता है या बिजली की कमी पड़ जाती है या आर्थिक संकट आ जाता है तो सात वर्ष से भी अधिक समय लग सकता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : या हड़ताल हो जाती है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां, यदि हड़ताल हो जाती हैं तो सात की बजाय 10 वर्ष आसानी से लग जाएंगे ।

अतः यह उत्पादन दशक है और सर्वश्रेष्ठ नीति से आप इस अंतर को पूरा कर सकते हैं। परन्तु निर्यात के लिए भविष्य अच्छा है । अतः हम 20 प्रतिशत हो विकास नहीं बनाएंगे । क्यों नहीं ? निश्चित रूप से हम आयात की दर को कम कर सकते हैं परन्तु एक सीमा तक ही ऐसा कर सकते हैं । एक देश का निर्यात इसकी आपकी विकास दर, बचत, पूंजी निवेश, प्रतियोगीता के लिए उत्पादकता और अर्थ व्यवस्था पर निर्भर करता है । परन्तु हम बढ़िया क्या करेंगे, यह तस्वीर है परन्तु मैं निराशावादी नहीं हूं । परन्तु मैं वास्तकिता को नजदीक लाना चाहता हूं। यह समय है सब्ज बाग दिखाना छोड़कर हमारे सामने खड़े खतरे के बारे में सदन तथा लोगों को अवगत कराएं । उत्तर कहां हैं ? हमें इसका उत्तर ढूंढना है ।

यदि हम अपने आयातों के ढांचे का, विश्लेषण करें तो कदाचित इस विश्लेषण से मिल सकते और उनसे हम पाते हैं कि चार मदें अथबा चार वस्तु समूह ऐसे है जो हमारे आयात का 70 से 76 प्रतिशत है । उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक के उत्पाद, मशीनरी जिनमें यातायात का सामान, लौह धातुएं अलौह और चौथे खाद्य तेल ये वस्तुएं हैं । 1980-81 में उर्वरकों सहित पेट्रोलियम उत्पादों का आयात 47.7 प्रशिशत था, धातुओं का आयात 10.6 प्रतिशत था, यातायात सामान सहित मशीनरीं का आयात 14.9 प्रतिशत था और खाद्य तेलों का आयात 5.4 प्रतिशत था—इनका कुल आयात 78.2 प्रतिशत था ।

1981-82 में इन वस्तुओं के आयात का प्रतिशत 67.3 प्रतिशत था । इस प्रकार इन वस्तुओं का 70 प्रतिशत अथवा 75 प्रतिशत आयात था जिनमें कमी करने के लिए कोई नीति सम्बन्धी निर्णय लेकर बहुत कुछ नहीं कर सकते । हमें इनकी वृद्धि-दर को एक निश्चित सीमा तक ले जाना होता है । इसलिए, यह बात मैं स्वीकार करूंगा कि इन परिस्थितयों में, इस संदर्भ में हमारे व्यापार अन्तर, का एक जवाब है सीमा निर्धारित करना और व्यापार नीति, आयात नीति के सन्दर्भ में इस स्थिति पर विचार करना होगा । हमारी इस समस्या का वास्तविक समाधान में खासतौर पर आयात की बल्क मदों के उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि करने में निहित है ।

यहां हमें इस बात को समझना होगा कि हम अनेक बार केवल ऊपरी उपचार ही करते हैं । इससे काम नहीं चलेगा । सारे ढांचे का शुद्धीकरण करना होगा और सम्पूर्ण प्रणाली को मजबूत बनाना होगा । जब मैं इसकी विस्तार से चर्चा करूंगा मैं आपको कहना चाहूंगा कि किस तरह हमने ऐसा करने की कोशिश की है । लेकिन जिस बात की हमें आशंका है वहां भी आशा की एक रेखा है । उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन बढ़ रहा है । खाद्य तेलों और धातुओं का उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी हमारे पास है । मशीनरी की हमें आवश्यकता हो सकती हैं और हम अलौह धातुओं का आयात जारी रख सकते हैं । लेकिन एक बल्क की अर्थात 65 प्रतिशत की हमारे पास निश्चित ही क्षमता है । और वह क्षमता बढ़ रही है । यही आशा की एक रेखा है ।

यह सब कहने के बाद; कुल मिलाकर एक समस्या खड़ी की गई है, हमारी उदार आयात नीति ने हमें वहां पहुँचाया है। इसका अनावश्यक प्रचार दिया जा रहा है। आखिरकार, 65 प्रतिशत का जो भाग आपके लिए छोड़ा गया है, बहुत अधिक कमी करने से कोई परिणाम निकलने वाले नहीं हैं। इस पर बहुत ज्यादा जोर दें तो उससे अर्थव्यवस्था को क्षति हो सकती है। हमें इसमें एक बात के प्रति सावधान रहना चाहिए। अनावश्यक आयात नहीं किया जाना चाहिए और अनावश्यक रूप से विदेशी मुद्रा देश से बाहर नही जानी चाहिए कि जिससे कि उपभोक्ता सामान देश में जाना है जमा होता और देशी उद्योगों को क्षति पहुंचती है। हमें इस पर निगरानी रखनी होगी।

एक ओर हमें नीति पर अत्यधिक प्रतिबन्धात्मक इस निष्फल रास्ते को छोड़ना होगा और हमें बिना सोचे समझे किए जाने वाले आयातों और आयात नीति को अविवेक पूर्ण ढंग से उदार बनाने से बचना होगा और हमें इन दोनों के बीच विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना होगा और अपनी अर्थव्यवस्था और अपने देश को अपनी आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ाना होगा।

जब हम उत्पादन स्रोतों की संभावनाओं का विश्लेषण करते हैं कि हम भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबन्ध और उद्यम से सम्पन्न है, और हम पाते हैं कि हमारे पास वित्त की कमी है, लेकिन हमारे पास जनशक्ति और भूमि की कमी नहीं है। इस देश की भूमि की अन्य देशों की भूमि से तुलना कीजिए। यह अन्य किसी देश की भूमि जैसी ही है। यहां की भूमि अन्य किसी देश की भूमि के समान ही उर्वरक हैं, इसलिए किसी नीति में, हमें इस ओर ध्यान देना होगा कि हमारी प्राकृतिक संसाधन सम्पन्न का दोहन किया जाना चाहिए। और इसका पूरी तरह उपयोग किया जाना चाहिए। यदि कभी जनशा की पिछड़ती है तो वह भी हमारी सापेत्र परिसम्पत्ति है। अनेक बार, ठोस अर्थ-व्यवस्था वाले देश भी उन देशों में पहुंचा रहे हैं जहां श्रम और जनशक्ति सस्ते हैं वे सस्ते श्रमिकों द्वारा इसका दोहन करने और अपने उत्पादन आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे पास क्षमता हैं और हमें इनका दोहन करना चाहिए। यह बात आज सिद्ध हो गई है कि यह कार्य किया जा सकता है। हस्तशिल्प उसका एक प्रमाण है। नवीनतम अर्थव्यस्था और औद्योगिकीकरण की बहुतायत होने के बीच इसने अपना मूल्य सिद्ध कर दिया है। हीरों के निर्यात में, जोकि एक श्रम प्रधान उद्योग है, हम अनुयी बन सके हैं। हमें पश्चात हस्तशिल्प को आधुनिक आधार पर मजबूत बनाने की रणनीति में तैयार करनी होगी। और इसे जनशक्ति और श्रम प्रधान उद्योग में बदलना होगा। कपड़ा एक ऐसी वस्तु है, हमारे यहां जिसके मूल्य अन्य देशों की तुलना में कम है। लेकिन उसमें भी क्षमता है। हल्की इन्जीनियरिंग वस्तुओं का उद्योग एक अन्य ऐसा क्षेत्र है जिस टन जनशक्ति प्रधान नहीं बना सके। हमें इस ओर ध्यान देना होगा क्योंकि यह हमारी संसाधान सम्पन्नता है। हमें इससे कुशलता लानी होगी और उत्पादकता बढ़ानी होगी। सेवाओं परियोजना प्रबन्ध जैसे अन्य रूपों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमने अपनी जनशक्ति तकनीकी कुशलता और तकनीकी संसाधनों का निर्यात किया है। इसलिए इस व्यापार नीति में इन मदों को भी शामिल किया जाना चाहिए और जब भूमि की बात आती है तो उस समय कृषि क्षेत्र की उपेक्षा नहीं कर सकते। यदि परम्परागत रुप से हम देखें तो पाएंगे कि हम चाय, काफी, समुद्री, उत्पादों काजू और इलायची का काफी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं। ये सभी मदें उसमें हैं लेकिन हमें

उस बात की अत्यन्त स्पष्ट रहना होगा कि कहां हम इनका निर्यात कर सकते हैं। पालिसी दुनियां में कृषि क्षेत्र की अत्यन्त अधिक आर्थिक राजसहायता मिलती हैं। अमेरिका और यूरोप अपनी कृषि की आर्थिक मदद देने के लिए बहुत वह धनराशि खर्च करते हैं। इससे यह बात नहीं कि हम इन देशों के बाजारों में पहुंच जाएंगे अपितु, मध्य-पूर्व और पूर्वी यूरोप के बाजारों में जा सकते हैं जहां हमारे लिए संभावनाएं हो सकती है, जहां हम तैयार वस्तुओ के मुल्य बढ़ा सकते हैं, जहां हम इन संभावनाओं खोज कर सकते हैं।

इस संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब हम अपने संसाधनों और जन-शक्ति तथा भूमि की सम्पन्नता का मूल्यांकन करते हैं तो ये हमारी राष्ट्रीय विकास नीति से जुड़े हैं। कोई भी व्यापार नीति राष्ट्रीय विकास से जो कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है। भिन्न नहीं हो सकती और हमारे राष्ट्रीय विकास के सम्बन्ध में कोई भी नीति नियोजन अथवा आय के वितरण से अलग नहीं हो सकती। विकास की कोई भी अन्य प्रणाली जो नियोजन और आय के वितरण से भिन्न है। कुछ समय के लिए तो चल सकती है लेकिन वह हमारे देश में विकास को एक स्थायी आधार नहीं दे सकती क्यों कि इससे अस्थायी समृद्धि तो आ सकती है लेकिन वह शीघ्र ही विलुप्त हो जाएगी। इसलिए, इस सम्बन्ध में है, यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय विकास की अनिश्चित संभावनाएं भी हमारे व्यापार में ठीक से चल सकती है जबकि हम मजदूरों और इन क्षमताओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करें, किसान को समृद्धि बनाएं और बाहरी दुनियां से उसका सम्पर्क करें और गांवों तक पहुंचे जहां कि अन्य देशों के संसाधनों को प्रयोग के लाया जा सकता है। हमारी राष्ट्रीय संभावनाओं के साथ साथ हमारी व्यापार नीति भी उलझ जाएगी, अतः व्यापार कुछेक व्यक्तियों के हाथों न होकर गांव गांव में, हर जगह मजदूरों के लिए एक जनआन्दोलन बनना चाहिए। ऐसे जनआन्दोलन से उत्पादन बढ़ सकता हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आप जो कह रहे हैं वह सही हैं लेकिन आप किस संस्थागत ढांचे का सुझाव देते हैं। ~~श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जो बात आप कहना चाहते हैं। इस पर मैं आपके साथ पूरी वार्ता करने के लिए तैयार~~ हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कुल मिलाकर यह एक अच्छा कार्य होगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस सम्बन्ध कुछ छोटे छोटे प्रयासों से सहायता मिली हैं, यद्यपि इससे बहुत बड़ी उपलब्धि का दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हमने अपनी आयात-निर्यात नीति में कुछ उद्देश्यों के लिए प्रयास किया है। उनमें से हो सका आयात बचत। सभी संभव आयातों को बचाया सकता था। इस सम्बन्ध में मैं फिर प्रथम वक्ता की बात से शुरू करूंगा। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि सोडा आश इकट्ठा हो रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं तथा इसके बारे में कुछ किया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में टाटा केमिकल्स के चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक श्री डी.बी.एस. सेठ के वक्तव्य को ही पढ़ूंगा, उसने कहा है :

"1983-84 की आयात नीति में जैसा घोषित किया गया है, सोडा एश की प्रस्तावित

नियमित आयात का, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि आयातों में कोई हल नहीं किया जाता है और जिन लोगों के लिए यह वस्तु मंगाई गई है वह उसकी वास्तविक प्रयोक्ताओं के पास पहुंचे, हमारे देश में सोडा एश के सबसे बड़े उत्पादक 'टाटाकैमिकल्स' के चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक श्री डी. एस. सेठ ने स्वागत किया है । यह एश स्वागत योग्य कहा है , इसमें वास्तविक प्रयोक्ताओं तथा सोडा एश के आयात के इच्छुक अन्य व्यक्तियों को अब डी जी डी टी के पास एक संग्दि करना आवश्यक होता हैं.... ।

"जहां तक आयातित सोडा एक के मूल्य और उसकी मात्रा के सम्बन्ध में आंकड़े अन्यवस्थित रहे हैं और कारगर ढंग से समुचित रूप से दी गई इस नई आवश्यकता से सरकार को उन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में सहायता मिलेगी सुविधा जनक सप्लाई की पद्धति के अभाव परेशान होते हैं और साथ नुकसान देह मूल्यों पर वस्तु की डम्प करने के बलाय इससे एश के सोडा एश उद्योग के हितों की रक्षा हो सकेगी ।"

जब श्री टाटा अपने आपको एक दम सुरक्षित महसूस करते है, श्रीमती सुशील गोपालन अत्यन्त बेचैनी अनुभव करती हैं और उन्हें सोडा एश के डम्प होने की आशंका होती है । मुझे नहीं मालूम कि टाटाओं में और स्वयं टाटा में किस तरह उनकी रुचि हो गई है । (व्यवधान) किसी तरह ऐसा भी हो जाता है कि छोटे उद्योगों की एक श्रृंखला सी बन जाती हैं । कभी कभी छोटे उद्योग हमेशा छोटे ही उद्योग बन रहते हैं । लेकिन इस बात पर मुझे आश्चर्य है कि टाटा की सिसकन वाम पक्ष के एक सदस्य को, संसद के एक वामपंथी सदस्य को प्रभावित कर गई ।

श्री के० टी० कोसलराम : हमें 'टाटाओं' के बारे में चिंता नहीं है । इस समय स्वदेशी उत्पादन केवल 50 प्रतिशत है · मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वे केवल 50 प्रतिशत कर रहे हैं । मेरी रुचि के बल इस में है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वे उत्पादक आपने आपको सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं क्योंकि पंजीकरण नीति अपनायी गयी है : नीति वहां मौजूद है, मैं उसे प्रस्तुत नहीं कर रहा । मैं केवल वही मुद्दा उठा रहा हूँ जो माननीय सदस्य ने उठाया है । सोडा आश, पी०वी०सी० रेसिन, ऊन, ऊनी कालीनों, कास्टिक सोडा, लकड़ी का गूदा और सिथेटिक रबर की संविधाओं के पंजीकरण का जहां तक सम्बन्ध है, सभी संविदास पंजीकृत की जाएंगी और इनकी निगरानी रखी जाएगी । जैसे ही ये हमारे स्वदेशी उद्योगों तक पहुंचेगी, इनको रोक दिया जाएगा, इस वर्ग में कोई प्रश्न नहीं है ।

और इसके साथ साथ कमी करने यदि ये बड़े घराने लाभ कमाना चाहते है तो हम निर्यात की स्वीकृति नहीं देंगे और हम अपना परिक्षेत्र इस और रखेंगे ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह आपकी गलत नीति है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, व्यारिक घरानो और निर्यात घरानों को यह सुविधा

दी गई थी कि आई० ई० पी० लाइसेंसों पर प्रतिबन्धित वस्तुओं का आयात करने के अतिरिक्त अपने आर. ई. पी. लायसेंस के नामे डाले बिना वे उतनी ही राशि की वस्तुएं ओ. जी. एल से आयात कर सकें। इससे दोहरा लाभ था और इससे यह हुआ कि इस सुविधा से सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं क्योंकि इसके कारण अन्धाधुन्ध खरीददारी हुई, बड़े घराने थे, वे धन लगा सकते थे, उन्होंने थोक वस्तुओं की खरीद की और इससे देशी उद्योग को नुकसान हुआ। हमने यह सुविधा वापिस ले ली हैं। अब ओ० जी० एल० पर जो भी वस्तु आयात की जायेगी वह उनके आर० ई० पी० लाइसेंस के नामे डाली जाएगी। उन्हें दोनों सुविधाएं नहीं मिलेंगी। आर० ई० पी० लाइसेंस को निर्धारित सीमा तक वे आयात कर सकते हैं। केवल इतना सा परिवर्तन करने मात्र से हमें आशा है कि आयात के कारण बाहर जाने वाली लगभग 200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचा सकेंगे।

महोदय, ऐसी युक्तियां हैं जिससे न केवल आयात बचत होगी बल्कि आयात बचत के साथ-साथ देश में उत्पादित देशी सामान का उपयोग भी निश्चित रूप बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति वैध आर. ई. पी. लायसेंस समर्पित करता है तो उसे आयात की अनुमति दी जाती है। अब उसे आयात सामान समझा जायेगा और उसे उसके आयात कार्यनिष्पादन में जोड़ा जायेगा और जो वैध आयात लाइसेंस के विरुद्ध देशी सामान सप्लाई करते हैं और जिस स्वदेशी मात्र की सप्लाई से आयात में भारी बचत होती हैं; उस सप्लाई को निर्यात के समान समझा जायगा और उन्हें और अधिक मात्रा में सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।

इस्पात के मामले में भी हमने यह सुनिश्चित कर लिया है कि यदि इस्पात का आयात लायसेंस है, किन्तु कोई व्यक्ति उतने मूल्य पर इस्पात सप्लाई कर सकता हो तो उसे भी उपरोक्त प्रयोजन के लिए दी गई सुविधा के समान समझा जायेगा। इसके साथ ही हमने यह भी निश्चित कर लिया है कि इस्पात प्राधिकरण द्वारा उत्पादकों और निर्याताओं को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर इस्पात की सप्लाई की जायेगी। इसके अलावा कुछ ऐसे एकक हैं जिन्होंने यह आश्वासन दिया कि वे स्वदेशी माल लेंगे किन्तु उन्हें कभी स्वदेशी माल नहीं। लिया और आयात करते रहे तथा स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को हानि पहुंचाई। अब उन्हें अपना स्वदेशीकरण कार्यक्रम महानिदेशक, व्यापार विकास को प्रस्तुत करना होगा। उन्हें अपने स्वदेशी कार्यक्रम पर दृढ़ रहना होगा। किन्तु हमने इस बात की सावधानी बरती है कि लाल फीताशाही के कारण किसी के कारण अनुचित रुकावट न आये। यदि आवेदन पत्र रोके जाते हैं तो तीस दिन का समय दिया जाता है। यदि महानिनेशक व्यापार विकास कोई कार्यवाही नहीं करता तो उन्हें ठीक समझा जाएगा और वे अपेक्षित सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, कोई रुकावट नहीं है।

निर्यात संवर्धन प्रोत्साहन में हमने कार्य निष्पादन का अधिक महत्व दिया है। जहां कार्य निष्पादन बढ़ा है वहां हमने सुविधाएं भी बढ़ाई हैं। हमने पूंजीगत माल की सुविधा प्रदान की है क्योंकि इससे उत्पादन का आधार बढ़ता है। इस विचार हमने सुविधायें दी हैं।

नये बाजार और नये उत्पादन के लिये भी हमने उन लोगों को प्रोत्साहन दिये हैं जो नये बाजार खोलते हैं और नयी उत्पादित वस्तु बेचते हैं।

जहां तक कृषि का संबंध है, हमने उसे आसान बना दिया है। ऐसे किसी भी मद पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो कृषि क्षेत्र में निर्यात किये जाते हैं जिससे कि उसके निर्यात के लिये अपेक्षित किसी भी प्रकार मशीनरी प्राप्त की जा सके। उसके साथ ही हमने गन्ना, गुड़ और इसी प्रकार के अनेक मदों का निर्यात खोल दिया है।

(व्यवधान)

रुई के लिये हम ऐसा पहले से ही कर रहें हैं। मुझे इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या किया जा रहा है।

ये कुछ रूप रेखाएं हैं......

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या तम्बाकू के बारे में भी कुछ है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : और सभी वस्तुओं का उल्लेख करने के बाद मैं तम्बाकू के बारे में भी बताऊंगा। प्रो० रंगा के समक्ष, मैं तम्बाकू के बारे में कैसे बता सकता हूं ?

मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूँ कि व्यापार की दिशा बदल गई है। 1971-72 में विकासशील देशों के बीच हमारा व्यापार 26·6 प्रतिशत था। वह सब बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया है। विकसित देशों के साथ वह 52·1 प्रतिशत से घटकर 34·21 प्रतिशत रह गया है। पूर्वी योरोप में यह 21·4 प्रतिशत से बढ़कर 25·8 प्रतिशत हो गया है। यदि ये आंकड़े अर्थात 40 प्रतिशत विकासशील देशों के साथ, और 25 प्रतिशत समाजवादी देशों के साथ तो, जैसा कि श्री राजन कह रहे थे, हमारी अर्थ-व्यवस्था का 65 प्रतिशत भाग इन देशों-विकासशील देशों और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ बधां हुआ है।

समाजवादी देशों के साथ हमारे व्यापार के बारे में एक मुद्दा उठाया गया था। मैं यह कहना चाहता हूं, कि बहुत जोर-शोर हुआ था। यह समझ लेना चाहिए कि हमारा गैर परम्परागत निर्मित उत्पादन का निर्यात आज हमारे समाजवादी देशों में बढ़ गया है और उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा तेल अथवा उर्वरक तथा अन्य दुर्लभ कच्चा सामान आयात करके पर्याप्त विदेशी मुद्रा बनाई जा रही हैं। साथ ही अपने देश में आयात की अपेक्षा समाजवादी देशों को किया जाने वाला निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही हमारे अनेक श्रम प्रेरक मद तथा क्रषि आधारित मद समाजवादी देशों को निर्यात किये जा रहे हैं जहां बिना किसी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के भली-भांति खप जाते है। इसके अलावा निर्यात से प्राप्त मूल्य अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक रहे हैं। उद्धत करने के लिए मेरे पास पूरी एक सूची है। जबकि जी० सी० ए० में एक मूल्य बाजारू क्षेत्र से प्रति मदद प्रति मीटरिक टन 17,630 है और रुपए के क्षेत्र से. यह 19,016 है। कांफी 18,447 है। समाजवादी देशों में 22,593 है।

इसी प्रकार इस पर मैं पूरी सूची उद्धृत कर सकता हूँ जबकि अनेक मदों के सम्बन्ध में आयात मूल्य अपेक्षाकृत कम रहे हैं। खुले बाजार में, जब कि कच्चे तेल का भाव 2,220 रहा है किन्तु पूर्वी योरोपीय देशों से यह 1942 में मिलता रहा है। खुले क्षेत्र में मिट्टी के तेल का भाव 2,928 था और समाजवादी देशों में 2, 734। यह एक प्रकार से शेष है।

हमारा बिक्री भी बढ़ रही है। यह कोई गुप्त व्यापार नहीं है। प्रोटोकोल उपलब्ध है। मदें हैं। मात्रा हैं। इसके बारे में ऐसा कहने के लिए कि कोई गोपनीय समझौता अथवा कोई गोपनीय व्यापार है, कुछ भी गोपनीय नहीं है। इस कठिनाई के समय में यह हमारे देश के लिए एक संतुलन सिद्ध हुआ है। मुद्रास्फीति के समय में इससे स्थायीत्व बना रहा है। इसके साथ ही, ऐसा पूछा गया था कि रुपया लेना और बेचने तथा केवल रुपया लेने से क्या लाभ है जिसका कोई लाभ नहीं है। मुद्रा वस्तुओं का चिन्ह मात्रा है। इससे अधिक कुछ नहीं। और अपने रुपए के बदले हम उसी प्रकार वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं जैसे हम डालर, पौन्ड आदि के बदले में प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में कोई विवाद नहीं है। रुपए के बदले में हम सामान प्राप्त कर सकते हैं।

अनेक मदों के बारे में एक मुद्दा उठाया गया था। इसके लिए एक बाजार पर बहुत अधिक आश्रित रहना पड़ा। वस्तुतः यह उस बाजार का दोष नहीं है। इसके बारे में आपको निर्णय लेना है। आपने बेचने का निर्यात लेते हैं। किसी अन्य देश का दोष होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। एक मुद्दा उठाया गया था कि आप राज्य से क्यों नहीं खरीदते? कुछ ये भी मुद्दे उठाये गये थे कि वे लोग व्यक्तियों से खरीदते हैं। जब हम छान-बीन करें तो उस समय इसके बारे में अपने स्वतंत्र मस्तिष्क से विचार करना होगा। जिससे कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी आ सके। पुरानी मशीन 20 या 30 वर्षों में मशीने पुरानी नहीं हो जाती। समय सीमा निर्धारित है कि वह दस वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिये और उसकी कार्य करने की शक्ति अभी पांच वर्ष और होनी चाहिए। इतनी सावधानी बरती गई है और इससे भी अधिक सावधानी बरती जायेगी और हमने इसे विकेन्दित कर दिया है। समुचित छान-बीन करने के बाद अब केवल दिल्ली के राज्य व्यापार निगम कोही लाइसेंस दिए जायेंगे। इसके बारे में डरने की कोई बात नहीं है।

मैं राज्य व्यापार निगम का उल्लेख कर चुका हूं। श्री कुचन द्वारा उल्लेख किया गया था। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 1983 में बिक्री अधिकतम हो गई है निर्यात में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, सरणीबद्ध मदों की 16 प्रतिशत वृद्धि से 272 करोड़ रुपए की, गैर सरणीबद्ध मदों की बृद्धि सारणीबद्ध मदों से अधिक रही है जो 17 प्रतिशत वृद्धि से 375 है। गैर सरणीबद्ध निर्माताओं की वृद्धि दर 44 प्रतिशत रही है। इस विशेष क्षेत्र में यह बहुत ही सराहनीय वृद्धि हुई है। आयात में 10 प्रतिशत की कमी आई हैं।

एक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि खाद्य तेल क्यों खरीदा गया है और क्या हमने उसका सौदा किया था अथवा नहीं। इसके लिए, सप्ताहिक निविदा और खुली निविदा है। कोई भी निविदा देने के लिए स्वतंत्र हैं और निविदा के बाद एक निर्यात लिया जाता है और यदि किसी मुकार की विसंगती के बारे में सूचित किया जाता है तो हम उसका पता लगाने के लिये तत्पर रहते हैं। किन्तु मैं आपको प्रणाली के बारे में बता रहा हूं।

राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम से एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने कही है वह यह है कि देश के निर्यात संवर्धन के लिए उन्हें अपनी क्रय शक्ति का उपयोग करना चाहिये। हम लोग क्रेता हैं। वस्तुतः हम लोग 60 प्रतिशत खाद्य तेल खरीदते हैं। निर्यात

के लाभ के रूप में खनिज और धातु व्यापार निगम तथा राज्य व्यापार निगम को हमारी क्रय शक्ति का उपयोग उरने में सहयोगदेना चाहिये। हमने यह एक आधारभूत नीति निर्णय लिया है। दूसरे, हमने इन एजेन्सियों की निर्यातोन्मुख होने को कहा है और सरणीबद्ध निर्यात के लिये नहीं आपितु गैर सरणीबद्ध निर्यात के संबंध में हमने इन्हें विभिन्न कार्यालयों का लक्ष्य निर्धारित करने के लिये कहा है, और उनकी कार्य निष्पादन संबंधी निर्णय गैर-सरणीबद्ध मदों के निर्यात में हुई वृद्धि के आधार किया जायगा। प्रो० एन० जी० रगा: आवधिक निगरानी। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां। खनिज और धातु व्यापार निगम के निर्यात में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है राष्ट्रीय वस्त्र निगम की सफल हानि में वृद्धि हुई है। किन्तु उत्पादन मूल्य की प्रतिशलता की तुलना में यह हानि कम है। जब बिक्रीक्षेत्र बढ़ता है तब सफल हानि भी बढ़ सकती है किन्तु कार्य कुशलता के संबंध में यह देखना होता है कि उत्पादन मूल्य की प्रतिशतता के रूप में हानि कम हुई है अथवा नहीं। इसमें कमी आई है। 1975-76 में यह हानि 19.2 प्रतिशत थी और 1981-82 में वह 3 प्रतिशत रही है।

पुरानी मशीनों तथा प्रबंध दोष के कारण हुई हानि के अलावा, पृथक पृथक मामलों में हानि होने का कारण यह भी है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम का ऋण इक्यूटी अनुपात बहुत ही प्रतिशत रहा है। इसका ऋण इन्यूटी अनुपात 2 : 4 1 है जबकि सरकारी उद्यम के लिए ऋण इम्यूटी अनुपात 1:1 माना जाता है और इसका परिणाम यह है कि 1974-75 मे ब्याज भार 8 करोड़ रुपया था। 1981-82 में ब्याज भार बढ़कर 42 करोड़ रुपये हो गया था। इसके साथ-साथ रूई का भाव बढ़ता रहा है, बिजली और ईंधन के शेष स्टाक भार में तथा वेतन और परिलब्धियों के भार में वृद्धि हुई है चूंकि इसका संबंध श्रमिकों और कर्मचारियों से है, इसलिए हम लोग ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। 1974-75 के दौरान उसमें 1.9 गुणी वृद्धि हुई। न्यूनतम वेतन 1.7 गुणा बढ गया है। अतः इसके साथ-साथ हम ये सामाजिक दायित्व निर्यात रहे हैं।

मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रयोजनों में एक प्रयोजन है श्रमिक वर्ग की समस्याओं को सुझलाना तथा आवश्यक उत्पादन भी बनाये रखना होगा। इस वर्ष हम लोग एक साहसपूर्ण प्रयोग करना चाहते हैं और हम लोग माननीय सदस्यों का आशीर्वाद तथा सहयोग चाहते हैं। राज सहायता के बारे में हमने एक निर्णय लिया है। गुजरात अथवा महाराष्ट्र में से हम एक को चुन रहे हैं जहां एकक नहीं है तथापि राज सहायता का एक बैध अस्तित्व है। किन्तु हम उससे भी आगे जाने वाले हैं। प्रयोग के रुप में हम एक एकक में खरीद में, मिल के प्रबंध में तथा कपड़ों की बिक्री में हम श्रमिकों को अधिकार प्रदान करेंगे। उन्हें हम अलग क्यों रखें? हम दो खाते नहीं रखना चाहते। यद्यपि निजी क्षेत्र इसके विरुद्ध हो सकते हैं और शायद उन्हें आरक्षण प्राप्त भी हों, किन्तु मुझे विश्वास तथा निजी तौर पर मैं विश्वस्त हूं और इस प्रयोग पर में दाव लगाने को तैयार हूं कि यदि श्रमिकों को विश्वास में नहीं जाय तो वे राष्ट्रीय वस्त्र उद्योग की कार्य प्रणाली को ध्यान में रखेंगे कि खरीद क्या है, उसका कार्य किस प्रकार चल रहा है और उसकी बिक्री किस प्रकार हो रही है आदि आदि और निश्चित रुप से श्रमिक वर्ग के पूर्ण विश्वास के साथ बहुत अधिक सुधार हो सकता है। हम

यह प्रयोग करने जा रहे हैं और हम सदन के समाज एक निश्चित निर्णय रखेंगे तथा उसका परिणाम इस वर्ष के अन्त तक...

प्रो० एन० जी० रंगा : मेरे मित्रगण इतने खामोश क्यों हैं

श्री० बी० डी० सिंह : हम चाहते हैं आप बोलें

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: मुझे निश्चित रूप से पता है । मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि यह मामलो बाद विवाद और प्रश्न उठाने का नहीं है । मैं ठोस सुझाव रखूंगा । किसी भी एक एकत्र में हम सीधे कार्य करेंगे...

प्रो० एन० जी० रंगा : युगोस्लाकिया भी ऐसा ही करने का प्रयत्न कर रहा है ।

श्री विश्वासनाथ प्रताप सिंह : इस पर कोई वाद-विवाद नहीं हो रहा है ।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ व्यक्तिगत मदों के बारे में...

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे तभी सफलता पूर्वक कार्यान्वित कर सकते यदि श्रमिक संगठित हो जाये ।

प्रो० एन० जी० रंगा : और, यदि हमारे मित्र, जो वहां बैठ रहे हैं, उत्सुक होते हैं ;

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : समस्तायें हैं, परंतु पहली बात यह है कि हमें श्रमिकों में पूर्ण विश्वस रखना चाहिये । यदि हम उन्हें केवल मजदूरी कमाने वाले समझेंगे और हमें विश्वास नहीं होगा, तो यह निश्चित है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते ।

मेरा विचार है कि मैं पहले तम्बाकू पर बोलूंगा और उसके बाद दूसरे मामलों पर क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरा समय खत्म होने वाला है...

एक माननीय सदस्य : काजू

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हां, काजू भी

एक माननीय सदस्य : पटसन की क्या स्थिति है,

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं कोशिश करूंगा,

एक माननीय सदस्य : नमक के बारे में क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है, तम्बाकू के बारे में...

एक माननीय सदस्य : चाय की क्या स्थिति है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जायफल, गरी का सूखा गोला, इलायची-सभी के नाम मेरी सूची में है

महोदय, चन्द्रपुर बिजली परियोजना के बारे में एक बात उठायी गई, यह केवल एक प्रस्ताव है। इस संबंध में कोई निश्चत निर्णय नहीं लिया गया है, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड ने आवेदन किया है। पुरानी मशीनों के संबंध में मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि उसकी जांच तथा केन्द्रीकरण किया जा रहा रहा है।

इलायची का आयात निश्चित रूप से नहीं किया जा रहा है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : आयात सूची में इसका उल्लेख है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसका आयात नहीं किया जाता।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अल्प्पी) : परन्तु यह सूची में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु जब मन्त्री कहते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस वस्तु पर प्रतिबन्ध हैं। इसे बाहर से नहीं मंगाया जाता।

अब नारियल, नारियल का तेल इसका व्यापार अप्रैल 1978 राज्य व्यापार निगम द्वारा होता था। वर्ष 1980-81 में कुछ अनिश्चित आयात किया गया था। यदि विवरण अद्यतन होता, तो मुझे प्रसन्नता होती, क्योंकि अर्थ लगाया जाता है कि प्रतिबन्ध केवल खाद्य तेल पर है और अखाद्य तेल पर नहीं है। उसे स्पष्ट कर दिया गया है। अब उस बात की संभावना नहीं है। नारियल का अखाध तेल इस देश को आ ही नहीं सकता। गरी के सूखे गोले.......

श्रीमती शुशीला गोपालन : इसे आयात सूची में शामिल किया गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसका मतलब यह नहीं कि आयात किया जायेगा। सूची के मुताबिक किसी को अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

गरी के सूखे गोले के सम्बन्ध में मुझे बताना है कि 2 दिसम्बर 1978 राज्य व्यापार निगम द्वारा इसका व्यापार किया गया था। राज्य व्यापार निगम ने कोई आयात नहीं किया है। केवल पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात करने की सीमित व्यवस्था है। वर्ष 1978-79 कुछ रबड़ का आयात करने की अनुमति दी गई। जब उस तरफ के कुछ सदस्य यहां थे, तब यह आयात किया गया था मेरे विचार से वह स्थिति अभी तक जारी है, (व्यवधान)। कोका, बीन और चूर्ण का आयात सम्बन्धी व्यापार भी जुलाई 1980 में राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया था। राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1982-83 के दौरान कोई आयात नहीं किया। यह मद प्रतिबन्ध सूची में शामिल थी। अब, इस पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसका आयात करने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृतिक रबड़ पर बोलने...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुशीला जी, रबड़ का उत्पादन केरल में किया जाता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं आपका आभारी हूं कि जब मैं समय खत्म होने के खयाल से जल्दी कर रहा हूं। तब आप सचमुच मेरी मदद कर रहे हैं। मैंने अपनी जीवन-चर्चा केरल में शुरू की थी, इसलिए केरल के प्रति मेरा अटूट लगाव है। मैं इस सदन में यह बात स्वीकार करता हूँ।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : आपको राजस्थान के प्रति भी लगाव रहना चाहिये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : राजस्थान के प्रति भी। मुझे लगाव है। हमने रबड़ बोर्ड की राय ली। रबड़ बोर्ड ने अन्दाजा लगाया है कि लगभग 27,00 टन 34,टन तक के रबड़ की कमी हो सकती है। अत : हमने बीच का रास्ता अपनाया जो रबड़ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है। आप स्वयं जानते है कि उपजाने वाले कई होते हैं छोटे उपजानेवाले, बड़े उपजानेवाले उनमें से छ: सात को बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उन्होने 30,000 टन लिया। परंतु, जब हमने रबड़ रेलिज किया, मैं स्वयं इस के बारे में सतर्क था। हमने देखा कि रबड़ का दो साल का स्टॉक बन्द पड़ा है। उसके बाद उसे दो रेलिज करने का प्रस्ताव आया। हमने उसे दो भागों में बाट दिया पहले एक भाग दिया और बाद में दूसरा तभी हम सकझ सके कि क्या किया जा सकता है। रबड़ का सूल्य प्रति टन 1200 रुपयों से बढ़ कर 1700 रुपये हो गया। इस मामले की अन्य पहलू इस प्रकार है। यहां न केवल टायर निर्माता ही है जिन्हें आवश्यक सामान तथा अन्य वस्तुएें गाड़ी द्वारा भेजना पड़ता है अतः हमें दोनों के बीच सन्तुलन बनाना पड़ा।

काजू केरल और कर्नाटक के लिये अति उपयोगी वस्तु है। लगभग दो लाख कामगर इस पर निर्भर करते हैं वर्तमान के अन्तराष्ट्रीय मूल्य से हमने देखा है कि हमारे उत्पाद इतना अच्छा नहीं है हम शोवियत संघ के सहयोग से प्रायस कर रहे थे। हम ने जो कुछ किया है वह यह कि जाहज पर लादने के लिये पूर्व से संबंधित ऋण को छ: महीने से बढ़ा कर एक वर्ष कर दिया है। नये काजू की खरीद के लिये कुछ सुविधाऐं भी दी गई है। परंतु पुराने स्टॉक के साथ वह समस्य ज्यों की त्यों बनी हुई है। वर्तमान के मानदंड के अनुसार जो कुछ हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं।

तम्बाकू के संबंध में हमने जो निर्णय लिया है। वह इस प्रकार है। घटिया किस्म का तम्बाकू लगभग 30,000 टन उत्पादित हुआ था जिनमें से व्यपारियों ने 10,000 टन खरीद लिया और अन्य 10,000 टन के लिये हमने राज्य व्यापार निगम को आदेश दिया कि वह उसे खरीद ले। समस्या बढिया किस्म के तम्बाकू के साथ है। कुल 110 हजार टन तम्बाकू में से 90,00 टन तम्बाकू खरीदा गया है। 20,000 टन शेष रहता है। जहांतक सुस्ती का संबंध है, मैं प्रो॰ रंगा और अन्य सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं किसी प्रकार की सुस्ती का बहाना नहीं ले सकता। मैं यहां अवश्य कहूंगा कि आप के तथा अन्य सदस्यों के द्वारा हस्तक्षेप होने के बाद। मैं उसी बात को बताना नहीं चाहता। मुझे आंध्र का तम्बाकू चाहिये और मैं उसकी खरीद करूंगा। उसके बाद अक्सर मैं सोचता हूँ कि मुझे चार पांच बार बात करनी चाहिये थी।

श्रीमती सुशीला गोपालन : अब तक केवल 10 लाख टन खरीदा गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उससे अधिक

प्रो एन. जी. रंगा : उपाध्यक्ष महोदय : राज्य व्यापार निगम के कर्मचारी मूल्य की 30 प्रतिशत की कटौती कर रहे हैं जो तम्बाकू बोर्ड द्वारा तथा बाद में स्वयं मंत्री द्वारा स्वीकृत हुआ है ये कटौतियों न्यायसंगत नही है। ननका स्तर ईतना ऊंचा रखा जाता है कि शुद्ध मूल्य घट जाता है और व्यापारियों तथा मुनाफाखोरों को फायदा होता है।

श्री एम राम गोपाल रेड्डी : महोदय, केवल राज्य व्यापार निगम उपलबन्ध सारे तम्बाकू नही खरीद सकता । इसे खरीद ने के लिए राज्य व्यापार निगम को कुछ आदमी नियुक्त करने करने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, अब राजस्थान की मिटको के बारे में मैं दो शब्द कहता हूं श्री शर्मा ने मुझे राजस्थान की याद दिलाई । राजस्थान के प्रति मेरा स्नेहपूर्ण लगाव है । वह इसके बारे में जानते हैं । महोदय मिटको से अभ्रक (माइका) की खरीद की मात्रा बढ़ गई है और खानों की संख्या में भी वृद्धि हुई है । अतः कागरों का बेरोजगार होने की प्रश्न ही नहीं उठता राजस्थान सरकार ने भीलवाड़े मिल को 1960 में लिया था तथा उसे 967 में रिलीज कर दिया था और उसके बाद धन दिया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक पुराना मामला है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय : पटसन की समस्या के बारे में सभी जानते हैं मैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनका इन्तजार करूंगा ।

(व्यवधान)

लोह- अयस्क के संबंध में बताते हुये, मुझे कहना है कि संसार भर में लोह-अयस्क में मन्दी चल रही है । लोह-अयस्क से संबंधित पारादीप में कुछ निर्दिष्ट आकार का जहाज आ सकता है । लोह-अयस्क भारी वजनदार वस्तु होने के कारण आयात करने वाले, जहाज के भाडे को ध्यान में रखते हुए, उसे बड़े जहाजों में ले जाना पसन्द करते हैं (व्यवधान)' बिश्वव्यापी मन्दी है । यहां तक कि जापानियों में अपनी स्वीकृति वस्तुओं पर भी व्यापार को घटा दिया है । पारादीप भी गार भरने संबंधी समस्या से ग्रसित है और वहां मशीनों को हैण्डल करने की समस्या भी थी । हमने मशीनों आदि को बदल दिया है ।

महोदय, हथकरघा के बारे में मुझे बताना है कि उस पर राष्ट्रीय निगम की स्थापना की जा रही है । इसे पंजीकृत कर दिया गया है और इसकी स्थापना जल्दी ही कर दी जायेगी । जायेगी । इसका कार्यालय लखनऊ में स्थापित होगा और मामलों पर निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगी । मैं माननीय सदस्यों के प्रति उन्होंने जो अनमोल सुझाव दिये उसके लिये अपना आभार प्रकट करता हूं ।

कुछ माननीय सदस्य : चाय के बारे में क्या है ?

17.55 (अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप को बनी बनाई चाय चाहिए या चाय की 'पोकेट चाहिये ? क्या आप चाय के साथ गुलाब जामून भी चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : चाय की समस्या के बारे में सभी जानते हैं । (व्यवधान) अब यह चाय है और कोई दूसरी चीज नहीं हैं ।

समस्या के बारे सभी जानते हैं। इस परदेशी बाजार की मांग अधिक है। जो कुछ बच जाना है उसका नियति करना एक समस्या है। अन्य देश इस चीज पर प्रतियोगिता करने के लिये निकल चुके है और हमें अपने बाजारों की दिशा बदलनी होगी और विभिन्न फार्मों में अपने उत्पादों को उन्नत करना होगा।

हथकरघा पर गलीचों आदि के बारे में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हम उन्हें कार्यान्वित करने की पूरी कोशीश करेंगे। यह बात अन्य मामलों पर भी लागू है।

बहुत कुछ जो सुझाव,दिये गये हैं। उनका परिणाम इतना अधिक है कि अब मैं केवल अपना आभार प्रकट कर सकता हूं। यदि मैं शुरू से ही इस मामले का एक विस्तृत-दृश्य चित्रित करना जो थोड़ा भयानक है, चित्रित कर सकता था, तो उससे केवल वास्तविकता ही चित्रित हो सकती थी।

श्रीमती सुशीला गोपालन : समीकरण के बारे में क्या है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उसका कारण खुले सामान्य लाइसेंस नहीं था। उसका कारण विशेष आयात हो सकते हैं। मैं ब्यौरे जानता हूं। हम इस बारे में चर्चा करेंगे।

अब, यदि मैंने यह कहा है कि आने वाला समय ठीक नहीं है तो इसका कारण यही है कि यह वास्तविकता है और यर्थाथ चेतावनी देना मेरा कर्तव्य है।

इनके साथ ही में आपको आश्वासन देता हूं कि जहां कहीं अपेक्षित होगा हम लचीलापन अपनायेंगे और अपने मुख्य उद्देश्य के प्रति निश्चित रहेंगे।

अब पूर्ति विभाग हैं।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए समय नहीं है।

मैं अब वाणिज्य मंत्रालय को अनुदानों की मांगों से संबन्धित सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूंगा, बशर्ते कि कोई सदस्य चाहता हो कि उसका कोई कटौती प्रस्ताव अलग से रखा जाये।

सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे सभा के मतदान के लिये रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

" कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 मैं दिखाई गई वाणिज्य मंत्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 10 से 12 के सम्बन्ध में 31 मार्च 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के दोरान होने वाले खर्चो को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित संधि में से राष्ट्रपति को दी जायें "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोकसभा द्वारा वाणिज्य मंत्रालय के सम्बन्ध में स्वीकृत अनुदानों की मांगों की सूची

मांग संख्या	मांग का नाम	18 मार्च, 1983 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	वाणिज्य मंत्रालय	रु०	रु०	रु०	रु०
10.	वाणिज्य मन्त्रालय	40,47,000	—	2,02,36,000	—
11.	विदेशी व्यापार और निर्यात उत्पादन	116,54,02,000	102,58,48,000	58,70,09,000	512,92,39,000
12.	सूती वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प	26,45,06,00	14,14,31,000	132,25,30,000	72,01,56,000

अध्यक्ष महोदय : मैं अब पूर्ति विभाग से सम्बन्धित मतदानों की मांगें सभा के मतदान के लिए रखता हूँ :

प्रश्न यह है :

" कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई वाणिज्य मंत्रालय संबंधी मांग संख्या 104 और 105 के सम्बन्ध में 31 मार्च 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अतिधिक राशियां भारत की सन्चित विधि में से राष्ट्रपती को दी जायें " ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक सभा द्वारा पूर्ति विभाग के सम्बन्ध में स्वीकृत अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	18 मार्च, 1983 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
		रु०	रु०	रु०	रु०
	पूर्ति विभाग				
104,	पूर्ति विभाग	6,13,000	—	30,68,000	—
105;	पूर्ति और निपटान	1,95;45,000	—	9,77,26,000	—

अनुदानों की मांगें 1983-84

रसायन और उर्वरक, संचार शिक्षा और संस्कृति आदि मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : मैं अब अनुदानों की शेश मांगों को रखता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह बहुत दुखदायी है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां गीलोटीन हमेशा दुःखदायी होती है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह इस कारण दुःखदायी है क्योंकि इन पर कोई चर्चा नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मंत्रालयों तथा विभागों से संबंधित अनुदानों की शेष मांगों को मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है।

कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनाधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें—

(1) मांग संख्या 9 जिसके लिये रसायन और उर्वरक मंत्रालय उत्तररदायी हैं।

(2) मांग संख्या 13 से 17, जिनके लिये संचार मंत्रालय उत्तरदायी है;

(3) मांग संख्या 24 से 27, जिनके लिये शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय उत्तरदायी है;

(4) मांग संख्या 33 से 44, जिनके लिये वित्त मंत्रालय ऊत्तरदायी है;

(5) मांग संख्या 47 से 49, जिनके लिये स्वस्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उत्तरदायी है;

(6) मांग संख्या 64 से 66, जिनके लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय उत्तरदायी है;

(7) मांग संख्या 60 से 70, जिनके लिये श्रम और पुनर्वास मंत्रालय उत्तरदायी है;

(8) मांग संख्या 71 से 72, जिनके लिये विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय उत्तरदायी है;

(9) मांग संख्या 73 से 75, जिनके लिये योजना मंत्रालय उत्तरदायी है;

(10) मांग संख्या 76, जिसके लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय उत्तरदायी है ;

(11) मांग संख्या 77 से 80, जिनके लिये नौवहन और परिवहन मंत्रालय उत्तरदायी है ;

(12) मांग संख्या 81,जिसके लिये समाज कल्याण मंत्रालय उत्तरदायी है ;

(13) मांग संख्या 82 और 83, जिनके लिये इस्पात और खान मंत्रालय उत्तरदायी है ;

(14) मांग संख्या 84 से 87, जिनके लिये पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय उत्तरदायी है ;

(15) मांग संख्या 88 से 92, जिनके लिये निर्माण और आवास मंत्रालय उत्तरदायी है ;

(16) मांग संख्या 93 से 95, जिनके लिए परमाणु ऊर्जा विभाग उत्तरदायी है ;

(17) मांग संख्या 96, जिसके लिए इलेक्ट्रोनिक्स विभाग उत्तरदायी है ;

(18) मांग संख्या 97, जिसके लिए पर्यावरण विभाग उत्तरदायी है ;

(19) मांग संख्या 98, जिसके लिए महासागर विकास विभाग उत्तरदायी हैं ;

(20) मांग संख्या 99 से 101 जिसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उत्तरदायी है ;

(21) मांग संख्या 102, जिसके लिए अन्तरिक्ष विभाग उत्तरदायी है ;

(22) मांग संख्या 103, जिसके लिए खेल विभाग उत्तरदायी है ;

(23) मांग संख्या 106, जिसके लिए लोक सभा उत्तरदायी है ;

(24) मांग संख्या 107, जिसके लिए राज्य सभा उत्तरदायी है ;

(25) मांग संख्या 108, जिसके लिए संसदीय कार्य मंत्रालय उत्तरदायी है ; और

(26) मांग संख्या 109, जिसके लिए उपराष्ट्रपति सचिवालय उत्तरदायी है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक सभा द्वारा रसायन और उर्वरक, संचार, शिक्षा और संस्कृति आदि मंत्रालयों के लिए स्वीकृत अनुदानों की मांगों की सूची बजट (सामान्य)-1983-84

मांग संख्या	मांग का नाम	8 मार्च, 1983 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान को रकम की मांग		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग को रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय				
9.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	119,12,13,000	32,77,00,000	595,60,62,000	163,85,01,000
	संचार मंत्रालय				
13.	संचार मंत्रालय	70,17,000	8,12,83,000	3,50,83,000	40,64.17,000
14.	विदेश संचार सेवा	6,09,24,000	3,00,00,000	30,46,21,000	15,00,00,000
15.	डाक-तार-कार्यचालन व्यय	222,89,33,000		1139,46,62,000	
16.	डाक-तार-सामान्य राजस्व को लाभांश, आरक्षित निधि में विनियोग और राजस्व से उद्योग की वापसी	53,89,04,000		269,45,22,000	
17.	डाक-तार पर पूंजी परिव्यय		101,155,93,000		507,78,17,000

1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय				
24.	शिक्षा विभाग	37,66,000		1,88,30,000	
25.	शिक्षा	56,48,93,000	19,73,000	282,44,65,000	98,67,000
26,	संस्कृति विभाग	2,75,88,000		13,79,38,000	
27.	पुरातत्व	1,47,44,000		7,37,19,000	
	वित्त मंत्रालय				
33.	वित्त मंत्रालय	8,80,22,000	55,29,000	44,01,12,000	2,76,42,000
34.	सीमा शुल्क	8,75,18,000	3,80,44,000	43,75,87,000	19,20,18,000
35.	संघ उत्पादक शुल्क	12,50,50'000		62,52,47,000	
36.	आयकर, संपदा शुल्क, धनकर और दानकर	13,54,93,000		67,74,67,000	
37.	स्टाम्प	5,96,96,000	27,50,000	29,84;80,000	1,37,50,000
38.	लेखा परीक्षा	15,29,30,000		76,46,48,000	
39.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	12,05,07,000	2,20,88,000	60,25,33,000	11,04,39,000
40.	पेंशनें	18,19,24,000		90,96,18,000	

1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
41.	अफीम और एल्कलाइएड के कारखाने	23,50,16,000	13,84,000	13,87,46,000	69,17,000
42.	राज्य सरकारों को अंतरण	551,18,75,000		1315,30,79,000	
43.	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	141,11,76,000	219,24,24,000	705,58,81,000	405,49.24,000
44.	सरकारी सेवकों आदि को उधार		17,01,20,000		85,06,03,000
	स्वास्थ्य और परिवार कल्यण मंत्रालय				
47.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	24,83,000		1,24,13,000	
48.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	34,33,81,000	12,11,40,000	171,69,06,000	60,56,99,000
49.	परिवार कल्याण	60,19,53,000	16,000	300,97,63,000	84,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय				
64.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	19,59,000		97,96,000	
65.	सूचना और प्रचार	5,55,87,000	22,00,000	27,79,35,000	1,10,00,000
66.	प्रसारण	18,59,,16,000	11,53,34,000	92,95,81,000	57,66,68,000
	श्रम और पुनर्वास मंत्रालय				
68.	श्रम विभाग	21,72,000		1,08,60,000	
69.	श्रम और रोजगार	15,75,46,000	43,000	78,77,29,000	2,13,000
70.	पुनर्वास विभाग	4,16,54,000	90,26,000	20,82,69000	4,51,31,000

1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय				
71.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	2,90,88,000	16,000	14,54,42,000	84,000
72	न्याय प्रशासन	19,76,000		98,83,000	
	योजना मंत्रालय				
73.	योजना मंत्रालय	92,000		4,63,000	
74.	सांख्यिकी	3,52,94,000		17,64,71,000	
75.	योजना आयोग	1,21,04,000		6,05,18,000	
	ग्रामीण विकास मंत्रालय				
76.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	80,62,31,000	62,000	403,11,57,000	3,08,000
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय				
77.	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	77,48,000		3,37,41,000	
78.	सड़कें	28,42,72,000	33,25,56,000	142,13,60,000	161,27,82,000
79.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	14,42,76,000	18,43,83,000	68,46,76,000	92,19,17,000
80.	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	42,03,000	12,18,02,000	2,10,18,000	60,90,09,000

1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	समाज कल्याण मंत्रालय				
81.	समाज कल्याण मंत्रालय	12,26,41,000	22,18,000	61,32,04,000	1,10,90,000
	इस्पात और खान मंत्रालय				
82.	इस्पात विभाग	54,54,000	82,83,00,000	2,72,73,000	414,15,00,000
83.	खान विभाग	13,23,94,000	29,34,33,000	66,19,66,000	146,71,62,000
	पर्यटन और नगर विमानन मंत्रालय				
84.	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रायल	19,33,000		96,67;000	
85.	मौसम विज्ञान	3,79,22,000	82,61,000	18,96,10,000	4,13,07,000
86.	विमानन	6,78,80,000	11,64,00,000	33,93,98,000	58,20,00,000
87.	पर्यटन	1,52,19,000	2,52,34,000	7,60,94,000	12,61,69,000
	निर्माण और आवास मंत्रालय				
88.	निर्माण और आवास मंत्रालय	29,17,00		1,45,84,000	
89.	लोक निर्माण कार्य	19,66,25,000	9,73,55,000	98,31,23,000	48,67,76,000
90.	जल पूर्ति और मल निकासी	33,50,00,000		167,50,00,000	

1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
91.	आवास और नगर विकास	5,85,06,000	22,54,32,000	29,25,32,000	57,71,62,000
92.	लेखन सामग्री और मुद्रण	9,53,50,000		47,67,52,000	
	परमाणु ऊर्जा विभाग				
93.	परमाणु ऊर्जा विभाग	15,37,000		76,83,000	
94.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं	23.12,54,000	35,28,45,000	115,62,73,000	176,42,27,000
95.	न्यूक्लीय विद्युत स्कीमें	48,25,52,000	18,83,11,000	70,37,62,000	94,15,56,000
	इलेक्ट्रानिकी विभाग				
96.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	3,25,28,000	2,54,75,000	16,26,42,000	12,73,75,000
	पर्यावरण विभाग				
97.	पर्यावरण विभाग	3,10,67,000		15,53,35,000	
	महासागर विकास विभाग				
98.	महासागर विकास विभाग	4,21,12,000	4,01,33,000	21,05,63,000	2,98,67,000
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास				
99.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास	6,16,63,000	39,74,000	30,83,18,000	1,98,71,000

1 2	3		4	
	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
100. भारतीय सर्वेक्षण	5,26,74,000	77,000	26,33,68,000	3,85,000
101. वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद को अनुदान	16,24.96,000		81,24,79,000	
अंतरिक्ष विभाग				
102. अंतरिक्ष विभाग	13,63,19,000	27,90,53,000	92,15,93,000	24,32,66,000
खेल विभाग				
103. खेल विभाग	2,34,89,000	1,48,000	11,74,48,000	7,39,000
संसद, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग				
106. लोक सभा	1,57,95,000		7,59,76,000	
107. राज्य सभा	54,45,000		2,72,23,000	
108 संसदीय कार्य विभाग	5,50,000		27,53,000	
109. उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	1,45,000		7,25,000	

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय इसे कार्यवाही वृतान्त में ले लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपने कहा "नहीं" आपकी अन्तः आत्मा बोल रही थी, क्योंकि सभा द्वारा चर्चा के बिल भारी राशियों के लिये मतदान किया जा रहा है। और आपकी अन्त आत्मा बोल उठी....

अध्यक्ष महोदय : मेरी आत्मा इतनी कमजोर नहीं है। 'पक्ष' वाले जीत गयी हैं। मंत्रालयों तथा विभागों की शेष मांगी पारित की जाती हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हमें बहुत दु:ख है कि उन पर कोई चर्चा नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : इसका कारण यह है कि आपने अन्य मांगों पर अधिक समय ले लिया।

विनियोग (संख्या-3) विधेयक

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1983-84 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि वित्तीय वर्ष 1983-84 की सेवाओं के लिए भारत को संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्था पत करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1983-84 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के सन्दाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1983-84 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय संदाय और विनियोग को प्राधिकृत्त करने वाले विधेयक पर बिचार करने की राशियों अनुमति दी जाए।"

डा० सुब्रह्मणयम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मुझे तीन बातों का उल्लेख करना हैं। आप इन विनियोग विधेयक को देखें। यह 1,22,927 करोड़ रु० तथा कुछ अतिरिक्त राशियों

के लिए प्राधिकृत करने के लिए है जबकि बजट 34,000 करोड़ रु० के लिए है। स्पष्ट है कि जिनको दोबारा की गई है और इस बात के लिए व्याख्यात्मक स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए था कि 1,22,927 करोड़ के लिए प्राधिकृत करने को क्यों कहा जा रहा है और बजट को केवल 34,000 करोड़ रु० का क्यों दिखाया गया है।

मेरा विचार है कि—मैं यह नहीं कहूंगा कि मेरे साथ धोखा किया गया है क्योंकि वह कठोर शब्दों का उपयोग होगा—मेरे साथ गड़बड़ी हुई है (व्यवधान) कहा जा रहा है कि वे मध्यवधि चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं करता।

संविधान इस सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट है कि इस पर मतदान किया जाना है और क्या प्रभारित किया जाना है। "प्रभारित" मदें इस प्रकार उल्लिखित की गई है: "निम्नलिखित मदें" 'प्रभारित' हैं जो मदें 'प्रभारित' वर्ग के अन्तर्गत में उन पर मतदान नहीं हो सकता परन्तु संविधान में यह कहा गया है कि सदन को उन पर चर्चा से नहीं रोका जाएगा। मेरे पास विनियोग विधेयक है और मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं कि कतिपय राशियों को 'प्रभावित' तथा कतिपय राशियों को 'मतदान' वर्ग के अन्तर्गत किस कारण रखा गया है। उदाहरण के रूप में, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का वेतन 'प्रभावित' वर्ग में है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। हमें इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। वित्त मंत्री का वेतन 'मतदान' वाले वर्ग में है। यह भी ठीक है। यदि वह वेतन में वृद्धि चाहते हैं तो हम उसे उचित कह रहे हैं। वह अपना काम ठीक प्रकार से कह रहे हैं।

परन्तु मुझे इस बात से है तभी है कि गृह मंत्री को 'प्रभारित' वर्ग के अंतगत 130 करोड़ रु० की राशि दी गई है। उनका इस 'प्रभारित' वर्ग से क्या मतलबा इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई है।

जहां तक 'मतदान' वाली मदें है हमें मालूम है कि वे किस काम के लिए हैं। परन्तु 'प्रभारित' वर्ग के अन्तर्गत "राज्य सरकारों को अन्तरण" के अन्तर्गत 4384 करोड़ रु० की राशि दिखाई गई है। हमें इस पर चर्चा का अवसर नहीं मिला है। हम देखते हैं कि बजट धीरे धीरे संसद के हाथों से निकल रहा है। आज संचित निधि सरकार के कुल वित्त का एक छोटा सा अंश मात्र है—संचित निधि केवल 50 करोड़ रु० है परन्तु सर्वजनिक लेखे जो सरकार हमारे सामने भी नहीं लाही बढ़ते जा रहे हैं और भारत की संचित निधि जिस पर कुछ नियंत्रण अपेक्षित है हम देखते हैं कि धीरे धीरे 77 प्रतिशत धनराशि 'प्रभारित' मद के अन्तर्गत चली गई है जिसका अर्थ है कि हम उस पर मतदान नहीं कर सकते और केवल 23 प्रतिशत हमारे मतदान के लिए रखी जाती है। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि "यदि आप संसद के सार्वजनिक धन के व्यय किए जाने के बारे में कुछ कहने से वंचित करना चाहते हैं तो बजट को लाते ही क्यों हैं"

मैं यह नहीं कहुंगा कि बजट के लाए जाने से एक सप्ताह पूर्व कर किस प्रकार लगाए जा सकते हैं। परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस बात के लिए स्पष्टी करण दिया जाना आवश्यक है कि गृह मंत्रालय के बजट में 130 करोड़ रु० की राशि 'प्रभारित' वर्ग के अन्तर्गत

किस कारण से है। इसका भी कारण बताया जाना जरूरी है कि 'प्रभावित' वर्ग के अन्तर्गत राशि का अनुपात किस कारण धीरे धीरे बढ़ रहा है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी अभी-अभी बोल रहे थे। जब आप बजट सम्बन्धी नियतन पर, ठीक इस समय जबकि बजट पर वाद-विवाद हो रहा है, सेमीनार करेंगे तो यही होगा। अतः उन्होंने यहां पर वैसा ही भाषण भी दिया है। (व्यवधान) यह सराहनीय है।

महोदय, मैं विनियोग विधेयक के अन्तर्गत प्राधिकृत नियतनों की तुलना में व्यय पर बेहतर नियंत्रण रखने की तुलना पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। यहां तक कि लोक लेखा समिति ने अपने 121 वें प्रतिवेदन में यह खेदपूर्वक टिप्पणी की है कि वित्तीय नियंत्रण अभी भी दूर की कौड़ी है। वर्ष 1980-81 के सम्बन्ध में इस समिति ने टिप्पणी की है कि एक ओर रक्षा तथा रेल जैसे कुछ मन्त्रालयों की अनुदानों और विनियोगों में अतिरिक्त व्यय किया गया था और दूसरी ओर सरकार के विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्यों और कल्याण कार्यों पर व्यय में व्यय में काफी बचत की गई है यह जानकर दुख होता है कि विकास सम्बन्धी तथा कल्याण कार्यों पर 1,641,76 करोड़ रुपये तक की बचत की गई जो कृषि के सम्बन्ध में 26.13 करोड़ रुपये की थी, सिंचाई में 11.41 करोड़ रुपये की थी, ऊर्जा में 112.95 करोड़ रुपये की थी, ग्राम तथा लघु उद्योग में 12.73 करोड़ रुपये की थी, ग्रामीण पुनर्निर्माण में 10.46 करोड़ रुपये की थी और समाज कल्याण में 24 रुपए करोड़ की थी, वगैरह, वगैरह।

अब हम व्यय का दूसरा शीर्षक लेते हैं जो अन्य प्रशासनिक के सेवाएं—संख्या 265 कहलाता है। मुझे बहुत ही शोभकारी स्थिति का पता चलता है। वर्ष 1981-82 के दौरान वास्तविक व्यय 67.63 करोड़ रुपये था। 1982-83 के लिये बजट प्राक्कलन के 414.49 करोड़ रुपये रखे गये परन्तु पुनरीक्षित प्राक्कलन केवल 60.78 करोड़ रुपये ही हुए। 1983-84 के लिये वर्तमान बजट प्राक्कलन में एक बार और हमारा 350.15 करोड़ रुपये का अनुमान है। यह क्या स्थिति है ? मुझे इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि बात की तुरन्त सराहना की जा सकती है कि इतने बड़े अन्तर से बजट सम्बन्धी कार्यों का महत्व और अर्थ गम्भीरता पूर्वक कम हो जाता है तथा उन पर यह अन्तर एक दबाव जैसा हो जाता है। इसी प्रकार एक मद है जो "सामान्य आर्थिक सेवाएं" कहलाती है उसके सम्बन्ध में हमें 1982-83 के लिये बजट तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार लगभग 15 करोड़ रुपये की बचत देखने को मिलती है। क्या मैं यह निवेदन करूं कि सामान्य आर्थिक सेवाओं के सम्बन्ध में इस राशि का उपयोग करने में यह हमारी असफलता है। यदि सामान्य आर्थिक सेवाओं शब्द का सामान्य विदेश-व्यापार, निर्यात संवर्धन, सहयोग, पिछड़े क्षेत्रों पर व्यय है तो यह सब सरकार, जो काम करने का दावा करती है, के लिए ठीक नहीं है।

वर्ष 1982-83 के लिये कृषि के लिये किये गये नियतन का उपयोग नहीं किया जा सका तथा 27 करोड़ रुपये की बचत दिखाई गई है। बजट तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन क्रमशः 313.51 करोड़, रुपये तथा 286.88 करोड़ रुपये हैं। इस समय 1983-84 के लिये बजट विनियोग 332.24 करोड़ रुपये रखे गये हैं इसके अलावा 1982-83 के लिए नगरीय विकास, आर्थिक

राजस्व, लोक निर्माण. डेरी विकास, पत्तनों, लाइटहाउसों, नौवहन आदि के सम्बन्ध में बजट तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन में काफी वृद्धि हुई है। मैं यह कह रहा हूं कि इन आंकड़ों से धनराशि की आवश्यकता के दोषपूर्ण आकलन का पता चलता है। अतः मैं इस बात पर बल देने के लिए बोल रहा हूँ कि यदि विनियोग विधेयक के अन्तर्गत प्राधिकृत बजट तथा निवतन की संकल्पना का किसी प्रकार का कोई महत्व रखना है तो व्यय तथा उसकी प्रगति की सामजिक पुनरीक्षा करने तथा उस पर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता है।

कुछ विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार नहीं किया जा सका है। मैं सर्वप्रथम पर्यटन विभाग का उल्लेख कर रहा हूं। यहां मैं पर्यटन विभाग के प्रति पूर्ण निष्पक्षता से कहता हूं कि इसने एशियाई खेलों तथा सातवें निर्गुट सम्मेलन के दौरान अत्यन्त सराहनीय कार्य किया है इसलिये इस विभाग को हमारी हार्दिक बधाई है। तथापि, पर्यटन उद्योग पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेषकर हमारी पर्यटन के सम्बन्ध में प्रतिकूल स्थिति और पर्यटन के निर्यात उद्योग के चौथे स्थान को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें बहुत ही जागरूक, निष्ठावान और उत्तरदायी मंत्री मिले हुए हैं अतः हम आशा करते हैं कि पर्यटन उद्योग पर और अधिक ध्यान दिया जायेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि आप मेरे लिये ऐसा ही करेंगे तो मैं भी आपकी तारीफ करूंगा।

श्री जी० एम० बनातवाला : इसके अलावा यह कहा जाता है कि पर्यटन गन्तव्य-स्थान की दृष्टि से भारत, हांग-कांग, नेपाल और बाहम्स जैसे छोटे-छोटे देशों से भी बहुत पीछे है। हमारा विशाल क्षेत्र है और पर्यटन आकर्षण के हमारे अनेक केन्द्र हैं। फिर भी हम विश्व के पर्यटकों में से केवल 0.28 प्रतिशत पर्यटकों को ही आकर्षित कर पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं; भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक यातायात की वार्षिक वृद्धि दर में निरन्तर कमी होती जा रही है। जब हम पर्यटकों के आगमन में वार्षिक प्रतिशतत वृद्धि को देखते हैं तो हमें बहुत ही धूमिल छवि नजर आती है जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह 1977 में 19.9% थी; 1978 में 16.8% थी; 1979 में 2.2%थी—यह सारी अवधि जनता सरकार के समक्षकी है। और इसके बाद जब वर्तमान सरकार 1980 में आई तो यह 4.6% थी; 1981 में 6.6% थी और 1982 में 0.5% थी।

यह भी चिंताजनक है कि यदि आप भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों और उनमें रहने की दरों को लेते हैं तो आप देखेंगे कि कमरों में रहने की प्रतिशतता 1979-80 में 73% से गिर कर 1983-84 में के बजट प्राक्कलन की प्रतिशतता, 63 प्रतिशत हो गई।

हमारा एक परिवहन डिवीजन है जो ऐश्वर्यशाली कारें, पर्यटक कारें तथा गाड़ियां (कोच) चलाता है। 1979-80 में इनकी संख्या जो 265 थी वह बढ़कर 1982-83 में 371 हो गई है। इस बेड़े में वृद्धि के बावजूद इन वाहनों द्वारा किलो मीटरों में तय की गई प्रभावी दूरी कम हो गई है ; 1979-80 में यह 60.38 लाख किलोमीटर थी जो 1982-83 में कम होकर 40.51 लाख किलोमीटर हो गई है। अतः वर्ष 1979-80 के बाद हानियों में लगातार वृद्धि हो रही है। यहां मैं एक और बात का उल्लेख करता हूं।

मैं कुछ विचारों को लेकर जल्दी-जल्दी बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब काफी हो गया है। मैंने आपको पर्याप्त समय दे दिया है।

श्री जी एम० बनातवाला : मैं कुछ योजनाओं का उल्लेख करता हूं ताकि केरल की पर्यटन संभावनाओं का समुचित उपयोग किया जा सके। कालीकट में हवाई-अड्डे की परियोजना के निष्पादन में काफी बिलम्ब हो गया है : मिट्टी-कार्य के लिये अभी टेंडर मांगे गये हैं। मैं समझता हूं कि इस परियोजना को युद्ध स्तर आरम्भ किया जायेगा।

हमारे चुनाव-सुधारों के लिये कुछ प्रस्ताव हैं। मन्त्रीमंडल की एक समिति उन पर विचार कर रही है। उसका कार्य शीघ्र करवाया जाये और हमारे यहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग हो।

उर्दू को बढ़ावा देने के लिए मैं गुजरात समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करता हूं। यह समिति 1972 में नियुक्त की गई थी और इसने 1975 में रिपोर्ट पेश की :

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात को यहां कैसे ले आये ?

श्री जी० एस० बनातवाला : फिर भी अभी तक इसको क्रियान्वित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया भाषण समाप्त कीजिए।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : उनको इजरायल के बारे में भी कुछ कहना चाहिये।

श्री जी०एम० बनातवाला : इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करू मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्पूर्ण समस्या की ओर दिलाता हूं। सऊदी अरबिया सरकार ने हज यात्रियों के प्रवेश पर क्यों प्रतिबन्ध लगाये बताते है। विमान द्वारा यात्रा करने वाले सभी हज यात्रीयों को अब जिल हज महीने के चौथे दिन के बाद प्रवेश करने दिया जाता है जबकि जहाज द्वारा जाने वाले यात्रियों के हज में सात दिन पहले प्रवेश करने दिया जाता है। कठिनाइयों के कारण सऊदी सरकार ने ये प्रतिबन्ध लगाये है उनको समझते हुए भी तथ्य यह है कि इन प्रतिबन्धों से हमारे देश से जाने वाले हज यात्रियों की संख्या पर बुरा प्रभाव पडेगा गत वर्ष भारत से लगभग 21,000 तीर्थ यात्री हज गये। प्रवेश पर प्रतिबन्धों के परिणमस्वरुप परिहवन का सारा दबाव थोड़े से दिनों पर आ पड़ेगा। इससे तीर्थ यात्रियों की संख्या में काफी कमी हो जायेगी मैं सरकार से अनुरोध करताहूं केवल इस मामले पर सऊदी सरकार के साथ व लिखापढ़ी करे। भारत सरकार यह भी सुनिस्यिचत करे कि समय की इस प्रतिबन्धित अवधि के दौरान विमान तथा समुद्री मार्ग से परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराये जैसे कि इस समय स्थिति है, मुगल लाइन्स बम्बई से पुरिकल से 11,000 तीर्थ यात्री ले जा सकती है जब कि पहले यह 15,000 यात्री ले जाया करती थी।

एक अन्तिम बात और करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। अनेक राज्यों में वक्त संम्पती काफी समय से गेर कानूनी कब्जे में है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जल्दी से

जल्दी गैर कानूनी कब्जा हटवा ने के लिये विशेष न्यायधिकरण नियुक्त करे और इस प्रयोजन के लिये सभी संभव उपाय शीघ्रातिशीघ्र करे।

(श्री बूटा सिंह) : हम यह भुल कर चुके हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या आपने गैर कानूनी कब्जा हटवा दिया है ? नहीं। मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि सुची प्रकिया जल्दी से जल्दी पुरी की जाये और विशेष न्यायाधिकरण नियुक्त किये जायें।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री मुखर्जी।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): मैं पहले डा. स्वमी के प्रश्न का उत्तर दूगा।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : एक दिन आपकी हाजीवन जायेंगे।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं उस दिन का स्वागत करुंगा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : एक दिन आप भी हज जयेंगे।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं आपको साथ ले चलूंगा **(व्यवधान)**

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी :साम्यवादी मार्क्सवादी पार्टी के 1000 चूहे मारने के बाद आप हज करने जा सकते हैं।

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : श्री हाल्दर बेचेन हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह मैं आप पर छोड़ता हूँ कि 1000 चूहे मारने के बाद हाजी कौन बनेगा। **(व्यवधान)**

डा. स्वामी ने जिस बात का उल्लेख किया तत्र यह है कि प्रभरित राशि को इतना बढा चढ़ा कर क्यों दिखाया जाता है। मैं समझात-हूं कि वह बजट दस्तावेज और अनुदानों की मांगों ध्यान पूर्वक पढ़ते होंगे यदि वह वित मंत्रालय की मांगों के पृष्ठ 99 को देखें तो उनको पता चलेगा कि ऋण चुकता करने में सरकारी बिल 80,000 करोड़ रुपये के होजाते हैं। यह आय और व्यय दोनों ही तरफ ऐसी ह है जो एक दूसरे को रद्द करते हैं। हिसाब लगाने की यही पद्धति है और सकल बजट बनाने की यही संकल्पना है। माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि सरकारी बिलों को ऋण-विस्तार के लिये परिवर्तन होने में दिन लगते है। यदि वह सरकारी बिलों के इस स्वरूप को ध्यान में रखें तो प्रभारित राशियों के बहुत ज्यादा होने, के लिए यह उत्तरदायी है, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है।

इस बात के बारे में कि कुछ राशियों को ग्रह मंत्रालय अथवा कृषि मंत्रालय के अधीन 'प्रसारित' शीर्षक के अन्तर्गत क्यों दिखाया जाता है, इसको परिभाषा स्वयं संविधान में अनुच्छेद 112 के अन्तर्गत दी गयी है। मैं इस बारे में विशेष रूप से अनुच्छेद 293 (2) के साथ पठित खंड (3) (जी) का उल्लेख करूंगा जहां ऋणों अथवा अग्रिम राशियों के रूप में राज्यों को संसाधनों का अन्तरण प्रसरित राशि के रूप में दिखाया जाना होता है। माननीय सदस्यों को यह मालूम हैं। कि गृह मंत्रालय के अन्तर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण में, यथा, आदिवासि उप-योजना आदिवासि घटक योजना, अनुसूचित जातियां योजना, गृह मंत्रालय के शीर्षक के अन्तर्गत दिखाई जाती हैं और अनुदान या ऋण के रूप में राज्य सरकारों को राशि अन्तरित की जाती है। कृषि तथा अन्य मंत्रालयों जैसे अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों द्वारा भी, आप देकेगें कि, कुछ राशि प्रसारित राशि

के रूप में दिखाई जा रही है उसके प्रश्न का यह उत्तर है। ऋण चुकता करने का समस्त प्रावधान लगभग 80,9000 करोड़ रुपये रहे।

श्री बनातवाला ने कुछ अन्य मंत्रालयों से संबद्ध कुछ अन्य मुद्दे उठाये हैं। मैं उन पर नहीं बोलूंगा। मंत्रीगण यहाँ उपस्थित हैं ही, वे इन मुद्दों पर गौर कर लेगें। अन्य प्रसासनिक शीर्षकों के सम्बन्ध में जो उनके द्वारा विशेष तौर पर बनाये गये हैं 265 अन्य प्रशासनिक सेवाएं हैं। उन्होंने कहा है कि राशि प्रतिवर्ष परिसमाप्त क्यों नहीं की जा रही है, उन्होंने दिखाये जा रहे दो वर्षों के बजट का उल्लेख किया है। शायद उनको इस बात की जानकारी है कि इस शीर्षक के अन्तर्गत हम महंगाई भत्ते की किस्तों के लिए समेकित प्रांकड़े दिखाते हैं बजट बनाने के यह बताना संभव नहीं होता है कि कर्मचारियों को देने के लिए कितने मंहगाई भत्ते की जरूरत पड़ेगी, विभिन्न विभागों को देने की तो बात ही और ही है अत: हम इस शीर्षक के अन्तर्गत समेकित राशि का प्रावधान करते हैं और जब मंहगाई भत्ते की घोषणा की जाती हैं और किश्तें दे दी जाती हैं तो अलग-अलग विभाग धन राशि निकाल लेते हैं वे इसे अनुपरक अनुदानों के अन्तर्गत दिखाते हैं। अतः यह राशि अप्रयुक्त पड़ी रहती है। वास्तविक धनराशि अप्रयुक्त नहीं पड़ी रहती है परन्तु इस शीर्षक के अन्तर्गत यह अप्रयुक्त पड़ी रहती है। यह समस्या प्रक्रिया है। हमें प्रति वर्ष ऐसा करना पड़ेगा। एक आम बात के बारे में मैं उनसे सहमत हूं कि हमें प्रक्कलन बनाते समय और अधिक सावधानी बरतनी चाहिये ताकि प्रक्कलन बताने के समय की राशि और व्यय की राशि में बहुत अधिक अन्तर नहीं।

उन्होंने कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से कुछ विकास सम्बन्धी पहलुओं का उल्लेख किया है और यहाँ भी केन्द्रीय एजेंसियों के सम्बन्ध में ऐसे कुछ क्षेत्र बहुत कम है जिनमें स्वयं केन्द्रीय सरकार क्रियान्वित एजेंसी हो। उसे विभिन्न राज्य सरकारों के कार्यकरण पर निर्भर करना चाहिए। इसका एक ज्वलन्त उदाहरण समेकित ग्रामीण विकास कार्य क्रम है जो प्रत्यक्षत: गरीब विरोधी है। कुछ राज्यों में वितरित की जाने वाली वास्तविक सारी 36 करोड़ रुपये से अधिक थी। यदि प्रति ब्लाक 600 परिवारों का पता लगाया जाता है और प्रति परिवार 5000 रुपए से 7000 रुपए औसतन दिए जाते हैं तो दो वर्षों में उस राज्यों में वितरित राशि लगभग 36 करोड़ रुपए हो जानी चाहिए परन्तु वास्तविक वितरण 6 करोड़ रुपए से 7 करोड़ रुपए हुआ क्योंकि परिवारों का पता लगाने और परियोजना तैयार करने वाला तंत्र तैयार नहीं था परन्तु कुछ अन्य राज्यों में हम देखते हैं कि वे लक्ष्य से भी आगे बढ़ गए हैं। जब हम केन्द्र के अन्तर्गत समेकित आंकड़े दर्शाते हैं तब हमें पूर्णतया इन परियोजनाओं और राज्यों के कार्यकरण पर निर्भर करना पड़ता है। केन्द्रीय मंत्रालयों के अन्तर्गत आप पायेंगे कि कुछ क्षेत्रों में धनराशि का कुछ भाग अप्रयुक्त अथवा अर्द्ध-प्रयुक्त पड़ा रहेगा।

एक बात उन्होंने उर्दू तथा गुजारत समिति की रिपोर्ट के बारे में कही। इस मुद्दे पर जो कुछ कहना चाहा और जो मुझे आपके सचिवालय से प्राप्त हुआ है, मैंने जानकारी एकत्र करने की कोशिश की और मैंने शिक्षा मंत्रालय से जा जानकारी एकत्र की है। मुझे बताया गया है कि इस पर 7 जनवरी, 1983 को उर्दू बोर्ड की बैठक में निर्णय किया गया था कि इस रिपोर्ट बोर्ड द्वारा चर्चा किए जाने तथा 10 मई, 1983 को होने वाली स्थायी समिति की अगली बैठक से पूर्व पर स्थायी समिति द्वारा विचार किया जाये।

श्री ओ०एम० बनातवाला : 1972 के बाद बैठक के बाद बैठक हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव सभा के विचारार्थ रखता हूं। प्रश्न यह है :

"वित्तीय वर्ष 1983-84 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने का उपलब्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम खंडों को लेंगे। प्रश्न यह है।

"कि खंड 2 से 4 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री बी०डी० सिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव, जिस पर सभा द्वारा आज अनुमति दी गई है, कल सायं 4 बजे लिया [illegible]

6.31 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा 27 अप्रैल, 1983/7 वैशाख 1905 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

खोसला प्रिंटर्स, नांगलोई, (दिल्ली-41)